

भारत गैर-न्यायिक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
ई-स्टाम्प

प्रमाण-पत्र संख्या	IN-DL22528525652672S
प्रमाण-पत्र जारी करने की तारीख	12-Feb-2020 02:29 PM
खाता संदर्भ	IMPACC (IV)/ dl942203/ DELHI/ DL-DLH
विशिष्ट दस्तावेज़ संदर्भ	SUBIN-DL94220353911784283890S
द्वारा खरीदा गया	अडानी मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड
दस्तावेज़ का विवरण	अनुच्छेद 5 सामान्य करार
संपत्ति का विवरण	लागू नहीं
प्रतिफल मूल्य (रु.)	0 (शून्य)
प्रथम पक्ष	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
द्वितीय पक्ष	अडानी मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड
स्टाम्प शुल्क अदा किया गया द्वारा	अडानी मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड
स्टाम्प शुल्क राशि (रु.)	500 (केवल पाँच सौ)

.....कृपया इस पंक्ति के नीचे लिखें या टाइप करें।.....

यह स्टाम्प पेपर दिनांक 14.02.2020 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अडानी मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के बीच मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के संबंध में किए गए रियायत करार का अभिन्न अंग और हिस्सा है।

मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
के लिए
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
और
अडानी मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड
के बीच
रियायत करार

दिनांक: 14 फरवरी, 2020

विषय-सूची

अनुच्छेद 1	परिभाषाएँ और निर्वचन
अनुच्छेद 2	परियोजना का दायरा
अनुच्छेद 3	रियायत प्रदान करना
अनुच्छेद 4	पूर्ववर्ती शर्तें
अनुच्छेद 5	रियायतग्राही के दायित्व
अनुच्छेद 6	प्राधिकरण के दायित्व
अनुच्छेद 7	अभ्यावेदन और वारंटियाँ
अनुच्छेद 8	अस्वीकरण
अनुच्छेद 9	कार्य-निष्पादन प्रतिभूति
अनुच्छेद 10	मार्गाधिकार
अनुच्छेद 11	उपयोगिताएँ और वृक्ष
अनुच्छेद 12	हवाईअड्डे का विकास और विस्तार
अनुच्छेद 13	निर्माण की निगरानी
अनुच्छेद 14	चरण की पूर्णता
अनुच्छेद 15	वाणिज्यिक सेवा में प्रवेश
अनुच्छेद 16	संक्रमणकालीन व्यवस्थाएँ
अनुच्छेद 17	क्षेत्र-परिवर्तन
अनुच्छेद 18	संचालन, अनुरक्षण और प्रबंधन
अनुच्छेद 19	ओ एंड एम सेवाएँ
अनुच्छेद 20	आरक्षित सेवाएँ
अनुच्छेद 21	संचालन और अनुरक्षण की निगरानी
अनुच्छेद 22	यातायात विनियमन और जनगणना
अनुच्छेद 23	मुख्य कार्य-निष्पादन संकेतक
अनुच्छेद 24	स्वतंत्र अभियंता
अनुच्छेद 25	सिटी साइड विकास
अनुच्छेद 26	वित्तीय समापन
अनुच्छेद 27	रियायत शुल्क
अनुच्छेद 28	शुल्क
अनुच्छेद 29	एस्क्रो खाता
अनुच्छेद 30	बीमा
अनुच्छेद 31	लेखा और लेखा-परीक्षण
अनुच्छेद 32	अप्रत्याशित घटना
अनुच्छेद 33	करार के उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति
अनुच्छेद 34	रियायतग्राही के अधिकारों का निलंबन
अनुच्छेद 35	समाप्ति
अनुच्छेद 36	अधिकारों और हित का त्याग/हस्तांतरण
अनुच्छेद 37	समाप्ति के बाद दोष दायित्व
अनुच्छेद 38	समनुदेशन और प्रभार
अनुच्छेद 39	विनियामक दर्शन में परिवर्तन

अनुच्छेद 40	दायित्व और क्षतिपूर्ति
अनुच्छेद 41	विवाद समाधान
अनुच्छेद 42	प्रकटीकरण
अनुच्छेद 43	सार्वजनिक शिकायतों का निवारण
अनुच्छेद 44	विविध

भाग-I

प्रारंभिक

रियायत करार

यह रियायत करार ("करार") 14 फरवरी, 2020 के 14वें दिन नई दिल्ली में निष्पादित किया गया है।

के द्वारा एवं के बीच:

1. **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा गठित एक निगमित निकाय है और जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली, 110003, भारत में स्थित है (जिसे आगे "प्राधिकरण" कहा गया है, और इस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशित व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे);

और

2. **अडानी मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड**, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अधीन निगमित एक कंपनी है, जिसका कॉर्पोरेट पहचान संख्या U63030GJ2019PLC110062 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय अडानी हाउस, 56 श्रीमाली सोसाइटी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, 380009, गुजरात, भारत में स्थित है (जिसे आगे "रियायतग्राही" कहा गया है, और इस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी, अनुमत समनुदेशित व्यक्ति और प्रतिस्थापित व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे)।

जैसा कि संदर्भ के अनुसार अपेक्षित हो, प्राधिकरण और रियायतग्राही को आगे अलग-अलग "पक्ष" तथा सामूहिक रूप से "पक्षकार" कहा जाएगा।

जबकि

क. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के अधीन प्राधिकरण के कार्यों और शक्तियों में भारत में हवाई अड्डों का विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन सम्मिलित है तथा उसी के अनुसरण में प्राधिकरण ने कर्नाटक राज्य के मंगलुरु में हवाई अड्डे का निर्माण किया है और वह अधिनियम के अधीन तथा उसके अनुसार उसका संचालन कर रहा है।

ख. भारत सरकार (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) ने आवश्यक निवेश जुटाने के अतिरिक्त सेवा प्रदायगी में दक्षता, विशेषज्ञता, उद्यमशीलता और व्यावसायिकता लाने के लिए एएआई के कुछ हवाई अड्डों के संचालन, प्रबंधन और विकास हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर बोलियाँ आमंत्रित करने का निर्णय लिया है।

ग. प्राधिकरण ने हवाई अड्डे (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए तकनीकी और वाणिज्यिक नियम एवं शर्तें निर्धारित करते हुए, दिनांक 14 दिसंबर, 2018 के अपने प्रस्ताव हेतु अनुरोध संख्या 2018_एएआई_19459_1 ("प्रस्ताव हेतु अनुरोध" या "आरएफपी") द्वारा परियोजना (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए।

घ. बोलीदाताओं से प्राप्त बोलियों के मूल्यांकन तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात, प्राधिकरण ने अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की बोली ("चयनित बोलीदाता") स्वीकार की और चयनित बोलीदाता को दिनांक 15 जुलाई, 2019 का अपना आशय-पत्र/पुरस्कार पत्र संख्या एएआई/केआईडी/पीपी89पी/06

APTS/LOA/Mangaluru/2019/94 ("LOA") जारी किया, जिसके द्वारा चयनित बोलीदाता को अन्य बातों के साथ-साथ आरएफपी में निर्धारित समयावधि के भीतर एक विशेष प्रयोजन माध्यम (स्पेशल पर्पज वेहिकल) के माध्यम से इस करार को निष्पादित करने की अपेक्षा की गई।

ड. चयनित बोलीदाता ने तब से आरएफपी की शर्तों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन ऐसे विशेष प्रयोजन माध्यम को रियायतग्राही के रूप में प्रवर्तित एवं निगमित किया है और प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि वह रियायतग्राही को ऐसी इकाई के रूप में स्वीकार करे जो एल ओ ए के अधीन चयनित बोलीदाता के दायित्वों का निर्वहन करेगी और उसके अधिकारों का प्रयोग करेगी, जिसमें हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए इस करार में प्रवेश करने का दायित्व भी शामिल है।

च. दिनांक 29 जनवरी, 2020 के अपने पत्र द्वारा रियायतग्राही ने यह अभ्यावेदन करते हुए कि उसे इस प्रयोजन के लिए चयनित बोलीदाता द्वारा प्रवर्तित किया गया है, प्राधिकरण से चयनित बोलीदाता के अनुरोध में सहभागिता की कि रियायतग्राही को ऐसी इकाई के रूप में स्वीकार किया जाए जो एल ओ ए के अधीन चयनित बोलीदाता के दायित्वों का निर्वहन करेगी और उसके अधिकारों का प्रयोग करेगी, जिसमें एल ओ ए के अनुसरण में इस करार में प्रवेश करने का दायित्व भी शामिल है।

छ. प्राधिकरण ने चयनित बोलीदाता और रियायतग्राही के उक्त अनुरोध पर सहमति व्यक्त की है और तदनुसार पीपीपी के माध्यम से हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए रियायतग्राही के साथ इस करार में प्रवेश करने पर सहमति व्यक्त की है, जो नीचे निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगी।

अतः, उपर्युक्त तथ्यों तथा इस करार में निर्धारित संबंधित वचनों और करारों के प्रतिफलस्वरूप, जिनकी प्राप्ति और पर्याप्तता एतद्वारा स्वीकार की जाती है, तथा इसके द्वारा कानूनी रूप से आबद्ध होने के आशय से, पक्षकार निम्नानुसार सहमत होते हैं:

अनुच्छेद 1. परिभाषाएँ और निर्वचन

1.1 परिभाषाएँ

इस करार में, निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जब तक संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, नीचे उन्हें दिए गए अर्थ के अनुसार क्रमशः अर्थ होगा:

“भाविप्रा” या “प्राधिकरण” का अर्थ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के अधीन स्थापित किया गया है, जैसा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा संशोधित है, और इसमें इसके उत्तराधिकारी तथा समनुदेशित व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे;

“एएआईसीएलएएस” का अर्थ भाविप्रा कार्गो संभार एवं सम्बद्ध सेवाएँ (एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंका एलाइड सर्विसेस कंपनी लिमिटेड) है और इसमें इसके उत्तराधिकारी तथा अनुमत समनुदेशित व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे;

“स्वीकार करने वाले कर्मचारी” का वही अर्थ होगा जो खंड 6.5.7 में दिया गया है;

“लेखांकन वर्ष” का अर्थ किसी कैलेंडर वर्ष के 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष है; परंतु प्रथम लेखांकन वर्ष के प्रयोजनों के लिए ऐसी अवधि सीओडी की तारीख से प्रारंभ होकर उसके तुरंत बाद आने वाले 31 मार्च को समाप्त होगी तथा रियायत अवधि के अंतिम लेखांकन वर्ष के लिए ऐसी अवधि 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर रियायत अवधि के अंतिम दिन समाप्त होगी;

“एसीआई”) का वही अर्थ होगा जो खंड 23.7.1 में दिया गया है;

“प्राधिकरण द्वारा नामित लेखा-परीक्षक” से तात्पर्य खंड 31.2.3 में पहचाने गए लेखा-परीक्षकों से है;

“समायोजित परिकल्पित प्रारंभिक आरएबी” का वही अर्थ होगा जो खंड 28.11 में दिया गया है;

“एईआरए ” का अर्थ भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण है, जो ए ईआर ए (AERA) अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया है, और इसमें लागू कानूनों के अनुसार कोई उत्तरवर्ती इकाई भी सम्मिलित होगी;

“एईआरए अधिनियम” का अर्थ भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित, परिवर्तित और प्रतिस्थापित किया गया है;

“वैमानिक परिसंपत्तियाँ” से आशय उन परिसंपत्तियों से है जो हवाई अड्डे पर वैमानिक सेवाओं के निष्पादन के लिए आवश्यक या अपेक्षित हैं, और इसमें ऐसी अन्य परिसंपत्तियाँ भी सम्मिलित होंगी जिन्हें रियायतग्राही इस करार के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर वैमानिक सेवाओं के निष्पादन के लिए या उससे संबंधित प्रयोजनों हेतु प्राप्त कर सकता है; इसमें गैर-वैमानिक परिसंपत्तियाँ सम्मिलित नहीं होंगी;

“वैमानिक प्रभार” का अर्थ विनियामक द्वारा अनुमोदित वे प्रभार हैं जिन्हें वैमानिक सेवाओं के प्रावधान के लिए रियायतग्राही द्वारा लगाया, वसूल और विनियोजित किया जा सकता है;

“वैमानिक राजस्व” का अर्थ विनियामक ढाँचे के अनुसार विनियामक द्वारा निर्धारित कुल राजस्व आवश्यकता है;

“वैमानिक सेवाएँ” का वही अर्थ होगा जो ऐरा अधिनियम में दिया गया है;

“प्रभावित पक्ष” का वही अर्थ होगा जो खंड 32.1 में दिया गया है;

“करार” या “रियायत करार” का अर्थ यह करार, इसकी प्रस्तावना, अनुसूचियाँ तथा इस करार में निहित प्रावधानों के अनुसार किए गए कोई संशोधन हैं;

“एयरफील्ड प्रकाश व्यवस्था प्रणाली” का अर्थ हवाई अड्डे पर स्थित प्रकाश व्यवस्था प्रणालियों से है, जिनमें रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और एप्रोच से संबंधित प्रणालियाँ शामिल हैं, जो संबंधित इकाओं दस्तावेजों और अनुबंधिकाओं में निहित प्रावधानों के अनुसार विमान संचालन के लिए आवश्यक हैं;

“हवाई अड्डा” का अर्थ साइट पर स्थित मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है और इसमें सिविल, यांत्रिक तथा विद्युत कार्य, टर्मिनल भवन, कार्गो सुविधाएँ, रनवे तथा हवाई अड्डे के संचालन और विस्तार के लिए आवश्यक एवं उससे संबंधित सभी परियोजना परिसंपत्तियाँ सम्मिलित हैं;

“एओडीबी” का वही अर्थ होगा जो खंड 21.1 में दिया गया है;

“लागू कानून” का अर्थ भारत सरकार और/या राज्य सरकार, डीजीसीए(डीजीसीए), बीसीएस(BCAS), आईसीएओ(इकाओ) के सभी कानूनों से है, जिनमें इस करार पर लागू दिशानिर्देश, परिपत्र, नियम, विनियम और अधिसूचनाएँ, निर्णय, डिक्री, निषेधाज्ञाएँ, रिट तथा किसी अभिलेखित न्यायालय के आदेश शामिल हैं, जो इस करार की अवधि के दौरान प्रभावी हों और इसके अधीन पक्षकारों के संबंधित अधिकारों एवं दायित्वों के प्रयोग, निष्पादन और निर्वहन पर लागू हों;

“लागू अनुमतियाँ” का अर्थ परियोजना के संबंध में इस करार की अवधि के दौरान लागू कानूनों के अधीन प्राप्त या बनाए रखना आवश्यक सभी स्वीकृतियाँ, लाइसेंस, परमिट, प्राधिकरण, अनापत्ति प्रमाण-पत्र, सहमतियाँ, अनुमोदन और छूट हैं;

“अनुमोदित मूल्यकार” का अर्थ आयकर विभाग द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त मूल्यकार है, जिसे कम-से-कम 5 (पाँच) ऐसी संपत्तियों के मूल्यांकन का अनुभव हो, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य रु. 100,00,00,000 (एक सौ करोड़ रुपये) से अधिक हो;

“अवार्ड” का वही अर्थ होगा जो खंड 41.3.3 में दिया गया है;

“वास्तुशिल्पीय डिजाइन” का वही अर्थ होगा जो खंड 12.4.1 में दिया गया है;

“एसएम्यू” का वही अर्थ होगा जो खंड 18.15.4 में दिया गया है;

“एसक्यू ” का अर्थ एसीआई द्वारा किए गए उपयोगकर्ता सर्वेक्षण के आधार पर निर्धारित हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता है, जैसा कि खंड 23.7.1 में निर्धारित है;

“सहयोगी” या “संबद्ध इकाई” का अर्थ, किसी भी पक्ष और/या चयनित बोलीदाता के संबंध में, ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे पक्ष या चयनित बोलीदाता को नियंत्रित करता है, उसके द्वारा नियंत्रित है या उसके साथ सामान्य नियंत्रण के अधीन है (इस परिभाषा में “नियंत्रण” अभिव्यक्ति का अर्थ है—ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो कंपनी, निगम या सीमित दायित्व भागीदारी है, उसके आर्थिक या मतदान अधिकारों के 50% (पचास प्रतिशत) से अधिक का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व; और ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो कंपनी, निगम या सीमित दायित्व भागीदारी नहीं है, चाहे कानून के संचालन से, करार द्वारा या अन्यथा, उसके प्रबंधन और नीतियों को निर्देशित करने की शक्ति);

अन्य शब्दों में कहें तो सहयोगी” या “संबद्ध संस्था” से, किसी पक्ष और/या चयनित बोलीदाता के संबंध में, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो उस पक्ष या चयनित बोलीदाता को नियंत्रित करता है, उसके द्वारा नियंत्रित होता है, अथवा उसके साथ समान नियंत्रण के अधीन होता है।

इस परिभाषा में प्रयुक्त “नियंत्रण” का अर्थ है—

यदि संबंधित व्यक्ति कोई कंपनी, निगम या सीमित देयता भागीदारी (लिमिटेड लाएबिलिटी पार्टनरशिप) है, तो उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 50% (पचास प्रतिशत) से अधिक आर्थिक हित या मतदान अधिकारों का स्वामित्व होना; और

यदि संबंधित व्यक्ति कंपनी, निगम या सीमित देयता भागीदारी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के प्रबंधन और नीतियों को निर्देशित करने की शक्ति/अधिकार होना, चाहे यह शक्ति कानून के प्रभाव से, किसी संविदा के माध्यम से अथवा किसी अन्य प्रकार से प्राप्त हुई हो।

सरल शब्दों में: किसी संस्था/व्यक्ति को किसी पक्ष का “सहयोगी या सम्बद्ध ” तब माना जाएगा, जब वह उस पक्ष पर नियंत्रण रखता हो, उस पक्ष के नियंत्रण में हो, या दोनों पर किसी एक ही व्यक्ति/संस्था का नियंत्रण हो। कंपनी/एल एल पी के मामले में 50% से अधिक आर्थिक हित या वोटिंग अधिकार होना “नियंत्रण” माना गया है।

“एटीसी” का अर्थ वायु यातायात नियंत्रण है;

“एटीसी सुविधा” का अर्थ हवाई अड्डे पर वायु यातायात सेवाओं का परिसर है, जिसमें एटीसी टावर, तकनीकी ब्लॉक तथा कार्यालय परिसर, उनके कर्मचारियों के लिए संलग्न वाहन पार्किंग सहित, और एयर-कंडीशनिंग तथा बिजली एवं पानी की निरंतर आपूर्ति की व्यवस्था शामिल है;

“प्राधिकरण का डिफॉल्ट” का वही अर्थ होगा जो खंड 35.2.1 में दिया गया है;

“संतुलन भुगतान” का वही अर्थ होगा जो खंड 31.4.1 में दिया गया है;

“बैंक” का अर्थ भारत में निगमित अनुसूचित बैंक है जिसकी न्यूनतम निवल संपत्ति रु. 1,000,00,00,000 (एक हजार करोड़ रुपये) हो, या वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा स्वीकार्य कोई अन्य बैंक; किंतु इसमें कोई सहकारी बैंक शामिल नहीं होगा;

“बैंक दर” का अर्थ भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 49 के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट ब्याज दर या उस समय प्रभावी उसका कोई प्रतिस्थापन है;

“बीसीएस” का अर्थ नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो या उसका कोई प्रतिस्थापक अथवा समनुदेशित व्यक्ति है;

“बोली” का अर्थ प्रस्ताव हेतु अनुरोध के प्रत्युत्तर में चयनित बोलीदाता द्वारा उसके प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत बोली में सम्मिलित समस्त दस्तावेज हैं;

“बोली प्रतिभूति” का अर्थ प्रस्ताव हेतु अनुरोध के अनुसार रियायतग्राही द्वारा बोली के साथ प्राधिकरण को प्रदान की गई प्रतिभूति है, जो कार्य-निष्पादन प्रतिभूति द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने तक प्रभावी रहेगी;

“कार्गो सुविधाएँ” का अर्थ, यथास्थिति, आने-जाने वाले कार्गो के प्रबंधन के लिए आवश्यक भवन, संरचनाएँ और उपकरण, डॉकिंग स्थान, विमान पार्किंग, वाहन पार्किंग तथा उससे संलग्न भूमि है, जिसमें अल्पकालिक भंडारण भी शामिल है;

“कानून में परिवर्तन” का अर्थ बोली की तारीख के बाद निम्नलिखित में से किसी घटना का होना है:
(क) किसी नए भारतीय कानून का अधिनियमन;

(ख) किसी विद्यमान भारतीय कानून का निरसन, संशोधन या पुनः अधिनियमन;

(ग) ऐसे किसी भारतीय कानून का प्रवर्तन जो बोली की तारीख तक प्रभावी नहीं हुआ था;

(घ) किसी अभिलेखित न्यायालय के ऐसे निर्णय द्वारा किसी भारतीय कानून की व्याख्या या अनुप्रयोग में परिवर्तन, जो अंतिम, निर्णायक और बाध्यकारी हो गया है, जबकि बोली की तारीख से पहले किसी अभिलेखित न्यायालय द्वारा उसकी ऐसी व्याख्या या अनुप्रयोग की तुलना में परिवर्तन हुआ हो; या

(ङ.) किसी ऐसे कर की दरों में कोई परिवर्तन जिसका परियोजना पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है;

“स्वामित्व में परिवर्तन” का अर्थ किसी शेयर या शेयरों में परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के प्रत्यक्ष और/या अप्रत्यक्ष कानूनी या लाभकारी स्वामित्व का ऐसा अंतरण है, जिससे कुल हिस्सेदारी:

(क) चयनित बोलीदाता के, कुल इक्विटी में, 51% (इक्यावन प्रतिशत) से कम हो जाए, सीओडी से 5 (पाँच) वर्ष की अवधि समाप्त होने तक, यदि चयनित बोलीदाता एकल बोलीदाता है; या

(ख) चयनित बोलीदाता के उन प्रत्येक सदस्य की, जिनके अनुभव का तकनीकी क्षमता और/या वित्तीय क्षमता के लिए मूल्यांकन किया गया है, कुल इक्विटी में हिस्सेदारी 26% (छब्बीस प्रतिशत) से कम हो जाए, सीओडी से 5 (पाँच) वर्ष की अवधि समाप्त होने तक, यदि चयनित बोलीदाता एक संघ है;

“विनियामक दर्शन में परिवर्तन” का अर्थ बोली की तारीख के बाद विनियामक ढाँचे में परिवर्तन है;

“क्षेत्र-परिवर्तन” का वही अर्थ होगा जो खंड 17.1.1 में दिया गया है;

“क्षेत्र-परिवर्तन आदेश” का वही अर्थ होगा जो खंड 17.2.3 में दिया गया है;

“क्षेत्र-परिवर्तन सूचना” का वही अर्थ होगा जो खंड 17.2.1 में दिया गया है;

“चेक-इन सेवाएँ” का वही अर्थ होगा जो खंड 19.10.1 में दिया गया है;

“शिकागो अभिसमय” का अर्थ शिकागो अभिसमय, 1944 है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित और/या पूरक किया गया है; शिकागो अभिसमय के किसी “अनुबंधिका” के संदर्भ का अर्थ ऐसी अनुबंधिका से है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित और/या पूरक किया गया हो;

“सिटी साइड” का अर्थ साइट का वह अचल संपत्ति भाग है जिसे अनुसूची क में सिटी साइड के रूप में चिह्नित किया गया है;

“सिटी साइड विकास” का वही अर्थ होगा जो खंड 3.2 में दिया गया है;

“सीएनएस/एटीएम करार” का अर्थ प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच ऐसा करार है जो पर्याप्त रूप से अनुसूची क्यू में दिए गए प्रारूप के अनुरूप है;

“सीएनएस/एटीएम उपकरण” का अर्थ निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी द्वारा सीएनएस/एटीएम सेवाएँ प्रदान करने के लिए अपेक्षित सभी उपकरण हैं;

“सीएनएस/एटीएम सेवाएँ” का अर्थ हवाई अड्डे पर प्रदान की जाने वाली संचार, नौवहन और निगरानी तथा वायु यातायात प्रबंधन सेवाएँ हैं;

“सीओडी” या “वाणिज्यिक परिचालन तिथि” का वही अर्थ होगा जो खंड 15.1.1 में दिया गया है;

“शिकायत रजिस्टर” का वही अर्थ होगा जो खंड 43.1.1 में दिया गया है;

“शिकायतकर्ता” का वही अर्थ होगा जो खंड 43.1.1 में दिया गया है;

“पूर्णता” का वही अर्थ होगा जो खंड 14.2 में दिया गया है;

“पूर्णता प्रमाण-पत्र” का वही अर्थ होगा जो खंड 14.2 में दिया गया है;

“पूर्णता रिपोर्ट” का वही अर्थ होगा जो खंड 14.2 में दिया गया है;

“रियायत” का वही अर्थ होगा जो खंड 3.1.1 में दिया गया है;

“रियायतग्राही” का वही अर्थ है जो पक्षकारों की सूची में उसे प्रदान किया गया है;

“रियायत अवधि” का अर्थ सीओडी से प्रारंभ होकर अंतरण तारीख पर समाप्त होने वाली अवधि है;

“रियायत वर्ष” का अर्थ सीओडी से प्रारंभ होने वाली प्रत्येक 1 (एक) वर्ष की अवधि है, जो लीप वर्ष को छोड़कर सभी वर्षों में 365 दिनों की समाप्ति पर और लीप वर्ष में 366 दिनों की समाप्ति पर समाप्त होती है; परंतु अंतिम रियायत वर्ष के लिए ऐसी अवधि अंतरण तारीख को समाप्त होगी;

“पूर्ववर्ती शर्तें” का वही अर्थ होगा जो खंड 4.1.1 में दिया गया है;

“रियायतग्राही का डिफॉल्ट” का वही अर्थ होगा जो खंड 35.1.1 में दिया गया है;

“निर्माण कार्य” का अर्थ इस करार के अनुसार किसी चरण को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी कार्य और वस्तुएँ हैं, और इसमें वैमानिक परिसंपत्तियाँ, गैर-वैमानिक परिसंपत्तियाँ, परियोजना सुविधाएँ तथा रियायत अवधि के भाग के रूप में हवाई अड्डे पर किए गए अन्य सभी निर्माण कार्य शामिल हैं;

“ठेकेदार” का अर्थ वह व्यक्ति या व्यक्ति हैं, जैसा भी मामला हो, जिसके साथ रियायतग्राही ने किसी ईपीसी करार, ओ एंड एम करार या हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास अथवा उससे संबंधित आनुषंगिक मामलों के लिए किसी अन्य महत्वपूर्ण करार या अनुबंध में प्रवेश किया है; किंतु इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जिसने रियायतग्राही को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई करार किया है; अर्थात्,

“ठेकेदार” से आशय उस व्यक्ति या व्यक्तियों से है, जैसा भी मामला हो, जिसके/जिनके साथ रियायतग्राही ने ईपीसी संविदाओं, ओ एंड एम संविदाओं अथवा हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए या उससे

संबंधित किसी आनुषंगिक विषय के लिए कोई अन्य महत्वपूर्ण करार अथवा संविदा की है; परंतु इसमें ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं होगा जिसने रियायतग्राही को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई करार किया हो।

यहाँ “ठेकेदार” का अर्थ केवल सामान्य निर्माण-ठेकेदार नहीं है। इसका दायरा व्यापक है।

इस समझौते के अनुसार, कोई भी व्यक्ति या संस्था, जिसके साथ रियायतग्राही ने हवाई अड्डे के निर्माण/इंजीनियरिंग कार्य, संचालन एवं रखरखाव, प्रबंधन, विकास या इनसे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समझौता किया है, ठेकेदार) माना जाएगा।

लेकिन यदि किसी व्यक्ति, बैंक या वित्तीय संस्था ने केवल रियायतग्राही को पैसा/ऋण अथवा अन्य वित्तीय सहायता देने के लिए समझौता किया है, तो उसे इस परिभाषा के अंतर्गत “ठेकेदार” नहीं माना जाएगा।

“अनुबंध” का वही अर्थ होगा जो खंड 5.6.2 में दिया गया है;

“कार्य की लागत” का अर्थ निम्नलिखित का कुल योग है:

(क) रियायतग्राही द्वारा निर्धारित चरण 1 के निर्माण, कार्यान्वयन और कमीशनिंग के संबंध में किए जाने वाले अनुमानित पूंजीगत व्यय;

(ख) अनुमानित परिकल्पित प्रारंभिक आरएबी;

(ग) खंड 6.4.5 के अनुसार रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति की गई राशि; और

(घ) अनुमानित प्रारंभिक गैर-वैमानिक निवेश;

“प्रसंविदा” का वही अर्थ होगा जो खंड 5.2.5 में दिया गया है;

“सीपीआई (आईडब्ल्यू)” का अर्थ श्रम ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है और इसमें सीपीआई (आईडब्ल्यू) का स्थान लेने वाला कोई भी सूचकांक सम्मिलित होगा; और सीपीआई (आईडब्ल्यू) के किसी भी संदर्भ को, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, पूर्ववर्ती तिमाही की समाप्ति वाली अवधि के लिए प्रकाशित सीपीआई (आईडब्ल्यू) के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा;

“उपचार अवधि” का अर्थ इस करार में निर्धारित वह अवधि है जिसमें इस करार के किसी प्रावधान के उल्लंघन या डिफॉल्ट का उपचार उस उल्लंघन या डिफॉल्ट के लिए उत्तरदायी पक्ष द्वारा किया जाना है और यह: (क) उस तारीख से प्रारंभ होगी जिस तारीख को एक पक्ष दूसरे पक्ष को लिखित सूचना देकर उक्त सूचना में निर्दिष्ट उल्लंघन या डिफॉल्ट का उपचार करने के लिए कहता है;

(ख) किसी भी पक्ष को इस करार के प्रावधानों या लागू कानूनों के अधीन हर्जाना या क्षतिपूर्ति अदा करने के दायित्व से मुक्त नहीं करेगी; और

(ग) इस करार के अधीन निलंबन की किसी अवधि से किसी भी प्रकार विस्तारित नहीं होगी; परंतु यदि रियायतग्राही द्वारा किसी उल्लंघन के उपचार के लिए रियायतग्राही को ऐसी कोई युक्तिसंगत कार्रवाई करनी आवश्यक हो

जिसे इस करार के अधीन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, तो लागू उपचार अवधि उतनी अवधि तक बढ़ाई जाएगी जितनी अवधि प्राधिकरण द्वारा अपनी स्वीकृति प्रदान करने में ली गई हो; सरल सब्दों में कहा जाए तो - उपचार अवधि (क्योर पीरियड) से तात्पर्य इस करार में किसी प्रावधान के उल्लंघन अथवा चूक को दूर करने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि से है, जिसे ऐसे उल्लंघन अथवा चूक के लिए उत्तरदायी पक्ष द्वारा दूर किया जाना है, और यह अवधि:

(क) उस तारीख से प्रारंभ होगी, जिस तारीख को एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को लिखित रूप में नोटिस दिया जाता है, जिसमें दूसरे पक्ष से उक्त नोटिस में विनिर्दिष्ट उल्लंघन अथवा चूक को दूर करने के लिए कहा गया हो;

(ख) इस करार के प्रावधानों अथवा लागू विधियों के अधीन किसी पक्ष को हर्जाना अथवा प्रतिपूर्ति का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त नहीं करेगी; अर्थात् गलती सुधारने के लिए समय मिलने का अर्थ यह नहीं है कि संबंधित पक्ष हर्जाना या प्रतिपूर्ति देने की जिम्मेदारी से बच जाएगा।

और

(ग) इस करार के अधीन किसी भी निलंबन अवधि (सस्पेंसन) के कारण किसी भी प्रकार से विस्तारित नहीं की जाएगी; परंतु यह कि यदि रियायतग्राही (कन्शेशनायर) द्वारा किसी उल्लंघन को दूर करने के लिए ऐसी कोई युक्तिसंगत कार्रवाई किया जाना अपेक्षित हो, जिसे प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक हो, तो लागू उपचार अवधि को प्राधिकरण द्वारा अपना अनुमोदन प्रदान करने में लिए गए समय के बराबर अवधि तक बढ़ा दिया जाएगा।

“हर्जाना” का वही अर्थ होगा जो खंड 1.2.1 के उप-खंड (y) में दिया गया है;

“परिकल्पित प्रतिनियुक्ति अवधि” का वही अर्थ होगा जो खंड 6.5.1(iii) में दिया गया है;

“परिकल्पित कार्य-निष्पादन प्रतिभूति” का वही अर्थ होगा जो खंड 9.4 में दिया गया है;

“परिकल्पित प्रारंभिक RAB” का वही अर्थ होगा जो खंड 28.11 में दिया गया है;

“रक्षा बल” का अर्थ भारतीय थल सेना, नौसेना या वायु सेना है और इसमें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अर्धसैनिक बल भी सम्मिलित हैं;

“कर्मचारी कमी” का वही अर्थ होगा जो खंड 6.5.10 में दिया गया है;

“कर्मचारी कमी लागत” का वही अर्थ होगा जो खंड 6.5.10 में दिया गया है;

“निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी” का अर्थ भारत सरकार के नियंत्रणाधीन कोई विभाग या अन्य इकाई है, जिसे हवाई अड्डे के संचालन और प्रबंधन के संबंध में सीमा शुल्क नियंत्रण, आव्रजन नियंत्रण, संगरोध, वायु यातायात नियंत्रण, हवाई अड्डा सुरक्षा, मौसम विज्ञान, स्वास्थ्य आदि जैसे सांविधिक कार्य सौंपे गए हैं।

“विकास योजना” का वही अर्थ है जो अनुसूची क के अनुलग्नक II में दिया गया है;

“विकास अवधि” से आशय वाणिज्यिक परिचालन आरंभ होने की तारीख (सीओडी) से चरण I के पूरा होने की तारीख तक की अवधि से है और बाद के चरणों के संबंध में, ऐसी अवधि उस तारीख से शुरू होगी जो रियायतग्राही स्वतंत्र अभियंता के परामर्श से निर्धारित करेगा और उस चरण के पूरा होने की संबंधित तारीख को समाप्त होगी;

“डीजीसीए” से आशय नागर विमानन महानिदेशालय अथवा उसके स्थान पर स्थापित किसी अन्य निकाय से है;

“विवाद” का वही अर्थ है जो खंड 41.1.1 में दिया गया है;

“विवाद समाधान प्रक्रिया” से आशय विवादों के समाधान की उस प्रक्रिया से है जो खंड 41.2 में दी गई है;

“विनिवेशन संबंधी अपेक्षाएँ” से आशय समाप्ति के लिए और उसके संबंध में रियायतग्राही के उन दायित्वों से है जो खंड 36.1 में दिए गए हैं;

“दस्तावेज़” या **“प्रलेखन”** से आशय मुद्रित या लिखित रूप में, अथवा टेप, डिस्क, रेखाचित्र, कंप्यूटर प्रोग्राम, लेख, रिपोर्ट, फोटोग्राफ, फिल्म, कैसेट के रूप में या किसी अन्य लिखित, इलेक्ट्रॉनिक, श्रव्य या दृश्य रूप में व्यक्त प्रलेखन से है;

“रेखाचित्र” से आशय विमानपत्तन से संबंधित उन सभी रेखाचित्रों, गणनाओं और दस्तावेजों से है जो खंड 12.3 में दिए गए हैं; इसमें विमानपत्तन के ‘निर्माणानुसार’ रेखाचित्र भी शामिल होंगे;

“ईपीसी संविदा” से आशय इस करार के प्रावधानों के अनुसार विमानपत्तन के, अन्य बातों के साथ-साथ, अभियांत्रिकी और निर्माण के लिए रियायतग्राही द्वारा एक या अधिक संविदाकारों के साथ की गई अभियांत्रिकी, अधिप्राप्ति और निर्माण संबंधी संविदा या संविदाओं से है;

“ईपीसी संविदाकार” से आशय उस व्यक्ति से है जिसके साथ रियायतग्राही ने ईपीसी संविदा की है;

“आपातस्थिति” से आशय ऐसी दशा या स्थिति से है जिससे विमानपत्तन पर या उसके आसपास जीवन या संपत्ति की सुरक्षा को खतरा होने की संभावना हो अथवा जो किसी परियोजना परिसंपत्ति को गंभीर क्षति का तत्काल खतरा उत्पन्न करे; इसमें लोक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी शामिल है;

“भार” से आशय विमानपत्तन के संबंध में बंधक, प्रभार, गिरवी, धारणाधिकार, दृष्टिबंधक, प्रतिभूति हित, समनुदेशन, विशेषाधिकार या किसी भी प्रकार की प्राथमिकता जैसे किसी भार से है जिसका प्रभाव प्रतिभूति या इसी प्रकार के अन्य दायित्व के रूप में हो; इसमें, जहाँ यहाँ लागू हो, विमानपत्तन से संबंधित किसी बीमा पॉलिसी के अंतर्गत हानि भुगतान प्राप्तकर्ता या लाभार्थी का कोई नामांकन अथवा ऐसी ही कोई व्यवस्था भी शामिल होगी, किंतु खंड 11.1 में उल्लिखित मौजूदा उपयोगिता सेवाएँ शामिल नहीं होंगी;

“नियुक्ति प्रस्ताव” का वही अर्थ है जो खंड 6.5.6 में दिया गया है;

“इक्विटी” से आशय भारतीय रुपये में व्यक्त उस राशि से है जो रियायतग्राही की चुकता इक्विटी शेयर पूँजी का प्रतिनिधित्व करती है; इस करार के प्रयोजन के लिए इसमें परिवर्तनीय लिखत या पूँजी के इसी प्रकार के अन्य रूप भी शामिल होंगे जिनका रियायतग्राही की इक्विटी शेयर पूँजी में अनिवार्य रूप से परिवर्तन होना है;

“एस्करो खाता” से आशय उस खाते से है जिसे रियायतग्राही किसी बैंक में खोलेगा और बनाए रखेगा तथा जिसमें पूँजीगत एवं राजस्व प्राप्तियों और व्ययों के कारण नकदी के सभी अंतर्वाह और बहिर्वाह इस करार के प्रावधानों के अनुसार, यथास्थिति, जमा और नामे किए जाएँगे; इसमें ऐसे एस्करो खाते के उपखाते भी शामिल हैं;

“एस्करो करार” का वही अर्थ है जो खंड 29.1.2 में दिया गया है;

“एस्करो बैंक” का वही अर्थ है जो खंड 29.1.1 में दिया गया है;

“एस्करो चूक” का वही अर्थ है जो अनुसूची एम में दिया गया है;

“अनुमानित मानित प्रारंभिक आरएबी” का वही अर्थ है जो खंड 28.11.3(ख) में दिया गया है;

“छूट प्राप्त व्यक्ति” से आशय उन व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रेणियों से है जिन्हें भारत सरकार का नागर विमानन मंत्रालय समय-समय पर नागरिक विमानपत्तनों पर विमान में चढ़ने से पहले की सुरक्षा जाँच से छूट प्राप्त घोषित करता है;

“मौजूदा संविदाएँ” से आशय अनुसूची टी में सूचीबद्ध पट्टों सहित संविदाओं से है;

“शुल्क” से आशय उपयोगकर्ता पर लगाया गया और उसके द्वारा निम्नलिखित में से किसी एक या सभी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए देय प्रभार है: (क) वैमानिक सेवाएँ, नियामकीय ढाँचे के प्रावधानों के अनुसार नियामक द्वारा निर्धारित या संशोधित एवं अनुमोदित दरों पर; और (ख) गैर-वैमानिक सेवाएँ;

“वित्तीय क्षमता” का वही अर्थ है जो प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) में दिया गया है;

“वित्तीय समापन” से आशय वित्तपोषण करारों के अंतर्गत धनराशि वितरित करने के लिए वरिष्ठ ऋणदाताओं की तत्परता से है;

“वित्तीय चूक” का वही अर्थ है जो अनुसूची पी में दिया गया है;

“वित्तपोषण करार” से आशय उन करारों से है जो रियायतग्राही ने वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा ऋण, गारंटी, अपरिवर्तनीय डिबेंचरों और अन्य ऋण लिखतों की सदस्यता के माध्यम से प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता के संबंध में किए हैं; इनमें ऋण करार, गारंटी, वचनपत्र, डिबेंचर, बॉन्ड और अन्य ऋण लिखत, प्रतिभूति करार तथा कार्यों की लागत के वित्तपोषण (पुनर्वित्तपोषण सहित) से संबंधित अन्य दस्तावेज़ शामिल हैं; साथ ही खंड 5.2.3 के अनुसार किए गए संशोधन या परिवर्तन भी शामिल हैं;

“अप्रत्याशित घटना” या **“अप्रत्याशित घटना संबंधी परिस्थिति”** का वही अर्थ है जो खंड 32.1 में दिया गया है;

“अप्रत्याशित घटना संबंधी लागत” का वही अर्थ है जो खंड 32.7.2 में दिया गया है;

“भारत सरकार” से आशय भारत सरकार तथा उसके सभी विभागों/मंत्रालयों/एजेंसियों से है;

“उत्तम उद्योग पद्धति” से आशय उन पद्धतियों, विधियों, तकनीकों, अभिकल्पों, मानकों, कौशल, सावधानी, दक्षता, विश्वसनीयता और विवेकशीलता से है जिनकी इस करार के अंतर्गत परिकल्पित समान प्रकार के कार्य में लगे यथोचित कुशल एवं अनुभवी प्रचालक से सामान्यतः और युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा की जाती है तथा जिनसे रियायतग्राही द्वारा इस करार, लागू विधियों और लागू अनुज्ञाओं के अनुसार अपने दायित्वों का विश्वसनीय, सुरक्षित, किफायती और दक्ष ढंग से निर्वहन तथा सुरक्षित, किफायती, विश्वसनीय और दक्ष वैमानिक एवं गैर-वैमानिक सेवाओं का प्रावधान अपेक्षित होगा;

“सरकार” से आशय, यथालागू, राज्य सरकार या भारत की संघ सरकार से है;

“सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति के पात्र व्यक्ति” का वही अर्थ है जो खंड 40.1.1 में दिया गया है;

“सरकारी निकाय” से आशय भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग, प्रभाग या उपप्रभाग से है; इसमें, यथास्थिति, भारत सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कोई आयोग, बोर्ड, प्राधिकरण, एजेंसी, नगर निकाय या अन्य स्थानीय प्राधिकरण अथवा पंचायत सहित सांविधिक निकाय भी शामिल हैं, जिसका अधिकार क्षेत्र संपूर्ण विमानपतन या उसके किसी भाग पर अथवा इस करार के अंतर्गत या इसके अनुसरण में रियायतग्राही की सभी या किसी सेवा या दायित्व के निर्वहन पर हो;

“भूमि प्रबंधन सेवाएँ” का वही अर्थ है जो खंड 19.2 में दिया गया है;

“जीएसटी” से आशय माल और सेवा कर अथवा भविष्य में उसके स्थान पर लागू होने वाले किसी अन्य कर से है;

“आईएटीए” से आशय अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ से है;

“आईएटीए का इष्टतम सेवा स्तर” से आशय विमानपतन की विभिन्न उपप्रणालियों के लिए आईएटीए की विमानपतन विकास संदर्भ पुस्तिका के 10वें संस्करण में ‘इष्टतम’ श्रेणी के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सेवा अपेक्षाओं से है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित, परिवर्तित या अनुपूरित किया जाए; संदेह दूर करने के लिए, यदि आईएटीए उक्त संदर्भ पुस्तिका का प्रकाशन बंद कर दे, तो इससे आशय सेवा स्तर के किसी समान ढाँचे से होगा;

“आईसीएओ” से आशय शिकागो अभिसमय द्वारा स्थापित अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन तथा उसके किसी उत्तरवर्ती संगठन से है;

“आईसीएओ दस्तावेज़ और अनुलग्नक” से आशय अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के समय-समय पर संशोधित और प्रकाशित दस्तावेज़ों और अनुलग्नकों से है;

“प्रारंभिक अवधि” से आशय इस करार की तारीख से शुरू होकर वाणिज्यिक परिचालन आरंभ होने (सीओडी) पर समाप्त होने वाली अवधि से है;

“क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार पक्ष” से आशय उस पक्ष से है जो खंड 40.3 के अनुसार क्षतिपूर्ति का लाभ पाने का हकदार है;

“क्षतिपूर्ति देने वाला पक्ष” से आशय उस पक्ष से है जो खंड 40.3 के अनुसार दूसरे पक्ष को क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य है;

“स्वतंत्र अभियंता” का वही अर्थ है जो खंड 24.1.1 में दिया गया है;

“अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना” का वही अर्थ है जो खंड 32.3 में दिया गया है;

“प्रारंभिक गैर-वैमानिक निवेश” का वही अर्थ है जो खंड 28.12.1 में दिया गया है;

“निरीक्षण रिपोर्ट” से आशय खंड 13.2 के अनुसार स्वतंत्र अभियंता द्वारा तैयार रिपोर्ट से है;

“बीमा आवरण” या “बीमा कवर” से अभिप्राय अनुच्छेद 30 के अनुसार रियायतग्राही (कन्शेशनेयर) द्वारा लिए गए बीमों के अंतर्गत बीमित अधिकतम राशियों के कुल योग से है। इसमें वे सभी बीमे भी शामिल हैं, जिन्हें खंड 30.2 के अंतर्गत रियायतग्राही द्वारा लिया जाना आवश्यक है, किंतु जिन्हें वास्तव में नहीं लिया गया है। किसी कार्य या घटना के संदर्भ में इस पद का प्रयोग किए जाने पर, इसका अर्थ ऐसी अधिकतम बीमित राशियों के कुल योग से होगा, जो ऐसे कार्य या घटना के संबंध में देय हैं अथवा जिनका बीमा किया जाना और भुगतान किया जाना निर्धारित है।

सरल अर्थ में कहें तो “बीमा कवर” का मतलब है बीमा के तहत मिलने वाली अधिकतम सुरक्षा राशि। इसमें केवल वास्तव में लिए गए बीमे ही नहीं, बल्कि वे बीमे भी शामिल माने जाएंगे जिन्हें समझौते के अनुसार लेना जरूरी था, भले ही रियायतग्राही ने उन्हें वास्तव में न लिया हो। यदि किसी खास घटना या कार्य के संबंध में “बीमा कवर” कहा गया है, तो उससे उस घटना/कार्य के लिए लागू बीमे की कुल अधिकतम राशि समझी जाएगी।

“बौद्धिक संपदा” से अभिप्राय सभी पेटेंट, व्यापार-चिह्न, सेवा-चिह्न, लोगो, गेट-अप, व्यापारिक नाम, इंटरनेट डोमेन नाम, पेटर्न/प्रतिरूप, डिजाइनों में अधिकार, ब्लू प्रिंट, कार्यक्रम और मैनुअल, ड्राइंग, कॉपीराइट (जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर संबंधी अधिकार भी शामिल हैं), डेटाबेस अधिकार, सेमी-कंडक्टर टोपोग्राफी अधिकार, उपयोगिता मॉडल, तकनीकी जानकारी में अधिकार तथा अन्य सभी बौद्धिक संपदा अधिकारों से है; प्रत्येक मामले में, चाहे वे पंजीकृत हों या अपंजीकृत, और इसमें उनके पंजीकरण के लिए किए गए आवेदन तथा विश्व में कहीं भी समान या समतुल्य प्रभाव रखने वाले सभी अधिकार अथवा संरक्षण के स्वरूप भी शामिल हैं।

“संयुक्त प्रबंधन अवधि” का वही अर्थ है जो खंड 6.5.1(ii) में दिया गया है;

“प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक” से आशय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से है;

“प्रमुख निष्पादन संकेतक” का वही अर्थ है जो खंड 23.1 में दिया गया है;

“स्वीकृति पत्र” या “एलओए” से आशय प्रस्तावना डी में उल्लिखित स्वीकृति पत्र से है;

“ऋणदाताओं का प्रतिनिधि” से आशय वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा इस करार से उत्पन्न या इससे संबंधित मामलों में उनकी ओर से कार्य करने के लिए विधिवत अधिकृत व्यक्ति से है; इसमें उसके उत्तराधिकारी, समनुदेशिनी और स्थानापन्न भी शामिल हैं;

“मास्टर प्लान” से आशय विमानपत्तन के निर्माण के लिए रियायतग्राही द्वारा तैयार उस योजना से है जिसमें रियायत अवधि के दौरान वैमानिक एवं गैर-वैमानिक सेवाएँ शामिल हैं और जिसे परियोजना की अपेक्षाओं के अनुसार समय-समय पर अद्यतन किया जाता है;

“महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव” से आशय किसी कार्य या घटना का ऐसा महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव है जो किसी पक्ष की इस करार के प्रावधानों के अंतर्गत और इनके अनुसार अपने किसी दायित्व का निर्वहन करने की क्षमता पर पड़े तथा जिसके कारण किसी पक्ष पर महत्वपूर्ण वित्तीय भार या हानि आए;

“मासिक रियायत शुल्क” का वही अर्थ है जो खंड 27.1.1 में दिया गया है;

“मासिक विवरण” से आशय उस विवरण से है जिसे रियायतग्राही प्रत्येक माह की समाप्ति के 7 (सात) दिनों के भीतर खंड 28.9 के अनुसार प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा;

“नामित कंपनी” से आशय ऋणदाताओं के प्रतिनिधि द्वारा चयनित और प्रतिस्थापन करार के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए प्राधिकरण को प्रस्तावित कंपनी से है;

“गैर-वैमानिक परिसंपत्तियाँ” से आशय विमानपत्तन पर गैर-वैमानिक सेवाओं के निष्पादन के लिए आवश्यक या अपेक्षित परिसंपत्तियों से है; इनमें ऐसी अन्य परिसंपत्तियाँ भी शामिल होंगी जिन्हें रियायतग्राही समय-समय पर इस करार के प्रावधानों के अनुसार गैर-वैमानिक सेवाओं के निष्पादन के लिए या उससे संबंधित प्रयोजन से प्राप्त करे; इनमें वैमानिक परिसंपत्तियाँ शामिल नहीं हैं;

“गैर-वैमानिक सेवाएँ” से आशय वैमानिक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सेवाओं से है;

“गैर-राजनीतिक घटना” का वही अर्थ है जो खंड 32.2 में दिया गया है;

“परिचालन, प्रबंधन और रखरखाव” (ओ एंड एम) से आशय विमानपत्तन के परिचालन, प्रबंधन और रखरखाव से है; इसमें ऐसे परिचालन और रखरखाव, सेवाओं एवं सुविधाओं के प्रावधान तथा इस करार के अनुसार शुल्क संग्रह से संबंधित या उनसे आनुषंगिक सभी विषय शामिल हैं;

“ओ एंड एम संविदाएँ” से आशय परिचालन, प्रबंधन और रखरखाव संबंधी उन संविदाओं से है जो रियायतग्राही और ओ एंड एम संविदाकारों के बीच ओ एंड एम के सभी या किसी दायित्व के निर्वहन के लिए की जा सकती हैं;

“ओ एंड एम संविदाकार” से आशय उन व्यक्तियों से है, यदि कोई हों, जिनके साथ रियायतग्राही ने अपनी ओर से ओ एंड एम दायित्वों का निर्वहन कराने के लिए ओ एंड एम संविदाएँ की हैं;

“ओ एंड एम व्यय” से आशय सभी परिचालन, प्रबंधन और रखरखाव के लिए रियायतग्राही द्वारा या उसकी ओर से अथवा, यथास्थिति, प्राधिकरण द्वारा किए गए व्ययों से है, जिनमें (क) कर्मचारियों के वेतन और अन्य पारिश्रमिक की लागत, (ख) सामग्री, आपूर्ति, उपयोगिता सेवाओं और अन्य सेवाओं की लागत, (ग) बीमा प्रीमियम, (घ) ओ एंड एम के लिए देय सभी कर और शुल्क, (ङ) मरम्मत, प्रतिस्थापन, पुनर्निर्माण, पूर्ववत् स्थापना, सुधार और रखरखाव की सभी लागतें, (च) ओ एंड एम संविदाओं, शुल्क संग्रह संविदा या ओ एंड एम से संबंधित अथवा उससे आनुषंगिक किसी अन्य संविदा के अंतर्गत अपेक्षित भुगतान, तथा (छ) लागू विधियों, लागू अनुज्ञाओं या इस करार के अंतर्गत विमानपत्तन के ओ एंड एम के लिए अपेक्षित अन्य सभी व्यय शामिल हैं;

“ओ एंड एम निरीक्षण रिपोर्ट” का वही अर्थ है जो खंड 21.5 में दिया गया है;

“चार्टर्ड अकाउंटेंटों का पैनल” का वही अर्थ है जो खंड 31.2.1 में दिया गया है;

“पार्किंग” का वही अर्थ है जो खंड 19.12 में दिया गया है;

“पक्षकारों” से आशय सामूहिक रूप से इस करार के पक्षकारों से है और “पक्षकार” से आशय व्यक्तिगत रूप से इस करार के किसी एक पक्षकार से है;

“यात्री यातायात” से आशय विमानपत्तन का उपयोग करने वाले यात्रियों की कुल संख्या से है, जिसमें प्रस्थान करने वाले और आगमन करने वाले यात्री भी शामिल हैं;

“व्यस्ततम घंटा” से आशय पिछले लेखा वर्ष के उस घंटे के आधार पर निर्धारित घंटे से है, जो उस लेखा वर्ष में यात्री यातायात की दृष्टि से 30वाँ (तीसवाँ) सर्वाधिक व्यस्त घंटा था;

“व्यस्ततम अवधि” से आशय दिन के उन 4 (चार) घंटों से है जिनमें यात्री यातायात सर्वाधिक होता है; दिन के शेष घंटों को “कम व्यस्त अवधि” माना जाएगा;

“व्यस्ततम घंटे का यात्री यातायात” से आशय प्रत्येक दिन के व्यस्ततम घंटे के दौरान यात्री यातायात से है;

“निष्पादन प्रतिभूति” का वही अर्थ है जो खंड 9.1.1 में दिया गया है;

“निष्पादन गारंटी” का वही अर्थ है जो खंड 37.2.3 में दिया गया है;

“चरण” से आशय मास्टर प्लान के अनुसार विमानपतन की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से रियायतग्राही द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले निर्माण कार्यों से है, ताकि सामान्य रूप से इस करार की शर्तों और विशेष रूप से प्रमुख निष्पादन संकेतकों का अनुपालन सुनिश्चित हो;

“चरण I” से आशय मास्टर प्लान के अनुसार खंड 4.1.3(ज) के अनुसरण में रियायतग्राही द्वारा प्रस्तावित सभी निर्माण कार्यों से है; संदेह दूर करने के लिए, इसमें खंड 6.4.5 के अनुसरण में प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को सौंपे गए प्रगतिरत कार्य भी शामिल हैं;

“चरण I के पूरा होने की तारीख” से आशय उस तारीख से है जिस दिन अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के अंतर्गत, यथास्थिति, पूर्णता प्रमाणपत्र या अनंतिम प्रमाणपत्र जारी किया जाता है;

“चरण पूरा करने की अनुसूची” से आशय संबंधित चरण को उसके लिए निर्धारित पूर्णता की अनुसूचित तारीख तक या उससे पहले पूरा करने के क्रमिक चरण लक्ष्यचिह्नों से है;

“चरण लक्ष्यचिह्न” से आशय खंड 12.5.2 और अनुसूची एफ में परिभाषित क्रमिक लक्ष्यचिह्नों से है;

“पुलिस” से आशय विधि प्रवर्तन एजेंसी से है; इसमें राज्य पुलिस या लागू विधियों के अंतर्गत सुरक्षा, अपराध की रोकथाम या विधि एवं व्यवस्था बनाए रखने संबंधी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त कोई अन्य संगठन शामिल है;

“पुलिस सहायता चौकी” का वही अर्थ है जो खंड 20.4 में दिया गया है;

“राजनीतिक घटना” का वही अर्थ है जो खंड 32.4 में दिया गया है;

“प्रवर्तक एसपीवी” का वही अर्थ है जो खंड 5.3.3 में दिया गया है;

“चयनित बोलीदाता” का वही अर्थ है जो प्रस्तावना डी में दिया गया है; यदि चयनित बोलीदाता कोई संघ है, तो इसमें उस संघ के सभी सदस्य शामिल होंगे;

“संरक्षण लागत” का वही अर्थ है जो खंड 13.5.3 में दिया गया है;

“परियोजना” से आशय इस करार के प्रावधानों के अनुसार विमानपतन के परिचालन, प्रबंधन और विकास से है; इसमें परियोजना के कार्यक्षेत्र से संबंधित सभी कार्य, सेवाएँ और उपकरण शामिल हैं;

“परियोजना करार” से आशय इस करार, वित्तपोषण करारों, ईपीसी संविदा, ओ एंड एम संविदाओं, सीएनएस-एटीएम करार, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन, विमानपतन प्रचालक करार, उपपट्टे या उप-अनुज्ञप्ति तथा परियोजना से संबंधित, उससे उत्पन्न या उसके आनुषंगिक विषयों के संबंध में रियायतग्राही द्वारा किसी व्यक्ति के साथ किए जाने वाले ऐसे अन्य महत्वपूर्ण करारों या संविदाओं से है जिनका संविदा मूल्य वार्षिक या संचयी रूप से रु. 25,00,00,000/- (पच्चीस करोड़ रुपये) से अधिक हो; किंतु इसमें एस्करो करार और प्रतिस्थापन करार शामिल नहीं हैं;

“परियोजना परिसंपत्तियाँ” से आशय स्थल से संबंधित या उसका हिस्सा बनने वाली सभी भौतिक और अन्य परिसंपत्तियों से है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) पट्टे, मार्गाधिकार या अन्य रूप में स्थल पर अधिकार;

(ख) वैमानिक परिसंपत्तियाँ और गैर-वैमानिक परिसंपत्तियाँ;

(ग) सिविल कार्यों और उपकरणों जैसी मूर्त परिसंपत्तियाँ, जिनमें नींव, जलनिकासी कार्य, विद्युत प्रणालियाँ, संचार प्रणालियाँ और प्रशासनिक कार्यालय शामिल हैं;

(घ) स्थल पर स्थित परियोजना सुविधाएँ;

(ङ) नगर की ओर के विकास का हिस्सा बनने वाले भवन और अचल जुड़नार या संरचनाएँ;

(च) परियोजना करारों के अंतर्गत रियायतग्राही के सभी अधिकार;

(छ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ, जैसे प्राप्त राशियाँ, प्रतिभूति जमाराशियाँ, सभी परक्राम्य लिखत आदि;

(ज) बीमा से प्राप्त रकम; और

(झ) विमानपतन से संबंधित लागू अनुज्ञाएँ और प्राधिकरण;

“परियोजना सुविधाएँ” से आशय अनुसूची बी में वर्णित स्थल पर स्थित सभी सुख-सुविधाओं और सुविधाओं से है;

“संरक्षित दस्तावेज़” से आशय उन दस्तावेज़ों, लिखतों और सूचनाओं से है जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 या समय-समय पर उसके स्थान पर लागू, संशोधित या परिवर्तित किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत छूट प्राप्त है;

“अनंतिम पूर्णता” का वही अर्थ है जो खंड 14.3.1 में दिया गया है;

“शेष कार्य सूची” का वही अर्थ है जो खंड 14.3.1 में दिया गया है;

“रु.” “रूपये” “आई एन आर” अथवा “भारतीय रुपये” से भारत गणराज्य की विधिसम्मत मुद्रा अभिप्रेत है।

“नियामक” से आशय एईआरए अथवा विमानपतन के लिए वैमानिक प्रभारों के निर्धारण हेतु लागू विधियों के अनुसार भारत सरकार द्वारा नामित किसी अन्य निकाय से है, यथास्थिति;

“नियामकीय ढाँचा” से आशय लागू विधियों के अनुसार नियामक द्वारा अपनाए गए ढाँचे से है, जिसमें एईआरए अधिनियम और विमानपतन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (विमानपतन प्रचालकों के लिए प्रशुल्क निर्धारण के नियम और शर्तें) दिशानिर्देश, 2011 शामिल हैं;

“प्रस्ताव हेतु अनुरोध” या “आरएफपी” का वही अर्थ है जो प्रस्तावना सी में दिया गया है;

“आरक्षित क्षेत्र” से आशय खंड 19.8 और खंड 20.7 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण तथा भारत सरकार की नामित एजेंसियों के लिए आरक्षित स्थान और क्षेत्र से है;

“आरक्षित पार्किंग” का वही अर्थ है जो खंड 19.12.4 में दिया गया है;

“आरक्षित सेवाएँ” का वही अर्थ है जो खंड 20.1.1 में दिया गया है;

“मार्गाधिकार” से आशय स्थल के विधिक कब्जे के साथ-साथ ऐसे सभी मार्ग संबंधी अधिकारों, सुखाचारों, निर्बाध पहुँच और अन्य मार्गाधिकारों से है, चाहे उनका वर्णन किसी भी रूप में किया गया हो, जो विमानपतन के परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए आवश्यक हैं;

“नियम” से आशय अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र, नई दिल्ली के माध्यस्थम् नियमों से है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित या परिवर्तित किया जाए;

“रनवे” से आशय विमानपतन पर भूमि की उस पट्टी से है जिस पर विमान उड़ान भरते और उतरते हैं; इसकी सतह कृत्रिम रूप से निर्मित हो सकती है, जिसमें डामर, कंक्रीट या दोनों के मिश्रण का उपयोग शामिल है;

“सुरक्षा अपेक्षाएँ” का वही अर्थ है जो खंड 18.15 में दिया गया है;

“पूर्णता की अनुसूचित तारीख” का चरण I के लिए वही अर्थ है जो खंड 12.5.1 में दिया गया है; अन्य चरणों के संबंध में, संबंधित चरण के निर्माण कार्य शुरू होने से पहले रियायतग्राही इसे स्वतंत्र अभियंता के परामर्श से निर्धारित करेगा;

“परियोजना का कार्यक्षेत्र” का वही अर्थ है जो खंड 2.1 में दिया गया है;

“चयनित कर्मचारी” का वही अर्थ है जो खंड 6.5.1(i) में दिया गया है;

“चयनित कर्मचारी लागत” का वही अर्थ है जो खंड 6.5.5 में दिया गया है;

“वरिष्ठ ऋणदाता” से आशय उन वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, बहुपक्षीय ऋणदाता एजेंसियों, न्यासों, निधियों तथा डिबेंचर धारकों के अभिकर्ताओं या न्यासियों से है, जिनमें उनके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी शामिल हैं, जो किसी वित्तपोषण करार के अंतर्गत रियायतग्राही को गारंटी देने या वित्त उपलब्ध कराने के लिए सहमत हुए हैं और जिनका उसकी शर्तों के अनुसार रियायतग्राही की परिसंपत्तियों, अधिकारों, स्वत्व और हितों पर समान श्रेणी का प्रभार है;

“सेवा गुणवत्ता अपेक्षाएँ” का वही अर्थ है जो अनुसूची एच के अनुलग्नक I में दिया गया है;

“स्थल” का वही अर्थ है जो खंड 10.1 में दिया गया है;

“विनिर्देश और मानक” से आशय अनुसूची सी में दिए गए विमानपत्तन की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता और अन्य अपेक्षाओं/मानदंडों से संबंधित विनिर्देशों और मानकों तथा उनमें किसी परिवर्तन या वृद्धि से है;

“राज्य” से आशय उस राज्य से है जिसमें प्राधिकरण का पंजीकृत कार्यालय स्थित है;

“राज्य सरकार” से आशय कर्नाटक सरकार से है;

“सांविधिक लेखापरीक्षक” से आशय चार्टर्ड अकाउंटेंटों की उस प्रतिष्ठित फर्म से है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तत्समय प्रवृत्त प्रावधानों, उनके पुनः अधिनियमन या संशोधन के अंतर्गत रियायतग्राही के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करती है और जिसे खंड 31.2.1 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसार नियुक्त किया गया है;

“अधीनस्थ ऋण” से आशय निम्नलिखित राशियों के कुल योग से है, जो भारतीय रुपये में अथवा, जैसा भी मामला हो, ऋण की संबंधित मुद्रा में व्यक्त हों और हस्तांतरण तिथि (Transfer Date) को बकाया हों—

(क) परियोजना लागत को पूरा करने के लिए ऋणदाताओं अथवा रियायतग्राही (Concessionaire) के शेयरधारकों द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋण की मूलधन राशि, जो वरिष्ठ ऋणदाताओं (Senior Lenders) द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता के अधीनस्थ हो; और

(ख) उपर्युक्त उप-खंड (क) में उल्लिखित ऋण पर अर्जित समस्त ब्याज, किंतु इसकी गणना निम्नलिखित सीमाओं के अधीन होगी—

भारतीय रुपये में व्यक्त ऋणों के मामले में, वास्तविक ब्याज दर और बैंक दर (Bank Rate) से 5% (पाँच प्रतिशत) अधिक दर, इनमें से जो कम हो, उसी दर से ब्याज की गणना की जाएगी।

विदेशी मुद्रा में व्यक्त ऋणों के मामले में, वास्तविक ब्याज दर और 6 माह की एलआईबीओआर से 2% (दो प्रतिशत) अधिक दर, इनमें से जो कम हो, उसी दर से ब्याज की गणना की जाएगी।

हालाँकि, इसमें ऐसा कोई ब्याज शामिल नहीं होगा, जो हस्तांतरण तिथि से 1 (एक) वर्ष पहले ही देय हो चुका था।

परंतु यह शर्त होगी कि यदि अधीनस्थ ऋण का पूरा या कोई भाग, ऋणदाताओं और/या रियायतग्राही के शेयरधारकों के विकल्प पर इक्विटी में परिवर्तनीय है, तो इस करार के प्रयोजन के लिए ऐसे ऋण को, उसके इक्विटी में परिवर्तित हो जाने के बाद भी, अधीनस्थ ऋण ही माना जाएगा। साथ ही, उसकी मूलधन राशि के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा मानो ऐसा परिवर्तन किया ही न गया हो।

सरल शब्दों में कहें तो - अधीनस्थ ऋण ऐसा ऋण है जिसकी अदायगी में वरिष्ठ ऋणदाताओं के ऋण को प्राथमिकता मिलती है। इसमें परियोजना के लिए शेयरधारकों/अन्य ऋणदाताओं द्वारा दिया गया मूल ऋण तथा निर्धारित सीमा तक उस पर अर्जित ब्याज शामिल होता है। यदि बाद में इस ऋण को कंपनी की इक्विटी/शेयरों में बदल दिया जाए, तब भी इस समझौते के तहत उसकी गणना ऐसे की जाएगी जैसे वह अभी भी अधीनस्थ ऋण ही हो।

“प्रतिस्थापन करार” का वही अर्थ है जो खंड 38.3.1 में दिया गया है;

“निलंबन” का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 34 में दिया गया है;

“कर” से आशय किसी भी भारतीय कर से है, जिसमें उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, जीएसटी, मूल्य वर्धित कर, सेवा कर, बिक्री कर, स्थानीय कर, उपकर तथा इसी प्रकृति का कोई अधिरोपण या अधिभार (चाहे केंद्रीय, राज्य या स्थानीय हो) शामिल है, जो विमानपत्तन में समाविष्ट और उसका हिस्सा बनने वाले माल, सामग्री, उपकरण और सेवाओं पर किसी सरकारी निकाय द्वारा प्रभारित, उद्गृहीत या अधिरोपित किया जाए; किंतु इसमें किसी भी कारण से लगाए गए संबंधित ब्याज, शास्तियाँ और अन्य राशियाँ शामिल नहीं हैं। करों में निगमित आय पर लगने वाले कर शामिल नहीं होंगे;

“तकनीकी क्षमता” का वही अर्थ है जो आरएफपी में दिया गया है;

“टर्मिनल भवन” से आशय स्थल पर स्थित स्वतंत्र और/या एकीकृत यात्री टर्मिनल भवन से है, जिसमें घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए अलग-अलग चिह्नित क्षेत्र और उससे संबंधित भूमि शामिल हैं; इसमें कर्बसाइड तथा पहुँच मार्ग और मौजूदा टर्मिनल भवन भी शामिल हैं, जैसा कि अनुसूची ए के अनुलग्नक II में दी गई परिप्रेक्ष्य योजना और/या, यथास्थिति, मास्टर प्लान में वर्णित एवं सीमांकित है;

“समाप्ति” से आशय इस करार और इसके अंतर्गत दी गई रियायत की अवधि समाप्त होने या इन्हें समाप्त किए जाने से है;

“समाप्ति सूचना” से आशय इस करार को समाप्त करने के लिए इस करार के अनुसार एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को जारी सूचना से है;

“समाप्ति भुगतान” से आशय नीचे उपखंड (क) के अनुसार निर्धारित राशि और नीचे उपखंड (ख) तथा (ग) के अनुसार निर्धारित राशियों में से कम राशि के योग के बराबर राशि से है।

(क) हस्तांतरण तिथि को निम्नलिखित राशियों का योग:

(i) अनुमानित प्रारंभिक आरएबी की राशि, यदि कोई हो, जिसे विनियामक द्वारा वैमानिकी प्रभारों के अपने नवीनतम निर्धारण में शामिल किया गया हो और जिसका मूल्यहास विनियामक द्वारा निर्धारित/विचारित दरों के अनुसार किया गया हो; और

(ii) वाणिज्यिक परिचालन आरंभ होने की तारीख सीओडी (सीओडी) को और उसके बाद रियायतग्राही द्वारा किसी भी वैमानिकी परिसंपत्ति में किए गए निवेश का मूल्य, जो अनुमानित प्रारंभिक आरएबी का हिस्सा न हो, और जिसे विनियामक द्वारा वैमानिकी प्रभारों के अपने नवीनतम निर्धारण में शामिल किया गया हो तथा जिसका मूल्यहास विनियामक द्वारा निर्धारित/विचारित दरों के अनुसार किया गया हो।

सरल अर्थ: इसमें उन वैमानिकी परिसंपत्तियों के मूल्य को शामिल किया जाएगा, जिन्हें विनियामक ने हवाई अड्डे के वैमानिकी प्रभार तय करते समय मान्यता दी है। परिसंपत्तियों के मूल्य में निर्धारित दर से मूल्यहास घटाया जाएगा।

(ख) हस्तांतरण तिथि को स्वतंत्र अभियंता द्वारा प्रमाणित निम्नलिखित राशियों का योग:

(i) रियायतग्राही द्वारा निर्मित, अर्जित अथवा स्थापित ऐसी किसी अतिरिक्त वैमानिकी परिसंपत्ति का मूल्य, जिसे विनियामक ने वैमानिकी प्रभारों के अपने नवीनतम निर्धारण में शामिल नहीं किया हो। तथापि, इसमें ऐसी वैमानिकी परिसंपत्तियां शामिल नहीं होंगी जिन्हें विनियामक ने उक्त निर्धारण में पहले ही शामिल कर लिया हो। ऐसी परिसंपत्तियों का मूल्य विनियामक द्वारा निर्धारित/विचारित दरों के अनुसार मूल्यहास घटाने के बाद लिया जाएगा;

(ii) प्रारंभिक गैर-वैमानिकी निवेशों का मूल्य, जिसमें रियायतग्राही की लेखा-पुस्तकों में प्रयुक्त दरों के अनुसार मूल्यहास घटाया गया हो;

(iii) सीओडी को और उसके बाद रियायतग्राही द्वारा गैर-वैमानिकी परिसंपत्तियों में किए गए निवेश का मूल्य—जिसमें सिटी साइड डेवलपमेंट का हिस्सा बनने वाली परिसंपत्तियां और प्रारंभिक गैर-वैमानिकी निवेश शामिल नहीं होंगे—और जिसमें रियायतग्राही की लेखा-पुस्तकों में प्रयुक्त दरों के अनुसार मूल्यहास घटाया गया हो;

(iv) सीओडी को और उसके बाद सिटी साइड डेवलपमेंट का हिस्सा बनने वाली सभी परियोजना परिसंपत्तियों में रियायतग्राही द्वारा किए गए निवेश का मूल्य, जिसमें रियायतग्राही की लेखा-पुस्तकों में प्रयुक्त दरों के अनुसार मूल्यहास घटाया गया हो; और

(v) हस्तांतरण तिथि को रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को सौंपी गई निर्माणाधीन कार्यों पर रियायतग्राही द्वारा वास्तव में वहन की गई लागत, उस सीमा तक जहाँ तक विनियामक ने वैमानिकी प्रभारों के अपने नवीनतम निर्धारण में उसे वैमानिकी परिसंपत्तियों के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया हो।

संक्षेप में कहा जाए तो इस भाग में उन अतिरिक्त वैमानिकी और गैर-वैमानिकी परिसंपत्तियों, सिटी साइड डेवलपमेंट तथा अधूरे/निर्माणाधीन कार्यों की लागत शामिल होगी, जिनका मूल्य स्वतंत्र अभियंता द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। जहाँ लागू हो, मूल्यहास घटाने के बाद का मूल्य लिया जाएगा।

(ग) ऊपर उप-खंड (ख) में उल्लिखित परिसंपत्तियों के मूल्यों और/या वहन की गई लागतों, जैसा भी मामला हो, का योग, जैसा कि किसी अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा निर्धारित किया जाए। ऐसे मूल्यांकक का चयन और नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा हस्तांतरण तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर की जाएगी और वह अपनी नियुक्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर अपना मूल्य-निर्धारण प्रस्तुत करेगा।

सरल अर्थ: उप-खंड (ख) में बताई गई परिसंपत्तियों और लागतों का अंतिम मूल्य एक अनुमोदित मूल्यांकक तय करेगा। प्राधिकरण को हस्तांतरण तिथि से 15 दिनों के भीतर मूल्यांकक नियुक्त करना होगा और मूल्यांकक को नियुक्ति के 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट/निर्धारण देना होगा।

“परीक्षण” से आशय इस करार के प्रावधानों, संबंधित आईसीएओ दस्तावेजों एवं अनुलग्नकों तथा डीजीसीए द्वारा निर्धारित लागू दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्णता निर्धारित करने के लिए अनुसूची जी में दिए गए परीक्षणों से है; आवश्यक परिवर्तनों सहित, इसमें इस करार और मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुसार विमानपतन के विस्तार की पूर्णता निर्धारित करने के लिए इसी प्रकार के परीक्षण भी शामिल होंगे;

“अंतरण की तारीख” से आशय उस तारीख से है जिस दिन इस करार के प्रावधानों के अनुसार यह करार तथा इसके अंतर्गत रियायत समाप्त होती है या समाप्ति सूचना द्वारा समाप्त की जाती है;

“अप्रत्याशित घटना” का वही अर्थ है जो खंड 32.12.1 में दिया गया है;

“उपयोगकर्ता” से आशय किसी व्यक्ति से है, जिसमें कोई एयरलाइन, यात्री, आगंतुक या अन्य व्यक्ति शामिल है, जो शुल्क के भुगतान पर अथवा इस करार और लागू विधियों के प्रावधानों के अनुसार विमानपतन या उसके किसी भाग, जिसमें कोई एक या सभी वैमानिक अथवा गैर-वैमानिक सेवाएँ शामिल हैं, का उपयोग करता है या करने का इरादा रखता है;

“उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण” का वही अर्थ है जो खंड 23.7.3 में दिया गया है;

“उपयोगकर्ता चार्टर” का वही अर्थ है जो खंड 23.10 में दिया गया है;

“निहितीकरण प्रमाणपत्र” का वही अर्थ है जो खंड 36.4 में दिया गया है; और

“डब्ल्यूपीआई” से आशय भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा सभी वस्तुओं के लिए प्रकाशित थोक मूल्य सूचकांक से है; इसमें डब्ल्यूपीआई के स्थान पर आने वाला कोई सूचकांक भी शामिल होगा और, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, डब्ल्यूपीआई के किसी भी उल्लेख का अर्थ पिछले माह की समाप्ति तक की अवधि के लिए प्रकाशित डब्ल्यूपीआई से होगा।

1.2 निर्वचन

1.2.1 इस करार में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

- क. किसी विधान या उसके किसी प्रावधान के उल्लेख में उस विधान या प्रावधान का संशोधन, पुनः अधिनियमन या समेकन भी शामिल होगा, जहाँ तक ऐसा संशोधन, पुनः अधिनियमन या समेकन इस करार के अंतर्गत किए गए किसी लेनदेन पर लागू होता है या लागू हो सकता है;
- ख. लागू विधियों के उल्लेख में ऐसी विधियाँ, अधिनियम, अध्यादेश, नियम, विनियम, उपविधियाँ या अधिसूचनाएँ शामिल होंगी जिन्हें भारत के क्षेत्र में विधि का बल प्राप्त है और जिन्हें समय-समय पर संशोधित, परिवर्तित, अनुपूरित, विस्तारित या पुनः अधिनियमित किया जा सकता है;
- ग. “व्यक्ति” का उल्लेख तथा किसी प्राकृतिक व्यक्ति को दर्शाने वाले शब्दों का अर्थ किसी भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, निगम, सोसाइटी, न्यास, सरकार, राज्य या राज्य की एजेंसी अथवा उपर्युक्त में से दो या अधिक के किसी संघ या भागीदारी (चाहे उसका पृथक विधिक व्यक्तित्व हो या नहीं) के उल्लेख के रूप में लगाया जाएगा और इसमें उनके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल होंगे;
- घ. इस करार की विषय-सूची, शीर्षक या उपशीर्षक केवल संदर्भ की सुविधा के लिए हैं; इनका उपयोग इस करार का अर्थ लगाने या निर्वचन करने में नहीं किया जाएगा और न ही इनसे उसका अर्थ या निर्वचन प्रभावित होगा;
- ङ. “शामिल है” और “सहित” शब्दों का अर्थ किसी सीमा के बिना लगाया जाएगा और इनके बाद “बिना किसी सीमा के” या “किंतु इतने तक सीमित नहीं” शब्द माने जाएँगे, चाहे ये वाक्यांश वास्तव में इनके बाद लिखे हों या नहीं;
- च. “निर्माण” या “भवन निर्माण” के उल्लेख में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, जाँच, अभिकल्पना, अभियांत्रिकी, अधिप्राप्ति, सुपुर्दगी, परिवहन, संस्थापन, प्रसंस्करण, निर्माण, परीक्षण, कमीशनिंग, विस्तार और निर्माण से आनुषंगिक अन्य गतिविधियाँ शामिल होंगी; “निर्मित करना” का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;
- छ. “विकास” के उल्लेख में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निर्माण, विस्तार, नवीनीकरण, पुनर्संज्जा, संवर्धन, उन्नयन और उनसे आनुषंगिक अन्य गतिविधियाँ शामिल होंगी; “विकसित करना” का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;
- ज. किसी समयावधि के उल्लेख का अर्थ भारतीय मानक समय (आईएसटी) के अनुसार उस समयावधि का उल्लेख होगा।
- झ. मानक समय;
- (i) “घंटे” के किसी संदर्भ का तात्पर्य घड़ी के घंटे या आधे घंटे पर आरंभ होने वाली 60 (साठ) मिनट की अवधि से है, जिसका उदाहरण के तौर पर अर्थ है 5.00 (पांच), 6.00 (छह), 7.00 (सात)

इत्यादि घड़ी के घंटे हैं तथा 5.30 (सात तीस), 6.30 (छह तीस), 7.30 (सात तीस) इत्यादि घड़ी के आधे घंटे के घंटे हैं;

- ज. दिन के संदर्भ से तात्पर्य कैलेंडर दिवस के संदर्भ से होगा;
- ट. "कार्य दिवस" के संदर्भ का तात्पर्य उस दिन (रविवार को छोड़कर) के संदर्भ से लगाया जाएगा, जिस दिन राज्य में बैंक सामान्यतः व्यवसाय के लिए खुले रहते हैं;
- ठ. महीने या तिमाही के किसी संदर्भ का तात्पर्य ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कैलेंडर महीने या कैलेंडर तिमाही के संदर्भ से होगा;
- ड. किसी तिथि, अवधि या चरण मील के पत्थर के संदर्भ का तात्पर्य ऐसे तिथि, अवधि या चरण मील के पत्थर से है और इसमें ऐसी तिथि, अवधि या चरण मील का पत्थर शामिल होगा जिसे इस समझौते के अनुसरण में बढ़ाया जा सकता है;
- ढ. किसी निर्दिष्ट दिन या तारीख से शुरू होने वाली और किसी निर्दिष्ट दिन या तारीख तक या तक की अवधि के संदर्भ में ऐसे दोनों दिन या तारीखें शामिल होंगी, बशर्ते कि यदि इस समझौते के तहत गणना की गई किसी अवधि का आखिरी दिन कोई कारोबारी दिन नहीं है, तो अवधि अगले कारोबारी दिन के अंत तक चलेगी;
- ण. एकवचन का अर्थ बताने वाले शब्दों में बहुवचन भी शामिल होगा और इसके विपरीत;
- त. किसी भी लिंग के संदर्भ में अन्य और तटस्थ लिंग शामिल होंगे;
- थ. लाख से तात्पर्य एक लाख (100,000) और करोड़ से तात्पर्य दस मिलियन (10,000,000) से है;
- द. "ऋणग्रस्तता" का अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा कि इसमें धन के भुगतान या पुनर्भुगतान के लिए कोई दायित्व (चाहे वह मूलधन या जमानत के रूप में किया गया हो) शामिल हो, चाहे वह वर्तमान हो या भविष्य का, वास्तविक हो या आकस्मिक हो;
- ध. किसी कंपनी या निगम के "समापन", "विघटन", "दिवालीयेपन", या "पुनर्गठन" के संदर्भों की व्याख्या इस प्रकार की जाएगी कि इसमें उस क्षेत्राधिकार के कानून के अंतर्गत कोई समतुल्य या समान कार्यवाही शामिल हो जिसमें ऐसी कंपनी या निगम निगमित है या कोई क्षेत्राधिकार जिसमें ऐसी कंपनी या निगम व्यवसाय करती है, जिसमें परिसमापन, समापन, पुनर्गठन, विघटन, व्यवस्था, देनदारों के संरक्षण या राहत की मांग करना शामिल है;
- न. इस अनुबंध में अन्यथा प्रदान की गई बात के सिवाय, किसी भी समय, किसी भी अनुबंध, विलेख, लिखत, पट्टे, लाइसेंस या किसी भी वर्णन के दस्तावेज के किसी संदर्भ को उस संदर्भ के समय संशोधित, परिवर्तित, पूरक, संशोधित या निलंबित किए गए उस अनुबंध, विलेख, लिखत, पट्टे, लाइसेंस या अन्य दस्तावेज के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा, बशर्ते कि यह उप-खंड (टी) इस प्रकार कार्य नहीं करेगा जिससे किसी भी तरह से इसके अधीन या इसके अनुसरण में प्राधिकरण की देनदारियों या दायित्वों में वृद्धि हो;
- न. इस समझौते के तहत या इसके अनुसरण में किसी भी पक्ष से या उसके द्वारा अपेक्षित कोई समझौता, सहमति, अनुमोदन, प्राधिकरण, नोटिस, संचार, सूचना या रिपोर्ट तभी वैध और प्रभावी होगी जब वह इस पक्ष के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में हो, अन्यथा नहीं;
- प. इस समझौते की अनुसूचियां और विवरण इस समझौते का अभिन्न अंग होंगे और वे पूर्णतः लागू रहेंगे जैसे कि वे इस समझौते के मुख्य भाग में स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हों;

- फ. इस अनुबंध में उल्लेखों, अनुच्छेदों, खंडों, उप-खंडों, शर्तों या अनुसूचियों के संदर्भों का तात्पर्य, सिवाय जहां संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो, इस अनुबंध के उल्लेखों, अनुच्छेदों, खंडों, उप-खंडों, शर्तों और अनुसूचियों के संदर्भों से होगा;
- ब. किसी अनुलग्नक के संदर्भ का, उसमें विनिर्दिष्ट किसी प्रतिकूल बात के अधीन रहते हुए, उस अनुसूची के अनुलग्नक के संदर्भ के रूप में अर्थ लगाया जाएगा जिसमें ऐसा संदर्भ आता है; और किसी पैराग्राफ के संदर्भ का, उसमें विनिर्दिष्ट किसी प्रतिकूल बात के अधीन रहते हुए, अनुसूची या अनुलग्नक के उस पैराग्राफ के संदर्भ के रूप में अर्थ लगाया जाएगा, जैसा भी मामला हो, जिसमें ऐसा संदर्भ आता है;
- भ. किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को देय हर्जाना, जैसा कि इस अनुबंध में निर्धारित किया गया है, चाहे प्रतिदिन के आधार पर हो या अन्यथा, पारस्परिक रूप से सहमत वास्तविक पूर्व अनुमानित हानि और क्षति है जो उसे प्राप्त करने के हकदार पक्ष द्वारा झेली और उठाई जा सकती है और यह दंड के रूप में नहीं है ("हर्जाना")
- म. 'इसके बारे में', 'इसके अंतर्गत', 'इसके प्रति' और 'इसके अंतर्गत' शब्द तथा समान आयात के शब्द, जब इस अनुबंध या किसी अन्य परियोजना अनुबंध में उपयोग किए जाते हैं, तो उनका संदर्भ इस अनुबंध या ऐसी अन्य परियोजना अनुबंध, जैसा भी मामला हो, समग्र रूप में होगा, न कि इस अनुबंध या ऐसी अन्य परियोजना अनुबंध के किसी विशेष प्रावधान के लिए, जैसा भी मामला हो;
- य. जब तक इसमें अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए, यहां प्रयुक्त सभी लेखांकन शब्दों की व्याख्या की जाएगी, और इसके अंतर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले वित्तीय मामलों से संबंधित सभी वित्तीय विवरण और प्रमाणपत्र और रिपोर्टें भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार की जाएंगी, और सभी तकनीकी शब्दों और कथनों की व्याख्या और उन्हें अच्छे उद्योग प्रथाओं के अनुसार लागू किया जाएगा;
- र. कोई खास प्रोविज़न, रिप्रेजेंटेशन या वारंटी किसी ज़्यादा आम प्रोविज़न, रिप्रेजेंटेशन या वारंटी के लागू होने को सीमित नहीं करेगा, और पार्टियों का इरादा यह है कि इस एग्रीमेंट में शामिल हर रिप्रेजेंटेशन, वारंटी, कवनेंट, शर्त और एग्रीमेंट को पूरा, अलग और स्वतंत्र असर दिया जाएगा और ऐसे प्रोविज़न कुल मिलाकर लागू होंगे; और
- र. पार्टियों की अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में समय बहुत ज़रूरी होगा। अगर यहां बताई गई कोई समय अवधि बढ़ाई जाती है, तो वह बढ़ा हुआ समय भी बहुत ज़रूरी होगा।

1.2.2 जब तक इस एग्रीमेंट में साफ़ तौर पर कुछ और न बताया गया हो, कंसेशनर द्वारा अथॉरिटी को दिया जाने वाला कोई भी डॉक्यूमेंटेशन मुफ्त में और 3 (तीन) फ़िज़िकल कॉपी और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी में दिया जाएगा, और अगर अथॉरिटी को ऐसे किसी डॉक्यूमेंटेशन को अपनी टिप्पणियों और/या मंजूरी के साथ वापस करना होता है, तो वे उसकी दो कॉपी रखने के हकदार होंगे।

1.2.3 कंस्ट्रक्शन का यह नियम, अगर कोई हो, कि किसी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब उसकी ड्राफ़्टिंग और तैयारी के लिए ज़िम्मेदार पार्टियों के खिलाफ़ निकाला जाना चाहिए, लागू नहीं होगा।

1.2.4 क्लॉज़ 1.2 में दिए गए मतलब के नियमों के तहत, इस एग्रीमेंट में इस्तेमाल किया गया कोई भी शब्द या बात, जब तक कि इस एग्रीमेंट में अलग से न बताया गया हो या उसका मतलब न निकाला गया हो, उसका आम इंग्लिश मतलब होगा और इन मकसदों के लिए, जनरल क्लॉज़ एक्ट, 1897 लागू नहीं होगा।

1.3 माप और गणितीय नियम

सभी माप और गणनाएँ मीट्रिक सिस्टम में होंगी और गणनाएँ दशमलव के बाद 2 (दो) अंकों तक की जाएँगी; इसमें तीसरा अंक 5 (पाँच) या उससे ज़्यादा होने पर उसे राउंड-अप (अगली संख्या तक बढ़ाना) किया जाएगा और 5 (पाँच) से कम होने पर राउंड-डाउन (पिछली संख्या तक घटाना) किया जाएगा।

1.4 समझौतों, क्लॉज़ और शेड्यूल की प्राथमिकता

1.4.1 इस समझौते, और इस समझौते का हिस्सा बनने वाले या इसमें बताए गए अन्य सभी समझौतों और दस्तावेज़ों को एक-दूसरे की व्याख्या करने वाले के तौर पर माना जाएगा। जब तक इस समझौते में कहीं और साफ़ तौर पर कुछ न कहा गया हो, तब तक इनके बीच किसी भी टकराव की स्थिति में, इस समझौते और इसके हिस्से के तौर पर शामिल या इसमें बताए गए अन्य दस्तावेज़ों और समझौतों की प्राथमिकता इस क्रम में होगी: (a) यह समझौता; और

(ख) इसके हिस्से के तौर पर शामिल या इसमें बताए गए अन्य सभी समझौते और दस्तावेज़, यानी (a) में दिया गया समझौता (ख) में दिए गए समझौतों और दस्तावेज़ों पर प्राथमिकता पाएगा।

1.4.2 धारा 1.4.1 के प्रावधानों के अधीन, इस समझौते में अस्पष्टता या विसंगतियों के मामले में, निम्नलिखित लागू होंगे:

(क) इस समझौते के दो या दो से अधिक क्लॉज़ के बीच, विचाराधीन मुद्दे से संबंधित विशिष्ट क्लॉज़ के प्रावधान अन्य क्लॉज़ के प्रावधानों पर प्राथमिकता पाएँगे;

(ख) इस समझौते के क्लॉज़ और शेड्यूल के बीच, क्लॉज़ प्राथमिकता पाएँगे और शेड्यूल तथा एनेक्स (अनुबंधों) के बीच, शेड्यूल प्राथमिकता पाएँगे;

(ग) किन्हीं दो शेड्यूल के बीच, मुद्दे से संबंधित शेड्यूल प्राथमिकता पाएगा;

(घ) ड्राइंग पर लिखे विवरण और स्पेसिफिकेशन (विनिर्देशों) तथा स्टैंडर्ड (मानकों) के बीच, बाद वाले (स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड) प्राथमिकता पाएँगे;

(ङ.) ड्राइंग से मापे गए डाइमेंशन (आयाम) और उसके विशिष्ट लिखित डाइमेंशन के बीच, बाद वाला (लिखित डाइमेंशन) प्राथमिकता पाएगा; और

(च) अंकों में लिखी गई किसी भी वैल्यू (मान) और शब्दों में लिखी गई वैल्यू(मान) के बीच, बाद वाली (शब्दों में लिखी वैल्यू) प्राथमिकता पाएगी।

भाग ॥

रियायत

अनुच्छेद 2

परियोजना का दायरा

2.1 परियोजना का दायरा

परियोजना का दायरा ("परियोजना का दायरा") का तात्पर्य और इसमें शामिल होगा, रियायत अवधि के दौरान, हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास , जिसमें ये शामिल हैं:

(ए) साइट पर और अनुसूची 'ए' और अनुसूची 'बी' में मोटे तौर पर बताई गई ज़रूरतों के अनुसार, साथ ही शेड्यूल 'बी' में बताई गई संबंधित प्रोजेक्ट सुविधाओं के प्रावधान के साथ, और अनुसूची 'सी' में बताई गई विशिष्टताओं और मानकों के अनुरूप, और लागू कानूनों और लागू परमिटों के अनुसार, हवाई अड्डे का चरणबद्ध तरीके से डिज़ाइन, विकास, वित्तपोषण, निर्माण, अपग्रेडेशन और विस्तार;

(ख) इस समझौते, लागू कानूनों और लागू परमिटों के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे का संचालन, रखरखाव और प्रबंधन;

(ग) इस समझौते, और विशेष रूप से अनुसूची 'ए' , अनुसूची 'बी' और अनुसूची 'सी' के प्रावधानों के अनुसार सिटी साइड का विकास (डेवलपमेंट), संचालन और रखरखाव; और

(घ) कंसेशन प्राप्तकर्ता की अन्य सभी ज़िम्मेदारियों का पालन और पूरा करना और उससे जुड़ी या इस समझौते के तहत कंसेशन प्राप्तकर्ता की किसी भी या सभी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ज़रूरी मामले, इस समझौते, लागू कानूनों और लागू परमिटों के प्रावधानों के अनुसार।

अनुच्छेद 3. रियायत का अनुदान

3.1 रियायत

3.1.1 इस एग्रीमेंट, लागू कानूनों और लागू परमिटों की शर्तों और प्रावधानों के अनुसार, अथॉरिटी इसके द्वारा रियायतग्राही को यहाँ बताई गई रियायत देती है। इसमें हवाई अड्डे को चलाने, मैनेज करने और डेवलप करने का एक्सक्लूसिव अधिकार, लीज़ और अधिकार शामिल है ("रियायत"); यह रियायत सी ओ डी (सीओडी) से शुरू होकर 50 (पचास) साल की अवधि के लिए होगी। रियायतग्राही इसके द्वारा रियायत को स्वीकार करता है और यहाँ बताई गई शर्तों और नियमों के अनुसार प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए सहमत होता है।

3.1.2 इस समझौते, प्राधिकरण, लागू कानूनों और लागू परमिटों के प्रावधानों के अधीन और उनके अनुसार, इसके द्वारा दी गई रियायत रियायतग्राही को (जैसा भी मामला हो) इसके लिए बाध्य या हकदार बनाएगी:

(क) इस समझौते के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त उद्देश्य के लिए और उस सीमा तक साइट पर रास्ते, पहुंच और पट्टे का अधिकार;

(ख) हवाई अड्डे के विकास और विस्तार को वित्तपोषित करना;

(ग) हवाई अड्डे का संचालन, रखरखाव और प्रबंधन करना और तीसरे पक्ष द्वारा इसके उपयोग को विनियमित करना;

(घ) हवाई अड्डे या उसके किसी हिस्से का उपयोग करने के लिए शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी उपयोगकर्ताओं से शुल्क की मांग करना, संग्रह करना और विनियोजित करना तथा देय शुल्क का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में ऐसे किसी भी उपयोगकर्ता को प्रवेश से इंकार करना;

(ङ) इस समझौते के तहत और इसके अनुसार रियायतग्राही के सभी दायित्वों को पूरा करना;

(च) इस एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से बताए गए प्रावधानों को छोड़कर, इस एग्रीमेंट के तहत रियायतग्राही की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने से जुड़े या उससे जुड़े सभी खर्च, लागत, टैक्स और शुल्क को उठाना और उनका भुगतान करना; और

(छ) इस समझौते या इसके द्वारा दी गई रियायत, या हवाई अड्डे के पूरे या किसी हिस्से पर कोई अधिकार या बोझ (lien or encumbrance) न तो सौंपना, न ट्रांसफर करना और न ही बनाना; और न ही इसका कब्ज़ा ट्रांसफर करना या उसका कोई हिस्सा किसी और को देना, सिवाय इसके कि इस समझौते या स्थानापत्रता (सब्सिट्यूशन) समझौते द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति दी गई हो।

3.2 सिटी साइड विकास

इस समझौते और लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार, यहाँ दी गई रियायत के तहत और धारा 3.1.2 के प्रावधानों पर असर डाले बिना रियायतग्राही को शेड्यूल 'ए' में बताई गई साइट पर रियल एस्टेट का डेवलपमेंट, फाइनेंस, ऑपरेशन और मॉटेनेंस करने का अधिकार होगा। यह काम शेड्यूल 'बी' और शेड्यूल 'सी' के अनुसार किया जाएगा। साथ ही, अनुच्छेद 25 ("सिटी साइड डेवलपमेंट") के प्रावधानों के अनुसार इस डेवलपमेंट का

इस्तेमाल कमर्शियल कामों के लिए किया जा सकेगा, जिसमें प्रोजेक्ट एग्रीमेंट के ज़रिए इसके किसी भी या सभी हिस्सों को सब-लीज और/या सब-लाइसेंस देने का अधिकार भी शामिल है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि सिटी साइड का अंतिम इस्तेमाल इस एग्रीमेंट के लागू होने की तारीख पर प्रभावी कानूनों के अनुसार होगा। अगर बाद में इन कानूनों में कोई बदलाव, संशोधन या उन्हें फिर से लागू किया जाता है और उसके तहत किसी अतिरिक्त अंतिम इस्तेमाल की अनुमति मिलती है, तो रियायत पाने वाले को उसका लाभ केवल भारत सरकार की पहले से लिखित मंजूरी मिलने पर ही मिलेगा।

अनुच्छेद 4. पूर्वगामी शर्तें

4.1 पूर्व शर्तें

4.1.1 अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से बताए गए प्रावधानों को छोड़कर, या जब तक संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, इस समझौते के तहत पार्टियों के संबंधित अधिकार और दायित्व इस क्लॉज़ 4.1 में निर्दिष्ट पूर्व-शर्तों ("पूर्व-शर्तें") के पूर्ण अनुपालन के अधीन होंगे।

हालांकि, बशर्ते कि कोई पार्टी क्लॉज़ 4.1.2 या क्लॉज़ 4.1.3 के प्रावधानों के अनुसार (जैसा भी मामला हो) दूसरी पार्टी द्वारा किसी पूर्व-शर्त को पूरा करने से छूट दे सकती है, और ऐसी छूट की सीमा तक, उस पूर्व-शर्त को इस क्लॉज़ 4.1.1 के उद्देश्यों के लिए पूरा हुआ माना जाएगा।

4.1.2 अनुच्छेद 9 के अनुसार प्राधिकरण को प्रदर्शन सुरक्षा प्रदान करने पर, नोटिस द्वारा को इस 4.1.2 में निर्धारित किसी एक या सभी पूर्ववर्ती शर्तों को ऐसे नोटिस में निर्धारित अवधि के भीतर पूरा करने की आवश्यकता हो सकती है और ऐसी अवधि को सीओडी प्राप्त करने के लिए उपलब्ध अवधि से कम नहीं होगी, और प्राधिकरण द्वारा संतुष्ट की जाने वाली अपेक्षित पूर्ववर्ती शर्तें तब पूरी हुई मानी जाएंगी, जब प्राधिकरण ने: (ए) के लिए, खंड 10.3 के प्रावधानों के अनुसार साइट पर जाने का अधिकार प्राप्त कर लिया हो;

4.1.2 रियायतग्राही आर्टिकल 9 के अनुसार अथॉरिटी को परफॉर्मेंस सिक्योरिटी प्रदान करने पर, नोटिस के माध्यम से प्राधिकरण से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह इस खंड 4.1.2 में निर्धारित किसी भी या सभी पूर्व-शर्तों को ऐसे नोटिस में निर्धारित अवधि के भीतर पूरा करे और ऐसी अवधि रियायतग्राही के लिए सीओडी प्राप्त करने के लिए उपलब्ध अवधि से कम नहीं होगी, और अथॉरिटी द्वारा पूरी की जाने वाली पूर्व-शर्तों को तब पूरा हुआ माना जाएगा जब अथॉरिटी ने:

(क) क्लॉज़ 10.3 के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही के लिए साइट तक जाने का अधिकार प्राप्त कर लिया हो;

(ख) मौजूदा अनुबंधों को रियायतग्राही के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया हो, उस सीमा तक जहां ऐसा स्थानांतरण संबंधित अनुबंधों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है;

(ग) पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से रियायतग्राही को उन मौजूदा अनुबंधों के संबंध में अथॉरिटी के एजेंट के रूप में अथॉरिटी की ओर से कार्य करने का अधिकार दिया हो, जिन्हें किसी भी कारण से रियायतग्राही के पक्ष में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है;

(घ) नीचे दिए गए संबंधित एग्रीमेंट पूरे किए हों (बशर्ते कि रियायतग्राही अपनी संबंधित ज़िम्मेदारियों का पालन कर रहा हो):

(i) शेड्यूल 'एम' में दिए गए फॉर्मेट में एस्क्रो एग्रीमेंट;

(ii) शेड्यूल 'आर' में दिए गए फॉर्मेट में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग; और

(iii) शेड्यूल 'क्यू' में दिए गए फॉर्मेट में सीएनएस-एटीएम समझौता,

स्वयं द्वारा, या संबंधित इकाई द्वारा (जैसा भी मामला हो), रियायतग्राही से विधिवत हस्ताक्षरित कॉपी मिलने और उनके तहत सभी शर्तों का पालन होने पर, जो उन्हें लागू करने के लिए ज़रूरी हो सकते हैं।

4.1.3 इस अनुबंध में अन्यथा विशेष रूप से प्रदान किए जाने के सिवाय, इस अनुबंध की तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिन की अवधि के भीतर रियायतग्राही द्वारा संतुष्ट की जाने वाली अपेक्षित पूर्ववर्ती शर्तें तब पूरी हुई मानी जाएंगी, जब रियायतग्राही, प्राधिकरण की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित कार्य कर चुका होगा:

(क) उसने खंड 9.1 के अनुसार प्राधिकरण को परफार्मेंस सुरक्षा प्रदान की होगी;

(ख) परियोजना के आरंभ के लिए आवश्यक सभी लागू परमिट बिना शर्त प्राप्त कर लिए गए हैं, या यदि शर्तों के अधीन हैं, तो उसमें निर्दिष्ट तिथि तक पूरी की जाने वाली ऐसी सभी शर्तें पूरी तरह से संतुष्ट हो गई होंगी, और ऐसे लागू परमिट पूरी तरह से लागू हैं;

(ग) शेड्यूल 'एम' में दिए गए फॉर्मेट में एस्क्रो एग्रीमेंट (Escrow Agreement) को निष्पादित किया और निष्पादन सुनिश्चित किया और यह एग्रीमेंट अपनी शर्तों के अनुसार प्रभावी हो गया है;

(घ) शेड्यूल 'क्यू' में दिए गए फॉर्मेट में सी एन एस-ए टी एम (CNS-ATM) समझौते का निष्पादन किया गया है और सुनिश्चित किया और यह उसकी शर्तों के अनुसार प्रभावी हो गया है;

(ङ) 'आरएफपी' (आरएफपी) और इस समझौते की आवश्यकताओं के अनुसार रियायतग्राही की शेयरधारिता बनाए रखी;

(च) चयनित बोलीदाता से इस समझौते के खंड 7.1 के उप-खंड (सी), (एफ), (जी), (जे), (के), (एल), (ओ) और (पी) में निर्धारित अभ्यावेदन और वारंटियों की सत्यता की पुष्टि प्राधिकरण को सौंपी गई ;

(छ) इस समझौते में प्रवेश करने के लिए रियायत प्राप्तकर्ता के अधिकार और इसके प्रावधानों की प्रवर्तनीयता के संबंध में रियायत प्राप्तकर्ता के कानूनी सलाहकार से कानूनी राय प्राधिकरण को दी गई;

(ज) प्राधिकरण को सौंपा गया:

(अ) उन निर्माण कार्यों की सूची जिन्हें वह पहले 7 (सात) कंसेशन वर्षों में करने का प्रस्ताव करता है, जिसमें इन कार्यों

का उचित ध्यान रखा गया हो:

I. जो वर्तमान में अथॉरिटी द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं; और

II जिन्हें समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख को अथॉरिटी द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है (और जैसा कि

शेड्यूल 'यू' (U) में बताया गया है);

(ब) ऐसे निर्माण कार्यों को पूरा करने की निर्धारित तारीख;

(झ) शेड्यूल 'आर' (R) में दिए गए फॉर्मेट में समझौता ज्ञापन (मेमोरैंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग/MoU) को निष्पादित किया और निष्पादन सुनिश्चित किया, और यह समझौता ज्ञापन (मेमोरैंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग/MoU) अपनी शर्तों के अनुसार प्रभावी हो जाएगा।

बशर्ते कि कंसेशनर के लिखकर रिक्वेस्ट करने पर, अथॉरिटी अपने हिसाब से, सीओडी पाने के मकसद से इस क्लॉज़ 4.1.3 में बताई गई किसी भी कंडीशन प्रीसीडेंट को माफ कर सकती है। अथॉरिटी अपने पूर्ण विवेक से, ऐसी शर्तों के साथ कोई भी छूट दे सकती है जिन्हें वह उचित समझे।

4.1.4 प्रत्येक पक्ष निर्धारित समय के भीतर पूर्व-शर्तों को पूरा करने के लिए सभी उचित प्रयास करेगा और दूसरे पक्ष को ऐसा उचित सहयोग प्रदान करेगा जो उस पक्ष को उन पूर्व-शर्तों को पूरा करने में सहायता के लिए आवश्यक हो, जिनके लिए वह पक्ष जिम्मेदार है।

4.1.5 पार्टियां एक-दूसरे को महीने में कम से कम एक बार लिखकर बताएंगी कि पिछली शर्तों को पूरा करने में कितनी प्रोग्रेस हुई है। हर पार्टी को तुरंत दूसरी पार्टी को बताना होगा जब कोई पिछली शर्त पूरी हो जाती है, जिसके लिए वह जिम्मेदार है।

4.2 कंसेशनर द्वारा देरी के लिए हर्जाना

अगर (a) कंसेशनर क्लॉज़ 4.1.3 में बताई गई किसी भी या सभी शर्तों (Conditions Precedent) को उस क्लॉज़ में बताई गई अवधि के अंदर पूरा नहीं करता है या उनसे छूट(waiver) नहीं लेता है, और (ख) यह देरी अथॉरिटी द्वारा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा न करने की वजह से नहीं हुई है।

क्लॉज़ 4.1.2 के तहत या अथॉरिटी द्वारा इस एग्रीमेंट के किसी और उल्लंघन या फ़ोर्स मेज्योर की वजह से, रियायतग्राही अथॉरिटी को, ऐसी शर्तों के पूरा होने तक देरी के हर दिन के लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के 0.3% (ज़ीरो पॉइंट तीन परसेंट) की दर से कैलकुलेट की गई रकम में हर्जाना देगा, जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के ज़्यादा से ज़्यादा 20% (बीस परसेंट) के बराबर होगा, और ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा रकम पर पहुँचने पर, अथॉरिटी अपने विवेक से और क्लॉज़ 9.2 के प्रोविज़न के तहत, एग्रीमेंट को खत्म कर सकती है। बशर्ते कि अगर अथॉरिटी क्लॉज़ 4.1.2 में बताई गई कंडीशंस प्रीसीडेंट को पूरा करने में देरी करती है, जिसका सीधा असर क्लॉज़ 4.1.3 के तहत रियायतग्राही द्वारा पूरी की जाने वाली किसी भी कंडीशंस प्रीसीडेंट को पूरा करने पर पड़ता है, तो रियायतग्राही को इस क्लॉज़ 4.2 के तहत कोई डैमेज तब तक नहीं देना होगा जब तक अथॉरिटी क्लॉज़ 4.1.2 में बताई गई कंडीशंस प्रीसीडेंट को पूरा नहीं कर लेती। इस क्लॉज़ 4.2 के तहत डैमेज का पेमेंट इस एग्रीमेंट के किसी भी दूसरे प्रोविज़न के तहत रियायतग्राही की जिम्मेदारियों से अलग है। इसके तहत दिया जाने वाला डैमेज, रियायतग्राही द्वारा देरी के लिए अथॉरिटी के पास मौजूद एकमात्र उपाय होगा।

4.3 देरी होने पर माना गया टर्मिनेशन

4.3.1 क्लॉज़ 4.2 के नियमों पर बिना किसी असर के, और क्लॉज़ 9.1 और क्लॉज़ 9.2 के नियमों के तहत, पार्टियां साफ़ तौर पर सहमत हैं कि अगर इस एग्रीमेंट के लागू होने की तारीख से 270 (दो सौ सत्तर) दिन या इस एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार या पार्टियों के बीच किसी और तरह से तय की गई अवधि खत्म होने से पहले, किसी भी वजह से, पहले की शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो इस एग्रीमेंट के तहत या इससे मिलने वाले कंसेशनर के सभी अधिकार, खास अधिकार, दावे और हक, कंसेशनर की सहमति से छोड़ दिए गए माने जाएंगे और खत्म हो जाएंगे, और यह एग्रीमेंट पार्टियों की आपसी सहमति से खत्म माना जाएगा।

लेकिन, अगर कंडीशंस प्रीसीडेंट को पूरा करने में देरी कंसेशनर की वजह से होती है, तो ऊपर दिए गए क्लॉज़ 4.2 के नियमों के बावजूद, कंसेशनर की परफॉर्मंस सिक्योरिटी को अथॉरिटी द्वारा डैमेज के तौर पर कैश और इस्तेमाल किया जाएगा।

4.3.2 ऐसे टर्मिनेशन पर: हर बोलीदाता (सिलेक्टेड बिडर) और रियायतग्राही को, अगर कोई देनदारी (लायबिलिटी) बनी है, तो उसे, किसी भी तरह से, ऐसे टर्मिनेशन के 7 (सात) दिनों के अंदर खत्म करना होगा।

4.4 अथॉरिटी द्वारा देरी के लिए हर्जाना

अगर (i) अथॉरिटी, क्लॉज़ 4.1.2 में बताई गई किसी भी या सभी सप्रतिबंधी नजीर (कंडीशंस प्रीसीडेंट) को तय समय के अंदर पूरा नहीं कर पाती है, और (ii) रियायतग्राही द्वारा देरी इस एग्रीमेंट के उल्लंघन या फ़ोर्स मेज्योर(अपरिहार्य परिस्थितियों) की वजह से नहीं हुई है, तो अथॉरिटी रियायतग्राही को हर दिन की देरी के लिए परफॉर्मंस सिक्योरिटी के 0.1% (ज़ीरो पॉइंट एक परसेंट) की दर से कैलकुलेट की गई रकम का पेमेंट करेगी, जब तक कि ऐसी सप्रतिबंधी नजीर (कंडीशंस प्रीसीडेंट) पूरी न हो जाएं, जो परफॉर्मंस सिक्योरिटी का ज़्यादा से ज़्यादा 20% (बीस परसेंट) हो सकता है।

अनुच्छेद 5. रियायतग्राही के दायित्व

5.1 रियायतग्राही के दायित्व

5.1.1 इस एग्रीमेंट के नियमों और शर्तों के तहत, रियायतग्राही अपने खर्च पर, लागू परमिट, लागू कानूनों, इस एग्रीमेंट के नियमों के अनुसार, हवाई अड्डे के ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस खरीदेगा और उसे पूरा करेगा। साथ ही, इस एग्रीमेंट में बताई गई या इसके तहत आने वाली अपनी सभी ज़िम्मेदारियों को मानेगा, पूरा करेगा और निभाएगा।

5.1.2 रियायतग्राही इस एग्रीमेंट के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में सभी लागू कानूनों और लागू परमिट (ज़रूरत के हिसाब से रिन्यूअल सहित) का पालन करेगा।

5.1.3 कंसेशनर, इस एग्रीमेंट के लागू रहने के दौरान, ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी, लागू परमिट में बताई गई सभी शर्तों का पालन करेगा।

5.1.4 इस एग्रीमेंट या लागू कानूनों में दिए गए किसी और प्रावधान को छोड़कर, जैसा भी मामला हो, रियायतग्राही इस एग्रीमेंट के तहत अपनी सभी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, हर समय गुड इंडस्ट्री प्रैक्टिस का पालन करेगा।

5.1.5 रियायतग्राही समय-समय पर इस एग्रीमेंट और गुड इंडस्ट्री प्रैक्टिस के प्रोविज़न के अनुसार एरोनॉटिकल एसेट्स और नॉन-एरोनॉटिकल एसेट्स का एक्सपेंशन या ऑगमेंटेशन करेगा।

5.1.6 इस एग्रीमेंट में साफ़ तौर पर दिए गए नियमों के अलावा, रियायतग्राही को इस एग्रीमेंट के रहने के दौरान, हवाई अड्डे, किसी भी एरोनॉटिकल सर्विस, नॉन-एरोनॉटिकल सर्विस और दूसरी सर्विस, या उनमें स्टोर किए गए सामान के संबंध में, जो किसी भी सरकारी संस्था द्वारा लगाया जा सकता है, सभी टैक्स और दूसरे सभी कानूनी चार्ज, बकाया, असेसमेंट या खर्च देने होंगे।

5.1.7 रियायतग्राही अपने स्वयं के खर्च और व्यय पर, इस अनुबंध में अन्यत्र निर्धारित अपने दायित्वों के अतिरिक्त तथा उनके न्यूनीकरण में नहीं, बल्कि निम्नलिखित कार्य करेगा:

(क) लागू परमिट प्राप्त करने के लिए आवश्यक विवरणों और ब्यौरों के साथ संबंधित सरकारी निकायों को आवश्यक आवेदन करेगा या करवाएगा, और लागू कानूनों के अनुरूप ऐसे लागू परमिट प्राप्त करेगा तथा उन्हें लागू रखेगा;

(ख) आवश्यकतानुसार, हवाई अड्डे में प्रयुक्त या शामिल की गई सामग्री, विधियों, प्रक्रियाओं, तकनीकी जानकारी और प्रणालियों के लिए उचित मालिकाना अधिकार, लाइसेंस, समझौते और अनुमतियां प्राप्त करना;

(ग) वित्तपोषण समझौतों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करना;

(घ) इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के संबंध में अपने या अपने ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मियों के बीच सामंजस्य और अच्छे औद्योगिक संबंध बनाए रखने के लिए उचित प्रयास करना;

(ड) यह सुनिश्चित करना और सुनिश्चित करना कि उसके ठेकेदार इस समझौते के तहत किसी भी रियायतग्राही के दायित्वों के प्रदर्शन में सभी लागू परमिटों और लागू कानूनों का अनुपालन करते हैं;

(च) इस समझौते के प्रावधानों के अनुरूप हमेशा तरीके से कार्य करें और जानबूझकर या अन्यथा ऐसा कोई कार्य, काम या बात न करें या करने में विफल न हों, जिससे इस समझौते की किसी भी शर्त का उल्लंघन हो;

(छ) यह सुनिश्चित करना कि हवाई अड्डे के अंदर सभी सुविधाओं और सुख-सुविधाओं का संचालन और रखरखाव इस समझौते और इंडस्ट्री के अच्छे तौर-तरीकों के अनुसार किया जाए और यह पक्का करना कि उपयोगकर्ताओं (यूजर्स) को इस समझौते, लागू कानूनों और लागू परमिट के प्रावधानों के अनुसार इनका इस्तेमाल करने के लिए गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच प्राप्त हो;

(ज) यह सुनिश्चित करना कि उपयोगकर्ताओं के साथ उचित शिष्टाचार और विचार के साथ व्यवहार किया जाए तथा उन्हें सेवाओं और सूचनाओं तक आसान पहुंच प्रदान की जाए;

(झ) यह सुनिश्चित करना कि यूजर्स के साथ उचित शिष्टाचार और सम्मान से पेश आया जाए और उन्हें सेवाओं और जानकारी तक आसानी से पहुँच मिले;

(ञ) इस समझौते, लागू कानूनों और लागू परमिट के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे पर वैमानिक सेवाएँ और गैर- वैमानिक सेवाएँ प्रदान करना या उपलब्ध करवाना;

(ट) हवाई अड्डे पर आरक्षित सेवाओं (Reserved Services) को उपलब्ध कराने और उनके संचालन के लिए अथॉरिटी या भारत सरकार की नामित एजेंसी (जैसा भी मामला हो) को हर तरह का सहयोग और सहायता प्रदान करना;

(ठ) क्लॉज़ 18.12.1 के तहत, हवाई अड्डे को बिजली, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, पानी और दूसरी ऐसी यूटिलिटीज़ की सप्लाई इस एग्रीमेंट की तारीख के लेवल से कम नहीं होगी। इसमें वैमानिक सेवाएँ और गैर- वैमानिक सेवाएँ के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी ऐसी यूटिलिटीज़ की सप्लाई के लिए स्टैंडबाय इंतज़ाम करना शामिल है, अगर सप्लाई में रुकावट या फेलियर हो, और हवाई अड्डे और अलग-अलग वैमानिक सेवाएँ और गैर- वैमानिक सेवाएँ के यूजर्स के लिए लागू कानूनों के हिसाब से ऐसी यूटिलिटीज़ की उपलब्धता (अवेलेबिलिटी) का भी इंतज़ाम करना शामिल है:

बशर्ते कि यह दायित्व केवल उस तारीख से शुरू होगा जो सीओडी से 6 (छह) महीने है, जिस तारीख तक ऐसी उपयोगिताओं की आपूर्ति प्राधिकरण द्वारा दर्ज मौजूदा व्यवस्था के तहत जारी रहेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि रियायतग्राही उपरोक्त 6 (छह) महीने की अवधि के दौरान ऐसी उपयोगिताओं की आपूर्ति के संबंध में सभी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, इस शर्त के अधीन कि प्रासंगिक चालान प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को ऐसे चालान प्राप्त होने से 7 (सात) दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे;

(ड) इस समझौते, लागू कानूनों और लागू परमिटों के प्रावधानों के अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन और संचालन में प्राधिकरण का समर्थन, सहयोग और सुविधा प्रदान करना;

(ढ) इस एग्रीमेंट के खत्म होने पर, इसके प्रोविज़न के अनुसार, प्रोजेक्ट एसेट्स को अथॉरिटी को ट्रांसफर करना; और

(ण) मौजूदा हवाई अड्डे एसेट्स का ऑपरेट करना, मेंटनेंस करना और रिनोवेशन करना (अगर ज़रूरी हो तो), जिसमें टर्मिनल बिल्डिंग, रनवे, कार्गो टर्मिनल, कार पार्क, एप्रन, टैक्सीवे और शेड्यूल 'ए'(A) के एनेक्सर । में दिए गए दूसरे हवाई अड्डे एसेट्स शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

5.2 प्रोजेक्ट एग्रीमेंट से संबंधित दायित्व

5.2.1 रियायतग्राही , इस एग्रीमेंट के समय के दौरान, प्रोजेक्ट एग्रीमेंट या किसी दूसरे एग्रीमेंट में लिखी किसी भी बात के बावजूद, इस एग्रीमेंट के तहत अपनी सभी ज़िम्मेदारियों के लिए ज़िम्मेदार और लायबल होगा, और किसी भी प्रोजेक्ट एग्रीमेंट या किसी दूसरे एग्रीमेंट के तहत कोई भी गलती रियायतग्राही को उसकी ज़िम्मेदारियों या लायबिलिटी से छूट नहीं देगी या अथॉरिटी की तरफ से कोई और ज़िम्मेदारी या लायबिलिटी नहीं लगाएगी।

5.2.2 इस एग्रीमेंट के शेड्यूल में शामिल प्रोजेक्ट एग्रीमेंट को छोड़कर, अथॉरिटी को समय-समय पर सभी प्रोजेक्ट एग्रीमेंट के ड्राफ्ट, या उनमें किसी भी बदलाव या बदलाव को देखने का अधिकार होगा, लेकिन यह उसकी ज़िम्मेदारी नहीं होगी। अथॉरिटी के पास यह अधिकार भी है कि वह प्रोजेक्ट एग्रीमेंट के ड्राफ्ट को एक्सेस कर सके।

सभी एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, सब-लीज़, सब-लाइसेंस और किसी भी दूसरे ज़रूरी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की सही कॉपी मांगना और लेना, जो कंसेशनर ने किसी भी व्यक्ति के साथ प्रोजेक्ट से जुड़े, उससे पैदा होने वाले या उससे जुड़े मामलों के संबंध में किए हों, भले ही कॉन्ट्रैक्ट का कुल खर्च सालाना Rs. 25,00,00,000/- (Rs. पच्चीस करोड़) से कम हो।

5.2.2 इस एग्रीमेंट के साथ शेड्यूल के तौर पर जुड़े प्रोजेक्ट एग्रीमेंट को छोड़कर, अथॉरिटी के पास समय-समय पर सभी प्रोजेक्ट एग्रीमेंट के ड्राफ्ट, या उनमें किए गए किसी भी बदलाव या रिप्लेसमेंट को देखने का अधिकार होगा, लेकिन यह उसकी बाध्यता नहीं होगी। अथॉरिटी के पास उन सभी एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, सब-लीज़, सब-लाइसेंस और किसी भी अन्य महत्वपूर्ण एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की असली कॉपी मांगने और हासिल करने का अधिकार भी सुरक्षित है, जो रियायतग्राही ने प्रोजेक्ट से जुड़े, उससे पैदा होने वाले या उससे संबंधित मामलों के लिए किसी व्यक्ति के साथ किए हों, भले ही कॉन्ट्रैक्ट की सालाना कीमत 25,00,00,000 रुपये (पच्चीस करोड़ रुपये) से कम हो।

5.2.3 रियायतग्राही अथॉरिटी को पहले से लिखकर जानकारी दिए बिना किसी भी फाइनेंसिंग एग्रीमेंट में कोई बदलाव, रिप्लेसमेंट या बदलाव नहीं करेगा।

5.2.4 हवाई अड्डे के ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के मकसद से, जिसमें एरोनॉटिकल सर्विसेज़ और नॉन-एरोनॉटिकल सर्विसेज़ शामिल हैं, इस एग्रीमेंट में बताई गई बातों को छोड़कर, रियायतग्राही किसी भी प्रोजेक्ट एसेट पर कोई एन्कम्ब्रेंस नहीं डालेगा या किसी भी तरह से नहीं बनाएगा। यह साफ़ किया जाता है कि यह क्लॉज़ सिटी साइड डेवलपमेंट पर लागू नहीं होगा, जो क्लॉज़ 25.6 के तहत आएगा।

5.2.5 रियायतग्राही यह पक्का करेगा कि, उन प्रोजेक्ट एग्रीमेंट को छोड़कर जिनमें अथॉरिटी या कोई सरकारी कंपनी एक पार्टी है, हर प्रोजेक्ट एग्रीमेंट में ऐसे नियम होंगे जो अथॉरिटी को टर्मिनेशन या सस्पेंशन ("कवनेंट") की स्थिति में, अपने विवेक से, रियायतग्राही की जगह लेने का अधिकार देंगे। यह साफ़ तौर पर सहमति है कि अगर अथॉरिटी ट्रांसफर की तारीख से 90 (नब्बे) दिनों से ज्यादा समय के अंदर बदलने के ऐसे अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करती है, तो प्रोजेक्ट एग्रीमेंट ट्रांसफर की तारीख से लागू नहीं माने जाएंगे और अथॉरिटी पर कोई

भी ज़िम्मेदारी नहीं होगी और कवनेंट में ऐसी स्थिति के लिए साफ तौर पर प्रावधान होगा। रियायतग्राही स्पष्ट रूप से ऐसे सभी परियोजना करारों में अनुबंध को शामिल करने के लिए सहमत है और यह वचन देता है कि वह ऐसे प्रत्येक परियोजना करार के संबंध में, प्राधिकरण को ऐसे प्रत्येक परियोजना करार के प्रतिपक्ष(यों) से प्राधिकरण को स्वीकार्य प्रपत्र में एक पावती और वचनपत्र प्राप्त करेगा और उसे सौंपेगा, जिसके तहत ऐसे प्रतिपक्ष(यों) अनुबंध को अभिस्वीकृत और स्वीकार करेंगे तथा उससे बाध्य रहने तथा समाप्ति या निलंबन की स्थिति में प्राधिकरण से किसी भी प्रकार की राहत या उपाय की मांग नहीं करने का वचन देंगे।

यह साफ किया जाता है कि यह एग्रीमेंट सभी एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, सब-लीज़, सब-लाइसेंस और किसी भी दूसरे ज़रूरी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होगा, जो रियायतग्राही किसी भी व्यक्ति के साथ सिटी साइड डेवलपमेंट से जुड़े, उससे जुड़े या उससे जुड़े मामलों के संबंध में कर सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज़ 25.7 के तहत आएंगे।

5.2.6 प्रोजेक्ट एग्रीमेंट के तहत दी गई सिक्योरिटी डिपॉज़िट, किसी भी 3 (तीन) अकाउंटिंग साल की अवधि में, संबंधित प्रोजेक्ट एग्रीमेंट के तहत कंसेशनर को मिलने वाले किराए और दूसरे रेवेन्यू के कुल योग से ज्यादा नहीं होगी।

यह साफ किया जाता है कि यह रोक सभी एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, सब-लीज़, सब-लाइसेंस और किसी भी दूसरे ज़रूरी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट पर लागू होगी, जो कंसेशनर किसी भी व्यक्ति के साथ प्रोजेक्ट से जुड़े, उससे होने वाले या उससे जुड़े मामलों के संबंध में कर सकता है, भले ही कॉन्ट्रैक्ट का मुनाफा सालाना Rs. 25,00,00,000/- (Rs. पच्चीस करोड़) से कम हो।

5.2.7 इस एग्रीमेंट में किसी भी उलटी बात के बावजूद, रियायतग्राही इस बात से सहमत है और मानता है कि किसी भी या सभी EPC कॉन्ट्रैक्टर या O&M कॉन्ट्रैक्टर को चुनना या बदलना और सभी EPC कॉन्ट्रैक्ट या O&M कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना, पब्लिक इंटरेस्ट के नज़रिए से अथॉरिटी की पहले से मंजूरी और नेशनल सिक्योरिटी के नज़रिए से तय GOI एजेंसी की मंजूरी के अधीन होगा। इस बारे में अथॉरिटी और तय GOI एजेंसी का फ़ैसला आखिरी, पक्का और रियायतग्राही के लिए मानना होगा, और रियायतग्राही यह वादा करता है कि वह ऐसी पहले से मंजूरी लिए बिना ऐसे किसी भी चुनाव या कॉन्ट्रैक्ट को लागू नहीं करेगा। यह साफ तौर पर सहमति है कि तय GOI एजेंसी या अथॉरिटी की मंजूरी सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक इंटरेस्ट के नज़रिए तक ही सीमित रहेगी। यह भी सहमति है कि अथॉरिटी ऐसी मंजूरी देने या न देने के लिए किसी भी तरह से ज़िम्मेदार नहीं होगी और ऐसी मंजूरी या मनाही किसी भी तरह से ज़िम्मेदार नहीं होगी।

इस समझौते के तहत रियायतग्राही या उसके ईपीसी ठेकेदारों या ओ एंड एम ठेकेदारों को किसी भी देनदारी या दायित्व से मुक्त किया जाएगा।

5.3 स्वामित्व में परिवर्तन से संबंधित दायित्व

5.3.1 रियायतग्राही अथॉरिटी की पहले से लिखी हुई मंजूरी के बिना, ओनरशिप में कोई बदलाव नहीं करेगा या उसकी इजाज़त नहीं देगा।

5.3.2 इस एग्रीमेंट में किसी भी उलटी बात के बावजूद, रियायतग्राही इस बात से सहमत है और मानता है कि:

(क) किसी एक्वायरर द्वारा इक्विटी के सभी एक्विजिशन, चाहे वह खुद हो या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर, सीधे या इनडायरेक्ट तरीके से, जिसमें किसी भी इक्विटी के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कानूनी या फायदेमंद

ओनरशिप या कंट्रोल का ट्रांसफर शामिल है, जो रियायतग्राही की कुल इक्विटी का कुल मिलाकर 15% (पंद्रह प्रतिशत) या उससे ज्यादा हो; या

(ख) किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वयं अथवा उसके साथ मिलकर कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ मिलकर रियायतग्राही के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी नियंत्रण का अधिग्रहण,

इसे मालिकाना हक में बदलाव माना जाएगा, जिसके लिए सिर्फ जनहित के नज़रिए से अथॉरिटी और राष्ट्रीय सुरक्षा के नज़रिए से भारत सरकार की तय एजेंसी की पहले से मंजूरी लेनी होगी। इस मामले में अथॉरिटी और भारत सरकार की तय एजेंसी का फैसला अंतिम, पक्का और कंसेशनियर (रियायत पाने वाले) पर लागू होगा। कंसेशनियर यह वादा करता है कि वह अथॉरिटी की ऐसी मंजूरी के बिना इक्विटी के अधिग्रहण या कंसेशनियर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर कंट्रोल जैसा कोई भी काम नहीं करेगा। इसके तहत भारत सरकार की तय एजेंसी और अथॉरिटी की मंजूरी क्रमशः सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित के नज़रिए तक ही सीमित होगी, और अथॉरिटी इस पर अपना फैसला जल्द से जल्द बताने की कोशिश करेगी। ऐसी मंजूरी देने, उसमें देरी होने या न देने के कारण अथॉरिटी किसी भी तरह से ज़िम्मेदार नहीं होगी, और ऐसी मंजूरी, देरी, इनकार या किसी भी अन्य स्थिति से कंसेशनियर इस समझौते के तहत किसी भी ज़िम्मेदारी या दायित्व से मुक्त नहीं होगा।

इस क्लॉज़ 5.3.2 के प्रयोजन हेतु :

(i) "अधिग्रहणकर्ता" (acquirer), "कंट्रोल" (control) और "मिलकर काम करने वाला व्यक्ति" (person acting in concert) शब्दों का वही मतलब होगा जो 'सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सबस्टेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर) रेगुलेशंस, 2011' या इक्विटी के अधिग्रहण या कंसेशनियर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर कंट्रोल की तारीख को लागू किसी भी कानूनी दोबारा लागू किए गए नियम में बताया गया है;

(ii) इक्विटी के कानूनी या फ़ायदेमंद मालिकाना हक के अप्रत्यक्ष ट्रांसफर या कंट्रोल का मतलब भारत या विदेश में किसी कंपनी या कंपनियों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष फ़ायदेमंद मालिकाना हक या कंट्रोल का ट्रांसफर होगा, जिसके परिणामस्वरूप अधिग्रहणकर्ता को कंसेशनियर के शेयरों या शेयरों के वोटिंग अधिकारों पर कंट्रोल मिल जाता है; और

(iii) नियुक्ति करने की शक्ति, चाहे वह कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए हो या किसी ऐसी कंपनी के शेयर पर कंट्रोल या उन्हें हासिल करने के कारण हो, जो सीधे या एक या ज्यादा कंपनियों (चाहे वे भारत में हों या विदेश में) के माध्यम से कंसेशनियर की इक्विटी रखती हो; कंसेशनियर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आधे से कम डायरेक्टरों की नियुक्ति, या किसी ऐसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नियुक्ति, जिसका कंसेशनियर की इक्विटी के 15% (पंद्रह प्रतिशत) या उससे ज्यादा हिस्से पर सीधा या अप्रत्यक्ष कंट्रोल हो (चाहे वह कंपनी भारत में हो या विदेश में), को कंसेशनियर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर सीधा या अप्रत्यक्ष कंट्रोल हासिल करना माना जाएगा।

5.3.3 कंसेशनियर इसके ज़रिए सहमत है कि यदि चुना गया बोलीदाता (Selected Bidder) एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है

मुख्य रूप से रियायतग्राही में इक्विटी रखने के प्रयोजनों के लिए स्थापित (ऐसे चयनित बोलीदाता एक "प्रमोटर एसपीवी" हैं), ऐसे प्रमोटर एसपीवी में किसी भी शेयरधारिता का हस्तांतरण इस समझौते के प्रयोजनों के लिए

प्रमोटर एसपीवी द्वारा इक्विटी का अप्रत्यक्ष हस्तांतरण माना जाएगा और इस समझौते में निर्धारित शेयरों के हस्तांतरण पर प्रतिबंधों के अधीन होगा।

5.3.4 पार्टियों का इरादा है कि अगर रियायतग्राही को डेवलपमेंट फंडिंग की ज़रूरत हो, तो वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और/या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज(ज़) पर रियायतग्राही के शेयरों की लिस्टिंग करवा सकता है। ऐसी कोई भी लिस्टिंग क्लॉज़ 5.3.1, 5.3.2 और/या 5.3.3 में बताई गई ज़िम्मेदारियों पर बिना किसी रोक-टोक के होगी।

5.4 शेयरधारिता से संबंधित दायित्व

अथॉरिटी, कंसेशन पीरियड के दौरान किसी भी समय, कंसेशनर की किसी भी कैपिटल ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसी भी तरह का सपोर्ट या गारंटी नहीं देगी।

5.5 डीजीसीए लाइसेंस से जुड़ी ज़िम्मेदारियां

5.5.1 कंसेशनर डीजीसीए से लागू परमिट खरीदेगा और उन्हें लागू रखेगा, और अगर ऐसे लागू परमिट शर्तों के तहत जारी किए जाते हैं, तो कंसेशनर को हर समय ऐसी सभी शर्तों का पालन करना होगा।

5.5.2 कंसेशनर के अनुरोध पर, अथॉरिटी कंसेशनर को डीजीसीए से लागू परमिट पाने के लिए ज़रूरी मदद देने की कोशिश करेगी। यह मदद कंसेशनर के डीजीसीए में पूरी और सही एप्लीकेशन फाइल करने की तारीख से 90 (नब्बे) दिनों के अंदर दी जाएगी।

5.5.3 क्लॉज़ 5.5.1 और क्लॉज़ 5.5.2 के नियम, ज़रूरी बदलावों के साथ, इस एग्रीमेंट के खत्म होने तक लागू परमिट के रिन्यूअल पर लागू होंगे।

5.6 वस्तुओं और सेवाओं की खरीद से संबंधित दायित्व

5.6.1 रियायतग्राही इस बात से सहमत है और वादा करता है कि वह हवाई अड्डे के ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट, सामान और सर्विस सही, ट्रांसपेरेंट और अच्छे तरीके से खरीदेगा, और इस मामले में बिना किसी गलत फायदे या भेदभाव के। इसके लिए, वह सीओडी से 6 (छह) महीने के अंदर, एक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनाएगा जिसमें सामान और सर्विस की सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट देने में अपनाए जाने वाले प्रिंसिपल और प्रोसेस बताए जाएंगे, और पॉलिसी को आम जनता और सभी इंटरेस्टेड पार्टियों की जानकारी के लिए अपनी वेबसाइट पर डालेगा। पॉलिसी में ये शामिल होंगे:

(क) इसमें हवाई अड्डे में निजी संस्थाओं को किसी स्थान, भवन, अधिकारों या विशेषाधिकारों के उप-पट्टे, उप-लाइसेंस या अनुदान या आवंटन के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांत और प्रक्रियाएं शामिल होंगी;

(ख) रियायतग्राही के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

5.6.2 सामान, काम, सर्विस, सब-लीज़, सब-लाइसेंस, या किसी दूसरे अधिकार या खास अधिकार की खरीद के लिए, जहाँ किसी भी अकाउंटिंग ईयर में रकम (जिसमें किसी भी तरह का डिपॉज़िट शामिल है) 25,00,00,000/- रुपये (पच्चीस करोड़ रुपये) से ज्यादा हो (कुल मिलाकर, "कॉन्ट्रैक्ट"), कंसेशनर ई-टेंडरिंग के ज़रिए खुली

कॉम्पिटिटिव बोली लगाकर ऑफ़र बुलाएगा और क्लॉज़ 5.6.1 में बताई गई पॉलिसी के हिसाब से अवॉर्ड पाने वालों को चुनेगा।

5.6.3 पार्टियां इस बात पर सहमत हैं कि रियायतग्राही को एप्लिकैंट्स को सही और ट्रांसपेरेंट तरीके से प्री-क्वालिफाई और शॉर्ट-लिस्ट करना चाहिए, ताकि यह पक्का हो सके कि सिर्फ़ अनुभवी और क्वालिफाइड एप्लिकैंट्स को ही आखिर में आर्म्स लेंथ बेसिस पर चुना जाए, जो कमर्शियली समझदारी भरा हो और यूजर्स के हितों की रक्षा करे।

5.6.4 रियायतग्राही इसके द्वारा किसी दूसरी पार्टी के साथ कोई सब्सिडियरी या जॉइंट वेंचर या इसी तरह का कोई और अरेंजमेंट नहीं करने के लिए सहमत है।

5.7 विदेशी नागरिकों के रोज़गार से जुड़ी ज़िम्मेदारियाँ

रियायतग्राही यह मानता है, सहमत है और वादा करता है कि रियायतग्राही और/या उसके कॉन्ट्रैक्टर और उनके सब-कॉन्ट्रैक्टर द्वारा विदेशी लोगों को नौकरी देने के लिए ज़रूरी रेगुलेटरी परमिट और मंजूरी देनी होगी, जिसमें रोज़गार/रेसिडेंशियल वीज़ा और वर्क परमिट और सिक्योरिटी क्लीयरेंस, अगर कोई हो, शामिल हैं। ऐसी मंजूरी और परमिट के लिए अप्लाई करने और उन्हें पाने की ज़िम्मेदारी हमेशा रियायतग्राही की होगी और, इस एग्रीमेंट में इसके उलट कुछ भी होने के बावजूद, रियायतग्राही या उसके किसी भी कॉन्ट्रैक्टर या सब-कॉन्ट्रैक्टर द्वारा ऐसी कोई भी मंजूरी और परमिट लेने से मना करना या न मिल पाना फ़ोर्स मेज्योर इवेंट नहीं माना जाएगा, और इससे किसी भी तरह से रियायतग्राही को इस एग्रीमेंट के तहत अपनी ज़िम्मेदारियाँ और देनदारियाँ को पूरा करने और उन्हें पूरा करने से छूट नहीं मिलेगी।

5.8 प्रशिक्षित कर्मियों के रोज़गार से संबंधित दायित्व

रियायतग्राही यह पक्का करेगा कि इस एग्रीमेंट के तहत अपनी ज़िम्मेदारियाँ को पूरा करने के लिए उसके द्वारा रखे गए कर्मचारी हर समय अपने-अपने काम के लिए ठीक से ट्रेड हों। रियायतग्राही लोकल कर्मचारियों को काम पर रखने के संबंध में लागू कानूनों और लागू परमिट का पालन करेगा, और प्रोजेक्ट को लागू करने, डेवलपमेंट और ऑपरेशन के दौरान लोकल कर्मचारियों को काम पर रखने की कोशिश करेगा।

5.9 सुरक्षा मंजूरी से संबंधित दायित्व

इस एग्रीमेंट में किसी भी उलटी बात के बावजूद, रियायतग्राही और उसके कॉन्ट्रैक्टर और सब-कॉन्ट्रैक्टर के कर्मचारियों, स्टाफ और लोगों का काम हमेशा लागू कानूनों के तहत ज़रूरी डेज़िग्नेटेड GOI एजेंसी से सिक्योरिटी क्लीयरेंस के अधीन होगा, और सिर्फ़ वैलिड सिक्योरिटी क्लीयरेंस वाले लोगों को ही साइट पर जाने की इजाज़त होगी। यह सहमति है कि रियायतग्राही या उसके किसी भी कॉन्ट्रैक्टर या सब-कॉन्ट्रैक्टर द्वारा ऐसे किसी भी परमिट और अप्रूवल को लेने से मना करना या न कर पाना कोई फ़ोर्स मेज्योर इवेंट नहीं माना जाएगा, और किसी भी तरह से रियायतग्राही को इस एग्रीमेंट के तहत अपनी ज़िम्मेदारियाँ और देनदारियाँ को पूरा करने और उन्हें पूरा करने से छूट नहीं देगा। हालाँकि, यह बताया गया है कि यहाँ दी गई रोक साइट का हिस्सा बनने वाले सिटी साइड डेवलपमेंट पर लागू नहीं होगी।

5.10 गैर-भेदभावपूर्ण पहुँच से संबंधित दायित्व

लागू परमिट के तहत, रियायतग्राही हवाई अड्डे को एक कॉमन यूज़र बेसिस पर ऑपरेट और मैनेज करेगा और इस एग्रीमेंट के प्रोविज़न के अनुसार सभी एयरलाइंस, एयरक्राफ्ट और दूसरे लोगों को बिना भेदभाव वाला एक्सेस देगा और किसी भी यूज़र या उसके होने वाले यूज़र के खिलाफ कोई भी गलत या भेदभाव वाला तरीका अपनाने से बचेगा।

5.11 चिकित्सा सहायता से संबंधित दायित्व

यूज़र्स को इमरजेंसी मेडिकल मदद देने के लिए, रियायतग्राही हवाई अड्डे पर एक मेडिकल एड पोस्ट बनाएगा और चलाएगा, जो फर्स्ट एड देने और आस-पास के हॉस्पिटल से इमरजेंसी मेडिकल मदद लेने में मदद करने के लिए तैयार होगा।

5.12 हवाई अड्डे की खूबसूरती से जुड़ी ज़िम्मेदारियां

रियायतग्राही हवाई अड्डे के लुक और खूबसूरती में हाई स्टैंडर्ड बनाए रखेगा और सही डिज़ाइन और सभी दिखने वाली चीज़ों के सेंसिटिव मैनेजमेंट के ज़रिए हवाई अड्डे को आस-पास के लैंडस्केप के कैरेक्टर के साथ इंटीग्रेट करेगा।

रियायतग्राही जाने-माने प्रोफेशनल आर्किटेक्ट और टाउन प्लानर को हायर करेगा ताकि यह पक्का हो सके कि हवाई अड्डे का डिज़ाइन ऊपर बताए गए एस्थेटिक स्टैंडर्ड को पूरा करता है।

5.13 शोर नियंत्रण से संबंधित दायित्व

रियायतग्राही, हवाई अड्डे से होने वाले शोर और यूज़र्स और आस-पड़ोस पर पड़ने वाले उसके असर को कंट्रोल करने और कम करने के लिए लागू कानूनों और गुड इंडस्ट्री प्रैक्टिस के अनुसार सभी ज़रूरी कदम उठाएगा।

5.14 कंसेशनर का एकमात्र उद्देश्य

5.14.1 रियायतग्राही को सिर्फ़ इस एग्रीमेंट के तहत अधिकारों का इस्तेमाल करने, अपनी ज़िम्मेदारियों और देनदारियों को पूरा करने और पूरा करने के मकसद से बनाया गया है, यानी हवाई अड्डे का ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट। रियायतग्राही इसके ज़रिए यह सहमत है कि वह किसी भी एंटीटी में कोई शेयरहोल्डिंग इंटरेस्ट या किसी और तरह का कोई अरेंजमेंट नहीं रखेगा, या किसी भी व्यक्ति के साथ कोई और अरेंजमेंट नहीं रखेगा, जिससे वह कोई और बिज़नेस एक्टिविटी कर सके।

5.14.2 रियायतग्राही इस बात से सहमत है कि वह किसी दूसरी पार्टी के साथ कोई सब्सिडियरी या जॉइंट वेंचर या इसी तरह का कोई और अरेंजमेंट नहीं करेगा।

5.15 हवाई अड्डे की ब्रांडिंग

5.15.1 हवाई अड्डे या उसके किसी भी हिस्से को रियायतग्राही या उसके शेयरहोल्डर्स के नाम या पहचान को एडवर्टाइज़ करने, दिखाने या दिखाने के लिए किसी भी तरह से ब्रांड नहीं किया जाएगा। नॉर्मल बिज़नेस के दौरान ज़रूरी होने पर और हमेशा अथॉरिटी के नाम के साथ, रियायतग्राही यह वादा करता है कि वह किसी भी तरह

से हवाई अड्डे के नाम या पहचान का इस्तेमाल अपनी पहचान, ब्रांड इक्विटी या बिज़नेस इंटरेस्ट, जिसमें उसके शेयरहोल्डर्स के इंटरेस्ट भी शामिल हैं, को एडवर्टाइज़ करने या दिखाने के लिए नहीं करेगा।

5.15.2 हवाई अड्डे को हर समय सिर्फ़ “ मंगलुरु इंटरनेशनल हवाई अड्डे ” के नाम से ही जाना, प्रमोट, दिखाया, एडवर्टाइज़ और ब्रांड किया जाएगा, और रियायतग्राही हर समय, किसी भी एडवर्टाइज़मेंट, डिस्प्ले, रिफ्लेक्शन, ब्रांडिंग या किसी और मकसद के लिए, हवाई अड्डे को उसी नाम से दिखाएगा। अगर वह यूजर्स के लिए दूसरी पब्लिक नोटिस दिखाने वाली जगहों पर अपना या अपने शेयरहोल्डर्स का नाम दिखाना चाहता है, तो उससे पहले अथॉरिटी का नाम लिखा जाएगा।

5.15.3 रियायतग्राही यह पक्का करेगा कि हवाई अड्डे पर या उसके संबंध में किसी भी विज्ञापन, डिस्प्ले या किसी और चीज़ में अथॉरिटी का लोगो उसी रूप और तरीके से होगा, जैसा अथॉरिटी समय-समय पर बताएगी।

5.16 दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए सुविधाएं

कंसेशनर, मिनिस्ट्री ऑफ़ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट या उसके किसी विकल्प द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों और गाइडलाइंस के अनुसार, हवाई अड्डे इस्तेमाल करने वाले दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए बिना रुकावट वाला माहौल बनाएगा।

अनुच्छेद 6. प्राधिकरण के दायित्व

6.1 प्राधिकरण के दायित्व

6.1.1 अथॉरिटी अपने खर्च पर इस एग्रीमेंट में बताई गई या इसके तहत आने वाली सभी ज़िम्मेदारियों का पालन करेगी और उन्हें पूरा करेगी।

6.1.2 प्राधिकरण रियायतग्राही को समर्थन प्रदान करने के लिए सहमत है और इस समझौते और लागू कानूनों के प्रावधानों के अधीन और उसके अनुसार, निम्नलिखित का पालन, अनुपालन और प्रदर्शन करने का वचन देता है:

(क) रियायतग्राही से लिखित अनुरोध पर और रियायतग्राही द्वारा लागू कानूनों का अनुपालन करने के अधीन, रियायतग्राही की लागत और खर्च पर, हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए किसी भी सरकारी संस्था से आवश्यक लागू परमिट प्राप्त करने के लिए उचित समर्थन और सहायता प्रदान करना;

(ख) रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर, रियायतग्राही को पानी और बिजली सहित सभी आवश्यक अवसंरचना सुविधाओं और उपयोगिताओं तक पहुँच प्राप्त करने में उचित सहायता प्रदान करना, दरों और शर्तों पर जो रियायतग्राही के लिए सामान्य रूप से समान उपयोगिता ग्राहकों को उपलब्ध दरों और शर्तों से कम अनुकूल नहीं होनी चाहिए, जो कि लगभग समान सेवाएँ प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि सुरक्षा आवश्यकताओं, आपातकाल, राष्ट्रीय सुरक्षा या कानून और व्यवस्था के कारणों को छोड़कर, किसी भी सरकारी संस्था या उसके माध्यम से या उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा हवाई अड्डे पर या उसके आसपास कोई अवरोध खड़ा नहीं किया जाएगा या रखा नहीं जाएगा;

(घ) लागू कानूनों और लागू परमिटों के अधीन और उनके अनुसार, रियायतग्राही को साइट और हवाई अड्डे पर उपयोगकर्ताओं को विनियमित करने का अधिकार प्रदान करना;

(ङ) उपयोगकर्ताओं के विनियमन, अतिचारियों को हटाने तथा हवाई अड्डे पर या उस पर सुरक्षा के लिए नामित भारत सरकार एजेंसी से सहायता प्राप्त करने में रियायतग्राही की मदद करना;

(च) ऐसा कोई कार्य, कर्म या बात न करना या करने से चूकना, जो किसी भी तरह से इस समझौते के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता हो;

(छ) इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार लागू कानूनों और लागू परमिटों के अनुसार हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास में रियायतकर्ता का समर्थन, सहयोग और सुविधा प्रदान करना;

(ज) रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर और क्लॉज़ 5.7 के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही और रियायतग्राही या उसके कॉन्ट्रैक्टर्स के किसी भी प्रवासी कर्मचारी को इस एग्रीमेंट और प्रोजेक्ट एग्रीमेंट के तहत अपने-अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए लागू वीज़ा और वर्क परमिट पाने में उचित मदद देना;

(झ) सीओडी के 12 (बारह) हफ्तों के अंदर, इक्विपमेंट की वारंटी और मटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बेनिफिशियरी के तौर पर कंसेशनर को नॉमिनेट करें, और अगर किसी वजह से ऐसा नॉमिनेशन मुमकिन न हो, तो यह पक्का

करें कि इक्विपमेंट के बारे में ऐसी वारंटी और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से मेंटेन और मैनेज किए जाएं, ताकि इक्विपमेंट का मेंटेनेंस, जैसा भी मामला हो, ऐसी वारंटी या कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हो; और

(ज) रियायतग्राही को हवाई अड्डे के सभी 'निर्मित' चित्र उपलब्ध कराने का प्रयास करना, जिसमें मौजूदा सुविधाओं, उपयोगिताओं और सेवाओं के विनिर्देश शामिल हैं

6.2 सीओडी से पहले रखरखाव की ज़िम्मेदारियाँ

सीओडी से पहले, अथॉरिटी अपने खर्च पर हवाई अड्डे का मेंटेनेंस करेगी, ताकि बिड की ड्यू डेट से 7 (सात) दिन पहले की हालत की तुलना में इसकी हालत कभी भी बहुत खराब न हो, और नॉर्मल टूट-फूट के अलावा किसी भी तरह की खराबी या नुकसान होने पर, उसकी मरम्मत करेगी, या सीओडी के बाद ऐसी मरम्मत के लिए इंडिपेंडेंट इंजीनियर द्वारा तय की गई लागत और खर्च रियायतग्राही को देगी। अथॉरिटी सीओडी से पहले सिर्फ रूटीन मेंटेनेंस करेगी, और यह सिर्फ हवाई अड्डे के सुरक्षित ऑपरेशन को पक्का करने के लिए, या बाढ़ या तेज़ बारिश जैसी अचानक होने वाली घटनाओं की वजह से बहुत ज़्यादा खराबी या नुकसान होने पर ही खास मरम्मत करेगी।

6.3 आरक्षित सेवाओं से संबंधित दायित्व

6.3.1 इस समझौते, लागू कानूनों और लागू परमिटों के प्रावधानों के अधीन और उनके अनुसार, प्राधिकरण नामित भारत सरकार एजेंसी के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं, अनुच्छेद 20 के प्रावधानों के अनुसार सीएनएस/एटीएम सेवाओं की खरीद में समर्थन प्रदान करेगा, और हर समय यह सुनिश्चित करेगा कि हवाई यातायात को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए सशक्त नामित भारत सरकार एजेंसी लागू कानूनों, लागू परमिटों और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार रनवे पर विमानों की आवाजाही को सक्षम करेगी।

6.3.2 आर्टिकल 20 के प्रोविज़न के तहत, अथॉरिटी इस एग्रीमेंट और लागू कानूनों और लागू परमिट के प्रोविज़न के अनुसार सभी रिज़र्व्ड सर्विसेज़ के परफॉर्मंस के लिए सपोर्ट देगी।

6.3.3 अथॉरिटी इस बात से सहमत है और यह वादा करती है कि रियायतग्राही को इस एग्रीमेंट, लागू कानूनों और लागू परमिट के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करने के लिए, अथॉरिटी अपने काम अच्छे से और गुड इंडस्ट्री प्रैक्टिस के अनुसार करेगी।

6.4 मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में दायित्व

6.4.1 अथॉरिटी, शुरुआती समय के दौरान, मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपनी सभी ज़िम्मेदारियों को पूरा करेगी और उनका पालन करेगी, और अपने खर्च पर, रियायतग्राही के पक्ष में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का नोवेशन करवाएगी, जो सीओडी से लागू होंगे और बाकी समय तक लागू रहेंगे। पार्टियां इस क्लॉज़ 6.4.1 के तहत मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट ("नोवेटेड कॉन्ट्रैक्ट") के नोवेशन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को पूरा करने के लिए सहमत हैं। रियायतग्राही इसके संबंध में देय सभी स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करेगा।

6.4.2 अगर अथॉरिटी ऊपर बताए गए ("नॉन-नोवेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स") के हिसाब से किसी मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट का नोवेशन नहीं करवा पाती है, तो वह सीओडी से एक पावर ऑफ़ अटॉर्नी जारी करेगी, जिसमें रियायतग्राही (अपने ऑथराइज़्ड रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए काम करते हुए) को अपना अटॉर्नी और एजेंट बनाया जाएगा, जिसके पास नॉन-नोवेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स के दायरे तक सभी मकसदों और मकसदों के लिए उसकी ओर से काम करने की पावर होगी,

जिसमें ऐसे किसी भी नॉन-नोवेटेड कॉन्ट्रैक्ट के तहत समय-समय पर अथॉरिटी को मिलने वाले सभी फ़ायदों को लेने और ऐसे नॉन-नोवेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स को उनकी शर्तों के हिसाब से खत्म करने की पावर भी शामिल है। रियायतग्राही ऐसे पावर ऑफ़ अटॉर्नी के संबंध में देय सभी स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करेगा।

6.4.3 सीओडी के दिन से, रियायतग्राही अपने रिस्क और खर्च पर (i) नोवेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत अपनी सभी ज़िम्मेदारियों को पूरा करेगा; और (ii) नॉन-नोवेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत अथॉरिटी की सभी ज़िम्मेदारियों को पूरा करेगा, जैसे कि रियायतग्राही ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स का ओरिजिनल पार्टी हो। रियायतग्राही सहमत है और यह ज़िम्मेदारी लेता है कि वह सरकारी क्षतिपूर्ति वाले लोगों को किसी भी और सभी मुकदमों, कार्यवाही, एक्शन के खिलाफ़ हर्जाना देगा, उनका बचाव करेगा, उन्हें बचाएगा और उन्हें नुकसान से बचाएगा।

सीओडी के बाद उत्पन्न होने वाले किसी भी नवीकृत अनुबंध या गैर-नवीकृत अनुबंध के तहत या उससे संबंधित किसी भी प्रकार और प्रकृति के किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और व्यय के लिए मांग और दावे, सीओडी के बाद उत्पन्न होने वाले लेकिन सीओडी से पहले प्राधिकरण के किसी भी कार्य या चूक से संबंधित किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और व्यय को छोड़कर। यह स्पष्ट किया जाता है कि, जब तक उन्हें ऐसे समझौतों की शर्तों के अनुसार पहले समाप्त नहीं किया जाता है, नवीकृत अनुबंध और गैर-नवीकृत अनुबंध उनकी समाप्ति तक अस्तित्व में रहेंगे। ऐसी समाप्ति या समाप्ति के अनुसरण में, रियायतग्राही अपने विवेक पर, किसी भी तीसरे पक्ष के साथ, संबंधित नवीकृत अनुबंध और/या गैर-नवीकृत अनुबंध के विषय वस्तु के संबंध में कोई भी अनुबंध ऐसे नियमों और शर्तों पर कर सकता है, जैसा वह ठीक समझे।

6.4.4 अथॉरिटी कोशिश करेगी कि (i) ऐसे किसी भी मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू न करे जो सीओडी के 6 (छह) महीने के अंदर खत्म होने वाले हैं या जो शुरुआती समय के दौरान खत्म हो गए हैं; और/या (ii) रियायतग्राही की पहले से लिखी हुई मंजूरी के बिना, तीसरे पक्ष के साथ नए कॉन्ट्रैक्ट न करे, जिन्हें बिना वजह रोका या देर नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि हवाई अड्डे के सुरक्षित, आसान और बिना रुकावट के काम करने के लिए मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने और/या नया कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत हो। लेकिन, यह भी ध्यान रखें कि जहाँ नया कॉन्ट्रैक्ट करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए ऊपर बताई गई बातों के हिसाब से रियायतग्राही की पहले से लिखी हुई मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नया कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ़ किसी ऐसे मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट के बदले में होगा जो शुरुआती समय के दौरान खत्म हो गया है या खत्म हो गया है, और ऐसा नया कॉन्ट्रैक्ट, पूरा होने पर, मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इसके अलावा, अगर किसी मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने की कोशिश की जाती है और/या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए इस सब-क्लॉज के नियमों के मुताबिक रियायतग्राही की पहले से लिखी हुई मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है, तो अथॉरिटी यह पक्का करेगी कि: (i) ऐसे रिन्यू किए गए मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट और/या नए कॉन्ट्रैक्ट का समय 365 (तीन सौ पैंसठ) दिनों से ज्यादा नहीं होगा; और (ii) मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने और/या नए कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से पहले, अथॉरिटी रियायतग्राही से सलाह लेगी और उसके कमेंट्स पर विचार करेगी, जिसके लिए अथॉरिटी रियायतग्राही को नीचे दिए गए हर काम के लिए 15 (पंद्रह) बिज़नेस डेज़ देगी:

(क) नये अथवा विद्यमान अनुबंध के प्रस्तावित मसौदे की समीक्षा;

(ख) अथॉरिटी से क्लैरिफ़िकेशन मांगना; और

अथॉरिटी द्वारा दी गई क्लैरिफ़िकेशन को ध्यान में रखते हुए रियायतग्राही के फाइनल कमेंट्स जमा करना ।

6.4.5 कार्य प्रगति पर

इस क्लॉज़ 6.4 में किसी भी उलटी बात के बावजूद, रियायतग्राही अथॉरिटी को ऐसी रकम देने के लिए ज़िम्मेदार होगा, जो शेड्यूल T में बताए गए कामों से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में सीओडी पर अथॉरिटी द्वारा खर्च की गई हो। ऐसी रकम की जानकारी अथॉरिटी द्वारा सीओडी के 30 (तीस) दिनों के अंदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स के साथ दी जाएगी और रियायतग्राही द्वारा अथॉरिटी को 90 (नब्बे) दिनों के अंदर देनी होगी।

पार्टियां एक कमेटी बनाएंगी जिसमें रियायतग्राही, अथॉरिटी और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के तहत हर काउंटरपार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, यह कमेटी इन चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार होगी: (a) एएआई, रियायतग्राही और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के तहत काउंटरपार्टी के बीच किसी भी चर्चा और/या बातचीत को आसान बनाना, जिसमें काम में कोई भी बदलाव शामिल है; और (ख) ऐसे चल रहे कामों की प्रोग्रेस को कोऑर्डिनेट करना, आसान बनाना और मॉनिटर करना। सीओडी के बाद ऐसे चल रहे कामों को पूरा करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा खर्च उठाने के लिए रियायतग्राही ज़िम्मेदार होगा।

रियायतग्राही द्वारा अथॉरिटी को उन अमाउंट का रीइम्बर्समेंट करने पर, जो अथॉरिटी ने सीओडी के तहत ऊपर बताए गए वर्क-इन-प्रोग्रेस एसेट्स के लिए खर्च किए होंगे,

और रियायतग्राही द्वारा ऐसे प्रगतिरत कार्यों के पूरा होने पर, ऐसी प्रगतिरत कार्य संपत्तियां हवाई अड्डे का हिस्सा बन जाएंगी।

रियायतग्राही द्वारा अथॉरिटी को रीइम्बर्स की गई रकम और ऐसे वर्क-इन-प्रोग्रेस एसेट्स को पूरा करने के लिए रियायतग्राही द्वारा खर्च की गई अतिरिक्त रकम को, रेगुलेटर द्वारा एयरोनॉटिकल चार्ज तय करने के मकसद से ऐसे एसेट्स बनाने में रियायतग्राही द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। अगर इस क्लॉज़ 6.4.5 के तहत रियायतग्राही द्वारा अथॉरिटी को रीइम्बर्स की गई रकम का कोई भी हिस्सा अथॉरिटी की तरफ से किसी काम या चूक की वजह से रेगुलेटर द्वारा पास-थ्रू के लिए नहीं माना जाता है, तो रियायतग्राही द्वारा अथॉरिटी को रीइम्बर्स की गई रकम और रेगुलेटर द्वारा पास-थ्रू के लिए मानी गई रकम में किसी भी अंतर का एडजस्टमेंट, बैलेंसिंग पेमेंट के हिस्से के तौर पर किया जाएगा, जो रेगुलेटर द्वारा एयरोनॉटिकल चार्ज तय करने के तुरंत बाद क्लॉज़ 31.4 के अनुसार देय हो जाएगा।

6.5 प्राधिकरण के कर्मचारी

6.5.1 इस क्लॉज़ 6.5 के प्रयोजन हेतु:

(i) "चयनित कर्मचारी" का तात्पर्य अनुसूची एस में निर्धारित प्राधिकरण के उन कर्मचारियों से है (सहायक महाप्रबंधक और उससे नीचे के पद के) जिन्हें प्राधिकरण द्वारा हवाई अड्डे पर तैनात किया जाता है और उन्हें संयुक्त प्रबंधन अवधि और मानी गई प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए हवाई अड्डे पर तैनात किया जाएगा।

जॉइंट मैनेजमेंट पीरियड या डीमंड डेपुटेशन पीरियड के दौरान रिटायर होने वाले, मृत होने वाले या अथॉरिटी की सेवाओं से अलग होने वाले कर्मचारियों की सीमा तक सिलेक्ट कर्मचारियों को कम किया जाएगा। यह साफ़ किया जाता है कि एएआई द्वारा ट्रांसफर किए गए कर्मचारियों की सीमा तक सिलेक्ट कर्मचारियों को कम नहीं किया जाएगा।

(ii) "संयुक्त प्रबंधन अवधि" से तात्पर्य सीओडी से प्रारंभ होने वाली और सीओडी के 1 (एक) कैलेंडर वर्ष बाद की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि से है।

(iii) "मानी गई प्रतिनियुक्ति अवधि" का तात्पर्य संयुक्त प्रबंधन अवधि की समाप्ति से प्रारंभ होने वाली और उसके बाद 2 (दो) कैलेंडर वर्ष की तिथि को समाप्त होने वाली अवधि से है।

6.5.2 चुनिंदा कर्मचारियों को छोड़कर, हवाई अड्डे के संबंध में काम कर रहे अथॉरिटी के मौजूदा कर्मचारियों के संबंध में रियायतग्राही की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

6.5.3 प्राधिकरण के उप महाप्रबंधक और उससे ऊपर के पद के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारी ("वरिष्ठ कार्मिक") सीओडी से 3 (तीन) महीने से अधिक अवधि के लिए हवाई अड्डे पर तैनात रहेंगे।

(i) ऐसी 3 (तीन) महीने की अवधि की समाप्ति पर वरिष्ठ कार्मिक को हवाई अड्डे से स्थानांतरित कर दिया जाएगा और प्राधिकरण द्वारा पुनः तैनात किया जाएगा।

(ii) यह साफ़ किया जाता है कि कन्सेशनेयर सीनियर पर्सनेल के संबंध में कोई भी खर्च उठाने के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा, यह खर्च पूरी तरह से अथॉरिटी उठाएगी।

6.5.4 रियायतग्राही जॉइंट मैनेजमेंट पीरियड और डीमंड डेप्युटेशन पीरियड के लिए सेलेक्ट एम्प्लॉई कॉस्ट्स वहन करेगा।

6.5.5 क्लॉज़ 6.5.4 के तहत, रियायतग्राही हर महीने अथॉरिटी को ऐसी रकम देगा, जो अथॉरिटी द्वारा रियायतग्राही पर बनाए जाने वाले इनवॉइस में बताई जाएगी, जो अथॉरिटी द्वारा चुने गए कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्ते के संबंध में होगी ("चुने गए कर्मचारी खर्च")।

(i) रियायतग्राही चयनित कर्मचारी लागतों का भुगतान चालान जारी होने की तिथि से 7 (सात) दिन या उससे पहले करेगा।

(ii) रियायतग्राही द्वारा ऐसा पेमेंट करने पर, रियायतग्राही को अथॉरिटी द्वारा चुने गए कर्मचारियों को परिलब्धियों का पेमेंट न करने के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

(iii) रियायतग्राही की ओर से चुनिंदा कर्मचारी लागतों के भुगतान में देरी की स्थिति में, रियायतग्राही प्राधिकरण को देरी की अवधि के लिए बैंक दर से 2% (दो प्रतिशत) अधिक दर पर गणना की गई ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(iv) चुनिंदा कर्मचारी की लागत समय-समय पर संबंधित सेवा नियमों के अनुसार कंपनी की लागत के आधार पर तय की जाएगी और इसमें, जैसा लागू हो, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की लागत भी शामिल होगी।

(v) यह साफ़ किया जाता है कि इस क्लॉज़ 6.5.5 के तहत कंसेशनर की लायबिलिटी, एक्सेप्टिंग एम्प्लॉई की सीमा तक कम हो जाएगी।

6.5.6 जॉइंट मैनेजमेंट पीरियड के दौरान किसी भी समय, लेकिन सीओडी से 90 (नब्बे) दिनों के अंदर, रियायतग्राही चुने हुए कर्मचारियों में से कम से कम 60% (साठ प्रतिशत) को नौकरी का ऑफर ("रोज़गार ऑफर") देगा।

(i) यह साफ़ किया जाता है कि, क्लॉज़ 6.5.1 में बताए गए तरीके से सिलेक्ट एम्प्लॉई की संख्या में कमी होने पर, जिन सिलेक्ट एम्प्लॉई को एम्प्लॉयमेंट ऑफर दिए जाने हैं, उनकी कम से कम संख्या उसी हिसाब से कम हो जाएगी, और उसके किसी भी हिस्से को सबसे पास के पूरे नंबर में राउंड ऑफ़ कर दिया जाएगा।

(ii) सैलरी, पोजीशन वगैरह के मामले में एम्प्लॉयमेंट ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशंस, सालाना कॉस्ट-टू-कंपनी बेसिस पर सेलेक्ट एम्प्लॉइज के मौजूदा एम्प्लॉयमेंट टर्म्स जैसे ही होंगे।

6.5.7 एम्प्लॉयमेंट ऑफर पाने वाले, एम्प्लॉयमेंट ऑफर मिलने के 1 (एक) महीने के अंदर एम्प्लॉयमेंट ऑफर को स्वीकार या अस्वीकार करेंगे।

(i) ऐसे चयनित कर्मचारी, रोजगार प्रस्तावों को स्वीकार करने के बाद ("स्वीकार करने वाले कर्मचारी"), प्राधिकरण के रोजगार से त्यागपत्र दे देंगे और प्राधिकरण के कर्मचारी नहीं रहेंगे।

(ii) रियायतग्राही, रियायतग्राही और स्वीकार करने वाले कर्मचारियों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर स्वीकार करने वाले कर्मचारियों का नया नियोक्ता होगा।

6.5.8 पहला एम्प्लॉयमेंट ऑफर देने की तारीख से 15 (पंद्रह) महीने खत्म होने के बाद, लेकिन सीओडी से 2 (दो) साल खत्म होने से पहले, किसी भी समय, कंसेशनर आगे एम्प्लॉयमेंट ऑफर देने का हकदार होगा। क्लॉज़ 6.5.7 के नियम, *mutatis mutandis*, ऐसे एम्प्लॉयमेंट ऑफर पर लागू होंगे।

6.5.9 डीमड डेप्युटेशन पीरियड के आखिर में, सभी चुने हुए कर्मचारी जो अथॉरिटी में नौकरी जारी रखना चाहते हैं या जिन्हें नौकरी का ऑफर नहीं मिला है, वे अथॉरिटी में अपनी नौकरी जारी रखेंगे और उन्हें हवाई अड्डे से ट्रांसफर कर दिया जाएगा और अथॉरिटी उन्हें फिर से तैनात कर देगी।

6.5.10 यदि, मानी गई प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति पर, स्वीकार करने वाले कर्मचारियों की संख्या चयनित कर्मचारियों ("घाटे वाले कर्मचारी") के 60% (साठ) प्रतिशत से कम है, तो रियायतग्राही, मानी गई प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति से, भुगतान करेगा

अनुच्छेद 7, प्रतिनिधित्व और वारंटी

7.1 रियायतकर्ता के प्रतिनिधित्व और वारंटी

रियायतग्राही प्राधिकरण को यह घोषित करता और आश्वासन देता है कि:

- क. यह भारत के कानूनों के अंतर्गत विधिवत गठित और वैध रूप से अस्तित्व में है और इसे इस समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूर्ण करने और इसमें बताए गए लेनदेन को करने का पूरा अधिकार और शक्ति - प्राप्त है;
- ख. इसने लागू कानूनों के अंतर्गत सभी ज़रूरी कॉर्पोरेट और अन्य कदम उठाए हैं, ताकि इस समझौते को लागू करने और सौंपने के लिए मंजूरी मिल सके और इस समझौते के अंतर्गत अपने अधिकारों का उचित प्रकार से प्रयोग किया जा सके और अपने उत्तरदायित्व पूर्ण कर सकें;
- ग. चुने गए बोली लगाने वाले जिसमें उसक)े सदस्य भी शामिल हैं, यदि कोई हों के पास (सीओडी के समय इस समझौते की शर्तों के अनुसार परियोजना को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वित्तीय स्थिति और क्षमता जिसमें वित्तीय और तकनीकी क्षमता)सम्मिलित है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है (, और सीओडी से 5 (पाँच)सा (ल पूर्ण होने तक उसके पास ऐसी वित्तीय स्थिति और क्षमता बनी रहेगी;
- घ. यह समझौता इसके लिए एक कानूनी, वैध और बाध्यकारी दायित्व बनाता है, जिसे इसमें दी गई शर्तों के अनुसार लागू किया जा सकता है; और इस समझौते के अंतर्गत इसके दायित्व, इसमें दी गई शर्तों के अनुसार कानूनी रूप से वैध, बाध्यकारी और लागू करने योग्य होंगे।
- ङ. यह भारत के कानूनों के अधीन है, और इसके द्वारा इस समझौते या इसके तहत उत्पन्न होने वाले मामलों जिसमें इसके तहत कोई दायित्व), जवाबदेही, जिम्मेदारी या अधिकार क्षेत्र का मुद्दा शामिल हैके संबंध (में किसी भी अधिकार क्षेत्र में किसी भी छूट नीय रूप से त्यागता को स्पष्ट रूप से और अपरिवर्त (इम्युनिटी) है।
- च. चुने गए बोलीदाता द्वारा बोली में दी गई जानकारी, और इस समझौते की तिथि या उससे पहले अद्यतन की गई जानकारी, इस समझौते की तिथि पर हर तरह से सही और सटीक है;
- छ. इस समझौते का निष्पादन, परिदान और पालन इसके ज्ञापन और एसोसिएशन के अनुच्छेदों या चयनित बोलीदाता के किसी सदस्य के ज्ञापन और एसोसिएशन के अनुच्छेदों या किसी लागू कानून या किसी ऐसे वचन, अनुबंध, समझौते, व्यवस्था, समझ या डिक्री या आदेश, जिसका यह पक्षकार है या जिससे यह या इसकी कोई संपत्ति या परिसंपत्तियाँ बाध्य या प्रभावित हैं, के किसी भी नियम के उल्लंघन के परिणामस्वरूप नहीं होगा, न ही इसके तहत किसी चूक का कारण बनेगा या अपेक्षित निष्पादन को त्वरित करेगा;
- ज. इसके खिलाफ किसी भी कोर्ट या किसी अन्य न्यायिक, अर्धन्यायिक या अन्य अथॉरिटी के सामने कानून या हिस्सेदारी के तहत कोई भी कार्रवाई, मुकदमा, कार्यवाही या जांच लंबित नहीं है, या इसकी जानकारी के अनुसार, ऐसी कोई कार्रवाई होने की आशंका नहीं है, जिसके नतीजे में इस करार का उल्लंघन हो सकता है या जो अकेले या कुल मिलाकर इस करार के तहत अपनी किसी भी जिम्मेदारी को पूरा करने की इसकी क्षमता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है;
- झ. इसे किसी भी न्यायालय या सरकारी संस्था के किसी भी आदेश, याचिका, निषेधाज्ञा या डिक्री के उल्लंघन या चूक की कोई जानकारी नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा

करने की इसकी क्षमता पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, और न ही कोई तथ्य या घटना इसकी जानकारी में है।

- ज. न तो यह और न ही चयनित बोलीदाता और उनके संबंधित (यदि कोई हों तो इसके सदस्यों सहित) सहयोगियों को किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है या किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा अभियोगित किया गया है या उनके विरुद्ध प्रतिकूल आदेश पारित किए गए हैं, जो परियोजना को कार्यान्वित करने की उसकी क्षमता पर संदेह उत्पन्न कर सकते हैं या जो ऐसे गंभीर अपराध से संबंधित हों जो समुदाय की नैतिक भावना को ठेस पहुँचाता हो;
- ट. न तो यह और न ही चयनित बोलीदाता शामिल हैं जिसमें उसके सदस्य भी), यदि कोई हों और उनके (संबंधित सहयोगियों को भारत की सुरक्षा और अखंडता से जुड़े मामलों में किसी सरकारी संस्था द्वारा आरोपित किया गया है या किसी अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है;
- ठ. ना तो यह और न ही चयनित बोलीदाता जिसमें उनके सदस्य भी शामिल हैं), अगर कोई हों और उनके (संबंधित सहयोगियों के खिलाफ, और ना ही उनके किसी मुख्य कार्यकारी अधिकारी या किसी निदेशक, प्रबंधक या कर्मचारी के खिलाफ किसी विनियामक प्राधिकरण की कोई जांच लंबित है;
- ड. इन्होंने सभी ज़रूरी मामलों में लागू कानूनों का पालन किया है और इन पर कोई जुर्माना, दंड, रोक लगाने का आदेश या कोई अन्य दीवानी या आपराधिक दायित्व नहीं लगाया गया है, जिनका कुल मिलाकर इस समझौते के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने की इनकी क्षमता पर कोई बड़ा बुरा असर पड़ा हो या पड़ सकता हो;
- ढ. यह किसी भी समय खण्ड 5.3 के प्रावधानों के अनुसार ही मालिकाना हक में कोई बदलाव करेगा या करने देगा;
- ण. चयनित बोलीदाता और उनके सहयोगियों जिनमें उनके सदस्य भी शामिल हैं), यदि कोई हों (के पास इस समझौते के अनुसार परियोजना को शुरू करने और उसे लागू करने के लिए आवश्यक हिस्सेदारी की राशि देने और आवश्यक ऋण जुटाने की वित्तीय क्षमता और संसाधन हैं;
- त. चुनी गई बोली लगाने वाली पार्टी जिसमें उसके सदस्य भी शामिल हैं), यदि कोई हों अपने (निगमीकरण या पंजीकरण वाले अधिकारक्षेत्र के कानूनों के तहत विधिवत रूप से गठित है और वैध रूप से अस्तित्व में है; और उसने प्राधिकरण से 'अवार्ड पत्र' के आधार पर रियायतग्राही के साथ यह करार करने का अनुरोध किया है; और इस करार में बताई गई शर्तों और नियमों को बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लिया है।
- थ. लागू कानूनों और परमिटों के अनुसार, हस्तांतरण की तारीख को एयरपोर्ट से जुड़े सभी अधिकार और हित अथॉरिटी को सौंप दिए जाएंगे और अथॉरिटी में निहित हो जाएंगे। यह सब बिना किसी अतिरिक्त कार्रवाई या दस्तावेज़ के, और बिना किसी लीन, दावे या भार के किया जाएगा। साथ ही, इस करार में स्पष्ट रूप से बताए गए मामलों को छोड़कर, वह किसी भी ऐसी परियोजना, संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करेगा, जिस पर किसी व्यक्ति का सुरक्षा हित या कोई अन्य लीन या भार बना हुआ हो।
- द. अथॉरिटी या किसी सरकारी संस्था को दिए गए किसी भी दस्तावेज़ में, लागू परमिट के संबंध में, इसके द्वारा दी गई किसी भी बात या वारंटी में किसी ज़रूरी तथ्य के बारे में कोई गलत या गुमराह करने वाली बात नहीं है और न ही होगी; और न ही इसमें किसी ऐसे ज़रूरी तथ्य को बताने से छोड़ा गया है या छोड़ा जाएगा, जिसके बिना वह बात या वारंटी गुमराह करने वाली हो सकती थी।
- ध. इस कंसेशन को हासिल करने, इस करार को करने, या इससे जुड़े मामलों या बोली प्रक्रिया के दौरान अथॉरिटी या किसी सरकारी संस्था के किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्रभावित करने या प्रभावित करने की कोशिश

करने के लिए, इसकी तरफ से या इसकी ओर से किसी भी व्यक्ति को फीस, कमीशन या किसी और तरह से कोई रकम न तो दी गई है और न ही दी जाएगी। (नकद या किसी और रूप में)

- न. चयनित बोलीदाता द्वारा प्रस्ताव के अनुरोध के जवाब में या अन्यथा प्रदान की गई सभी जानकारी, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में सत्य और सटीक है, और
- प. प्रस्ताव के अनुरोध या किसी अन्य तरीके से रियायत-प्राप्तकर्ता पर आने वाली सभी ज़िम्मेदारियाँ और दायित्व उस पर उसी तरह लागू होंगे, जैसे वे इस समझौते का हिस्सा हों।

7.2 प्राधिकरण के प्रतिनिधित्व और वारंटी

प्राधिकरण रियायतग्राही को यह प्रतिनिधित्व और आश्वासन देता है कि

- क. इसे भारत सरकार और अन्य लागू परमिटों के अनुसार इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने, उन्हें लागू करने और सौंपने, और इसमें बताए गए लेनदेन को करने का पूरा अधिकार और - शक्ति प्राप्त है; और इसने इस समझौते को लागू करने, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने और इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाए हैं।
- ख. इसने इस समझौते को निष्पादित करने, और क्रियांवित्त करने और लागू करने के लिए लागू कानूनों के तहत सभी ज़रूरी कदम उठाए हैं;
- ग. इसके पास इस समझौते के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने की वित्तीय स्थिति और क्षमता है;
- घ. यह समझौता एक कानूनी, वैध और बाध्यकारी दायित्व बनाता है, जिसे इसकी शर्तों के अनुसार लागू किया जा सकता है;
- ड. इसे किसी भी कोर्ट के आदेश, याचिका, निषेधाज्ञा या डिक्री, या सरकार की किसी संस्था के कानूनी रूप से बाध्यकारी आदेश के उल्लंघन या चूक की कोई जानकारी नहीं है, जिसके कारण इस समझौते के तहत अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने की अर्थारिटी की क्षमता पर कोई गंभीर विपरीत असर पड़ सकता है।
- च. इसने सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में लागू कानूनों का अनुपालन किया है; और
- छ. इसके पास कंसेशनेयर को साइट के लिए लीज़ देने की शक्ति और अधिकार है।

7.3 प्रकटीकरण

अगर किसी भी पक्ष को ऐसी कोई घटना या परिस्थिति पता चलती है जिससे उसके पहले दिए गए किसी बयान या वारंटी के गलत या असत्य होने का पता चले, तो वह पक्ष तुरंत दूसरे पक्ष को इसकी सूचना देगा। ऐसी सूचना देने से उस बयान या वारंटी के उल्लंघन को ठीक नहीं माना जाएगा जो गलत या असत्य पाया गया है, और न ही इससे इस समझौते के तहत किसी भी पक्ष के किसी अधिकार, उपाय या दायित्व पर कोई बुरा असर पड़ेगा या उसे खत्म किया जाएगा।

अनुच्छेद 8 अस्वीकरण

8.1 अस्वीकरण

8.1.1 रियायतप्राप्तकर्ता अपनी ओर से चयनित बोलीदाता की ओर से यह स्वीकार करता है कि इस करार को लागू करने से पहले, चयनित बोलीदाता और रियायतप्राप्तकर्ता ने पूरी और सावधानीपूर्वक जांच के बाद, प्रस्ताव के लिए अनुरोध, परियोजना का दायरा, विनिर्देश और मानक, साइट, इस करार के तहत अपने अधिकारों को लागू करने के लिए ज़रूरी परमिट की ज़रूरतों, मौजूदा संरचना, स्थानीय स्थितियों, भूमि की भौतिक विशेषताओं, सबसॉइल और भूविज्ञान, यातायात की मात्रा और अथॉरिटी द्वारा दी गई या किसी अन्य तरीके से प्राप्त या जुटाई गई सभी जानकारी का स्वतंत्र मूल्यांकन किया है। उन्होंने अपनी संतुष्टि के अनुसार इनकी सटीकता या अन्य पहलुओं और अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के दौरान आने वाली या सामना की जा सकने वाली कठिनाइयों, जोखिमों और खतरों की प्रकृति और सीमा का निर्धारण किया है। अथॉरिटी, यहां या लागू कानूनों के तहत अपने द्वारा दिए गए किसी भी मूल्यांकन, धारणा, बयान या जानकारी की सटीकता, पर्याप्तता, सही होने, विश्वसनीयता और/या पूर्णता के बारे में कोई भी स्पष्ट/निहित या अन्य प्रकार का दावा या आश्वासन नहीं देती है। रियायतप्राप्तकर्ता अपनी ओर से चयनित बोलीदाता की ओर से यह पुष्टि करता है कि इस संबंध में अथॉरिटी के खिलाफ उसका कोई दावा नहीं होगा।

8.1.2 रियायतप्राप्तकर्ता अपनी और चयनित बोलीदाता की ओर से यह स्वीकार करता है कि ऊपर बताए गए खंड 8.1.1 में दी गई किसी भी बात में कमी, गलती या त्रुटि का जोखिम उसी का है। साथ ही, वह यह भी मानता और सहमत है कि अथॉरिटी इसके लिए रियायतप्राप्तकर्ता अपनी और चयनित बोलीदाता, उनसे जुड़े लोगों या उनकी ओर से दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी भी तरह से ज़िम्मेदार नहीं होगी।

8.1.3 दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि ऊपर खंड 8.1.1 में बताई गई किसी भी बात से जुड़ी कोई भी गलती या चूक इस समझौते को अमान्य या रद्द करने योग्य नहीं बनाएगी।

8.1.4 यदि किसी भी पक्ष को उपरोक्त खंड 8.1.1 में उल्लिखित किसी भी मामले से संबंधित कोई गलती या त्रुटि का पता चलता है, तो वह पक्ष तुरंत दूसरे पक्ष को उस गलती या त्रुटि का विवरण देते हुए सूचित करेगा, बशर्ते कि प्राधिकरण द्वारा इस खंड 8.1.4 के अनुसार कोई सूचना न देने से खंड 8.1.1 में निहित प्राधिकरण के अस्वीकरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस समझौते के अनुसार रियायतग्राही द्वारा ग्रहण किए गए किसी भी जोखिम को किसी भी तरह से प्राधिकरण पर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

8.1.5 इस समझौते में अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, परियोजना से संबंधित सभी जोखिम रियायतग्राही द्वारा वहन किए जाएंगे और प्राधिकरण ऐसे जोखिमों या उनके परिणामों के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग 3

विकास और संचालन

अनुच्छेद 9. प्रदर्शन सुरक्षा

9.1 प्रदर्शन सुरक्षा

9.1.1 रियायतग्राही, इस अनुबंध के तहत चरण 1 के दौरान अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए, इस अनुबंध की तिथि से 120 (एक सौ बीस) दिनों के भीतर प्राधिकरण को, अनुसूची ई में निर्धारित प्रपत्र में 120,00,00,000 रुपये (एक सौ बीस करोड़ रुपये) के समतुल्य राशि के लिए किसी बैंक से अपरिवर्तनीय और बिना शर्त गारंटी ("प्रदर्शन सुरक्षा") प्रदान करेगा। जब तक रियायतग्राही द्वारा प्रदर्शन सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती और वह प्रभावी नहीं हो जाती, तब तक बोली सुरक्षा लागू रहेगी, और इस अनुबंध के तहत प्रदर्शन सुरक्षा प्रदान किए जाने पर, प्राधिकरण रियायतग्राही को बोली सुरक्षा जारी कर देगा।

9.1.2 इस समझौते में किसी भी विपरीत प्रावधान के होते हुए भी, यदि रियायतग्राही द्वारा इस समझौते की तिथि से 120 (एक सौ बीस) दिनों की अवधि के भीतर प्रदर्शन सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है, तो प्राधिकरण बोली सुरक्षा को भुना सकता है और उसकी आय को हर्जाने के रूप में विनियोजित कर सकता है, और इसके बाद इस समझौते के अंतर्गत या इससे उत्पन्न होने वाले रियायतग्राही के सभी अधिकार, विशेषाधिकार, दावे और हक रियायतग्राही की सहमति से त्याग दिए गए और समाप्त हो गए माने जाएंगे, और यह समझौता पक्षों की आपसी सहमति से समाप्त माना जाएगा।

9.1.3 प्रथम चरण के पूरा होने के बाद, प्रदर्शन सुरक्षा का मूल्य उस राशि के 10% (दस प्रतिशत) के बराबर संशोधित किया जाएगा जो रियायतकर्ता द्वारा उस रियायत वर्ष में भुगतान किए गए वार्षिक रियायत शुल्क का 10% है जो उस रियायत वर्ष से ठीक पहले आता है जिसमें प्रथम चरण के पूरा होने की तिथि आती है। इसके बाद, रियायतकर्ता द्वारा प्रत्येक 5 (पांच) रियायत वर्षों में प्रदर्शन सुरक्षा का मूल्य बढ़ाकर उस राशि के 10% (दस प्रतिशत) के बराबर किया जाएगा जो रियायतकर्ता द्वारा ठीक पिछले रियायत वर्ष में भुगतान किए गए वार्षिक रियायत शुल्क का 10% है।

9.2 प्रदर्शन सुरक्षा का विनियोजन

किसी रियायतग्राही द्वारा चूक या किसी पूर्व शर्त को पूरा करने में विफलता होने पर, प्राधिकरण, इस अनुबंध के अंतर्गत या लागू कानून में दिए गए अपने अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रदर्शन सुरक्षा से उस रियायतग्राही की चूक या किसी पूर्व शर्त को पूरा करने में विफलता के लिए देय राशि को भुनाने और विनियोजित करने का हकदार होगा। बोली सुरक्षा या निष्पादन सुरक्षा (जैसा लागू हो) से ऐसे नकदीकरण और विनियोजन के बाद, रियायतग्राही को 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, आंशिक विनियोजन की स्थिति में, इसे मूल स्तर तक पुनःपूर्ति करनी होगी, और संपूर्ण बोली सुरक्षा या निष्पादन सुरक्षा के विनियोजन की स्थिति में, एक नई निष्पादन सुरक्षा प्रदान करनी होगी, ऐसा न करने पर प्राधिकरण अनुच्छेद 35 के अनुसार इस समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा। ऐसी पुनःपूर्ति या नई निष्पादन सुरक्षा प्रदान करने पर, रियायतग्राही को अपनी चूक को दूर करने या किसी पूर्व शर्त को पूरा करने के लिए 60 (साठ) दिनों की अतिरिक्त सुधार अवधि प्राप्त होगी, और यदि रियायतग्राही इस सुधार अवधि के भीतर अपनी चूक को दूर नहीं करता है या ऐसी पूर्व शर्त को पूरा नहीं करता है, तो प्राधिकरण ऐसी निष्पादन सुरक्षा को क्षतिपूर्ति के रूप में नकदीकरण और विनियोजन करने और अनुच्छेद 35 के अनुसार इस समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा।

9.3 प्रदर्शन सुरक्षा को जारी किया जाना ।

प्रदर्शन सुरक्षा रियायत अवधि के अंत तक लागू रहेगी और इसकी समाप्ति के 3 (तीन) महीने बाद इसे जारी कर दिया जाएगा, बशर्ते कि यदि रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो प्रदर्शन सुरक्षा जारी नहीं की जाएगी। रियायतग्राही द्वारा प्रदर्शन सुरक्षा जारी करने के अनुरोध पर, साथ ही इस खंड 9.3 के तहत निर्दिष्ट आवश्यकताओं की संतुष्टि को स्थापित करने वाले विवरण प्रस्तुत करने पर, प्राधिकरण प्रदर्शन सुरक्षा को तत्काल जारी कर देगा।

9.4 अनुमानित प्रदर्शन सुरक्षा

पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि प्रत्येक चरण के संबंध में, संबंधित चरण के निर्माण कार्यों की लागत के 2% (दो प्रतिशत) के बराबर राशि की अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा (रियायतग्राही द्वारा निर्धारित) इस खंड 9.4 के तहत निर्मित मानी जाएगी ("मानित निष्पादन सुरक्षा")। यह मानित निष्पादन सुरक्षा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय होगी, और खंड 29.3 में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, एस्क्रो खाते में समतुल्य शेष राशि और रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को देय सभी राशियों पर पहला और अनन्य प्रभार होगी, और प्राधिकरण खंड 9.5 के प्रावधानों के अनुसार एस्क्रो खाते से निकासी या रियायतग्राही द्वारा उसे देय राशियों से कटौती करके मानित निष्पादन सुरक्षा को लागू करने का हकदार होगा। पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि भविष्य में देय होने वाली किसी भी संभावित क्षतिपूर्ति के भुगतान को सुरक्षित करने के लिए एस्क्रो खाते में कोई भी राशि आरक्षित, आरक्षित या रोकी नहीं जाएगी, और केवल वे राशियाँ जो रियायतकर्ता की चूक होने पर देय हो जाएँगी, इस अनुबंध के अंतर्गत उपयोग के लिए उत्तरदायी होंगी। संबंधित चरण के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने पर अनुमानित प्रदर्शन सुरक्षा राशि मुक्त हो जाएगी।

9.5 अनुमानित प्रदर्शन सुरक्षा का विनियोजन

यदि कोई रियायतग्राही चूक करता है, तो प्राधिकरण, इस अनुबंध या कानून के अंतर्गत अपने अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संबंधित चरण के निर्माण कार्यों के संबंध में रियायतग्राही की चूक के लिए क्षतिपूर्ति हेतु अनुमानित प्रदर्शन सुरक्षा से संबंधित राशि को विनियोजित करने का हकदार होगा। पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि अनुमानित प्रदर्शन सुरक्षा को पूर्ण या आंशिक रूप से विनियोजित किए जाने पर, इसे उस विनियोजित राशि की सीमा तक पुनःपूर्ति माना जाएगा और अतिरिक्त निवारण अवधि के संबंध में खंड 9.2 के प्रावधान ऐसी पुनःपूर्ति पर लागू होंगे।

9.6 प्रदर्शन सुरक्षा के संदर्भ

इस अनुबंध में प्रदर्शन सुरक्षा के संदर्भ में, रियायतकर्ता द्वारा प्राधिकरण को प्रदर्शन सुरक्षा सौंपने से पहले की किसी भी अवधि के लिए, या इसकी समाप्ति या जारी होने के बाद की किसी भी अवधि के लिए, जैसा भी मामला हो, केवल रियायतकर्ता द्वारा देय क्षतिपूर्ति की राशि की गणना के प्रयोजनों के लिए ही व्याख्या की जाएगी, और इस प्रकार निर्धारित राशि को बोली सुरक्षा या अनुमानित प्रदर्शन सुरक्षा से, जैसा भी मामला हो, या उस तिथि को उपलब्ध राशि से समायोजित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 10. मार्ग का अधिकार

10.1 साइट

हवाई अड्डे का स्थल अनुसूची 'ए' में वर्णित अचल संपत्ति को समाहित करेगा, जिसके संबंध में प्राधिकरण द्वारा इस समझौते के तहत और इसके अनुसार रियायतग्राही को मार्ग का अधिकार प्रदान किया जाएगा ("स्थल")। यह स्वीकार किया जाता है और सहमति व्यक्त की जाती है कि स्थल के संदर्भों को अनुसूची 'ए' में उल्लिखित हवाई अड्डे के लिए आवश्यक अचल संपत्ति के संदर्भों के रूप में समझा जाएगा, और इसमें शहर की ओर का क्षेत्र भी शामिल होगा।

10.2 पट्टा, आवा-जाही और रास्ते का अधिकार

10.2.1 प्राधिकरण एतद्वारा रियायतग्राही को, इस समझौते की सुरक्षा संबंधी पाबंदियों और अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए, साइट पर किसी भी सर्वेक्षण, जांच और मृदा परीक्षण करने के लिए पहुँच प्रदान करता है, जिसे रियायतग्राही सीओडी से पहले आवश्यक समझे। यह स्पष्ट रूप से सहमति और समझा जाता है कि समाप्ति या किसी अन्य स्थिति में, प्राधिकरण की साइट पर या उसके आसपास रियायतग्राही द्वारा किए गए सर्वेक्षण, जांच और परीक्षणों या किए गए कार्य के संबंध में कोई भी दायित्व नहीं होगा।

10.2.2 मासिक रियायत शुल्क, इस अनुबंध और इसमें निहित रियायतग्राही की ओर से किए गए वचन और गारंटियों के प्रतिफल में, प्राधिकरण, इसमें निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार, रियायतग्राही को, अनुबंध तिथि से प्रारंभ होकर, अनुसूची 'ए' में वर्णित, सीमांकित और दर्शाई गई साइट की समस्त भूमि (उस पर स्थित किसी भी भवन, निर्माण या अचल संपत्ति सहित, यदि कोई हो) के संबंध में, किसी भी भार से मुक्त, साइट के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए, तथा उक्त साइट, विरासत या परिसर या उसके किसी भी भाग से संबंधित या किसी भी प्रकार से उससे जुड़े या उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी अधिकारों, स्वतंत्रताओं, विशेषाधिकारों, सुगमता और सहायक अधिकारों के साथ, इस अनुबंध के तहत अनुमत उद्देश्यों के लिए, और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं, रियायत अवधि के लिए पट्टा अधिकार प्रदान करेगा।

10.2.3 रियायतग्राही यह स्वीकार करता है कि उसने संपूर्ण और सावधानीपूर्वक जांच के बाद, साइट का समग्र रूप से स्वतंत्र मूल्यांकन किया है और इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के निर्वहन के दौरान उत्पन्न होने वाली या सामना की जा सकने वाली कठिनाइयों, उन्नयन, इनपुट, लागत, समय, संसाधन, जोखिमों और खतरों की प्रकृति और सीमा तथा आवश्यक प्रयासों की सीमा और तरीके का निर्धारण किया है। रियायतग्राही यह भी स्वीकार करता है कि यदि बाद में यह पाया जाता है कि साइट किसी भी प्रकार से अपूर्ण है, तो उसे प्राधिकरण के विरुद्ध कोई उपाय करने का अधिकार नहीं होगा। यदि कोई अपूर्णता पाई जाती है, तो रियायतग्राही एतद्वारा स्वीकार करता है और सहमत होता है कि वह अपने स्वयं के खर्च पर और प्राधिकरण को बिना किसी लागत के, उसे दूर करने के लिए सभी उचित उपाय करेगा।

10.2.4 इस समझौते के प्रयोजनों के लिए, रियायतग्राही के पास निम्नलिखित अधिकार हैं:

(क) स्थल और उसके आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया;

(ख) उसने स्थल की जलवायु, जल विज्ञान और सामान्य भौतिक स्थितियों की प्रकृति, भूमि और उपमृदा की प्रकृति, स्थल के स्वरूप और प्रकृति, और इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए आवश्यक आकार, कार्य और सामग्री की प्रकृति के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लिया है;

(ग) हवाई अड्डे पर संचार, पहुंच और आवास के साधनों के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लिया है, जिसकी उसे इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए आवश्यकता हो सकती है या अन्यथा आवश्यक हो सकती है;

(घ) इसने उन सभी जोखिमों, आकस्मिकताओं और अन्य परिस्थितियों के बारे में ज़रूरी जानकारी हासिल कर ली है, जो रियायतप्राप्तकर्ता और इस समझौते के तहत उसके अधिकारों और दायित्वों पर असर डाल सकती हैं।

10.2.5 इस समझौते द्वारा रियायतग्राही को प्रदान किया गया पट्टा, पहुँच और मार्ग का अधिकार हमेशा मौजूदा मार्ग अधिकारों के अधीन रहेगा और रियायतग्राही अपने दायित्वों का इस प्रकार पालन करेगा कि रियायत अवधि के दौरान हवाई अड्डा उपयोगकर्ताओं के लिए हर समय खुला रहे, सिवाय उन घंटों के लिए जिनके लिए प्राधिकरण या किसी अन्य सरकारी संस्था द्वारा इसे बंद करने की अनुमति दी गई हो।

10.2.6 रियायतग्राही स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि इस अनुच्छेद 10 के पूर्वगामी प्रावधानों के संबंध में रियायतग्राही द्वारा की गई किसी भी गलती या गलत धारणा की स्थिति में प्राधिकरण के विरुद्ध उसका कोई सहारा नहीं होगा और प्राधिकरण इसके संबंध में किसी भी दायित्व से स्पष्ट रूप से इनकार करता है।

10.2.7 इस अनुबंध के तहत दी गई लीज़, प्राधिकरण द्वारा लीज़ समाप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की कार्रवाई किए बिना, किसी भी कारण से इस अनुबंध की समाप्ति पर स्वतः और तत्काल समाप्त हो जाएगी। रियायतग्राही या उसके उप-लाइसेंसधारियों और/या उप-पट्टेदार(कों) द्वारा साइट पर निर्मित किसी भी अस्थायी या स्थायी संरचना के बावजूद, हवाई अड्डे सहित साइट से संबंधित लीज़, इस अनुबंध की समाप्ति पर पक्षों द्वारा किसी भी अतिरिक्त कार्रवाई के बिना स्वतः समाप्त हो जाएगी।

10.2.8 रियायतग्राही एतद्वारा प्राधिकरण (प्रत्यक्ष रूप से या किसी नामित व्यक्ति के माध्यम से) को अपना सच्चा और वैध अटॉर्नी नियुक्त करता है, जो रियायत अवधि समाप्त होने के बाद या इस अनुबंध के अनुसार पहले समाप्त होने पर, यदि उस समय लागू कानूनों के अनुसार आवश्यक हो, तो रियायतग्राही के नाम पर इस अनुबंध के अंतर्गत दी गई पट्टे के हस्तांतरण या समर्पण को निष्पादित और हस्ताक्षरित कर सकता है, जिसका पर्याप्त प्रमाण प्राधिकरण के किसी विधिवत अधिकृत अधिकारी की घोषणा होगी, और रियायतग्राही इस उद्देश्य के लिए इसके पंजीकरण के लिए सहमति देता है।

10.2.9 यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि साइट पर स्थित वृक्ष प्राधिकरण की संपत्ति हैं, सिवाय इसके कि रियायतकर्ता रियायत अवधि के दौरान और लागू परमिटों के अनुसार उस पर उपयोग के अधिकार का प्रयोग करने का हकदार होगा।

10.3 स्थल का क्रय

10.3.1 खंड 4.1.2 में निर्दिष्ट सूचना के अनुसार, प्राधिकरण और रियायतग्राही आपसी सहमति से तय की गई तिथि और समय पर स्थल का निरीक्षण करेंगे और स्थल की सूची वाला एक जापन तैयार करेंगे, जिसमें बिना किसी भार वाली भूमि, भवन, संरचनाएं, सड़क निर्माण कार्य, वृक्ष और स्थल पर स्थित या उससे जुड़ी कोई अन्य अचल संपत्ति शामिल होगी। दोनों पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा जापन पर दो (2) प्रतियों में हस्ताक्षर (जिनमें से प्रत्येक मूल प्रति मानी जाएगी) खंड 10.2.2 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, वैध पट्टा और रियायतग्राही को इस समझौते के प्रावधानों के तहत और उसके अनुसार रियायत अवधि के दौरान बिना किसी भार वाली स्थल के मुक्त और अप्रतिबंधित उपयोग और विकास के लिए मार्ग का अधिकार प्रदान करने के लिए मान्य माना जाएगा, और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

10.3.2 खंड 10.3.1 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यहाँ पक्षकार सहमत हैं कि सीओडी पर या उससे पहले, प्राधिकरण ने हवाई अड्डे के लिए आवश्यक और अनिवार्य साइट के कुल क्षेत्रफल के 100% (एक सौ प्रतिशत) के संबंध में खाली पहुँच, मार्ग का अधिकार और पट्टा प्रदान किया होगा।

10.3.3 खंड 10.3.1 में निर्दिष्ट जापन पर हस्ताक्षर करने के बाद और हस्तांतरण तिथि तक, रियायतग्राही साइट पर चौबीस घंटे निगरानी रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उस पर कोई अतिक्रमण या कब्जा न हो, और यदि उसके किसी भी हिस्से पर कोई अतिक्रमण या कब्जा होता है, तो रियायतग्राही ऐसे अतिक्रमण या कब्जे की सूचना तुरंत प्राधिकरण को देगा और अपने खर्च पर उसे हटवाएगा।

10.3.4 [उपयोग नहीं किया गया] ।

10.3.5 [उपयोग नहीं किया गया] ।

10.3.6 यदि किसी भी प्रकार के मुकदमे, कार्यवाही, कार्रवाई, मांग और/या तृतीय पक्षों द्वारा किए गए दावे के परिणामस्वरूप रियायतग्राही को साइट के किसी भी भाग के पट्टे और/या मार्ग के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, जो साइट में शामिल भूमि पर प्राधिकरण के स्वामित्व और/या अधिकारों में दोष के कारण उत्पन्न होता है, तो प्राधिकरण ऐसे वंचित होने के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर, पक्षों की पारस्परिक संतुष्टि के लिए रियायतग्राही को अतिरिक्त वैकल्पिक भूमि का पट्टा और/या मार्ग का अधिकार प्रदान करने के लिए उचित प्रयास करेगा। यदि प्राधिकरण उपर्युक्त समयावधि के भीतर पक्षों की पारस्परिक संतुष्टि के लिए ऐसी भूमि और/या मार्ग का अधिकार प्रदान करने में असमर्थ है, तो खंड 40.1.2 के प्रावधान लागू होंगे।

बशर्ते कि प्राधिकरण इस खंड 10.3.6 के तहत उत्तरदायी नहीं होगा, जहां ऐसा कोई दावा, मुकदमा, कार्यवाही, कार्रवाई और/या मांग रियायतकर्ता, उसकी सहायक कंपनियों, संबद्ध कंपनियों, ठेकेदारों, कर्मचारियों या एजेंटों की ओर से लापरवाहीपूर्ण कार्य या चूक, या इस समझौते या किसी संबंधित समझौते के किसी प्रावधान के तहत उसके किसी दायित्व के उल्लंघन और/या वैधानिक कर्तव्य के उल्लंघन के कारण उत्पन्न हुई हो।

10.4 स्थल भार मुक्त होना चाहिए

धारा 10.3 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को यह स्थल सभी प्रकार के भारों से मुक्त उपलब्ध कराया जाएगा और रियायतग्राही को रियायत अवधि के दौरान इस स्थल के अधिग्रहण और उपयोग के लिए प्राधिकरण को किसी भी प्रकार की लागत, क्षतिपूर्ति, व्यय और शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी, सिवाय इसके कि इस समझौते में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया हो। यह सहमति दी जाती है कि स्थल से संबंधित मौजूदा मार्ग अधिकार, सुगमता अधिकार, विशेषाधिकार, स्वतंत्रताएँ और सहायक वस्तुएँ भार नहीं मानी जाएंगी। यह भी सहमति दी जाती है कि रियायतग्राही स्थल की अपर्याप्तता या भौतिक स्थिति से उत्पन्न होने वाले सभी जोखिमों को स्वीकार करता है और उन्हें वहन करने का वचन देता है।

10.5 स्थल को बाधाओं से सुरक्षा

रियायत अवधि के दौरान, रियायतग्राही स्थल को किसी भी प्रकार के कब्जे, अतिक्रमण या भार से सुरक्षित रखेगा और स्वयं किसी भी ठेकेदार या अन्य व्यक्ति को, चाहे वह रियायतग्राही के माध्यम से या उसके अधीन दावा कर रहा हो, स्थल या परियोजना परिसंपत्तियों के किसी भी भाग पर, या उसमें या इस समझौते के तहत रियायतग्राही के किसी भी अधिकार पर कोई भार या सुरक्षा हित स्थापित करने या स्थापित करने की अनुमति नहीं देगा, सिवाय इसके कि इस समझौते में अन्यथा स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया हो।

10.6 विशेष/अस्थायी मार्ग का अधिकार

रियायतग्राही को साइट तक पहुँच के संबंध में आवश्यक किसी भी विशेष या अस्थायी मार्ग के अधिकार के लिए सभी लागत और शुल्क वहन करने होंगे। रियायतग्राही को साइट पर या उसके बाहर ऐसी सुविधाएं अपने खर्च

पर प्राप्त करनी होंगी जो हवाई अड्डे के उद्देश्यों और इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

बशर्ते कि यदि रियायतग्राही को विमानन परिसंपत्तियों के प्रयोजन के लिए अनुसूची 'ए' में प्राधिकरण के लिए निर्धारित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली किसी भूमि की आवश्यकता होती है, तो प्राधिकरण अपने विवेकाधिकार पर, भारत सरकार की पूर्व लिखित स्वीकृति के अधीन, रियायतग्राही को बिना किसी अतिरिक्त लागत के वह भूमि उपलब्ध करा सकता है।

10.7 प्राधिकरण तक पहुंच

10.7.1 रियायतग्राही अधिकृत व्यक्तियों को हर समय साइट पर निशुल्क प्रवेश की अनुमति देगा। प्राधिकरण, वरिष्ठ ऋणदाताओं और स्वतंत्र अभियंता के प्रतिनिधियों, तथा किसी भी सरकारी संस्था या भारत सरकार की नामित एजेंसी द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्तियों और उनके संबंधित कर्मचारियों, एजेंटों और सलाहकारों को निर्माण कार्यों, हवाई अड्डे का निरीक्षण करने और अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी मामले की जांच करने के लिए अधिकृत किया जाएगा, और रियायतग्राही ऐसे सभी व्यक्तियों को उनके संबंधित कर्तव्यों और कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक उचित सहायता प्रदान करेगा।

10.7.2 रियायतग्राही अनुच्छेद 11 में निर्दिष्ट किसी भी उपयोगिता या सड़क के संचालन और रखरखाव के उद्देश्य से, ऐसी उपयोगिता या सड़क के नियंत्रक निकाय के अधिकृत व्यक्तियों और वाहनों के लिए साइट पर हर समय मुफ्त पहुंच की अनुमति देगा।

10.8 भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक खोजें

यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाता है कि खनन, भूवैज्ञानिक या पुरातात्विक अधिकार इस समझौते के तहत रियायतग्राही को दिए गए पट्टे का हिस्सा नहीं हैं और रियायतग्राही एतद्वारा स्वीकार करता है कि उसे अंतर्निहित खनिजों, जीवाश्मों, पुरावशेषों, संरचनाओं या अन्य अवशेषों या विशेष भूवैज्ञानिक या पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं में कोई खनन अधिकार या हित नहीं होगा और ऐसे अधिकार, हित और संपत्ति, जो साइट पर या उसके नीचे स्थित हैं, प्राधिकरण या संबंधित सरकारी संस्था के पास निहित होंगे और उन्हीं के स्वामित्व में रहेंगे। रियायतग्राही अपने कामगारों या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे हित या संपत्ति को हटाने या नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए सभी उचित सावधानियां बरतेगा और इसकी खोज होने पर प्राधिकरण को तुरंत सूचित करेगा तथा प्राधिकरण या संबंधित सरकारी संस्था द्वारा ऐसी संपत्ति को हटाने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करेगा। यह सहमति है कि रियायतग्राही द्वारा इस समझौते के तहत किए गए किसी भी उचित खर्च की प्रतिपूर्ति प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। यह भी सहमति है कि प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित सरकारी संस्था द्वारा इस समझौते के तहत निर्देश उचित समय सीमा के भीतर जारी किए जाएं ताकि रियायतग्राही आवश्यक समझे जाने वाले संशोधनों के साथ अपने निर्माण कार्य को जारी रख सके।

10.9 पट्टे का अधिकार

इस समझौते के प्रयोजन के लिए, रियायतग्राही को इस समझौते के अधीन और इसके अनुसार एकमात्र पट्टेदार के रूप में साइट के उपयोग का अधिकार होगा, और इस उद्देश्य के लिए, वह इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार और इसके अधीन तीसरे पक्षों द्वारा हवाई अड्डे के प्रवेश और उपयोग को विनियमित कर सकता है।

10.10 संपत्ति कर/सेवा शुल्क और अन्य शुल्क

10.10.1 सी.ओ.डी. की तिथि से और उसके बाद, संपत्ति कर रियायतकर्ता द्वारा प्राधिकरण/संबंधित नगरपालिका प्राधिकरण या किसी अन्य संबंधित सरकारी संस्था को, समय-समय पर लागू कानूनों के अनुसार लागू दरों पर देय होगा।

10.10.2 साइट के संबंध में कोई भी शुल्क और कर, यदि प्राधिकरण द्वारा लागू कानूनों के अनुसार भुगतान किया जाता है, तो रियायतकर्ता द्वारा प्राधिकरण को प्राधिकरण से आवश्यक विवरण सहित नोटिस प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों की अवधि के भीतर प्रतिपूर्ति की जाएगी।

10.10.3 रियायतग्राही, प्राधिकरण और संबंधित सरकारी संस्था को सभी शुल्कों के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा, जैसा कि लागू कानूनों के तहत साइट पर उपलब्ध निर्मित क्षेत्र के लिए लगाया जा सकता है।

10.11 उप-किराए पर प्रतिबंध

रियायतग्राही इस साइट के पूरे या किसी भी हिस्से को लाइसेंस या उप-पट्टे पर नहीं देगा, सिवाय इसके कि इस समझौते में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया हो, बशर्ते कि इसमें निहित कोई भी बात

रियायतग्राही के इस अधिकार को प्रतिबंधित करने के रूप में नहीं समझी जाएगी कि वह अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए ठेकेदारों को नियुक्त करे, जिसमें हवाई अड्डे के सभी या किसी भी हिस्से का संचालन और रखरखाव शामिल है।

अनुच्छेद 11. उपयोगिताएँ और वृक्ष

11.1 मौजूदा उपयोगिताएँ

इसमें निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि साइट पर, उसके नीचे या उसके ऊपर स्थित उपयोगिताओं के स्वामित्व वाली संबंधित संस्थाओं को, आवश्यकता पड़ने पर, उस उपयोगिता के नियंत्रक निकाय के प्राधिकरण से उपयुक्त अस्थायी या स्थायी मार्ग परिवर्तन प्रदान करके, ऐसी उपयोगिताओं को निरंतर संतोषजनक उपयोग में बनाए रखने में सक्षम बनाया जाए, और प्राधिकरण, रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर, ऐसे मार्ग परिवर्तन के लिए आवश्यक किसी भी मार्ग अधिकार के अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करेगा और उसे पूरा करेगा।

11.2 अवरोधक उपयोगिताओं को स्थानांतरित करना

लागू कानूनों के अधीन रहते हुए और प्राधिकरण की सहायता से, रियायतग्राही किसी भी उपयोगिता, जिसमें विद्युत की लाइनें, पानी के पाइप और टेलीफोन केबल शामिल हैं, को साइट के भीतर या बाहर उपयुक्त स्थान या संरेखण पर स्थानांतरित करेगा, यदि और केवल यदि ऐसी उपयोगिता हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन या विकास पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डालती है या डालने वाली है। यदि स्थानांतरण में कोई देरी होती है, तो रियायतग्राही को इस अनुबंध के तहत अपने किसी भी दायित्व के पालन में विफलता के लिए क्षमा किया जाएगा, यदि ऐसी विफलता विद्युत की लाइनों, पानी के पाइप या टेलीफोन केबल के स्वामी इकाई की ओर से हुई देरी का प्रत्यक्ष परिणाम है। पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि हवाई अड्डे के उपयोग के लिए किसी भी उपयोगिता को स्थानांतरित करने पर होने वाले सभी खर्च और लागत रियायतग्राही द्वारा वहन किए जाएंगे।

11.3 नई उपयोगिताएँ

11.3.1 रियायतग्राही टेलीफोन लाइनें, पानी की पाइपें, विद्युत के तार या अन्य सार्वजनिक उपयोगिताएँ बिछाने के लिए साइट तक पहुँच और उपयोग की अनुमति दे सकता है, बशर्ते कि ऐसी टेलीफोन लाइनें, पानी की पाइपें, विद्युत के तार या अन्य सार्वजनिक उपयोगिताएँ बिछाने से हवाई अड्डे के संचालन पर किसी भी तरह से प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यदि ऐसी पहुँच या उपयोग से रियायतग्राही को कोई वित्तीय हानि होती है, तो वह साइट के उपयोगकर्ता से लागू कानूनों के अनुसार मुआवजा या हर्जाना वसूल कर सकता है। यह सहमति है कि इस खंड 11.3 के तहत साइट का उपयोग किसी भी तरह से रियायतग्राही को इस समझौते और लागू परमिटों के अनुसार हवाई अड्डे के विकास और रखरखाव के अपने दायित्व से मुक्त नहीं करेगा और ऐसे उपयोग से हुई किसी भी क्षति की तत्काल भरपाई की जाएगी।

11.3.2 [उपयोग नहीं किया गया] ।

11.4 वृक्षों की कटाई

प्राधिकरण, रियायतग्राही को उन वृक्षों की कटाई के लिए लागू परमिट प्राप्त करने में सहायता करेगा, जिन्हें प्राधिकरण इस उद्देश्य के लिए चिन्हित करेगा, और केवल ऐसे वृक्ष जो कि हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन या विकास पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। यदि वृक्षों की कटाई में किसी भी प्रकार की देरी रियायतग्राही के नियंत्रण से परे कारणों से होती है, तो उसे इस अनुबंध के तहत अपने किसी भी दायित्व के निर्वहन में विफलता के लिए क्षमा किया जाएगा, यदि ऐसी विफलता वृक्षों की कटाई में देरी का प्रत्यक्ष परिणाम है। वृक्षों की कटाई से संबंधित लागत और व्यय रियायतग्राही द्वारा वहन किए जाएंगे और इससे प्राप्त कोई भी राजस्व प्राधिकरण को दिया जाएगा। इस अनुबंध के पक्षकार सहमत हैं कि काटे गए वृक्षों का निपटान प्राधिकरण द्वारा लागू कानूनों के अनुसार, अपने विवेकानुसार उचित समझे जाने वाले प्रकार से और ऐसी शर्तों के अधीन किया जाएगा।

अनुच्छेद 12. हवाई अड्डे का विकास और विस्तार

12.1 निर्माण कार्य शुरू होने से पहले के दायित्व

12.1.1 निर्माण कार्य शुरू होने से पहले, रियायतग्राही को निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

(क) प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता को अपनी विकास योजना, विस्तृत आकार, चित्र, निर्माण पद्धति, गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाएं और संबंधित चरण के पूरा होने के लिए खरीद, इंजीनियरिंग और निर्माण समय सारिणी प्रस्तुत करना;

(ख) प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता के साथ इस समझौते के अंतर्गत या इससे उत्पन्न होने वाले या इससे संबंधित सभी मामलों के संबंध में व्यवहार करने के लिए विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करना;

(ग) इस समझौते, लागू कानूनों और लागू परमिटों के तहत और उनके अनुसार निर्माण शुरू करने से पहले ऐसे सभी कार्य, कृत्य और चीजें करना, करना और निष्पादित करना जो आवश्यक या अपेक्षित हों;

(घ) लागू कानूनों और लागू परमिटों के तहत और उनके अनुसार हवाई अड्डे के लिए आवश्यक सामग्रियों की खुदाई और खरीद के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करे।

12.2 मास्टर प्लान

12.2.1 रियायतग्राही को यह सुनिश्चित करना होगा कि हवाई अड्डे का निर्माण और विकास मास्टर प्लान के अनुसार ही हो। मास्टर प्लान तैयार करने के लिए दिशानिर्देश अनुसूची 'क' के परिशिष्ट द्वितीय में दिए गए हैं।

12.2.2 हवाईअड्डे के मास्टर प्लान सभी नियामक आवश्यकताओं और इस समझौते के अनुरूप होने चाहिए, विशेष रूप से अनुसूची 'सी' के अनुरूप। मास्टर प्लान सभी प्रमुख हितधारकों के साथ पूर्ण परामर्श के बाद, लागू कानूनों और इस समझौते की शर्तों के अनुसार बनाए जायेंगे।

12.2.3 इस समझौते में किसी भी विपरीत प्रावधान के होते हुए भी, पक्षकार यह स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि यह सुनिश्चित करना रियायतग्राही की एकमात्र जिम्मेदारी और दायित्व होगा कि मास्टर प्लान लागू कानूनों और इस समझौते की आवश्यकताओं का पूर्णतः अनुपालन करता है, और इसके अतिरिक्त, अन्य परियोजना समझौतों में निर्धारित मापदंडों के अनुरूप है। इस समझौते में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी भी तरह से रियायतग्राही को यह सुनिश्चित करने के दायित्व से मुक्त करता हो कि अंतिम मास्टर प्लान किसी भी परियोजना समझौते के प्रावधानों और अन्य सभी दायित्वों के अनुरूप है।

12.2.4 रियायतग्राही मास्टर प्लान को समय-समय पर, हर 5 (पांच) साल में या उससे पहले, जैसा भी मामला हो, अद्यतन करने के लिए सहमत है।

12.2.5 चरण-1 और उसके बाद के चरणों के लिए विकास योजना रियायतग्राही द्वारा इस समझौते, लागू कानूनों और लागू परमिटों के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जाएगी।

12.2.6 रियायतग्राही हवाई अड्डे के भावी विस्तार के लिए निर्धारित किसी भी क्षेत्र का उपयोग हवाई अड्डे से संबंधित या उससे जुड़े अन्य उद्देश्यों के लिए तब तक कर सकता है, जब तक कि मास्टर प्लान में निर्दिष्ट विस्तार के लिए इसकी आवश्यकता न हो, बशर्ते कि ऐसे क्षेत्र में केवल अस्थायी संरचनाओं का निर्माण किया जा सके और इसका उपयोग हर समय लागू कानूनों, लागू परमिटों और अच्छे उद्योग प्रथाओं के अनुरूप हो।

12.2.7 रियायती अवधि के दौरान रियायतग्राही किसी भी समय मास्टर प्लान में संशोधन कर सकता है।

विमानन सेवाओं में सुधार या वृद्धि करना या भीड़भाड़ को कम करने या समाप्त करने के लिए हवाई अड्डे के किसी भी हिस्से का विस्तार करना।

12.3 मानचित्र

12.3.1 रियायतग्राही शीघ्रता से उचित और चरण पूर्णता अनुसूची के अनुरूप क्रम में, सभी रेखाचित्रों की 1 (एक) सॉफ्ट कॉपी और 3 (तीन) हार्ड कॉपी स्वतंत्र अभियंता, प्राधिकरण और/या किसी भी सरकारी संस्था को लागू कानूनों और लागू परमिटों के अनुसार समीक्षा हेतु तैयार करके प्रस्तुत करेगा।

12.3.2 स्वतंत्र अभियंता और प्राधिकरण को समीक्षा के लिए मानचित्र प्रस्तुत करके, रियायतकर्ता को यह माना जाएगा कि उसने यह निर्धारित और सत्यापित कर लिया है कि आकार और अभियांत्रिकी, जिसमें उससे संबंधित क्षेत्र निर्माण मानदंड शामिल हैं, परियोजना के दायरे, विनिर्देशों और मानकों, लागू कानूनों, लागू परमिटों और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुरूप हैं।

12.3.3 स्वतंत्र अभियंता और प्राधिकरण, रेखाचित्र प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर उनकी समीक्षा करेंगे और परियोजना के दायरे, विनिर्देशों और मानकों के अनुरूपता या असंगति के संबंध में अपनी-अपनी टिप्पणियाँ रियायतग्राही को देंगे। रियायतग्राही उक्त 30 (तीस) दिनों की अवधि के बाद स्वतंत्र अभियंता या प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत रेखाचित्रों पर टिप्पणियों की प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य नहीं होगा और वह अपने विवेक और जोखिम पर निर्माण कार्य प्रारंभ या जारी रख सकता है।

12.3.4 यदि स्वतंत्र अभियंता या प्राधिकरण की उपरोक्त टिप्पणियों से यह संकेत मिलता है कि मानचित्र परियोजना के दायरे या विनिर्देशों एवं मानकों के अनुरूप नहीं हैं, तो रियायतग्राही द्वारा ऐसे मानचित्रों को संशोधित किया जाएगा और समीक्षा के लिए पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। स्वतंत्र अभियंता और प्राधिकरण संशोधित मानचित्रों की प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, देंगे।

12.3.5 स्वतंत्र अभियंता या प्राधिकरण द्वारा किसी भी प्रकार की समीक्षा और/या अवलोकन न करने और/या किसी भी आरेख पर अपनी समीक्षा और/या अवलोकन न करने से रियायतग्राही इस समझौते के तहत अपने दायित्वों और देनदारियों से किसी भी तरह से मुक्त नहीं होगा, न ही स्वतंत्र अभियंता या प्राधिकरण इसके लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी होगा।

12.3.6 पूर्वोक्त प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही विमानन परिसंपत्तियों और गैर-विमानन परिसंपत्तियों से संबंधित अपने रेखाचित्र समीक्षा और टिप्पणियों के लिए स्वतंत्र अभियंता और प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा, और स्वतंत्र अभियंता और प्राधिकरण को ऐसे रेखाचित्रों की प्राप्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर ऐसी समीक्षा करने और यदि कोई टिप्पणी हो तो उसे प्रदान करने का अधिकार है, लेकिन यह उनका दायित्व नहीं है। इसके खंड 12.3 के प्रावधान यथावश्यक परिवर्तनों के साथ समीक्षा और टिप्पणियों पर लागू होंगे।

12.3.7 किसी भी चरण के पूरा होने के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर, रियायतग्राही प्राधिकरण को निर्मित आरेखों का एक पूरा सेट, 2 (दो) हार्ड कॉपी में और उसके संपादन योग्य डिजिटल प्रारूप में या प्राधिकरण द्वारा स्वीकार्य किसी अन्य माध्यम और प्रकार से प्रस्तुत करेगा, जिसमें हवाई अड्डे को उसके वास्तविक रूप में आकार, इंजीनियर और निर्मित रूप में दर्शाया गया हो, जिसमें हवाई अड्डे के लेआउट और परियोजना सुविधाओं के हिस्से के रूप में आने वाली इमारतों और संरचनाओं की सेटबैक रेखाओं (यदि कोई हो) को दर्शाने वाला एक निर्मित सर्वेक्षण शामिल हो।

12.4 टर्मिनल भवन

12.4.1 टर्मिनल भवन और/या हवाई अड्डे के किसी भी भाग के निर्माण के प्रारंभ से पहले, रियायतग्राही प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता को वास्तु संबंधी मापदंड, नियंत्रण, भवन प्रोफाइल, अग्रभाग, आयाम, आकार, निर्माण सामग्री, विनिर्देश, मात्रा का बिल और लागत अनुमान ("वास्तु संबंधी आकार") प्रस्तुत करेगा।

जब तक स्वतंत्र अभियंता और/या प्राधिकरण द्वारा इसकी समीक्षा और टिप्पणी नहीं की जाती, तब तक रियायतग्राही इसे लागू कानूनों, लागू परमिटों के अनुपालन के उद्देश्य से और/या संबंधित लागू परमिट प्राप्त करने के लिए किसी भी सरकारी संस्था को सहायक प्रस्तुति के रूप में या अन्यथा उपलब्ध नहीं कराएगा।

12.4.2 वास्तुशिल्पीय आकार प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर, प्राधिकरण और/या स्वतंत्र अभियंता, रियायतग्राही को अपनी टिप्पणियाँ देंगे। यदि प्राधिकरण या स्वतंत्र अभियंता की टिप्पणियाँ (प्राधिकरण के माध्यम से प्रस्तुत) यह दर्शाती हैं कि वास्तुशिल्पीय आकार परियोजना के दायरे या विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप नहीं है, तो रियायतग्राही द्वारा इसे संशोधित किया जाएगा और प्राधिकरण की टिप्पणियों की प्राप्ति की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर समीक्षा के लिए प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। प्राधिकरण और/या स्वतंत्र अभियंता, यदि कोई टिप्पणी हो, तो संशोधित वास्तुशिल्पीय आकार की प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर देंगे।

12.4.3 यदि धारा 12.4.1 के तहत और उसके अनुसार वास्तु डिजाइन में कोई संशोधन निर्धारित किया गया है, तो वास्तु आकार को उस सीमा तक संशोधित माना जाएगा।

12.4.4 लागू परमिट प्राप्त होने की स्थिति में, रियायतग्राही धारा 12.4.2 में निर्दिष्ट 30 (तीस) दिनों की अवधि के बाद इस अनुबंध के तहत प्रस्तुत वास्तु डिजाइन पर प्राधिकरण की टिप्पणियों की प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य नहीं होगा, और वह अपने विवेक और जोखिम पर निर्माण कार्य शुरू कर सकता है। प्राधिकरण या स्वतंत्र अभियंता द्वारा वास्तु डिजाइन की समीक्षा और/या टिप्पणी न करने और/या उनकी समीक्षा न करने और/या वास्तु डिजाइन पर अपनी टिप्पणियाँ न देने से रियायतग्राही इस अनुबंध के तहत अपने दायित्वों और देनदारियों से किसी भी तरह से मुक्त नहीं होगा, और न ही प्राधिकरण या स्वतंत्र अभियंता इसके लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी होंगे।

12.4.5 यदि धारा 12.4.1 या धारा 12.4.2 के अनुसार रियायतग्राही या प्राधिकरण के बीच कोई असहमति उत्पन्न होती है और प्राधिकरण दूसरे पक्ष को इसकी सूचना देता है, तो विवाद उत्पन्न माना जाएगा और इसके समाधान के लिए अनुच्छेद 41 के प्रावधान यथावश्यक रूप से लागू होंगे, बशर्ते कि धारा 41.3 के प्रावधानों के तहत नियुक्त किए जाने वाले मध्यस्थ केवल अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठित वास्तुकार ही हों। यदि संशोधन रियायतग्राही द्वारा प्रस्तावित किया गया है, तो प्राधिकरण द्वारा ऐसे मध्यस्थों को देय शुल्क रियायतग्राही द्वारा प्रतिदिन 5,00,000 रुपये (पांच लाख रुपये) की सीमा के अधीन प्रतिपूर्ति किया जाएगा।

12.5 हवाई अड्डे का निर्माण

12.5.1 रियायतग्राही अनुसूची 'ए', अनुसूची बी, अनुसूची 'सी' में निर्धारित विनिर्देशों और मानकों तथा मास्टर प्लान के अनुरूप हवाई अड्डे पर निर्माण कार्य करेगा।

(1) रियायतग्राही प्रथम चरण के निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक सभी लागू परमिट प्राप्त करेगा, जिसमें अनुसूची 'डी' में निर्दिष्ट लागू परमिट भी शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, बिना शर्त, या यदि शर्तों के अधीन हैं, तो ऐसी सभी शर्तों को उसमें निर्दिष्ट तिथि, रूप और प्रकार से पूर्ण रूप से पूरा करेगा।

(ii) इस समझौते की शर्तों के अनुसार विकास अवधि में स्वीकृत विस्तारों के अधीन, परियोजना के चरण-I के पूरा होने की निर्धारित तिथि, खंड 4.1.3(h) के अनुसार रियायतग्राही द्वारा इंगित तिथि ("निर्धारित समापन तिथि") होगी और रियायतग्राही सहमत है और वचन देता है कि हवाई अड्डे के चरण-I का निर्माण निर्धारित समापन तिथि को या उससे पहले पूरा हो जाएगा।

(iii) बाद के चरणों के लिए निर्धारित समापन तिथियां रियायतग्राही द्वारा स्वतंत्र अभियंता के परामर्श से निर्धारित की जाएंगी।

यह सहमति हुई है कि परियोजना समापन अनुसूची और निर्धारित समापन तिथि शहर की ओर के विकास पर लागू नहीं होंगी। इसके अलावा, हवाई अड्डे के वाणिज्यिक संचालन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 15 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं।

12.5.2 रियायतग्राही स्वतंत्र अभियंता के परामर्श से रियायतग्राही द्वारा तैयार और प्रस्तुत की जाने वाली चरणबद्ध पूर्णता अनुसूची के अनुसार हवाई अड्डे का निर्माण करेगा और इसे अनुसूची 'एफ' में निर्धारित किया जाएगा।

12.5.3 यदि रियायतग्राही अनुसूची 'एफ' में निर्धारित किसी चरण के लिए निर्धारित तिथि से 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के भीतर किसी चरण के अनुसार कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहता है, जब तक कि ऐसी विफलता अप्रत्याशित घटना (फोर्स मेजर) या प्राधिकरण के कारण न हुई हो, तो वह प्राधिकरण को प्रदर्शन सुरक्षा राशि के 0.1% (शून्य दशमलव एक प्रतिशत) की दर से प्रत्येक दिन की देरी के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा, जब तक कि चरण पूर्णता अनुसूची के अनुसार वह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। बशर्ते कि यदि किसी चरण पूर्णता अनुसूची या निर्धारित पूर्णता तिथि के लिए कोई या सभी लक्ष्य इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार बढ़ाए जाते हैं, तो अनुसूची 'एफ' में निर्धारित तिथियों को तदनुसार संशोधित माना जाएगा और इस समझौते के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि अनुसूची 'एफ' को उपरोक्त अनुसार संशोधित किया गया हो। इसके अलावा, यदि किसी संबंधित चरण के लिए सीओडी उस चरण की निर्धारित पूर्णता तिथि पर या उससे पहले प्राप्त कर लिया जाता है, तो इस खंड 12.5.3 के तहत भुगतान की गई क्षतिपूर्ति प्राधिकरण द्वारा वापस कर दी जाएगी। रियायतग्राही को, लेकिन उस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यह सहमति हुई है कि इस खंड 12.5.3 के तहत क्षतिपूर्ति की वसूली इस समझौते के तहत प्राधिकरण के अधिकारों, जिसमें समाप्ति का अधिकार भी शामिल है, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

12.5.4 यदि कोई चरण निर्धारित समापन तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर पूरा नहीं होता है, जब तक कि विलंब का कारण केवल प्राधिकरण के कारण या अप्रत्याशित घटना न हो, तो प्राधिकरण इस अनुबंध को समाप्त करने का हकदार होगा। इसमें निहित प्रावधानों के बावजूद, रियायतग्राही निर्धारित समापन तिथि से 270 (दो सौ सत्तर) दिनों की उक्त अवधि के भीतर चरण-I के समापन तिथि को प्राप्त करने में किसी भी विलंब के लिए लागू कानूनों के तहत देय अन्य राशियों का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

12.6 परियोजना सुविधाओं का विकास

12.6.1 खंड 12.5 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, रियायतग्राही अनुसूची 'बी' में निर्दिष्ट परियोजना सुविधाओं का विकास करेगा, और अनुसूची 'सी', लागू कानूनों और लागू परमिटों में निर्धारित विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप होगा।

12.6.2 परियोजना सुविधाओं में कोई भी विकास, परिवर्धन या संशोधित आकार और मास्टर प्लान के अनुसार और हवाई अड्डे के समग्र डिजाइन और पर्यावरण के साथ सामंजस्य में होगा, लेकिन किसी भी स्थिति में, यह लागत प्रभावी और उपयोगकर्ताओं के सर्वोत्तम हित में होगी।

12.7 हवाई अड्डे का विस्तार

12.7.1 जब भी मास्टर प्लान में निर्दिष्ट हवाई अड्डे की क्षमता इस समझौते और/या आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों में निर्दिष्ट मानदंडों और मानकों से कम हो जाती है, तो रियायतग्राही ऐसी कमी को पूरा करने के लिए क्षमता वृद्धि और विस्तार का कार्य करेगा। इस संबंध में, रियायतग्राही ऐसे किसी भी विस्तार के लिए आवश्यक सभी लागू परमिट बिना शर्त प्राप्त करेगा, या यदि शर्तें लागू हों, तो उन सभी शर्तों को उसमें निर्दिष्ट तिथि और तरीके से पूर्ण रूप से पूरा करेगा।

12.7.2 इस अनुच्छेद 12 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि परियोजना सुविधाओं का विस्तार वास्तु डिजाइन और मास्टर प्लान के अनुसार हो, और हवाई अड्डे के समग्र डिजाइन और पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करे।

अनुच्छेद 13. निर्माण की निगरानी

13.1 त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट

विकास अवधि के दौरान, रियायतग्राही प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 7 (सात) दिनों के भीतर, प्राधिकरण को निष्पादित निर्माण कार्यों की प्रगति (भौतिक और वित्तीय दोनों) और अगली तिमाही की निर्माण योजना के साथ-साथ प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत करेगा।

13.2 निरीक्षण

विकास अवधि के दौरान, स्वतंत्र अभियंता, रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों पर विचार करते हुए, कम से कम तिमाही में एक बार हवाई अड्डे के कार्यों का निरीक्षण करेगा और ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट ("निरीक्षण रिपोर्ट") तैयार करेगा, जिसमें चरण पूर्णता अनुसूची, परियोजना का दायरा, विनिर्देश और मानक, लागू कानून और लागू परमिटों के विशेष संदर्भ में, यदि कोई दोष या खामियां हों, तो उनका उचित विवरण दिया जाएगा। वह निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति प्राधिकरण को भेजेगा और यदि आवश्यक हो, तो प्राधिकरण रियायतग्राही को निरीक्षण रिपोर्ट में पहचाने गए किसी भी दोष या खामी को सुधारने और उसका निवारण करने के लिए सूचित करेगा और रियायतग्राही प्राधिकरण से ऐसी सूचना प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, यदि कोई दोष या खामी हों, तो उन्हें सुधार और उनका निवारण करेगा। स्वतंत्र अभियंता द्वारा ऐसा निरीक्षण या निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने से रियायतग्राही किसी भी तरह से अपने दायित्वों और देनदारियों से मुक्त नहीं होगा। पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि इस अनुच्छेद 13 के अंतर्गत स्वतंत्र अभियंता के कार्यों में शहर की सीमा का विकास शामिल नहीं होगा।

13.3 परीक्षण

13.3.1 निर्माण कार्यों के विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप होने का निर्धारण करने के लिए, स्वतंत्र अभियंता, रियायतग्राही से गुणवत्ता आश्वासन हेतु, स्वतंत्र अभियंता द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट समय, आवृत्ति और तरीके से, उद्योग की अच्छी प्रथाओं, लागू कानूनों, लागू परमिटों और इस समझौते के अनुसार परीक्षण कराने या कराने की अपेक्षा करेगा। ऐसे परीक्षणों के लिए नमूने का आकार, जहाँ तक संभव हो, किए गए कुल कार्यों में किए गए परीक्षणों की मात्रा और/या संख्या के 10% (दस प्रतिशत) से अधिक नहीं होना चाहिए। रियायतग्राही, उचित सावधानी के साथ, स्वतंत्र अभियंता के निर्देशों के अनुसार ऐसे सभी परीक्षण करेगा या कराएगा तथा उनके परिणाम स्वतंत्र अभियंता को प्रस्तुत करेगा। हालांकि, यह प्रावधान है कि स्वतंत्र अभियंता, इस अनुबंध के अंतर्गत निर्दिष्ट परीक्षणों को करने के बजाय, अपनी इच्छानुसार, रियायतग्राही द्वारा गुणवत्ता आश्वासन के लिए अच्छे उद्योग अभ्यास, लागू कानूनों, लागू परमिटों और इस अनुबंध के अनुसार किए जाने वाले किसी भी परीक्षण का अवलोकन करने या उसमें भाग लेने का निर्णय ले सकता है, और ऐसी स्थिति में, रियायतग्राही स्वतंत्र अभियंता को इस अनुबंध के अंतर्गत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए सहयोग करेगा और आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

13.3.2 यदि इस खंड 13.3 के अंतर्गत किए गए किसी भी परीक्षण के परिणाम स्वरूप निर्माण कार्यों में कोई दोष या खामी पाई जाती है, तो रियायतग्राही सुधारात्मक उपाय करेगा और इस संबंध में स्वतंत्र अभियंता को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। स्वतंत्र अभियंता रियायतग्राही से यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण करने या करवाने का निर्देश देगा कि सुधारात्मक उपायों से निर्माण कार्य विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप हो गए हैं, और इस खंड 13.3 में निर्धारित प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि निर्माण कार्य विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप न हो जाएं।

13.3.3 यह सहमति हुई है कि इस खंड 13.3 के अनुसार किए जाने वाले परीक्षण, रियायतग्राही द्वारा उचित उद्योग प्रथाओं, लागू कानूनों और लागू परमिटों के अनुसार अपने स्वयं के गुणवत्ता आश्वासन के लिए किए जाने वाले परीक्षणों के अतिरिक्त और उनसे स्वतंत्र रूप से किए जाएंगे। यह भी सहमति हुई है कि ऐसे परीक्षणों के परिणामों की एक प्रति भेजी जाएगी।

स्वतंत्र अभियंता को तत्काल रियायतकर्ता नियुक्त किया जाता है।

13.4 निर्माण के दौरान होने वाली देरी

धारा 12.5.2 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि रियायतग्राही किसी भी चरण के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता है या स्वतंत्र अभियंता ने उचित रूप से यह निर्धारित कर लिया है कि निर्माण कार्यों की प्रगति की दर ऐसी है कि निर्माण कार्य निर्धारित समापन तिथि तक पूरा होने की संभावना नहीं है, तो वह प्राधिकरण को सूचित करेगा और प्राधिकरण बदले में रियायतग्राही को इस आशय की सूचना देगा, और रियायतग्राही ऐसी सूचना के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर एक संचार के माध्यम से प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता को प्रगति में तेजी लाने के लिए प्रस्तावित कदमों और उस अवधि के बारे में उचित विवरण के साथ सूचित करेगा जिसके भीतर वह चरण-1 के समापन की तिथि प्राप्त करेगा।

13.5 असुरक्षित निर्माण कार्यों का निलंबन

13.5.1 स्वतंत्र अभियंता की सिफारिश पर, प्राधिकरण नोटिस जारी करके रियायतग्राही को निर्माण कार्य के संपूर्ण या किसी भाग को तत्काल निलंबित करने के लिए कह सकता है, यदि प्राधिकरण की राय में ऐसा कार्य हवाई अड्डे पर या उसके आसपास उपयोगकर्ताओं या किसी भी जीवन या संपत्ति की सुरक्षा को खतरे में डालता है। हालांकि, आपातकालीन स्थिति में, प्राधिकरण स्वतः ही उपरोक्त उल्लिखित नोटिस जारी कर सकता है।

13.5.2 रियायतग्राही, धारा 13.5.1 के तहत जारी नोटिस के अनुसार, निर्माण कार्य या उसके किसी भाग को प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट समय और तरीके से निलंबित करेगा और निलंबित कार्यों तथा जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करेगा। रियायतग्राही नोटिस द्वारा स्वतंत्र अभियंता को ऐसे सुधारात्मक उपायों का तुरंत निरीक्षण करने और प्राधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है जिसमें यह अनुशंसा की जाए कि क्या इस अनुबंध के तहत निलंबन रद्द किया जा सकता है। स्वतंत्र अभियंता की अनुशंसा प्राप्त होने पर, प्राधिकरण या तो ऐसे निलंबन को रद्द कर देगा या रियायतग्राही को प्राधिकरण की उचित राय में आवश्यक अन्य और आगे के सुधारात्मक उपाय करने का निर्देश देगा, और इस धारा 13.5 में निर्धारित प्रक्रिया को तब तक दोहराया जाएगा जब तक कि इस अनुबंध के तहत निलंबन रद्द नहीं हो जाता।

13.5.3 धारा 32.7 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, निलंबन की अवधि के दौरान निर्माण कार्यों या उसके किसी भाग के रखरखाव और संरक्षण के लिए किए गए सभी उचित खर्च ("संरक्षण लागत") रियायतग्राही द्वारा वहन किए जाएंगे, बशर्ते कि यदि निलंबन प्राधिकरण द्वारा इस समझौते के किसी उल्लंघन के परिणामस्वरूप किया हो, तो संरक्षण लागत प्राधिकरण द्वारा वहन की जाएगी। नियामक द्वारा निर्धारित किए जाने वाले वैमानिक शुल्कों के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए संरक्षण लागतों को विशेष रूप से बाहर रखा जाएगा।

13.5.4 यदि निर्माण कार्य का निलंबन रियायतग्राही के कारण नहीं है, और रियायतग्राही द्वारा उद्योग की अच्छी प्रथाओं के अनुसार इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था और इसे टाला नहीं जा सकता था, तो प्राधिकरण, स्वतंत्र अभियंता की सिफारिश पर, चरणबद्ध समापन अनुसूची में निर्धारित तिथियों में किसी भी प्रकार का विस्तार निर्धारित करेगा, जिसके लिए रियायतग्राही यथोचित रूप से हकदार है। यदि इसके अनुसार निर्धारित

समापन तिथि बढ़ाई जाती है, तो रियायत अवधि को निर्धारित समापन तिथि के विस्तार की अवधि के बराबर अवधि के लिए बढ़ाया हुआ माना जाएगा।

13.6 वीडियो रिकॉर्डिंग

13.6.1 विकास अवधि के दौरान, रियायतग्राही प्रत्येक कैलेंडर तिमाही के लिए प्राधिकरण को एक वीडियो रिकॉर्डिंग प्रदान करेगा, जिसे 3 (तीन) घंटे की डिजिटल वीडियो डिस्क या उसके किसी विकल्प में संकलित किया जाएगा, जिसमें उस तिमाही में निर्माण कार्यों की स्थिति और प्रगति को दर्शाया जाएगा। ऐसी पहली वीडियो रिकॉर्डिंग सीओडी के 7 (सात) दिनों के भीतर प्राधिकरण को प्रदान की जाएगी और उसके बाद, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के बाद नहीं।

13.6.2 इसके खंड 13.6 के अनुसार रियायतकर्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली वीडियो रिकॉर्डिंग में रियायतकर्ता द्वारा समान रूप से साप्ताहिक वितरण के आधार पर की गई गतिविधियों को शामिल किया जाएगा, और यह संबंधित रिकॉर्डिंग अवधि के दौरान रियायतकर्ता द्वारा की गई और निष्पादित गतिविधियों का उचित प्रतिबिंब होगा।

अनुच्छेद 14. चरण का समापन

14.1 परीक्षण

14.1.1 संबंधित चरण के संभावित समापन से कम से कम 30 (तीस) दिन पहले, रियायतग्राही प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता को संबंधित चरण के परीक्षण कराने के अपने प्रस्ताव की सूचना देगा। प्रत्येक परीक्षण की तिथि और समय को रियायतग्राही द्वारा स्वतंत्र अभियंता के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा और प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा, जो परीक्षणों के साक्षी के रूप में अपने प्रतिनिधि को नामित कर सकता है। यदि रियायतग्राही और स्वतंत्र अभियंता परीक्षण आयोजित करने की तिथियों पर पारस्परिक रूप से सहमत नहीं हो पाते हैं, तो रियायतग्राही स्वतंत्र अभियंता को कम से कम 15 (पंद्रह) दिन पहले तिथियां निर्धारित करेगा। यह सहमति है कि इसके अनुच्छेद 14 के प्रावधान शहर की ओर के विकास पर लागू नहीं होंगे।

14.1.2 सभी परीक्षण अनुसूची 'जी' के अनुसार रियायतग्राही के खर्च पर किए जाएंगे। स्वतंत्र अभियंता हवाई अड्डे के विनिर्देशों, मानकों और लागू परमिटों के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए परीक्षणों के परिणामों का अवलोकन, निगरानी और समीक्षा करेगा। यदि किसी परीक्षण के दौरान स्वतंत्र अभियंता द्वारा यह उचित रूप से अनुमान लगाया जाता है या निर्धारित किया जाता है कि हवाई अड्डे या उसके किसी भाग का प्रदर्शन विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप नहीं है, तो उसे ऐसे परीक्षण को निलंबित या स्थगित करने और रियायतग्राही से दोषों या कमियों को दूर करने का अनुरोध करने का अधिकार है। प्रत्येक परीक्षण के पूर्ण होने पर, रियायतग्राही स्वतंत्र अभियंता और प्राधिकरण को विस्तृत परीक्षण परिणामों सहित सभी परीक्षण डेटा की प्रतियां प्रदान करेगा।

14.1.3 प्राधिकरण और/या स्वतंत्र अभियंता, रियायतग्राही को विनिर्देशों और मानकों, लागू कानूनों और लागू परमिटों के साथ हवाई अड्डे के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए, रियायतग्राही के खर्च पर, अतिरिक्त परीक्षण करने या करवाने की आवश्यकता कर सकता है, या यदि उसे निम्नलिखित में से किसी भी कारण से रनवे, टैक्सी-वे, एप्रन, एटीसी सुविधा और टर्मिनल भवन की भौतिक संरचना की मजबूती की पर्याप्तता के बारे में उचित संदेह है:

(क) कंक्रीट परीक्षण घनों पर संपीड़न शक्ति के परिणाम जो निर्दिष्ट शक्ति से कम हों;

(ख) फॉर्मवर्क को समय से पहले हटाना;

(ग) कंक्रीट का अपर्याप्त उपचार,

(घ) संरचना या उसके किसी भाग के निर्माण के दौरान ओवरलोडिंग; (घ)

(ङ) मधुकोशनुमा या क्षतिग्रस्त कंक्रीट की उपस्थिति जो संरचना की डिजाइन भार वहन करने की स्थिरता को प्रभावित कर सकती है; या

(च) कोई अन्य कारण जिसके परिणामस्वरूप संरचना या उसका कोई भाग अपेक्षित मजबूती से कम हो सकता है।

14.2 समापन

इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण होने पर ("पूर्णता") और स्वतंत्र अभियंता द्वारा परीक्षणों को सफल घोषित किए जाने पर, रियायतग्राही प्राधिकरण को एक पूर्णता रिपोर्ट ("पूर्णता रिपोर्ट") प्रस्तुत करेगा, जिसकी एक प्रति स्वतंत्र अभियंता को भी दी जाएगी। पूर्णता रिपोर्ट में परीक्षण डेटा, अपनाई गई प्रक्रियाएं और परीक्षण परिणाम शामिल होंगे। स्वतंत्र अभियंता रियायतग्राही की पूर्णता रिपोर्ट के सत्यापन के बाद, प्राधिकरण को निर्माण कार्य के भौतिक रूप से पूर्ण होने का प्रमाण पत्र ("पूर्णता प्रमाण पत्र") जारी करने की अनुशंसा करेगा।

अनुच्छेद 14: चरण का पूर्ण होना

14.1 परीक्षण

14.1.1 संबंधित चरण के पूर्ण होने की संभावित तारीख से कम से कम 30 (तीस) दिन पूर्व, रियायतग्राही (Concessionaire), प्राधिकरण (Authority) तथा स्वतंत्र इंजीनियर को संबंधित चरण के परीक्षण करने के अपने आशय की लिखित सूचना देगा। प्रत्येक परीक्षण की तिथि तथा समय का निर्धारण रियायतग्राही द्वारा स्वतंत्र इंजीनियर के परामर्श से किया जाएगा, तथा इसकी सूचना प्राधिकरण को दी जाएगी, जो परीक्षणों को देखने के लिए अपने प्रतिनिधि नामित/मनोनीत कर सकता है। यदि रियायतग्राही तथा स्वतंत्र इंजीनियर परीक्षण आयोजित करने की तिथियों पर परस्पर सहमत होने में विफल रहते हैं, तो रियायतग्राही स्वतंत्र इंजीनियर को कम से कम 15 (पन्द्रह) दिनों का नोटिस देकर तिथियां निर्धारित करेगा। यह सहमति बनी है कि इस अनुच्छेद 14 के उपबंध सिटी साइड विकास (पर लागू नहीं होंगे)।

14.1.2 सभी परीक्षण अनुसूची जी के अनुसार रियायतग्राही की लागत और व्यय पर आयोजित किए जाएंगे। स्वतंत्र इंजीनियर, विनिर्देशों और मानकों (Specifications and Standards) तथा लागू अनुमतियों/अनुज्ञप्तियों के साथ विमानपत्तन के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए परीक्षणों के परिणामों का अवलोकन, निगरानी और समीक्षा करेगा। यदि किसी परीक्षण के दौरान स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा यह यह निर्धारित किया जाता है कि विमानपत्तन या उसके किसी भाग का कार्य-प्रदर्शन विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप नहीं है, तो उसे ऐसे परीक्षण को निलंबित या स्थगित करने तथा रियायतग्राही से त्रुटियों, दोषों या कमियों को दूर करने की अपेक्षा करने का अधिकार होगा। प्रत्येक परीक्षण के पूरा होने पर, रियायतग्राही स्वतंत्र इंजीनियर और प्राधिकरण को विस्तृत परीक्षण परिणामों सहित सभी परीक्षण डेटा की प्रतियां प्रदान करेगा।

14.1.3 प्राधिकरण और/या स्वतंत्र इंजीनियर निम्नलिखित में से किसी भी कारण से विनिर्देशों और मानकों, लागू कानून (Applicable Laws) तथा लागू अनुमतियों के साथ विमानपत्तन के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए, अथवा यदि उन्हें रनवे, टैक्सीवे, एप्रन, एटीसी विधा और टर्मिनल भवन की भौतिक संरचना की शक्ति/सामर्थ्य की पर्याप्तता के संबंध में युक्तियुक्त संदेह हो, तो उत्तम उद्योग प्रथा के अनुसार रियायतग्राही की लागत और व्यय पर अतिरिक्त परीक्षण आयोजित करने या कराए जाने की अपेक्षा रियायतग्राही से कर सकते हैं:

- (क) कंक्रीट परीक्षण घनों की संपीड़न शक्ति के परिणाम निर्दिष्ट शक्ति से कम पाए जाना;
- (ख) फॉर्मवर्क को समय से पूर्व हटाया जाना;
- (ग) कंक्रीट की अपर्याप्त तराई होना;
- (घ) संरचना अथवा उसके किसी भाग के निर्माण के दौरान उस पर अत्यधिक भार डाला जाना;
- (ङ) मधुमक्खी के छूते अथवा क्षतिग्रस्त कंक्रीट होना, जो डिज़ाइन भार को वहन करने के लिए संरचना की स्थिरता को प्रभावित कर सकती है; या
- (च) कोई अन्य कारण जिसके परिणामस्वरूप संरचना अथवा उसका कोई भाग अपेक्षित सामर्थ्य से कम शक्ति का हो सकता है।

14.2 पूर्णता

करार के उपबंधों के अनुसार निर्माण कार्यों के पूरा होने पर ("Completion") तथा स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा परीक्षणों को सफल निर्धारित किए जाने पर, रियायतग्राही प्राधिकरण को एक पूर्णता रिपोर्ट ("Completion Report") प्रस्तुत करेगा जिसकी एक प्रति स्वतंत्र इंजीनियर को दी जाएगी। पूर्णता रिपोर्ट में परीक्षण डेटा, अपनाई गई प्रक्रियाएं और परीक्षण परिणाम सम्मिलित होंगे। स्वतंत्र इंजीनियर, रियायतग्राही की पूर्णता रिपोर्ट के सत्यापन (Verification) के पश्चात, इस करार के निबंधनों के अनुसार संबंधित चरण के भौतिक निर्माण के पूरा होने के लिए पूर्णता प्रमाणपत्र ("Completion Certificate") जारी करने हेतु प्राधिकरण को सिफारिश करेगा। रियायतग्राही वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने से पहले, लागू कानून के अनुसार सभी आवश्यक लागू अनुज्ञप्तियां/अनुमतियां प्राप्त करने के लिए बाध्य रहेगा।

14.3 अनंतिम पूर्णता

14.3.1 प्राधिकरण, रियायतग्राही के अनुरोध पर तथा स्वतंत्र इंजीनियर की सिफारिशों के अधीन और डीजीसीए लाइसेंस सहित सभी आवश्यक लागू अनुज्ञप्तियां/अनुमतियां प्राप्त किए जाने पर, निर्माण कार्यों के वाणिज्यिक प्रचालन की अनुमति दे सकता है, यदि परीक्षण सफल रहे हों और निर्माण कार्यों को सुरक्षित एवं विश्वसनीय रूप से वाणिज्यिक प्रचालन में लाया जा सकता हो, भले ही उसका कुछ कार्य लंबित हों और अभी तक पूरी न हुई हों। ऐसी स्थिति में, स्वतंत्र इंजीनियर रियायतग्राही के परामर्श से, प्राधिकरण को लंबित मदों की एक सूची प्रस्तुत करेगा, तत्पश्चात जिस पर प्राधिकरण, स्वतंत्र इंजीनियर और रियायतग्राही द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे।

14.3.2 इसके पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि इस खंड 14.3 के तहत, रियायतग्राही के अनुरोध पर, विमानपतन के कुछ भाग के प्रचालन के लिए भी अनुमति दी जा सकती है, यदि इसे खंड 14.3.1 के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षित और विश्वसनीय रूप से वाणिज्यिक प्रचालन में लाया जा सकता हो। खंड 14.3 के तहत प्रचालन की अनुमति मिलने पर, इस करार के प्रावधान विमानपतन के उस पूर्ण किए गए भाग पर लागू होंगे, और विमानपतन के ऐसे पूर्ण भाग के लिए और उसके संबंध में रियायतग्राही के अधिकारों और दायित्वों का तदनुसार निर्धारित किया जाएगा।

14.3.3 रियायतग्राही निर्धारित अवधि के भीतर पंच लिस्ट की मदों को पूरा करने और लागू कानून के अनुसार सभी आवश्यक लागू अनुमतियाँ/अनुज्ञप्तियाँ प्राप्त करने के लिए बाध्य होगा।

14.4 पंच लिस्ट की मदों की पूर्णता

14.4.1 पंच लिस्ट की सभी मदें अनुसूचित पूर्णता तिथि से पहले रियायतग्राही द्वारा पूरी की जाएंगी। उसमें होने वाले किसी भी देरी के लिए, केवल प्राधिकरण के कारणों अथवा अपरिहार्य घटना/अप्रत्याशित घटना के कारण हुई देरी को छोड़कर हो, प्राधिकरण रियायतग्राही से हर्जाना वसूल करने का हकदार होगा। हर्जाने की गणना और भुगतान, सभी मदों के पूरा होने तक विलंब के प्रत्येक दिन के लिए निम्नलिखित में से जो भी राशि कम हो, उस दर पर किया जाएगा:

(क) कार्यनिष्पादन प्रतिभूति / परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का 0.1% (शून्य दशमलव एक प्रतिशत); अथवा

(ख) ऐसी मदों को पूरा करने की स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा अनुमानित लागत का 0.2% (शून्य दशमलव दो प्रतिशत)

इस हज़ाने का भुगतान होने पर, रियायतग्राही पंच लिस्ट की मदों को पूरा करने के लिए अधिकतम 120 (एक सौ बीस) दिनों की अतिरिक्त अवधि का हकदार होगा | यदि किसी मद को पूरा करने में विलंब केवल प्राधिकरण के कारण या अपरिहार्य घटना के कारण होता है, तो उसकी पूर्णता तिथि का निर्धारण स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा उत्तम उद्योग प्रथा के अनुसार किया जाएगा।

14.4.2 पंच लिस्ट की सभी मदों के पूरा होने पर, यदि अपेक्षित हो, रियायतग्राही स्वतंत्र इंजीनियर की उपस्थिति में लागू परीक्षणों को निष्पादित करेगा तथा रियायतग्राही प्राधिकरण और स्वतंत्र इंजीनियर को अपनी पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा | अपरिहार्य घटना या केवल प्राधिकरण के कारण हुए विलंब के अलावा किसी भी कारण से खंड 14.4.1 में निर्धारित समयावधि के भीतर पंच लिस्ट की सभी मदों को पूरा करने में रियायतग्राही की विफलता प्राधिकरण को इस करार को समाप्त करने का अधिकार प्रदान करेगी।

14.5 पूर्णता प्रमाणपत्र को रोकना

14.5.1 यदि स्वतंत्र इंजीनियर यह निर्धारित करता है कि विमानपतन या उसका कोई भाग इस करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं है तथा इसे सुरक्षित और विश्वसनीय रूप से वाणिज्यिक प्रचालन में नहीं लाया जा सकता है, तो वह तत्काल इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी प्रतियां प्राधिकरण तथा रियायतग्राही को भेजेगा | स्वतंत्र इंजीनियर से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर और स्वयं निरीक्षण करने के पश्चात, यदि प्राधिकरण की यह राय है कि विमानपतन वाणिज्यिक सेवा के लिए उपयुक्त और सुरक्षित नहीं है, तो वह उपरोक्त रिपोर्ट प्राप्त करने के 7 (सात) दिनों के भीतर, रियायतग्राही को विमानपतन में विद्यमान दोषों, त्रुटियों और कमियों के बारे में सूचित करेगा तथा स्वतंत्र इंजीनियर को, स्थिति अनुसार, अनंतिम प्रमाणपत्र या पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने से रोकने का निर्देश देगा | ऐसा नोटिस प्राप्त होने पर, रियायतग्राही ऐसी त्रुटियों या कमियों का उपचार और सुधार करेगा और उसके बाद इस अनुच्छेद 14 के अनुसार पुनः परीक्षण आयोजित किए जाएंगे | यह प्रक्रिया आवश्यकतानुसार तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि त्रुटियों या कमियों को प्राधिकरण की संतुष्टि तक ठीक न कर दिया जाए।

14.5.2 खंड 14.5.1 में निहित किसी विपरीत बात के होते हुए भी, प्राधिकरण उस खंड के तहत स्वतंत्र इंजीनियर से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद किसी भी समय, स्वतंत्र इंजीनियर को खंड 14.3 के तहत अनंतिम प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दे सकता है, और ऐसे निर्देश का तुरंत अनुपालन किया जाएगा।

14.6 परीक्षणों का पुनर्निर्धारण

यदि स्वतंत्र इंजीनियर प्राधिकरण और रियायतग्राही को यह प्रमाणित करता है कि वह उन घटनाओं या परिस्थितियों के कारण पूर्णता प्रमाणपत्र या अनंतिम प्रमाणपत्र, जैसी भी स्थिति हो, जारी करने में असमर्थ है जिनके कारण परीक्षण आयोजित नहीं किए जा सके या उन्हें निलंबित करना पड़ा था, तो रियायतग्राही परीक्षणों को पुनर्निर्धारित (Reschedule) करने और व्यावहारिक रूप से जितनी जल्दी हो सके उन्हें आयोजित करने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 15: वाणिज्यिक सेवा में प्रवेश

15.1 वाणिज्यिक प्रचालन तिथि

15.1.1 इस रियायत की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि ("सीओडी") वह तिथि होगी जिस दिन अनुच्छेद 4 के अनुसार सभी पूर्ववर्ती शर्तें पूरी हो जाती हैं और रियायतग्राही वित्तीय समापन प्राप्त कर लेता है। रियायतग्राही सीओडी से विमानपतन का प्रचालन और प्रबंधन शुरू करने का हकदार होगा और अनुच्छेद 28 के प्रावधानों के अनुसार शुल्क की मांग करने और उसे एकत्र/संग्रहित करने का हकदार होगा।

15.1.2 रियायतग्राही इसके द्वारा सहमत होता है और वचन देता है कि वह इस करार की तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर सीओडी प्राप्त करेगा। विलंब की स्थिति में, वह प्राधिकरण को हर्जाने के भुगतान के अधीन अधिकतम 90 (नब्बे) दिनों की अतिरिक्त अवधि का हकदार होगा, जिसकी गणना विलंब के प्रत्येक दिन के लिए कार्यनिष्पादन प्रतिभूति के 0.2% (शून्य दशमलव दो प्रतिशत) की दर से की जाएगी; बशर्ते कि इसमें निर्दिष्ट हर्जाना प्रत्येक सप्ताह अग्रिम रूप से देय होगा और 90 (नब्बे) दिनों की अवधि केवल इस प्रकार भुगतान किए गए हर्जाने की सीमा तक ही प्रदान की जाएगी; बशर्ते आगे यह भी कि यदि सीओडी में ऐसी देरी खंड 4.1.2 में निर्दिष्ट पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति में प्राधिकरण द्वारा किसी चूक या विलंब के परिणामस्वरूप या अपरिहार्य घटना के कारण हुई है, तो कोई हर्जाना देय नहीं होगा। संदेह के निवारण के लिए, इसके तहत देय हर्जाना खंड 4.2 के तहत देय हर्जाने के अतिरिक्त होगा।

15.2 विलंब के कारण समाप्ति

इस करार में निहित इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी, परंतु खंड 32.6.1 के अधीन, किसी भी कारण से खंड 15.1 में निर्धारित अवधि के भीतर सीओडी न होने की स्थिति में, रियायतग्राही को इस करार के तहत या इससे उत्पन्न होने वाले सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों, दावों और स्वत्वों को रियायतग्राही की सहमति से परित्यक्त (Waived) माना जाएगा और वे समाप्त हो जाएंगे, तथा यह रियायत करार पक्षकारों की पारस्परिक सहमति (Mutual Agreement) से समाप्त माना जाएगा।

अनुच्छेद 16: संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं

16.1 वित्त का अंतरण

16.1.1 विमानपतन के लिए और उसके संबंध में सभी राजस्व, प्राप्तियां, व्यय और अन्य वित्तीय लेनदेन सीओडी पर 00:00 (शून्य शून्य: शून्य शून्य) बजे से प्राधिकरण से रियायतग्राही को अंतरित माने जाएंगे। तत्संबंधी सभी अधिकार, दायित्व और देनदारियां उस समय से और अंतरण तिथि तक केवल रियायतग्राही में निहित होंगी।

सीओडी से पूर्व प्राधिकरण के सभी दायित्व और देनदारियां, जिनमें कोई भी ऋण दायित्व और प्राधिकरण या किसी तीसरे पक्ष को किए जाने वाले भुगतान शामिल हैं, हर समय प्राधिकरण में निहित रहेंगे। प्राधिकरण, सीओडी से पहले उत्पन्न होने वाले किसी भी नवोन्मेषित संविदाओं या गैर-नवोन्मेषित संविदाओं के तहत या उनके संबंध में किसी भी प्रकार और प्रकृति के नुकसान, क्षति, लागत और व्यय के लिए किसी भी और सभी वादों, कार्यवाहियों, कार्यवाइयों, मांगों और दावों के विरुद्ध रियायतग्राही को क्षतिपूर्ति (Indemnify) करेगा, उसका बचाव करेगा और उसे सुरक्षित एवं हानिरहित रखेगा। बशर्ते कि प्राधिकरण किसी भी ऐसे व्यक्तिगत दावे के

लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो रु. 2,00,00,000 (दो करोड़ रुपये) से कम है, और न ही सभी नवोन्मेषित संविदाओं और/या गैर-नवोन्मेषित संविदाओं के तहत सभी दावों (संबंधित ब्याज और प्रवर्तन लागत को छोड़कर) के लिए प्राधिकरण की कुल देनदारी रु. 20,00,00,000 (बीस करोड़ रुपये) के बराबर या उससे अधिक होगी।

16.1.2 विमानपतन के संबंध में सभी मौजूदा सुरक्षा जमा, बयाना जमा, बैंक गारंटी, कार्यनिष्पादन प्रतिभूतियां या अन्य समान साधन, जिनमें नवोन्मेषित संविदाओं के प्रतिपक्षकार(यों) द्वारा प्रस्तुत किए गए साधन शामिल हैं, प्रतिपक्षकार द्वारा रियायतग्राही को वही साधन प्रस्तुत किए जाने पर प्राधिकरण द्वारा सीओडी के 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर प्रतिपक्षकार को जारी कर दिए जाएंगे।

16.2 गैर-वैमानिकी परिसंपत्तियों का अंतरण

खंड 16.3 के अधीन, यह माना जाएगा कि रियायतग्राही ने सीओडी पर सभी गैर-वैमानिकी परिसंपत्तियों का नियंत्रण ग्रहण कर लिया है।

16.3 वैमानिकी परिसंपत्तियों का अंतरण

- यह माना जाएगा कि रियायतग्राही ने सीओडी पर सभी वैमानिकी परिसंपत्तियों और टर्मिनल भवन का नियंत्रण ग्रहण कर लिया है।

16.4 संयुक्त प्रबंधन के दौरान प्राधिकरण के दायित्व

16.4.1 प्राधिकरण यह सुनिश्चित और प्रतिपादित करेगा कि संयुक्त प्रबंधन अवधि के दौरान, विमानपतन पर कार्यरत उसके सभी कर्मचारी रियायतग्राही के निर्देशों के अनुसार, अपनी सर्वोत्तम क्षमता के साथ तथा सत्यनिष्ठा और दक्षता से अपने संबंधित कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करें।

16.4.2 प्राधिकरण या उसके कर्मचारी संयुक्त प्रबंधन अवधि के दौरान किसी भी कार्य या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, केवल उस स्थिति को छोड़कर जहां ऐसा कार्य घोर लापरवाही या जानबूझकर की गई चूक के कारण हुआ हो।

16.4.3 रियायतग्राही सीओडी से 1 (एक) वर्ष के भीतर एयरोड्रोम लाइसेंस प्राप्त करेगा। इस करार में निहित इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण लागू कानून के अनुसार विमानपतन के एयरोड्रोम ऑपरेटर के रूप में कार्य करना जारी रखेगा, जिसमें विमान नियम, 1937 और डीजीसीए द्वारा जारी 16 अक्टूबर, 2006 की नागर विमानन आवश्यकताओं का पैराग्राफ 7.3 शामिल है। प्राधिकरण उस समय तक विमानपतन के संचालन के लिए जिम्मेदार होगा जब तक कि रियायतग्राही को एयरोड्रोम लाइसेंस प्रदान नहीं कर दिया जाता; तथापि, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली सभी देनदारियों को रियायतग्राही की देनदारियां माना जाएगा।

16.4.4 यह स्पष्ट किया जाता है कि संयुक्त प्रबंधन अवधि के दौरान, रियायतग्राही विमानपतन के प्रचालन, विकास और प्रबंधन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और इस संबंध में प्राधिकरण के कोई दायित्व और/या अधिकार नहीं होंगे, जैसा कि इस करार में अन्यथा निर्धारित किया गया है।

16.5 सीओडी से पूर्व अवलोकन अवधि

प्राधिकरण, सीओडी से पूर्व 60 (साठ) दिनों की अवधि के लिए, रियायतग्राही और उसके द्वारा नामित सभी व्यक्तियों को विमानपतन में प्रवेश करने तथा विमानपतन पर कर्मचारियों, उपकरणों, प्रणालियों और सुविधाओं के कामकाज का अवलोकन करने की सुविधा देगा। प्राधिकरण अपने कर्मचारियों को रियायतग्राही और उसके

नामित व्यक्तियों के साथ सहयोग करने तथा सीओडी के बाद विमानपतन के संचालन के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में उनकी सहायता करने का निर्देश देगा। बशर्ते, हालांकि, इस खंड 16.5 के प्रावधान केवल तभी लागू होंगे जब रियायतग्राही ने अनुच्छेद 9 के प्रावधानों के अनुसार कार्यनिष्पादन प्रतिभूति प्रदान कर दी हो।

अनुच्छेद 17: कार्यक्षेत्र में परिवर्तन

17.1 कार्यक्षेत्र में परिवर्तन

17.1.1 इस करार में निहित इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी, परियोजना के कार्यक्षेत्र में शामिल दायित्वों में किसी भी वृद्धि या विलोपन को कार्यक्षेत्र में परिवर्तन ("कार्यक्षेत्र में परिवर्तन") माना जाएगा। कार्यक्षेत्र में कोई भी परिवर्तन इस अनुच्छेद 17 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

17.1.2 यदि रियायतग्राही किसी भी समय यह निर्धारित करता है कि उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित और बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्यक्षेत्र में परिवर्तन आवश्यक हैं, तो वह लिखित नोटिस द्वारा प्राधिकरण से ऐसे कार्यक्षेत्र में परिवर्तन पर विचार करने का अनुरोध करेगा। प्राधिकरण, ऐसा नोटिस प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, या तो संशोधनों के साथ (यदि कोई हो) ऐसे कार्यक्षेत्र में परिवर्तन को स्वीकार करेगा और इस अनुच्छेद 17 के अनुसार कार्रवाई शुरू करेगा या रियायतग्राही को कार्यक्षेत्र में परिवर्तन स्वीकार न करने के अपने कारणों के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा।

17.1.3 कोई भी कार्य या सेवाएं जो इस अनुच्छेद 17 के अनुसार कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के रूप में निष्पादित की जाती हैं, वे विमानपत्तन का हिस्सा बनेंगी और इस करार के प्रावधान यथाआवश्यक परिवर्तन सहित ऐसे कार्यों या सेवाओं पर लागू होंगे।

17.1.4 रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमत होता है कि वैमानिकी परिसंपत्तियों और गैर-वैमानिकी परिसंपत्तियों का कोई भी विस्तार, जो इस करार के प्रावधानों के अनुपालन के लिए आवश्यक है, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन का हिस्सा नहीं बनेगा और वह रियायतग्राही की लागत और व्यय पर किया जाएगा।

17.2 कार्यक्षेत्र में परिवर्तन की प्रक्रिया

17.2.1 प्राधिकरण द्वारा कार्यक्षेत्र में परिवर्तन को आवश्यक निर्धारित करने की स्थिति में, वह रियायतग्राही को उसके तहत निर्दिष्ट कार्यों और सेवाओं का उचित विवरण देते हुए एक नोटिस जारी करेगा ("कार्यक्षेत्र परिवर्तन नोटिस")।

17.2.2 कार्यक्षेत्र परिवर्तन नोटिस प्राप्त होने पर, रियायतग्राही सम्यक तत्परता के साथ प्राधिकरण को ऐसी जानकारी प्रदान करेगा जो आवश्यक हो, साथ ही निम्नलिखित के समर्थन में प्रारंभिक दस्तावेज़ प्रदान करेगा:

(क) विकास अवधि के दौरान कार्यों या सेवाओं को निष्पादित करने की आवश्यकता होने पर, चरण पूर्णता अनुसूची पर कार्यक्षेत्र में परिवर्तन का संभावित प्रभाव; और

(ख) प्रस्तावित कार्यक्षेत्र में परिवर्तन को लागू करने के विकल्प तथा प्रत्येक ऐसे विकल्प की लागत और समय पर पड़ने वाला प्रभाव (यदि कोई हो)।

17.2.3 खंड 17.2.2 में निर्धारित जानकारी प्राप्त होने पर, यदि प्राधिकरण कार्यक्षेत्र में परिवर्तन का निर्णय लेता है, तो वह रियायतग्राही को अपने पसंदीदा विकल्प के बारे में बताएगा, और पक्षकार, स्वतंत्र इंजीनियर की सहायता से, उसके बाद कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के कार्यान्वयन के तरीके पर सहमत होने के लिए सद्भावपूर्ण प्रयास करेंगे। सहमति बनने पर, प्राधिकरण एक आदेश ("कार्यक्षेत्र परिवर्तन आदेश") जारी करेगा, जिसमें रियायतग्राही से उसके निष्पादन के साथ आगे बढ़ने की अपेक्षा की जाएगी। यदि पक्षकार सहमत होने में असमर्थ रहते हैं, तो प्राधिकरण, कार्यक्षेत्र परिवर्तन आदेश जारी करके, विवाद के समाधान तक रियायतग्राही को विवाद का हल होने तक काम पूरा करने के लिए कह सकती है।

17.2.4 इस करार के प्रावधान, जहां तक वे निर्माण कार्य और परीक्षाओं से संबंधित हैं, इस अनुच्छेद 17 के तहत कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के रूप में रियायतग्राही द्वारा किए गए कार्यों पर यथोचित परिवर्तन सहित (Mutatis Mutandis) लागू होंगे।

17.2.5 कार्यक्षेत्र में ऐसा कोई भी परिवर्तन विनियामक के अनुमोदन के अधीन इस अनुच्छेद 17 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, जिसमें वैमानिकी शुल्कों के निर्धारण के लिए विनियामक का निर्णय भी शामिल है। प्राधिकरण कार्यक्षेत्र में परिवर्तन का हिस्सा बनने वाले कार्यों या सेवाओं के संबंध में रियायतग्राही को कोई भुगतान नहीं करेगा।

17.3 कार्य और सेवाएं निष्पादित करने की प्राधिकरण की शक्ति

17.3.1 इस अनुच्छेद 17 में निहित इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण, रियायतग्राही को नोटिस देने और उसके जवाब पर विचार करने के बाद, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन का हिस्सा बनने वाले किसी भी कार्य या सेवा को खुली प्रतिस्पर्धी बोली (Open Competitive Bidding) के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सौंप सकता है, बशर्ते कि रियायतग्राही के पास प्राधिकरण को, ऐसे कार्यों या सेवाओं की अनुमानित लागत के 2.50% (दो दशमलव पांच शून्य प्रतिशत) के भुगतान के अधीन, बोली प्रक्रिया में भाग लेने का विकल्प हो। रियायतग्राही इस एक बारगी विकल्प का प्रयोग करने का हकदार केवल तभी होगा यदि उसने बोली प्रक्रिया में भाग लिया हो और उसकी बोली उसकी प्रथम रैंक वाली बोली के 10% (दस प्रतिशत) के भीतर हो। यदि रियायतग्राही ऐसे किसी कार्य या सेवा को लागू नहीं कर रहा है, तो रियायतग्राही उस व्यक्ति को पहुंच, सहायता और सहयोग प्रदान करेगा जो इसके तहत कार्यों या सेवाओं को निष्पादित करता है।

17.3.2 इस खंड 17.3 के अनुसार निष्पादित कार्य या सेवाएं विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप होंगी तथा इस तरह से की जाएंगी जिससे विमानपत्तन के संचालन, प्रबंधन और विकास में कम से कम व्यवधान हो। इस करार के प्रावधान, जहां तक वे निर्माण कार्य और परीक्षाओं से संबंधित हैं, इस खंड 17.3 के तहत किए गए कार्यों पर यथाआवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

17.4 कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के कार्यान्वयन की लागत

रियायतग्राही को या अन्यथा इस अनुच्छेद 17 के अनुसरण में कार्यक्षेत्र में परिवर्तन का हिस्सा बनने वाले कार्यों या सेवाओं को सौंपे जाने के बावजूद, प्राधिकरण द्वारा इसमें किए गए किसी भी व्यय के बारे में प्राधिकरण द्वारा ऐसे कार्यों या सेवाओं के पूरा होने पर रियायतग्राही को सूचित किया जाएगा। रियायतग्राही विनियामक को वैमानिकी शुल्कों के निर्धारण के लिए अपने आवेदन के साथ ऐसी लागतों का एक विवरण प्रस्तुत करेगा और प्राधिकरण को ऐसी सभी राशियों का भुगतान 6 (छह) समान मासिक किस्तों में करेगा।

अनुच्छेद 18: प्रचालन, अनुरक्षण और प्रबंधन

18.1 रियायतग्राही के ओ एंड एम दायित्व

18.1.1 रियायत अवधि के दौरान, रियायतग्राही या तो स्वयं, या ओ एंड एम ठेकेदारों के माध्यम से यह करार, लागू कानून और लागू अनुमतियों के अनुसार विमानपत्तन का प्रचालन और अनुरक्षण करेगा। यदि आवश्यक हो, तो इस करार के प्रावधानों, लागू कानून और लागू अनुमतियों का अनुपालन करने के लिए और विनिर्देशों व मानकों तथा उत्तम उद्योग प्रथा के अनुरूप रहने के लिए विमानपत्तन में संशोधन, मरम्मत या अन्यथा सुधार

करेगा | इसके तहत रियायतग्राही के दायित्वों में निम्नलिखित शामिल होंगे लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है:

(क) वैमानिकी सेवाएं, गैर-वैमानिकी सेवाएं और ऐसी अन्य सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करना, जो इस करार के निबंधनों और उत्तम उद्योग प्रथा के अनुसार आवश्यक हैं;

(ख) सामान्य प्रचालन परिस्थितियों के दौरान, उपयोगकर्ताओं की सुरक्षित, सुचारू और निर्बाध आवाजाही तथा विमानपत्तन पर यातायात के प्रवाह की अनुमति देना, जिसमें संभाव्य नुकसान या क्षति को रोकना शामिल है;

(ग) शुल्क वसूलना और उसका विनियोजन करना;

(घ) विमानपत्तन की सुरक्षा और उपयोग को प्रभावित करने वाली दुर्घटनाओं या अन्य घटनाओं की स्थिति में तेजी से और प्रभावी प्रतिक्रिया प्रदान करके तथा राज्य की आपातकालीन सेवाओं के साथ संपर्क बनाए रखकर एयरसाइड, टर्मिनल भवन और लैंडसाइड सहित विमानपत्तन के संचालन में व्यवधान को कम करना;

(ङ) विमानपत्तन का आवधिक निवारक अनुरक्षण करना;

(च) यह सुनिश्चित करना कि रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और अप्रोच क्षेत्रों सहित वैमानिकी परिसंपत्तियों का अनुरक्षण और प्रचालन लागू कानून, लागू अनुमतियों तथा संबंधित इकाओं (इकाओं) दस्तावेजों और अनुबंधों में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है;

(छ) यह सुनिश्चित करना कि स्ट्रिप्स, शोल्डर, स्टॉप वे और रनवे एंड सेफ्टी एरिया (RESA) सहित रनवे तथा टैक्सीवे और आइसोलेशन बे के लिए रनवे, स्ट्रिप्स और शोल्डर का अनुरक्षण लागू कानून, लागू अनुमतियों तथा संबंधित इकाओं दस्तावेजों और अनुबंधों में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है;

(ज) यह सुनिश्चित करना कि विमानपत्तन की बाधा सीमा सतहें तथा अप्रोच और टेक-ऑफ क्षेत्र बाधाओं से मुक्त हैं या बाधाएं लागू कानून, लागू अनुमतियों तथा संबंधित इकाओं दस्तावेजों और अनुबंधों में निर्दिष्ट स्वीकार्य सीमाओं तक सीमित हैं;

(झ) नियमित अनुरक्षण करना जिसमें दरारों, जोड़ों, जल निकासी प्रणालियों, तटबंधों, संरचनाओं, भवनों, फुटपाथ चिह्नों, संकेत प्रणालियों, संचार प्रणालियों, प्रकाश व्यवस्था, साइनेज और अन्य उपकरणों की त्वरित मरम्मत शामिल है;

(ञ) संरचनाओं की मरम्मत, उपकरणों की मरम्मत और नवीनीकरण, संकेत एवं संचार प्रणाली तथा उपकरणों की प्रमुख ओवरहालिंग जैसे मुख्य अनुरक्षण कार्य करना;

(ट) यह सुनिश्चित करना कि सीएनएस/एटीएम उपकरणों और सुविधाओं के संचालन के लिए प्राधिकरण या नामित भारत सरकार एजेंसी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा चिह्नित संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को किसी भी बाधा से मुक्त रखा जाए और ऐसी किसी भी बाधा की अनुमति नहीं दी जाए जो इन उपकरणों और सुविधाओं की सुरक्षा या कामकाज में बाधा डाल सकती है या विमान प्रचालन की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है;

(ठ) यह सुनिश्चित करना कि लागू कानून और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार, विमानपत्तन और उसके आसपास पक्षियों और जानवरों के उपद्रव को रोकने के लिए विमानपत्तन पर उपयुक्त व्यवस्था और सावधानियां बरती गई हैं;

(ड) एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम तथा मुख्य और स्टैंडबाय बिजली आपूर्ति प्रणालियों का अनुरक्षण लागू कानून और संबंधित इकाओं दस्तावेजों और अनुबंधों तथा डीजीसीए नागर विमानन आवश्यकताओं (CAR), जैसा कि समय-समय पर जारी या अद्यतन किया जाए, और संबंधित कोड और मानकों में निर्धारित मानकों के अनुसार करना;

(ढ) संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता से, विमानपत्तन पर किसी भी अतिक्रमण (Encroachment), अनधिकृत प्रवेश या अनधिकृत उपयोग को रोकना;

(ण) पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण तथा उसके लिए उपकरणों और सामग्रियों का प्रावधान करना;

(त) वैमानिकी सेवाओं और गैर-वैमानिकी सेवाओं के कुशल संचालन और प्रबंधन के लिए आवश्यक सभी संचार, नियंत्रण और प्रशासनिक प्रणालियों का प्रचालन और अनुरक्षण करना;

(थ) आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए, लागू कानून के अनुसार उपयोगकर्ताओं, सरकारी निकायों, मीडिया और अन्य एजेंसियों से प्राप्त सुझावों/शिकायतों पर ध्यान देने और उनसे संपर्क बनाने के लिए एक जनसंपर्क इकाई बनाए रखना;

(द) अनुच्छेद 18 के अनुसार सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन करना;

(ध) सभी परियोजना परिसंपत्तियों का प्रचालन और अनुरक्षण लगन से और कुशलता से तथा उत्तम उद्योग प्रथा के अनुसार करना;

(न) विमानपत्तन के संचालन में समय की पाबंदी और विश्वसनीयता बनाए रखना;

(प) उपयुक्त स्थान पर सभी प्रकार के कचरे के निपटान सहित विमानपत्तन पर स्वच्छता और हाइजीन का उच्च स्तर बनाए रखना;

(फ) संबंधित इकाओं मानकों या उपयुक्त अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों, लागू कानून, लागू अनुमतियों और उत्तम उद्योग प्रथा के अनुसार अग्नि सावधानियों से संबंधित सभी उपाय करना;

(ब) प्राधिकरण, किसी भी सरकारी निकाय, डीजीसीए, राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा आवश्यक सभी अपेक्षित जानकारी, डेटा, प्रचालन आंकड़े (Operating Statistics) आदि प्रदान करना।

18.1.2 रियायतग्राही विमानपत्तन से सभी अधिशेष निर्माण मशीनरी और सामग्री, अपशिष्ट सामग्री (खतरनाक सामग्री और अपशिष्ट जल सहित), कचरा और अन्य मलबा (बिना किसी सीमा के, दुर्घटना मलबा सहित) तुरंत हटा देगा और विमानपत्तन को स्वच्छ और सुव्यवस्थित तथा लागू कानून, लागू अनुमतियों और उत्तम उद्योग प्रथा के अनुरूप रखेगा।

18.1.3 रियायतग्राही, अनुच्छेद 11 के अनुसार अप्रोच रोड के सभी हिस्सों, ओवर-ब्रिज/अंडर-ब्रिज, ओवर-पास, अंडर-पास या अन्य संरचनाओं या स्थल (Site) पर स्थित सुविधायों का उत्तम उद्योग प्रथा के अनुरूप अनुरक्षण करेगा।

18.2 अनुरक्षण आवश्यकताएं

रियायतग्राही विमानपत्तन के अनुरक्षण में हर समय लागू कानून का अनुपालन करेगा और लागू कानून, लागू अनुमतियों, संबंधित इकाओं दस्तावेजों और अनुबंधों में निर्धारित मानकों तथा उत्तम उद्योग प्रथा के अनुसार विमानपत्तन को अच्छी प्रचालन स्थिति में रखेगा या युक्तियुक्त रूप से आवश्यक सीमा तक नवीनीकृत, प्रतिस्थापित और उन्नत (Upgrade) करेगा। सभी अनुरक्षण, मरम्मत और अन्य कार्य इस तरह से किए जाएंगे जिससे विमानपत्तन के उपयोगकर्ताओं को कम से कम असुविधा हो।

18.3 सुरक्षा, खराबियां और दुर्घटनाएं

18.3.1 रियायतग्राही उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित परिस्थितियां सुनिश्चित करेगा, और असुरक्षित स्थितियों, रनवे या टैक्सीवे को नुकसान, एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम में व्यवधान, ब्रेकडाउन (खराबियां) और दुर्घटनाओं की स्थिति में, वह संबंधित मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) का पालन करेगा और बिना विलंब के बाधा और मलबे को हटाने का काम करेगा। ऐसी प्रक्रियाएं इस करार के प्रावधानों, लागू कानून, लागू अनुमतियों, संबंधित इकाओं दस्तावेजों और अनुबंधों में निर्धारित मानकों तथा उत्तम उद्योग प्रथा के अनुरूप होंगी। इस संबंध में, रियायतग्राही इसमें अनुसूची 1 में संरक्षा के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों का भी पालन करेगा।

18.3.2 विमानपत्तन पर बचाव कार्यों के लिए रियायतग्राही की जिम्मेदारी में किसी भी विशेष घटना की प्रारंभिक प्रतिक्रिया के रूप में प्रभावित क्षेत्र से सभी उपयोगकर्ताओं और कर्मचारियों की सुरक्षित निकासी शामिल होगी और मलबे या किसी अन्य बाधा को तुरंत हटाना भी शामिल होगा, जो यातायात और उपयोगकर्ताओं की सुचारु आवाजाही को खतरे में डाल सकता है या बाधित कर सकता है। इस उद्देश्य के लिए, वह चौबीसों घंटे बचाव उपकरणों के साथ 2 (दो) बचाव वाहनों का रखरखाव और संचालन करेगा तथा वाहनों को इस तरह तैनात करेगा कि दुर्घटना स्थल तक त्वरित पहुंच सके।

18.4 आपातस्थिति के कारण डी-कमीशनिंग

18.4.1 यदि कोई ऐसी आपातस्थिति होती है जिसके कारण संपूर्ण विमानपत्तन या विमानपत्तन के किसी भी भाग को डी-कमीशनिंग करने और बंद करने की आवश्यकता है, तो रियायतग्राही, प्राधिकरण या नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, उपयोगकर्ताओं के लिए संपूर्ण विमानपत्तन या विमानपत्तन के किसी भी भाग को तब तक डी-कमीशन करने और बंद करने का हकदार होगा जब तक कि ऐसी आपातस्थिति और उसके तदंतर परिणामों के कारण इसकी आवश्यकता है; बशर्ते कि ऐसी डी-कमीशनिंग और उसके विवरण की सूचना रियायतग्राही द्वारा बिना विलंब के प्राधिकरण को दी जाएगी, और रियायतग्राही ऐसी आपातस्थिति से निपटने के लिए प्राधिकरण द्वारा दिए जाने वाले किसी भी युक्तियुक्त निर्देशों का तत्परतापूर्वक पालन करेगा।

18.4.2 रियायतग्राही विमानपत्तन या उसके प्रभावित भाग को डी-कमीशनिंग और बंद करने की परिस्थितियों के समाप्त होने या कम होने के बाद व्यावहारिक रूप से जितनी जल्दी हो सके पुनः चालू करेगा और बिना विलंब के प्राधिकरण को इसकी सूचना देगा।

18.4.3 विमानपत्तन के किसी भी भाग की किसी भी डी-कमीशनिंग या बंद करने और उसके पुनः चालू होने की सूचना, व्यावहारिक रूप से जितनी जल्दी हो सके, सार्वजनिक घोषणाओं/नोटिस के माध्यम से प्रभावित व्यक्तियों के ध्यान में लाई जाएगी।

18.4.4 आपातस्थिति के दौरान या राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित के कारणों से विमानपत्तन या उसके किसी भाग को डी-कमीशनिंग या प्रतिबंधित उपयोग के कारण रियायतग्राही को कोई दावा या मुआवजा देय नहीं होगा।

18.5 अनुभाग बंद करना

खंड 18.6 में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, रियायतग्राही प्राधिकरण के पूर्व लिखित अनुमोदन (Prior Written Approval) के बिना और प्रभावित अनुभाग में आरक्षित सेवाएं (Reserved Services) प्रदान करने वाली नामित भारत सरकार एजेंसियों के साथ समन्वय के बिना, नियमित और निवारक अनुरक्षण या मरम्मत कार्य करने के लिए विमानपत्तन के किसी भी अनुभाग को बंद नहीं करेगा। ऐसा अनुमोदन रियायतग्राही द्वारा ऐसे अनुभाग के प्रस्तावित बंद होने से कम से कम 7 (सात) दिन पहले प्राधिकरण को किए जाने वाले लिखित अनुरोध के माध्यम से मांगा जाएगा और उसके साथ उसका पूर्ण विवरण भी देना होगा। ऐसा अनुरोध प्राप्त होने के 3 (तीन) दिनों के भीतर, प्राधिकरण ऐसे संशोधनों के साथ अनुमति देगा जैसा कि वह युक्तियुक्त और आवश्यक समझे और ऐसी अनुमति की एक प्रति रियायतग्राही को भेजी जाएगी। विमान/विमानपत्तन के संचालन को प्रभावित करने वाली किसी भी ऐसी परिस्थिति में एयरमेन को नोटिस जारी किया जाएगा। आवश्यक होने पर रियायतग्राही एयरमेन को नोटिस जारी करने के लिए आवश्यक समय प्रदान करेगा।

18.6 प्राधिकरण की अध्यारोही शक्तियां

18.6.1 यदि प्राधिकरण की युक्तियुक्त राय में, रियायतग्राही इस करार के तहत अपने दायित्वों के तात्विक उल्लंघन (Material Breach) में है और ऐसा उल्लंघन उपयोगकर्ताओं के लिए तात्विक कठिनाई या खतरा पैदा कर रहा है या पैदा करने की संभावना है, तो प्राधिकरण, इस करार के तहत अपने किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना (जिसमें इसकी समाप्ति शामिल है), नोटिस द्वारा रियायतग्राही से ऐसी कठिनाई या खतरे, जैसी भी स्थिति हो, को ठीक करने या हटाने के लिए तुरंत युक्तियुक्त उपाय करने की अपेक्षा कर सकता है।

18.6.2 यदि रियायतग्राही, खंड 18.6.1 के तहत नोटिस मिलने पर, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित अवधि के भीतर किसी भी कठिनाई या खतरे को ठीक करने या हटाने में विफल रहता है, तो प्राधिकरण इस खंड 18.6 के तहत अध्यारोही शक्तियों (Overriding Powers) का प्रयोग कर सकता है। वह ऐसी कठिनाई या खतरे को ठीक करने या हटाने के लिए आवश्यक समझे जाने वाली सीमा तक रियायतग्राही के किसी भी या सभी दायित्वों के निष्पादन को अपने हाथ में ले सकता है, बशर्ते कि प्राधिकरण द्वारा ऐसी अध्यारोही शक्तियों का प्रयोग इसके तहत युक्तियुक्त रूप से आवश्यक सीमा और अवधि से अधिक नहीं होगा; बशर्ते आगे यह भी कि इसके तहत अपने दायित्वों के निर्वहन में प्राधिकरण द्वारा किए गए किसी भी व्यय को ओ एंड एम व्यय (O&M Expenses) माना जाएगा, और प्राधिकरण इस करार के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही से उन्हें वसूल करने का हकदार होगा। इस प्रकार वसूल की गई राशि पर वैमानिकी शुल्कों के निर्धारण में पास-थ्रू (Pass-through) के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

18.6.3 राष्ट्रीय आपात स्थिति, नागरिक अशांति या खंड 32.3 में निर्दिष्ट किसी अन्य स्थिति में, प्राधिकरण रियायतग्राही के किसी भी या सभी दायित्वों के निष्पादन को अपने हाथ में ले सकता है, या किसी नामित भारत सरकार एजेंसी से अपने हाथ में लेने के लिए कह सकता है। वह आवश्यकतानुसार विमानपत्तन पर नियंत्रण रख सकता है या रियायतग्राही को संबंधित निर्देश दे सकता है, बशर्ते कि प्राधिकरण द्वारा ऐसी अध्यारोही शक्तियों का प्रयोग उन परिस्थितियों में युक्तियुक्त रूप से आवश्यक सीमा और अवधि से अधिक नहीं होगा जिसके कारण प्राधिकरण द्वारा ऐसी अध्यारोही शक्ति का प्रयोग किया गया था। यह सहमति हुई है कि ऐसी कार्रवाई के परिणामों का निपटान अनुच्छेद 32 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। यह भी यह सहमति हुई है कि रियायतग्राही इस खंड 18.6 के प्रावधानों के अनुसरण में प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करेगा, और इसके तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए सर्वोत्तम प्रयास (Best Effort Basis) के आधार पर प्राधिकरण को सहायता और सहयोग प्रदान करेगा।

18.7 विमानपत्तन को हुई हानि या क्षति की पूर्ति

इस करार में स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, यदि विमानपत्तन या उसके किसी भाग को रियायत अवधि के दौरान किसी भी कारण से कोई हानि या क्षति होती है, तो रियायतग्राही, अपनी लागत और व्यय पर, ऐसी हानि या क्षति को तुरंत ठीक करेगा ताकि विमानपत्तन इस करार के प्रावधानों के अनुरूप संचालित हो सके। यदि ऐसी हानि या क्षति इस करार के तहत रियायतग्राही के दायित्वों में किसी उल्लंघन या चूक के कारण हुई है, तो ऐसी हानि या क्षति की मरम्मत या सुधार पर रियायतग्राही द्वारा किए गए व्यय पर वैमानिकी शुल्कों के निर्धारण के उद्देश्यों के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

18.8 विमानपत्तन में संशोधन

18.8.1 विमानपत्तन के चरणबद्ध विकास और ऐसे विकासात्मक कार्यों के कारण आवश्यक हो सकने वाले और प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित परिणामी परिवर्तनों से संबंधित इस करार में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, रियायतग्राही विकास अवधि के बाद किसी भी समय विमानपत्तन में कोई तात्त्विक संशोधन (Material Modification) नहीं करेगा। हालांकि, रियायतग्राही ऐसा कोई भी संशोधन कर सकता है, जो विमानपत्तन को मास्टर प्लान, विनिर्देशों और मानकों, उत्तम उद्योग प्रथा, लागू कानून, लागू अनुमतियों और इस करार के प्रावधानों के अनुरूप संचालित करने के लिए आवश्यक हों। बशर्ते कि रियायतग्राही ऐसे संशोधनों पर काम शुरू करने से कम से कम 30 (तीस) दिन पहले प्राधिकरण को प्रस्तावित संशोधनों और उनके विवरण के बारे में सूचित करेगा तथा रियायतग्राही के प्रस्ताव को प्राप्त करने के 30 (तीस) दिनों के भीतर प्राधिकरण द्वारा दिए जाने वाले किसी भी सुझाव पर युक्तियुक्त रूप से विचार करेगा। इसके तहत किए गए सभी संशोधन संरक्षा आवश्यकताओं, विनिर्देशों और मानकों, लागू कानून, लागू अनुमतियों, उत्तम उद्योग प्रथा और इस करार के प्रावधानों के अनुपालन में होंगे।

18.8.2 किसी भी समय, ऐसे संशोधन विमानपत्तन के मौजूदा और प्रचालन भागों के संचालन और/या उपयोगकर्ताओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेंगे।

18.8.3 इस करार के प्रावधान, जहां तक वे निर्माण कार्यों और परीक्षणों से संबंधित हैं, विमानपत्तन के संशोधन का हिस्सा बनने वाले सभी निर्माण कार्यों पर यथाआवश्यक परिवर्तन सहित (Mutatis Mutandis) लागू होंगे।

18.8.4 इस करार में निहित इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी, खंड 18.8.1 के तहत किया गया कोई भी संशोधन कार्यक्षेत्र में परिवर्तन नहीं माना जाएगा।

18.9 दायित्वों के निष्पादन से छूट

रियायतग्राही को इस करार के तहत अपने दायित्वों के उल्लंघन में नहीं माना जाएगा यदि विमानपत्तन का कोई भी भाग निम्नलिखित में से किसी भी कारण से तथा तत्संबंधी अवधि के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है:

(क) अपरिहार्य घटना/अप्रत्याशित घटना (Force Majeure) की स्थिति;

(ख) विमानपत्तन के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय, सिवाय इसके कि जब इस करार के तहत अपने दायित्वों को निभाने में रियायतग्राही की विफलता के कारण असुरक्षित स्थितियां उत्पन्न हुई हों; या

(ग) प्राधिकरण के किसी अनुरोध या किसी सरकारी निकाय के निर्देशों का अनुपालन, जिसके कारण संपूर्ण विमानपतन या उसके किसी भाग को बंद करना पड़ा हो ।

बशर्ते कि ऐसी किसी भी अनुपलब्धता और उसके विवरण की सूचना रियायतग्राही द्वारा बिना विलंब के प्राधिकरण को दी जाए ।

बशर्ते आगे यह भी कि रियायतग्राही विमानपतन के सभी अप्रभावित भागों को सामान्य प्रचालन के लिए खुला रखेगा, बशर्ते कि उन्हें सुरक्षित रूप से संचालित किया जा सके।

18.10 बाधाएं और परिवर्तन

प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि रियायत अवधि के दौरान, आपातस्थिति, राष्ट्रीय सुरक्षा, या कानून और व्यवस्था के कारणों को छोड़कर, किसी भी सरकारी निकाय द्वारा विमानपतन पर कोई बाधा या अड़चन खड़ी या रखी न जाए । प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए भी युक्तियुक्त प्रयास करेगा कि कोई भी सरकारी निकाय, आपातस्थिति, राष्ट्रीय सुरक्षा या कानून और व्यवस्था के कारणों को छोड़कर, विमानपतन की अप्रोच रोड में ऐसा कोई परिवर्तन या बंद न करे या न कराए जिससे विमानपतन तक और वहां से आवाजाही पर कोई तात्त्विक प्रतिकूल प्रभाव (Material Adverse Effect) पड़े।

18.11 रक्षा बलों द्वारा और कुछ अन्य आपातकाल के दौरान विमानपतन का उपयोग

18.11.1 रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमत होता है कि रक्षा बलों को हर समय विमानपतन और उसकी सभी सुविधाओं का, बिना किसी भी प्रकृति के किसी भी प्रतिबंध या बाधा के, उपयोग करने का अधिकार होगा ।

18.11.2 खंड 18.3.1 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आपातस्थिति के दौरान वायु क्षेत्र (Airspace) के आवंटन और बंद करने तथा विमानपतन के उपयोग के संबंध में रक्षा बलों के प्रति रियायतग्राही के दायित्वों का निर्धारण समय-समय पर भारत सरकार द्वारा किया जाएगा, और उस सीमा तक, रियायतग्राही को विमानपतन के नागरिक उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के अपने दायित्वों से मुक्त कर दिया जाएगा।

18.11.3 अन्यथा कहीं भी इसके विपरीत निहित किसी भी बात के होते हुए भी, रियायतग्राही:

(क) भारत सरकार की यूनियन वॉर बुक के प्रावधानों के अनुसार युद्ध, प्राकृतिक आपदा/विपत्ति, आंतरिक अशांति आदि जैसी आपातस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक सीमा तक, निःशुल्क विमानपतन और परियोजना सुविधाएं उपलब्ध कराएगा;

(ख) रक्षा और अन्य अर्धसैनिक विमानों के लिए लैंडिंग और पार्किंग शुल्क से मुक्त, निर्बाध लैंडिंग और पार्किंग सुविधाएं प्रदान करेगा, और रक्षा अभियानों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा सुविधाएं और उपकरण भी प्रदान करेगा;

(ग) आवधिक और आकस्मिक निरीक्षणों के लिए सुरक्षा एजेंसियों को विमानपतन तक एक्सेस उपलब्ध कराएगा;

(घ) मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों के रूप में वरिष्ठ निर्णय लेने वाले किसी भी पद पर के विदेशी नागरिकों को काम पर रखने के लिए संबंधित सरकारी निकायों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा;

(ङ) बीसीएस और डीजीसीए द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन करेगा;

(च) स्थल (Site) और विमानपत्तन पर निर्माण, ग्राउंड हैंडलिंग या अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए काम पर रखी जाने वाली विदेशी फर्मों की साख (Credentials) का पूर्व सत्यापन प्राप्त करेगा;

(छ) यदि आवश्यक हो, तो संबंधित सरकारी निकायों से विमानपत्तन के विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) सीमाओं से संबंधित मंजूरी प्राप्त करेगा, और नियंत्रण या स्वामित्व में कोई भी परिवर्तन राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा मंजूरी के अधीन होगा;

(ज) अंतरराष्ट्रीय यात्रियों और चालक दल, जिन्हें आब्रजन (Immigration) और सीमा शुल्क (Customs) से गुजरना होगा, के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करेगा; और

(झ) विमानपत्तन पर स्वास्थ्य सेवाओं और प्लांट क्वारंटाइन (Plant Quarantine) के लिए उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

18.12 बिजली, दूरसंचार सेवाएं, जल और अन्य सुविधाएं

18.12.1 रियायतग्राही, विमानपत्तन के संचालन के लिए आवश्यक बिजली, दूरसंचार सेवाएं, जल और ऐसी अन्य सुविधाएं संबंधित स्थानीय सुविधा प्रदाताओं (Local Utilities) से लागू कानून के अनुसार शुल्कों के भुगतान पर प्राप्त करेगा।

18.12.2 रियायतग्राही परियोजना के उद्देश्यों के लिए बिजली प्राप्त करने, उत्पन्न करने या वितरित करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन करेगा।

18.13 पर्यावरण लेखा परीक्षा और रिपोर्ट

18.13.1 रियायतग्राही प्राधिकरण को आश्वासन देता है और सहमत होता है कि वह विमानपत्तन के संचालन, प्रबंधन और विकास के दौरान, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित विमानपत्तन और स्थल से संबंधित सभी शर्तों का अनुपालन करेगा, तथा ऐसी अन्य अनुमतियों और अनुमोदनों का पालन करेगा जो उसे समय-समय पर जारी की जाएंगी। रियायतग्राही उसमें उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुसार प्राधिकरण को त्रैमासिक आधार पर सभी डेटा और रिपोर्टों के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

18.13.2 रियायतग्राही संबंधित सरकारी निकाय द्वारा समय-समय पर निर्धारित आवश्यकतानुसार वायु गुणवत्ता, ध्वनि और अन्य पर्यावरण मानदंडों को मापने के लिए सुविधाएं और सेवाएं प्राप्त करेगा तथा संबंधित सरकारी निकायों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में उक्त डेटा का रखरखाव और अद्यतन भी करेगा।

18.13.3 रियायतग्राही चरण 1 की पूर्णता तिथि के 1 (एक) वर्ष के भीतर, यह सुनिश्चित करेगा कि एक स्वतंत्र विशेषज्ञ विमानपत्तन की पूर्ण पर्यावरण लेखा परीक्षा करे और प्राधिकरण को इस लेखा परीक्षा की एक प्रति प्रदान की जाए। यह स्वतंत्र विशेषज्ञ प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से नियुक्त किया जाएगा।

18.13.4 पर्यावरण लेखा परीक्षा से प्राप्त जानकारी के आधार पर, रियायतग्राही 6 (छह) महीने की अतिरिक्त अवधि के भीतर विमानपत्तन के लिए एक पर्यावरण प्रबंधन रणनीति तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा, जिसमें विमानपत्तन की पर्यावरणीय स्थिति के प्रबंधन के लिए रणनीतियाँ और आवश्यक कार्य निर्धारित किए जाएंगे और एक पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम बनाया जाएगा जो समय के साथ विमानपत्तन की पर्यावरणीय स्थिति का आकलन करेगा।

18.13.5 रियायतग्राही प्रतिवर्ष या संबंधित सरकारी निकाय द्वारा निर्धारित अंतराल पर, पर्यावरण प्रबंधन रणनीति के तहत प्रगति की समीक्षा करेगा और समय-समय पर उक्त पर्यावरण प्रबंधन रणनीति को अद्यतित करेगा। रियायतग्राही पर्यावरण प्रबंधन रणनीति के तहत प्रगति के संबंध में प्राधिकरण के साथ-साथ संबंधित सरकारी निकाय को द्विवार्षिक रिपोर्ट (Bi-annual Report) प्रदान करेगा।

18.13.6 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि समाप्ति के समय और अंतरण तिथि पर, विमानपतन की पर्यावरणीय स्थिति पर्यावरण मंजूरी (Environmental Clearance) और वन मंजूरी (Forests Clearance) में बताए अनुसार सभी वैधानिक और विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करती हो।

18.14 स्लॉट आवंटन दिशानिर्देश

रियायतग्राही विमानपतन पर विमान लैंडिंग और समय-सारणी स्लॉट का प्रबंधन और आवंटन करेगा, और एयरलाइंस के परामर्श से तथा आईएटीए (IATA) स्लॉट आवंटन दिशानिर्देशों और संबंधित नामित भारत सरकार एजेंसी और/या प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए व समय-समय पर अद्यतित किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार निष्पक्ष, युक्तियुक्त और न्यायसंगत तरीके से ऐसे स्लॉट का आवंटन करेगा।

18.15 संरक्षा आवश्यकताएं

18.15.1 रियायतग्राही विमानपतन पर या उसके आस-पास उपयोगकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए इस करार के प्रावधानों, लागू कानून और लागू अनुमतियों का अनुपालन करेगा और उत्तम उद्योग प्रथा के अनुरूप कार्य करेगा, और हमेशा सुनिश्चित करेगा कि विमानपतन पर या उसके आस-पास दुर्घटना होने पर शून्य या कम से कम व्यक्तियों को चोट, मृत्यु, या संपत्ति को क्षति पहुंचे, चाहे दोषी व्यक्ति कोई भी हो। विशेष रूप से, रियायतग्राही विमानपतन पर या उसके आसपास एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए संरक्षित आवाजाही, संरक्षा प्रबंधन, संरक्षा उपकरण, अग्नि संरक्षा, प्रवर्तन और आपातकालीन प्रतिक्रिया से जुड़े उपायों को शामिल करते हुए और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार उपयोगकर्ताओं की संरक्षा से संबंधित एक निगरानी और संरक्षा कार्यक्रम विकसित, कार्यान्वित और प्रशासित करेगा जिसमें निम्नलिखित निर्धारित में सुरक्षा आवश्यकताओं ("सुरक्षा आवश्यकताएं") का अनुपालन किया जाएगा:

(क) लागू कानून और लागू अनुमतियां;

(ख) इस करार के प्रावधान; और

(ग) संबंधित इकाओं दस्तावेज और अनुबंध, डीजीसीए के लागू दिशानिर्देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत कोड में निहित अन्य संबंधित मानक/दिशानिर्देश।

18.15.2 संरक्षा आवश्यकताएं प्रचालन, प्रबंधन और विकास के सभी चरणों पर लागू होंगी, जिसमें दुर्घटनाओं से जुड़े कारकों की पहचान, उन पर विचार करने और उपयुक्त उपचारात्मक उपायों के कार्यान्वयन पर जोर दिया जाएगा।

18.15.3 रियायतग्राही उपयोगकर्ताओं के लिए एक निगरानी और सुरक्षा कार्यक्रम विकसित, कार्यान्वित और प्रशासित करेगा, जिसमें विमान के अपहरण (Hijacking) पर प्रतिक्रिया, सुरक्षा उल्लंघनों और कमियों का सुधार और इस करार के अनुसार एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्रवाइयां शामिल हैं।

18.15.4 रियायतग्राही एक विमानपतन सुरक्षा प्रबंधन इकाई ("एसएमयू") की स्थापना करेगा जो सीओडी से कार्यात्मक होगी और अपने अधिकारियों में से एक को एसएमयू का प्रभारी नामित करेगा। इस अधिकारी के पास इस विषय पर किसी प्रतिष्ठित संगठन द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम के माध्यम से विमानपतन प्रणाली संरक्षा में विशेषज्ञ ज्ञान और प्रशिक्षण होना चाहिए।

18.15.5 रियायतग्राही विमानपतन पर होने वाली किसी भी दुर्घटना के संबंध में पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्रत्येक प्रथम सूचना रिपोर्ट ("एफआईआर") की एक प्रति सुरक्षित रखेगा। इसके अलावा, रियायतग्राही पुलिस द्वारा दर्ज की गई सभी दुर्घटनाओं के लिए भी डेटा एकत्र करेगा। इस प्रकार एकत्र की गई जानकारी को इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संक्षेपित (Summarized) किया जाएगा। रियायतग्राही रूट मैप पर प्रत्येक दुर्घटना के सटीक स्थान को भी दर्ज करेगा। उपरोक्त डेटा प्रत्येक तिमाही के अंत में प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।

18.15.6 रियायतग्राही प्रत्येक वर्ष 31 मई से पहले प्राधिकरण को एक वार्षिक रिपोर्ट (दस प्रतियों में) प्रस्तुत करेगा, जिसमें, बिना किसी सीमा के, पिछले लेखा वर्ष की सभी दुर्घटनाओं की विस्तृत सूची और विश्लेषण शामिल होगा और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को टालने या कम करने के लिए रियायतग्राही द्वारा किए गए उपाय शामिल होंगे।

18.15.7 संरक्षा आवश्यकताओं के लिए या उससे संबंधित सभी लागू और व्यय रियायतग्राही द्वारा वहन किए जाएंगे, और इस करार, लागू कानून और लागू अनुमतियों के अनुसार, वैमानिकी शुल्कों का निर्धारण या संशोधन करते समय विनियामक द्वारा उन्हें विमानपतन के उद्देश्यों के लिए रियायतग्राही द्वारा किए गए व्यय के एक भाग के रूप में माना जा सकता है।

18.16 अनुरक्षण नियमावली

18.16.1 अनुसूचित पूर्णता तिथि से 90 (नब्बे) दिनों के भीतर, रियायतग्राही, स्वतंत्र इंजीनियर के परामर्श से, विनिर्देशों और मानकों, अनुरक्षण आवश्यकताओं, संरक्षा आवश्यकताओं, संबंधित इकाओं दस्तावेजों और अनुबंधों में निर्धारित मानकों, लागू कानून, समय-समय पर डीजीसीए द्वारा अधिसूचित लागू दिशानिर्देशों और उत्तम उद्योग प्रथा के अनुरूप विमानपतन के नियमित और निवारक अनुरक्षण के लिए एक मरम्मत, प्रचालन और अनुरक्षण नियमावली ("अनुरक्षण नियमावली") विकसित करेगा और प्राधिकरण को इसकी 5 (पांच) प्रतियां और स्वतंत्र इंजीनियर को 2 (दो) प्रतियां प्रदान करेगा। अनुरक्षण नियमावली को प्रत्येक 3 (तीन) वर्षों में एक बार संशोधित और अद्यतित किया जाएगा और इस खंड 18.16 के प्रावधान, यथाआवश्यक परिवर्तन सहित, ऐसे संशोधन पर लागू होंगे। इस खंड 18.16 के प्रावधान सिटी साइड विकास पर लागू नहीं होंगे।

18.16.2 खंड 18.16.1 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुरक्षण नियमावली में, विशेष रूप से, परियोजना परिसंपत्तियों के अनुरक्षण के प्रावधान शामिल होंगे और जिसमें उनके प्रतिस्थापन सहित जीवन चक्र अनुरक्षण, नियमित अनुरक्षण और प्रतिक्रियाशील अनुरक्षण का प्रावधान शामिल होगा जो परियोजना परिसंपत्तियों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक है ताकि उनकी समग्र स्थिति उत्तम उद्योग प्रथा, लागू कानून और लागू अनुमतियों के अनुरूप हो।

18.17 अनुरक्षण कार्यक्रम

18.17.1 सीओडी पर या उससे पहले और रियायत अवधि के दौरान प्रत्येक लेखा वर्ष की शुरुआत से कम से कम 45 (पैंतालीस) दिन पहले, रियायतग्राही अनुरक्षण आवश्यकताओं, अनुरक्षण नियमावली और संरक्षा आवश्यकताओं

का अनुपालन करने के लिए प्राधिकरण और स्वतंत्र इंजीनियर को निवारक, जरूरी और अन्य अनुसूचित अनुरक्षण हेतु अपना प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम ("अनुरक्षण कार्यक्रम") प्रदान करेगा। ऐसे अनुरक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (क) निवारक अनुरक्षण अनुसूची;
- (ख) तत्काल/जरूरी मरम्मत करने की व्यवस्था और प्रक्रियाएं;
- (ग) अनुरक्षण आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिए अपनाए जाने वाले मानदंड (Criteria);
- (घ) विमानपतन के सभी तत्वों का निरीक्षण करने के अंतराल (Intervals) और प्रक्रियाएं;
- (ङ) वे अंतराल जिस पर रियायतग्राही आवधिक अनुरक्षण करेगा;
- (च) संरक्षा संबंधी उपायों को लागू करने की व्यवस्था और प्रक्रियाएं; तथा
- (छ) प्रमुख अनुरक्षण कार्यों के अंतराल और उनका कार्यक्षेत्र (Scope)।

18.17.2 अनुरक्षण कार्यक्रम प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, स्वतंत्र इंजीनियर और प्राधिकरण उसकी समीक्षा करेंगे और अनुरक्षण आवश्यकताओं, अनुरक्षण नियमावली और संरक्षा आवश्यकताओं के साथ अनुरूपता के विशेष संदर्भ में रियायतग्राही को अपनी टिप्पणियां (Comments) देंगे।

18.17.3 रियायतग्राही परिस्थिति अनुसार अनुरक्षण कार्यक्रम में संशोधन कर सकता है, और खंड 18.17.1 और 18.17.2 में निर्दिष्ट प्रक्रियाएं यथाआवश्यक परिवर्तन सहित ऐसे संशोधनों पर लागू होंगी।

18.18 अनुरक्षण दायित्वों के उल्लंघन के लिए हर्जाना

18.18.1 यदि रियायतग्राही अनुरक्षण आवश्यकताओं में निर्धारित अवधि के भीतर किसी भी त्रुटि या कमी को ठीक करने या सुधारने में विफल रहता है तो उसे इस करार का उल्लंघन माना जाएगा। प्राधिकरण उल्लंघन के ठीक होने तक देरी के प्रत्येक दिन के लिए हर्जाने के रूप में स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा अनुमानित ऐसी मरम्मत या सुधार की लागत का 0.1% (शून्य दशमलव एक प्रतिशत) वसूल करने का हकदार होगा। ऐसे हर्जाने की वसूली इस करार के तहत प्राधिकरण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी, जिसमें इसकी समाप्ति का अधिकार भी शामिल है।

18.18.2 खंड 18.18.1 में निर्धारित हर्जाना स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा तुरंत आकलित और निर्दिष्ट किया जा सकता है, बशर्ते कि प्राधिकरण, अपने विवेक से, हर्जाने के रूप में कम राशि की मांग करता है, यदि उसकी राय में, उल्लंघन को तुरंत सुधारा गया है और रियायतग्राही इसके तहत अपने दायित्वों का अन्यथा अनुपालन कर रहा है। रियायतग्राही ऐसे हर्जाने का तुरंत भुगतान करेगा और यदि वह ऐसे हर्जाने का विरोध/प्रतिवाद करता है, तो विवाद निवारण प्रक्रिया लागू होगी।

18.19 उपचारात्मक उपाय करने का प्राधिकरण का अधिकार

18.19.1 यदि रियायतग्राही अनुरक्षण आवश्यकताओं, अनुरक्षण नियमावली या अनुरक्षण कार्यक्रम, जैसी भी स्थिति हो, के अनुरूप विमानपतन या उसके किसी भाग का अनुरक्षण और/या मरम्मत नहीं करता है, तथा ओ एंड एम (O&M) निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने के या प्राधिकरण या स्वतंत्र इंजीनियर से इस संबंध में नोटिस प्राप्त

होने, जैसी भी स्थिति हो, के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर उपचारात्मक कार्य शुरू करने में विफल रहता है, तो प्राधिकरण, इस करार के तहत अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना (जिसमें इसकी समाप्ति शामिल है), रियायतग्राही के जोखिम और लागत (Risk and Cost) पर ऐसे उपचारात्मक उपाय करने और रियायतग्राही से अपनी लागत वसूल करने का हकदार होगा। उपरोक्त लागत की वसूली के अतिरिक्त, ऐसी लागत के 20% (बीस प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान रियायतग्राही द्वारा हर्जाने के रूप में प्राधिकरण को किया जाएगा। इस खंड 18.19.1 के तहत प्राधिकरण का अधिकार खंड 18.18 के तहत प्रदान किए गए उसके अधिकारों और उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

18.19.2 प्राधिकरण को अधिकार होगा, और रियायतग्राही इसके द्वारा प्राधिकरण को स्पष्ट रूप से अधिकार देता है कि वह खंड 18.19.1 में निर्दिष्ट लागत और हर्जाने को ओ एंड एम व्यय के रूप में एस्करो खाते (Escrow Account) से सीधे वसूल कर सकता है। इस उद्देश्य के लिए, रियायतग्राही इस खंड 18.19.2 के तहत प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार एस्करो खाते से भुगतान करने और इसे ओ एंड एम व्यय में डेबिट करने के लिए एतद्वारा एस्करो बैंक को अपरिवर्तनीय निर्देश (Irrevocable Instructions) देने के लिए सहमत होता है।

अनुच्छेद 19: ओ एंड एम सेवाएं

19.1 वैमानिकी परिसंपत्तियां

19.1.1 इस करार में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, रियायतग्राही इस करार के प्रावधानों, लागू कानून, लागू अनुमतियों और उत्तम उद्योग प्रथा के अनुसार वैमानिकी परिसंपत्तियों का प्रचालन और प्रबंधन करेगा।

19.1.2 रियायतग्राही अनुसूची ग में निर्धारित विनिर्देशों और मानकों तथा डीजीसीए और इकाओ या उनके किसी उत्तराधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट मानकों के अनुसार वैमानिकी परिसंपत्तियों का संचालन करेगा। इस अनुच्छेद 19 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि वैमानिकी परिसंपत्तियां हर समय स्थल पर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा, संरक्षा, जीवन और संपत्ति से संबंधित नियमों का पालन करती हों।

19.1.3 इस करार में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, रियायतग्राही तीसरे पक्षों द्वारा वैमानिकी परिसंपत्तियों के उपयोग को विनियमित करेगा और लागू कानून, लागू अनुमतियों और इस करार के प्रावधानों के अनुसार सभी उपयोगकर्ताओं को भेदभावहित एक्सेस प्रदान करेगा। उपयोगकर्ताओं की चिह्निता श्रेणियों के लिए विभिन्न स्तरों की सेवाओं का प्रावधान इसके तहत भेदभाव नहीं माना जाएगा।

19.1.4 रियायतग्राही विमान की आवाजाही और उपयोग के लिए बने सभी क्षेत्रों को हर समय बाधा मुक्त रखेगा।

19.1.5 रियायतग्राही, इकाओ द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट साइनेज (संकेतकों) के मानकों के अनुपालन के अधीन, वैमानिकी परिसंपत्तियों के सुरक्षित और कुशल उपयोग के लिए दिशा-निर्देश, चिह्न और संकेत प्रदान करेगा।

19.1.6 रियायतग्राही द्वारा आरक्षित सेवाओं के लिए आवश्यक स्थान और एक्सेस खंड 20.7 के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

19.2 ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ

रियायतग्राही लागू कानून और उत्तम उद्योग प्रथा के अनुसार, अपनी लागत और व्यय पर, विमानपतन पर उपयोगकर्ताओं जैसे विमानों, यात्रियों और कार्गो के लिए और उनके संबंध में आवश्यक ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा या प्रदान कराएगा, जिसमें रैंप हैंडलिंग, ट्रेफिक हैंडलिंग, एयरक्राफ्ट हैंडलिंग, एयरक्राफ्ट की सफाई, लोडिंग और अनलोडिंग शामिल होगी ("ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं")। ऐसे बुनियादी ढांचे में इस करार के प्रावधानों, लागू कानून और उत्तम उद्योग प्रथा के अनुसार सामान वाहक बेल्ट, कंप्यूटर टर्मिनल, सूचना प्रौद्योगिकी बैकबोन और संबंधित सुविधाएं शामिल होंगी।

19.3 विमान में ईंधन भरने की सेवाएं

रियायतग्राही विमानपतन पर सभी विमानों के लिए समान एक्सेस (Equal Access Basis) के आधार पर पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से ईंधन भरने की सेवाओं के संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा या प्रदान कराएगा। ऐसे बुनियादी ढांचे में इस करार के प्रावधानों, लागू कानून और उत्तम उद्योग प्रथा के अनुसार टैंक फार्म (Tank Farms) और संबंधित सुविधाएं शामिल होंगी।

19.4 कार्गो सुविधाएं

19.4.1 (क) रियायतग्राही इस करार के प्रावधानों, लागू कानून, लागू अनुमतियों, संबंधित इकाओं दस्तावेजों और अनुबंधों और उत्तम उद्योग प्रथा के अनुसार कार्गो सुविधाओं का उन्नयन, विकास, प्रचालन और अनुरक्षण करेगा।

19.4.1 (ख) इस खंड 19.4 और खंड 23.5 में निहित इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी, यह स्पष्ट किया जाता है कि, जहां अनुसूची A में एएआईसीएलएएस (एएआईसीएलएएस) के लिए कार्गो सुविधाएं चिह्नित/आरक्षित की गई हैं:

(i) रियायतग्राही उनके संचालन, विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, और न ही रियायतग्राही इस खंड 19.4 में कहीं और निर्धारित दायित्वों से बाध्य होगा; तथा

(ii) एएआईसीएलएएस को रियायतग्राही द्वारा एयरसाइड तक निःशुल्क एक्सेस प्रदान किया जाएगा।

19.4.1 (ग) यह और स्पष्ट किया जाता है कि, जहां अनुसूची क में एएआईसीएलएएस के लिए कार्गो सुविधाएं चिह्नित की गई हैं, वहां रियायतग्राही द्वारा कार्गो सुविधाओं के उन्नयन और/या विकास पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, जिसमें विमानपतन पर कार्गो की मात्रा, व्यावसायिक क्षमता या एएआईसीएलएएस के लिए चिह्नित कार्गो सुविधाओं पर ऐसी अतिरिक्त सुविधाओं का प्रभाव शामिल है।

19.4.2 रियायतग्राही:

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए युक्तियुक्त प्रयास करेगा कि कार्गो सुविधाओं में पर्याप्त कार्गो और पार्सल स्थान, हैंडलिंग उपकरण, शीघ्र नष्ट होने वाले (Perishable) कार्गो और खतरनाक सामानों का भंडारण और हैंडलिंग, कार्गो एजेंटों और ग्राहकों के लिए स्थान, निरीक्षण क्षेत्र, कार्यालय स्थान, स्वचालन प्रणालियां, स्क्रीनिंग उपकरण, भंडारण सुविधाएं, और डाक हैंडलिंग और कूरियर शिपमेंट के लिए सुविधाएं इस करार के प्रावधानों और उत्तम उद्योग प्रथा के अनुसार शामिल हों;

(ख) कार्गो सुविधाओं का प्रचालन और अनुरक्षण करेगा तथा इस करार के प्रावधानों, लागू कानून और उत्तम उद्योग प्रथा के अनुसार एयरलाइंस और प्रेषकों को संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा;

(ग) सीमा शुल्क सुरक्षा, क्वारंटाइन और अन्य नामित भारत सरकार एजेंसियों, स्थिति अनुसार, को अपने वैधानिक कार्यों का निर्वहन करने के लिए उत्तम उद्योग प्रथा के अनुसार निःशुल्क प्रचालन स्थान और अन्य सुविधाएं प्रदान करेगा;

(घ) ऐसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर जहां कहीं भी कार्गो सुविधाओं को किसी भी तरह से संभाला या निपटाया जा रहा हो, वेब-कैम स्थापित करेगा और उन्हें अच्छी कार्य स्थिति में संचालित रखेगा।

19.5 कार्गो सुविधाओं के उपयोग पर प्रतिबंध

19.5.1 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि मास्टर प्लान कार्गो सुविधाओं के लिए एक क्षेत्र चिह्नित करे, और ऐसे क्षेत्र का उपयोग केवल कार्गो के रखरखाव/प्रबंधन और संबंधित गतिविधियों के लिए किया जाए।

19.5.2 रियायतग्राही खंड 5.2 और खंड 38.2 के प्रावधानों के अनुसार छोड़कर, कार्गो सुविधाओं के किसी भी हिस्से पर किसी भी तरह से कोई भार/विल्लंगम निर्धारित या सृजित नहीं करेगा।

19.6 टर्मिनल भवन

19.6.1 रियायतग्राही इस करार के प्रावधानों, लागू कानून, लागू अनुमतियों और उत्तम उद्योग प्रथा के अनुसार टर्मिनल भवन का प्रचालन और प्रबंधन करेगा। इस अनुच्छेद 19 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि टर्मिनल भवन के भीतर के स्थानों का उपयोग अनुसूची ख में निर्दिष्ट संबंधित उद्देश्यों के लिए किया जाए।

19.6.2 रियायतग्राही अनुसूची ग में निर्धारित विनिर्देशों और मानकों तथा आईएटीए या उसके किसी उत्तराधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट मानकों के अनुसार टर्मिनल भवन का संचालन करेगा।

19.6.3 रियायतग्राही टर्मिनल भवन के उपयोग को विनियमित करेगा और लागू कानून और इस करार के प्रावधानों के अनुसार सभी उपयोगकर्ताओं को भेदभावहित एक्सेस प्रदान करेगा। उपयोगकर्ताओं की चिह्निता श्रेणियों के लिए विभिन्न स्तरों की सेवाओं का प्रावधान इसके तहत भेदभाव नहीं माना जाएगा।

19.6.4 रियायतग्राही उपयोगकर्ताओं द्वारा आवाजाही और उपयोग के लिए बने सभी क्षेत्रों को हर समय बाधा मुक्त रखेगा।

19.6.5 रियायतग्राही बैगेज क्लेम क्षेत्रों की आसान पहुंच के भीतर और टर्मिनल भवन के प्रवेश बिंदुओं पर कुशल सामान ट्रॉली की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करेगा और उसे बनाए रखेगा। पक्षकार सहमत हैं कि ट्रॉलियों पर विज्ञापन प्रदर्शित किए जा सकते हैं।

19.6.6 रियायतग्राही, मांग के आधार पर, उपयोगकर्ताओं के लिए भुगतान आधारित पोर्टर सेवाओं (Porter Services) की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

19.6.7 रियायतग्राही हर समय मास्टर प्लान के अनुसार टर्मिनल भवन के भीतर मुफ्त पीने का पानी, बैठने की जगह, प्रतीक्षा क्षेत्र, अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर बोतलबंद पानी और लोकप्रिय पेय पदार्थों के वितरण के लिए वेंडिंग मशीन आदि से संबंधित सुविधाएं प्रदान करेगा या प्रदान कराएगा।

19.6.8 समय-समय पर इकाओ द्वारा निर्दिष्ट साइनेज के मानकों के अनुरूप होने के अधीन, रियायतग्राही उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए दिशा-निर्देश, चिह्न, संकेत, सार्वजनिक घोषणा प्रणाली (PAS) और पूछताछ काउंटर प्रदान करेगा ताकि उन्हें एयरलाइंस काउंटरों, यात्रा सुविधाओं, सुख-सुविधाओं और कार्गो सुविधाओं तक पहुँचने में सहायता मिल सके।

19.6.9 सीओडी से 1 (एक) वर्ष की तिथि से शुरू होकर, रियायतग्राही विमानपत्तन पर आईएटीए इष्टतम सेवा स्तर (IATA Level of Service Optimum) प्राप्त करने के लिए सहमत होता है और वचन देता है। यदि यह देखा जाता है कि किसी भी रियायत वर्ष में किसी भी तिमाही में व्यस्त घंटों (Peak Hours) के दौरान सेवा का स्तर आईएटीए इष्टतम सेवा स्तर से कमतर है और रियायतग्राही सेवा के ऐसे स्तर के हास के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर इसे ठीक नहीं करता है, तो रियायतग्राही प्राधिकरण को हर्जाने का भुगतान करेगा। यह हर्जाना ठीक पूर्ववर्ती तिमाही के लिए शुल्कों से प्राप्त कुल राजस्व के 0.5% (शून्य दशमलव पांच प्रतिशत) की दर से निर्धारित किया जाएगा।

19.6.10 रियायतग्राही खंड 23.10 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता चार्टर (User Charter) को प्रकाशित और कार्यान्वित करेगा।

19.7 विशेष सहायता की आवश्यकता वाले उपयोगकर्ता

19.7.1 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि टर्मिनल भवन बुजुर्ग व्यक्तियों, और शारीरिक या दृष्टि से अक्षम/बाधित उपयोगकर्ताओं और आगंतुकों की यात्रा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करे, जिसमें उत्तम उद्योग प्रथा के अनुरूप और ऐसे उपयोगकर्ताओं और आगंतुकों के लिए बिना किसी अतिरिक्त लागत के रैंप वे, संशोधित शौचालय (Modified Toilets), व्हील चेयर और विशेष सहायता की आवश्यकता वाले उपयोगकर्ताओं के लिए चिह्नित पार्किंग स्लॉट का प्रावधान शामिल है।

19.7.2 रियायतग्राही उपयोगकर्ताओं के लिए बिना किसी लागत के, टर्मिनल भवन के भीतर शिशु देखभाल कक्ष (Child Care Room) और सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित करेगा।

19.7.3 रियायतग्राही खंड 5.11 में निर्दिष्ट तरीके से टर्मिनल भवन के भीतर प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं (First Aid Facilities) की स्थापना और संचालन करेगा।

19.8 आरक्षित क्षेत्र

19.8.1 निम्नलिखित संस्थाओं या उद्देश्यों के लिए टर्मिनल भवन में स्थान को आरक्षित क्षेत्र (Reserved Area) माना जाएगा:

(क) प्राधिकरण; ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए लागू डीजीसीए विनियम, संबंधित आईसीएओ दस्तावेज़ और अनुलग्नक तथा मानक औद्योगिक कार्यप्रणाली ।

19.10.2 रियायतकर्ता इस समझौते के प्रावधानों और मानक औद्योगिक कार्यप्रणाली के अनुसार, एयरलाइनों की ओर से और उनके लिए उपयोगकर्ताओं को चेक-इन सेवाएं प्रदान करेगा या प्रदान करवाएगा।

19.10.3 इस खंड 19.10 में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, रियायतकर्ता प्रत्येक एयरलाइन को, ऐसी एयरलाइन के विकल्प पर, पारस्परिक रूप से सहमत राशि पर रियायतकर्ता को सेवा शुल्क के भुगतान पर उस एयरलाइन के उपयोगकर्ताओं को चेक-इन सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।

19.11 निर्दिष्ट क्षेत्रों का वाणिज्यिक उपयोग

19.11.1 इस समझौते और लागू कानूनों के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही टर्मिनल भवन का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए कर सकता है, जैसे यात्रा सुविधाएं, उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाएं, रेस्तरां, आवास और खुदरा।

19.11.2 रियायतग्राही हवाई अड्डे के किसी भी हिस्से पर किसी भी तरह से कोई भार नहीं लगाएगा या उसे हस्तांतरित नहीं करेगा, सिवाय धारा 5.2 और धारा 38.2 के प्रावधानों के अनुसार।

19.11.3 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि उसके लाइसेंसधारी और/या उप-पट्टेदार अत्यधिक शोर या खाना पकाने की गंध सहित सार्वजनिक समस्या न पैदा करें; व्यवसाय के लिए प्रचार न करें, और नकली सामान बिक्री के लिए पेश न करें, और वे लागू कानूनों, लागू परमिटों और अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुसार अपनी-अपनी गतिविधियाँ करें।

19.12 पार्किंग

19.12.1 रियायतग्राही इस समझौते, मास्टर प्लान, लागू कानूनों, लागू परमिटों और अच्छे उद्योग प्रथाओं के प्रावधानों के अनुसार पार्किंग का विकास, संचालन और रखरखाव करेगा या करवाएगा।

19.12.2 रियायतकर्ता इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे के उपयोगकर्ताओं या आगंतुकों द्वारा पार्किंग के उपयोग को विनियमित करेगा और सभी यात्रियों और आगंतुकों को इसके गैर-भेदभावपूर्ण उपयोग की अनुमति देगा, बशर्ते कि रियायतकर्ता धारा 19.12.3(एच) के अनुसार पार्किंग के उपयोग के लिए शुल्क लगा सकता है।

19.12.3 रियायतग्राही निम्नलिखित कार्य करेगा:

(क) यात्रियों की सुविधा और सहूलियत को ध्यान में रखते हुए वाहन पार्किंग स्थल की योजना बनाएं और वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश और निकास द्वार डिजाइन करें;

(ख) यह सुनिश्चित किया जाए कि दोपहिया वाहनों, कारों, निजी टैक्सियों, नियमित टैक्सियों, बसों, ऑटो-रिक्शा आदि के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थान उपलब्ध कराया जाए;

(ग) अल्पकालिक, दीर्घकालिक और रात्रिकालीन पार्किंग जैसे विभिन्न उपयोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था करना;

(घ) आरक्षित पार्किंग और प्राधिकरण तथा भारत सरकार की नामित एजेंसी और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अलग से निःशुल्क पार्किंग स्थान उपलब्ध कराना;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि पार्किंग का उपयोग केवल मोटर वाहनों की पार्किंग के लिए किया जाए और विज्ञापन तथा उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाओं और सुख-सुविधाओं के प्रावधान को छोड़कर किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाए।

(ड.) पार्किंग के किसी भी भाग पर खंड 5.2 और खंड 38.2 के प्रावधानों के अनुसार ही भार उत्पन्न नहीं करेगा;

(च) हवाई अड्डे पर लागू अग्नि एवं सुरक्षा मानदंडों के अंतर्गत सभी प्रावधानों का पालन करना और उन्हें लागू करना, जिसमें पार्किंग क्षेत्र भी शामिल हैं; और

(छ) पार्किंग के उपयोग के लिए शुल्क लगाना, ऐसी दरों पर जो वह अपने विवेकानुसार निर्धारित करे।

19.12.4 रियायतग्राही आरक्षित पार्किंग ("आरक्षित पार्किंग") का विकास, संचालन और रखरखाव करेगा, और छूट प्राप्त व्यक्तियों और वीआईपी लाउंज का उपयोग करने के हकदार व्यक्तियों द्वारा इसके निःशुल्क उपयोग की सुविधा प्रदान करेगा। छूट प्राप्त व्यक्तियों के साथ-साथ, निम्नलिखित व्यक्ति भी निःशुल्क पार्किंग के हकदार होंगे:

(क) कानून और व्यवस्था बनाए रखने में लगे व्यक्ति जो अपने आधिकारिक कर्तव्याधिकार में हवाई अड्डे या उसके किसी भाग का दौरा कर रहे हों;

(ख) अग्निशमन कर्मी और आपातकालीन चिकित्सा सेवा में कार्यरत व्यक्ति, अपनी आधिकारिक क्षमता में ड्यूटी पर रहते हुए, और

(ग) टर्मिनल भवन में निरीक्षण, सर्वेक्षण, निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए अपने आधिकारिक पद पर रहते हुए प्रवेश करने वाले व्यक्ति।

19.12.5 रियायतग्राही को कार पार्क में हर समय निम्नलिखित सभी चीजों की न्यूनतम उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी या करानी होगी:

(क) सुविधाजनक स्थानों पर निशुल्क पेयजल की व्यवस्था;

(ख) सुविधाजनक स्थानों पर स्थापित खाद्य स्टॉल/वेंडिंग मशीनें, जिनमें बोतलबंद पानी और लोकप्रिय पेय पदार्थ, गर्म और ठंडे, उपलब्ध होंगे, जिनकी कीमत हवाई अड्डे के बाहर बाजार में प्रचलित प्रत्येक उत्पाद के अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक नहीं होगी।

19.12.6 रियायतग्राही पार्किंग के प्रवेश या निकास बिंदु के निकट चालकों के लिए पर्याप्त बैठने की व्यवस्था और शौचालयों से सुसज्जित प्रतीक्षा कक्ष उपलब्ध कराएगा और यात्रियों और आगंतुकों के लिए टर्मिनल भवन में निर्दिष्ट स्थानों पर अपने-अपने चालकों को बुलाने के लिए एक सार्वजनिक संबोधन प्रणाली भी उपलब्ध कराएगा। ऐसे प्रतीक्षा कक्ष और शौचालय सुविधाजनक स्थानों पर स्थित होंगे और ऐसे प्रतीक्षा कक्ष, शौचालय और अन्य सुविधाओं का उपयोग करने वाले आगंतुकों/चालकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

19.12.7 रियायतग्राही किसी भी ऐसे वाहन को, जो पार्किंग के लिए निर्धारित या अधिकृत स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर खड़ा हो, हटाकर पार्किंग स्थल में खड़ा कर सकता है। यदि किसी कारणवश रियायतग्राही वाहन को पार्किंग स्थल में स्थानांतरित करने में असमर्थ हो, तो वह वाहन को उसी स्थान पर या उसके आस-पास स्थिर कर सकता है। रियायतग्राही ऐसे वाहन के लिए शुल्क वसूलने का हकदार होगा और साथ ही वाहन को स्थिर करने या पार्किंग स्थल में स्थानांतरित करने की पूर्व-निर्धारित और सहमत लागत के रूप में शुल्क के 5 (पांच) गुना के बराबर राशि भी वसूल करेगा। रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि इस खंड 19.12.7 के प्रावधानों के अंतर्गत वाहनों को स्थानांतरित करने या स्थिर करने का कार्य इस प्रकार किया जाए जिससे वाहनों को कोई क्षति न पहुंचे।

19.12.8 रियायतग्राही टर्मिनल भवन या कार्गो सुविधाओं के किसी भी हिस्से से गुजरने के लिए पहुँच मार्ग का उपयोग करने वाले वाहनों (निजी या वाणिज्यिक) के संबंध में लागू कानूनों का अनुपालन करेगा।

अनुच्छेद: 20. आरक्षित सेवाएं

20.1 आरक्षित सेवाएं

20.1.1 रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमत है कि हवाई अड्डे पर निम्नलिखित सेवाएं ("आरक्षित सेवाएं") प्रदान करने के लिए केवल नामित जीओटी एजेंसियां ही अधिकृत हैं:

क. सीएनएसएटीएम सेवाएं/

ख. सुरक्षा सेवाएँ,

ग. मौसम विज्ञान सेवाएं;

घ. अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाएं;

ड. सीमा शुल्क नियंत्रण;

च. आप्रवासन सेवाएँ;

छ. संगरोध सेवाएं;

ज. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली कोई अन्य सेवाएं;

बशर्ते कि, लागू कानूनों और लागू परमिटों के अधीन रहते हुए, इस समझौते में कुछ भी प्राधिकरण को रियायतग्राही से आरक्षित सेवाओं में से किसी भी या सभी को उन शर्तों और नियमों पर करने की आवश्यकता से प्रतिबंधित नहीं करेगा जो पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत हो सकते हैं।

20.1.2 प्राधिकरण समय-समय पर रियायतग्राही से आरक्षित सेवाओं के निष्पादन हेतु भारत सरकार की किसी भी या सभी नामित एजेंसियों के साथ लागू कानूनों और सुशासनात्मक उद्योग प्रथाओं के अनुरूप द्विपक्षीय समझौते करने की अपेक्षा कर सकता है। पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि आरक्षित सेवाओं के प्रावधान हेतु रियायतग्राही द्वारा वहन की जाने वाली लागत में किसी भी पर्याप्त वृद्धि की स्थिति में, प्रासंगिक अवधि के दौरान डब्ल्यूपीआई में वृद्धि के कारण होने वाली किसी भी वृद्धि को छोड़कर, रियायतग्राही नियामक की पूर्व स्वीकृति से शुल्क में वृद्धि के माध्यम से उस लागत की वसूली कर सकता है।

20.1.3 जहां रियायतकर्ता द्वारा आरक्षित सेवाओं के संबंध में उपयोगकर्ताओं से कोई शुल्क वसूलना आवश्यक हो, रियायतकर्ता लागू कानूनों के अनुसार ऐसा करेगा।

20.2 सीएनएस/एटीएम सेवाएं

20.2.1 प्राधिकरण, रियायतग्राही द्वारा लागू नियमों और शर्तों के अनुपालन पर, रियायतग्राही के अनुरोध पर, प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच अनुसूची Q में निर्धारित प्रारूप में एक समझौता ("सीएनएस/एटीएम समझौता") निष्पादित करवाएगा, जो रियायत अवधि के दौरान हवाई अड्डे पर शिकागो कन्वेंशन के अनुसार समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित प्रथाओं के अनुरूप और भारत के अन्य हवाई अड्डों पर समान सेवाओं के लिए लागू शर्तों पर तथा डीजीसीए के निर्देशों के अनुपालन में सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करेगा। यदि इस समझौते की तिथि के बाद लेकिन रियायतग्राही द्वारा इसके निष्पादन से पहले प्राधिकरण अपने विवेकाधिकार से सीएनएस/एटीएम समझौते के प्रारूप में कोई परिवर्तन या संशोधन करता है, तो रियायतग्राही परिवर्तित या संशोधित प्रारूप में सीएनएस/एटीएम समझौते पर हस्ताक्षर करेगा।

20.2.2 नामित भारत सरकार एजेंसी, अपने स्वयं के खर्च पर, हवाई अड्डे पर मार्ग और टर्मिनल हवाई नेविगेशन सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक किसी भी रडार, उपकरण या सुविधाओं को स्थापित कर सकती है और रियायतग्राही एतद्वारा सभी आवश्यक बुनियादी ढांचा और उससे संबंधित आवश्यक सहायता प्रदान करने का वचन देता है।

20.3 हवाईअड्डे की सुरक्षा

20.3.1 रियायतग्राही लागू कानूनों के अनुसार नामित भारत सरकार एजेंसी के माध्यम से हवाई अड्डे पर सुरक्षा की व्यवस्था करेगा, जिसमें आतंकवाद, अपहरण, तोड़फोड़ और/या इसी तरह के कृत्यों या घटनाओं की रोकथाम शामिल है।

20.3.2 रियायतग्राही सहमत है और वचन देता है कि हवाई अड्डे, उपयोगकर्ताओं और हवाई अड्डे पर काम करने वाले व्यक्तियों और हवाई अड्डे पर अन्य व्यक्तियों या संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपनाई जाने वाली प्रथाएं और प्रक्रियाएं बीसीएएस या नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार होंगी।

20.3.3 नामित भारत सरकार एजेंसी हवाई अड्डे का निरीक्षण और तलाशी लेने तथा हवाई अड्डे के संचालन को अनुचित या अकारण रूप से बाधित किए बिना, परिसर में प्रवेश करने या वहां से निकलने वाले किसी भी व्यक्ति या वाहन की तलाशी लेने की हकदार होगी।

20.3.4 रियायतग्राही किसी भी नामित भारत सरकार एजेंसी की कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप अपने संचालन में व्यवधान या हानि या क्षति के लिए किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा, सिवाय उन मामलों के जो नामित भारत सरकार एजेंसी के जानबूझकर या घोर लापरवाहीपूर्ण कृत्यों या चूक के परिणामस्वरूप हुए हों।

20.4 पुलिस सहायता

लागू कानूनों और इस समझौते के अनुसार हवाई अड्डे के उपयोग को विनियमित करने के लिए, प्राधिकरण रियायतग्राही को पुलिस से सहायता प्राप्त करने में सहायता करेगा, जिसमें रियायतग्राही द्वारा हवाई अड्डे पर एक पुलिस सहायता चौकी ("पुलिस सहायता चौकी") की स्थापना भी शामिल है।

20.5 मौसम विज्ञान सेवाएं

प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि हवाई अड्डे पर सीएनएस/एटीएम सेवाओं के प्रावधान हेतु मौसम संबंधी सुविधाएं और सेवाएं भारत सरकार द्वारा नामित एजेंसी द्वारा शिकागो कन्वेंशन के अनुसार समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित प्रथाओं के अनुरूप तथा भारत के अन्य समान हवाई अड्डों पर प्रदान की जा रही शर्तों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएं। रियायतग्राही अपने खर्च पर तथा प्राधिकरण को बिना किसी लागत के, उपकरण/यंत्रों की स्थापना और आवश्यक मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करने हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचा, परिचालन क्षेत्र में स्थान या कार्यालय स्थापित करने के लिए स्थान उपलब्ध कराएगा।

20.6 आरक्षित सेवाओं के संबंध में दायित्व

रियायतग्राही इस बात से सहमत है और वचन देता है कि वह रियायत अवधि के दौरान हर समय निम्नलिखित कार्य करेगा:

(क) सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करने के लिए एटीसी सुविधा को भारत सरकार की नामित एजेंसी को उपलब्ध कराना;

(ख) इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित सेवाओं के प्रावधान के लिए आरक्षित क्षेत्र उपलब्ध कराना;

(ग) हवाई अड्डे की सुरक्षा के संबंध में बीसीएस या नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा निर्धारित सभी नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन करना तथा हवाई अड्डे के चारों ओर परिधि बाड़ या अन्य उपयुक्त सुरक्षा प्रदान करना और उसका रखरखाव करना।

(घ) सभी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना और उनका रखरखाव करना, जैसा कि यथोचित रूप से आवश्यक हो सकता है

समय-समय पर बीसीएस या भारत सरकार द्वारा नामित एजेंसी;

हवाई अड्डे के अंदर और आसपास सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्राधिकरण और/या नामित भारत सरकार एजेंसी के किसी भी निर्देश का पालन और कार्यान्वयन करना तथा प्राधिकरण और/या नामित भारत सरकार एजेंसी को हवाई अड्डे के संचालन को अनुचित या अनावश्यक रूप से बाधित किए बिना, उनके द्वारा यथोचित रूप से आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे कदम उठाने की अनुमति देना।

यह सुनिश्चित करें और सुनिश्चित करें कि निम्नलिखित घटनाओं के प्रभावी और कुशल जवाब के लिए आवश्यक उपकरण और जनशक्ति लागू कानूनों और उद्योग की अच्छी प्रथाओं के अनुसार उपलब्ध हों:

(i) रनवे से अक्षम विमान को हटाना;

(ii) किसी विमान या हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी;

(iii) हवाई अड्डे के आसपास और उसके भीतर विमान दुर्घटनाएँ;

- (iv) हवाई अड्डे पर उतरने के लिए मजबूर गैर-निर्धारित विमान;
 - (v) हवाई अड्डे पर आग,
 - (vi) प्राकृतिक आपदाएँ और विपत्तियाँ;
 - (vii) हवाई अड्डे पर हड़ताल;
 - (viii) नागर विमानन में गैरकानूनी हस्तक्षेप; और
 - (ix) हवाई अड्डे पर कोई अन्य आपात स्थिति;
- (g) इस अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपने दायित्वों के निर्वहन में भारत सरकार की नामित एजेंसियों को सहायता और सहयोग प्रदान करना;
- (h) प्राधिकरण और भारत सरकार द्वारा नामित एजेंसी को आरक्षित सेवाओं के प्रावधान के लिए यथोचित रूप से आवश्यक जानकारी प्रदान करना।
- (i) नामित भारत सरकार एजेंसियों द्वारा आरक्षित सेवाओं के प्रावधान के लिए या अन्यथा, जैसा भी मामला हो, बिजली, दूरसंचार सेवाओं, पानी और ऐसी अन्य उपयोगिताओं की निरंतर आपूर्ति अपने स्वयं के खर्च पर प्रदान करना; और
- (j) प्राधिकरण और नामित भारत सरकार एजेंसी को हवाई अड्डे पर किसी भी बुनियादी ढांचे या सुविधाओं को बंद करने या वापस लेने के किसी भी प्रस्तावित मामले में 7 (सात) दिन पहले सूचित करना, आपातकाल की स्थिति को छोड़कर, समय-समय पर पार्टियों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत परिचालन प्रक्रियाओं के अनुसार।

20.7 आरक्षित क्षेत्र

20.7.1. धारा 19.8 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, रियायतग्राही यह वचन देता है कि वह रियायत अवधि के दौरान प्राधिकरण या उसके नामित व्यक्तियों को हवाई अड्डे पर ऐसा आरक्षित क्षेत्र, पहुंच और सुविधाएं प्रदान करेगा जो उन्हें इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों। उपरोक्त के प्रतिकूल न रहते हुए, रियायतग्राही टर्मिनल भवन के कॉनकोर्स में प्राधिकरण के लिए अधिकतम 500 (पांच सौ) वर्ग फुट का निरंतर वातानुकूलित स्थान अलग से आरक्षित करेगा और प्रदान करेगा।

पृष्ठ- 90

20.7.2 आरक्षित क्षेत्र का उपयोग प्राधिकरण या उसके नामित व्यक्तियों द्वारा, जैसा उचित समझा जाए, किया जाएगा और रियायत अवधि के दौरान किसी भी समय रियायतग्राही द्वारा किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। आरक्षित क्षेत्र का नियंत्रण और प्रबंधन प्राधिकरण या उसके नामित व्यक्तियों के पास रहेगा, जो उस क्षेत्र के लिए निर्धारित कार्यों या ऐसे कार्यों के समान किसी अन्य उद्देश्य के लिए उत्तरदायी होंगे। आरक्षित क्षेत्रों और उन तक पहुंच के संबंध में रियायतग्राही के दायित्व आरक्षित क्षेत्र के भाग के रूप में कार्य

करने वाले सिविल कार्यों, संरचनाओं और उपकरणों के रखरखाव तक सीमित रहेंगे, बशर्ते कि आपातकाल, आग या अन्य समान घटना की स्थिति में रियायतग्राही को उस तक निर्बाध पहुंच प्राप्त होगी।

20.7.3 रियायतग्राही प्राधिकरण या उसके नामित व्यक्तियों को आरक्षित सेवाओं के प्रावधान के लिए प्रदान की गई पहुंच, स्थान और सुविधाओं को कम या प्रतिबंधित नहीं करेगा, सिवाय प्राधिकरण या उसके नामित व्यक्तियों की पूर्व सहमति के, जैसा भी मामला हो।

20.7.4 इस खंड 20.7 में किसी विपरीत प्रावधान के होते हुए भी, प्राधिकरण, रियायतग्राही की सहमति से, आरक्षित क्षेत्र या उसके किसी भाग को रियायतग्राही को ऐसी शर्तों और नियमों पर हस्तांतरित कर सकता है जिन पर सहमति बनी हो। ऐसी स्थिति में, रियायतग्राही आरक्षित क्षेत्र में सुरक्षित और कुशल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण और उसके द्वारा नामित एजेंसियों के साथ सहयोग करने का भरसक प्रयास करेगा।

20.7.5 यदि हवाई अड्डे के विस्तार के लिए आरक्षित सेवाओं के प्रावधान हेतु उपयोग किए जाने वाले किसी स्थान या सुविधाओं के स्थानांतरण या पुनर्गठन की आवश्यकता होती है, तो रियायतकर्ता प्राधिकरण या उसके नामित व्यक्तियों को, जैसा भी मामला हो, सूचित करेगा और इस संबंध में आवश्यक किसी भी संशोधन को पारस्परिक रूप से निर्धारित करेगा।

20.7.6 यदि आरक्षित क्षेत्र में निर्दिष्ट कार्यों के निर्वहन के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता होती है, तो प्राधिकरण या उसके नामित व्यक्ति, रियायतग्राही की सहमति से, आरक्षित क्षेत्र में शामिल स्थान को बढ़ा सकते हैं।

अनुच्छेद 21-संचालन और रखरखाव की निगरानी

21.1 एयरपोर्ट ऑपरेटर का डेटा बेस

रियायतग्राही हवाई अड्डा संचालन डेटाबेस ("एओडीबी ") स्थापित करेगा, जिसमें हवाई अड्डे के संचालन डेटाबेस, संचार परत और दृश्य प्रणाली शामिल होगी जो हवाई अड्डे के विभिन्न प्रणालियों को आपस में जोड़ेगी। एओडीबी को हवाई अड्डे के सभी परिचालन डेटा उपलब्ध कराने होंगे, जिनमें सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं और टर्मिनल भवन के सेवा स्तर को परिभाषित करने वाले मापदंडों से संबंधित डेटा और प्राधिकरण तथा/या भारत सरकार की किसी भी नामित एजेंसी द्वारा इस समझौते के अनुसार आवश्यक कोई भी अन्य जानकारी शामिल होगी। एओडीबी इस समझौते की आवश्यकताओं के अनुसार दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा। एओडीबी प्रणाली को ऐतिहासिक, वास्तविक समय डेटा प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए ताकि रणनीतिक निर्णय लेने में सहायता मिल सके और रियायतग्राही को विभिन्न अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिल सके। रियायतग्राही आवधिक समीक्षा और रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्राधिकरण को एओडीबी तक पहुंच प्रदान करेगा।

21.2 स्थिति रिपोर्ट

21.2.1 रियायत अवधि के दौरान, रियायतग्राही प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के सात (7) दिनों के भीतर प्राधिकरण को एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो प्राधिकरण को स्वीकार्य प्रारूप में होगी। इस रिपोर्ट में हवाई अड्डे की स्थिति का विस्तृत विवरण होगा, जिसमें सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन और किसी भी घटना का विवरण शामिल होगा। साथ ही, प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित अन्य प्रासंगिक जानकारी भी तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी। विशेष रूप से, इस रिपोर्ट में सुधार की आवश्यकता वाले दोषों और कमियों को अलग से पहचान कर उनका विस्तृत विवरण दिया जाएगा।

21.2.2 रियायत अवधि के दौरान, रियायतग्राही प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 10 (दस) दिनों के भीतर प्राधिकरण को एक त्रैमासिक प्रबंधन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो निम्नलिखित का सारांश होगी:

- (क) तिमाही में हासिल किए गए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक, विफलताओं के कारणों का विश्लेषण, यदि कोई हो, और उन्हें दूर करने के प्रस्ताव;
- (ख) आगामी तिमाही में अपेक्षित प्रमुख परिचालन संबंधी बाधाएं और परिणाम, साथ ही उनसे निपटने और हवाई अड्डे के परिचालन प्रदर्शन में सुधार लाने की रणनीतियाँ;
- (ग) तिमाही बजट के मुकाबले तिमाही के प्रमुख वित्तीय मापदंड, यदि कोई कमी हो तो उसके कारण और उसे दूर करने के प्रस्ताव; और
- (घ) आगामी तिमाही के लिए त्रैमासिक बजट, साथ ही हवाई अड्डे के वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के लिए रणनीतियाँ।

21.2.3 रियायतग्राही प्राधिकरण को नियमित आधार पर निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा:

- (क) त्रैमासिक गतिविधि रिपोर्ट (यात्री यातायात, विमान आवागमन, माल ढुलाई आदि),
- (ख) त्रैमासिक वित्तीय खाते;
- (ग) वार्षिक बजट;
- (घ) व्यापार योजना का नवीनतम अद्यतन;
- (ई) वार्षिक रखरखाव कार्यक्रम;

(च) अन्य परिचालन सांख्यिकी, जैसा कि किसी भी सरकारी संस्था, जिसमें सरकार, राज्य सरकार, नागर विमानन मंत्रालय, डीजीसीए, प्राधिकरण, आईसीएओ या आईएटीए शामिल हैं, द्वारा आवश्यक हो; और

(छ) हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास से संबंधित ऐसी अन्य रिपोर्ट/जानकारी (या उसका विश्लेषण) जो प्राधिकरण समय-समय पर अनुरोध कर सकता है।

21.3 सेवा स्तर की निगरानी

रियायतग्राही निम्नलिखित कार्य करेगा:

(क) रियायत अवधि के दौरान, हवाई अड्डे पर यातायात प्रवाह की नियमित रूप से निगरानी करें और हवाई अड्डे पर सेवा स्तरों की नियमित रूप से जांच करें;

(ख) सीओडी प्राप्त करने के बाद, हवाई अड्डे पर व्यस्त समय के दौरान विमान में चढ़ने और उतरने वाले यात्रियों की नियमित रूप से निगरानी करें और उनकी गिनती करें;

(ग) प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद सातवें दिन तक, प्राधिकरण को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करें: (i) यह पुष्टि करते हुए कि पिछली तिमाही (या उसके भाग) के दौरान हवाई अड्डे पर सेवा स्तर कभी भी आईएटीए सेवा स्तर के इष्टतम स्तर से नीचे नहीं गिरा, या उन तिथियों या समयावधियों का वर्णन करते हुए जिनके दौरान हवाई अड्डे पर सेवा स्तर आईएटीए सेवा स्तर के इष्टतम स्तर से नीचे गिरा, और (ii) रिपोर्टिंग तिमाही के दौरान हवाई अड्डे पर अपेक्षित सेवा स्तर का अपना विश्लेषण (सभी सहायक आंकड़ों सहित) प्रस्तुत करते हुए, जिसमें कोई भी समयावधि शामिल है जब हवाई अड्डे पर सेवा स्तर के आईएटीए सेवा स्तर के इष्टतम स्तर से नीचे गिरने का अनुमान है;

(घ) यदि प्राधिकरण को यह प्रतीत होता है कि हवाई अड्डे पर सेवा का स्तर किसी भी समय आईएटीए के इष्टतम सेवा स्तर से नीचे गिरने वाला है या गिर चुका है, तो प्राधिकरण को तुरंत लिखित रूप में सूचित करें और प्राधिकरण को इस निर्धारण से संबंधित सभी डेटा के साथ-साथ ऐसी कमी के निवारण की योजना भी प्रदान करें।

21.4 असामान्य घटना के रिपोर्ट

रियायतग्राही प्रत्येक दिन के समापन से पहले, प्राधिकरण और नामित एजेंसी को फैक्स और ईमेल द्वारा हवाई अड्डे पर हुई दुर्घटनाओं और असामान्य घटनाओं की रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें उपयोगकर्ताओं और हवाई अड्डे की सुरक्षा से संबंधित जानकारी होगी। ऐसी रिपोर्टों का साप्ताहिक और मासिक सारांश भी प्रत्येक सप्ताह और माह के समापन के 3 (तीन) दिनों के भीतर भेजा जाएगा। इस खंड 21.4 के प्रयोजनों के लिए, हवाई अड्डे पर हुई दुर्घटनाओं और असामान्य घटनाओं में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) किसी व्यक्ति की मृत्यु या चोट;

(ख) क्षतिग्रस्त या अपनी जगह से हटे हुए स्थिर उपकरण;

(ग) हवाई अड्डे पर किसी भी प्रकार की क्षति या अवरोध, जिसके परिणामस्वरूप उपयोगकर्ताओं को प्रदान की जा रही सेवाओं में देरी होती है;

(घ) रनवे, एप्रन या टैक्सीवे पर किसी भी प्रकार की क्षति या अवरोध;

(ण) हवाई अड्डे पर हवाई यातायात की भीड़भाड़ के कारण निर्धारित विमान संचालन में अनावश्यक देरी या टर्मिनल भवन में भीड़भाड़ होना।

(च) हवाई अड्डे की प्रकाश व्यवस्था में कोई भी खराबी या दोष;

(ज) आरक्षित सेवाओं के प्रावधान में कोई बाधा या अनुचित भीड़भाड़;

(झ) हवाई अड्डे पर बिजली या पानी की आपूर्ति में रुकावट या विफलता,

(ण) टर्मिनल भवन में वातानुकूलन सुविधाओं का बंद होना या विफल होना,

हवाई अड्डे पर किसी भी क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन सिस्टम को निष्क्रिय करना;

(त) हवाई अड्डे के संचालन को प्रभावित करने वाली संचार विफलता;

(थ) परिचालन क्षेत्र, रनवे और टैक्सीवे के भीतर और आसपास पक्षियों के टकराने, पक्षियों के टकराने के करीब की घटना या पशुओं द्वारा उपद्रव की कोई घटना;

(द) हवाई अड्डे पर चोरी या डकैती की कोई घटना;

(ध) हवाई अड्डे पर सुरक्षा उल्लंघन की कोई घटना;

(न) धुआं या आग, हवाई अड्डे में बाढ़;

(प) परियोजना सुविधाओं में से किसी को पर्याप्त क्षति या विनाश; और

(फ) ऐसी अन्य प्रासंगिक जानकारी जो प्राधिकरण द्वारा यथोचित रूप से अपेक्षित हो।

21.5 निरीक्षण

प्राधिकरण या उसकी नामित एजेंसी, आवश्यकता पड़ने पर, रियायतग्राही को पूर्व सूचना देकर वर्ष में कम से कम एक बार हवाई अड्डे का निरीक्षण कर सकती है। वह ऐसे निरीक्षण की एक रिपोर्ट ("**ऑपरेशन और रखरखाव निरीक्षण रिपोर्ट**") तैयार करेगी जिसमें इस समझौते, लागू कानूनों, लागू परमिटों, संबंधित आईसीएओ और आईएटीए मानकों, नियामक द्वारा निर्धारित सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं और सुशासनात्मक प्रथाओं के

अनुपालन, किसी भी दोष या खामियों का उचित विवरण दिया जाएगा, और निरीक्षण के 7 (सात) दिनों के भीतर इसकी एक प्रति रियायतग्राही को भेजी जाएगी।

21.6 उपचारात्मक उपाय

21.6.1 रियायतग्राही खंड 21.5 में उल्लिखित संचालन एवं रखरखाव निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित दोषों या खामियों (यदि कोई हो) की मरम्मत या निवारण करेगा तथा संचालन एवं रखरखाव निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण को इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, बशर्ते कि यदि ऐसे दोषों या खामियों के निवारण में 15 (पंद्रह) दिनों से अधिक समय लगने की संभावना हो, तो रियायतग्राही मरम्मत कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक सप्ताह तब तक प्रस्तुत करेगा जब तक कि ऐसे कार्य इस समझौते के अनुरूप पूरे न हो जाएं।

21.6.2 प्राधिकरण रियायतकर्ता से यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण कराने या कराने की अपेक्षा करेगा कि उपचारात्मक उपायों से हवाई अड्डा इस समझौते के अनुरूप हो गया है और इस खंड 21.6 में निर्धारित प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि हवाई अड्डा इस समझौते के अनुरूप न हो जाए।

21.7 प्रबंधन तक पहुंच

प्राधिकरण को समय-समय पर, उचित समय पर और रियायतग्राही को उचित सूचना देने के बाद, हवाई अड्डे के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों तक उचित पहुंच प्राप्त करने का अधिकार होगा।

21.8 सिटी साइड डेवलपमेंट

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अनुच्छेद 21 में उल्लिखित कोई भी बात सिटी साइड डेवलपमेंट पर लागू नहीं होगी

अनुच्छेद 22. यातायात नियमन और जनगणना

22.1 रियायतग्राही द्वारा यातायात विनियमन

22.1.1 रियायतग्राही लागू कानूनों के अनुसार और लागू कानूनों के तहत इस संबंध में सशक्त नामित भारत सरकार एजेंसियों या उनके किसी विकल्प के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन, हवाई अड्डे के भीतर और हवाई अड्डे की ओर जाने वाली सड़कों पर वाहनों के यातायात को विनियमित करेगा।

22.1.2 रियायतग्राही उद्योग में अच्छी प्रथाओं पर आधारित एक प्रणाली विकसित करेगा और उसका प्रचार करेगा, ताकि हवाई अड्डे के उपयोग में किसी भी उपयोगकर्ता या उपयोगकर्ताओं की श्रेणी के साथ भेदभाव न हो या अनुचित रूप से पक्षपात न किया जाए।

22.1.3 रियायतग्राही को सभी व्यक्तियों को गैर-भेदभावपूर्ण सेवाएं प्रदान करते हुए, एक सामान्य वाहक आधार पर हवाई अड्डे का प्रबंधन, संचालन और विनियमन करने का अधिकार और दायित्व है।

22.2 जनगणना

रियायतग्राही हवाई अड्डे से होकर गुजरने वाले हवाई और जमीनी यात्री एवं माल यातायात से संबंधित डेटा एकत्र करेगा। ऐसे डेटा का मासिक विवरण तैयार करके रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को स्वीकार्य प्रारूप में तुरंत प्रस्तुत किया जाएगा। प्रत्येक मासिक यातायात विवरण में व्यस्त समय के दौरान यात्रियों की संख्या, विमानों की आवाजाही और माल की मात्रा दैनिक आधार पर शामिल होगी।

22.3 कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क

रियायतग्राही प्राधिकरण, नामित भारत सरकार एजेंसियों और अन्य संबंधित संस्थाओं के नेटवर्क से चौबीसों घंटे जुड़े रहने वाले एक कंप्यूटर सिस्टम को स्थापित, संचालित और रखरखाव करेगा, ताकि यातायात के कुशल और पारदर्शी नियमन और प्रबंधन के लिए उपयोगी या आवश्यक डेटा और सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए, वह इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ("ईडीआई") के लिए ऐसे प्रोटोकॉल का पालन करेगा, जिसे प्राधिकरण या नामित भारत सरकार एजेंसी समय-समय पर निर्दिष्ट कर सकती है। यह सहमति है कि खंड 28.9 में निर्दिष्ट प्रारूप को प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर ईडीआई की आवश्यकताओं और आउटपुट के अनुरूप बनाने के लिए संशोधित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 23. प्रमुख प्रदर्शन संकेतक

23.1 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक

23.1.1 इस समझौते में निर्दिष्ट दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सीओडी से 1 (एक) वर्ष की तिथि से शुरू होकर, रियायतकर्ता हवाई अड्डे का संचालन इस प्रकार करेगा कि वह इस अनुच्छेद 23 में निर्दिष्ट प्रदर्शन संकेतकों और अनुसूची एच ("मुख्य प्रदर्शन संकेतक") में निर्दिष्ट सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं को प्राप्त करे या उससे अधिक हो।

23.1.2 रियायतग्राही अनुसूची 11 में उल्लिखित मापदंडों के आधार पर सेवा की गुणवत्ता की निगरानी और माप करेगा। रियायतग्राही मापन तंत्र और मापन आवृत्ति/आवधिकता का विवरण देते हुए एक प्रदर्शन मापन योजना प्रस्तुत करेगा। प्रदर्शन मापन योजना रियायतग्राही द्वारा लागू कानूनों, विनियामक ढांचे और अनुसूची एच के तहत दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार तैयार की जाएगी।

23.2 वैमानिक संपत्तियों का संचालन

23.2.1 रियायतग्राही वैमानिकी परिसंपत्तियों का संचालन इस प्रकार करेगा कि, सीओडी से 1 (एक) वर्ष की तिथि से प्रारंभ होकर, यह खंड 23.2 और अनुसूची एच में निर्दिष्ट प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के अनुरूप हो।

23.2.2 रियायती अवधि के दौरान रियायतग्राही रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम को प्रासंगिक आईसीएओ मानकों, डीजीसीए के दिशानिर्देशों, लागू कानूनों, लागू परमिटों और अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुसार बनाए रखेगा।

23.3 टर्मिनल भवन का संचालन

3.3.1 रियायतग्राही टर्मिनल भवन का संचालन और रखरखाव इस प्रकार करेगा कि, सी.ओ.डी. से 1 (एक) वर्ष की तिथि से प्रारंभ होकर, यह इस खंड 23.3 और अनुसूची एच में निर्दिष्ट प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के अनुरूप हो।

3.3.2 रियायती अवधि के दौरान रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि:

(क) टर्मिनल भवन और उसके शौचालय साफ, स्वच्छ और दुर्गंध रहित हैं।

(ख) टर्मिनल भवन के भीतर अनुसूची सी के अनुसार विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था है;

(ग) टर्मिनल भवन के भीतर सामान्य क्षेत्रों में तापमान को बाहरी तापमान के सापेक्ष उद्योग की अच्छी प्रथाओं के अनुसार आरामदायक स्तर पर बनाए रखा जाता है;

(घ) सभी प्रवेश और निकास बिंदु, मार्ग, आवागमन क्षेत्र और वाहन यातायात इस प्रकार प्रबंधित किए जाते हैं कि 95% समय तक उनमें 5 (पांच) मिनट से अधिक प्रतीक्षा समय वाली कतार न हो; और

(ई) सभी लिफ्ट, एस्केलेटर, वॉकलेटर, उड़ान सूचना प्रणाली, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली और प्रकाश व्यवस्था कुशलतापूर्वक कार्य करती हैं और उनकी उपलब्धता 98% (अठानवे प्रतिशत) से कम नहीं है।

(एफ) कार्यालय समय और निर्धारित परिचालन समय के दौरान सभी फोन कॉलों में से 75% (पचहत्तर प्रतिशत) का उत्तर 30 (तीस) सेकंड के भीतर दिया जाता है।

23.4 वाहन पार्किंग का संचालन

23.4.1. रियायतग्राही पार्किंग का संचालन और प्रबंधन इस प्रकार करेगा कि, दिनांक से प्रारंभ होकर जो कि सीओडी से 1 (एक) वर्ष है, यह प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के अनुरूप है।

23.4.2 रियायतग्राही, सीओडी की तिथि से 1 (एक) वर्ष बाद की तिथि से प्रारंभ होकर, हर समय यह सुनिश्चित करेगा कि:

(क) वाहन पार्किंग में प्रवेश करने से लेकर खाली स्थान पर पार्किंग करने तक का औसत समय, जिसमें शुल्क भुगतान का समय भी शामिल है, कम से कम 95% (पचानवे प्रतिशत) उपयोगकर्ताओं के लिए 5 (पांच) मिनट से अधिक नहीं होगा।

(ख) पार्किंग स्थल से निकास द्वार तक जाने में लगने वाला औसत समय, शुल्क भुगतान के समय सहित, कम से कम 95% (पचानवे प्रतिशत) वाहनों के लिए 5 (पांच) मिनट से अधिक नहीं होगा। इसके उपयोगकर्ताओं का प्रतिशत, और

(ग) स्थान और उपकरण का प्रावधान तथा उसका उपयोग इस प्रकार किया जाए कि वाहनों का संचालन सुरक्षित और कुशल हो तथा उद्योग में उचित व्यवहार के अनुरूप हो।

23.4.3 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि पार्किंग स्थल साफ-सुथरा रहे और उसमें पर्याप्त रोशनी हो।

23.4.4 रियायतग्राही पार्किंग स्थल में सुविधाजनक स्थानों पर पर्याप्त संख्या में शौचालय उपलब्ध कराएगा और उन्हें साफ-सुथरा और स्वच्छ स्थिति में रखेगा।

23.5 कार्गो सुविधाओं का संचालन

रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि इस समझौते की धारा 19.4 के अनुसार रियायतग्राही द्वारा विकसित, संचालित और अनुरक्षित माल ढुलाई सुविधाएं:

(क) इन्हें साफ-सुथरा रखा जाए और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाए:

(ख) उद्योग में सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सुविधा प्रदान करना और उसका संचालन करना;

(ग) ऐसे माल ढुलाई सुविधाओं के उपयोगकर्ताओं को अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुरूप कुशल और किफायती सेवाएं प्रदान करना;

(घ) माल ढुलाई सुविधाओं में पर्याप्त संख्या में शौचालय उपलब्ध कराएं और उन्हें साफ-सुथरी और स्वच्छ स्थिति में रखें।

23.6 एसओ प्रमाणीकरण

23.6.1 रियायतग्राही प्रथम चरण के समापन तिथि से 24 (चौबीस) महीनों के भीतर, रियायत अवधि के दौरान, हवाई अड्डे पर रियायतग्राही द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित सभी सुविधाओं के लिए QMS ISO 9001:2008, EMS ISO 14001:2004 और OHSAS ISO 18001:2007 प्रमाणन और अन्य लागू प्रमाणन या उसके विकल्प को प्राप्त करेगा और उसे बनाए रखेगा, और इसकी एक प्रमाणित प्रति प्राधिकरण को तुरंत प्रदान करेगा।

23.6.2 धारा 23.6.1 में निर्दिष्ट प्रमाणन प्राप्त करने में चूक की स्थिति में, रियायतकर्ता को 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण को एक कार्य योजना प्रस्तुत करनी होगी जिसमें रियायतकर्ता द्वारा अपनी कमियों को दूर करने और हवाई अड्डे पर सभी सुविधाओं के लिए ऐसा प्रमाणन प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित कार्रवाइयों का उल्लेख हो।

23.6.3 यदि इस खंड 23.6 के तहत आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने में चूक की अवधि लगातार 3 (तीन) महीनों से अधिक हो जाती है, तो रियायतकर्ता प्राधिकरण को शुल्क से प्राप्त कुल मासिक राजस्व के 0.1% (शून्य दशमलव एक प्रतिशत) के बराबर हर्जाना अदा करेगा, जो कि उपरोक्त 3 (तीन) महीनों की अवधि के बाद चूक के प्रत्येक 1 (एक) महीने के लिए होगा।

23.7 लक्ष्य रेटिंग और उपयोगकर्ता सर्वेक्षण

23.7.1 रियायतग्राही, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ("एसीआई") या उसके किसी विकल्प द्वारा प्रत्येक तिमाही में आयोजित एएसक्यू के उपयोगकर्ता सर्वेक्षण में भाग लेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि हवाई अड्डा 5.0 (5) में से कम से कम 4.5 (4.5) की रेटिंग प्राप्त करे और/या सीओडी से 5 (5) वर्षों के भीतर ऐसे सर्वेक्षण में विश्व में अपनी श्रेणी के सभी हवाई अड्डों के शीर्ष 20 (20) प्रतिशत में शामिल हो और रियायत अवधि के शेष समय के दौरान इसे बनाए रखे।

23.7.2 रियायतग्राही प्रत्येक कैलेंडर तिमाही की समाप्ति के 21 (इक्कीस) दिनों के भीतर प्राधिकरण को पिछली तिमाही के लिए एएसक्यू के उपयोगकर्ता सर्वेक्षण के परिणामों पर एक लिखित रिपोर्ट, परिणामों के अपने विश्लेषण और उपयोगकर्ता संतुष्टि में सुधार के लिए प्रस्तावित कार्रवाई, यदि कोई हो, प्रदान करेगा।

23.7.3 खंड 23.7.1 में निर्दिष्ट उपयोगकर्ता सर्वेक्षण के अतिरिक्त, प्राधिकरण अपने खर्च पर, प्रत्येक तिमाही में एक बार उपयोगकर्ता संतुष्टि का नमूना सर्वेक्षण ("उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण") आयोजित करने के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसी को नियुक्त कर सकता है, ताकि रियायतग्राही द्वारा इस अनुच्छेद 23 के प्रावधानों के

अनुपालन का निर्धारण किया जा सके। उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण की प्रकृति और विषयवस्तु प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के परामर्श से निर्धारित की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिणाम वस्तुनिष्ठ हो और उपयोगकर्ताओं के एक व्यापक वर्ग का प्रतिनिधित्व करे। यह सहमति है कि उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण को तैयार करते समय, प्राधिकरण उद्योग की अच्छी प्रथाओं पर भरोसा करेगा और समय-समय पर किए गए इसी तरह के सर्वेक्षणों का पालन करेगा, जैसे कि अन्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर वर्तमान में आयोजित एएसक्यू के सर्वेक्षण।

23.7.4 यदि उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण से पता चलता है कि सर्वेक्षण में शामिल 20% (बीस प्रतिशत) से अधिक उपयोगकर्ता रियायतग्राही के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हैं और सेवाओं को औसत से नीचे का दर्जा देते हैं, तो प्राधिकरण ऐसे उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण के निष्कर्षों को नियामक को सूचित करेगा ताकि नियामक ढांचे के तहत उचित कार्रवाई की जा सके। ऐसी स्थिति में, उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण की लागत रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

23.8 स्थिति रिपोर्ट

रियायत अवधि के दौरान, रियायतग्राही प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के सात (7) दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें इस अनुच्छेद 23 और अनुसूची एच में निर्दिष्ट सभी प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के अनुपालन का उचित विवरण दिया गया हो, साथ ही विफलताओं के कारणों का विश्लेषण और हवाई अड्डे के परिचालन प्रदर्शन में सुधार के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियों का भी उल्लेख हो। रिपोर्ट में खंड 23.9 के अनुसार गणना की गई क्षतिपूर्ति का परिमाण भी शामिल होगा।

23.9 प्रदर्शन में कमी के लिए क्षतिपूर्ति

रियायतग्राही इस अनुच्छेद 23 में निर्दिष्ट प्रत्येक प्रमुख प्रदर्शन संकेतक के अनुपालन को सुनिश्चित और प्राप्त करेगा, और किसी तिमाही के दौरान औसत प्रदर्शन में किसी भी कमी के लिए वह क्षतिपूर्ति का उत्तरदायी होगा। ऐसी क्षतिपूर्ति का निर्धारण नियामक के परामर्श से किया जाएगा और निर्दिष्ट अवधि के लिए विमानन शुल्क में समायोजित किया जाएगा।

23.10 उपयोगकर्ता चार्टर

रियायतग्राही अनुसूची J में निर्दिष्ट प्रारूप में उपयोगकर्ताओं के अधिकारों और अपेक्षाओं को स्पष्ट करने वाला एक चार्टर ("उपयोगकर्ता चार्टर") प्रकाशित और लागू करेगा। रियायतग्राही उपयोगकर्ता चार्टर और लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ताओं के प्रति हमेशा जवाबदेह और उत्तरदायी होगा।

23.11 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों से छूट

यदि प्राधिकरण द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफलता के कारण किसी प्रमुख प्रदर्शन संकेतक का अनुपालन करने में चूक होती है, तो रियायतग्राही को इसके लिए माफ कर दिया जाएगा।

प्रौद्योगिकी, उपयोगकर्ता आवश्यकताओं आदि में बदलाव के साथ, रियायतग्राही और प्राधिकरण दोनों अनुसूची एच में निर्दिष्ट प्रदर्शन संकेतकों और मानकों में परिवर्तन प्रस्तावित कर सकते हैं ताकि हवाई अड्डे के प्रदर्शन

से संबंधित नए प्रदर्शन संकेतकों की पहचान की जा सके और उपयुक्त प्रदर्शन उपाय निर्धारित किए जा सकें; मौजूदा संकेतकों के लिए प्रदर्शन मानकों को संशोधित किया जा सके, या नवीनतम विकास/उन्नति के अनुरूप संकेतकों के लिए मापन तंत्र को अद्यतन किया जा सके।

किसी भी पक्ष द्वारा ऐसे परिवर्तन प्रस्तावित किए जाने पर, प्राधिकरण नियामक और उपयोगकर्ताओं के साथ ऐसे प्रस्ताव पर परामर्श करेगा। पक्षकार ऐसे परामर्श के 60 (साठ) दिनों के भीतर बैठक करेंगे और प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणियों के साथ-साथ नियामक और उपयोगकर्ताओं के साथ परामर्श से प्राप्त सुझावों पर चर्चा करेंगे।

ऐसी बैठक के 30 (तीस) दिनों के भीतर, प्राधिकरण नियामक और/या उपयोगकर्ताओं से प्राप्त परामर्श सुझावों, साथ ही प्रस्ताव पर दोनों पक्षों की टिप्पणियों और नियामक एवं उपयोगकर्ताओं के साथ परामर्श से प्राप्त सुझावों को शामिल करने के लिए प्रारंभिक प्रस्ताव में कोई भी समायोजन प्रस्तावित करेगा। प्राधिकरण तदनुसार अनुसूची एच में प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना रियायतग्राही को देगा। ऐसे परिवर्तन समझौते के भाग के रूप में शामिल माने जाएंगे और प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को सूचना दिए जाने की तिथि के कम से कम 60 (साठ) दिनों बाद शुरू होने वाली कैलेंडर तिमाही की शुरुआत से लागू होंगे।

इस खंड 23.11 के प्रावधानों से उत्पन्न मामलों में पक्षों के बीच किसी भी मतभेद या असहमति की स्थिति में, विवाद समाधान प्रक्रिया लागू होगी।

23.12. नियामक द्वारा प्रदर्शन मानकों की समीक्षा

इस अनुच्छेद 23 में किसी भी विपरीत प्रावधान के होते हुए भी, नियामक समय-समय पर प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की पूर्ति के संबंध में रियायतग्राही के प्रदर्शन की समीक्षा कर सकता है और नियामक ढांचे के तहत अपनी शक्तियों और कार्यों के प्रयोग में ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे।

23.13 सिटी साइड डेवलपमेंट

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अनुच्छेद 23 में उल्लिखित कोई भी बात सिटी साइड डेवलपमेंट पर लागू नहीं होगी।

अनुच्छेद 24. स्वतंत्र इंजीनियर

24.1 इंडिपेंडेंट इंजीनियर की नियुक्ति

प्राधिकरण और रियायतग्राही, अनुसूची -के में निर्धारित चयन मानदंडों के अनुरूप एक परामर्श इंजीनियरिंग फर्म को इस समझौते के लिए स्वतंत्र सलाहकार ("स्वतंत्र अभियंता") के रूप में नियुक्त करेंगे। स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति अनुसूची -के के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि से 90 (नब्बे) दिनों के भीतर की जाएगी, और ऐसी नियुक्ति 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए वैध होगी। उक्त नियुक्ति की समाप्ति या निरस्तीकरण पर, प्राधिकरण धारा -के के प्रावधानों के अनुसार 3 (तीन) वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए एक स्वतंत्र अभियंता नियुक्त करेगा, और प्रत्येक नियुक्ति की समाप्ति के बाद यह प्रक्रिया दोहराई जाएगी।

24.2 दायित्व और कार्य

24.2.1 स्वतंत्र अभियंता अनुसूची एल में निर्धारित संदर्भ की शर्तों के अनुसार अपने कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करेगा।

24.2.2 स्वतंत्र अभियंता अनुसूची एल में निर्धारित अपने कर्तव्यों और कार्यों के संबंध में प्राधिकरण को नियमित आवधिक रिपोर्ट (कम से कम महीने में एक बार) प्रस्तुत करेगा।

24.2.3 प्राधिकरण द्वारा स्वतंत्र अभियंता को और स्वतंत्र अभियंता द्वारा प्राधिकरण को भेजे गए सभी पत्रों की प्रतिलिपि स्वतंत्र अभियंता द्वारा तुरंत भेजी जाएगी।

24.2.4 स्वतंत्र अभियंता द्वारा रियायतग्राही को भेजे जाने वाली सभी सूचना प्राधिकरण के माध्यम से भेजी जाएगी ।

24.3 पारिश्रमिक

24.3.1 स्वतंत्र अभियंता का पारिश्रमिक, लागत और व्यय प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा, और ऐसे सभी पारिश्रमिक, लागत और व्यय की प्रतिपूर्ति रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण से व्यय विवरण प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण को की जाएगी। स्वतंत्र अभियंता को भुगतान की गई राशि को नियामक द्वारा वैमानिक शुल्क की समाप्ति के लिए पास-थ्रू के रूप में माना जाएगा।

24.4 नियुक्ति की समाप्ति

24.4.1 प्राधिकरण अपने विवेकानुसार किसी भी समय स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति समाप्त कर सकता है, लेकिन केवल धारा 24.1 के अनुसार किसी अन्य स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति के बाद ही।

24.4.2 यदि रियायतग्राही को यह मानने का कारण है कि स्वतंत्र अभियंता अपने कर्तव्यों और कार्यों का निष्पक्ष, कुशल और लगनपूर्वक निर्वहन नहीं कर रहा है, तो वह प्राधिकरण को लिखित अभ्यावेदन देकर स्वतंत्र अभियंता

की नियुक्ति समाप्त करने की मांग कर सकता है। ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, प्राधिकरण विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए रियायतग्राही और स्वतंत्र अभियंता के साथ त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करेगा, और यदि प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच कोई मतभेद या असहमति अनसुलझी रहती है, तो विवाद का निपटारा विवाद समाधान प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। यदि इस अनुबंध के अंतर्गत स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति समाप्त कर दी जाती है, तो प्राधिकरण धारा 24.1 के अनुसार तत्काल एक अन्य स्वतंत्र अभियंता नियुक्त करेगा।

पेज -101

24.5 विवाद समाधान

यदि कोई भी पक्ष स्वतंत्र अभियंता की किसी सलाह, निर्देश, निर्णय या दिशा-निर्देश का खंडन करता है, या, जैसा भी मामला हो, अधिकार क्षेत्र के दावे या दावे में विफलता का खंडन करता है, तो विवाद का समाधान विवाद समाधान प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

24.6 अंतरिम व्यवस्था

यदि प्राधिकरण ने स्वतंत्र अभियंता नियुक्त नहीं किया है, या नियुक्त स्वतंत्र अभियंता ने अपने कार्यभार का त्याग कर दिया है या उसके निर्वहन में चूक की है, तो प्राधिकरण अंतरिम रूप से इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र अभियंता के कार्यों का निर्वहन करने के लिए किसी व्यक्ति को नामित और अधिकृत कर सकता है, सिवाय इसके कि ऐसा व्यक्ति इस समझौते में स्वतंत्र अभियंता के लिए निर्दिष्ट अनुमोदन संबंधी किसी भी कार्य का निर्वहन नहीं करेगा, और ऐसे कार्यों का निर्वहन स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति होने पर इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। यद्यपि, इस खंड 24.6 में निहित कोई भी बात किसी भी तरह से इस समझौते के प्रावधानों के अनुपालन को लागू करने के प्राधिकरण के अधिकारों को प्रतिबंधित नहीं करेगी।

अनुच्छेद 25. शहर की ओर विकास

25.1 शहर की ओर का विकास

25.1.1 रियायतग्राही अनुसूची क में निर्दिष्ट भूमि पर, अनुसूची ख और अनुसूची ग में निर्धारित शर्तों के अधीन, शहर की ओर विकास करने का हकदार होगा और ऐसे विकास का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने का हकदार होगा, जिसमें समझौते के माध्यम से इसके किसी भी या सभी भागों को उप-पट्टे पर देने का अधिकार होगा, जिसे परियोजना समझौता कहा जाएगा, चाहे उसका मूल्य कुछ भी हो और इसमें निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद।

25.1.2 रियायतग्राही शहर के विकास के हिस्से के रूप में सड़कों, बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति, सीवरज और जल निकासी प्रणालियों जैसे बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव का कार्य स्वयं वहन करेगा या करवाएगा, और यह कार्य इस समझौते, लागू कानूनों, लागू परमिटों और अच्छे उद्योग प्रथाओं के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

25.2 शहर की ओर के विकास का संचालन और रखरखाव

रियायतग्राही शहर के किनारे के विकास के संचालन, प्रबंधन और विकास में इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों, लागू परमिटों और अच्छी उद्योग प्रथाओं का अनुपालन करेगा और इस समझौते, लागू कानूनों और लागू परमिटों के प्रावधानों के अधीन इसका वाणिज्यिक उपयोग करेगा।

25.3 लागत, कर और राजस्व

25.3.1 परियोजना तिथि से और उसके बाद, शहर के विकास से संबंधित सभी लागतें, व्यय, कर, शुल्क और प्रभार, जिनमें संपत्ति पर कर भी शामिल हैं, रियायतग्राही द्वारा वहन किए जाएंगे या प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति किए जाएंगे, जैसा भी मामला हो। रियायतग्राही द्वारा किए गए किसी भी विकास कार्य से उत्पन्न होने वाले प्राधिकरण द्वारा देय संपत्ति पर कर, प्राधिकरण द्वारा लागू कानूनों के अनुसार भुगतान किए जाएंगे और रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को प्राधिकरण से आवश्यक विवरणों सहित सूचना प्राप्त होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर प्रतिपूर्ति की जाएगी।

25.3.2 सिटी साइड डेवलपमेंट से प्राप्त होने वाले सभी राजस्व को रियायतग्राही द्वारा इस समझौते और लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार विनियोजित किया जाएगा।

25.4 शहर के तरफ विकास और भूमि उपयोग पर प्रतिबंध

1. रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि शहर की ओर का विकास और उसका भूमि उपयोग हर समय लागू कानूनों के अनुरूप हो और निम्नलिखित का निर्माण इसमें शामिल न हो:

(क) भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वर्गीकृत प्रदूषणकारी उद्योग;

(ख) आवासीय इकाइयाँ, समूह आवास समितियाँ, या किसी भी प्रकार का आवासीय विकास; और

(सी) हवाई संचालन को प्रभावित करने वाली कोई भी गतिविधि।

25.4.2 रियायतग्राही इस खंड 25.4.1 के तहत निर्दिष्ट गतिविधियों को छोड़कर किसी भी प्रकार का विकास कार्य करेगा।

25.4.3 रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमत है कि वह धारा 25.6 के प्रावधानों के अनुसार सिटी साइड डेवलपमेंट के किसी भी हिस्से पर उप-पट्टा नहीं लगाएगा, न ही उसे सौंपेगा या किसी भी तरह से उस पर कोई भार उत्पन्न करेगा।

25.5 फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) पर प्रतिबंध

मास्टर प्लान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, शहर के विकास क्षेत्र का फ्लोर स्पेस इंडेक्स ("एफएसआई") लागू कानूनों के तहत स्थानीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा। शहर के विकास क्षेत्र में निर्मित होने वाली किसी भी संरचना की ऊंचाई, हवाई अड्डे से सटे विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्राधिकरण या नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा सामान्य रूप से निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी। एफएसआई की गणना मास्टर प्लान में शहर के विकास क्षेत्र के रूप में निर्धारित कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में की जाएगी, लेकिन इसमें सड़कों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित क्षेत्र शामिल नहीं होंगे।

25.6 शहर की ओर के विकास का उप-पट्टा

25.6.1 धारा 5.2 और इस अनुच्छेद 25 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, रियायतग्राही शहर की ओर विकास से युक्त परियोजना परिसंपत्तियों को उप-पट्टे पर दे सकता है, इस प्रकार कि ऐसे उप-पट्टे की अवधि और वैधता धारा 25.7 में निर्दिष्ट अवधि से आगे नहीं बढ़ेगी।

25.6.2 इस समझौते में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, रियायतग्राही सिटी साइड डेवलपमेंट के हिस्से के रूप में किसी भी परियोजना परिसंपत्ति पर उप-पट्टा लगा सकता है, उसे सौंप सकता है या किसी भी तरह से उस पर भार उत्पन्न कर सकता है।

25.6.3 रियायतग्राही सहमत है और वचन देता है कि सिटी साइड डेवलपमेंट के किसी भी प्रोजेक्ट एसेट पर किसी भी उप-पट्टे, आवंटन या अन्य भार के संबंध में, वह मासिक शुल्क, प्रभार, किराया या राजस्व हिस्सा प्राप्त करने का हकदार है, जैसा भी मामला हो, और वह सुरक्षा, जमा, ऋण, अग्रिम या किसी अन्य मद के तहत कोई अन्य राशि स्वीकार नहीं करेगा, जो ऐसे उप-पट्टे, आवंटन या अन्य भार के संबंध में शुल्क, प्रभार, किराया या राजस्व हिस्से के रूप में अगले 3 (तीन) वर्षों के लिए रियायतग्राही को देय भुगतान से अधिक हो। रियायतग्राही इस बात की व्यवस्था करने के लिए सहमत है कि किसी भी उप-पट्टे, आवंटन या अन्य भार के लिए उसे देय प्रतिफल रियायत अवधि में समान रूप से अर्जित किया जाएगा और प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार देय होगा, बशर्ते कि इस अनुच्छेद 25 में कुछ भी रियायतग्राही को रियायत अवधि के दौरान अनुदानग्राही के राजस्व या लाभ में उतार-चढ़ाव के अनुपात में प्रतिफल के पूरे या किसी भाग को समायोजित करने या ऐसे प्रतिफल में वार्षिक वृद्धि निर्दिष्ट करने से नहीं रोकेगा।

25.6.4 इस खंड 25.6 के प्रावधानों से उत्पन्न मामलों में पक्षों के बीच किसी भी मतभेद या असहमति की स्थिति में, विवाद समाधान प्रक्रिया लागू होगी।

25.7 समाप्ति पर प्रतिपक्ष के अधिकार

25.7.1 पक्षकार स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि रियायतग्राही अपने विवेक से, शहर विकास से संबंधित, उससे उत्पन्न होने वाले या उससे जुड़े मामलों के संबंध में किसी भी व्यक्ति के साथ समझौते, अनुबंध, उप-पट्टा, उप-लाइसेंस और कोई अन्य महत्वपूर्ण समझौते या अनुबंध कर सकता है (भले ही अनुबंध का प्रतिफल 25,00,00,000/- रुपये (पच्चीस करोड़ रुपये) वार्षिक से कम हो) धारा 3.1.1 के तहत अनुमत अधिकतम अवधि तक।

25.7.2 पक्षकार इस बात पर भी सहमत हैं कि यदि अधिकतम अनुमत अवधि समाप्त होने से पहले अनुबंध समाप्त हो जाता है, तो खंड 25.7.1 में उल्लिखित अनुबंधों की अवधि इस प्रकार जारी रहेगी मानो वे अनुबंध प्राधिकरण द्वारा किए गए हों, और प्राधिकरण प्रत्येक अनुबंध की शेष अवधि के लिए अनुबंध का अनुदानकर्ता माना जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि रियायत अवधि 50 (पचास) वर्ष है और रियायत समझौता इस अवधि से पहले समाप्त हो जाता है, तो ऐसा अनुबंध अनुबंध में निर्दिष्ट अवधि या अनुबंध की पचासवीं वर्षगांठ, इनमें से जो भी पहले हो, तक विस्तारित रहेगा।

25.8 लागू कानूनों का अनुपालन

रियायतग्राही इस बात से सहमत है और वचन देता है कि वह शहर के विकास के संबंध में, भवनों, संरचनाओं, सड़क निर्माण कार्यों, खुले स्थानों, बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति, सीवरेज और अन्य इसी तरह के मामलों से संबंधित लागू कानूनों और उनके तहत बनाए गए नियमों, विनियमों या उप-नियमों का हर समय पालन करेगा।

25.9 वाणिज्यिक विज्ञापन या प्रदर्शन

रियायतग्राही लागू कानूनों और इस समझौते के प्रावधानों के अनुरूप सिटी साइड डेवलपमेंट पर वाणिज्यिक विज्ञापन या प्रदर्शन कर सकता है या करवा सकता है।

अनुच्छेद 26. वित्तीय क्लोज

26.1 वित्तीय क्लोज

26.1.1 कंसेसियनार एतद्द्वारा सहमति व्यक्त करता है और वचन देता है कि वह इस समझौते के निष्पादन की तारीख से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर वित्तीय क्लोज प्राप्त कर लेगा। विलंब की स्थिति में, वह 90 (नब्बे) दिनों से अनधिक अतिरिक्त अवधि का हकदार होगा, बशर्ते कि वह कम से कम 15 (पंद्रह) दिन पहले इस तरह के विस्तार का कारण बताते हुए एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत करे और प्राधिकरण (Authority) को विलंब के प्रत्येक दिन के लिए निष्पादन सुरक्षा के 0.05% (शून्य दशमलव शून्य पांच प्रतिशत) की दर से गणना की गई हर्जाने/क्षतिपूर्ति का भुगतान करे। बशर्ते कि यहां निर्दिष्ट हर्जाना हर सप्ताह अग्रिम रूप से देय होगा और उक्त 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के बाद की अवधि केवल इस प्रकार भुगतान किए गए हर्जाने की सीमा तक ही प्रदान की जाएगी। आगे यह भी बशर्ते कि यदि वित्तीय क्लोज में ऐसा विलंब क्लॉज 4.1.2 में निर्दिष्ट पूर्व-शर्तों (Conditions Precedent) को पूरा करने में प्राधिकरण की ओर से किसी चूक या विलंब के कारण या अप्रत्याशित घटना (Force Majeure) के कारण हुआ है, तो कोई हर्जाना देय नहीं होगा। इसके तहत कंसेसियनार द्वारा देय हर्जाना, क्लॉज 4.2 के प्रावधानों के तहत देय किसी भी हर्जाने के अतिरिक्त होगा।

26.1.2 कंसेसियनार, वित्तीय क्लोज होने पर, प्राधिकरण को तुरंत सूचित करेगा, और प्राधिकरण को निष्पादित वित्तीय समझौतों की 3 (तीन) सही प्रतियां प्रदान करेगा, जो कंसेसियनार के एक निदेशक द्वारा विधिवत सत्यापित होंगी।

26.2 वित्तीय क्लोज प्राप्त करने में विफलता के कारण समाप्ति

26.2.1 इस समझौते में किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, लेकिन क्लॉज 32.6.1 के अधीन, यदि किसी भी कारण से वित्तीय क्लोज क्लॉज 26.1.1 में निर्धारित अवधि या उसके तहत प्रदान की गई विस्तारित अवधि के भीतर नहीं होता है या जब तक कि पक्षों के बीच अन्यथा सहमति न हो, इस समझौते के तहत या उससे उत्पन्न होने वाले कंसेसियनार के सभी अधिकार, विशेषाधिकार, दावे और हकदारी कंसेसियनार द्वारा त्याग दी गई मानी जाएगी और इस समझौते को पक्षों की आपसी सहमति से समाप्त मान लिया जाएगा। बशर्ते, हालांकि, यदि पक्षों ने आपसी सहमति से सीओडी (सीओडी) को वित्तीय क्लोज से पहले होना निर्धारित किया है, तो इस क्लॉज 26.2.1 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

26.2.2 क्लॉज 26.2.1 के तहत समाप्ति पर, प्राधिकरण बोली सुरक्षा (Bid Security) या निष्पादन सुरक्षा (Performance Security), जो भी उपलब्ध हो, को भुनाने और उसकी आय को हर्जाने के रूप में विनियोजित करने का हकदार होगा। हालांकि, यदि वित्तीय समापन अप्रत्याशित घटना (Force Majeure) के कारण या क्लॉज 4.2 के तहत प्राधिकरण के अपने दायित्वों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप नहीं हुआ है, तो वह समाप्ति पर, बोली सुरक्षा या निष्पादन सुरक्षा, जैसा भी मामला हो, को क्लॉज 4.2 के तहत देय हर्जाने के साथ तुरंत जारी करेगा। यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की गई है कि यदि बोली सुरक्षा को निष्पादन सुरक्षा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, तो प्राधिकरण उसमें से बोली सुरक्षा के बराबर राशि भुनाने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 27. कन्सेसन शुल्क

27.1 मासिक कन्सेसन शुल्क

27.1.1 क्लॉज 27.3 के अधीन, कंसेसियनार कन्सेसन अवधि के दौरान प्राधिकरण को निम्नानुसार गणना किया गया मासिक कन्सेसन शुल्क देने के लिए सहमत होता है ("मासिक कन्सेसन शुल्क"):

अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क} X उस महीने के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्री थ्रूपुट} + घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क X उस महीने के लिए घरेलू यात्री थ्रूपुट

जहाँ:

"घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क" का अर्थ रु 115 (एक सौ पंद्रह रुपये) है, जिसे क्लॉज 27.3 के अनुसार संशोधित किया जा सकता है;

"अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क" का अर्थ घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क का 2 (दो) गुना है;

किसी भी महीने के लिए "घरेलू यात्री थ्रूपुट" का अर्थ प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से अगले महीने के 7वें (सातवें) दिन तक प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया कुल घरेलू यात्री यातायात (बोर्डिंग और डी-बोर्डिंग यात्री) होगा;

किसी भी महीने के लिए "अंतर्राष्ट्रीय यात्री थ्रूपुट" का अर्थ प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से अगले महीने के 7वें (सातवें) दिन तक प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया कुल अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात (बोर्डिंग और डी-बोर्डिंग यात्री) होगा;

आगे यह भी बशर्ते कि, रियायत अवधि के पहले और अंतिम महीनों में, अंतर्राष्ट्रीय यात्री थ्रूपुट और घरेलू यात्री थ्रूपुट को सीओडी (सीओडी) या हस्तांतरण तिथि (Transfer Date) के संबंध में गिने जाने वाले दिनों की संख्या के अनुसार आनुपातिक (pro-rated) किया जाएगा।

27.1.2 इस समझौते की शर्तों के तहत और उनके अनुसरण में कंसेसियनार द्वारा प्राधिकरण को देय मासिक कन्सेसन शुल्क को वैमानिक सेवाओं (Aeronautical Services) के प्रावधान के लिए लागत के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा और इसके संबंध में कोई पास-थ्रू उपलब्ध नहीं होगा।

27.2 यात्री थ्रूपुट का सत्यापन

प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय यात्री थ्रूपुट और/या घरेलू यात्री थ्रूपुट को सत्यापित करने के लिए और/या हवाई अड्डे पर वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय यात्री थ्रूपुट और घरेलू यात्री थ्रूपुट का पता लगाने के लिए, अपने प्रतिनिधियों को हवाई अड्डे और कंसेसियनार के कार्यालयों में नियुक्त कर सकता है, और ऐसे अन्य उपाय व कार्यवाई कर सकता है जो वह आवश्यक समझे। प्राधिकरण कंसेसियनार को कोई भी और सभी डेटा, जानकारी, लॉग, शीट, दस्तावेज़ या विवरण प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है, जिसे प्राधिकरण इन उद्देश्यों के लिए उपयुक्त और आवश्यक समझे।

27.3 प्रति यात्री शुल्क का संशोधन

27.3.1 इसके पक्ष स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क सीओडी से लागू होंगे और सीपीआई (आईडब्ल्यू) [सीपीआई (आईडब्ल्यू)] में भिन्नता को ध्यान में रखने के लिए सीओडी की प्रत्येक वर्षगांठ पर सालाना संशोधित किए जाएंगे।

(a) प्रथम 15 (पंद्रह) कनसेसन वर्षों में घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संशोधित किया जाएगा:

घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क - घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क $\times (1 + \text{डेल्टा सीपीआई का } 85\%)$

(ख) शेष रियायत वर्षों में घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संशोधित किया जाएगा:

घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क - घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क $\times (1 + \text{डेल्टा सीपीआई का } 50\%)$

जहाँ:

प्रति यात्री शुल्क का अर्थ नए कनसेसन वर्ष में कंसेसियनर द्वारा भुगतान किया जाने वाला संशोधित घरेलू प्रति यात्री शुल्क है;

प्रति यात्री शुल्क का अर्थ पिछले कनसेसन वर्ष में कंसेसियनर द्वारा भुगतान किया जा रहा प्रति यात्री शुल्क है;

सीपीआई (आईडब्ल्यू) की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

गणना की तिथि के अनुसार नवीनतम उपलब्ध मासिक सीपीआई (आईडब्ल्यू) - ऐसे नवीनतम उपलब्ध मासिक सीपीआई (आईडब्ल्यू) से 12 महीने पहले का सीपीआई (आईडब्ल्यू)

ऐसे नवीनतम उपलब्ध मासिक सीपीआई (आईडब्ल्यू) से 12 महीने पहले का सीपीआई (आईडब्ल्यू)

बशर्ते कि, पहला कनसेसन वर्ष पूरा होने के बाद किसी भी कनसेसन वर्ष में, यदि डेल्टा सीपीआई (Delta CPI) ऋणात्मक है, तो ऐसे वर्ष के लिए डेल्टा सीपीआई 0 (शून्य) माना जाएगा।

27.3.2 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क क्लॉज 27.1.1 में निर्धारित तरीके से संशोधित किया जाएगा।

27.4 मासिक कनसेसन शुल्क का भुगतान

27.4.1 क्लॉज 27.2 के अनुसरण में, प्राधिकरण कंसेसियनर को मासिक कनसेसन शुल्क के भुगतान के लिए एक चालान (invoice) प्रस्तुत करेगा, जिसमें जीएसटी (GST) की राशि भी शामिल होगी जो लागू कानून के तहत मासिक कनसेसन शुल्क के भुगतान पर लगाने योग्य है, जो अगले महीने के 15वें (पंद्रहवें) दिन से बाद का नहीं होगा।

27.4.2 कंसेसियनार लागू कानूनों के तहत प्राधिकरण को मासिक कनसेसन शुल्क के भुगतान पर देय किसी भी जीएसटी को वहन करेगा और प्राधिकरण को क्लॉज 27.4.1 के अनुसरण में प्राधिकरण द्वारा जारी चालान में निर्दिष्ट जीएसटी राशि का भुगतान करेगा।

27.4.3 कंसेसियनार प्राधिकरण को मासिक कनसेसन शुल्क का भुगतान करते समय लागू कानूनों के तहत स्रोत पर कटौती के लिए आवश्यक किसी भी कर को काटने का हकदार होगा।

27.4.4 इसके अलावा, क्लॉज 35.1.1 के अधीन और उसके अनुसार, इस क्लॉज 27.4 के अनुसार मासिक कनसेसन शुल्क के भुगतान में किसी भी विलंब की स्थिति में, कंसेसियनार प्राधिकरण को विलंब के प्रत्येक दिन के लिए निष्पादन सुरक्षा के 0.05% की दर से गणना की गई राशि का भुगतान करेगा।

27.5 मासिक कनसेसन शुल्क का वार्षिक पुनर्मूल्यांकन

27.5.1 किसी भी कनसेसन वर्ष के लिए कंसेसियनार द्वारा प्राधिकरण को देय संचयी मासिक कनसेसन शुल्क होगा:

किसी भी रियायत वर्ष के महीने के लिए भुगतान किया गया मासिक रियायत शुल्क

27.5.2 किसी भी कनसेसन वर्ष के लिए कंसेसियनार द्वारा भुगतान किए गए संचयी मासिक कनसेसन शुल्क की तुलना उस कनसेसन वर्ष के लिए देय वार्षिक कनसेसन शुल्क से की जाएगी।

इस क्लॉज के उद्देश्य के लिए, "वार्षिक कनसेसन शुल्क" की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी:

रियायत वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों हेतु प्रति यात्री शुल्क X रियायत वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्री थ्रूपुट + रियायत वर्ष के लिए घरेलू यात्रियों हेतु प्रति यात्री शुल्क X रियायत वर्ष के लिए घरेलू यात्री थ्रूपुट

कंसेसियनार द्वारा किसी कनसेसन वर्ष के लिए भुगतान किए गए संचयी मासिक कनसेसन शुल्क और उस कनसेसन वर्ष के वार्षिक कनसेसन शुल्क में किसी भी अंतर का समायोजन 'संतुलन भुगतान' (Balancing Payment) के हिस्से के रूप में किया जाएगा, जो पुनर्मूल्यांकन पूरा होने के तुरंत बाद क्लॉज 31.4 के अनुसार देय और भुगतान योग्य हो जाता है।

27.6 यात्री यातायात में गिरावट के कारण समाप्ति

27.6.1 उपरोक्त के होते हुए भी, यदि यात्री यातायात परिवर्तन (Passenger Traffic Change) लगातार 2 (दो) कनसेसन वर्षों की अवधि के लिए 20% (बीस प्रतिशत) या उससे अधिक ऋणात्मक रहता है, तो कंसेसियनार द्वारा 30 (तीस) दिनों का नोटिस देकर ऐसे दूसरे कनसेसन वर्ष की समाप्ति के 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर समझौते को समाप्त किया जा सकता है।

जहाँ:

"कुल यात्री थ्रूपुट" का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय यात्री थ्रूपुट और घरेलू यात्री थ्रूपुट का योग है।

"यात्री यातायात परिवर्तन", प्रतिशत के रूप में, निम्नानुसार गणना की जाती है:

100 X वर्तमान कनसेसन वर्ष के लिए कुल यात्री थ्रूपुट - पिछले कनसेसन वर्ष के लिए कुल यात्री थ्रूपुट

पिछले रियायत वर्ष के लिए कुल यात्री थ्रूपुट

27.6.2 ऐसी समाप्ति पर, प्राधिकरण कंसेसियनार को समाप्ति भुगतान के 70% (सत्तर प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

27.6.3 एतद्वारा यह सहमति व्यक्त की जाती है और स्वीकार किया जाता है कि प्राधिकरण या उससे जुड़ी संस्थाएं सीओडी से 10 (दस) वर्षों की समाप्ति से पहले हवाई अड्डे के 50 किमी के दायरे में एक नया हवाई अड्डा चालू नहीं करेंगी।

अनुच्छेद 28. शुल्क

28.1 कंसेसियनार द्वारा शुल्क का संग्रह

28.1.1 सीओडी से और हस्तांतरण तिथि तक, कंसेसियनार को नियामक ढांचे और अनुसूची R (समझौता जापन) में निर्धारित शर्तों सहित इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार, एयरलाइंस और यात्रियों सहित उपयोगकर्ताओं से वैमानिक सेवाओं और गैर-वैमानिक सेवाओं के प्रावधान के लिए शुल्क की मांग करने, संग्रह करने और विनियोजित करने का एकमात्र और अनन्य अधिकार है। बशर्ते कि कंसेसियनार लागू कानूनों और लागू परमिटों के अनुसार उपयोगकर्ताओं या उपयोगकर्ताओं की किसी भी श्रेणी के साथ सहमत दर से कम दरों पर शुल्क निर्धारित और एकत्र कर सकता है।

28.1.2 कंसेसियनार स्वीकार करता है और सहमत होता है कि शुल्क का भुगतान करने पर, कोई भी उपयोगकर्ता हवाई अड्डे पर संबंधित निर्दिष्ट सुविधा का उपयोग करने का हकदार होगा, और कंसेसियनार ऐसे उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा, या प्रतिबंध लगाने का कारण नहीं बनेगा, सिवाय किसी लागू कानून, लागू परमिट या इस समझौते के प्रावधानों में निर्दिष्ट सीमा तक।

28.1.3 कंसेसियनार स्वीकार करता है और सहमत होता है कि कोई भी उपयोगकर्ता, जो शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, किसी भी लागू कानून, लागू परमिट या इस समझौते के प्रावधानों में निर्दिष्ट सीमा को छोड़कर, बिना किसी प्रतिबंध के हवाई अड्डे का उपयोग करने का हकदार होगा। इसके अलावा, कंसेसियनार लागू कानूनों, लागू परमिटों और इस समझौते के प्रावधानों के अधीन, हवाई अड्डे में मुफ्त प्रवेश के लिए अपने स्वयं के कर्मचारियों और ठेकेदारों, उप-ठेकेदारों, एजेंटों और अन्य व्यक्तियों के कर्मचारियों को पास जारी कर सकता है।

28.1.4 पक्ष सहमत हैं कि लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण या नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा हवाई अड्डा सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए शुल्क, कंसेसियनार द्वारा यात्रियों से वसूला जाएगा और प्राधिकरण या नामित भारत सरकार एजेंसी को भुगतान किया जाएगा।

28.2 आरक्षित शुल्कों का संग्रह

28.2.1 नामित भारत सरकार एजेंसी लागू कानूनों के अनुसार एयरलाइंस से मार्ग नेविगेशन सुविधाओं के प्रभारों और टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग प्रभारों सहित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, उनके द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं और सेवाओं के लिए प्रभार लगाने, एकत्र करने और विनियोजित करने की हकदार होगी। किसी भी एयरलाइन द्वारा ऐसे प्रभारों का भुगतान करने में विफलता की स्थिति में, नामित भारत सरकार एजेंसी एयरलाइन को ऐसी सेवा का प्रावधान निलंबित करने और ऐसी एयरलाइन से प्रभार वसूलने के लिए उचित कदम उठाने की हकदार होगी।

28.2.2 कंसेसियनार एतद्वारा स्वीकार करता है और सहमत होता है कि वह ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा जो नामित भारत सरकार एजेंसी क्लॉज 28.2.1 के प्रावधानों के अनुपालन को लागू करने के लिए दे सकती है, जिसमें किसी भी अनुसूचित या गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन संचालक को ऐसी सेवा के प्रावधान के निलंबन के संबंध में शामिल है।

28.3 वैमानिक प्रभारों के निर्धारण और संशोधन के सिद्धांत

28.3.1 इसके पक्ष स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि कोई भी और सभी वैमानिक प्रभार जो कंसेसियनर किसी उपयोगकर्ता से लगा सकता है, एकत्र कर सकता है और विनियोजित कर सकता है, नियामक (Regulator) द्वारा नियामक ढांचे और अनुसूची R में निर्धारित शर्तों सहित इस समझौते के अनुसार एक आदेश के माध्यम से निर्धारित और संशोधित किए जाएंगे।

28.3.2 भारत सरकार ने, 15 जून, 2016 की राष्ट्रीय नागर विमानन नीति के माध्यम से, भारत के सभी हवाई अड्डों के लिए वैमानिक प्रभारों के निर्धारण और विनियमन के लिए 30% (तीस प्रतिशत) शेयर-टिल ढांचे ("शेयर-टिल अनुमोदन") को मंजूरी दी है, और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार वैमानिक प्रभारों के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए नियामक द्वारा तदनुसार विचार किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि, इस समझौते के प्रयोजनों के लिए, शेयर-टिल अनुमोदन ऐसे शेयर-टिल अनुमोदन के किसी भी बाद के संशोधन के बावजूद इस समझौते की तिथि लागू माना जाएगा।

28.3.3 वैमानिक प्रभारों को शेयर-टिल अनुमोदन, अनुसूची-आर (समझौता जापन) में निर्धारित शर्तों सहित इस समझौते की शर्तों और लागू कानूनों के अनुसार विनियमित और सेट/री-सेट किया जाएगा।

28.3.4 हवाई अड्डे के भीतर कस्टम, इमिग्रेशन, प्लांट संगरोध (plant quarantine), पशु संगरोध (animal quarantine) सेवाओं, मौसम संबंधी और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी आरक्षित सेवाएं प्रदान करने के लिए सुरक्षा सेवाओं को छोड़कर, किसी भी नामित सरकारी एजेंसी को कंसेसियनर द्वारा किया गया कोई भी भुगतान वैमानिक प्रभारों के निर्धारण के उद्देश्य से पास-थ्रू माना जाएगा।

28.3.5 कहीं भी विपरीत निहित होने के बावजूद, कंसेसियनर क्लॉज 15.1.1 के अनुसार सीओडी से प्रभावी हवाई अड्डे के उपयोगकर्ताओं से नियामक द्वारा अनुमोदित टैरिफ की दरों पर वैमानिक प्रभार लगाने, एकत्र करने और विनियोजित करने का हकदार होगा। बशर्ते कि, यदि सीओडी के अनुसार हवाई अड्डे के लिए नियामक द्वारा टैरिफ की दरें निर्धारित नहीं की गई हैं, तो कंसेसियनर उस समय तक सीओडी के अनुसार प्राधिकरण द्वारा लगाई जा रही टैरिफ की दरों पर वैमानिक प्रभार लगाने, एकत्र करने और विनियोजित करने का हकदार होगा जब तक कि नियामक टैरिफ की दरें निर्धारित नहीं कर देता।

28.3.6 वैमानिक प्रभारों के निर्धारण, लगाने, वसूली (कम या अधिक वसूली सहित) या विनियोजन से संबंधित किसी भी पहलू के संबंध में कंसेसियनर प्राधिकरण के खिलाफ कोई सहारा नहीं लेगा।

28.3.7 इस समझौते में कहीं भी शामिल इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, यह स्पष्ट रूप से नोट किया जाता है और सहमति दी जाती है कि सिटी साइड डेवलपमेंट के संबंध में किसी भी उप-पट्टे, असाइनमेंट या अन्य देनदारियों के संबंध में कंसेसियनर को प्राप्त होने वाले सभी राजस्व/धन, चाहे वह मासिक शुल्क, प्रभार, किराए या राजस्व शेयर के रूप में हो, जैसा भी मामला हो, ऊपर क्लॉज 28.3.2 के अनुसार वैमानिक प्रभारों को निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए गैर-वैमानिक सेवाओं से राजस्व माना जाएगा।

28.3.8 यह स्पष्ट किया जाता है कि कानूनी सेवाओं के संबंध में कंसेसियनर द्वारा किए गए खर्चों पर वैमानिक प्रभार निर्धारित करने के उद्देश्य से नियामक द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

28.4 वैमानिक प्रभारों के संशोधन पर रोक

28.4.1 कंसेसियनार एतदद्वारा स्वीकार करता है और सहमत होता है कि वह नियामक ढांचे और इस समझौते के अनुसार छोड़कर, प्राधिकरण, नियामक या किसी भी सरकारी निकाय से किसी भी रूप या तरीके से वैमानिक प्रभारों में किसी भी संशोधन या किसी भी अन्य राहत का हकदार नहीं है। इसके अनुसरण में, कंसेसियनार स्वीकार करता है, सहमति व्यक्त करता है और वचन देता है कि वह नियामक या अन्यथा से वैमानिक प्रभारों में किसी भी संशोधन की मांग नहीं करेगा...

28.4.2 यह स्पष्ट किया जाता है कि कंसेसियनार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 22A और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत उपयोगकर्ताओं पर कोई विकास शुल्क लगाने या लगाने का अधिकार मांगने का हकदार नहीं होगा।

28.4.3 पक्ष सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि कंसेसियनार वैमानिक प्रभारों में पास-थू के रूप में ऐसी लागतों और/या खर्चों की मांग करने के अपने अधिकार का स्पष्ट रूप से त्याग करता है, जिन्हें कंसेसियनार को इस समझौते के तहत पास-थू के रूप में मांगने से रोका गया है।

28.5 वैमानिक प्रभारों की समीक्षा

28.5.1 अनुच्छेद 28 के प्रावधानों के अनुसार लगाए जाने वाले, एकत्र किए जाने वाले और विनियोजित किए जाने वाले वैमानिक प्रभारों की समीक्षा नियामक द्वारा हर 5 (पांच) वर्षों में एक बार नियामक ढांचे और इस समझौते के अनुसार की जाएगी। हालांकि, ऐसी समीक्षा किसी भी ऐसी घटना, परिस्थितियों या आधारों पर भरोसा, परीक्षा या विचार नहीं करेगी जिसके लिए वैमानिक प्रभारों, रियायत अवधि या राहत या उपाय के किसी अन्य रूप में संशोधन इस समझौते में प्रदान किया गया है।

28.5.2 दायरा बदलने, विशिष्टताओं और मानकों में बदलाव, सुरक्षा आवश्यकताओं या लागू कानून का बल रखने वाले नए अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुपालन के कारण उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त लागत, यदि कोई हो, या उसमें कमी की समीक्षा नियामक द्वारा वैमानिक प्रभारों के संशोधन के उद्देश्यों के लिए की जा सकती है। नियामक द्वारा ऐसी किसी भी समीक्षा में परियोजना के लिए जारी लागू परमिटों के अनुसार, वैमानिक सेवाओं के लिए और उनके संबंध में राजस्व पर विचार करना शामिल होगा।

28.5.3 क्लॉज 28.5.1 के प्रावधानों के तहत वैमानिक प्रभारों की किसी भी समीक्षा में राजस्व, समायोजन, वसूली या भुगतान पर विचार किया जाएगा, यदि कोई हो, जो पक्षों ने इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार वसूला या किया हो, और नियामक यह निर्धारित कर सकता है कि क्या कोई और वसूली या भुगतान कंसेसियनार को देय है, या उससे प्राप्त है।

28.5.4 पक्ष स्वीकार करते हैं कि इस क्लॉज 28.5 के प्रावधानों के तहत वैमानिक प्रभारों की कोई भी समीक्षा लागू कानूनों के अनुसार की जाएगी और तदनुसार विनियमित और आगे बढ़ाई जाएगी।

28.6 वैमानिक प्रभारों में वृद्धि पर कुछ सीमाएं

28.6.1 यदि क्लॉज 28.5.2 के प्रावधानों के अनुसरण में कोई पूंजीगत लागत वहन करने की आवश्यकता होती है, तो कंसेसियनार प्रभावित उपयोगकर्ताओं या उनके प्रतिनिधि निकायों के परामर्श से इसकी जांच के लिए नियामक को विनिर्देशों और लागतों को प्रस्तुत करेगा। ऐसी जांच और परामर्श पूरा होने पर, नियामक वैमानिक प्रभारों को निर्धारित करने के लिए ऐसे प्रस्तुतीकरणों पर विचार करेगा।

28.6.2 कंसेसियनार नियामक और अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार बाद के चरणों के लिए निर्माण कार्य करेगा, और निर्माण कार्यों के संबंध में इस समझौते के प्रावधान इस क्लॉज 28.6 के अनुसरण में किए गए निर्माण कार्यों पर यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

28.6.3 इस क्लॉज 28.6 के अनुसार कंसेसियनार द्वारा उठाई गई पूंजीगत लागत संबंधित निर्माण कार्यों के पूरा होने पर, लागू कानूनों और इस समझौते की शर्तों के अनुसार कंसेसियनार द्वारा वसूल की जाएगी।

28.7 शुल्क की चोरी के लिए जुर्माना

इस घटना में कि कोई भी उपयोगकर्ता देय शुल्क के भुगतान के बिना हवाई अड्डे का उपयोग करता है, कंसेसियनार लागू कानूनों के अधीन, हवाई अड्डे के अनधिकृत उपयोग के प्रयास के लिए देय शुल्क और उसकी दोगुनी राशि तक का हर्जाना वसूलने का हकदार होगा।

28.8 वैमानिक प्रभारों का प्रदर्शन

28.8.1 कंसेसियनार उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए अपनी वेबसाइट और अपने कार्यालय में लागू वैमानिक प्रभारों की दरों को बनाए रखेगा और प्रदान करेगा।

28.8.2 कंसेसियनार समय-समय पर प्राधिकरण को लागू वैमानिक प्रभारों के बारे में सूचित करेगा।

28.8.3 कंसेसियनार नियामक द्वारा अनुमोदित वैमानिक प्रभारों की दरों से अधिक किसी भी राशि को संशोधित, प्रदर्शित या एकत्र नहीं करेगा।

28.9 मासिक विवरण

कंसेसियनार, सीओडी से प्रभावी होकर, प्रत्येक माह के पूरा होने के 7 (सात) दिनों के भीतर प्राधिकरण को निम्नलिखित जानकारी/डेटा का एक विवरण ("मासिक विवरण") प्रस्तुत करेगा: (i) यातायात डेटा जिसमें अनुसूचित विमान की आवाजाही, गैर-अनुसूचित विमान की आवाजाही, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यात्रियों की संख्या (बोर्डिंग, डी-बोर्डिंग, ट्रांजिट), अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कार्गो की मात्रा (इनबाउंड, आउटबाउंड और ट्रांसशिपमेंट) शामिल हैं; (ii) राजस्व सहित वित्तीय डेटा (उपयुक्त शीर्षों में अलग), परिचालन व्यय, प्रभार, आदि; और (iii) सेवा की गुणवत्ता पर डेटा।

28.10 शुल्क ठेकेदार

कंसेसियनार, कंसेसियनार की ओर से शुल्क एकत्र करने के लिए एक शुल्क ठेकेदार या किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है, बशर्ते कि ऐसी नियुक्ति के बावजूद, रियायतग्राही शुल्क के संग्रह के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी और जिम्मेदार रहेगा।

28.11 मानित प्रारंभिक आरएबी

28.11.1 कंसेसियनार अगले लागू नियंत्रण अवधि के लिए लागू नियामक ढांचे के अनुसार नियामक द्वारा वैमानिक प्रभारों में संशोधन की मांग करेगा। इसके बावजूद, वैमानिक प्रभारों के ऐसे संशोधन की मांग करने के लिए रियायतग्राही के पास सीओडी से कम से कम 365 (तीन सौ पैंसठ) दिन होंगे।

28.11.2 प्राधिकरण: (क) ऐसा डेटा और जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा जिसकी आवश्यकता कंसेसियनार को ऐसे संशोधन की मांग के लिए हो सकती है; (ख) कंसेसियनार से इस संबंध में नोटिस प्राप्त होने के 60 (साठ)

दिनों के भीतर, रियायतग्राही को ऐसी सभी जानकारी जमा करेगा जो इस तरह के संशोधन के उद्देश्य के लिए नियामक द्वारा उचित रूप से आवश्यक हो सकती है।

28.11.3 (a) पक्षों द्वारा यह सहमति व्यक्त की जाती है कि कंसेसियनार प्राधिकरण को सीओडी के अनुसार वैमानिक परिसंपत्तियों में प्राधिकरण द्वारा किए गए निवेश के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा... **(ख)** 31 मार्च, 2018 को हवाई अड्डे पर वैमानिक परिसंपत्तियों में प्राधिकरण द्वारा किए गए निवेश का अनुमानित मूल्य 71,00,00,000 रुपये (इकहत्तर करोड़ रुपये) है ("अनुमानित मानित प्रारंभिक आरएबी") ।

28.11.4 अनुमानित मानित प्रारंभिक आरएबी के भुगतान के अनुसरण में, नियामक द्वारा अंतिम निर्धारण पर किसी भी अधिशेष या घाटे को समायोजित किया जाएगा।

28.11.5 इस क्लॉज 28.11 के उद्देश्य के लिए, "नियंत्रण अवधि" (Control Period) और "नियामक परिसंपत्ति आधार" का अर्थ भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण दिशानिर्देश, 2011 में निर्धारित अर्थ होगा।

28.12 प्रारंभिक गैर-वैमानिक निवेश

28.12.1 पक्षों द्वारा यह सहमति दी जाती है कि कंसेसियनार प्राधिकरण को गैर-वैमानिक परिसंपत्तियों के विकास के लिए सीओडी के रूप में हवाई अड्डे में प्राधिकरण द्वारा किए गए निवेश के अनुमानित अवमूल्यित मूल्य के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

28.12.2 31 मार्च, 2018 को हवाई अड्डे पर गैर-वैमानिक परिसंपत्तियों के विकास के लिए प्राधिकरण द्वारा किए गए निवेश का अनुमानित मूल्य 3,50,00,000 रुपये (तीन करोड़ पचास लाख रुपये) है। यह पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है कि यह राशि सीओडी के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर कंसेसियनार द्वारा देय होगी।

अनुच्छेद 29. एस्क्रो अकाउंट

29.1 एस्क्रो अकाउंट

29.1.1 कंसेसियनार, सीओडी से पहले, एस्करो समझौते के साथ पढ़े जाने वाले इस समझौते के अनुसार एक बैंक ("एस्करो बैंक") के साथ एक एस्करो खाता खोलेगा और स्थापित करेगा।

29.2 एस्करो अकाउंट में जमा

कंसेसियनार एस्करो खाते में निम्नलिखित प्राप्तियां जमा करेगा या करवाएगा: **(क)** बैंकों, वरिष्ठ उधारदाताओं, अन्य उधारदाताओं, शेयरधारकों, बीमा कंपनियों से प्राप्त सभी धन; **(ख)** हवाई अड्डे/परियोजना से प्राप्त सभी शुल्क और अन्य राजस्व; **(ग)** बकाया मासिक कंसेसियनार शुल्क की कटौती के बाद प्राधिकरण द्वारा सभी भुगतान; और **(घ)** समाप्ति भुगतान।

29.3 निकासी

29.3.1 एस्करो खाते में जमा राशि को हर महीने निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाएगा: **(क)** वैधानिक भुगतान, कंसेसियनार द्वारा देय सभी कर; **(ख)** प्राधिकरण को देय मासिक कनसेसन शुल्क; **(ग)** इस समझौते के तहत प्राधिकरण को देय सभी भुगतान या हर्जाना; **(घ)** ऋण सेवा के लिए मासिक आनुपातिक प्रावधान; **(ङ.)** शेष राशि, यदि कोई हो, कंसेसियनार के निर्देशों के अनुसार।

29.4 समाप्ति पर निकासी

29.4.1 समाप्ति (Termination) होने पर, एस्करो खाते की शेष राशि को निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाएगा: **(a)** पेट्रोल का बकाया, वैधानिक भुगतान और कर; **(ख)** बकाया मासिक रियायत शुल्क; **(ग)** प्राधिकरण को भुगतान की जाने वाली अन्य सभी बकाया राशियां; **(घ)** प्राधिकरण को देय अन्य भुगतान या हर्जाना; **(e)** बकाया ऋण सेवा (ऋण का शेष); **(f)** शेष राशि, यदि कोई हो, कंसेसियनार के निर्देशों के अनुसार।

अनुच्छेद 30. बीमा

30.1 बीमा दायित्व

कंसेसियनर कनसेसन अवधि के दौरान अपने स्वयं के खर्च पर ऐसा बीमा कराएगा और बनाए रखेगा जो वित्तपोषण समझौतों और लागू कानूनों के तहत आवश्यक हो सकता है।

30.2 बीमा कवर

कंसेसियनर में निम्नलिखित के लिए बीमा कवर प्राप्त करेगा: (a) परियोजना परिसंपत्तियों का नुकसान, क्षति या विनाश; (ख) व्यापक तृतीय पक्ष दायित्व बीमा (तीसरे पक्ष का बीमा); (ग) कनसेसन से उत्पन्न होने वाला कंसेसियनर का सामान्य दायित्व; (घ) सामान या संपत्ति के नुकसान के लिए तीसरे पक्ष का दायित्व; (e) कर्मकार मुआवजा बीमा (Workmen's compensation insurance); और (f) कंसेसियनर और उसके कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कोई अन्य बीमा।

30.5 बीमा करने में विफलता का उपाय

यदि कंसेसियनर उन सभी बीमों को प्रभावी करने में विफल रहता है जिनके लिए वह जिम्मेदार है, तो प्राधिकरण के पास ऐसे बीमों को प्रभावी रखने और प्रीमियम का भुगतान करने तथा कंसेसियनर से उसकी लागत वसूलने का विकल्प होगा।

30.8 बीमा आय का आवेदन

जीवन और चोट को छोड़कर, सभी बीमा दावों से प्राप्त राशि का भुगतान कंसेसियनर को एस्क्रो खाते में जमा करके किया जाएगा, और इसका उपयोग हवाई अड्डे की किसी भी आवश्यक मरम्मत, पुनर्निर्माण या प्रतिस्थापन के लिए किया जाएगा।

अनुच्छेद 31. खाते और लेखा परीक्षा

31.1 लेखापरीक्षित खाते

31.1.1 कंसेसियनर अपनी सभी प्राप्तियों, आय, व्यय, भुगतानों, परिसंपत्तियों और देनदारियों को दर्ज करने वाली खातों की पुस्तकें बनाए रखेगा। कंसेसियनर लेखा वर्ष की समाप्ति के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर अपनी बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और लाभ-हानि खाते की 2 (दो) प्रतियां प्रदान करेगा।

31.1.2 कंसेसियनर प्रत्येक तिमाही के बंद होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर प्राधिकरण को अपने अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम (Unaudited Financial Results) प्रस्तुत करेगा।

31.2 लेखा परीक्षकों (Auditors) की नियुक्ति

31.2.1 प्राधिकरण कंसेसियनर को छह (6) चार्टर्ड एकाउंटेंसी फर्मों का एक पैनल नामांकित करेगा। कंसेसियनर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के पैनल से अपने वैधानिक लेखा परीक्षक (Statutory Auditor) की नियुक्ति करेगा।

31.4 पुनर्मूल्यांकन (Reconciliation)

31.4.1 प्रत्येक तिमाही में संतुलन भुगतान (Balancing Payment) की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी, जो प्रत्येक लेखा वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर कंसेसियनर को अपनी गणना और विवरण प्रदान करेगा।

भाग V:

अप्रत्याशित घटना और समाप्ति

अनुच्छेद 32. अप्रत्याशित घटना

32.1 अप्रत्याशित घटना

"अप्रत्याशित घटना" या "फॉर्स मेजोर" का अर्थ भारत में गैर-राजनीतिक घटना, अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना और राजनीतिक घटना में से किसी भी या सभी का घटित होना होगा, यदि यह इस समझौते के तहत प्रभावित पक्ष ("प्रभावित पक्ष") के दायित्वों के प्रदर्शन को प्रभावित करता है।

32.2 गैर-राजनीतिक घटना)

गैर-राजनीतिक घटना का अर्थ निम्नलिखित में से एक या अधिक होगा: (a) प्राकृतिक आपदाएं (Act of God), महामारी, अत्यधिक प्रतिकूल मौसम की स्थिति, बिजली गिरना, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट, रासायनिक या रेडियोधर्मी संदूषण, आग या विस्फोट; (ख) हड़ताल या बहिष्कार (रियायतग्राही या ठेकेदारों के कर्मचारियों को छोड़कर) जो लगातार 24 घंटे और प्रति वर्ष 7 दिनों से अधिक समय के लिए आपूर्ति/सेवाओं को बाधित करते हैं; (ग) सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय का कोई निर्णय या आदेश; (घ) स्थल पर भूगर्भीय स्थितियों या पुरातात्विक अवशेषों की खोज।

32.3 अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना

अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना में शामिल हैं: (a) युद्ध, आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष, नाकाबंदी, दंगा, आतंकवादी या सैन्य कार्रवाई; (ख) राजनीतिक या आर्थिक उथल-पुथल जिससे परियोजना वित्तीय रूप से अव्यवहारिक हो जाए; (ग) उद्योग-व्यापी या राज्य-व्यापी हड़तालें।

32.4 राजनीतिक घटना

राजनीतिक घटना का अर्थ किसी भी सरकारी तंत्र (Government Instrumentality) द्वारा या उसके कारण किए गए निम्नलिखित एक या अधिक कार्यों या घटनाओं से होगा:

(क) राष्ट्रीय हित में अनिवार्य अधिग्रहण या कंसेसियनार या ठेकेदारों की किसी भी परियोजना संपत्ति या अधिकारों का ज़बतीकरण/अधिग्रहण।

(ख) कंसेसियनार या किसी भी ठेकेदार द्वारा इस समझौते और परियोजना समझौतों के तहत अपने दायित्वों का पालन करने के लिए आवश्यक किसी भी मंजूरी, पट्टे (lease), लाइसेंस, परमिट, प्राधिकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, सहमति, अनुमोदन या छूट को बिना किसी वैध कारण के गैर-कानूनी, अनधिकृत या बिना क्षेत्राधिकार के रद्द करना, या नवीनीकृत करने या देने से इनकार करना; बशर्ते कि ऐसी देरी, संशोधन, अस्वीकृति या रद्दीकरण रियायतग्राही या किसी ठेकेदार की ऐसी मंजूरी, पट्टे, लाइसेंस, प्राधिकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, छूट, सहमति, अनुमोदन या परमिट के अनुदान, रखरखाव या नवीनीकरण से संबंधित किसी भी शर्त का अनुपालन करने में असमर्थता या विफलता के कारण न हुआ हो।

(ग) किसी ठेकेदार की कोई विफलता या देरी, लेकिन केवल उसी सीमा तक जो किसी अन्य राजनीतिक घटना के कारण हुई हो और जिसके परिणामस्वरूप उस ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से कंसेसियनार को कोई भरपाई योग्य मुआवजा देय न हो।

(घ) उपर्युक्त में से किसी के भी समान प्रकृति की कोई घटना या परिस्थिति।

32.5 फ़ोर्स मेज्योर (अपरिहार्य/दैवीय घटना) की रिपोर्ट करने का कर्तव्य

32.5.1 फ़ोर्स मेज्योर घटना के घटित होने पर, प्रभावित पक्ष (Affected Party) नोटिस द्वारा तुरंत दूसरे पक्ष को इसकी सूचना देगा। इसके तहत किसी भी नोटिस में निम्नलिखित का पूरा विवरण शामिल होगा:

(क) इस अनुच्छेद 32 के तहत राहत के किसी भी दावे का विषय बनने वाली प्रत्येक फ़ोर्स मेज्योर घटना की प्रकृति और सीमा, जिसके समर्थन में साक्ष्य हों।

(ख) अनुमानित अवधि और वह प्रभाव या संभावित प्रभाव जो ऐसी फ़ोर्स मेज्योर घटना का इस समझौते के तहत प्रभावित पक्ष के दायित्वों के प्रदर्शन पर पड़ रहा है या पड़ेगा।

(ग) प्रभावित पक्ष ऐसी फ़ोर्स मेज्योर घटना के प्रभाव को कम करने के लिए जो उपाय कर रहा है या करने का प्रस्ताव कर रहा है; और

(घ) प्रभावित पक्ष के दावे से संबंधित कोई भी अन्य जानकारी।

32.5.2 प्रभावित पक्ष किसी फ़ोर्स मेज्योर घटना के संबंध में किसी भी राहत का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसने घटना के घटित होने की सूचना व्यावहारिक रूप से जल्द से जल्द और घटना के घटित होने की जानकारी मिलने (या तर्कसंगत रूप से जानकारी होनी चाहिए थी) के 7 (सात) दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को न दी हो, और इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के प्रदर्शन पर फ़ोर्स मेज्योर घटना के पड़ने वाले सम्भावित भौतिक प्रभाव का विवरण न दिया हो।

32.5.3 जब तक प्रभावित पक्ष ऐसी फ़ोर्स मेज्योर घटना से गंभीर रूप से प्रभावित होने का दावा करना जारी रखता है, वह दूसरे पक्ष को धारा 32.5.1 द्वारा आवश्यक जानकारी वाली नियमित (और साप्ताहिक से कम नहीं) रिपोर्ट प्रदान करेगा, और ऐसी अन्य जानकारी भी देगा जिसकी दूसरा पक्ष प्रभावित पक्ष से प्रदान करने के लिए तर्कसंगत रूप से मांग कर सकता है।

32.6 कनसेसन पर फ़ोर्स मेज्योर घटना का प्रभाव

32.6.1 सीओडी (सीओडी - वाणिज्यिक संचालन तिथि) से पहले किसी भी फ़ोर्स मेज्योर घटना के घटित होने पर, वित्तीय क्लोज प्राप्त करने या पूर्व शर्तों की संतुष्टि की अवधि को फ़ोर्स मेज्योर घटना की अवधि के बराबर समय के लिए बढ़ा दिया जाएगा।

32.6.2 सीओडी के बाद किसी भी समय, यदि कोई फ़ोर्स मेज्योर घटना घटित होती है:

(a) ऐसे चरण की 'चरण समाप्ति तिथि' से पहले, तो ऐसे चरण के लिए विकास अवधि को उस अवधि के बराबर बढ़ाया जाएगा जितने समय तक ऐसी फ़ोर्स मेज्योर घटना बनी रहती है; या

(ख) ऐसे चरण की 'चरण समाप्ति तिथि' के बाद, जिसके परिणामस्वरूप कंसेसियनार सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वैमानिकी शुल्क एकत्र करने में असमर्थ है या प्राधिकरण या किसी सरकारी तंत्र द्वारा ऐसी फ़ोर्स मेज्योर घटना के दौरान उसके संग्रह को निलंबित करने का निर्देश दिया जाता है, तो नियामक (Regulator) ऐसी फ़ोर्स मेज्योर घटना के प्रभाव पर विचार करेगा और लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार उचित उपाय प्रदान करेगा।

32.7 फ़ोर्स मेज्योर से उत्पन्न लागतों का आवंटन

32.7.1 सीओडी से पहले किसी भी फ़ोर्स मेज्योर घटना के घटित होने पर, दोनों पक्ष अपनी-अपनी लागत वहन करेंगे और किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष को इसकी कोई लागत देने की आवश्यकता नहीं होगी।

32.7.2 सीओडी के बाद फ़ोर्स मेज्योर घटना के घटित होने पर, ऐसी घटना के कारण हुई और सीधे वैमानिकी सेवाओं से संबंधित लागतों ("फ़ोर्स मेज्योर लागत") का आवंटन और भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा:

(a) गैर-राजनीतिक घटना के घटित होने पर, दोनों पक्ष अपनी-अपनी फ़ोर्स मेज्योर लागत वहन करेंगे और किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष को इसकी कोई लागत देने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना के घटित होने पर, ऐसी घटना के कारण होने वाली सभी फ़ोर्स मेज्योर लागतें, जो ऐसी अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना के लिए स्वीकृत और भुगतान किए गए बीमा कवर से अधिक न हों, कंसेसियनार द्वारा वहन की जाएंगी। और जिस सीमा तक फ़ोर्स मेज्योर लागत स्वीकृत एवं भुगतान किए गए बीमा कवर से अधिक होती है, उस अतिरिक्त राशि का आधा हिस्सा प्राधिकरण द्वारा कंसेसियनार को प्रतिपूर्ति (reimburse) किया जाएगा; और

(ग) राजनीतिक घटना के घटित होने पर, ऐसी राजनीतिक घटना के कारण होने वाली सभी फ़ोर्स मेज्योर लागतों की प्रतिपूर्ति प्राधिकरण द्वारा कंसेसियनार को की जाएगी।

फ़ोर्स मेज्योर लागतों में ऋण पर ब्याज का भुगतान, ओएंडएम (O&M - संचालन एवं रखरखाव) व्यय, मुद्रास्फीति के कारण निर्माण कार्यों की लागत में वृद्धि और फ़ोर्स मेज्योर घटना से सीधे जुड़े अन्य सभी खर्च शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसमें वैमानिकी शुल्क से राजस्व का नुकसान या ऋण पुनर्भुगतान दायित्व शामिल नहीं होंगे।

32.7.3 इस अनुच्छेद 32 में स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर, कोई भी पक्ष किसी भी फ़ोर्स मेज्योर घटना के घटित होने/अस्तित्व या इसके अनुसार किसी अधिकार के प्रयोग से संबंधित या उससे उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि, क्षति, लागत, व्यय, दावों, मांगों और कार्यवाहियों के संबंध में दूसरे पक्ष के प्रति किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।

32.8 फ़ोर्स मेज्योर घटना के लिए समाप्ति नोटिस

यदि फ़ोर्स मेज्योर घटना 365 (तीन सौ पैंसठ) दिनों की निरंतर अवधि के भीतर 180 (एक सौ अस्सी) दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए बनी रहती है, तो कोई भी पक्ष अपने विवेक से दूसरे पक्ष को समाप्ति नोटिस जारी करके इस समझौते को समाप्त कर सकता है। इस अनुच्छेद 32 में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, बिना किसी भी प्रकार के दायित्व के, और ऐसा समाप्ति नोटिस जारी होने पर, इसमें निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद यह समझौता तुरंत समाप्त हो जाएगा।

बशर्ते कि ऐसा समाप्ति नोटिस जारी करने से पहले, समाप्ति नोटिस जारी करने का इरादा रखने वाला पक्ष दूसरे पक्ष को इस आशय की सूचना देगा और प्रतिवेदन देने के लिए 15 (पंद्रह) दिनों का समय देगा। और 15 दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद, चाहे उसे ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ हो या नहीं, वह अपने स्वाभिमानी विवेक से समाप्ति नोटिस जारी कर सकता है।

32.9 फ़ोर्स मेज्योर घटना के लिए समाप्ति भुगतान

32.9.1 यदि समाप्ति किसी गैर-राजनीतिक घटना के कारण होती है, तो प्राधिकरण कंसेसियनार को समाप्ति भुगतान की 70% (सत्तर प्रतिशत) राशि के बराबर भुगतान करेगा, जिसमें से स्वीकृत और भुगतान किया गया बीमा कवर घटा दिया जाएगा।

32.9.2 यदि समाप्ति किसी अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना के कारण होती है, तो प्राधिकरण कंसेसियनार को समाप्ति भुगतान की 100% (एक सौ प्रतिशत) राशि के बराबर भुगतान करेगा, जिसमें से स्वीकृत और भुगतान किया गया बीमा कवर घटा दिया जाएगा।

32.9.3 यदि समाप्ति किसी राजनीतिक घटना के कारण होती है, तो प्राधिकरण कंसेसियनार को उतनी ही राशि का भुगतान करेगा जितनी 'प्राधिकरण डिफ़ॉल्ट की घटना' (Authority Event of Default) के कारण समाप्ति होने पर देय होती।

32.10 विवाद समाधान

यदि पक्ष फ़ोर्स मेज्योर घटना के घटित होने या अस्तित्व के बारे में सद्भावना से सहमत होने में असमर्थ हैं, तो ऐसे विवाद को अंतिम रूप से 'विवाद समाधान प्रक्रिया' के अनुसार हल किया जाएगा। बशर्ते कि ऐसी फ़ोर्स मेज्योर घटना के कारण राहत या छूट का दावा करने वाले पक्ष पर ही घटना के घटित होने या अस्तित्व को साबित करने का भार (burden of proof) होगा।

32.11 दायित्वों के निष्पादन से छूट

यदि प्रभावित पक्ष फ़ोर्स मेज्योर घटना के कारण इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में पूरी तरह या आंशिक रूप से असमर्थ हो जाता है, तो उसे उस सीमा तक अपने दायित्वों के निष्पादन से छूट दी जाएगी जिस सीमा तक वह ऐसी घटना के कारण कार्य करने में असमर्थ है, बशर्ते कि: ...

किसी **राजनीतिक घटना** के घटित होने पर, ऐसी राजनीतिक घटना के कारण होने वाली सभी **अपरिहार्य घटना लागतों** की प्रतिपूर्ति प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को की जाएगी।

अपरिहार्य घटना लागतों में ऋण पर ब्याज का भुगतान, संचालन एवं रखरखाव व्यय, मुद्रास्फीति के कारण निर्माण कार्यों की लागत में कोई भी वृद्धि और अपरिहार्य घटना से सीधे जुड़े अन्य सभी लागत शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसमें वैमानिकी शुल्कों से राजस्व का नुकसान या ऋण पुनर्भुगतान दायित्व शामिल नहीं होंगे।

32.7.3 इस अनुच्छेद 32 में स्पष्ट रूप से किए गए प्रावधानों को छोड़कर, कोई भी पक्षकार किसी भी अपरिहार्य घटना के घटने या अस्तित्व में होने, अथवा इसके अनुसरण में किसी अधिकार के प्रयोग से संबंधित या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति, लागत, व्यय, दावों, मांगों और कार्यवाहियों के संबंध में दूसरे पक्षकार के प्रति किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।

32.8 अपरिहार्य घटना के कारण समाप्ति नोटिस

यदि कोई अपरिहार्य घटना 365 (तीन सौ पैसंठ) दिनों की निरंतर अवधि के भीतर 180 (एक सौ अस्सी) दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए बनी रहती है, तो कोई भी पक्षकार अपने विवेक से दूसरे पक्षकार को **समाप्ति सूचना** जारी करके इस समझौते को समाप्त कर सकता है, और इस अनुच्छेद 32 में दिए गए प्रावधानों के अलावा, वह किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी समाप्ति सूचना जारी होने पर, इसमें शामिल किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, यह समझौता तत्काल समाप्त माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी समाप्ति सूचना जारी करने से पहले, समाप्ति सूचना जारी करने का इरादा रखने वाला पक्षकार दूसरे पक्षकार को अपने ऐसे इरादे की सूचना देगा और अभ्यावेदन देने के लिए 15 (पंद्रह) दिनों का समय प्रदान करेगा। ऐसे 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद, चाहे उसे ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ हो या नहीं, वह अपने एकमात्र विवेक से समाप्ति सूचना जारी कर सकता है।

32.9 अपरिहार्य घटना के लिए समाप्ति भुगतान

32.9.1 यदि समाप्ति किसी **गैर-राजनीतिक घटना** के कारण होती है, तो प्राधिकरण रियायतग्राही को समाप्ति भुगतान के 70% (सत्तर प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान करेगा, जिसमें से स्वीकृत और भुगतान किए गए बीमा कवर को घटा दिया जाएगा।

32.9.2 यदि समाप्ति किसी **अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना** के कारण होती है, तो प्राधिकरण रियायतग्राही को समाप्ति भुगतान के 100% (एक सौ प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान करेगा, जिसमें से स्वीकृत और भुगतान किए गए बीमा कवर को घटा दिया जाएगा।

32.9.3 यदि समाप्ति किसी **राजनीतिक घटना** के कारण होती है, तो प्राधिकरण रियायतग्राही को उतनी ही राशि का भुगतान करेगा जितनी प्राधिकरण की चूक के कारण समाप्ति पर देय होती है।

32.10 विवाद समाधान

यदि पक्षकार किसी अपरिहार्य घटना के घटने या अस्तित्व के बारे में सद्भावना (good faith) से सहमत होने में असमर्थ रहते हैं, तो ऐसे विवाद का अंतिम निपटारा **विवाद समाधान प्रक्रिया** के अनुसार किया जाएगा, बशर्ते कि ऐसी अपरिहार्य घटना के घटने या अस्तित्व के संबंध में प्रमाण का बोझ उसी पक्षकार पर होगा जो ऐसी अपरिहार्य घटना के कारण राहत या छूट का दावा कर रहा है।

32.11 दायित्वों के निष्पादन से छूट

यदि प्रभावित पक्षकार किसी अपरिहार्य घटना के कारण इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में पूरी तरह से या आंशिक रूप से असमर्थ हो जाता है, तो उसे उस सीमा तक अपने दायित्वों के निष्पादन से छूट दी जाएगी जिस सीमा तक वह ऐसी अपरिहार्य घटना के कारण निष्पादन करने में असमर्थ है, बशर्ते कि:

क. निष्पादन का निलंबन अपरिहार्य घटना द्वारा यथोचित आवश्यक सीमा से अधिक नहीं होगा और न ही उससे अधिक अवधि का होगा;

ख. प्रभावित पक्ष ऐसी अपरिहार्य घटना के अस्तित्व या घटित होने के परिणामस्वरूप या उसके कारण दूसरे पक्ष को होने वाले नुकसान को कम या सीमित करने के लिए सभी उचित प्रयास करेगा और पूरी तत्परता के साथ उसका उपचार और समाधान करेगा; और

ग. जब प्रभावित पक्ष इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का निष्पादन फिर से शुरू करने में सक्षम हो जाता है, तो वह दूसरे पक्ष को उस आशय का नोटिस देगा और तुरंत इसके तहत अपने दायित्वों का निष्पादन फिर से शुरू करेगा।

32.12 अप्रत्याशित घटनाओं से राहत

32.12.1 इस समझौते में विचार न की गई या उल्लिखित न की गई किसी अप्रत्याशित घटना, स्थिति या समान परिस्थितियों के उत्पन्न होने और जारी रहने पर, जिसे एक सतर्क और मेहनती व्यक्ति द्वारा पहले से नहीं देखा जा सकता था ("अप्रत्याशित घटना"), कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को ऐसी अप्रत्याशित घटना के घटित होने की सूचना उसके विवरण और परियोजना की लागत, व्यय और राजस्व पर उसके प्रभावों के साथ देगा। इस तरह के नोटिस के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, पक्षकार सद्भावना से बैठक करेंगे और प्रयास करेंगे कि क्या ऐसी अप्रत्याशित घटना घटित हुई है और जारी है, और इस पर सहमति होने पर इस धारा 32.12 के प्रावधानों के अनुसार इससे निपटेंगे।

32.12.2 अप्रत्याशित घटना के घटित होने और जारी रहने के निर्धारण पर, पक्षकार मामले को एक सुलह न्यायाधिकरण को संदर्भित करेंगे, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा नामित एक-एक सदस्य शामिल होगा, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे व्यक्तियों में से चुना जाएगा और इस प्रकार नामित सुलहकर्ता एक अध्यक्ष का चयन करेंगे जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो।

32.12.3 धारा 32.12.2 में संदर्भित सुलह न्यायाधिकरण अपनी कार्यवाही अनुच्छेद 41 के प्रावधानों के अनुसार संचालित करेगा, मानो कि यह उस अनुच्छेद के तहत एक मध्यस्थता कार्यवाही हो, सिवाय इसके कि जैसा इस धारा 32.12 में प्रदान किया गया है।

32.12.4 धारा 32.12 में संदर्भित सुलह न्यायाधिकरण खुद को संतुष्ट करने के लिए प्रारंभिक कार्यवाही संचालित करेगा कि:

(क) एक अप्रत्याशित घटना घटित हुई है;

(ख) ऐसी अप्रत्याशित घटना के प्रभावों को किसी ऐसे उपाय या राहत के बिना कम नहीं किया जा सकता है जो इस समझौते में परिकल्पित नहीं है; और

(ग) अप्रत्याशित घटना या उसके प्रभाव किसी भी पक्ष द्वारा अपने हिस्से के किसी कार्य या चूक के कारण नहीं हुए हैं।

और यदि सुलह न्यायाधिकरण संतुष्ट है कि ऊपर उल्लिखित प्रत्येक शर्त पूरी हो गई है, तो वह इस आशय का एक आदेश जारी करेगा और इस धारा 32.12 के तहत आगे की कार्यवाही संचालित करेगा।

32.12.5 इस धारा 32.12 में संदर्भित सुलह कार्यवाही के पूरा होने पर, सुलह न्यायाधिकरण एक तर्कसंगत आदेश द्वारा सिफारिशें कर सकता है और संदर्भ-शर्तें निर्धारित कर सकता है, जो:

क. एक निष्पक्ष और पारदर्शी औचित्य पर आधारित होंगी;

ख. अप्रत्याशित घटना के प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक सीमा से अधिक नहीं होंगी।

- ग. अप्रत्याशित घटना के प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक अवधि से अधिक लंबी अवधि का नहीं होगा; और
- घ. राहत या उपाय के संदर्भ में मात्रात्मक और प्रतिबंधित होगा।

32.12.6 धारा 32.12.5 में संदर्भित आदेश और संदर्भ की शर्तें प्राप्त होने के **15 (पंद्रह) दिनों के भीतर**, पक्षकार सद्भावना से बैठक करेंगे और सुलह न्यायाधिकरण द्वारा अनुशंसित राहत या उपाय को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेंगे, जो कि इसके तहत हुए समझौते को स्थापित करने वाले एक समझौता ज्ञापन) में प्रवेश करके किया जाएगा। ऐसे समझौता ज्ञापन की शर्तें उसी प्रकार प्रभावी और लागू होंगी मानो वे इस समझौते का हिस्सा हों, और यदि कोई हो, तो इस समझौते की संबंधित शर्तों को संशोधित माना जाएगा।

अनुच्छेद 33. समझौते के उल्लंघन के लिए मुआवजा

33.1 रियायतग्राही द्वारा चूक के लिए मुआवजा

धारा 33.4 के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही द्वारा इस समझौते के तात्त्विक उल्लंघन या चूक की स्थिति में, वह मुआवजे के रूप में प्राधिकरण को ऐसे तात्त्विक उल्लंघन या चूक के परिणामस्वरूप प्राधिकरण द्वारा वहन की गई या भुगती गई सभी प्रत्यक्ष लागतों का भुगतान, आवश्यक विवरणों द्वारा समर्थित मांग की प्राप्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर करेगा; बशर्ते कि इस समझौते के तहत किसी भी ऐसे तात्त्विक उल्लंघन या चूक के संबंध में कोई मुआवजा देय नहीं होगा जिसके लिए हर्जाना स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट और देय है, या प्राधिकरण द्वारा भुगते गए किसी भी परिणामी नुकसान के लिए कोई मुआवजा देय नहीं होगा।

33.2 प्राधिकरण द्वारा चूक के लिए मुआवजा

धारा 33.4 के प्रावधानों के अधीन, वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) के बाद किसी भी समय प्राधिकरण द्वारा इस समझौते के तात्त्विक उल्लंघन या चूक की स्थिति में, वह मुआवजे के रूप में रियायतग्राही को ऐसे तात्त्विक उल्लंघन या चूक के परिणामस्वरूप रियायतग्राही द्वारा वहन की गई या भुगती गई सभी प्रत्यक्ष लागतों का भुगतान, आवश्यक विवरणों द्वारा समर्थित मांग की प्राप्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर करेगा; बशर्ते कि किसी भी ऐसे तात्त्विक उल्लंघन या चूक के संबंध में कोई मुआवजा देय नहीं होगा जिसके लिए इस समझौते में हर्जाना स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है।

संदेह के निवारण के लिए, देय मुआवजे में ऋण पर ब्याज भुगतान, ओ एंड एम, मुद्रास्फीति के कारण पूंजीगत लागत में कोई भी वृद्धि और ऐसे तात्त्विक उल्लंघन या चूक के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी अन्य सभी लागतें शामिल हो सकती हैं, लेकिन इसमें राजस्व का नुकसान या ऋण पुनर्भुगतान दायित्व या अन्य परिणामी नुकसान शामिल नहीं होंगे।

33.3 रियायत अवधि का विस्तार

धारा 33.4 के प्रावधानों के अधीन, यदि धारा 33.2 में उल्लिखित इस समझौते का कोई तात्त्विक उल्लंघन या चूक किसी भी चरण के वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) को प्राप्त करने में देरी का कारण बनती है या निलंबन की ओर ले जाती है, तो प्राधिकरण धारा 33.2 के तहत मुआवजे के भुगतान के बदले रियायत अवधि को बढ़ाने पर विचार कर सकता है। रियायत अवधि में ऐसे विस्तार की अवधि पर प्राधिकरण द्वारा उस समय विचार और निर्धारण किया जाएगा।

33.4 लागत और नुकसान को कम करना

प्रभावित पक्ष दूसरे पक्ष द्वारा समझौते के उल्लंघन के परिणामस्वरूप या उसके कारण उत्पन्न होने वाली लागतों और नुकसान को कम या सीमित करने के लिए सभी उचित प्रयास करेगा।

33.5 मुआवजा अतिरिक्त होना

जैसा कि ऊपर अन्यथा कहा गया है, उसके अतिरिक्त, इस अनुच्छेद 33 के तहत देय मुआवजा इस समझौते के तहत पक्षों के अन्य अधिकारों और उपचारों (इसके समापन/समाप्ति सहित) के अतिरिक्त होगा और उनके प्रति पूर्वाग्रह के बिना होगा।

अनुच्छेद 34. रियायतग्राही के अधिकारों का निलंबन

34.1 रियायतग्राही की चूक पर निलंबन

रियायतग्राही की चूक घटित होने पर, प्राधिकरण, इस समझौते के तहत अपने अन्य अधिकारों और उपचारों, जिसमें इसके तहत समापन/समाप्ति के अधिकार शामिल हैं, के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, निम्नलिखित के लिए हकदार होगा:

(क) इस समझौते के तहत रियायतग्राही के सभी अधिकारों को निलंबित करना, जिसमें रियायतग्राही का कोई भी शुल्क और इसके तहत देय अन्य राजस्व एकत्र करने का अधिकार शामिल है, और (ख) ऐसे निलंबन ("निलंबन") के दौरान इसकी ओर से स्वयं इन दायित्वों का पालन और निष्पादन करना या किसी अन्य व्यक्ति को इसका पालन या निष्पादन करने के लिए अधिकृत करना।

इसके तहत निलंबन प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को नोटिस जारी होने के तुरंत बाद प्रभावी होगा और ऐसे नोटिस जारी होने की तारीख से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों से अनधिक की अवधि तक विस्तारित हो सकता है; बशर्ते कि रियायतग्राही और ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के लिखित अनुरोध पर, प्राधिकरण पूर्वोक्त 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अवधि को 90 (नब्बे) दिनों से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा देगा।

34.2 रियायतग्राही की ओर से कार्य करने का प्राधिकरण का अधिकार

34.2.1 निलंबन की अवधि के दौरान, प्राधिकरण, रियायतग्राही की ओर से, इस समझौते के अनुसार और इसके तहत सभी शुल्क और राजस्व एकत्र करेगा तथा उसे एस्क्रो खाते में जमा करेगा। प्राधिकरण एस्क्रो खाते से ओ एंड एम व्यय को पूरा करने के लिए तथा निलंबन के कारण के उपचार और समाधान के लिए अपने द्वारा की गई लागतों को निकालने के लिए, और तत्पश्चात धारा 29.3 में निर्दिष्ट खर्चों के भुगतान के लिए निकासी करने का हकदार होगा।

34.2.2 इसके तहत निलंबन की अवधि के दौरान, इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही में निहित सभी अधिकार और दायित्व रियायतग्राही में ही निहित रहेंगे; और इस समझौते तथा परियोजना समझौतों के अनुसार रियायतग्राही के दायित्वों के निर्वहन के लिए प्राधिकरण द्वारा किए गए खर्च सहित किए गए या लिए गए सभी कार्य, रियायतग्राही की ओर से और उसकी तरफ से किए गए या लिए गए माने जाएंगे और रियायतग्राही ऐसी अवधि के दौरान प्राधिकरण द्वारा वहन की गई सभी लागतों के लिए प्राधिकरण को क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। रियायतग्राही एतद्वारा विमानपत्तन और उसके संचालन, प्रबंधन, डिजाइन, इंजीनियरिंग और विकास के संबंध में रियायतग्राही के स्वामित्व वाली या उसे लाइसेंस प्राप्त सभी बौद्धिक संपदा को निलंबन के दौरान उपयोग करने के लिए प्राधिकरण या इस धारा 34 के तहत उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस और उप-लाइसेंस देता है, जो इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में रियायतग्राही द्वारा उपयोग की जाती है या बनाई जाती है।

34.3 निलंबन का प्रतिसंहरण

यदि प्राधिकरण धारा 34.1 में निर्धारित अवधि से अनधिक की अवधि के भीतर निलंबन के कारण का उपचार या निवारण कर देता है, तो वह निलंबन को तुरंत रद्द कर देगा और इस समझौते के तहत रियायतग्राही के

सभी अधिकारों को बहाल कर देगा। पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि प्राधिकरण, अपने विवेक से, किसी भी समय निलंबन को रद्द कर सकता है, चाहे निलंबन का कारण इसके तहत सुधारा या हटाया गया हो या नहीं।

34.4 रियायतग्राही का प्रतिस्थापन

धारा 38.5 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार निलंबन की अवधि के दौरान किसी भी समय प्राधिकरण के हस्तक्षेप के अधिकारों के प्रयोग के अधीन, वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से ऋणदाताओं के प्रतिनिधि, प्रतिस्थापन समझौते के अनुसार और उसके तहत रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने के हकदार होंगे, और ऋणदाताओं के प्रतिनिधि से उस आशय का नोटिस प्राप्त होने पर, प्राधिकरण निलंबन की तारीख से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों से अनधिक की अवधि के लिए और इस अनुच्छेद 34 के तहत उसके किसी भी विस्तार के लिए समापन को रोक कर रखेगा, ताकि ऋणदाताओं के प्रतिनिधि वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से प्रतिस्थापन के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें।

34.5 समापन

34.5.1 इस अनुच्छेद 34 के तहत निलंबन की अवधि के दौरान किसी भी समय, रियायतग्राही नोटिस द्वारा प्राधिकरण से निलंबन को रद्द करने और एक समापन नोटिस जारी करने की मांग कर सकता है। ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार प्रतिस्थापन शुरू करने के अधिकारों के अधीन और धारा 34.4 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, प्राधिकरण ऐसे नोटिस की प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, इस समझौते को इसके तहत और अनुच्छेद 34 के अनुसार समाप्त कर देगा, मानो कि यह अनुच्छेद 33 के तहत रियायतग्राही की चूक का मामला हो ।

34.5.2 इस समझौते में इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, इस स्थिति में कि इसके तहत निलंबन की तारीख से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर या अनुच्छेद 34 में निर्धारित विस्तारित अवधि के भीतर (यदि कोई हो) निलंबन को रद्द नहीं किया जाता है, तो यह समझौता पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति पर पक्षकारों की पारस्परिक सहमति द्वारा समाप्त माना जाएगा; और इस समझौते के सभी प्रावधान, यथोचित परिवर्तनों सहित, ऐसे समापन पर उसी प्रकार लागू होंगे मानो रियायतग्राही की चूक घटित होने पर प्राधिकरण द्वारा समापन नोटिस जारी किया गया हो ।

अनुच्छेद 35. समापन

35.1 रियायतग्राही की चूक के कारण समापन

35.1.1 इस समझौते में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, इस स्थिति में कि नीचे निर्दिष्ट चूकों में से कोई भी चूक घटित हुई हो, और रियायतग्राही नीचे निर्धारित उपचार अवधि के भीतर चूक का सुधार करने में विफल रहता है, या जहाँ कोई उपचार अवधि निर्दिष्ट नहीं है, वहाँ 60 (साठ) दिनों की उपचार अवधि के भीतर सुधार करने में विफल रहता है, तो रियायतग्राही को इस समझौते के उल्लंघन में दोषी माना जाएगा ("रियायतग्राही की चूक"), बशर्ते कि ऐसी चूक प्राधिकरण द्वारा किए गए किसी उल्लंघन के परिणामस्वरूप या अपरिहार्य कारण से न हुई हो। यहाँ संदर्भित चूकों में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- क. धारा 9.2 के अनुसार कार्यनिष्पादन प्रतिभूति- को भुनाया और विनियोजित कर लिया गया है, और रियायतग्राही 15 (पंद्रह) निष्पादन प्रतिभूति को फिर -दिनों की उपचार अवधि के भीतर नई कार्य (से भरने या प्रदान करने में विफल रहता है;
- ख. धारा 9.2 के अनुसार नई कार्यनिष्पादन प्रतिभूति को फिर से भरने- या प्रस्तुत करने के पश्चात, रियायतग्राही उस चूक का सुधार करने में विफल रहता है जिसके लिए कार्यनिष्पादन प्रतिभूति - के पूरे या किसी हिस्से को विनियोजित किया गया था, और यह विफलता 120 (एक सौ बीस (दिनों की उपचार अवधि तक बनी रहती है;
- ग. रियायतग्राही धारा 12.5.2 और अनुसूची एफ के प्रावधानों के अनुसार नवीनतम महत्वपूर्ण पड़ाव चरण बकाया राशि प्राप्त नहीं करता है और 120 (एक सौ बीस दिनों की उपचार अवधि के दौरान (भी चूक में बना रहता है;
- घ. रियायतग्राही प्राधिकरण की पूर्व लिखित सहमति के बिना विमानपत्तन के निर्माण या संचालन को छोड़ देता है या उसे छोड़ने का अपना इरादा प्रकट करता है;
- ङ. किसी चरण की पूर्णता धारा 12.5.4 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर घटित नहीं होती है;
- च. पंच सूची)Punch List) की मर्दे धारा 14.4.1 में निर्धारित अवधि के भीतर पूरी नहीं की गई हैं;
- छ. धारा 19.6.9 के अनुसार आईएटीए सेवा स्तर इष्टतम के उल्लंघन के कारण एक रियायत वर्ष के लिए रियायतग्राही द्वारा देय हर्जाने की राशि, पूर्ववर्ती लेखा वर्ष के वार्षिक रियायत शुल्क के 2% (दो प्रतिशतके बराबर या उससे अधिक हो जाती है (;
- ज. रियायत अवधि के दौरान किसी भी निरंतर 6 (छह) महीनों की अवधि में (, रियायतग्राही अनुसूची एच में निर्दिष्ट मुख्य निष्पादन संकेतकों की महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं के 2/3 (दोसे अधिक का उल्लंघन करता है (तिहाई-;
- झ. रियायतग्राही चरण 1 की समाप्ति तिथि से 3 (तीन वर्ष की अवधि के भीतर धारा (23.6 के अनुसार आईएसओ और अन्य प्रमाणपत्र प्राप्त करने में विफल रहता है;
- ञ. रियायतग्राही इस समझौते में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राधिकरण को कोई भी भुगतान करने में विफल रहा है;

- ट. एक एस्करो चूक घटित हुई है और रियायतग्राही 15 (पंद्रहदिनों की उपचार अवधि के भीतर उस (चूक का सुधार करने में विफल रहता है;
- ठ. वित्तीय चूक घटित होने पर, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि ने नोटिस द्वारा प्राधिकरण को प्रतिस्थापन समझौते के अनुसार निलंबन या समापन करने की आवश्यकता प्रस्तुत की (जैसा भी मामला हो) हो, और रियायतग्राही ऊपर निर्दिष्ट उपचार अवधि के भीतर चूक का सुधार करने में विफल रहता है।
- ड. रियायतग्राही द्वारा परियोजना समझौतों में से किसी भी समझौते का उल्लंघन किया गया है, जिसके कारण कोई **तात्त्विक प्रतिकूल प्रभाव** उत्पन्न हुआ है;
- ढ. रियायतग्राही इस समझौते के उल्लंघन में कोई **विभार भार/सृजित** करता है;
- ण. रियायतग्राही इस समझौते का परित्यागप्रत्याख्यान करता है या अन्यथा कोई ऐसी कार्रवाई करता / है या साक्ष्य प्रस्तुत करता है या ऐसा इरादा व्यक्त करता है जिससे यह प्रतीत हो कि वह इस समझौते से बाध्य नहीं है;
- त. धारा 5.3 के प्रावधानों के उल्लंघन में **स्वामित्व में परिवर्तन** या कोई अन्य परिवर्तन हुआ है;
- थ. (q) कानून के अनुसार या तो)i) परियोजना समझौतों के तहत रियायतग्राही के अधिकारों और या / दायित्वों का, या)ii) रियायतग्राही की संपत्तियों या उपक्रम के पूरे या किसी हिस्से का हस्तांतरण होता है, और ऐसा हस्तांतरण किसी तात्त्विक प्रतिकूल प्रभाव का कारण बनता है;
- द. रियायतग्राही की किसी भी संपत्ति पर कुर्की की गई है जिसके कारण कोई तात्त्विक प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न हुआ है;
- ध. रियायतग्राही को **दिवालिया या शोधन अक्षम** घोषित कर दिया गया है, या यदि रियायतग्राही के लिए या उसकी संपत्तियों के पूरे या तात्त्विक हिस्से के लिए कोई ट्रस्टी या रिसीवर नियुक्त किया गया है जिसका परियोजना पर तात्त्विक प्रभाव पड़ता है;
- न. रियायतग्राही का समापन, विघटन, कारोबार समेटना हो चुका है, या वह ऐसी प्रक्रिया में है, अथवा उसका इस प्रकार समामेलन या पुनर्गठन किया गया है जो प्राधिकरण की उचित राय में, एक तात्त्विक प्रतिकूल प्रभाव का कारण बने;
- न. रियायतग्राही के कारोबार को समेटने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया है, या किसी सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत द्वारा रियायतग्राही के कारोबार को समेटने की किसी याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और एक अनंतिम परिसमापक या रिसीवर नियुक्त किया गया है तथा ऐसा आदेश उसकी तारीख से 90 (नब्बेदिनों के भीतर रद्द नहीं किया गया है या अदालत द्वारा (रियायतग्राही को समामेलन या पुनर्गठन के उद्देश्य को छोड़कर कारोबार समेटने का आदेश दिया गया है, बशर्ते कि:
- प. ऐसी समामेलन या पुनर्गठन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, रियायतग्राही की पूरी संपत्ति, आस्तियां और उपक्रम समामेलित या पुनर्गठित इकाई को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं और वह समामेलित

या पुनर्गठित इकाई बिना किसी शर्त के इस समझौते और परियोजना समझौतों के तहत रियायतग्राही के दायित्वों को स्वीकार कर लेती है; और बशर्ते कि :

- (i) समामेलित या पुनर्गठित इकाई के पास इस समझौते और परियोजना समझौतों के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए आवश्यक क्षमता और परिचालन अनुभव हो;
- (ii) समामेलित या पुनर्गठित इकाई के पास इस समझौते और परियोजना समझौतों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए वित्तीय स्थिति हो और उसकी साख कम से कम वाणिज्यिक संचालन तिथि पर रियायतग्राही जितनी अच्छी हो; और
- (iii) प्रत्येक परियोजना समझौता पूर्ण रूप से प्रभावी और लागू रहे;
- (iv) रियायतग्राही द्वारा इसमें दिया गया कोई भी अभ्यावेदन या वारंटी, जो आज की तारीख में तात्त्विक रूप से झूठा, गलत या भ्रामक पाया जाता है, या रियायतग्राही किसी भी समय इसके बाद उसके उल्लंघन में पाया जाता है;

फ. रियायतग्राही प्राधिकरण को लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई ऐसा बयान, नोटिस या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करता है, जिसका प्राधिकरण के, अधिकारों पर तात्त्विक प्रभाव पड़ता है, दायित्वों या हितों से संबंधित है और जो महत्वपूर्ण विवरणों में असत्य है;

ब. रियायतग्राही किसी भी ऐसे दायित्व को पूरा करने में विफल रहा है, जिसके लिए इस समझौते में विफलता समापन विनिर्दिष्ट किया गया है;

भ. रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों के उल्लंघन में समापन नोटिस जारी करता है; या

म. रियायतग्राही इस समझौते के किसी अन्य प्रावधान का पालन करने में कोई चूक करता है, यदि ऐसी चूक प्राधिकरण पर प्रतिकूल भौतिक प्रभाव डालती है।

35.1.2 उन अन्य अधिकारों या उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो प्राधिकरण को इस समझौते के तहत प्राप्त हो सकते हैं, रियायतग्राही की चूक होने पर, प्राधिकरण रियायतग्राही को समापन नोटिस जारी करके इस समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा; बशर्ते कि समापन नोटिस जारी करने से पहले, प्राधिकरण रियायतग्राही को नोटिस द्वारा अपने ऐसे समापन नोटिस जारी करने के इरादे की सूचना देगा और रियायतग्राही को प्रतिनिधित्व/अभ्यावेदन करने के लिए 15 (पंद्रह) दिनों का समय प्रदान करेगा; और ऐसे 15 (पंद्रह) दिनों की समाप्ति के बाद, चाहे उसे ऐसा प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ हो या नहीं, क्लॉज 35.1.3 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, समापन नोटिस जारी कर सकेगा।

35.1.3 प्राधिकरण, यदि कोई वरिष्ठ ऋणदाता हैं, तो समापन नोटिस जारी करने के अपने इरादे के नोटिस की एक प्रति ऋणदाताओं के प्रतिनिधि को भेजेगा और वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए ऋणदाताओं के प्रतिनिधि को 15 (पंद्रह) दिनों का समय देगा, जिसमें वरिष्ठ ऋणदाता प्रतिस्थापन समझौते के अनुसार रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने के अपने इरादे को व्यक्त करेंगे। यदि प्राधिकरण को वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से ऐसा प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, तो वह अपने विवेक से, या तो ऐसे प्रतिनिधित्व की तारीख से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों से अनधिक की अवधि के लिए समापन को रोक कर रखेगा या वरिष्ठ ऋणदाताओं के प्रतिस्थापन समझौते के अनुसार प्रतिस्थापन के अधिकार का प्रयोग करने हेतु ऋणदाताओं के प्रतिनिधि को सक्षम बनाने के लिए, जैसी भी स्थिति हो, निलंबन के अपने अधिकार का प्रयोग करेगा।

बशर्ते कि ऋणदाताओं का प्रतिनिधि, वरिष्ठ ऋणदाताओं के प्रतिस्थापन के अधिकार का प्रयोग करने के बजाय, यह सुनिश्चित कर सकता है कि नोटिस में विनिर्दिष्ट चूक को 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की उक्त अवधि के भीतर सुधार लिया जाए, और इस प्रकार सुधार होने पर, प्राधिकरण ऊपर संदर्भित अपने नोटिस को वापस ले लेगा और रियायतग्राही के सभी अधिकारों को बहाल कर देगा।

आगे बशर्ते कि ऋणदाताओं के प्रतिनिधि और रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर, प्राधिकरण 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की उक्त अवधि को 90 (नब्बे) दिनों से अनधिक की ऐसी और अवधि के लिए बढ़ा देगा, जैसा कि प्राधिकरण उचित समझे।

35.2 प्राधिकरण की चूक के कारण समापन

35.2.1 इस घटना में कि नीचे विनिर्दिष्ट चूकों में से कोई भी चूक होती है, और प्राधिकरण 90 (नब्बे) दिनों की सुधार अवधि या ऐसी लंबी अवधि के भीतर जो इस समझौते में स्पष्ट रूप से प्रदान की गई हो, ऐसी चूक को सुधारने में विफल रहता है, तो प्राधिकरण को इस समझौते के उल्लंघन में माना जाएगा ("प्राधिकरण की चूक"), जब तक कि ऐसी चूक रियायतग्राही द्वारा इस समझौते के किसी उल्लंघन के परिणामस्वरूप या अपरिहार्य घटना के कारण न हुई हो। इसमें संदर्भित चूकों में निम्नलिखित शामिल होंगे :

(a) प्राधिकरण इस समझौते के किसी भी प्रावधान का पालन करने में कोई महत्वपूर्ण चूक करता है और ऐसी चूक का रियायतग्राही पर प्रतिकूल भौतिक प्रभाव पड़ता है;

(ख) प्राधिकरण इस समझौते का प्रत्याख्यान करता है या अन्यथा कोई ऐसी कार्रवाई करता है जो इस समझौते से बाध्य न होने के अकाट्य इरादे को दर्शाती है या प्रकट करती है।

35.2.2 उन अन्य अधिकारों या उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो रियायतग्राही को इस समझौते के तहत प्राप्त हो सकते हैं, प्राधिकरण की चूक होने पर, रियायतग्राही, प्रतिस्थापन समझौते के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण को समापन नोटिस जारी करके इस समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा; बशर्ते कि समापन नोटिस जारी करने से पहले, रियायतग्राही नोटिस द्वारा प्राधिकरण को अपने ऐसे समापन नोटिस जारी करने के इरादे की सूचना देगा और प्राधिकरण को प्रतिनिधित्व/अभ्यावेदन (Representation) करने के लिए 15 (पंद्रह) दिनों का समय प्रदान करेगा; और ऐसे 15 (पंद्रह) दिनों की समाप्ति के बाद, चाहे उसे ऐसा प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ हो या नहीं, समापन नोटिस जारी कर सकेगा।

35.3 समापन भुगतान

35.3.1 प्राधिकरण की चूक के कारण समापन होने पर, प्राधिकरण रियायतग्राही को समापन भुगतान) के 120% (एक सौ बीस प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

35.3.2 रियायतग्राही की चूक के कारण समापन होने पर, प्राधिकरण रियायतग्राही को समापन भुगतान के 70% (सत्तर प्रतिशत) के बराबर राशि में से स्वीकृत और भुगतान किए गए बीमा कवर को घटाकर भुगतान करेगा।

35.3.3 समय बीतने के कारण रियायत अवधि की समाप्ति पर समापन होने पर:

(a) प्राधिकरण रियायतग्राही को निम्नलिखित में से जो भी कम हो, उसके 50% (पचास प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान करेगा:

(i) सिटी साइड डेवलपमेंट (City Side Development) का हिस्सा बनने वाली ऐसी परियोजना आस्तियों (Project Assets) का मूल्यहास बुक वैल्यू (depreciated book value), यदि कोई हो, जिन्हें सीओडी (सीओडी) की 30वीं वर्षगांठ तक रियायतग्राही की बहियों (book-के s) में पूंजीकृत (capitalized) किया गया है, और

(ii) सिटी साइड डेवलपमेंट का हिस्सा बनने वाली ऐसी परियोजना आस्तियों का मूल्य, जिन्हें सीओडी (सीओडी) की 30वीं वर्षगांठ तक रियायतग्राही की बहियों में पूंजीकृत किया गया है, जैसा कि एक अनुमोदित मूल्यांकक (Approved Valuer) द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जिसे प्राधिकरण द्वारा स्थानांतरण तिथि (Transfer Date) से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर चुना और नियुक्त किया जाएगा, और जो अपनी नियुक्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर अपना निर्धारण प्रस्तुत करेगा।

(ख) प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को वैमानिक आस्तियों (Aeronautical Assets), गैर-वैमानिक आस्तियों (Non-Aeronautical Assets) (सिटी साइड डेवलपमेंट का हिस्सा बनने वाली आस्तियों को छोड़कर) और स्थानांतरण तिथि पर रियायतग्राही द्वारा प्रगति पर किसी भी कार्य (work-in-progress) के लिए कोई समापन भुगतान नहीं किया जाएगा। संदेह निवारण के लिए, सभी वैमानिक आस्तियां, गैर-वैमानिक आस्तियां (सिटी साइड डेवलपमेंट का हिस्सा बनने वाली आस्तियों को छोड़कर) और प्रगति पर कोई भी कार्य स्थानांतरण तिथि पर रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को निःशुल्क सौंप दिया जाएगा।

35.3.4 पक्षकार (Parties) स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि क्लॉज 27.6, 32.9, 35.3 और 39.3 के अनुसरण में किया गया समापन भुगतान:

(a) आवश्यक विवरणों के साथ रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण से मांग किए जाने के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर देय और भुगतान योग्य (due and payable) हो जाएगा, और किसी भी देरी के मामले में, प्राधिकरण समापन भुगतान की शेष अदत्त राशि पर बैंक दर (Bank Rate) से 3% (तीन प्रतिशत) अधिक की दर से ब्याज का भुगतान करेगा;

(ख) इस समझौते के समापन के कारण रियायतग्राही के सभी दावों का पूर्ण और अंतिम निपटान (full and final settlement) माना जाएगा, और इसके तहत प्राधिकरण के भुगतान दायित्वों का निर्वहन होगा, और रियायतग्राही या कोई भी शेयरधारक के पास किसी भी कानून, संधि, सभागम, अनुबंध या अन्यथा के तहत कोई और अधिकार या दावा नहीं होगा।

35.4 प्राधिकरण के अन्य अधिकार और दायित्व

किसी भी कारण से समापन होने पर, प्राधिकरण:

क. तत्काल हवाई अड्डे का कब्जा और नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा;

ख. साइट पर या उसके आसपास की सभी सामग्रियों, भंडारों (stores), औजारों (implements), निर्माण संयंत्रों (construction plants) और उपकरणों का कब्जा और नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा;

ग. रियायतग्राही (Concessionaire) और रियायतग्राही के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को साइट या परियोजना के किसी भी हिस्से में प्रवेश करने से रोकने का हकदार होगा;

घ. रियायतग्राही से आर्टिकल 36 में निर्धारित विनिवेश आवश्यकताओं (Divestment Requirements) का पालन करने की अपेक्षा करेगा; और

ड. प्राधिकरण द्वारा चुनाव (election) किए जाने पर, रियायतग्राही द्वारा किसी भी प्रकार की आगे की कार्रवाई की आवश्यकता के बिना, रियायतग्राही के ऐसे परियोजना समझौतों (Project Agreements) के हितों में उत्तराधिकारी (succeed) बनेगा, जिन्हें प्राधिकरण अपने विवेक से उचित समझे, और ऐसा चुनाव किए जाने पर, प्राधिकरण ठेकेदारों (Contractors) के प्रति केवल उसी मुआवजे के लिए उत्तरदायी होगा जो उस तारीख से और उसके बाद उनके संबंधित परियोजना समझौतों की शर्तों के तहत देय और भुगतान योग्य (due and payable) होता है, जिस तारीख से प्राधिकरण रियायतग्राही के स्थान पर आने का चुनाव करता है। रियायतग्राही यह स्वीकार करता है और सहमत होता है कि उक्त तिथि से पहले किसी भी कार्य, चूक (omission) या घटना के कारण ऐसे ठेकेदारों द्वारा देय और बकाया होने का दावा की गई सभी राशियाँ, रियायतग्राही और ऐसे ठेकेदारों के बीच एक ऋण (debt) मानी जाएंगी, और प्राधिकरण ऐसी राशियों के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा। आगे यह भी सहमति है कि यदि प्राधिकरण ऐसे परियोजना समझौतों के तहत किसी भी बकाया चूक (outstanding defaults) को सुधारने का चुनाव करता है, तो इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा खर्च की गई राशि को समापन भुगतान (termination payment) से काट लिया जाएगा।

35.5 अधिकारों का बने रहना / उत्तरजीविता

इस समझौते में इसके विपरीत किसी भी बात के होने के बावजूद, लेकिन क्लॉज 35.3 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, इस समझौते के अनुसरण में कोई भी समापन (Termination), दोनों में से किसी भी पक्षकार के अर्जित अधिकारों (accrued rights) पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, जिसमें धन के रूप में हर्जाने (money damages), बीमा प्राप्तियों (insurance proceeds), सुरक्षा जमा (security deposits) और अन्य अधिकारों और उपचारों का दावा करने और उन्हें वसूलने का अधिकार शामिल है, जो उनके पास कानून या अनुबंध के तहत हो सकते हैं। इस समझौते के तहत किसी भी पक्षकार के सभी अधिकार और दायित्व, जिनमें समापन भुगतान और विनिवेश आवश्यकताएं शामिल हैं, समापन के बाद भी उस सीमा तक बने रहेंगे (survive), जिस सीमा तक ऐसे अधिकारों और दायित्वों को प्रभावी करने के लिए ऐसा बने रहना आवश्यक हो।

अनुच्छेद 36. अधिकारों और हितों का विनिवेश

36.1 विनिवेश आवश्यकताएँ

36.1.1 समापन होने पर, रियायतग्राही निम्नलिखित विनिवेश आवश्यकताओं का पालन और अनुपालन करेगा :

(a) तत्काल प्राधिकरण को सभी परियोजना आस्तियों (Project Assets) के स्थान और विवरण के बारे में सूचित करेगा;

(ख) तत्काल प्राधिकरण को हवाई अड्डे का वास्तविक या निर्माणकारी कब्ज़ा सौंपेगा, जो सभी भारों/विल्लंगमों से मुक्त और साफ होगा, बशर्ते कि प्रतिस्थापन समझौते में दी गई सीमा तक छूट प्राप्त हो;

(ग) सभी परियोजना आस्तियों के दोषों और कमियों को इस प्रकार सुधारेगा ताकि हवाई अड्डा इस समझौते के अनुरूप हो जाए, बशर्ते कि विकास अवधि (Development Period) के दौरान समापन होने की स्थिति में, सभी परियोजना आस्तियों को सुरक्षित स्थिति में लाने के बाद "जैसा है जहाँ है" ("as is where is") के आधार पर सौंप दिया जाएगा;

(घ) हवाई अड्डे और उसके संचालन, प्रबंधन, डिजाइन, इंजीनियरिंग और विकास से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड, रिपोर्ट, बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) और अन्य लाइसेंस सौंपेगा और स्थानांतरित करेगा, जिसमें मास्टर प्लान और उससे संबंधित सभी कार्यक्रम और मैनुअल, और स्थानांतरण तिथि (Transfer Date) तक के पूर्ण "यथा विनिर्मित" ("as built") चित्र (Drawings) शामिल हैं। रियायतग्राही यह प्रतिनिधित्व और वारंटी देता है कि इसके तहत सौंपी गई बौद्धिक संपदा हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन, डिजाइन, इंजीनियरिंग और विकास के लिए पर्याप्त और पूर्ण होगी और प्राधिकरण को किसी भी भार से मुक्त सौंपी जाएगी;

(e) लागू कानूनों (Applicable Laws) के तहत अनुमय सीमा तक सभी लागू परमिट (Applicable Permits) स्थानांतरित और सुपुर्द करेगा;

(f) हस्तांतरण (conveyance) के ऐसे विलेखों (deeds), दस्तावेजों और अन्य लेखों को निष्पादित (execute) करेगा जिनकी प्राधिकरण को परियोजना आस्तियों में रियायतग्राही के सभी अधिकारों, मालिकाना हक (title) और हितों को प्राधिकरण को हस्तांतरित करने, विनिवेश करने और सौंपने के लिए आवश्यकता हो, जिसमें किसी भी संयंत्र या उपकरण के संबंध में निर्माताओं की वारंटी और बीमा दावों को प्राप्त करने का अधिकार शामिल है, जो प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य सीमा तक, पूर्ण रूप से प्राधिकरण या उसके नामांकित व्यक्ति (nominee) के पक्ष में होगा; और

(g) उन सभी अन्य आवश्यकताओं का पालन करेगा जो हवाई अड्डे में रियायतग्राही के सभी अधिकारों, मालिकाना हक और हितों के विनिवेश और हस्तांतरण को पूरा करने के लिए लागू कानूनों के तहत निर्धारित या आवश्यक हों, जो सभी भारों से मुक्त, पूर्ण रूप से प्राधिकरण या उसके नामांकित व्यक्ति के पक्ष में होगा।

36.1.2 प्राधिकरण द्वारा इस समझौते के तहत अपने अधिकारों के प्रयोग या किसी तीसरे पक्ष द्वारा रियायतग्राही के किसी भी दायित्व के निष्पादन को निष्पादित करने या प्राप्त करने के लिए किसी भी परियोजना समझौते के अधीन रहते हुए, पक्षकार इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन करना जारी रखेंगे, भले ही कोई समापन नोटिस (Termination Notice) जारी किया गया हो, जब तक कि इस समझौते का समापन इसकी शर्तों के अनुसार प्रभावी न हो जाए।

36.2 निरीक्षण और सुधार

समापन से 90 (नब्बे) दिन पहले से पहले नहीं, लेकिन ऐसे समापन की प्रभावी तिथि से 15 (पंद्रह) दिन पहले के बाद नहीं, प्राधिकरण या उसका कोई भी नामांकित व्यक्ति, रियायतग्राही को उचित सूचना देने के बाद, जिसमें ऐसे सत्यापन और/या निरीक्षण का समय, तिथि और स्थान निर्दिष्ट होगा, रियायतग्राही द्वारा इस समझौते की शर्तों के अनुपालन का सत्यापन करेगा, और यदि आवश्यक हो, तो रियायतग्राही की लागत पर इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त परीक्षण आयोजित कराएगा। चूक, यदि कोई हो, तो उसे रियायतग्राही द्वारा अपनी लागत पर सुधारा जाएगा और अनुच्छेद 37 के प्रावधान इस आर्टिकल 36 के तहत दोषों या कमियों को सुधारने के संबंध में, आवश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

36.3 परियोजना के हस्तांतरण पर सहयोग और सहायता

36.3.1 पक्षकार (Parties) सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर एक-दूसरे का सहयोग करेंगे और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार परियोजना के सुचारू हस्तांतरण को प्राप्त करने के लिए सद्भावना से सभी आवश्यक कदम उठाएंगे, ताकि उपयोगकर्ताओं, जनता के अन्य सदस्यों या साइट के किसी भी हिस्से के वैध अधिभोगियों (lawful occupiers) को होने वाली किसी भी अनुचित देरी या असुविधा से बचा जा सके और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

36.3.2 पक्षकार, समय बीतने के कारण समापन होने की स्थिति में स्थानांतरण तिथि से 9 (नौ) महीने पहले, और किसी भी पक्षकार द्वारा समापन नोटिस जारी करने के इरादे की सूचना देने की स्थिति में तुरंत, एक-दूसरे को स्थानांतरण तिथि के बाद हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए प्रस्तावित व्यवस्थाओं के संबंध में व्यावहारिक रूप से यथासंभव जानकारी और सलाह प्रदान करेंगे। रियायतग्राही ऐसी उचित सलाह और सहायता प्रदान करना जारी रखेगा जो प्राधिकरण, इसके रियायतग्राही या एजेंट स्थानांतरण तिथि के बाद 6 (छह) महीने की समाप्ति तक परियोजना के संचालन के लिए उचित रूप से मांग कर सकते हैं।

36.3.3 प्राधिकरण के पास रियायतग्राही से उचित बाजार मूल्य पर और किसी भी भार/विलंबन से मुक्त, परियोजना के संबंध में उपयोग किए जाने वाले ऐसे सभी या किसी भी संयंत्र और मशीनरी को खरीदने या किराए पर लेने का विकल्प होगा, जो क्लॉज 36.1.1 में निर्दिष्ट परियोजना आस्तियों का हिस्सा नहीं हैं और जो परियोजना के संचालन के संबंध में उचित रूप से आवश्यक हैं।

36.4 निहितीकरण प्रमाणपत्र

हवाई अड्डे में सभी अधिकारों, मालिकाना हक (title) और हितों का विनिवेश उस तारीख को पूर्ण माना जाएगा जब सभी विनिवेश आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हों, और प्राधिकरण बिना किसी अनुचित देरी के, अनुसूची 'ओ' ('Schedule O') में निर्धारित प्रारूप में एक प्रमाणपत्र जारी करेगा ("निहितीकरण प्रमाणपत्र"), जिसका प्रभाव हवाई अड्डे में रियायतग्राही के सभी अधिकारों, मालिकाना हक और हितों के विनिवेश का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा, और इसके परिणामस्वरूप उनका प्राधिकरण में निहित होना माना जाएगा। यह स्पष्ट रूप से सहमति है कि विनिवेश आवश्यकताओं में कोई भी दोष या कमी किसी भी तरह से प्राधिकरण या उसके नामित (nominee)

द्वारा हवाई अड्डे पर, या उसके संबंध में, किसी भी अधिकार के प्रयोग को इस आधार पर प्रतिबंधित या सीमित नहीं करेगी कि रियायतग्राही द्वारा सभी विनिवेश आवश्यकताओं का अनुपालन कर दिया गया है।

36.5 विनिवेश लागत, आदि

36.5.1 रियायतग्राही, समापन (Termination) पर प्राधिकरण के पक्ष में परियोजना आस्तियों में सभी अधिकारों, मालिकाना हक और हितों के विनिवेश से जुड़े सभी आनुषंगिक (incidental) खर्चों और लागतों को वहन और भुगतान करेगा, जिसमें इस तरह के विनिवेश के संबंध में रियायतग्राही द्वारा निष्पादित किसी भी विलेख (deeds) या दस्तावेजों पर देय सभी स्टॉप शुल्क (stamp duties) शामिल हैं।

36.5.2 इस आर्टिकल 36 के अंतर्गत आने वाले मामलों से संबंधित किसी भी विवाद (Dispute) की स्थिति में, विवाद समाधान प्रक्रिया (Dispute Resolution Procedure) लागू होगी।

अनुच्छेद 37. समाप्ति के पश्चात् त्रुटि दायित्व

37.1 समाप्ति के पश्चात् त्रुटियों के लिए दायित्व

रियायतग्राही, समाप्ति के पश्चात् 120 (एक सौ बीस) दिनों की अवधि के लिए हवाई अड्डे में सभी त्रुटियों और कमियों के लिए उत्तरदायी होगा, और उक्त अवधि के दौरान प्राधिकरण (Authority) द्वारा हवाई अड्डे में देखी गई सभी त्रुटियों और कमियों को अपनी लागत पर सुधारने या ठीक करने के लिए बाध्य होगा। यदि रियायतग्राही प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जारी नोटिस की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि के भीतर ऐसी त्रुटि या कमी को सुधारने या ठीक करने में विफल रहता है, तो प्राधिकरण उक्त त्रुटि को सुधारवाने या ठीक करवाने का हकदार होगा और इसकी लागत रियायतग्राही के जोखिम और लागत पर होगी ताकि हवाई अड्डा मुख्य निष्पादन संकेतकों (-के ey Performance Indicators) और इस समझौते की शर्तों के अनुरूप हो सके। प्राधिकरण द्वारा इसके अधीन की गई सभी लागतों की प्रतिपूर्ति रियायतग्राही द्वारा मांग की प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण को की जाएगी, और ऐसी लागतों की प्रतिपूर्ति करने में चूक होने की स्थिति में, प्राधिकरण धारा 37.2 के प्रावधानों के तहत या इसके अधीन प्रदान की गई निष्पादन गारंटी से एस्क्रो खाते में रोकी गई धनराशि से इसे वसूल करने का हकदार होगा।

37.2 एस्क्रो खाते में प्रतिधारण

37.2.1 इस समझौते में किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, लेकिन धारा 37.2.3 के प्रावधानों के अधीन, हस्तांतरण तिथि से ठीक पहले के लेखा वर्ष के लिए रियायतग्राही की परीक्षित खाता बहियों अनुसार कुल कर-पूर्व सकल राजस्व के 5% (पाँच प्रतिशत) के बराबर की राशि, धारा 35 के प्रावधानों के संबंध में उत्पन्न होने वाले दायित्वों, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए समाप्ति के पश्चात् 120 (एक सौ बीस) दिनों की अवधि के लिए एस्क्रो खाते में रोक कर रखी जाएगी।

37.2.2 धारा 37.2.1 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण स्वयं, या अपने नामित व्यक्ति के माध्यम से, समाप्ति से पहले 210 (दो सौ दस) और 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के बीच किसी भी समय हवाई अड्डे का निरीक्षण करेगा, और यदि वह यह सिफारिश करता है कि हवाई अड्डे की स्थिति ऐसी है कि धारा 37.2.1 में निर्धारित राशि से अधिक की राशि एस्क्रो खाते में रोकी जानी चाहिए और उक्त 120 (एक सौ बीस) दिनों से अधिक की अवधि के लिए रोकी जानी चाहिए, तो प्राधिकरण या स्वतंत्र अभियंता द्वारा अनुशंसित राशि को उसके द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए एस्क्रो खाते में रोक कर रखा जाएगा।

37.2.3 रियायतग्राही, इस अनुच्छेद 37 के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए, प्राधिकरण को धारा 37.2.1 या धारा 37.2.2 के तहत निर्धारित राशि के बराबर की राशि के लिए किसी बैंक से गारंटी प्रदान कर सकता है, जैसी भी स्थिति हो, और उसमें निर्दिष्ट अवधि के लिए, जो काफी हद तक अनुसूची ई ("निष्पादन गारंटी") में निर्धारित प्रारूप में होगी, इस उद्देश्य के लिए आवश्यक परिवर्तनों सहित संशोधित की जाएगी, और प्राधिकरण, कानून में या इसके तहत अपने अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही के जोखिम और लागत पर मरम्मत या सुधार करने के लिए निष्पादन गारंटी से आवश्यक राशि को भुनाने (encash) और विनियोजित (appropriate) करने का हकदार होगा। इस धारा 37.2.3 के तहत निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने पर, धारा 37.2.1 या धारा 37.2.2 के प्रावधानों के अनुसार एस्क्रो खाते में धन का प्रतिधारण, जैसी भी स्थिति हो, समाप्त कर दिया जाएगा।

भाग VI

अन्य प्रावधान

अनुच्छेद 38. समनुदेशन और प्रभार

38.1 समनुदेशन और प्रभारों पर निबंधन / प्रतिबंध

38.1.1 धारा 38.2 और धारा 38.3 के अधीन रहते हुए, यह समझौता रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण (Authority) की लिखित पूर्व सहमति के बिना किसी भी व्यक्ति को संवितरित नहीं किया जाएगा, और प्राधिकरण ऐसी सहमति को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार रखेगा।

38.1.2 धारा 38.2 और धारा 25.6 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, रियायतग्राही इस समझौते के तहत अपने किसी भी या सभी अधिकारों और लाभों, या किसी भी परियोजना समझौते जिसमें रियायतग्राही एक पक्षकार है, पर कोई विल्लंगम/भार (Encumbrance) सृजित नहीं करेगा और न ही रहने देगा, और न ही अन्यथा उसे हस्तांतरित या व्ययनित (dispose of) करेगा।

38.2 अनुमत समनुदेशन और प्रभार

धारा 38.1 में निर्धारित प्रतिबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे :

(a) हवाई अड्डे के सामान्य व्यवसाय के दौरान लागू कानूनों के प्रवर्तन द्वारा (या उसी को प्रमाणित करने वाले किसी समझौते द्वारा) उत्पन्न होने वाले धारणाधिकार (liens);

(ख) हवाई अड्डे के सामान्य व्यवसाय के दौरान सृजित या उत्पन्न परियोजना आस्तियों (प्राप्य राशियों को छोड़कर) और उनके हक-दस्तावेजों (documents of title) का दृष्टिबंधन/गिरवी (hypothecation/pledge), जो कि वित्तपोषण समझौतों (Financing Agreements) के तहत वरिष्ठ ऋणदाताओं (Senior Lenders) के प्रति ऋणग्रस्तता की सुरक्षा के रूप में और हवाई अड्डे के लिए कार्यशील पूंजी (working capital) की व्यवस्था के लिए हो। वरिष्ठ ऋणदाता इस समझौते के तहत प्राधिकरण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एस्करो खाते (Escrow Account) पर एक प्रभार/धारणाधिकार (lien) सृजित करने के हकदार होंगे; और

(ग) वित्तपोषण समझौतों के तहत वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा प्रदान किए गए वित्तपोषण की सुरक्षा के रूप में, प्रतिस्थापन समझौते (Substitution Agreement) के अनुसार और उस सीमा तक, वरिष्ठ ऋणदाताओं के लाभ के लिए और उनके नामांकित व्यक्ति के रूप में ऋणदाता प्रतिनिधि (Lenders' Representative) के पक्ष में या उसके प्रति रियायतग्राही के अधिकारों, हितों और दायित्वों का समनुदेशन।

38.3 प्रतिस्थापन समझौता

38.3.1 ऋणदाता प्रतिनिधि, वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से, रियायतग्राही के प्रतिस्थापन के लिए समझौते ("प्रतिस्थापन समझौता") के अनुसार रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने के अधिकार का प्रयोग कर सकता है; यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिस्थापन समझौता रियायतग्राही द्वारा अनुरोध किए जाने पर ऐसे समय में किया जाएगा, और यह रियायतग्राही, प्राधिकरण और वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से ऋणदाता प्रतिनिधि के बीच निष्पादित किया जाएगा, जो काफी हद तक अनुसूची पी में निर्धारित प्रारूप में होगा। बशर्ते कि, यदि ऋणदाता प्रतिनिधि के माध्यम से कार्य कर रहे वरिष्ठ ऋणदाता, प्रतिस्थापन समझौते की शर्तों के अनुसार किसी नामांकित

कंपनी के साथ रियायतग्राही की पहचान करने या उसे प्रतिस्थापित करने में असमर्थ रहते हैं, तो प्राधिकरण को प्रतिस्थापन समझौते के उद्देश्यों के लिए रियायतग्राही को एक नामांकित कंपनी से प्रतिस्थापित करने का अधिकार होगा, और नामांकित कंपनी के प्रति किसी भी संदर्भ का अर्थ प्राधिकरण समझा जाएगा तथा प्रतिस्थापन समझौते के अन्य सभी नियमों और शर्तों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

38.3.2 प्रतिस्थापन समझौते के तहत और उसके अनुसार रियायतग्राही के प्रतिस्थापन पर, रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने वाली नामांकित कंपनी को इस समझौते के तहत रियायतग्राही माना जाएगा और वह इस समझौते के तहत रियायतग्राही के सभी अधिकारों का लाभ लेगी और सभी दायित्वों के लिए उत्तरदायी होगी मानो वह स्वयं रियायतग्राही हो; बशर्ते कि जहाँ रियायतग्राही ऐसे प्रतिस्थापन की तारीख पर इस समझौते के उल्लंघन में है, वहाँ प्राधिकरण लिखित नोटिस द्वारा रियायतग्राही को ऐसे उल्लंघन को सुधारने के लिए **120 (एक सौ बीस) दिनों** की उपचार अवधि प्रदान करेगा।

38.4 प्राधिकरण द्वारा समनुदेशन

इस समझौते में किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, प्राधिकरण, रियायतग्राही को **60 (साठ) दिनों** का लिखित नोटिस देकर, इस समझौते के तहत अपने किसी भी अधिकार और लाभ और/या दायित्वों को किसी ऐसे समनुदेशिनी (assignee) को समनुदेशित और/या स्थानांतरित कर सकता है, जो प्राधिकरण की उचित राय में, इस समझौते के तहत प्राधिकरण के तत्कालीन बकाया दायित्वों को पूरा करने में सक्षम हो।

38.5 हस्तक्षेप के अधिकार

38.5.1 किसी आपातकालीन स्थिति (जैसा कि प्राधिकरण द्वारा, स्व विवेकाधीन, लिखित रूप में सूचित किया जाए) की स्थिति में, प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह रियायतग्राही के स्थान पर हवाई अड्डे का नियंत्रण अस्थायी रूप से स्वयं या किसी नामित सरकारी निकाय के माध्यम से अपने हाथ में ले ले। उस अवधि के दौरान जिसमें हवाई अड्डे पर नियंत्रण प्राधिकरण या नामित सरकारी निकाय द्वारा ग्रहण किया जाता है, प्राधिकरण को इस समझौते के तहत रियायतग्राही के दायित्वों को पूरा करने के उद्देश्य से उस सीमित अवधि के लिए रियायतग्राही माना जाएगा। रियायतग्राही के कर्तव्य और दायित्व उस अवधि के दौरान निलंबित रहेंगे और प्राधिकरण या उसका नामित सरकारी निकाय इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे का संचालन और रखरखाव करेगा। बशर्ते, हालांकि, उपरोक्त आपात स्थिति और उसके किसी भी प्रभाव की समाप्ति के 7 (सात) दिनों के भीतर, या ऐसी लंबी समयावधि के भीतर जो आपात स्थिति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित हो, प्राधिकरण या उसका नामित सरकारी निकाय, जैसी भी स्थिति हो, हवाई अड्डे को (उस तारीख की स्थिति के अनुसार) रियायतग्राही को वापस सौंप देगा, ताकि वह यहाँ निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार इसका संचालन और प्रबंधन कर सके।

38.5.2 ऐसी अवधि के दौरान प्राधिकरण या उसके नामित सरकारी निकाय द्वारा वैमानिक सेवाओं (या गैर-वैमानिक सेवाओं के प्रावधान के संबंध में उद्ग्रहीत एकत्र किए गए कोई भी प्रभार, प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के लिए और उसकी ओर से रखे जाएंगे और नीचे दी गई धारा 38.5.3 के अधीन रियायतग्राही को दिए जाएंगे।

38.5.3 रियायतग्राही, प्राधिकरण या उसके नामित सरकारी निकाय, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा हवाई अड्डे के संचालन और रखरखाव से संबंधित हस्तक्षेप की अवधि के दौरान की गई किसी भी और सभी लागतों और खर्चों की प्रतिपूर्ति (reimburse) करेगा और उसके लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा, जिन लागतों और खर्चों को प्राधिकरण या उसके नामित सरकारी निकाय द्वारा ऊपर दी गई धारा 38.5.2 के तहत प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को देय राशियों में से समायोजित किया जा सकता है।

38.5.4 यदि हस्तक्षेप की अवधि **3 (तीन) महीने** से अधिक हो जाती है, तो इसे धारा 32.4 के तहत एक राजनीतिक अपरिहार्य घटना माना जाएगा और तदनुसार इसके साथ निपटा जाएगा।

अनुच्छेद 39. नियामक दर्शन में परिवर्तन

39.1 यह स्पष्ट किया जाता है कि, इस समझौते में किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, वाणिज्यिक संचालन तिथि से 7 (सात) वर्षों की समाप्ति के पश्चात नियामक दर्शन में परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न होने पर, पक्षकार संयुक्त रूप से एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष को यह निर्धारित करने के लिए नियुक्त करेंगे कि क्या ऐसा परिवर्तन रियायतग्राही पर कोई तात्त्विक प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, जिससे होने वाला वित्तीय बोझ या नुकसान **रु. 5,00,00,000/- (रुपये पाँच करोड़)** और ठीक पूर्ववर्ती लेखा वर्ष में रियायतग्राही की परीक्षित खाता बहियों के अनुसार कर-पूर्व सकल राजस्व के **0.5% (शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत)** में से जो भी अधिक हो, उससे अधिक है ।

39.2 यदि ऐसा तीसरा पक्ष यह निर्धारित करता है कि उक्त परिवर्तन से रियायतग्राही पर तात्त्विक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो पक्षकार इस समझौते में संशोधनों पर चर्चा करने और सहमति व्यक्त करने के लिए बैठक करेंगे ताकि रियायतग्राही को उसी वित्तीय स्थिति में रखा जा सके जो उसे तब प्राप्त होती यदि ऐसा कोई परिवर्तन न हुआ होता । पक्षकारों की बैठक के 30 (तीस) दिनों के भीतर ऐसा कोई समझौता न होने की स्थिति में, रियायतग्राही को अपने विवेकाधिकार से 30 (तीस) दिनों का नोटिस देकर इस समझौते को समाप्त करने की अनुमति होगी ।

39.3 ऐसी समाप्ति पर, प्राधिकरण रियायतग्राही को समाप्ति भुगतान के 70% (सत्तर प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

अनुच्छेद 40. दायित्व और क्षतिपूर्ति

40.1 सामान्य क्षतिपूर्ति

40.1.1 रियायतग्राही, प्राधिकरण और उसके अधिकारियों, कर्मचारियों, सेवकों, एजेंटों, सरकारी निकायों, नामित भारत सरकार की एजेंसियों और प्राधिकरण के स्वामित्व और/या नियंत्रण वाली संस्थाओं/उद्यमों (जिन्हें सामूहिक रूप से "सरकारी क्षतिपूरित व्यक्ति" कहा जाएगा) को तीसरे पक्षों के किसी भी और सभी वादों, कार्यवाहियों, दावों, मांगों और मुकदमों के विरुद्ध पूर्णतः क्षतिपूरित रखेगा, उनका बचाव करेगा, उन्हें सुरक्षित और हानिरहित रखेगा, जो किसी भी प्रकार की हानि, क्षति, लागत और व्यय से संबंधित हों, चाहे वे रियायतग्राही द्वारा इस समझौते या किसी संबंधित समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व के उल्लंघन के कारण उत्पन्न हुए हों, या दायित्वों के निष्पादन में रियायतग्राही की किसी भी त्रुटि या कमी के कारण उत्पन्न हुए हों, या अनुबंध या अपकृत्य के तहत रियायतग्राही की किसी लापरवाही के कारण, या धोखाधड़ी या लापरवाही के आधार पर, या किसी भी अन्य आधार पर उत्पन्न हुए हों; बशर्ते कि जहाँ ऐसे वाद, कार्यवाहियाँ, दावे और मांगें सरकारी क्षतिपूरित व्यक्तियों की ओर से किसी जानबूझकर किए गए लापरवाहीपूर्ण कृत्य, चूक, या इस समझौते के उल्लंघन या व्यतिक्रम के कारण उत्पन्न हुई हों, वहाँ यह लागू नहीं होगा।

40.1.2 धारा 10.3.6 के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण रियायतग्राही को तीसरे पक्षों के किसी भी और सभी वादों, कार्यवाहियों, दावों और मांगों के विरुद्ध क्षतिपूरित करेगा, उसका बचाव करेगा, उसे सुरक्षित और हानिरहित रखेगा, जो किसी भी प्रकार की हानि, क्षति, लागत और व्यय से संबंधित हों और जो निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न हुए हों: (a) स्थल में शामिल भूमि में प्राधिकरण के हक (title) में कोई दोष और/या अधिकारों में दोष, और/या (ख) प्राधिकरण द्वारा इस समझौते या किसी संबंधित समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व का उल्लंघन, जो इस समझौते के तहत रियायतग्राही के दायित्वों के निष्पादन को तात्त्विक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है; सिवाय और बशर्ते कि जहाँ ऐसा कोई दावा, वाद, कार्यवाही, कृत्य और/या मांग रियायतग्राही, उसकी सहायक कंपनियों, साझेदार, ठेकेदारों, सेवकों या एजेंटों की ओर से इस समझौते के किसी भी प्रावधान के तहत अपने दायित्वों के लापरवाहीपूर्ण कृत्य या चूक, या उल्लंघन, और/या वैधानिक कर्तव्य के उल्लंघन के कारण उत्पन्न हुई हो, वहाँ यह रियायतग्राही का दायित्व होगा।

40.2 रियायतग्राही द्वारा क्षतिपूर्ति

40.2.1 अनुच्छेद 37 की व्यापकता को सीमित किए बिना, रियायतग्राही निम्नलिखित के संबंध में या उनके कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी और सभी हानि और/या क्षति के विरुद्ध प्राधिकरण और सरकारी क्षतिपूरित व्यक्तियों को पूर्णतः क्षतिपूरित करेगा, हानिरहित रखेगा और उनका बचाव करेगा:

(a) रियायतग्राही द्वारा लागू कानूनों और लागू अनुमतियों का पालन करने में विफलता;

(ख) रियायतग्राही के ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और प्रतिनिधियों की आय या अन्य करों के संबंध में रियायतग्राही द्वारा किए जाने वाले आवश्यक करों का भुगतान; या

(ग) रियायतग्राही या उसके किसी ठेकेदार को प्रदान की गई सामग्रियों या सेवाओं के परिणामस्वरूप देय राशियों का गैर-भुगतान, जो रियायतग्राही या उसके किसी ठेकेदार द्वारा देय हैं।

40.2.2 इस अनुच्छेद 40 के प्रावधानों की व्यापकता को सीमित किए बिना, रियायतग्राही प्राधिकरण और सरकारी क्षतिपूरित व्यक्तियों को उन सभी वादों, कार्यवाहियों, कृत्यों, दावों, मांगों, देनदारियों और क्षतियों के विरुद्ध पूर्णतः क्षतिपूरित करेगा, हानिरहित रखेगा और उनका बचाव करेगा, जो सरकारी क्षतिपूरित व्यक्तियों को इसके बाद भुगतान पड़ सकते हैं, या जो पेटेंट अधिकारों, कॉपीराइट या अन्य बौद्धिक संपदा, स्वामित्व या गोपनीयता अधिकारों के उल्लंघन के दावों से उत्पन्न किसी भी मांग, दावे, वाद या कार्यवाही के कारण हों, जो रियायतग्राही द्वारा या ठेकेदारों द्वारा रियायतग्राही के दायित्वों को पूरा करने में या परियोजना से संबंधित किसी भी तरह से उपयोग की गई या शामिल की गई किसी भी सामग्री, सूचना, डिजाइन, योजना या प्रक्रिया के संबंध में हों। यदि ऐसे किसी वाद, कार्यवाही, दावे या मांग में, कोई अस्थायी निषेधाज्ञा या प्रारंभिक व्यादेश दिया जाता है, तो रियायतग्राही संतोषजनक बांड देकर या अन्यथा, व्यादेश या निषेधाज्ञा आदेश को रद्द या निलंबित कराने के लिए हर उचित प्रयास करेगा। यदि ऐसे किसी वाद, कार्यवाही, दावे या मांग में, हवाई अड्डा, या उसका कोई भाग या उसमें शामिल कोई अंश, उल्लंघन का दोषी पाया जाता है और उसका उपयोग स्थायी रूप से प्रतिषिद्ध कर दिया जाता है, तो रियायतग्राही, प्राधिकरण के लिए बिना किसी लागत के एक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए तुरंत हर उचित प्रयास करेगा, जो प्राधिकरण को उल्लंघनकारी कार्य के निरंतर उपयोग के लिए अधिकृत करे। यदि रियायतग्राही निर्धारित समय के भीतर ऐसा लाइसेंस प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, तो रियायतग्राही अपने स्वयं के खर्च पर, और विनिर्देशों और मानकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, या तो प्रभावित कार्य, या उसके भाग, या प्रक्रिया को गैर-उल्लंघनकारी कार्य या भाग या प्रक्रिया से प्रतिस्थापित करेगा, या उसमें इस प्रकार संशोधन करेगा कि वह गैर-उल्लंघनकारी बन जाए।

40.3 दावों की सूचना और प्रतिवाद

इस घटना में कि किसी भी पक्षकार को किसी तीसरे पक्ष से ऐसा कोई दावा या मांग प्राप्त होती है जिसके संबंध में वह इस अनुच्छेद 40 के तहत क्षतिपूर्ति का लाभ पाने का हकदार है ("क्षतिपूरित पक्षकार"), तो वह दावा या मांग प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर दूसरे पक्षकार ("क्षतिपूर्तिदाता पक्षकार") को सूचित करेगा और क्षतिपूर्तिदाता पक्षकार की पूर्व स्वीकृति के बिना दावे का निपटारा या भुगतान नहीं करेगा, जिस स्वीकृति को बिना किसी उचित कारण के रोका या विलंबित नहीं किया जाएगा। इस घटना में कि क्षतिपूरित पक्षकार दावे या मांग का प्रतिवाद या विरोध करना चाहता है, वह क्षतिपूरित पक्षकार के नाम पर कार्यवाही का संचालन कर सकता है, बशर्ते कि क्षतिपूरित पक्षकार को उसकी उचित संतुष्टि के अनुसार इसमें शामिल किसी भी लागत के विरुद्ध सुरक्षित किया गया हो।

40.4 दावों का बचाव

40.4.1 क्षतिपूर्तिदाता पक्षकार को अधिकार होगा, लेकिन दायित्व नहीं होगा, कि वह तीसरे पक्ष द्वारा ऐसे पक्षकार के विरुद्ध आरोपित या किए गए किसी भी दावे, कृत्य, वाद या कार्यवाही का प्रतिवाद करे, बचाव करे और मुकदमा लड़े, जो कि यहाँ के तहत क्षतिपूर्ति के हकदार किसी भी मामले से संबंधित हो, उसके परिणामस्वरूप हो या उससे उत्पन्न हुआ हो, और उसकी उचित लागत और खर्च इसके बाद क्षतिपूर्तिदाता पक्षकार द्वारा वहन किए जाएंगे। यदि क्षतिपूर्तिदाता पक्षकार लिखित रूप में इस अनुच्छेद 40 द्वारा प्रदान की गई पूरी सीमा तक नुकसान के लिए क्षतिपूरित पक्षकार को क्षतिपूर्ति करने के अपने दायित्व को स्वीकार करता है, तो क्षतिपूर्तिदाता पक्षकार अपने विकल्प पर, ऐसे दावे, कृत्य, वाद या कार्यवाही के बचाव का नियंत्रण और संचालन अपने खर्च पर

और अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से क्षतिपूरित पक्षकार के नाम पर करने का हकदार होगा; बशर्ते कि वह बचाव का नियंत्रण हाथ में लेने से पहले क्षतिपूरित पक्षकार को ऐसा करने के अपने इरादे की त्वरित लिखित सूचना दे और क्षतिपूरित पक्षकार को बचाव का नियंत्रण हाथ में लेने से पहले उसके द्वारा किए गए उचित दावों और खर्चों की प्रतिपूर्ति करे। क्षतिपूरित पक्षकार, क्षतिपूर्तिदाता पक्षकार की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी दावे, मांग, कृत्य, वाद या कार्यवाही का निपटारा या समझौता करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि क्षतिपूर्तिदाता पक्षकार, क्षतिपूरित पक्षकार द्वारा तर्कसंगत रूप से आवश्यक सुरक्षा प्रदान न करे ताकि यहाँ के तहत होने वाले नुकसान को समझौता या निपटान की सीमा तक सुरक्षित किया जा सके।

40.4.2 यदि क्षतिपूर्तिदाता पक्षकार ने धारा 40.3 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग किया है, तो क्षतिपूरित पक्षकार क्षतिपूर्तिदाता पक्षकार की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी दावे, कृत्य, वाद या कार्यवाही का निपटारा या समझौता करने का हकदार नहीं होगा (जिस सहमति को बिना किसी उचित कारण के रोका या विलंबित नहीं किया जाएगा)।

40.4.3 यदि क्षतिपूर्तिदाता पक्षकार धारा 40.3 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करता है, तो क्षतिपूरित पक्षकार को फिर भी अपना स्वयं का वकील नियुक्त करने का अधिकार होगा, और ऐसा वकील ऐसी कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन ऐसे वकील की फीस और खर्च क्षतिपूरित पक्षकार के खर्च पर होंगे, जब और जैसे वे उत्पन्न हों, बशर्ते कि:

(a) ऐसे पक्षकार द्वारा वकील की नियुक्ति को क्षतिपूर्तिदाता पक्षकार द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किया गया हो;

(ख) क्षतिपूरित पक्षकार ने तर्कसंगत रूप से यह निष्कर्ष निकाला हो कि ऐसी कार्रवाई के बचाव के संचालन में क्षतिपूर्तिदाता पक्षकार और क्षतिपूरित पक्षकार के बीच हितों का टकराव हो सकता है।

(ग) क्षतिपूर्तिदाता पक्षकार ने वास्तव में, ऐसी कार्रवाई के बचाव को संभालने के लिए क्षतिपूरित पक्षकार के लिए तर्कसंगत रूप से संतोषजनक स्वतंत्र वकील नियुक्त न किया हो, और क्षतिपूरित पक्षकार को क्षतिपूर्तिदाता पक्षकार द्वारा इस प्रकार अधिसूचित किया गया हो; या

(घ) क्षतिपूरित पक्षकार ने तर्कसंगत रूप से यह निष्कर्ष निकाला हो और विशेष रूप से क्षतिपूर्तिदाता पक्षकार को निम्नलिखित में से किसी एक के बारे में अधिसूचित किया हो:

(i) कि उसके पास विशिष्ट बचाव उपलब्ध हो सकते हैं जो क्षतिपूर्तिदाता पक्षकार के पास उपलब्ध बचावों से भिन्न या उनके अतिरिक्त हैं; या

(ii) कि इस तरह के दावे, कार्रवाई, वाद या कार्यवाही में ऐसा कोई तात्त्विक प्रतिकूल प्रभाव शामिल है या हो सकता है जो इस समझौते के दायरे से परे हो:

बशर्ते कि यदि इस धारा 40.4.3 के उप-खंड (ख) , (ग) या (घ) लागू होते हैं, तो क्षतिपूरित पक्षकार को क्षतिपूरित पक्षकार की ओर से ऐसे दावे, मांग, कार्रवाई, वाद या कार्यवाही के बचाव को निर्देशित करने का अधिकार होगा, और ऐसे वकील की उचित फीस और संवितरण यहाँ कानूनी या अन्य खर्चों का हिस्सा माने जाएंगे।

40.5 परिणामी दावों का न होना

इस अनुच्छेद 40 में किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, यहाँ प्रदान की गई क्षतिपूर्तियों में अप्रत्यक्ष, आनुषंगिक या परिणामी प्रकृति की किसी भी लागत, व्यय, हानि या क्षति के संबंध में कोई दावा या वसूली शामिल नहीं होगी, जिसमें लाभ की हानि भी शामिल है, सिवाय इसके कि जैसा इस समझौते में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया हो।

40.6 समाप्ति के पश्चात् उत्तरजीविता

इस अनुच्छेद 40 के प्रावधान समाप्ति के पश्चात् भी प्रभावी/उत्तरजीवी रहेंगे।

अनुच्छेद 41. विवाद समाधान

41.1 विवाद समाधान

41.1.1 इस समझौते के तहत या इसके संबंध में पक्षकारों के बीच उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकृति का कोई भी विवाद, मतभेद या विवाद (इसके अर्थान्वयन/व्याख्या सहित), और जिसके बारे में किसी भी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को लिखित रूप में सूचित किया गया हो ("विवाद"), उसे प्रथमतः धारा 41.2 में निर्धारित सुलह प्रक्रिया के अनुसार सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास किया जाएगा।

41.1.2 पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि वे इस समझौते के तहत या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए त्वरित, न्यायसंगत और सद्भावनापूर्वक अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेंगे, और आगे यह सहमति देते हैं कि वे सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान एक-दूसरे को ऐसे विवाद से संबंधित सभी गैर-विशेषाधिकार प्राप्त रिकॉर्ड, सूचना और डेटा तक उचित पहुँच प्रदान करेंगे।

41.2 सुलह (माध्यस्थता का प्रयास)

पक्षकारों के बीच कोई विवाद होने की स्थिति में, कोई भी पक्षकार विकास अवधि के दौरान स्वतंत्र अभियंता को और रियायत अवधि के दौरान एक उद्योग विशेषज्ञ को मध्यस्थता करने और पक्षकारों को उसका सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने में सहायता करने के लिए बुला सकता है। स्वतंत्र अभियंता या उद्योग विशेषज्ञ द्वारा मध्यस्थता विफल होने पर, जैसी भी स्थिति हो, या स्वतंत्र अभियंता या ऐसे उद्योग विशेषज्ञ के हस्तक्षेप के बिना, कोई भी पक्षकार सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए ऐसे विवाद को प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक और रियायतग्राही के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के समक्ष संदर्भित करने की मांग कर सकता है, और संदर्भ दिए जाने पर, उक्त व्यक्ति विवाद पर चर्चा करने और उसे सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करने के लिए संदर्भ की तारीख से 7 (सात) दिनों के भीतर बैठक करेंगे। यदि ऐसी बैठक 7 (सात) दिनों की अवधि के भीतर नहीं होती है या बैठक के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं होता है, या धारा 41.1.1 में निर्दिष्ट लिखित नोटिस के 30 (तीस) दिनों के भीतर समझौते की लिखित शर्तों पर हस्ताक्षर करके विवाद का समाधान नहीं किया जाता है (या ऐसी लंबी अवधि के भीतर जो पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत हो), तो कोई भी पक्षकार धारा 41.3 के प्रावधानों के अनुसार विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित कर सकता है।

41.3 मध्यस्थता

41.3.1 विवादों पर निर्णय देने के लिए नियामक के पास मौजूद शक्ति और अधिकार के संबंध में नियामक ढांचे के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, कोई भी अन्य विवाद जो धारा 41.2 में दिए गए प्रावधान के अनुसार सुलह द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं होता है, उसे धारा 41.3.2 के अनुसार एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा मध्यस्थता के संदर्भ के माध्यम से अंतिम रूप से तय किया जाएगा। ऐसी मध्यस्थता नियमों (Rules) के अनुसार आयोजित की जाएगी, और यह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) (जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया हो) के प्रावधानों के अधीन होगी। ऐसी मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा और मध्यस्थता की कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी होगी।

41.3.2 वहाँ 3 (तीन) मध्यस्थों से मिलकर बना एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण होगा, जिसमें से प्रत्येक पक्षकार 1 (एक) मध्यस्थ का चयन करेगा, और तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति इस प्रकार चुने गए 2 (दो) मध्यस्थों द्वारा की जाएगी, और दोनों मध्यस्थों के बीच असहमति होने की स्थिति में, नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी।

41.3.3 मध्यस्थ न्यायाधिकरण एक सकारण पंचाट ("पंचाट") देगा। इस अनुच्छेद 41 के अनुसरण में आयोजित किसी भी मध्यस्थता में दिया गया कोई भी पंचाट पक्षकारों पर दिए जाने की तारीख से अंतिम और बाध्यकारी होगा, और रियायतग्राही तथा प्राधिकरण बिना किसी देरी के ऐसे पंचाट का पालन करने की सहमति और वचनबद्धता देते हैं।

41.3.4 रियायतग्राही और प्राधिकरण सहमत हैं कि किसी पंचाट को रियायतग्राही और/या प्राधिकरण के विरुद्ध, जैसी भी स्थिति हो, और उनकी संबंधित आस्तियों के विरुद्ध चाहे वे कहीं भी स्थित हों, प्रवर्तित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 41. विवाद निपटारा

41.1 विवाद निपटारा

41.1.1 इस समझौते के तहत या इसके संबंध में अथवा इसके लागू होने (जिसमें इसकी व्याख्या भी शामिल है) से पार्टियों के बीच उत्पन्न किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद, मतभेद या असहमति, जिसे एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को लिखित रूप में सूचित किया गया है ("विवाद"), उसे प्रथमतः खंड 41.2 में निर्धारित सुलह प्रक्रिया के अनुसार सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास किया जाएगा।

41.1.2 पार्टियां इस समझौते के तहत या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को त्वरित, न्यायसंगत और सद्भावनापूर्वक हल करने के लिए अपने पूरे प्रयासों का उपयोग करने पर सहमति व्यक्त करते हैं। साथ ही, वह इस बात पर भी सहमत हैं कि सामान्य कामकाज के घंटों के दौरान, किसी भी विवाद से जुड़े सभी रिकॉर्ड, जानकारी और डेटा की एक-दूसरे को उचित पहुंच देंगे जो गोपनीय/संरक्षित नहीं हैं।

41.2 सुलह

पार्टियों के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में, कोई भी पार्टी सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुँचने में मध्यस्थता और सहायता के लिए डेवलपमेंट पीरियड के दौरान इंडिपेंडेंट को और रियायत अवधि के दौरान इंडस्ट्री एक्सपर्ट को बुला सकते हैं। इंडिपेंडेंट इंजीनियर या इंडस्ट्री एक्सपर्ट द्वारा (जैसा भी मामला हो) मध्यस्थता न हो पाने पर, या इंडिपेंडेंट इंजीनियर अथवा ऐसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट द्वारा हस्तक्षेप के बिना, कोई भी पार्टी सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए इस विवाद को प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक और रियायतग्राही के निदेशक मंडल के अध्यक्ष को संदर्भित करने की मांग कर सकता है। ऐसे संदर्भ पर, उक्त व्यक्ति विवाद पर चर्चा करने और उसे सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करने के लिए संदर्भ की तिथि से 7 (सात) दिनों के भीतर बैठक करेंगे। यदि ऐसी बैठक इस 7 (सात) दिनों की अवधि के भीतर नहीं होती है, या बैठक के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं हो पाता है, या खंड 41.1.1 में उल्लिखित लिखित नोटिस के 30 (तीस) दिनों के भीतर लिखित समाधान शर्तों पर हस्ताक्षर द्वारा विवाद के हल होने का प्रमाण नहीं मिलता है (या पक्षकारों द्वारा परस्पर सहमति से तय की गई किसी लंबी अवधि के भीतर हल नहीं होता है), तो कोई भी पक्षकार खंड 41.3 के प्रावधानों के अनुसार विवाद को मध्यस्थता के लिए भेज सकता है।

41.3 मध्यस्थता

विनियामक ढाँचे के उन प्रावधानों के अधीन, जो नियामक को उसमें दिए गए प्रावधानों के अनुसार विवादों पर निर्णय लेने की शक्ति और अधिकार प्रदान करते हैं, कोई भी अन्य विवाद जो खंड 41.2 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सुलह द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं होता है, उसे खंड 41.3.2 के अनुसार मध्यस्थ न्यायाधिकरण को संदर्भित करके अंतिम रूप से तय किया जाएगा। ऐसी मध्यस्थता नियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी और यह मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (समय-समय पर संशोधित) के प्रावधानों के अधीन होगी। ऐसी मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा और मध्यस्थता कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी होगी।

41.3.2 मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन

एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण होगा जिसमें 3 (तीन) मध्यस्थ शामिल होंगे, जिनमें से प्रत्येक पक्षकार 1 (एक) मध्यस्थ का चयन करेगा, और तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति इस प्रकार चुने गए 2 (दो) मध्यस्थों द्वारा की जाएगी। दोनों मध्यस्थों के बीच असहमति की स्थिति में, नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी।

41.3.3 मध्यस्थ निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण एक तर्कपूर्ण निर्णय देगा। इस अनुच्छेद 41 के तहत आयोजित किसी भी मध्यस्थता में दिया गया कोई भी निर्णय उसके दिए जाने की तिथि से पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा, तथा रियायतग्राही और प्राधिकरण बिना किसी देरी के ऐसे निर्णय का पालन करने का वचन देते हैं और सहमति व्यक्त करते हैं।

41.3.4 रियायतग्राही और प्राधिकरण सहमति व्यक्त करते हैं कि किसी निर्णय को, जैसी भी स्थिति हो, रियायतग्राही अथवा प्राधिकरण तथा उनकी संबंधित परिसंपत्तियों के विरुद्ध, वे जहाँ भी स्थित हों, लागू/प्रवर्तित किया जा सकता है।

41.3.5 यह समझौता और पक्षकारों के अधिकार एवं दायित्व, इसके तहत किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही में मध्यस्थ निर्णय आने तक पूर्ण रूप से प्रभावी और लागू रहेंगे।

41.4 न्यायाधिकरण द्वारा न्यायिक निर्णय

सार्वजनिक-निजी भागीदारी ढांचे या अन्यथा किसी विशेष न्यायाधिकरण के गठन के बाद, इसके लागू होने के पश्चात उत्पन्न होने वाले सभी विवादों का न्यायिक निर्णय, खंड 41.3 के तहत मध्यस्थता के लिए भेजे जाने के बजाय, लागू कानूनों के अनुसार ऐसे न्यायाधिकरण या अन्य मंच द्वारा किया जाएगा, और विवाद निपटान प्रक्रिया के सभी संदर्भों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 42. प्रकटीकरण

42.1 प्रकटीकरण

रियायतग्राही सभी कार्य दिवसों में सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान अपने पंजीकृत कार्यालय और हवाई अड्डे पर, इस समझौते और सुरक्षा आवश्यकताओं की प्रतियां किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। रियायतग्राही टर्मिनल भवन में प्रमुखता से सार्वजनिक सूचनाएं प्रदर्शित करेगा जिसमें ऐसे निरीक्षण के लिए इस समझौते की उपलब्धता का उल्लेख होगा, और 'न लाभ न हानि' के आधार पर फोटोकॉपी शुल्क के भुगतान पर किसी भी व्यक्ति को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराएगा।

42.2 सुरक्षा से संबंधित दस्तावेजों का प्रकटीकरण

रियायतग्राही सभी कार्य दिवसों में सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान अपने पंजीकृत कार्यालय और हवाई अड्डे पर, हवाई अड्डे की सुरक्षा से संबंधित सभी दस्तावेजों और डेटा की प्रतियां किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। रियायतग्राही 'न लाभ न हानि' आधार पर फोटोकॉपी शुल्क के भुगतान पर किसी भी व्यक्ति को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराएगा।

42.3 संरक्षित दस्तावेजों के प्रकटीकरण को रोकना

अनुच्छेद 39 और खंड 42.2 के प्रावधानों के बावजूद, प्राधिकारी को समय-समय पर रियायतग्राही को निर्देश देने का अधिकार होगा कि वह पूर्वोक्त खंडों के अनुसरण में किसी भी व्यक्ति को संरक्षित दस्तावेजों के प्रकटीकरण को रोके, और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत इसे प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होगी और इसे रोका जा सकेगा।

अनुच्छेद 43. सार्वजनिक शिकायतों का निवारण

43.1 शिकायत पंजी

43.1.1 रियायतग्राही हवाई अड्डे पर एक जनसंपर्क कार्यालय बनाएगा, जहाँ वह किसी भी व्यक्ति ('शिकायतकर्ता') द्वारा शिकायत दर्ज करने के लिए हर समय जनता की पहुँच हेतु एक 'शिकायत पंजी' रखेगा। शिकायत पंजी की उपलब्धता और उस तक पहुँच से संबंधित जानकारी टर्मिनल भवन में प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी ताकि सभी उपयोगकर्ताओं का ध्यान इस ओर आकर्षित हो सके।

43.1.2 शिकायत पंजी सुरक्षित रूप से जिल्दशुदा होगी और उसका प्रत्येक पृष्ठ विधिवत क्रमांकित होगा। इसमें उचित कॉलम होंगे, जिनमें शिकायत संख्या, तिथि, शिकायतकर्ता का नाम और पता, शिकायत का विवरण) और रियायतग्राही द्वारा की गई कार्रवाई शामिल होगी। शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद, रियायतग्राही शिकायतकर्ता को तिथि और शिकायत संख्या दर्शाने वाली एक पावती प्रदान करेगा।

43.1.3 खंड 43.1.1 और खंड 43.1.2 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण रियायतग्राही के साथ परामर्श करके इलेक्ट्रॉनिक रूप में शिकायत करने और उसके उत्तर देने की प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है।

43.2 शिकायतों का निवारण

43.2.1 रियायतग्राही प्रतिदिन शिकायत पंजी का निरीक्षण करेगा और प्रत्येक शिकायत के निवारण के लिए त्वरित एवं उचित कार्रवाई करेगा। की गई कार्रवाई को शिकायत पंजी में संक्षिप्त रूप से दर्ज किया जाएगा और उसका विवरण देने वाला उत्तर रियायतग्राही द्वारा शिकायतकर्ता को 'सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग' के तहत भेजा जाएगा।

43.2.2 प्रत्येक माह की समाप्ति के 7 (सात) दिनों के भीतर, रियायतग्राही शिकायत पंजी के उन सभी पृष्ठों की एक सही फोटोकॉपी प्राधिकरण को भेजेगा जिन पर उस महीने के दौरान कोई प्रविष्टि दर्ज की गई हो। इसका अवलोकन करने पर, प्राधिकरण अपने विवेक से रियायतग्राही को ऐसी आगे की कार्रवाई करने की सलाह दे सकता है जिसे प्राधिकरण किसी भी शिकायत के निष्पक्ष और न्यायसंगत निवारण के लिए उचित समझे। रियायतग्राही ऐसी सलाह पर विचार करेगा और प्राधिकरण को अपने निर्णय से अवगत कराएगा। यदि प्राधिकरण की यह राय है कि शिकायतकर्ता आगे किसी राहत का हकदार है, तो वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत मामले को निपटारे के लिए सक्षम न्यायालय को संदर्भित कर सकता है, और शिकायतकर्ता को अपने जोखिम और खर्च पर शिकायत को आगे बढ़ाने की सलाह दे सकता है।

अनुच्छेद 44. विविध

44.1 लागू कानून और क्षेत्राधिकार

इस समझौते का अर्थ और व्याख्या भारत के कानूनों के अनुसार लगाई जाएगी और यह उन्हीं के द्वारा शासित होगा, तथा नई दिल्ली की अदालतों के पास इस समझौते से उत्पन्न या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले मामलों पर अनन्य क्षेत्राधिकार होगा।

44.2 प्रतिरक्षा की छूट

प्रत्येक पक्ष बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से:

1. यह स्वीकार करता है कि उसके द्वारा इस समझौते का निष्पादन, वितरण और प्रदर्शन व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किए गए और निष्पादित व्यावसायिक कार्यों का गठन करता है;
2. यह सहमत होता है कि यदि किसी भी क्षेत्राधिकार में उसके या उसकी संपत्तियों, संपत्ति या राजस्व के खिलाफ इस समझौते या इसके द्वारा परिकल्पित किसी भी लेन-देन के संबंध में कोई कार्यवाही लाई जाती है, तो उसके या उसकी संपत्तियों के संबंध में उस पक्ष द्वारा या उसकी ओर से कोई प्रतिरक्षा की छूट (संप्रभुता के कारण या अन्यथा) का दावा नहीं किया जाएगा;
3. प्रतिरक्षा की छूट के किसी भी ऐसे अधिकार को त्यागता है जो वर्तमान में उसकी संपत्तियों, संपत्ति या राजस्व के पास है, भविष्य में प्राप्त हो सकता है या जिसे किसी भी क्षेत्राधिकार में उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है; और
4. किसी भी क्षेत्राधिकार में ऐसी कार्यवाहियों के संबंध में किसी निर्णय या अधिनिर्णय के प्रवर्तन, किसी भी राहत के दिए जाने या किसी प्रक्रिया के जारी होने के लिए सामान्य रूप से सहमति व्यक्त करता है, जो किसी भी संपत्ति, संपत्ति या राजस्व के निष्पादन या जब्ती के संबंध में हो, चाहे उनके उपयोग या इच्छित उपयोग का ध्यान रखे बिना जो उनके संबंध में किए गए किसी आदेश या निर्णय से संबंधित हो।

44.3 मूल्यहास

लागू कानूनों के तहत मूल्यहास के उद्देश्यों के लिए, परियोजना परिसंपत्तियों में रियायतग्राही द्वारा किए गए पूंजीगत निवेश का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्ति को रियायतग्राही द्वारा अधिग्रहित और उसके स्वामित्व में माना जाएगा। लागू कानूनों के तहत रियायतग्राही द्वारा मूल्यहास के लिए किए गए किसी भी दावे के संबंध में प्राधिकारी किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।

44.4 विलंबित भुगतान

44.4.1 इस समझौते के प्रावधानों के तहत एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को देय भुगतानों को उसमें निर्धारित अवधि के भीतर किया जाएगा, और यदि ऐसी कोई अवधि निर्दिष्ट नहीं है, तो आवश्यक विवरणों के साथ मांग प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर किया जाएगा। जब तक कि इस समझौते में विशेष रूप से अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, इस प्रकार की निर्दिष्ट अवधि से अधिक विलंब होने की स्थिति में, चूक करने वाला पक्ष बैंक दर से 2% (दो प्रतिशत) अधिक की दर से परिकल्पित विलंब अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करेगा, और उसकी वसूली इस समझौते के समाप्त होने सहित पक्षों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।

44.4.2 जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, इस समझौते के तहत देय कोई भी ब्याज दैनिक बकाया आधार पर अर्जित होगा और त्रैमासिक विश्राम के आधार पर चक्रवृद्धित किया जाएगा।

44.4.3 खंड 27.6.2, 34.1 या 35.3 के अनुसरण में समाप्ति के कारण प्राधिकारी द्वारा रियायतग्राही को देय सभी भुगतान हस्तांतरण तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के बाद नहीं किए जाएंगे।

44.5 छूट

44.5.1 इस समझौते के तहत किसी भी प्रावधान या दायित्वों के पालन और निष्पादन में किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की किसी भी चूक की छूट (अंशकालिक या सशर्त छूट सहित):

क. इस समझौते के तहत किसी भी अन्य या आगामी चूक की छूट के रूप में कार्य नहीं करेगी और न ही इसका ऐसा अर्थ लगाया जाएगा;

ख. तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि यह लिखित रूप में न हो और उस पक्ष के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित न की गई हो; और

ग. किसी भी तरह से इस समझौते की वैधता या प्रवर्तनीयता को प्रभावित नहीं करेगी।

44.5.2 किसी भी अवसर पर किसी भी पक्ष द्वारा इस समझौते के नियमों, शर्तों और प्रावधानों या इसके तहत किसी भी दायित्व के निष्पादन पर जोर न देना, या एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी गई कोई छूट/छूट की अनुमति, ऐसे उल्लंघन की छूट या समझौते में किसी परिवर्तन की स्वीकृति या इसके तहत ऐसे किसी अधिकार के त्याग के रूप में नहीं मानी जाएगी।

44.6 दस्तावेजों और चित्रों की समीक्षा के लिए दायित्व

इस समझौते में स्पष्ट रूप से दिए गए प्रावधानों को छोड़कर:

(क) रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रोजेक्ट समझौते, दस्तावेज़ या चित्र की प्राधिकरण द्वारा समीक्षा, टिप्पणी या अनुमोदन, और न ही हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन या विकास का कोई अवलोकन या निरीक्षण, कंसेशनेयर को इस समझौते, लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के तहत उसके दायित्वों, कर्तव्यों और देनदारियों से मुक्त या दोषमुक्त करेगा; और

(ख) प्राधिकरण ऊपर उप-खंड (क) में संदर्भित किसी भी समीक्षा, टिप्पणी, अनुमोदन, अवलोकन या निरीक्षण के कारण कंसेशनेयर के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

44.7 गर्भित वारंटियों का अस्वीकरण

44.7 यह समझौता स्पष्ट रूप से कानून द्वारा या प्रथा द्वारा निहित किसी भी वारंटी, शर्त या अन्य वचनबद्धता को बाहर करता है, या पक्षों के बीच किसी अन्य समझौते से उत्पन्न या दोनों पक्षों द्वारा निष्पादित बाध्यकारी कानूनी समझौते में शामिल न किए गए किसी भी पक्ष के किसी भी प्रतिनिधित्व को खारिज करता है।

44.8 उत्तरजीविता

44.8.1 सेवा-समाप्ति

(क) रियायतग्राही या प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, को इसके तहत किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं करेगी जो स्पष्ट रूप से या निहितार्थ से समाप्ति के बाद भी जीवित रहते हैं; और

(ख) इस समझौते के किसी भी प्रावधान में स्पष्ट रूप से किसी भी पक्ष की देनदारी को सीमित करने के अलावा, किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष के नुकसान या क्षति के लिए दायित्वों या देनदारियों से मुक्त नहीं करेगी, जो ऐसे पक्ष के समाप्ति से पहले के कृत्यों या चूकों के कारण या उत्पन्न हुए हों, या ऐसी समाप्ति से उत्पन्न हुए हों।

44.8.2 सेवा-समाप्ति के बाद भी सभी दायित्व ऐसी समाप्ति की तिथि के बाद केवल 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए ही रहेंगे।

44.9 संपूर्ण समझौता

यह समझौता और अनुसूचियां मिलकर इसके विषय पर पक्षों के बीच समझौते का एक पूर्ण और अनन्य विवरण प्रस्तुत करती हैं, और इस समझौते में कोई भी संशोधन या बदलाव तब तक वैध और प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह पक्षों द्वारा लिखित रूप में सहमत न हो और संबंधित पक्षों द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त व्यक्तियों द्वारा विधिवत निष्पादित न किया गया हो। इस समझौते से संबंधित हर तरह की सभी पूर्व लिखित या मौखिक समझ, प्रस्ताव या अन्य संचार निरस्त और वापस लिए गए माने जाएंगे। इसके अतिरिक्त, पक्ष यह सहमत होते हैं कि प्रस्ताव के अनुरोध से उत्पन्न रियायतग्राही के किसी भी दायित्व को इस समझौते का हिस्सा माना जाएगा।

44.10 पृथक्करणीयता

यदि किसी भी कारण से, इस समझौते का कोई भी प्रावधान अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय है या हो जाता है, या सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय या किसी अन्य निकाय द्वारा अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय घोषित किया जाता है, तो शेष प्रावधानों की वैधता, कानूनी मान्यता या प्रवर्तनीयता किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी। पक्ष सद्भाव से एक या अधिक ऐसे प्रावधानों पर सहमत होने के लिए बातचीत करेंगे जो यथासंभव व्यावहारिक रूप से ऐसे अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय प्रावधान को प्रतिस्थापित कर सकें। ऐसे किसी भी प्रावधान पर सहमत होने में विफलता इस समझौते या अन्यथा के तहत निर्धारित विवाद निवारण प्रक्रिया के अधीन नहीं होगी।

44.11 कोई साझेदारी नहीं

इस समझौते की व्याख्या पक्षों के बीच एक संघ, संयुक्त उद्यम या साझेदारी बनाने के रूप में नहीं की जाएगी, और न ही किसी भी पक्ष पर कोई साझेदारी दायित्व या देनदारी थोपने के रूप में की जाएगी। किसी भी पक्ष के पास किसी भी समझौते को दर्ज करने, वचनबद्धता बनाने, दूसरे पक्ष की ओर से कार्य करने, एजेंट या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने या दूसरे पक्ष को बाध्य करने का कोई अधिकार, शक्ति या अधिकार नहीं होगा।

44.12 तीसरे पक्ष

यह समझौता केवल पक्षों और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों और अनुमत सहयोगियों के लाभ के लिए है, और इस समझौते में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस समझौते के पक्षकार न होने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति कर्तव्य, देखभाल का मानक, या दायित्व का निर्माण करता हो।

44.13 उत्तराधिकारी और अनुमत सहयोगी

यह समझौता पक्षों और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों और अनुमत सहयोगियों पर बाध्यकारी होगा और उनके लाभ के लिए लागू होगा।

44.14 सूचनाएं

इस समझौते द्वारा परिकल्पित मामलों के तहत या उसके संबंध में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी जाने वाली कोई भी सूचना या अन्य संचार लिखित रूप में होगा और:

- क. रियायतग्राही के मामले में, फैक्स या ईमेल द्वारा दिया जाएगा और नीचे दिए गए पते पर हाथ से दिए गए पत्र द्वारा वितरित किया जाएगा तथा उस व्यक्ति के ध्यानार्थ भेजा जाएगा जैसा कि नीचे निर्धारित किया गया है या ऐसे अन्य व्यक्ति को जैसा कि रियायतग्राही समयदेकर समय पर प्राधिकारी को सूचना-निर्दिष्ट कर सकता है; बशर्ते कि नीचे दिए गए उप) खंड-ख) में निर्दिष्ट शहर के बाहर के पते पर दी जाने वाली सूचनाएं या अन्य संचार, यदि बाद में विधिवत पहुंच रसीद, एयर मेल या कूरियर द्वारा उसकी एक प्रति भेजकर पुष्टि की जाती है, तो फैक्स या ईमेल पर भेजे जा सकते हैं जैसा कि मेल द्वारा उस न-समय पर प्राधिकारी को सूचना देकर निर्दिष्ट कर सकता है।-रियायतग्राही समय

ध्यानार्थ: मुख्य हवाई अड्डा अधिकारी

पदनाम : सीओ.ए.

पता : अदानी कॉर्पोरेट हाउस, शांतिग्राम, एसहाईवे .जी ., अहमदाबाद 382421 -, गुजरात, भारत

फैक्स नंबर : -

ईमेल : cao.mangaluruairport@adani.com

ख) प्राधिकरण के मामले में, नोटिस फैक्स या ईमेल द्वारा और नीचे दिए गए पते पर हाथ से दिए गए पत्र द्वारा नीचे नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को भेजा जाएगा, जिसकी एक प्रति प्राधिकरण को या ऐसे अन्य व्यक्ति को दी जाएगी जैसा कि प्राधिकरण समय समय पर-रियायतग्राही को नोटिस द्वारा नामित करे; शर्त यह है कि यदि रियायतग्राही का कार्यालय प्राधिकरण के समान शहर में नहीं है, तो वह ऐसा नोटिस फैक्स या ईमेल द्वारा और पंजीकृत पावती, एयर मेल या कूरियर द्वारा भेज सकता है:

ध्यानार्थ: अध्यक्ष

पता: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली 110003 -

फैक्स नंबर)Fax No): +24641088-11-91

ईमेल: chairman@एएआई .aero

(ग) एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया गया कोई भी नोटिस या संचार, जो इसके अनुसार दिया गया है, तब पहुंचा दिया माना जाएगा जब डाक के सामान्य क्रम में इसे वितरण हो जाना चाहिए था, और अन्य सभी मामलों में, इसे वितरण की वास्तविक तिथि और समय पर दिया हुआ माना जाएगा; शर्त यह है कि फैक्स या ईमेल के मामले में, इसे इसके वितरण की तिथि के बाद वाले कार्य दिवस पर पहुंचा दिया माना जाएगा।

44.15 कानून में बदलाव

कानून में कोई भी बदलाव रियायतग्राही के पक्ष में इस समझौते की किसी भी शर्त में परिवर्तन या संशोधन अथवा इस समझौते से उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिकार और दायित्व में बदलाव का आधार नहीं बनेगा। इसके तहत अधिकार और दायित्व कानून में किसी भी बदलाव से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होंगे।

44.16 भाषा

एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिए जाने वाले सभी आवश्यक नोटिस और अन्य सभी संचार, दस्तावेजीकरण और कार्यवाहियां, जो किसी भी तरह से इस समझौते से संबंधित हैं, लिखित रूप में और अंग्रेजी भाषा में होंगी।

44.17 स्टाम्प ड्यूटी

इस समझौते के निष्पादन या सुपुर्दगी पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का भुगतान रियायतग्राही द्वारा किया जाएगा।

44.18 काउंटरपार्ट्स

यह समझौता दो प्रतियों में निष्पादित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक, निष्पादित और सुपुर्द किए जाने पर, इस समझौते की एक मूल प्रति माना जाएगा।

इसके साक्ष्य के रूप में, पक्षों ने ऊपर उल्लेखित तिथि के अनुसार, अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं:

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से और उनके लिए विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित: हस्ताक्षर[हस्ताक्षरित] : नाम .के .श्री बी : पदनाम :महाप्रबंधक, एस.आई.यू	हस्ताक्षर[हस्ताक्षरित] : नाम श्री बहनाद जंजी : पदनाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी :
गवाह :1 हस्ताक्षर[हस्ताक्षरित] : नाम सुब्बारायुडू .वी .एन : पदनाम (.इंजी) महाप्रबंधक : भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण /	गवाह) 2Witness :(2 हस्ताक्षर[हस्ताक्षरित] : तिथि14.02.2020 : नाम आशुतोष :चंद्रा)ASHUTOSH CHANDRA) पदनाम) मंगलुरु - मुख्य एयरपोर्ट अधिकारी :

अनुसूची क
हवाई अड्डे का स्थल
(खंड 10.1 देखें)

1. स्थल

1.1 हवाई अड्डे का स्थल इस अनुसूची “क” के अनुबंध I (अनुलग्नक I) में वर्णित है।

1.2 स्थल की एक सूची, जिसमें भूमि, भवन, संरचनाएं, सड़क कार्य, पेड़ और स्थल पर स्थित या उससे जुड़ी कोई भी अन्य अचल संपत्ति शामिल है, प्राधिकरण और रियायतग्राही द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जाएगी, और ऐसी सूची समझौते के खंड 10.3.1 में संदर्भित जापन का हिस्सा बनेगी।

1.3 स्थल के लिए परिप्रेक्ष्य योजना, जैसा कि वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया है, इस अनुसूची “क” के अनुबंध II (अनुलग्नक II) में प्रदान की गई है।

1.4 हवाई अड्डे के लिए चिह्नांकित स्थल, एयरोनॉटिकल के साथ-साथ नॉन-एयरोनॉटिकल संपत्तियों के संबंध में सभी भूमि उपयोग को समाहित करता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि रियायतग्राही, प्राधिकरण की पूर्व लिखित स्वीकृति के साथ, सिटी साइड डेवलपमेंट के उद्देश्य से चिह्नांकित भूमि का उपयोग एयरोनॉटिकल सेवाओं और/या नॉन-एयरोनॉटिकल सेवाओं को करने के लिए कर सकता है, और इसके विपरीत भी, इस शर्त के अधीन कि रियायतग्राही द्वारा सिटी साइड डेवलपमेंट के उद्देश्य से उपयोग किया जाने वाला कुल क्षेत्रफल इसके तहत उसी के लिए चिह्नांकित कुल क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा (जैसा कि इसके अनुबंध III में विशेष रूप से निर्धारित किया गया है)।

2. हवाई अड्डे के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि

2.1 रियायतग्राही इसके द्वारा स्वीकार करता है, पुष्टि करता है और सहमति देता है कि स्थल का हिस्सा बनने वाली भूमि परियोजना के विकास और कार्यान्वयन को शुरू करने के लिए सभी मापदंडों से अच्छी और पर्याप्त है।

2.2 प्राधिकरण किसी भी दायित्व के अधीन नहीं है और न ही रियायतग्राही रियायत अवधि के दौरान किसी भी समय परियोजना के किसी भी हिस्से के विकास या कार्यान्वयन के लिए किसी भी अतिरिक्त भूमि की मांग करने का हकदार होगा। किसी भी एयरोनॉटिकल सेवाओं के प्रावधान के लिए और/या किसी भी एयरसाइड गतिविधियों को करने के लिए सीओडी के बाद प्राधिकरण के पक्ष में अधिग्रहीत हवाई अड्डे के संबंध में कोई भी भूमि, अनिवार्य रूप से प्राधिकरण द्वारा कंसेशनरी को उन्हीं नियमों और शर्तों पर पेश की जाएगी जिन पर ऐसी भूमि प्राधिकरण के पक्ष में अधिग्रहित की गई है।

अनुलग्नक

अनुलग्नक I
(अनुसूची क)
हवाई अड्डे के लिए साइट

पृष्ठभूमि

मौजूदा हवाई अड्डे का स्थान: मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु शहर से 15 किमी की दूरी पर स्थित है। यह हवाई अड्डा एक तरफ कासरगोड और कन्नूर (केरल राज्य), दूसरी तरफ मणिपाल, उडुपी, कुंदापुरा (कर्नाटक राज्य) और कूर्ग, मैसूर राजमार्ग की ओर जाने वाले राजमार्गों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है।

कृपया नीचे दी गई छवि देखें जो साइट के स्थान और साइट के पहुंच मार्ग को दर्शाती है।

हवाई अड्डा कनेक्टिविटी

नक्शा प्रदर्शित है/यहाँ छवि स्थान]]
अनुवाद संभव नहीं है

मौसम की स्थिति

मंगलुरु एक तटीय शहर है जहाँ मार्च से मई तक गर्म मौसम, जून से सितंबर तक गीला/बरसाती मौसम और अक्टूबर से फरवरी तक सुहावना मौसम रहता है।

हवा: मुख्य रूप से पश्चिमी

हवाई अड्डे पर मौजूदा सुविधाएं/परिसंपत्तियां

रनवे	ऊंचाई	TORA	TODA	ASDA	LDA	ढलान
नंबर	मीटर में	(मीटर(	(मीटर(	(मीटर(	(मीटर(	
24/06	95.40/95.09	2329/2449	2329/2449	2329/2449	2329/2329	%0,%0.56+, - %0.46+/%0.46, - %0.56, (%0

हवाई अड्डे पर वर्तमान में उपलब्ध हवाई यातायात सेवाएं, निगरानी और नौवहन सहायता सुविधाएं नीचे दी गई हैं:

हवाई यातायात सेवाएं	SMC, Tower, ACC(P), APPCH (P)
निगरानी	ASR, RSR, MSSR (Primary and Secondary दोनों), ADS-B
नौवहन सहायता	DVOR, NDB, ILS

वर्तमान हवाई अड्डे पर निम्नलिखित माप के साथ टैक्सीवे और एप्रन उपलब्ध हैं:

टैक्सीवे एवं एप्रन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	आयाम	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	अभ्युक्ति (Remarks)
टैक्सीवे				
A	1650	64 x 23 m	1650	क्षेत्रफल में फिलेट्स भी शामिल हैं
B	1650	64 x 23 m	1650	- (do)-
C	3001.5	130.5 x 23 m	3001.50	- (do)-
D	10760	468 x 23 m	10760	- (do)-
E	7990	309.5 x 23 m	7990	- (do)-
F	21690	482 x 45 m	21690	
G	14395.75	532.25 x 23 m	14395.75	क्षेत्रफल में फिलेट्स भी शामिल हैं
G1	5530	148.5 x 23 m	5530	क्षेत्रफल में फिलेट्स भी शामिल हैं
H	11475	76.5 x 15 m	11475	
J	12776.04	555.48 x 23 m	12776.04	
P	45930	954 x 45 m	45930	क्षेत्रफल में पुराने रनवे का टर्निंग पैड शामिल है
एप्रन				
एप्रन (पुराना)	10640	190 x 56 m	10640	
एप्रन (नया)	54980	470 x 117 m	54980	

टर्मिनल क्षेत्र और काउंटरों की संख्या

टर्मिनल	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	चेक-इन	इमिग्रेशन	कस्टम्स	सुरक्षा
इंटीग्रेटेड	19,500	21	12	12	8

टर्मिनल भवन में यात्रियों के लिए अन्य सुविधाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

प्रवेश द्वार	
• घरेलू	01

• अंतरराष्ट्रीय	01
एक्स-रे सामान सुविधा	
• घरेलू	03
• अंतरराष्ट्रीय	05 (03 अंतरराष्ट्रीय चेक-इन/ SHA क्षेत्र में और 02 अंतरराष्ट्रीय कार्गो में)
शॉपिंग सुविधा - नए टर्मिनल में	• आयुर्वेद वेलनेस शॉप नए चर्मिनल में - 1.86 वर्ग मीटर • बैग्स एंड लगेज शॉप SHA (प्रथम तल) - 9 वर्ग मीटर • डिपार्टमेंट स्टोर - 126 वर्ग मीटर • रिटेल इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप DOMESTIC SHA में - 10 वर्ग मीटर
	रिटेल आउटलेट ब्रांडेड अम्ब्रैला - 9 वर्ग मीटर
	यात्रा संबंधी आवश्यक वस्तुएं सह उपहार दुकान (आगमन) - 9 वर्ग मीटर
	परिधान की दुकान - 9 वर्ग मीटर
	आभूषण की दुकान - 9 वर्ग मीटर
	सामान रैपिंग सेवा - 2 वर्ग मीटर
	चेक-इन क्षेत्र में ब्रांडेड फास्ट फूड आउटलेट - 25 वर्ग मीटर
	विज़िटर्स गैलरी में ब्रांडेड फास्ट फूड आउटलेट - 21.35 वर्ग मीटर
	हस्तशिल्प की दुकान - 9 वर्ग मीटर
	होटल आरक्षण काउंटर-बी - 2 वर्ग मीटर
	आगमन और प्रस्थान पर मुद्रा विनिमय काउंटर - 6.89 वर्ग मीटर
	आगमन लाउंज में प्रीपेड टैक्सी सेवा - 11 वर्ग मीटर
	फूड कोर्ट के साथ रेस्तरां - 252 वर्ग मीटर
	घरेलू SHA में स्नैक बार - 6 वर्ग मीटर
अंतरराष्ट्रीय	इयूटी फ्री शॉप (आगमन एवं प्रस्थान) - 53.5 वर्ग मीटर
	अंतरराष्ट्रीय SHA में स्नैक बार - 5 वर्ग मीटर
	फूड कोर्ट के साथ रेस्तरां - 100 वर्ग मीटर
कार पार्किंग	7586 वर्ग मीटर (7586 Sqm)
नवीन टर्मिनल भवन यात्री सुविधाएं (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय)	उड़ान सूचना प्रदर्शन प्रणाली- 25 मॉनिटर और 4 डिस्प्ले बोर्ड के साथ
	सार्वजनिक घोषणा प्रणाली

	निगरानी सीसीटीवी (80 संख्या)
	विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर - (08 संख्या)
	डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर - (14 संख्या)
	वॉकी-टॉकी सिस्टम
	टेलीफोन सुविधा
	मनोरंजन टीवी
	लैपटॉप/मोबाइल चार्जर पॉइंट्स
	बच्चों के लिए स्ट्रॉलर
	बेबी केयर रूम
	प्रार्थना कक्ष
	पीने के पानी की सुविधा
	महिला शौचालय में नैपकिन वेंडिंग मशीन
	प्राथमिक चिकित्सा सुविधा के लिए MI रूम
	CIP लाउंज / VIP लाउंज
	दिव्यांगजनों के लिए निर्दिष्ट पार्किंग सुविधा
	दिव्यांगजनों के लिए अलग चेक-इन काउंटर
	दिव्यांगजनों के लिए स्पर्शनीय फर्श
	दिव्यांगजनों के लिए पृथक शौचालयों सहित वाशरूम
	कृत्रिम पौधे/एक्वेरियम जैसा सौंदर्यीकरण
	पर्यटक सूचना केंद्र - आगमन - 2.58 वर्ग मीटर
	डाकघर - 9 वर्ग मीटर
	पर्यटक सूचना केंद्र - 2.7 वर्ग मीटर
	पर्यटक सूचना केंद्र - 3.5 वर्ग मीटर
	ऐप-आधारित कैब एग्जीगेटर सेवा - 25 वर्ग मीटर
	टर्मिनल के बाहर एटीएम काउंटर - 6 वर्ग मीटर
	टर्मिनल के बाहर एटीएम काउंटर - 13.12 वर्ग मीटर
	के अंदर एटीएम काउंटर - 6 वर्ग मीटर
	टर्मिनल के अंदर एटीएम काउंटर - 13.12 वर्ग मीटर
	निःशुल्क समाचार पत्र प्रदर्शन स्टैंड
	(स्वागत सेवा) सेवाएं - 9 वर्ग मीटर
	विज्ञापन विकल्पों के साथ सुरक्षा ट्रे की आपूर्ति (200 संख्या)
ट्रॉली रिट्रीवल सह विज्ञापन	
एयरपोर्ट स्मोकिंग लाउंज एवं सेल्स कियोस्क	

अनुलग्नक II
(अनुसूची क
(खंड 12.2.1 देखें)

साइट के लिए मास्टर प्लान

1. [हवाई अड्डे का नाम दर्ज करें] को भारत में हवाई यात्रा की मांग में वृद्धि के साथ तालमेल बनाए रखते हुए पर्यटन और व्यावसायिक बाजारों की सेवा करने वाले एक अत्याधुनिक हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।

2. चरण I का विकास: रियायत अवधि के दौरान हवाई अड्डे को चरणबद्ध तरीके से विकसित करने का प्रस्ताव है। रियायतग्राही इस समझौते में दिए गए प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर हवाई अड्डे के मास्टर प्लान को तैयार और अपडेट करेगा।

रियायतग्राही हवाई अड्डे के चरण I की योजना और विकास समझौते में निर्धारित तरीके से करेगा, साथ ही अपने मांग अनुमानों के अनुसार वार्षिक यात्री क्षमता (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) और वार्षिक कार्गो हैंडलिंग क्षमता के साथ-साथ सहायक सुविधाओं की पूर्ति करेगा।

3. बाद के चरणों के दौरान विकास

- बाद के चरणों के लिए विकास योजनाएं, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की निरंतर उपलब्धि से जुड़ी विशिष्ट पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को शुरू करने का प्रावधान करेंगी।
- रियायतग्राही ऐसे चरण के लिए निर्माण कार्य शुरू होने की योजनाबद्ध तिथि से कम से कम 3 (तीन) महीने पहले बाद के चरणों के लिए विकास योजना प्रस्तुत करेगा, जैसा कि मास्टर प्लान में परिभाषित किया गया है।
- रियायतग्राही पिछले 6 (छह) महीनों की अवधि में देखी गई यातायात वृद्धि दर को ध्यान में रखते हुए, किसी भी लेखा वर्ष में हवाई अड्डे पर वास्तविक पीक आवर यात्री यातायात और वार्षिक यात्री यातायात के संबंध में डिजाइन थ्रूपुट क्षमता का ध्यान रखते हुए, चरण 1 के बाद के चरणों के लिए निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से शुरू करेगा।
- उपरोक्त आवश्यकताओं का पालन करते हुए, रियायतग्राही किसी भी चरण के लिए अपनी विकास गतिविधियों और निर्माण कार्यों की योजना इस प्रकार बनाएगा कि प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों, आईएटीए सेवा स्तर - सी, सुरक्षा आवश्यकताओं और लागू कानूनों के तहत किसी भी अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं का कोई उल्लंघन न हो, जिन्हें हवाई अड्डे के संचालन के लिए पालन करना आवश्यक है।

4. रियायतग्राही निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत परिप्रेक्ष्य योजना का उपयोग करके मास्टर प्लान तैयार करेगा:

- समझौते के प्रावधानों के अधीन रियायतग्राही को सुविधाओं की योजना बनाने और डिजाइन करने की छूट होगी।
- मास्टर प्लान डीजीसीए, आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों, तथा अच्छे उद्योग अभ्यासों द्वारा निर्धारित नागर विमानन आवश्यकताओं के अनुसार होगा।

- टर्मिनल भवन का सेवा स्तर IATA सेवा स्तर "C" (सर्वोत्तम मानक) के अनुरूप होना चाहिए। टर्मिनल भवन का डिज़ाइन वर्तमान संचालन और मौजूदा बुनियादी ढांचे पर न्यूनतम प्रभाव के साथ वृद्धिशील विस्तार में सक्षम होना चाहिए।
- सिटी साइड डेवलपमेंट समझौते के प्रावधानों और लागू कानूनों के अनुसार होगा।

कानून

कंसेशनेयर ऊपर उल्लेखित दिशा-निर्देशों तथा इस अनुसूची A, अनुसूची B और C में दिए गए प्रावधानों के आधार पर मास्टर प्लान तैयार करेगा। मास्टर प्लान में निम्नलिखित बातें शामिल होंगी:

1. समग्र विकास रणनीति और दर्शन का विवरण;
2. यातायात पूर्वानुमानों का विवरण तथा प्रत्येक प्रोजेक्ट सुविधाओं के विकास के लिए 'ट्रैफिकट्रिगर', जो कि यातायात की वृद्धि से जुड़े हैं;
3. प्रत्येक चरण में हवाई अड्डा और उसके प्रत्येक परिसर कैसा दिखेगा, इसका विजन और उस अवधि के अंत में हवाई अड्डे का अंतिम विजन जब यह अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुँच जाएगा;
4. हवाई अड्डे तथा एप्रोच और टेक-ऑफ क्षेत्रों के लिए बाधा सीमा सतह;
5. हवाई अड्डे के विकास की चरणबद्ध तरीके से ग्राफिकल प्रस्तुति प्रदान करना;
6. अवधारणाओं और विकल्पों की तकनीकी, आर्थिक और पर्यावरणीय जांच के माध्यम से प्रस्तावित विकास;
7. ऐसे अन्य मामले जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

5. परिप्रेक्ष्य योजना

नक्शा प्रदर्शित है/यहाँ छवि स्थान]]

अनुवाद संभव नहीं है

तथा प्रदर्शित बिन्दु पढ़ने में नहीं आ रहे हैं।

6. प्रत्येक चरण के लिए विकास योजना निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी:

क. विकास योजना निम्नलिखित के अनुपालन में होगी:

i. मास्टर प्लान;

ii. इस समझौते की अनुसूची "क", अनुसूची "ख" और अनुसूची "ग" में निर्धारित आवश्यकताएं;

iii. अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के अनुसार;

iv. नागर विमानन महानिदेशालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश, यह समझौता और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुरूप;

ख. विकास योजना में निम्नलिखित शामिल होंगे:

i. चिह्नित प्रत्येक प्रोजेक्ट सुविधाओं के लिए इंजीनियरिंग डिज़ाइन और चित्र;

ii. मात्रा और लागत अनुमान;

iii. विशिष्टताएं और मानक;

iv. पूरा करने की समय-सारणी;

v. वित्त पोषण योजना; और

vi. अन्य कोई मापदंड, जो प्राधिकरण या किसी संबंधित सरकारी संस्था द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

6. रियायतग्राही वाणिज्यिक संचालन तिथि से शुरू होकर प्रत्येक 5 (पांच) वर्षों में मास्टर प्लान को अद्यतन करेगा।

7. रियायतग्राही एयरोनॉटिकल सेवाओं को बेहतर बनाने या बढ़ाने अथवा भीड़भाड़ को कम करने या समाप्त करने के लिए हवाई अड्डे के किसी भी हिस्से का विस्तार करने हेतु मास्टर प्लान में संशोधन कर सकता है।

8. चरण I के बाद के चरणों का निर्माण समझौते के खंड 12.7 में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुरूप होगा।

अनुलग्नक III

(अनुसूची क)

(खंड 25 देखें)

सिटी साइड विकास

वाणिज्यिक विकास के लिए उपलब्ध भूमि 10 एकड़ है जिसका उपयोग आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए किया जा सकता है। सिटी साइड विकास के लिए भूमि उपयोग योजना अनुलग्नक II (अनुसूची क) में प्रदान की गई परिप्रेक्ष्य योजना में दिखाई गई है।

अनुलग्नक-IV

(अनुसूची-ए)

(खण्ड 10.1 देखें)

हटाई गई परिसंपत्तियां एवं क्षेत्रफल

यह स्पष्ट किया जाता है कि साइट एवं परियोजना परिसंपत्तियों में निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जाएगा:

क्र. सं.	परिसंपत्ति	भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में (लगभग)
1.	एटीसी टावर	2258 वर्ग मीटर (0.56 एकड़)
2.	कार्गो टर्मिनल	
	(क) मौजूदा घरेलू टर्मिनल	2785.059 वर्ग मीटर
	(ख) मौजूदा अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल	1813.52 वर्ग मीटर
	(ग) प्रस्तावित आईसीटी कॉम्प्लेक्स	11000 वर्ग मीटर
	कुल	15598.58 वर्ग मीटर (3.85 एकड़)
4.	सीएनएस/एटीएम/स्टाफ क्वार्टर के लिए भविष्य में आवश्यक भूमि	
	(क) रिमोट लोकेशन पर एसआर/एमएसआर भवन के लिए भूमि	5625 वर्ग मीटर (1.39 एकड़)
	(ख) आवासीय कॉलोनी का सघनीकरण	46834.2 वर्ग मीटर (11.57 एकड़)
	कुल	52459.2 वर्ग मीटर (12.96 एकड़)
5.	कुल योग	70315.78 वर्ग मीटर (17.37 एकड़)

अनुसूची-बी

हवाईअड्डे का विकास

(खंड 2.1 देखें)

1. हवाईअड्डे का विकास

एक सुविकसित हवाईअड्डे के विकास को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाने वाली नियोजन पद्धति के अंतर्गत विभिन्न चरणों के लिए पूर्वानुमानित भावी हवाई यातायात के आधार पर एयरसाइड, टर्मिनल विकास तथा अन्य सुविधाओं की आवश्यकताओं का निर्धारण किया जाना चाहिए। सुविधाओं की आवश्यकता, नियोजन अवधि के दौरान उपलब्ध प्रासंगिक यातायात पूर्वानुमान संबंधी आंकड़ों पर तकनीकी मानकों तथा सेवा-स्तर मानकों के अनुप्रयोग के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए, ताकि पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध रहें और हवाईअड्डे की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) से रियायत अवधि के अंत तक पूर्वानुमानित यातायात को समायोजित करने हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों।

हवाईअड्डे की समग्र क्षमता तथा उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराए जाने वाले सेवा स्तर को प्रभावित करने वाली प्रमुख अवसंरचनाओं में रनवे एवं टैक्सीवे प्रणाली तथा यात्री टर्मिनल भवन (घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय यातायात का पृथक्करण), एप्रन पर उपलब्ध विमान स्टैंडों की संख्या तथा कॉन्टैक्ट गेट्स की संख्या जैसे कारक विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। हवाईअड्डे का विकास विभिन्न चरणों में अनुसूची-ए में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, हवाईअड्डे की सुविधाओं के नियमित रखरखाव एवं समय-समय पर उन्नयन, उपकरणों के प्रतिस्थापन तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सतत निवेश किया जाना आवश्यक होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हवाईअड्डे की अवसंरचना इस समझौते में निर्धारित सेवा-स्तर मानकों के अनुरूप अनुमानित यातायात को प्रभावी रूप से संभालने में सक्षम रहे।

2. विकास संबंधी दृष्टिकोण

किसी भी हवाईअड्डा नियोजन प्रक्रिया का उद्देश्य पूर्वानुमानित यातायात मांग की पूर्ति के लिए आवश्यक अवसंरचना एवं सुविधाओं का निर्धारण करना है। अल्पावधि नियोजन का उद्देश्य तत्काल अथवा निकट भविष्य में आवश्यक विकास कार्य एवं अवसंरचना की पहचान करना है। तथापि, नियोजन प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि ऐसा कोई विकास कार्य प्रारंभ न किया जाए, जिससे हवाईअड्डे के भावी चरणों के विकास की संभावनाएं बाधित हों अथवा उनके कार्यान्वयन में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न हो। इसके अतिरिक्त, नियोजन के परिणामस्वरूप ऐसी समग्र एवं लचीली विकास योजना तैयार की जानी चाहिए जो यातायात मांग में संभावित परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलनीय हो तथा हवाईअड्डे के विभिन्न अवसंरचनात्मक घटकों के क्रमिक एवं चरणबद्ध विकास के लिए एक समन्वित रूपरेखा स्पष्ट रूप से निर्धारित करती हो।

संधारणीयता

पर्यावरण संरक्षण हवाईअड्डा स्थल पर प्रस्तावित सभी विकास कार्यों के नियोजन एवं क्रियान्वयन में विचार किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण पहलू है। मास्टर प्लान में पर्यावरणीय पहलुओं को विभिन्न आयामों तथा स्थल की समग्र संधारणीयता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस संबंध में यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि प्रस्तावित परियोजना एवं संबंधित अवसंरचना का स्थल पर समुचित अवस्थापन हो तथा उसका स्थल की सीमा के भीतर एवं आसपास के क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावों का समुचित आंकलन किया जाए, उदाहरण के तौर पर स्थल तक पहुंच हेतु परिवहन व्यवस्था, स्थल पर प्रकाश व्यवस्था से उत्पन्न पर्यावरणीय प्रभाव।

- **जल:** जल की मांग का आंकलन एवं प्रबंधन किस प्रकार किया जाएगा तथा स्थल पर जल के उपचार, पुनर्चक्रण अथवा पुनः उपयोग की व्यवस्था किस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी?

संधारणीय रूप में समग्र स्थल के लिए जल प्रबंधन रणनीति का प्रमुख उद्देश्य सर्वप्रथम जल की मांग को न्यूनतम करना होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भवनों में जल उपयोग, सिंचाई तथा अग्नि सुरक्षा संबंधी जल आवश्यकताओं का समुचित प्रबंधन किया जाना चाहिए। भवनों में जल की खपत को कम करने के लिए जलकुशल फिटिंग एवं उपकरणों-, जैसे जलबचत करने वाले नल-, सिंक तथा शौचालय फिटिंग्स का उपयोग किया जाना चाहिए। सिंचाई हेतु जल की आवश्यकता को न्यूनतम करने के लिए स्थानीय एवं कम जलआवश्यकता वाली-, सूखासहिष्णु वनस्पति प्रजातियों का चयन एवं - उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ऐसी जल प्रबंधन प्रणालियां विकसित की जानी चाहिए जिनके माध्यम से ग्रेवर्षा जल का संग्रहण उपचारित अपशिष्ट जल तथा/वाॉटर-, उपचार अथवा पुनः उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। ऐसे जल का उपयोग गैरपेयजल प्रयोजनों-, जैसे सिंचाई, विमान धुलाई तथा अन्य उपयुक्त हवाईअड्डा गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए।

- **ऊर्जा:** स्थल की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति संधारणीय एवं ऊर्जातरीके से किस प्रकार सुनिश्चित कुशल- की जाएगी तथा ऊर्जा की खपत करने वाली भवन प्रणालियों एवं उपकरणों की ऊर्जा दक्षता किस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी?

हवाईअड्डे का समग्र ऊर्जा प्रदर्शन सूचकांक (ईपीआई) उद्योग के उस औसत ईपीआई से कम होना चाहिए, जिसे समय एवं अद्यतन किया जाता है। समय पर संशोधित-

हवाईअड्डा स्थल पर भवनों के संचालन हेतु आवश्यक ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण भाग कन्वेयंस प्रणालियों, विभिन्न उपकरणों तथा विशेषीकृत प्रणालियों, जैसे बैगेज हैंडलिंग प्रणाली के संचालन में व्यय होता है। एचवीएसी (हीटिंग, वेंटिलेशन एवं एयर कंडीशनिंग) तथा प्रकाश व्यवस्था से संबंधित ऊर्जा खपत को (सौर छायांकन जैसे सनशेड तथा प्राकृतिक प्रकाश के अधिकतम उपयोग के माध्यम से कम किया जाना चाहिए। उक्त ऊर्जादक्षता उपायों को यात्री टर्मिनल भवन के स-ाथसाथ सभी सहायक भवनों में भी - -के भवनों में आधुनिक नियंत्रण प्रणालियों से युक्त उच्च ऊर्जा लागू किया जाना चाहिए। हवाईअड्डे कुशल प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाना अपेक्षित -दक्षता वाली एयर कंडीशनिंग प्रणाली तथा ऊर्जा है, ताकि भवनों की ऊर्जा खपत को न्यूनतम करते हुए निर्धारित ऊर्जा प्रदर्शन मानकों की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

- **सामग्रीसंसाधन/ः** हवाईअड्डा स्थल पर निर्माण कार्यों तथा दैनिक परिचालन के दौरान उत्पन्न ठोस अपशिष्ट एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण, पृथक्करण, उपचार, पुनर्चक्रण एवं निपटान किस प्रकार

सुनिश्चित किया जाएगा तथा नई निर्माण सामग्रियों एवं संसाधनों का चयन, उपयोग एवं स्थापना संधारणीयता के सिद्धांतों के अनुरूप किस प्रकार की जाएगी?

स्थल पर निर्माण कार्यों, यात्री टर्मिनल भवन तथा सहायक संरचनाओं में प्रयुक्त की जाने वाली निर्माण सामग्री एवं उत्पाद कम विषाक्तता वाली, टिकाऊ, न्यून रखरखाव वाली तथा जहां तक संभव हो, पुनर्चक्रित सामग्री से युक्त होने चाहिए। जहां निर्धारित तकनीकी एवं प्रदर्शन मानदंडों को पूरा करने वाली क्षेत्रीय अथवा स्थानीय रूप से निर्मित सामग्री एवं उत्पाद उपलब्ध हों, वहां परिवहन संबंधी पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम करने तथा संधारणीयता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऐसी सामग्रियों एवं उत्पादों के उपयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

- **अपशिष्ट प्रबंधन:** स्थल पर अपशिष्ट प्रबंधन किस प्रकार सुनिश्चित किया जाएगा?

ऐसी समग्र अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति विकसित की जानी चाहिए, जिससे निर्माण चरण के दौरान उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट की मात्रा को न्यूनतम किया जा सके। इससे निर्माण सामग्री के स्थल तक परिवहन तथा उत्पन्न अपशिष्ट को स्थल से बाहर ले जाने में होने वाली परिवहन संबंधी ऊर्जा खपत को भी कम किया जा सकेगा। हवाईअड्डे की सुविधाओं के निर्माण एवं विकास के उपरांत, नियमित परिचालन के दौरान कर्मचारियों एवं यात्रियों से उत्पन्न ऐसे अपशिष्ट की मात्रा को न्यूनतम करने के लिए समुचित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, जिसे लैंडफिल में भेजना आवश्यक हो। इसके लिए जहां तक संभव हो, अपशिष्ट के स्रोत पर पृथक्करण, पुनः उपयोग एवं पुनर्चक्रण तथा जैविक अपशिष्ट के कम्पोस्टिंग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा को न्यूनतम किया जा सके।

- **आंतरिक पर्यावरणीय गुणवत्ता:** क्या भवन प्रणालियों एवं सुविधाओं का नियोजन एवं संचालन इस प्रकार किया जा रहा है कि भवन में स्वच्छ एवं पर्याप्त वायु तथा प्राकृतिक प्रकाश की अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित हो? साथ ही, ध्वनि एवं शोर के स्तर को न्यूनतम करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जा रहे हैं?

सभी भवनों में यांत्रिक वेंटिलेशन प्रणाली की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा कम वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (न्यून-वीओसी) उत्सर्जन वाली निर्माण एवं परिष्करण सामग्रियों का चयन किया जाना चाहिए। बाह्य स्रोतों, विशेष रूप से विमानों एवं वाहनों से उत्पन्न शोर के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए उपयुक्त ध्वनिरोधी ग्लेज़िंग तथा अन्य ध्वनिक सामग्रियों एवं उपायों का उपयोग किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, भवनों के भीतर यात्रियों, कर्मचारियों तथा विभिन्न परिचालन एवं कार्यकलापों से उत्पन्न आंतरिक शोर के स्तर को नियंत्रित एवं न्यूनतम करने के लिए उपयुक्त ध्वनिक उपचार एवं शोर नियंत्रण उपायों को अपनाया जाना चाहिए।

निम्नलिखित में स्थल के लिए निर्धारित न्यूनतम संधारणीयता लक्ष्यों एवं मानकों का सारांश प्रस्तुत किया गया है:

- कम) %25 कम-से-पच्चीस प्रतिशतस्ट्रीट लाइट एवं पा (किंग लाइट की विद्युत ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति सौर ऊर्जा के माध्यम से की जानी चाहिए।

- स्थल पर उत्पन्न कुल वर्षा जल अपवाह में से कम) %30 कम-से-तीस प्रतिशतके लिए वर्षा जल (भृत के पुनर्भरण अथवा -संचयन की व्यवस्था की जानी चाहिए। संचित वर्षा जल का उपयोग भूजल सिंचाई के प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है।
- यूटिलिटी सहायक भवनों की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सौर ऊर्जा अथवा अन्य उपयुक्त नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे मीथेन गैस का उपयोग किया जाना चाहिए।
- उपचारित सीवेज जल का यथासंभव पूर्णतः पुनः उपयोग चिलर मेक ,अप जल-सिंचाई अथवा अन्य अनुमत गैरपेयजल प्रयोजनों के लिए किया जाना चाहिए।-
- स्थल पर विद्यमान अधिकतम संभव संख्या में वृक्षों का संरक्षण किया जाना चाहिए। जहां स्थल विकास के कारण वृक्षों को उनके वर्तमान स्थान पर संरक्षित करना संभव न हो, वहां व्यवहार्य वृक्षों को वैज्ञानिक रूप से प्रत्यारोपित कर वाणिज्यिक विकास क्षेत्रों अथवा अन्य उपयुक्त क्षेत्रों में पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए।

3. हवाईअड्डा

3.1 हवाईअड्डे के विकास में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित होंगे:

- (i) इस अनुसूची-बी में वर्णित तथा इसकी अनुलग्नक-I में सूचीबद्ध विभिन्न परिसंपत्तियों का निर्माण, स्थापना एवं क्रय/अर्जन, जिसमें आवश्यकतानुसार निम्नलिखित सम्मिलित होंगे— रनवे, टैक्सीवे, एप्रन, विमान पार्किंग बे, एयर ट्रेफिक कंट्रोल टावर, कार्गो सुविधाएं, पार्किंग सुविधाएं, फ्लाइट किचन, एमआरओ सुविधाएं, वेयरहाउसिंग सुविधाएं, एयरलाइन कार्यालय, प्रशासनिक कार्यालय तथा अन्य संबद्ध सुविधाएं;
- (ii) यात्री टर्मिनल भवन एवं उससे संबंधित सुविधाओं का निर्माण, स्थापना एवं क्रय/अर्जन; तथा
- (iii) आवश्यक एप्रोच रोड (संबद्ध पहुंच मार्गों) का निर्माण।

3.2 हवाईअड्डे का विकास एवं निर्माण रियायतग्राही द्वारा मास्टर प्लान के अनुरूप तथा अनुसूची-सी में निर्धारित विनिर्देशों, मानकों एवं आवश्यकताओं के अनुसार किया जाएगा।

4. आरक्षित क्षेत्र

रियायतग्राही आरक्षित क्षेत्र को स्पष्ट रूप से चिह्नित करेगा तथा उक्त क्षेत्र के लिए आवश्यक भूमि/क्षेत्रफल का प्रावधान सुनिश्चित करेगा।

5. सिटी साइड विकास

- 5.1 सिटी साइड विकास अनुसूची-ए के अनुलग्नक-III में विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अनुसार तथा उनके अधीन किया जाएगा।
- 5.2 सिटी साइड विकास अनुसूची-सी में निर्धारित विनिर्देशों एवं मानकों के अनुरूप किया जाएगा।

अनुलग्नक-1

(अनुसूची-बी)

परिसंपत्तियों/परियोजना सुविधाओं का विवरण

इस अनुसूची का उद्देश्य हवाईअड्डे पर उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न परियोजना सुविधाओं का संक्षिप्त विवरण तथा उनसे संबंधित आवश्यकताओं को निर्धारित करना है। रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों के अनुरूप परियोजना सुविधाओं का संचालन, प्रबंधन, रखरखाव एवं विकास करेगा।

1. परिसंपत्तियां :

- क) एयरोड्रोम नियंत्रण सेवाएं
- ख) एयरफील्ड
- ग) एयरफील्ड ग्राउंड लाइटिंग
- घ) रनवे
- ड) एप्रन एवं सड़क प्रकाश व्यवस्था
- च) टैक्सीवे जिसमें रैपिड एग्जिट टैक्सीवे भी सम्मिलित हैं।
- छ) विमान बचाव एवं अग्निशमन सेवाएं(एआरएफएफ)
- ज) एयरसाइड एवं लैंडसाइड पहुंच मार्ग तथा संबंधित सुविधाएं, जिनमें यातायात संकेत, संकेतकसाइन / बोर्ड एवं निगरानी व्यवस्थाएं सम्मिलित हैं।
- झ) सुरक्षा जांच बिंदु
- ञ) अधिकृत सेवा प्रदाताओं द्वारा विमान ईंधन भरने की सेवाओं हेतु सामान्य हाइड्रेंट अवसंरचना
- ट) एप्रन क्षेत्र
- ठ) विमान स्टैंडों का एप्रन नियंत्रण एवं आवंटन
- ड) मैनुवैरिंग क्षेत्र
- ढ) एयरफील्ड संकेतक एवं मार्किंग्स
- ण) पक्षी नियंत्रण एवं पक्षी भयादोहन व्यवस्था
- त) कार्गो टर्मिनल
- थ) विमान ईंधन भरने हेतु सेवाएं 'प्लेन-इन्टू'
- द) हवाईअड्डा परिचालन नियंत्रण केंद्र
- ध) हवाईअड्डा स्थल पर निर्मित एवं संचालित संबद्ध सुविधाएं, जिनमें सीवेज संग्रहण एवं पुनर्चक्रण, जल उपचार तथा वर्षा जल प्रबंधन एवं निकासी व्यवस्था सम्मिलित हैं।
- न) ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट(जीएसई) अनुरक्षण भवन एवं पार्किंग क्षेत्र
- न) सामान्य विमानन सेवाएं – वाणिज्यिक हवाई परिवहन सेवाओं के अतिरिक्त अन्य विमानन सेवाएं, जिनमें यात्रियों, कार्गो अथवा यात्रियों एवं कार्गो दोनों के परिवहन से संबंधित सेवाएं सम्मिलित हैं।
- प) हैंगर
- फ) फ्लाइट कैटरिंग सेवाएं

- ब) वाहन पार्किंग सुविधाएं
- भ) विमानपत्तन अनुरक्षण भवन) एमआरओ)
- म) विमानपत्तन अनुरक्षण भवन हैंगर
- य) पुलिस स्टेशन एवं सीमा शुल्क भवन

परिसंपत्तियों की क्षमता संबंधित योजना के अनुरूप निर्धारित की जाएगी, जिसे रियायतग्राही द्वारा मास्टर प्लान के अंतर्गत समय-समय पर संशोधित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लागू आवश्यकताओं संबंधी दस्तावेजों एवं अनुलग्नकों, नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा निर्धारित नागरिक विमानन आवश्यकताओं तथा प्रचलित अच्छी उद्योग प्रथा के अनुरूप तैयार एवं प्रस्तुत किया जाएगा।

2. टर्मिनल भवन का विवरण

टर्मिनल भवन की योजना एवं डिजाइन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निम्नानुसार होंगे। रियायतग्राही द्वारा ऐसा यात्री टर्मिनल भवन विकसित किया जाएगा, जिसकी योजना एवं विन्यास सुव्यवस्थित हो तथा जो चरणबद्ध विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त रूप से लचीला, संधारणीय एवं लागत-प्रभावी हो।

दक्षता

टर्मिनल भवन का विन्यास सुव्यवस्थित, कार्यात्मक एवं परिचालन की दृष्टि से दक्ष होना चाहिए तथा इसमें स्पष्ट एवं प्रभावी दिशा-निर्देशन व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए। यात्रियों को प्रस्थान एवं आगमन, दोनों के लिए टर्मिनल भवन के भीतर तथा एयरसाइड क्षेत्र में स्थित घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं तक सुगम, निर्बाध एवं सहज पहुँच उपलब्ध होनी चाहिए। टर्मिनल भवन में आगमन एवं प्रस्थान करने वाले सभी यात्रियों तथा उनके सामान के लिए यात्री एवं सामान प्रवाह की सुचारु, सुरक्षित एवं कुशल व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि यात्री प्रसंस्करण एवं संबंधित परिचालन प्रक्रियाएं प्रभावी रूप से संपादित की जा सकें।

घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय गेटों का विन्यास एवं वितरण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि यात्री सुविधाओं तथा एयरसाइड परिचालन क्षेत्रों के मध्य उपलब्ध क्षमता का आवश्यकतानुसार लचीले ढंग से उपयोग एवं पुनर्विन्यास किया जा सके। टर्मिनल भवन में इंटीग्रेटेड लैंडस्केपिंग होनी चाहिए।

लचीलापन

टर्मिनल भवन का स्थानिक विन्यास एवं संरचनात्मक डिजाइन मॉड्यूलर, लचीला एवं विस्तार योग्य रखा जाना चाहिए, ताकि भविष्य की यातायात मांग एवं परिचालन संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप इसका विस्तार एवं पुनर्विन्यास किया जा सके। टर्मिनल भवन की योजना में चरणबद्ध विकास का पर्याप्त प्रावधान होना चाहिए, जिससे आवश्यकतानुसार बैगेज प्रसंस्करण सुविधाओं, यात्री प्रसंस्करण क्षेत्रों तथा अन्य प्रमुख यात्री सुविधाओं का क्रमिक एवं समन्वित विकास किया जा सके।

संधारणीयता

टर्मिनल भवन की योजना, वास्तुकला एवं डिजाइन में संधारणीयता संबंधी उपायों एवं रणनीतियों को समुचित रूप से समाहित किया जाना चाहिए। इसमें सौर ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन एवं उपयोग तथा उपयुक्त लैंडस्केपिंग के माध्यम से हरित एवं पर्यावरण-अनुकूल विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, वर्षा जल संचयन जैसी व्यवस्थाओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। भवन के लिए न्यूनतम GRIHA 4-स्टार रेटिंग प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए।

किफायत/आर्थिकता

नए एकीकृत यात्री टर्मिनल भवन का निर्माण लागत-प्रभावी, ऊर्जा-कुशल एवं पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकियों तथा समाधानों को अपनाते हुए किया जाना चाहिए। निर्माण कार्यों में, जहां तक संभव हो, स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री एवं संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि निर्माण की लागत, संसाधन खपत तथा परिवहन से संबंधित पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम किया जा सके।

सुविधाएं

यात्री टर्मिनल भवन में न्यूनतम रूप से निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए:-

- क) आगमन कॉन्कोर्स एवं मीटिंग क्षेत्र;
- ख) इनलाइन बैगेज स्क्रीनिंग प्रणाली-, जिसमें सीटी/एक्स-रे आधारित प्रौद्योगिकी के माध्यम से आउटबाउंड एवं इनबाउंड बैगेज की स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो;
- ग) प्रस्थान प्रसंस्करण सुविधाएं, जिनमें पारंपरिक एवं स्वकियोस्क/इन काउंटर-सेवा चेक-, सीयूपीपीएस (कॉमन यूज पैसेंजर प्रोसेसिंग सिस्टम) अनुकूल प्रणालियां तथा सीयूएसएस (कॉमन यूज सेल्फ सर्विस (सुविधाएं सम्मिलित हों;
- घ) चेकइन काउंटर एवं स्वचालित बैगेज ड्रॉप प्रणाली-;
- ङ) सार्वजनिक क्षेत्र, जिसमें सफाई, हीटिंग, प्रकाश व्यवस्था एवं वातानुकूलन की समुचित व्यवस्था हो;
- च) सीमा शुल्क एवं आव्रजन हॉल;
- छ) एक्सक्लूजन रूम;
- ज) आपातकालीन सेवाएं;
- झ) दिव्यांगजन एवं अन्य विशेष आवश्यकताओं वाले यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाएं;
- ञ) अग्निशमन सेवाएं;
- ट) उड़ान सूचना प्रदर्शन प्रणाली एवं सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली;
- ठ) खुदरा एवं सतही पार्किंग सुविधाएं;
- ड) मार्गदर्शन एवं दिशानिर्देशन प्रणाली-;
- ढ) सूचना डेस्क;
- ण) टर्मिनलों के बीच आवागमन प्रणाली
- त) लिफ्ट, एस्केलेटर एवं यात्री कन्वेयर;

- थ) लोडिंग ब्रिज;
- द) खोई हुई वस्तुओं के लिए सुविधा;
- ध) यात्री एवं हैंड बैगेज तलाशी;
- न) पुलिसिंग एवं सामान्य सुरक्षा व्यवस्था, जिसमें सीसीटीवी प्रणाली तथा अन्य संबंधित सुरक्षा उपकरण एवं प्रणालियां सम्मिलित हों;
- न) प्रार्थना कक्ष;
- प) संकेतकसाइन/ेज;
- फ) शौचालय एवं शिशु देखभालस्तनपान कक्ष/;
- ब) अपशिष्ट एवं कचरा उपचार तथा निपटान की व्यवस्था;
- भ) कार्गो एवं चेक रे-इन बैगेज के लिए एक्स-स्क्रीनिंग;
- म) वीआईपीविशेष लाउंज/, वाणिज्यिक लाउंज एवं अन्य निर्दिष्ट लाउंज सुविधाएं;
- य) एयरलाइन लाउंज;
- र) टर्मिनल भवन में जलपान एवं रिफ्रेशमेंट सुविधाएं;
- र) टूर ऑपरेटर एवं ट्रेवल एजेंटों के लिए सुविधाएं;
- ल) टैक्सी बुकिंगके आवागमन हेतु परिवहन सुविधाएं किराये तथा यात्रियों/ं;
- ळ) बैंक एवं विदेशी मुद्रा विनिमय की सुविधाएं;
- ळ) सार्वजनिक उपयोग हेतु टेलीफोन सुविधाएं;
- व) वृक्षारोपण एवं लैंडस्केपिंग;
- श) पोर्टर सेवाएं;
- ष) डाक सेवाएं; तथा
- स) हवाईअड्डा कार्यालय ।

टर्मिनल भवन के फिनिशिंग कार्य एवं अन्य लेआउट संबंधी अवयवों में न्यूनतम रूप से निम्नलिखित शामिल होंगे:-

- (i) टर्मिनल भवन के सभी आवश्यक एवं उपयुक्त क्षेत्रों में वातानुकूलन प्रणाली की समुचित व्यवस्था।
- (ii) टर्मिनल भवन में उपयुक्त रूप से नियोजित प्रसाधन कक्षविश्राम कक्ष तथा आवश्यक आंतरिक / सज्जा एवं फिनिशिंग का प्रावधान-साज, जिसमें जल संरक्षण एवं जलकुशल उपकरणों के उपयोग - पर विशेष बल दिया जाए।
- (iii) टर्मिनल भवन में यात्री आवागमन की आवश्यकता के अनुरूप उचित स्थान एवं सुव्यवस्थित लेआउट के साथ एस्केलेटर की व्यवस्था।
- (iv) टर्मिनल भवन में यात्री एवं दिव्यांगजन आवागमन की आवश्यकताओं के अनुरूप उचित स्थान एवं सुव्यवस्थित लेआउट के साथ लिफ्टएलिवेटर की व्यवस्था।
- (v) यात्रियों की अनुमानित क्षमता एवं आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त क्षमता वाली सार्वजनिक बैठने की व्यवस्था का प्रावधान।

- (vi) संपूर्ण यात्री टर्मिनल भवन में पर्याप्त संख्या एवं उपयुक्त स्थानों पर स्क्रीनपैनल डिस्प्ले -फ्लैट/ सहित सार्वजनिक उड़ान सूचना प्रदर्शन प्रणाली की स्थापना एवं व्यवस्था।
- (vii) टर्मिनल भवन में यात्रियों के सुगम मार्गदर्शन एवं सूचना हेतु सूचनात्मक, दिशात्मक एवं आपातकालीन साइनेजसंकेतकों की समुचित एवं मानकीकृत व्यवस्था।

हवाईअड्डे की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) प्रणाली में निम्नलिखित प्रमुख प्रणालियां एवं सुविधाएं शामिल होंगी:

- (i) डेटा संचार नेटवर्क, जिसमें वायरलेस संचार नेटवर्क भी शामिल हो;
- (ii) हवाईअड्डा सूचना प्रबंधन प्रणाली, जिसमें एयरपोर्ट ऑपरेशनल डेटाबेस (एओडीबी) शामिल हो;
- (iii) बैगेज रीकन्सिलिएशन सिस्टम) बीआरएस(;
- (iv) हवाईअड्डा एवं एयरलाइन सूचना प्रणालियां, जिनमें नवीन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों(आईसीटी) के एकीकरण एवं भविष्य में उन्नयन की क्षमता हो;
- (v) यात्रियों की सूचना एवं मार्गदर्शन हेतु सूचना कियोस्क;
- (vi) सूचना प्रसारण हेतु सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली)पीएस(; तथा
- (vii) हवाईअड्डा परिसर एवं परिचालन क्षेत्रों की निगरानी हेतु क्लोज्ड(सीसीटीवी) सर्किट टेलीविजन-आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली;
- (viii) स्वचालित ट्रे पुनर्प्राप्ति प्रणाली)एटीआरएस(।

रियायतग्राही एक सुरक्षित, विश्वसनीय एवं कुशल बैगेज हैंडलिंग प्रणाली की व्यवस्था, स्थापना, संचालन एवं अनुरक्षण करेगा, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख प्रणालियां एवं सुविधाएं शामिल होंगी:

- (i) सभी घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय परिचालनों हेतु होल्ड बैगेज की) %100शतसुरक्षा जा (प्रतिशत-ंच के लिए इन लाइन बैगेज स्क्रीनिंग प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी। उक्त प्रणाली-इकाओ Annex (एसएआरपी) में निर्धारित मानकों एवं अनुशंसित प्रथाओं 17तथा हवाईअड्डे की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी सक्षम सरकारी प्राधिकरणसमय पर निर्धारित लागू -संबंधित सुरक्षा एजेंसी द्वारा समय/ कताओं एवं मानकों के अनुरूप होगी। उक्त व्यवस्था टर्मिनल भवन में उपलब्ध स्थान की आवश्यक सीमाओं, यदि कोई हों, के अधीन की जाएगी।
- (ii) चेकइन बैगेज-, आगमन बैगेज तथा अधिक आकार केविशेष/ आकार के सामान की सुरक्षित एवं सुचारु हैंडलिंग हेतु समुचित बैगेज हैंडलिंग व्यवस्था
- (iii) सामान प्राप्त करने की सुविधाएं (बैगेज क्लेम)
- (iv) खोये हुएगुम सामान की हैंडलिंग एवं भंडारण/

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि हवाईअड्डे के मौजूदा टर्मिनल भवन में इन-लाइन बैगेज स्क्रीनिंग प्रणाली वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, तो रियायतग्राही को मौजूदा टर्मिनल भवन में ऐसी प्रणाली स्थापित एवं उपलब्ध कराने का अधिकार होगा, परंतु वह इसके लिए बाध्य नहीं होगा। आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नए टर्मिनल भवन में इन-लाइन बैगेज स्क्रीनिंग प्रणाली की स्थापना एवं प्रावधान अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

टर्मिनल भवन की क्षमता संबंधित/प्रचलित परिप्रेक्ष्य योजना के अनुरूप निर्धारित की जाएगी। उक्त परिप्रेक्ष्य योजना को रियायतग्राही द्वारा मास्टर प्लान के अभिन्न अंग के रूप में समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा तथा यह योजना लागू इकाओं दस्तावेजों एवं अनुलग्नकों, डीजीसीए द्वारा निर्धारित प्रासंगिक नागरिक विमानन आवश्यकताओं तथा प्रचलित उद्योग की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के अनुरूप होगी।

3. विनिर्देश एवं मानक

सभी परिसंपत्तियां, जिसमें टर्मिनल भवन भी शामिल है, अनुसूची-सी में विनिर्दिष्ट लागू विनिर्देशों, मानकों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित, निर्मित एवं अनुरक्षित की जाएंगी।

अनुसूची - सी

विनिर्देश एवं मानक

(खंड 2.1 देखें)

हवाईअड्डा

रियायतग्राही हवाईअड्डे पर अपने द्वारा अथवा अपनी ओर से किए जाने वाले सभी निर्माण कार्यों के संबंध में इस अनुसूची-सी में विनिर्दिष्ट विनिर्देशों एवं मानकों का अनुपालन करेगा। तथापि, समझौते के खंड 6.4.5 में संदर्भित प्रगति पर चल रहे कार्य इस प्रावधान के अंतर्गत नहीं आएंगे।

1. अनिवार्य मानक एवं आवश्यकताएं

रियायतग्राही हवाईअड्डे पर किए जाने वाले कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में विनिर्दिष्ट लागू निर्माण मानकों, तकनीकी मानकों एवं अन्य आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा, जिन्हें समय-समय पर संशोधित, प्रतिस्थापित अथवा अद्यतन किया जा सकता है:

- क) Section 4, Series 'B', Part I, Civil Aviation Requirements (CAR), एयरोड्रोम मानक एवं एयर ट्रेफिक सेवाएं नवंबर 2009;
- ख) डीजीसीए CAR Section – 4Aerodrome Standards and Air Traffic Services, Series 'F', Part I, जो एयरोड्रोम लाइसेंसिंग से संबंधित है;
- ग) इकाओ – के अंतरराष्ट्रीय मानक एवं अनुशंसित प्रथाएं जो एयरोड्रोम से संबंधित निम्नलिखित संदर्भों में शामिल होंगे, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे:
 - i) इकाओ अनुबंध 9 – सरलीकरण
 - ii) इकाओ अनुबंध 1 – 2खोज एवं बचाव
 - iii) इकाओ अनुबंध – 14विमानक्षेत्र अभिकल्प एवं प्रचालन
 - iv) इकाओ अनुबंध – 15वैमानिकी सूचना सेवाएं
 - v) इकाओ अनुबंध 16 – पर्यावरण संरक्षण
 - vi) इकाओ अनुबंध – 17सुरक्षा
 - vii) इकाओ अनुबंध – 18वायु द्वारा खतरनाक माल का सुरक्षित परिवहन
- घ) इकाओ विमानक्षेत्र अभिकल्प मैनुअल (9157 दस्तावेज़);
- ड) इकाओ विमानपतन सेवाएं मैनुअल (9137 दस्तावेज़);
- च) इकाओ विमानपतन आयोजना मैनुअल -9184 दस्तावेज़)AN/(902;
- छ) लागू होने वाले अन्य कोई इकाओ मैनुअल और मानक;
- ज) विमानपतन टर्मिनल भवनॉनेशनल फायर .एस.फ्यूलिंग रैंप ड्रेनेज तथा लोडिंग वॉकवे से संबंधित यू , के मानक (एनएफपीए) प्रोटेक्शन एसोसिएशन;

- झ) अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (आईएटीए) का विमानपत्तन विकास संदर्भ मैनुअल, वा10[ं] संस्करण मार्च 2014 ,;
- ज) एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) की एप्रन चिह्नांकन एवं संकेतक पुस्तिका में दी गई सिफारिशें;
- ट) भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016;
- ठ) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा प्रकाशित संबंधित भारतीय मानक संहिताएं;
- ड) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी ऊर्जा संरक्षण भवन संहितासमय पर संशोधित किया -जिसे समय ,2007 , गया है;
- ढ) सांविधिक अभिकरणों की आवश्यकताएं, जिनमें नागरिक विमानन महानिदेशालय ,नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो ,रक्षा मंत्रालय ,सीमा शुल्क एवं आव्रजन प्राधिकरण ,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आवश्यकताएं शामिल हैं;
- ण) EN मानक
- त) लागू कानून
- थ) उपर्युक्त में उल्लिखित नहीं किए गए अन्य सभी लागू मैनुअलविनिर्देश एवं दिशानिर्देश। ,मानक ,

यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी विरोधाभास की स्थिति में, डीजीसीए की आवश्यकताएं एवं मानक, आईएटीए अथवा इकाओ जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के किसी भी मानक और आवश्यकताओं पर अभिभावी होंगे।

अनुसूची-डी

संकेतात्मक रूप से लागू अनुज्ञप्तियां

(खंड 4.13 देखें)

रियायतग्राही संबंधित गतिविधि प्रारंभ करने से पूर्व, लागू विधियों एवं विनियमों के अधीन, निम्नलिखित आवश्यक अनुमतियां एवं अनुज्ञप्तियां प्राप्त करेगा:

- (क) खदान से उत्खनन हेतु राज्य सरकार से आवश्यक अनुमति;
- (ख) क्रशर स्थापित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति;
- (ग) विस्फोटकों के उपयोग हेतु लाइसेंस;
- (घ) पेट्रोलियम की विभिन्न श्रेणियों के भंडारण, उपयोग एवं परिवहन हेतु लाइसेंस;
- (ङ) नदी जलाशय से/जल लेने के लिए राज्य सरकार की अनुमति;
- (च) बैचिंग प्लांट स्थापित करने हेतु कारखाना निरीक्षक अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी से लाइसेंस;
- (छ) बैचिंग प्लांट स्थापित करने हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्तिस्वीकृति/;
- (ज) डामर संयंत्र हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्तिस्वीकृति/;
- (झ) डीजल जनरेटर सेट स्थापित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति/अनापत्ति/;
- (ञ) टर्मिनल भवन, कार्गो परिसर, विमान में ईंधन भरने की सुविधाओं तथा अन्य संरचनाओं के निर्माण, स्वीकृतियां/यांचालन एवं अनुरक्षण हेतु आवश्यक अनापत्ति जैसे अग्निशमन, बीसीएस, पेट्रोलियम आदि से संबंधित अनापत्तियां/स्वीकृतियां/;
- (ट) वृक्षों की कटाई हेतु राज्य सरकार की अनुमति;
- (ठ) लागू कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित कोई अन्य परमिट अथवा अनापत्तियां/स्वीकृतियां/;
- (ड) विमानपत्तन के लिए सीएनएस/एटीएम प्रचालन के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ करार;
- (ढ) कार्गो प्रचालनों के लिए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड से अनापत्तियां/स्वीकृतियां/; तथा
- (ण) यदि किसी विदेशी स्वामी भागीदार/शामिल हो, तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय से अनापत्तियां/स्वीकृतियां।

अनुसूची-ई

निष्पादन प्रतिभूति

(खंड 9.1 देखें)

[उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाना है]

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

राजीव गांधी भवन,
सफदरजंग एयरपोर्ट,
नई दिल्ली-110003,
भारत

जबकि (WHEREAS):

- A. ("रियायतग्राही") [●] और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ("प्राधिकरण") ने दिनांक [●] को एक रियायत समझौता (Concession Agreement) किया है, जिसके अंतर्गत प्राधिकरण ने रियायतग्राही को [हवाई अड्डे का नाम], जो मैं [राज्य का नाम] स्थित है, के संचालन, प्रबंधन एवं विकास के लिए अधिकृत किया है। उक्त कार्य रियायत समझौते के उपबंधों के अधीन और उनके अनुसार किया जाएगा।
- B. रियायत समझौते के उपबंधों के अनुसार, रियायतग्राही को रियायत समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों के उचित एवं निष्ठापूर्वक निष्पादन (due and faithful performance) को सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण के पक्ष में ₹[●] (रुपये [●] करोड़ मात्र (की राशि की कार्य-निष्पादन प्रतिभूति) Performance Security) प्रस्तुत करनी है। उक्त कार्य निष्पादन प्रतिभूति रियायत समझौते के अंतर्गत रियायतग्राही-द्वारा अपने दायित्वों के उचित एवं निष्ठापूर्वक निष्पादन की गारंटी के रूप में होगी।
- C. हम, [●], अपनी [●] शाखा के माध्यम से) जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा, रियायतग्राही के अनुरोध पर, कार्य") निष्पादन प्रतिभूति के रूप में यह बैंक गारंटी-गारंटी ("जारी करने तथा रियायत समझौते और इस गारंटी में निहित शर्तों के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए सहमत हुए हैं।

अतः, बैंक इसके द्वारा बिना शर्त एवं अपरिवर्तनीय रूप से निम्नलिखित के अनुसार गारंटी देता है और वचन देता है:

1. बैंक इसके द्वारा प्राधिकरण को बिना शर्त एवं अपरिवर्तनीय रूप से गारंटी देता है और वचनबद्ध होता है कि यदि रियायतग्राही अपने किसी अथवा सभी दायित्वों का उचित एवं निष्ठापूर्वक निष्पादन करने में विफल रहता है अथवा कोई चूक करता है, या रियायत समझौते के उपबंधों के अंतर्गत किसी अन्य प्रकार की चूक करता है, तो प्राधिकरण की प्रथम लिखित मांग प्राप्त होने पर बैंक, बिना किसी आपत्ति, आरक्षण, प्रतिरक्षा, प्रतिवाद अथवा विरोध के और रियायतग्राही को संदर्भित किए बिना, प्राधिकरण द्वारा मांग की गई ऐसी राशि अथवा राशियों का भुगतान करेगा, जो कुल मिलाकर गारंटी राशि से अधिक नहीं होगी। ऐसी मांग के संबंध में प्राधिकरण को न तो अपनी मांग के आधार अथवा कारण को सिद्ध या

निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होगी और न ही मांग में उल्लिखित राशि के संबंध में कोई साक्ष्य अथवा प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

2. प्राधिकरण की ओर से [●]से कम पद/रैंक के अधिकारी द्वारा जारी किया गया ऐसा प्रमाणपत्र, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि रियायतग्राही से कोई राशि देय एवं बकाया है अथवा रियायतग्राही ने रियायत समझौते के अंतर्गत अपने किसी अथवा सभी दायित्वों के उचित एवं निष्ठापूर्वक निष्पादन में चूक की है, बैंक के लिए निर्णायक, अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। बैंक आगे यह स्वीकार करता है कि रियायतग्राही द्वारा रियायत समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों के उचित एवं निष्ठापूर्वक निष्पादन में चूक हुई है अथवा नहीं, इसका निर्धारण करने का एकमात्र अधिकार प्राधिकरण को होगा और इस संबंध में प्राधिकरण का निर्णय बैंक के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा, भले ही; प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच इस संबंध में कोई मतभेद या विवाद हो; या किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण, मध्यस्थ या अन्य सक्षम प्राधिकारिकाय के समक्ष कोई विवाद/, कार्यवाही या मामला लंबित हो; या किसी भी कारण से रियायतग्राही को उसके पद अथवा दायित्वों से मुक्त, निलंबित या हटाया गया हो।
3. इस गारंटी को प्रभावी करने के प्रयोजनार्थ, प्राधिकरण को बैंक के साथ इस प्रकार व्यवहार करने का अधिकार होगा मानो बैंक स्वयं मूल देनदार हो। रियायतग्राही और बैंक के गठन, संरचना अथवा स्वामित्व में कोई परिवर्तन, चाहे ऐसा परिवर्तन किसी अन्य संस्था या निगम के साथ विलय अथवा समामेलन के परिणामस्वरूप हुआ हो या किसी अन्य कारण से, इस गारंटी के अंतर्गत बैंक की देयता अथवा दायित्व को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करेगा और न ही इस गारंटी के अधीन बैंक को उसके दायित्व से मुक्त करेगा।
4. इस गारंटी के अंतर्गत बैंक के समक्ष कोई मांग प्रस्तुत करने से पूर्व प्राधिकरण के लिए रियायतग्राही के विरुद्ध कोई कार्रवाई, कार्यवाही अथवा अन्य उपाय करना आवश्यक नहीं होगा। बैंक इसके द्वारा ऐसी किसी भी कार्रवाई, कार्यवाही अथवा उपाय की आवश्यकता को, जो इस गारंटी के अंतर्गत बैंक की देयता को प्रवर्तित करने के लिए आवश्यक हो सकती है, स्पष्ट रूप से त्यागता है।
5. प्राधिकरण को इस गारंटी के अंतर्गत बैंक की देयता अथवा दायित्व को किसी भी प्रकार प्रभावित किए बिना, किसी भी समय रियायत समझौते के किसी अथवा सभी निबंधनों एवं शर्तों में परिवर्तन करने, रियायतग्राही द्वारा रियायत समझौते के अंतर्गत अपने किसी अथवा सभी दायित्वों के अनुपालन, पूर्ति एवं निष्पादन के लिए निर्धारित समय अथवा अवधि को बढ़ाने, रियायत समझौते के अंतर्गत रियायतग्राही के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा प्रयोग किए जा सकने वाले किसी भी अधिकार अथवा शक्ति के प्रयोग को किसी अवधि के लिए अथवा समयसमय पर स्थगित करने, रियायत समझौते में निहित किसी निबंधन अथवा शर्त को प्रवर्तित करना अथवा उसके प्रवर्तन से विरत रहने और प्राधिकरण के पक्ष में उपलब्ध किसी प्रतिभूति को प्रवर्तित करना अथवा उसके प्रवर्तन से विरत रहने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। उपरोक्त में से किसी भी अधिकार का प्राधिकरण द्वारा प्रयोग किया जाना अथवा उसका प्रयोग न किया जाना, किसी भी प्रकार से बैंक को इस गारंटी के अंतर्गत उसकी देयता अथवा दायित्व से मुक्त नहीं करेगा। इसी प्रकार, रियायतग्राही को समय प्रदान किए जाने, अथवा प्राधिकरण द्वारा किसी प्रकार की सहनशीलता, उदारता, रियायत, कार्रवाई अथवा चूक किए जाने, अथवा किसी अन्य ऐसे कार्य, मामले अथवा परिस्थिति के कारण, जो जमानतदारगार/ंटर से संबंधित किसी लागू विधि के अंतर्गत बैंक को उसकी देयता से मुक्त कर सकती हो, बैंक इस गारंटी के अंतर्गत अपनी देयता अथवा दायित्व से मुक्त नहीं होगा। बैंक इसके द्वारा ऐसे किसी भी लागू कानून के अंतर्गत उसे उपलब्ध उन सभी अधिकारों का

स्पष्ट रूप से परित्याग करता है, जिनका आश्रय लेकर बैंक इस गारंटी के अंतर्गत अपनी देयता अथवा दायित्व से मुक्त होने का दावा कर सकता है।

6. यह गारंटी, रियायत समझौते के संबंध में अथवा उसके अंतर्गत रियायतग्राही के किसी अथवा सभी दायित्वों की पूर्ति, अनुपालन एवं निष्पादन के लिए प्राधिकरण के पास वर्तमान में उपलब्ध अथवा भविष्य में उपलब्ध होने वाली किसी अन्य गारंटी, प्रतिभूति अथवा सुरक्षा के अतिरिक्त होगी और ऐसी किसी गारंटी, प्रतिभूति अथवा सुरक्षा के स्थान पर नहीं होगी।
7. इसमें निहित किसी अन्य प्रावधान के होते हुए भी, इस गारंटी के अंतर्गत बैंक की कुल देयता गारंटी राशि तक सीमित रहेगी और यह गारंटी रियायत समझौते में निर्दिष्ट अवधि तक प्रभावी एवं प्रवर्तनीय रहेगी। यदि प्राधिकरण द्वारा इस गारंटी के अंतर्गत बैंक के समक्ष कोई लिखित मांग अथवा दावा इस गारंटी की समाप्ति की तारीख से) 3तीन माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया (जाता है, तो इस गारंटी के अंतर्गत प्राधिकरण के सभी अधिकार स्वतः समाप्त एवं जब्त हो जाएंगे और बैंक इस गारंटी के अंतर्गत अपनी सभी देयताओं एवं दायित्वों से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा।
8. कार्यनिष्पादन प्रतिभूति रियायत समझौते में निर्धारित वैधता अवधि की समाप्ति के पश्चात प्रभावी अथवा प्रवर्तनीय नहीं रहेगी। उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात) 3तीनमाह की दावा अवधि होगी। (निष्पादन प्रतिभूति के विमोचन हेतु अनुरोध प्रस्तुत किए जाने तथा इस संबंध -रियायतग्राही द्वारा कार्य में आवश्यक विवरण और रियायतग्राही के वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर, प्राधिकरण इस गारंटी की समाप्ति की तारीख से) 3तीनमाह की (निष्पादन प्रतिभूति को तत्काल विमोचित करेगा।-दावा अवधि पूर्ण होने के पश्चात कार्य
9. बैंक यह वचन देता है कि वह इस गारंटी की वैधता अवधि के दौरान इसे निरस्त नहीं करेगा, जब तक कि इसके लिए प्राधिकरण की पूर्व लिखित एवं स्पष्ट सहमति प्राप्त न हो। बैंक यह भी अभ्यावेदन एवं आश्वासन देता है कि उसे यह गारंटी जारी करने का पूर्ण प्राधिकार प्राप्त है तथा इस गारंटी पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को बैंक की ओर से इस गारंटी को निष्पादित एवं जारी करने के लिए विधिवत प्राधिकृत किया गया है।
10. इस गारंटी के अंतर्गत किसी भी सूचना, मांग अथवा अन्य संचार को बैंक को उसके ऊपर उल्लिखित शाखा के पते पर डाक द्वारा भेजा जा सकेगा। उक्त शाखा को ऐसी सूचना, मांग अथवा संचार प्राप्त करने तथा, यथास्थिति, उसके अनुसरण में भुगतान करने के लिए बैंक की ओर से विधिवत प्राधिकृत माना जाएगा। यदि ऐसी सूचना डाक द्वारा भेजी जाती है, तो उसे उस समय विधिवत प्राप्त माना जाएगा, जब वह सामान्य डाक प्रक्रिया के दौरान वितरित हो जानी चाहिए थी। ऐसी सूचना के प्रेषण को सिद्ध करने के लिए यह पर्याप्त होगा कि उक्त सूचना वाला लिफाफा डाक द्वारा विधिवत प्रेषित किया गया था और प्राधिकरण के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया हो, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि उक्त लिफाफा डाक द्वारा प्रेषित किया गया था। ऐसा प्रमाणपत्र बैंक के लिए निर्णायक माना जाएगा।

यह दस्तावेज़ [●] के [●] दिन, [●], 20[●] को बैंक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं मुहरांकित कर निष्पादित एवं सुपुर्द किया गया।

बैंक की ओर से एवं उसके लिए

(हस्ताक्षर)

(नाम)

(पदनाम)

(कोड संख्या)

(पता)

टिप्पणियां:

(क) बैंक गारंटी पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी/अधिकारियों का नाम/, पदनाम एवं कर्मचारी/अधिकारी कोड / संख्या स्पष्ट रूप से अंकित की जानी चाहिए।

(ख) बैंक के प्रधान कार्यालय तथा गारंटी जारी करने वाली शाखा का पूरा पता, टेलीफोन नंबर तथा अन्य संपर्क विवरण, बैंक के कवरिंग लेटर/जारीकर्ता शाखा के पत्र पर स्पष्ट रूप से अंकित किए जाने चाहिए।/

अनुसूची-एफ

चरण-पूर्णता अनुसूची

(खंड 12.5.2 देखें)

1. चरण-पूर्णता अनुसूची

- 1.1 विकास अवधि (Development Period) के दौरान, रियायतग्राही प्रत्येक चरणीय माइलस्टोन (Phase Milestone) के संबंध में इस अनुसूची-F में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा।
- 1.2 प्रत्येक चरण के लिए चरणीय माइलस्टोन तथा निर्धारित पूर्णता तिथि रियायतग्राही द्वारा स्वतंत्र अभियंता के परामर्श से निर्धारित की जाएगी। उक्त निर्धारण संबंधित चरण के निर्माण कार्य के प्रारंभ होने की निर्धारित तिथि से कम) 30 कम-से-तीसदिन पूर्व किया जाएगा। (
- 1.3 रियायतग्राही विकास अवधि के दौरान निष्पादित किए जाने वाले संपूर्ण निर्माण कार्यों को दिन, सप्ताह, माह अथवा वर्ष जैसी मापनीय समयमें विभाजित करेगा। ऐसे कार्यों का समग्र इकाइयों-पूर्णता अनुसूची-चरण“ कार्यक्रम” कहलाएगा, जिसमें विकास अवधि के दौरान पूर्ण की जाने वाली सभी प्रमुख गतिविधियाँ सम्मिलित होंगी। प्रमुख गतिविधियों को, आवश्यकतानुसार, विभिन्न कार्यों में विभाजित किया जा सकेगा तथा प्रत्येक कार्य के निष्पादन एवं पूर्णता के लिए आवश्यक अवधि निर्धारित की जाएगी।
- 1.4 निर्माण कार्यों का अवधि सहित विस्तृत कार्यक्रम उपयुक्त बार चार्ट अथवा अन्य उपयुक्त आरेख के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें विभिन्न कार्यों एवं गतिविधियों के बीच विद्यमान अंतर्संबंध तथा परस्पर निर्भरता को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा।
- 1.5 रियायतग्राही विकास योजना के एक भाग के रूप में प्रत्येक चरण के संबंध में चरणपूर्णता अनुसूची - प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

2. चरणीय माइलस्टोन

रियायतग्राही परियोजना के प्रत्येक चरण के लिए प्रमुख चरणीय माइलस्टोन निर्धारित करेगा, जिनका अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। ऐसे माइलस्टोन निर्माण कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे और प्रत्येक चरण के लिए निर्धारित पूर्णता तिथि तक अथवा उससे पूर्व प्राप्त किए जाएंगे। रियायतग्राही प्रत्येक चरण के संबंध में चरण-पूर्णता अनुसूची प्राधिकरण को उपलब्ध कराएगा।

3. निर्धारित पूर्णता तिथि से पहले पूर्णता

चरण-I की निर्धारित पूर्णता तिथि को या उससे पूर्व, रियायतग्राही इस समझौते के उपबंधों के अनुसार हवाईअड्डे के चरण-I के विकास एवं निर्माण कार्यों को पूर्ण करेगा।

4. अवधि का विस्तार

यदि किसी चरणीय माइलस्टोन अथवा निर्धारित पूर्णता तिथि, जैसा भी मामला हो, में इस समझौते के उपबंधों के अनुसार विस्तार प्रदान किया जाता है, तो चरण-पूर्णता अनुसूची को तदनुसार संशोधित माना जाएगा।

अनुसूची-जी

परीक्षण

(खंड 14.1.2 देखें)

1. परीक्षणों की अनुसूची

1.1 रियायतग्राही हवाईअड्डे के संबंधित चरण के संभावित रूप से पूर्ण होने की तिथि से कम 90 कम-से-नब्बेदिन पूर्व (, स्वतंत्र अभियंता तथा प्राधिकरण को संबंधित चरण का परीक्षण कराने के अपने आशय की लिखित सूचना देगा। इसके अतिरिक्त, वास्तविक परीक्षण की तिथि से कम) 15 कम-से-पंद्रहदिन (पूर्व, रियायतग्राही स्वतंत्र अभियंता तथा प्राधिकरण को हवाईअड्डे के संबंधित चरण का भाग बनने वाले सभी कार्यों एवं उपकरणों की विस्तृत सूची तथा उनका विवरण उपलब्ध कराएगा।

1.2 रियायतग्राही संबंधित चरण को परीक्षण हेतु प्रस्तुत करने के लिए अपनी तैयारी के संबंध में स्वतंत्र अभियंता को लिखित सूचना देगा। ऐसी सूचना की तारीख से) 7सातदिन की अवधि व्यतीत होने के (पश्चात् किसी भी समय परीक्षण किया जा सकेगा। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, स्वतंत्र अभियंता रियायतग्राही के परामर्श से प्रत्येक परीक्षण की तारीख एवं समय निर्धारित करेगा तथा इसकी सूचना प्राधिकरण को देगा। प्राधिकरण परीक्षण में उपस्थित रहने के लिए अपने प्रतिनिधि को नामित कर सकेगा। इसके पश्चात, रियायतग्राही स्वतंत्र अभियंता की उपस्थिति में, अनुच्छेद तथा इस अनु 14सूची-G के उपबंधों के अनुसार परीक्षण करेगा।

2. परीक्षण

इस समझौते के खंड के उपबंधों के अनुसार 14.1.2, रियायतग्राही स्वतंत्र अभियंता की उपस्थिति में निम्नलिखित परीक्षण करेगा:

2.1 दृश्य एवं भौतिक परीक्षण

2.1.1 रियायतग्राही हवाईअड्डे का दृश्य एवं भौतिक निरीक्षण करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस समझौते के अंतर्गत आने वाले सभी कार्य एवं उपकरण निर्धारित विनिर्देशों, मानकों तथा लागू उपबंधों के अनुरूप हैं।

2.1.2 रनवे, टैक्सीवे, एप्रन, वायु यातायात नियंत्रण सुविधाओं तथा टर्मिनल भवन का गैरविनाशकारी - परीक्षण किया जाएगा। यह परीक्षण संपूर्ण संरचनाओं अथवा उनके किसी भाग पर, यथावश्यक, किया जाएगा। परीक्षण संबंधित भारतीय मानक IS 13311, लागू अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन इकाओं दस्तावेजों एवं अनुलग्नकों तथा नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा समयसमय - निर्देशों में निर्धारित जारी लागू दिशारित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाएगा।

2.2 उपकरणों के परीक्षण:

रियायतग्राही सभी उपकरणों का परीक्षण, इस संबंध में लागू अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन इकाओं के प्रासंगिक दस्तावेजों एवं अनुलग्नकों, नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी लागू दिशानिर्देशों - तथा उद्योग की सुस्थापित प्रथाओं के अनुसार करेगा। इन परीक्षणों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी उपकरण निर्धारित विशिष्टताओं एवं मानकों तथा लागू सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

2.3 संचालन तत्परता परीक्षण:

रियायतग्राही हवाईअड्डे का परीक्षण संचालन करेगा, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि हवाईअड्डे की वैमानिकी परिसंपत्तियां, टर्मिनल भवन तथा गैरवैमानिकी परिसंपत्तियां- निर्धारित विशिष्टताओं एवं मानकों, रखरखाव आवश्यकताओं, इस संबंध में लागू अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन इकाओं के प्रासंगिक दस्तावेजों एवं अनुलग्नकों, नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी लागू दिशानिर्देशों तथा - लागू सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

2.4 पर्यावरणीय ऑडिट:

रियायतग्राही यह सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरणीय अनुपालन ऑडिट करेगा कि हवाईअड्डा लागू कानूनों तथा लागू अनुमतियों/स्वीकृतियों/ में निर्धारित पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप है।

2.5 अन्य अनिवार्य परीक्षण

रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा हवाईअड्डा लाइसेंस प्रदान किए जाने के लिए लागू कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित सभी वैधानिक परीक्षण विधिवत किए जाएं तथा वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने की तिथि से कम) 15 कम-से-पंद्रहदिन पूर्व पूर्ण कर लिए जाए (।

3. परीक्षण संचालित करने वाली एजेंसी

इस अनुसूची-जी में निर्दिष्ट सभी परीक्षण रियायतग्राही द्वारा अथवा प्राधिकरण के परामर्श से निर्दिष्ट किसी अन्य एजेंसी या व्यक्ति द्वारा किए जाएंगे। ऐसे सभी परीक्षण स्वतंत्र अभियंता और/या प्राधिकरण / के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किए जाएंगे।

4. सुरक्षा प्रमाणन हेतु परीक्षण

हवाईअड्डे की सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूपता का निर्धारण करने के लिए आवश्यक परीक्षण किए जाएंगे। ऐसे परीक्षण उद्योग की सुस्थापित प्रथाओं के अनुसार तथा लागू कानूनों/अनुमतियों/स्वीकृतियों / के उपबंधों के अनुरूप किए जाएंगे।

5. पूर्णताअनंतिम रिपोर्ट/

परीक्षणों के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात्, स्वतंत्र अभियंता, अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार 14, यथास्थिति पूर्णता अथवा अनंतिम पूर्णता के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

6. निर्माण के दौरान परीक्षण

इस अनुसूची-जी के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निर्माण कार्यों के निष्पादन के दौरान किए जाने वाले परीक्षण इस समझौते के खंड के उपबंधों के अनुसार 13.3.1किए जाएंगे।

अनुसूची-एच

सेवा गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताएं

(खंड 23.1.1 देखें)

1. सेवा गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताएं

रियायतग्राही, वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने की तिथि से) 1एकवर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात (की तिथि से, हर समय यह सुनिश्चित करेगा कि इस अनुसूची-एच के अनुलग्नक-I में निर्धारित सेवा गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन किया जा रहा है।

2. मासिक अनुपालन रिपोर्ट

रियायतग्राही प्रत्येक कैलेंडर माह की समाप्ति से) 15पंद्रहदिनों के भीतर सेवा गुणवत्ता संबंधी (आवश्यकताओं के अनुपालन के संबंध में एक मासिक रिपोर्ट प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

3. अनुसूची- एच का प्रदर्शन

रियायतग्राही टर्मिनल भवन में इस अनुसूची-एच की एक प्रति प्रमुख एवं सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा। इसके साथ एक शिकायत रजिस्टर भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि यात्रियों उपयोगकर्ताओं को/ सेवा गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं तथा शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया के संबंध में समुचित जानकारी उपलब्ध हो।

अनुलग्नक-1
(अनुसूची-एच)

सेवा गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताएं

- रियायतग्राही, वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने की तिथि से 1 (एक) वर्ष की अवधि पूर्ण होने की तिथि से, हर समय यह सुनिश्चित करेगा कि हवाईअड्डे पर प्रदान की जाने वाली सेवाएं इस अनुसूची-H के अनुलग्नक-1 में निर्दिष्ट प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों, अर्थात् "सेवा गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं" के अनुरूप हों।

1.1 सेवा गुणवत्ता के वस्तुनिष्ठ मानदंड एवं मानक

क्र. सं.	प्रदर्शन संकेतक	प्रदर्शन मापदंड	न्यूनतम प्रदर्शन मानक	मापन की प्रक्रिया	मापन की आवृत्ति	महत्वपूर्ण (हां/नहीं)
1	कार पार्किंग	(a) पार्किंग स्थान खोजने में लगने वाला औसत समय, जिसमें पार्किंग शुल्क के भुगतान अथवा टिकट प्राप्त करने में लगने वाला समय भी शामिल है।	95% वाहन चालकों को 5 मिनट से कम समय लगना चाहिए।	निर्धारित मानक के भीतर आने वाले ग्राहकों की संख्या को कतार में कुल ग्राहकों की संख्या के प्रतिशत के रूप में मापा जाएगा। कार पार्किंग क्षेत्र में प्रवेश करने वाले यात्रियों के लिए औसत कतार समय की गणना उस समय से की जाएगी जब यात्री कतार में प्रवेश करता है, उस समय तक जब उसे कार पार्क में पार्किंग स्थान मिल जाता है। इसका आकलन इस अनुलग्नक के पैराग्राफ 1.2.b में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाएगा।	प्रदर्शन मापन योजना के आधार पर	नहीं
		(ख) पार्किंग स्थान से निकास द्वार तक पहुँचने में लगने वाला औसत समय, जिसमें पार्किंग	95% वाहन चालकों को 5 मिनट से कम समय लगना चाहिए।	कार पार्क से बाहर निकलने वाले यात्रियों के लिए औसत समय की गणना उस समय से की जाएगी जब यात्री पार्किंग स्थान से निकलता है, उस समय तक जब वह निकास	प्रदर्शन मापन योजना के आधार पर	नहीं

क्र. सं.	प्रदर्शन संकेतक	प्रदर्शन मापदंड	न्यूनतम प्रदर्शन मानक	मापन की प्रक्रिया	मापन की आवृत्ति	महत्वपूर्ण (हां/नहीं)
		शुल्क के भुगतान में लगने वाला समय भी शामिल है।		द्वार तक पहुँचता है। इसका आकलन इस अनुलग्नक के पैराग्राफ 1.2.b में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाएगा।		
2	सुरक्षा जाँच	कतार में प्रतीक्षा समय	पीक आवर के 95% यात्रियों को 5 मिनट से कम प्रतीक्षा करनी चाहिए।	निर्धारित मानक के भीतर औसत कतार समय वाले यात्रियों की संख्या को कतार में कुल यात्रियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में मापा जाएगा। सुरक्षा जाँच की कतार में यात्रियों का औसत प्रतीक्षा समय उस समय से मापा जाएगा जब यात्री कतार में शामिल होता है और उस समय तक जब वह प्रोसेसिंग काउंटर तक पहुँचता है। गणना इस अनुलग्नक के पैरा 1.2.b में निर्धारित पद्धति के अनुसार होगी।	अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू दोनों यात्रियों के लिए, प्रदर्शन मापन योजना के आधार पर	हां
3	चेक-इन	कतार में प्रतीक्षा समय	(a) 95% बिजनेस क्लास यात्रियों को 5 मिनट से कम प्रतीक्षा करनी चाहिए। (ख) 95% इकोनॉमी क्लास यात्रियों को 20 मिनट से कम प्रतीक्षा करनी चाहिए।	निर्धारित मानक के भीतर औसत कतार समय वाले यात्रियों की संख्या को कतार में कुल यात्रियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में मापा जाएगा। चेक-इन कतार में यात्री का औसत प्रतीक्षा समय उस समय से मापा जाएगा जब यात्री कतार में शामिल होता है और उस समय तक जब वह प्रोसेसिंग काउंटर/डेस्क तक पहुँचता है। गणना इस अनुलग्नक के पैरा 1.2.b में	अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू दोनों यात्रियों के लिए, प्रदर्शन मापन योजना के आधार पर	हां

क्र. सं.	प्रदर्शन संकेतक	प्रदर्शन मापदंड	न्यूनतम प्रदर्शन मानक	मापन की प्रक्रिया	मापन की आवृत्ति	महत्वपूर्ण (हां/नहीं)
				निर्धारित पद्धति के अनुसार होगी।		
4	आव्रजन	कतार में प्रतीक्षा समय	95% यात्रियों को 10 मिनट से कम प्रतीक्षा करनी चाहिए।	निर्धारित मानक के भीतर औसत कतार समय वाले यात्रियों की संख्या को कतार में कुल यात्रियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में मापा जाएगा। आव्रजन कतार में यात्री का औसत प्रतीक्षा समय उस समय से मापा जाएगा जब यात्री कतार में शामिल होता है और उस समय तक जब वह प्रोसेसिंग काउंटर तक पहुँचता है। गणना इस अनुलग्नक के पैरा 1.2.b में निर्धारित पद्धति के अनुसार होगी।	प्रदर्शन मापन योजना के आधार पर	हां
5	सामान डिलीवरी – घरेलू	विमान के आगमन के बाद सामान प्राप्त करने में लगने वाला समय	(a) पहला सामान विमान के ऑन-ब्लॉक समय से 10 मिनट के भीतर बैगेज बेल्ट पर आ जाना चाहिए। (ख) अंतिम सामान सीओडी e C विमान के लिए 30 मिनट तथा सीओडी e E विमान के लिए 45 मिनट के	सामान डिलीवरी के लिए अधिकतम समय विमान के ऑन-ब्लॉक होने के समय से पहले बैग के बैगेज बेल्ट पर आने तक मापा जाएगा। इसी प्रकार अंतिम बैग के लिए विमान के ऑन-ब्लॉक समय से अंतिम बैग के बेल्ट पर आने तक का समय मापा जाएगा। पहले एवं अंतिम दोनों बैग के लिए निर्धारित अधिकतम समय मानक का पालन किया जाना चाहिए।	सभी घरेलू उड़ानों के लिए, प्रदर्शन मापन योजना के आधार पर	हां

क्र. सं.	प्रदर्शन संकेतक	प्रदर्शन मापदंड	न्यूनतम प्रदर्शन मानक	मापन की प्रक्रिया	मापन की आवृत्ति	महत्वपूर्ण (हां/नहीं)
			भीतर आ जाना चाहिए।			
6	सामान बेल्ट उपलब्धता – घरेलू	उपलब्धता का प्रतिशत	प्रत्येक बैगेज बेल्ट कम-से-कम 95% समय उपलब्ध होना चाहिए।	प्रत्येक बैगेज बेल्ट की उपलब्धता वास्तविक परिचालन घंटों के आधार पर मापी जाएगी। किसी माह में कुल नियोजित परिचालन घंटों की तुलना में वास्तविक परिचालन घंटों के प्रतिशत के रूप में उपलब्धता निर्धारित की जाएगी। इसमें नियोजित रखरखाव समय को शामिल नहीं किया जाएगा। उपलब्धता की गणना इस अनुलग्नक के पैरा 1.2 में दिए गए सूत्र के अनुसार की जाएगी।	प्रत्येक दिन हवाईअड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के दौरान। डेटा का स्रोत प्रदर्शन मापन योजना पर आधारित होगा।	हां

क्र. सं.	निष्पादन संकेतक	निष्पादन माप	न्यूनतम निष्पादन मानक	मापन तंत्र	मापन आवृत्ति	महत्वपूर्ण (हाँ/नहीं)
7	अंतरराष्ट्रीय सामान सुपुर्दगी	विमान के आगमन से सामान सुपुर्दगी में लगा समय	क) प्रथम सामान विमान के ऑन-ब्लॉक्स समय से 15 मिनट के भीतर बैगेज बेल्ट पर आ जाना चाहिए; और ख) अंतिम सामान कोड C विमान के लिए 40 मिनट तथा कोड E विमान के लिए विमान	विमान के ऑन-ब्लॉक्स समय से बैगेज बेल्ट पर प्रथम सामान आने तक लगा अधिकतम समय। विमान के ऑन-ब्लॉक्स समय से बैगेज बेल्ट पर अंतिम सामान आने तक लगा अधिकतम समय। प्रथम तथा अंतिम, दोनों सामान के लिए अधिकतम समय	सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए, निष्पादन मापन योजना के आधार पर।	हाँ

			के ऑन-ब्लॉक्स समय से 45 मिनट के भीतर बैगेज बेल्ट पर आ जाना चाहिए।	निर्धारित मानक के भीतर होना चाहिए।		
8	अंतरराष्ट्रीय सामान सुपुर्दगी	उपलब्ध समय का प्रतिशत	क) प्रत्येक बैगेज बेल्ट कम-से-कम 95% समय उपलब्ध होनी चाहिए।	प्रत्येक बैगेज बेल्ट के लिए उपलब्ध समय को एक माह के वास्तविक परिचालन घंटों के आधार पर, माह के कुल नियोजित परिचालन घंटों (नियोजित अनुरक्षण समय को छोड़कर) के प्रतिशत के रूप में मापा जाएगा। उपलब्धता इस अनुलग्नक के पैरा 1.2.a में दिए गए सूत्र के संदर्भ में मापी जाएगी।	माह के प्रत्येक दिन हवाईअड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए। डेटा स्रोत निष्पादन मापन योजना पर आधारित होगा।	हाँ
9	यात्री आगमन प्रक्रिया	विमान के आगमन से कर्बसाइड तक लगा समय	क) अंतरराष्ट्रीय - 95% यात्रियों को 45 मिनट से कम समय लगे। ख) घरेलू - 95% यात्रियों को 35 मिनट से कम समय लगे।	निर्धारित मानक के भीतर औसत समय वाले यात्रियों की संख्या, कुल यात्रियों के प्रतिशत के रूप में। यात्रियों का औसत समय यात्री-विमान के आगमन से कर्बसाइड पहुँचने तक मापा जाएगा और इसकी गणना इस अनुलग्नक के पैरा 1.2.b में निर्दिष्ट कार्यप्रणाली के अनुसार की जाएगी।	अंतरराष्ट्रीय तथा घरेलू दोनों यात्रियों के लिए, निष्पादन मापन योजना के आधार पर।	हाँ
10 (क)	यात्री बोर्डिंग ब्रिज	उपलब्ध समय का प्रतिशत	क) प्रत्येक यात्री बोर्डिंग ब्रिज कम-से-कम 95%	यात्री बोर्डिंग ब्रिज सहित प्रत्येक यात्री बोर्डिंग ब्रिज के लिए उपलब्ध समय को एक माह के वास्तविक परिचालन	माह के प्रत्येक दिन हवाईअड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए।	हाँ

			समय उपलब्ध होना चाहिए। घंटों के आधार पर, माह के कुल नियोजित परिचालन घंटों (नियोजित अनुरक्षण समय को छोड़कर) के प्रतिशत के रूप में मापा जाएगा। उपलब्धता नीचे पैरा 1.2.a में दिए गए सूत्र के संदर्भ में मापी जाएगी।	डेटा स्रोत निष्पादन मापन योजना पर आधारित होगा।	
--	--	--	---	---	--

क्र. सं.	निष्पादन संकेतक	निष्पादन माप	न्यूनतम निष्पादन मानक	मापन तंत्र	मापन आवृत्ति	महत्वपूर्ण (हाँ/नहीं)
10 (ख)		विमान को उपलब्धता का प्रतिशत / विमान अनुरोध पूरा करने का समय	ख) यात्री बोर्डिंग ब्रिज 98% अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए तथा विमान-प्रकार B737/A320 अथवा एयरलाइन द्वारा अपेक्षित अनुसार उपलब्ध होना चाहिए।	उपलब्धता को उन विमान आवागमनों की संख्या के संदर्भ में मापा जाएगा जिनके लिए यात्री बोर्डिंग ब्रिज (एयरोब्रिज) की आवश्यकता थी, ऐसे कुल विमान आवागमनों के प्रतिशत के रूप में जिनमें एयरलाइनों द्वारा पूर्व-अधिसूचना दी गई थी।	अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू दोनों टर्मिनलों के लिए मापन, विद्यमान टर्मिनल भवनों के विस्तार के पूरा होने अथवा नए टर्मिनल भवनों के निर्माण से प्रारंभ होगा।	हाँ
11	पार्किंग बे	उपलब्ध समय का प्रतिशत	क) प्रत्येक पार्किंग बे कम-से-कम 98% समय उपलब्ध होना चाहिए।	प्रत्येक पार्किंग बे के लिए उपलब्ध समय को एक माह के वास्तविक परिचालन घंटों के आधार पर, माह के कुल नियोजित परिचालन घंटों (नियोजित अनुरक्षण समय को छोड़कर) के प्रतिशत के रूप में मापा जाएगा। उपलब्धता इस अनुलग्नक के पैरा 1.2.a के सूत्र के अनुसार मापी जाएगी।	माह के प्रत्येक दिन हवाईअड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए। डेटा स्रोत निष्पादन मापन योजना पर आधारित होगा।	हाँ
12	उड़ान सूचना प्रदर्शन प्रणाली (FIDS) की उपलब्धता	उपलब्ध समय का प्रतिशत	क) प्रत्येक FIDS कम-से-कम 98% समय उपलब्ध होना चाहिए।	प्रत्येक FIDS के लिए उपलब्ध समय को एक माह के वास्तविक परिचालन घंटों के आधार पर, माह के कुल नियोजित परिचालन घंटों (नियोजित अनुरक्षण समय को छोड़कर) के प्रतिशत के रूप में मापा जाएगा। उपलब्धता इस अनुलग्नक के पैरा 1.2.a के सूत्र के अनुसार मापी जाएगी।	माह के प्रत्येक दिन हवाईअड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए। डेटा स्रोत निष्पादन मापन योजना पर आधारित होगा।	नहीं
13	बैगेज ट्रॉलियों की उपलब्धता	उपलब्ध समय का प्रतिशत	क) बैगेज ट्रॉलियाँ 100% समय उपलब्ध होनी चाहिए।	निर्धारित स्थानों पर उपलब्ध बैगेज ट्रॉलियों की संख्या 25 से कम नहीं होनी चाहिए।	निष्पादन मापन योजना के आधार पर।	नहीं
14	व्हील चेयर की आवश्यकता वाले यात्री	सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रतीक्षा समय	क) व्हील चेयर की आवश्यकता वाले प्रस्थान यात्रियों में 100% को 5 मिनट से अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।	उद्योग प्रथा के अनुरूप रियायतग्राही द्वारा निर्धारित स्थानों की पहचान की जाएगी। सहायता हेतु अनुरोधों की संख्या, निर्धारित मानक के भीतर सहायता उपलब्ध कराए गए अनुरोधों के प्रतिशत के रूप में मापी जाएगी।	माह के प्रत्येक दिन हवाईअड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए। डेटा स्रोत निष्पादन मापन योजना पर आधारित होगा।	नहीं

क्र. सं.	निष्पादन संकेतक	निष्पादन माप	न्यूनतम निष्पादन मानक	मापन तंत्र	मापन आवृत्ति	महत्वपूर्ण (हाँ/नहीं)
15	यात्री स्थानांतरण	अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण के लिए न्यूनतम कनेक्टिंग समय - यात्री/घरेलू/अंतरराष्ट्रीय	क) अंतरराष्ट्रीय से अंतरराष्ट्रीय - यात्रियों/घरेलू यात्रियों के 95% के लिए न्यूनतम कनेक्टिंग समय 60 मिनट से अधिक न हो। ख) न्यूनतम कनेक्टिंग समय 75 मिनट से अधिक न हो। ग) न्यूनतम कनेक्टिंग समय 60 मिनट से अधिक न हो।	न्यूनतम कनेक्टिंग समय IATA Resolution 765 के अनुसार परिभाषित और मापा जाएगा, जहाँ इसे 'एक उड़ान से दूसरी कनेक्टिंग उड़ान में यात्री एवं उसके सामान को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम समय अंतराल' के रूप में परिभाषित किया गया है।	प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय तथा घरेलू टर्मिनल के लिए, निष्पादन मापन योजना के आधार पर।	नहीं
16	एस्केलेटर, एलिवेटर एवं ट्रैवलेटर	उपलब्ध समय का प्रतिशत	क) एस्केलेटर, एलिवेटर एवं ट्रैवलेटर 98% समय उपलब्ध होने चाहिए।	प्रत्येक एस्केलेटर, एलिवेटर एवं ट्रैवलेटर के लिए उपलब्ध समय को एक माह के वास्तविक परिचालन घंटों के आधार पर, माह के कुल नियोजित परिचालन घंटों (नियोजित अनुरक्षण समय को छोड़कर) के प्रतिशत के रूप में मापा जाएगा। उपलब्धता इस अनुलग्नक के पैरा 1.2.a के सूत्र के अनुसार मापी जाएगी।	माह के प्रत्येक दिन हवाईअड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए। डेटा स्रोत निष्पादन मापन योजना पर आधारित होगा।	नहीं
17	स्वचालित सेवाएँ	उपलब्ध समय का प्रतिशत	क) स्वचालित सेवाएँ 95% समय उपलब्ध होनी चाहिए। स्वचालित सेवाओं में इनबाउंड बैगेज प्रणाली, स्वचालित बैगेज प्रणाली, एक्स-रे मशीनें तथा सार्वजनिक इंटरनेट शामिल होंगे, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे।	प्रत्येक स्वचालित सेवा के लिए उपलब्ध समय को एक माह के वास्तविक परिचालन घंटों के आधार पर, माह के कुल नियोजित परिचालन घंटों (रियायतग्राही द्वारा नियोजित अनुरक्षण समय को छोड़कर) के प्रतिशत के रूप में मापा जाएगा। उपलब्धता इस अनुलग्नक के पैरा 1.2.a के सूत्र के अनुसार मापी जाएगी।	माह के प्रत्येक दिन हवाईअड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए। डेटा स्रोत निष्पादन मापन योजना पर आधारित होगा।	नहीं

18	सूचना/शिकायत डेस्क	सूचना/शिकायत डेस्क पर कार्मिकों की उपलब्धता	क) सूचना/शिकायत डेस्क पर 100% समय कार्मिक उपलब्ध रहने चाहिए।	परिचालन घंटों के दौरान सूचना/शिकायत डेस्क पर कार्मिकों की उपलब्धता।	माह के प्रत्येक दिन हवाईअड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए। डेटा स्रोत निष्पादन मापन योजना पर आधारित होगा।	नहीं
----	--------------------	---	--	---	--	------

क्र. सं.	निष्पादन संकेतक	निष्पादन माप	न्यूनतम निष्पादन मानक	मापन तंत्र	मापन आवृत्ति	महत्वपूर्ण (हाँ/नहीं)
19	यात्री टर्मिनलों में परिवेशीय दशाएँ	यात्री टर्मिनलों में परिवेशीय दशाओं का अनुरक्षण	क) यात्री टर्मिनल के यात्री क्षेत्रों में परिचालन घंटों के दौरान तापमान 21-25 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए; और ख) सापेक्ष आर्द्रता का स्तर निर्दिष्ट तापमान सीमा के अनुरूप सह-संबद्ध होना चाहिए।	वास्तविक परिचालन घंटों के दौरान यात्री टर्मिनल में औसत तापमान तथा आर्द्रता स्तरों के आधार पर मापन किया जाएगा।	अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू यात्री टर्मिनलों में हवाईअड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के दौरान, माह में यादृच्छिक रूप से चुने गए ऐसे दिनों में मापन किया जाएगा जिनमें सप्ताह के सभी दिन शामिल हों। डेटा स्रोत निष्पादन मापन योजना पर आधारित होगा।	नहीं
20	रनवे परिचालन सुरक्षा	रनवे अतिक्रमणों की संख्या	क) रनवे अतिक्रमणों का अभिलेखन, जाँच तथा न्यूनतमकरण।	लैंडिंग एवं टेक-ऑफ के लिए निर्दिष्ट संरक्षित क्षेत्र में किसी विमान, वाहन अथवा व्यक्ति की अनुचित उपस्थिति से संबंधित घटनाओं की संख्या प्रति एक हजार आवागमन पर मापी जाएगी। एक वर्ष के दौरान सभी रनवे अतिक्रमणों की रिपोर्ट तथा पर्याप्त विस्तार से जाँच की जाएगी ताकि गंभीरता तथा विशिष्ट कारण एवं सहायक कारकों की पहचान हो सके।	निष्पादन मापन योजना के आधार पर।	हाँ
21	ARFF (विमान बचाव एवं अग्निशमन)	घटना पर प्रतिक्रिया समय	क) इकाओं द्वारा निर्दिष्ट अनुसार, इष्टतम दृश्यता एवं सतह दशाओं में प्रत्येक परिचालन रनवे के किसी भी बिंदु तथा आवागमन क्षेत्र के किसी अन्य भाग तक 3 मिनट से अधिक न होने का प्रतिक्रिया समय प्राप्त किया जाए। ख) अग्निशामक एजेंट पहुँचाने के लिए अपेक्षित	प्रतिक्रिया समय प्रारंभिक कॉल से ARFF सेवा तक और प्रथम प्रतिक्रिया वाहन/वाहनों के उस स्थिति में पहुँचने तक माना जाएगा जहाँ से वे हवाईअड्डा श्रेणी के लिए निर्दिष्ट डिस्चार्ज दर के कम-से-कम 50% पर फोम लगा सकें। इष्टतम दृश्यता एवं सतह दशाएँ: दिन का समय, अच्छी दृश्यता, वर्षा नहीं तथा सतह संदूषण (जैसे पानी) से मुक्त सामान्य प्रतिक्रिया मार्ग।	निष्पादन मापन योजना के आधार पर।	हाँ

			अन्य वाहन प्रथम प्रतिक्रिया वाहन/वाहनों के बाद 1 मिनट से अधिक विलंब से न पहुँचें (अर्थात् प्रथम कॉल के 4 मिनट से अधिक नहीं), ताकि एजेंट का सतत अनुप्रयोग उपलब्ध हो सके।			
--	--	--	--	--	--	--

क्र. सं.	निष्पादन संकेतक	निष्पादन माप	न्यूनतम निष्पादन मानक	मापन तंत्र	मापन आवृत्ति	महत्वपूर्ण (हाँ/नहीं)
22	टैक्सी की उपलब्धता	कतार में प्रतीक्षा समय	क) 95% यात्रियों के लिए टैक्सी हेतु कतारबद्ध प्रतीक्षा समय 5 मिनट से अधिक नहीं होगा।	निर्धारित मानक के भीतर औसत कतार समय वाले यात्रियों की संख्या, कतार में कुल यात्रियों के प्रतिशत के रूप में। औसत कतार समय यात्री के टैक्सी कतार में शामिल होने से टैक्सी मिलने तक मापा जाएगा और इसकी गणना नीचे पैरा 1.2.b में निर्दिष्ट कार्यप्रणाली के अनुसार की जाएगी।	अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू आगमन यात्रियों दोनों के लिए, निष्पादन मापन योजना के आधार पर।	नहीं
23	शिकायतों का निपटान	निर्दिष्ट समय के भीतर उत्तर दी गई शिकायतों का प्रतिशत	क) 100% शिकायतों का उत्तर 2 कार्य-दिवसों के भीतर दिया जाए।	शिकायत प्राप्त होने और प्रथम उत्तर दिए जाने के समय के अंतर के निर्धारित मानक के भीतर रहने वाली शिकायतों की संख्या, प्राप्त कुल शिकायतों के प्रतिशत के रूप में। इसमें ई-मेल अथवा शिकायत/सुझाव रजिस्टर के माध्यम से प्राप्त शिकायतें शामिल होंगी।	माह के प्रत्येक दिन हवाईअड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए। डेटा स्रोत निष्पादन मापन योजना पर आधारित होगा।	नहीं
24	मरम्मत पूर्णता समय	निर्दिष्ट समय के भीतर पूर्ण मरम्मत का प्रतिशत	क) उच्च प्राथमिकता वाले 95% मरम्मत कार्यों का निपटान 4 घंटे के भीतर किया जाए। ख) अन्य 95% मरम्मत कार्यों का निपटान 24 घंटे के भीतर किया जाए।	शिकायत अथवा आवधिक निरीक्षण से मरम्मत की आवश्यकता दर्ज किए जाने और प्रथम प्रतिक्रिया के समय के अंतर के निर्धारित मानक के भीतर रहने वाले मरम्मत कार्यों की संख्या, कुल मरम्मत आवश्यकताओं/अभिलेखों के प्रतिशत के रूप में।	माह के प्रत्येक दिन हवाईअड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए। डेटा स्रोत निष्पादन मापन योजना पर आधारित होगा।	नहीं
25	स्वच्छता	स्वच्छता सर्वेक्षणों के दौरान रेटिंग	क) सभी निरीक्षणों के 95% में संतोषजनक स्वच्छता रेटिंग प्राप्त की जाए।	स्थापित उद्योग प्रथाओं के अनुसार आवधिक स्वच्छता सर्वेक्षणों के दौरान प्राप्त संतोषजनक स्वच्छता रेटिंग।	माह के प्रत्येक दिन हवाईअड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए। डेटा स्रोत निष्पादन मापन योजना पर आधारित होगा।	नहीं

क्र. सं.	निष्पादन संकेतक	निष्पादन माप	न्यूनतम निष्पादन मानक	मापन तंत्र	मापन आवृत्ति	महत्वपूर्ण (हाँ/नहीं)
26	गेट लाउंज	बैठने की उपलब्धता	क) IATA के इष्टतम सेवा स्तर के अनुसार।	उन गेटों के निकट उपलब्ध कुल सीटों की संख्या जहाँ संबंधित विमान में बोर्डिंग की जानी है।	अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू दोनों यात्री टर्मिनलों के लिए मापन चरण-I की पूर्णता तिथि से अथवा विद्यमान टर्मिनलों के किसी विस्तार/नए टर्मिनल भवनों के निर्माण के पूर्ण होने से किया जाएगा। डेटा स्रोत निष्पादन मापन योजना पर आधारित होगा।	नहीं
27	बग्गी सेवाएँ	बगियों की उपलब्धता	क) बग्गी सेवाएँ 98% समय उपलब्ध होनी चाहिए।	उद्योग प्रथा के अनुरूप न्यूनतम उपलब्धता। रियायतग्राही द्वारा उद्योग प्रथा के अनुरूप निर्धारित स्थानों की पहचान की जाएगी।	माह के प्रत्येक दिन हवाईअड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए। डेटा स्रोत निष्पादन मापन योजना पर आधारित होगा।	नहीं

1.2 वस्तुनिष्ठ निष्पादन मानदंडों की मापन प्रणाली

क) “पार्किंग बे”, “यात्री बोर्डिंग ब्रिज”, “बैगेज डिलीवरी”, “उड़ान सूचना प्रदर्शन प्रणाली की उपलब्धता”, “एस्केलेटर, एलिवेटर एवं ट्रेवलेटर” तथा “स्वचालित सेवाएँ” संबंधी मानदंडों के निष्पादन की मापन प्रणाली:

प्रत्येक मानदंड की उपलब्धता का मापन उस मानदंड के अंतर्गत शामिल परिसंपत्तियों की संख्या एवं प्रकार के संदर्भ में किया जाएगा और निम्नानुसार मापा जाएगा:

(i) प्रत्येक मानदंड के अंतर्गत परिसंपत्तियों की कुल संख्या (उदाहरणतः एस्केलेटरों की संख्या) की गणना करें और प्रत्येक परिसंपत्ति के लिए अपेक्षित कुल उपलब्ध समय तथा कुल अनुपलब्ध समय से गुणा करें। सभी परिसंपत्तियों के कुल उपलब्ध समय और कुल अनुपलब्ध समय का योग निम्न प्रकार होगा:

$$\text{कुल अपेक्षित उपलब्ध समय} = \sum_{k=1}^n T_{k,j}$$

$$\text{कुल अनुपलब्ध समय} = \sum_{k=1}^n U_{k,j}$$

जहाँ:

n = मानदंड i में शामिल परिसंपत्तियों की कुल संख्या;

$-के$ = मानदंड i में शामिल कोई विशिष्ट परिसंपत्ति, जहाँ $-के = 1, 2, \dots, n$;

$T_{k,j}$ = माह j में परिसंपत्ति $-के$ के लिए कुल नियोजित उपलब्ध समय (अर्थात् नियोजित अनुरक्षण समय घटाने के बाद);

$U_{k,j}$ = माह j में परिसंपत्ति $-के$ के अनुपलब्ध रहने का समय;

(ii) माह j में मानदंड i की उपलब्धता की गणना निम्न प्रकार की जाएगी:

$$\text{Availability}_{ij} = 100 \times (1 - (\sum_{k=1}^n U_{k,j} / \sum_{k=1}^n T_{k,j}))$$

जहाँ:

Availability_{ij} = माह j में मानदंड i की प्रतिशत उपलब्धता।

ख) “कार पार्किंग”, “सुरक्षा जाँच”, “चेक-इन”, “इमिग्रेशन”, “यात्री आगमन प्रक्रिया” तथा “टैक्सी के लिए प्रतीक्षा समय” संबंधी निष्पादन की मापन प्रणाली:

मापन इतनी कतारों के लिए किया जाएगा कि यात्रियों का सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नमूना सम्मिलित हो। कतार में प्रतीक्षा समय निम्न प्रकार निर्धारित किया जाएगा:

(i) माह के प्रत्येक यादृच्छिक रूप से चयनित दिन के लिए, जिस ‘व्यस्ततम घंटे’ में निष्पादन मापा जाना है, उसे 10-10 मिनट के अंतराल में विभाजित किया जाएगा: xx:00, xx:10, xx:20, xx:30, xx:40, xx:50 और xx:60। प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल के लिए औसत कतार समय की गणना की जाएगी।

प्रत्येक “10 मिनट के समय अंतराल” के लिए, औसत कतार समय की गणना इस प्रकार की जाएगी:

“औसत कतार समय” = Num / A

जहाँ:

A = 10 मिनट के समय-अंतराल में कतार छोड़ने वाले यात्रियों की औसत संख्या;

Num = 10 मिनट के समय-अंतराल में कतार में उपस्थित यात्रियों की औसत संख्या।

(ii) निर्धारित मानक के लिए निष्पादन प्रतिशत की गणना इस प्रकार की जाएगी:

i. उन व्यस्ततम घंटों की पहचान करना जिनमें मापा गया औसत कतार समय निर्धारित मानक से अधिक नहीं है; और

ii. उपर्युक्त संख्या को उन व्यस्ततम घंटों में संसाधित यात्रियों की कुल संख्या से विभाजित कर प्रतिशत निकालना।

एक घंटे को कोई घड़ी-घंटा (00 मिनट से प्रारंभ होकर 59 मिनट पर समाप्त) अथवा कोई अन्य पूर्व-निर्धारित परंपरा माना जा सकता है, जिसे रियायतग्राही चुनता है, बशर्ते नमूना-घंटा निर्धारित करते समय वह अन्य कारकों से प्रभावित न हो।

1.3 व्यक्तिपरक सेवा गुणवत्ता मानदंड एवं बेंचमार्क

क) व्यक्तिपरक निष्पादन मानदंडों का मापन

सीओडी के पूर्व रियायतग्राही Airports Council International (ACI) का सदस्य बनेगा। सीओडी के छः माह के भीतर रियायतग्राही प्रस्थान करने वाले यात्रियों के ACI ASQ सर्वेक्षण में भाग लेना आरंभ करेगा जिसमें यात्रियों से उनके हवाई अड्डे पर अनुभव के बारे में पूछ-ताछ करेगा।

यदि रियायतग्राही की सदस्यता ACI द्वारा स्वीकार कर ली जाती है, तो प्रत्येक अवधि में वह यात्रियों की राय प्राप्त करने हेतु 10-डिज़ाइन प्रश्नावली तैयार करेगा तथा 5-बिंदु पैमाने पर सर्वेक्षण करेगा; निष्पादन मानदंडों की रेटिंग प्राप्त करेगा और (2) यात्रियों की प्रतिक्रियाएँ तिमाही आधार पर मापेगा।

यात्री सर्वेक्षण में प्राप्त रेटिंग, चाहे ACI-ASQ सर्वेक्षण के माध्यम से हो अथवा स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसी के माध्यम से, व्यक्तिपरक निष्पादन मानदंडों का माप होगी।

ख) उपर्युक्त यात्री सर्वेक्षण में निम्नलिखित सभी मानदंड शामिल होंगे: यात्रियों के ACI ASQ सर्वेक्षण में भाग लेना आरंभ करेगा।

(i) एयरपोर्ट से कुल संतुष्टि

(ii) एयरपोर्ट तक आने-जाने के लिए ज़मीनी ट्रांसपोर्ट

(iii) पार्किंग सुविधाओं की उपलब्धता

(iv) पार्किंग सुविधाओं के लिए पैसे की सही कीमत (वैल्यू फॉर मनी)

(v) सामान ढोने वाली गाड़ियों/ट्रॉली की उपलब्धता

(vi) चेक-इन लाइन में इंतज़ार का समय

(vii) चेक-इन स्टाफ़ की कार्यक्षमता

(viii) चेक-इन स्टाफ़ का अच्छा व्यवहार और मदद करने का रवैया

- (ix) पासपोर्ट/पर्सनल ID की जाँच में इंतज़ार का समय
- (x) जाँच करने वाले स्टाफ़ का अच्छा व्यवहार और मदद करने का रवैया
- (xi) सिक्योरिटी स्टाफ़ का अच्छा व्यवहार और मदद करने का रवैया
- (xii) सिक्योरिटी जाँच की बारीकी
- (xiii) सिक्योरिटी जाँच में इंतज़ार का समय
- (xiv) सुरक्षित महसूस करना
- (xv) एयरपोर्ट में रास्ता खोजने में आसानी
- (xvi) फ़्लाइट की जानकारी दिखाने वाला सिस्टम
- (xvii) टर्मिनल के अंदर पैदल चलने की दूरी
- (xviii) दूसरी फ़्लाइट्स के लिए कनेक्शन लेने में आसानी
- (xix) एयरपोर्ट स्टाफ़ का अच्छा व्यवहार और मदद करने का रवैया (चेक-इन, पासपोर्ट कंट्रोल और सिक्योरिटी को छोड़कर)
- (xx) रेस्टोरेंट/खाने-पीने की सुविधाएँ
- (xxi) रेस्टोरेंट/खाने-पीने की सुविधाओं के लिए पैसे की सही कीमत
- (xxii) बैंक/ATM सुविधाएँ/मनी चेंजर की उपलब्धता
- (xxiii) शॉपिंग की सुविधाएँ
- (xxiv) शॉपिंग सुविधाओं के लिए पैसे की सही कीमत
- (xxv) इंटरनेट सुविधा/Wi-Fi
- (xxvi) बिज़नेस/एक्जीक्यूटिव लाउंज
- (xxvii) वॉशरूम/टॉयलेट की उपलब्धता
- (xxviii) वॉशरूम/टॉयलेट की सफ़ाई
- (xxix) इंतज़ार करने की जगह/गेट एरिया में आराम
- (xxx) एयरपोर्ट टर्मिनल की सफ़ाई
- (xxxi) एयरपोर्ट का माहौल
- (xxxii) पासपोर्ट/पर्सनल ID की जाँच
- (xxxiii) सामान मिलने की सर्विस की रफ़्तार
- (xxxiv) कस्टम्स जाँच

ग) लक्ष्य रेटिंग रियायत करार की धारा 23.7 में निर्दिष्ट अनुसार होगी।

अनुसूची 1

सुरक्षा दिशानिर्देश

(धारा 18.3.1 देखें)

1 सुरक्षित आवागमन

हवाईअड्डे के परिचालन, विकास और प्रबंधन में उपयोगकर्ताओं एवं अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष सावधानी बरती जाएगी। इस उद्देश्य के लिए नागर विमानन अपेक्षाएँ (CAR), बचाव एवं अग्निशमन, एप्रन प्रबंधन, वन्यजीव टक्कर जोखिम में कमी, विमान परिचालन, दुर्घटना एवं घटना जाँच आदि से संबंधित सभी सुरक्षा विषयों का प्रावधान किया जाएगा। इसमें आपात स्थिति में सुरक्षित एवं दक्ष निकासी की सुविधाएँ भी शामिल होंगी।

2 प्रणाली की अखंडता

विद्युत आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था, संकेतक, संचार एवं सुरक्षा उपकरणों के अभिकल्प में विफलता की संभावना न्यूनतम करने के लिए विशेष सावधानी बरती जाएगी। सेवाओं को चालू रखने के लिए आवश्यक निवारक अनुरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

3 सेवा की पुनर्स्थापना

हवाईअड्डे का अभिकल्प ऐसा होगा कि विफलता की स्थिति में प्रभावित क्षेत्र अथवा उपकरण को पृथक कर सीमित सेवा कुछ ही मिनटों में बहाल की जा सके। CAR के अनुसार द्वितीयक विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी।

4 आकस्मिकता एवं सुरक्षा प्रबंधन

4.1

रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि हवाईअड्डे पर उपयुक्त आकस्मिकता व्यवस्थाएँ उपलब्ध हों। इसमें बीसीएएस, नागर विमानन महानिदेशालय के संबंधित इकाओं दस्तावेजों एवं अनुलग्नकों तथा लागू दिशानिर्देशों के अनुसार निम्न घटनाओं हेतु योजनाएँ शामिल होंगी:

- (क) रनवे एवं टैक्सीवे से अक्षम विमान हटाना;
- (ख) विमान अथवा आतंकवादी कृत्यों के प्रति बम धमकी;
- (ग) हवाईअड्डे के आसपास विमान दुर्घटनाएँ;
- (घ) हवाईअड्डे पर उतरने के लिए बाध्य गैर-अनुसूचित विमान;
- (ङ) हवाईअड्डे पर आग;
- (च) प्राकृतिक आपदाएँ;
- (छ) हवाईअड्डे पर हड़ताल;
- (ज) डायवर्जन का प्रबंधन;
- (झ) नागर विमानन में विधिविरुद्ध हस्तक्षेप; और
- (ञ) हवाईअड्डे पर कोई अन्य आपात स्थिति।

4.2

रियायतग्राही प्रत्येक तिमाही में एक बार प्रत्येक प्रणाली के विभिन्न पहलुओं की जाँच और उसके अनुपालन के लिए सुरक्षा विवरण तैयार करेगा। इस विवरण में स्टाफ प्रशिक्षण की प्रकृति और सीमा तथा ऐसी जाँचों और सहनशीलताओं से संबंधित जागरूकता भी सम्मिलित होगी। विवरण की 2 (दो) प्रतियां प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर स्वतंत्र अभियंता को भेजी जाएंगी।

5 सुरक्षा उपकरण

हवाई अड्डे पर निम्नलिखित सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे:

- (a) हवाई अड्डे पर उपयुक्त स्थानों पर अग्निशामक यंत्र और अग्नि चेतावनी प्रणाली;
- (ख) पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस, एम्बु-लिफ्ट, स्ट्रेचर तथा मानक प्राथमिक चिकित्सा पेटियां;
- (ग) पैरामेडिकल स्टाफ सहित चिकित्सा सुविधाएं; और
- (घ) संबंधित इकाओं दस्तावेजों और अनुलग्नकों, डीजीसीए के लागू दिशानिर्देशों तथा उद्योग की उत्तम पद्धतियों (Good Industry Practice) के अनुरूप आवश्यक अन्य उपकरण।

6 आपातकाल

- (a) विभिन्न आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए आपातकालीन प्रक्रियाओं का एक समुच्चय तैयार किया जाएगा और ऐसी आपातकालीन स्थितियों के दौरान उचित कार्रवाई करने के लिए परिचालन स्टाफ को आवधिक कृत्रिम अभ्यासों (Simulated Exercises) के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा, जैसा कि एयरोड्रोम आपातकालीन योजना (Aerodrome Emergency Plan) में निर्धारित है [जिसमें विमान संबंधी आपातस्थितियां, तोड़फोड़ (Sabotage), बम की धमकियां, विधिविरुद्ध हस्तक्षेप, खतरनाक वस्तुएं, भवन में आग, प्राकृतिक आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी आपातस्थितियां शामिल हैं]। इसे सीओडी से पूर्व रियायतग्राही द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाएगा। रियायतग्राही सीओडी से पूर्व एयरोड्रोम आपातकालीन योजना की प्रत्येक की 5 (पांच) प्रतियां प्राधिकरण को उपलब्ध कराएगा।
- (ख) आपातकालीन परिचालन केंद्र (Emergency Operation Center) की स्थापना तथा कमांड पोस्ट की उपलब्धता।
- (ग) टर्मिनल भवन एवं एयरसाइड में चिकित्सा संबंधी आपातस्थितियों का प्रबंधन।

7 अग्नि सुरक्षा

7.1 रियायतग्राही हवाई अड्डा टर्मिनल भवनों, ईंधन भरने वाले रैम्प की जल निकासी तथा बोर्डिंग वॉकवे के संबंध में यू.एस. नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन (US National Fire Protection Association) द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों का अनुपालन करेगा।

7.2 यात्री क्षेत्रों में आग लगने से रोकने के लिए रियायतग्राही इनके निर्माण में अग्निरोधी सामग्री का उपयोग करेगा तथा ऐसी सामग्रियों के उपयोग से बचेगा जो किसी सीमा तक ज्वलनशील हों अथवा जलने पर धुआं और हानिकारक गैसों उत्सर्जित करती हों।

7.3 आपातकालीन निकास किसी भी अवरोध के बिना सुलभ होना चाहिए तथा उसे बिना चाबी, उपकरण अथवा विशेष जानकारी के अंदर से आसानी से खोला जा सकना चाहिए। केवल बाहर से ताला लगाने वाला कोई

उपकरण, जैसे पैनिक बार (Panic Bar), अनुमत है। आपातस्थिति में निकास द्वारों को टर्मिनल भवन के अंदर से आसानी से खोला जा सकना चाहिए।

7.4 बचाव/निकास मार्गों को सही दिशा में तीर के चिह्नों द्वारा स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा और किसी गूढ़/अस्पष्ट प्रतीक का उपयोग नहीं किया जाएगा। इस खंड 7.4 के प्रावधानों का अनुपालन करते समय धुएं के कारण कम दृश्यता की संभावना का समुचित ध्यान रखा जाएगा। सभी सूचनापट्ट और संकेतक एकरूप तथा मानकीकृत होंगे।

7.5 बचाव एवं अग्निशमन सेवाओं की उपयुक्त श्रेणियां उपलब्ध कराई जाएंगी तथा संबंधित डीजीसीए CAR एवं इकाओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों के प्रावधानों के अनुसार उनका अनुरक्षण किया जाएगा।

8 उपयोगकर्ता सुरक्षा एवं सूचना प्रणाली

8.1 'कन्सेशनियर' (रियायत-धारक) ASMU को पैसेंजर एरिया और टर्मिनल बिल्डिंग की निगरानी के लिए ज़रूरी फ़ाइलें उपलब्ध कराएगा और यूज़र्स को विज़ुअल जानकारी देगा। 'कन्सेशनियर' टर्मिनल बिल्डिंग में पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के ज़रिए यूज़र्स को वन-वे कम्युनिकेशन की सुविधा भी देगा। इमरजेंसी में ASMU से संपर्क करने के लिए यूज़र कॉल पॉइंट्स सुविधाजनक जगहों पर होने चाहिए।

8.2 उपयोगकर्ता सूचना प्रणाली में गतिशील दृश्य डिस्प्ले और लाउडस्पीकर शामिल होंगे।

अनुसूची जे
उपयोगकर्ता चार्टर
(खंड 23.10 देखें)

|•| अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा

1 सुरक्षा सहित सेवा

हमारा उद्देश्य अत्याधुनिक अवसंरचना के माध्यम से विमानपत्तन प्रबंधन में सुरक्षा और गुणवत्ता उपलब्ध कराना है, ताकि ग्राहकों की पूर्ण संतुष्टि सुनिश्चित हो सके। यह चार्टर हमारे विमानपत्तन के उपयोगकर्ताओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धताओं तथा वे हमसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं, इसका विवरण देता है।

2 विषय-सूची

- (क) परिचय
- (ख) यात्री सेवा के लिए हमारे मानक
- (ग) सूचना की उपलब्धता
- (घ) सहायता की आवश्यकता वाले यात्री
- (ङ) टिकट खरीदना
- (च) खोई हुई संपत्ति
- (छ) आपके विचारों को सुनना
- (ज) हमारी वचनबद्ध प्रत्युत्तर समय-सीमा

2.1 परिचय

ग्राहक संतुष्टि हमारा ध्येय है! विमानपत्तन प्रबंधन का उद्देश्य अपने प्रशिक्षित जनशक्ति और ठेकेदारों के माध्यम से इस विमानपत्तन के उपयोगकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करना है। हमारा उद्देश्य निम्नलिखित उपलब्ध कराना है:

- (क) विमानपत्तन के उपयोगकर्ताओं के लिए संरक्षा और सुरक्षा
- (ख) स्वच्छ और स्वास्थ्यकर वातावरण
- (ग) विश्वसनीय और आसानी से समझ में आने वाली सूचना
- (घ) विनम्र, ग्राहक-अनुकूल और सहायक कर्मचारी
- (ङ) आनंददायक और युक्तिसंगत खरीदारी एवं खान-पान का अनुभव
- (च) आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता

2.2 यात्री सेवा के लिए हमारे मानक

हम अपने निष्पादन में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे, ताकि आपको हमारे विमानपत्तन पर विश्वसनीय और आरामदायक सेवा प्रदान की जा सके।

2.2.1 हवाई अड्डे तक पहुंच

हम विमानपत्तन क्षेत्र के भीतर आपके आगमन को सुगम और आरामदायक बनाने के लिए सभी प्रयास करेंगे। हमारी यातायात योजनाएं इस प्रकार उन्मुख होंगी कि विमानपत्तन क्षेत्र में प्रवेश और निकास सुगम हो। आपके आगमन को सुविधाजनक बनाने के लिए हम विमानपत्तन क्षेत्र के भीतर पहुंच मार्ग पर अनधिकृत रूप से खड़े वाहनों को हटाने की कार्यवाही करेंगे।

2.2.2 टर्मिनल भवन में प्रवेश

हम यह सुनिश्चित करेंगे कि टर्मिनल भवन में प्रवेश बाधा रहित हो और जहां एक से अधिक प्रवेश द्वार उपलब्ध हों, वहां विशिष्ट एयरलाइनों के लिए निर्धारित प्रवेश द्वारों पर सूचना उपयुक्त रूप से प्रदर्शित की जाए।

टर्मिनल भवन में प्रवेश भेदभाव-रहित होगा। तथापि, यात्रियों के साथ आने वाले आगंतुकों को निर्धारित प्रवेश शुल्क देना होगा। सुरक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार आगंतुकों के प्रवेश में समय-समय पर कटौती की जा सकती है अथवा उसे निलंबित किया जा सकता है।

2.2.3 सामान

हम आवश्यकता वाले सभी यात्रियों के लिए सामान ट्रॉलियों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। आपकी सुविधा के लिए सशुल्क पोर्टेज सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

2.2.4 वाहनों की पार्किंग

कार, स्कूटर, बस आदि विभिन्न वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास रहेगा। पार्किंग सुविधाओं का उपयोग निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध होगा, जिसकी स्पष्ट सूचना पार्किंग के प्रवेश/निकास द्वारों पर दी जाएगी। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वाहन पार्क करने/निकालने में आपको 5 (पांच) मिनट से अधिक समय न लगे।

2.2.5 कतार की लंबाई

पर्याप्त संख्या में चेक-इन काउंटर, एक्स-रे बैगेज मशीनें, कन्वेयर बेल्ट आदि उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि कतार में लगने वाला समय न्यूनतम रखा जा सके।

2.2.6 सुविधाएं

आप शौचालय, स्वच्छ पेयजल, तरल साबुन, पेपर ग्लास और शिशु देखभाल कक्ष जैसी निःशुल्क सुविधाओं के अधिकारी हैं। अन्य सभी सुविधाएं भुगतान के आधार पर उपलब्ध होंगी। यात्रियों की आवश्यकता के अनुसार खान-पान, पेय और खरीदारी की सभी आवश्यक सुविधाएं सुखद वातावरण में उपलब्ध होंगी। युक्तिसंगत मूल्य पर पेय पदार्थ और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए सुविधाजनक स्थानों पर वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि विक्रेता वस्तुओं का मूल्य एमआरपी के अनुसार निर्धारित करें। प्रतिस्पर्धा और यात्रियों को विकल्प उपलब्ध कराने के लिए प्रतिस्पर्धी विक्रेताओं की वेंडिंग मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। हम टर्मिनल भवन की स्वच्छता और स्वास्थ्यकर स्थिति भी सुनिश्चित करेंगे, ताकि आप अपना समय आरामदायक और सुखद ढंग से व्यतीत कर सकें।

हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिकांश सेवाओं के लिए आपको कतार में 5 (पांच) मिनट से अधिक तथा अपने सामान के लिए 20 (बीस) मिनट से अधिक प्रतीक्षा न करनी पड़े।

2.2.7 बैठने की व्यवस्था

उपयोगकर्ताओं के प्रतीक्षा क्षेत्र की योजना इस प्रकार बनाई जाएगी कि व्यस्ततम घंटे की क्षमता के कम-से-कम 40% (चालीस प्रतिशत) के लिए आरामदायक सीटें उपलब्ध हों।

आपकी सुविधा के लिए पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाएगी और टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर का तापमान 25°C बनाए रखा जाएगा, जब बाहर का तापमान 40°C से कम हो। अन्य मामलों में, टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर और अंदर के तापमान के बीच का अंतर 15°C से कम नहीं होगा। सर्दियों के मौसम में, तापमान 15°C से कम नहीं होगा।

2.2.8 टैक्सियां

हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके आगमन पर प्री-पेड टैक्सियां उपलब्ध हों। कम-से-कम 95% (पंचानवे प्रतिशत) समय में अधिकतम प्रतीक्षा अवधि 5 (पांच) मिनट से अधिक नहीं होगी।

2.2.9 नियोजित/अनियोजित इंजीनियरी कार्य

हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जब भी कोई परिवर्तन/मरम्मत कार्य किया जाए, क्षेत्र की पर्याप्त घेराबंदी हो, स्पष्ट संकेतक उपलब्ध हों और विमानपतन का सामान्य संचालन किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो।

2.3 सूचना की उपलब्धता

सूचना ही शक्ति है।

हम उड़ानों के आगमन और प्रस्थान के समय के संबंध में समय पर सूचना उपलब्ध कराएंगे। यह सूचना टर्मिनल भवन में प्रवेश करने से काफी पहले उपलब्ध होगी, ताकि किसी विलंब की स्थिति में आप अपने रिश्तेदारों/मित्रों

के साथ अधिक समय बिता सकें। हम टर्मिनल भवन के भीतर स्पष्ट और आसानी से समझ में आने वाले, सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत संकेतक भी उपलब्ध कराएंगे, ताकि आप किसी की सहायता मांगे बिना सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

फिर भी, यदि आपको किसी सहायता की आवश्यकता हो, तो हमारे प्रशिक्षित कर्मचारी सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे। उड़ान समय की शुद्धता और असामान्य विलंब काफी हद तक एयरलाइनों के सहयोग पर निर्भर करते हैं। हम एयरलाइनों के साथ समन्वय करने तथा सूचना प्राप्त होते ही उसे तत्काल अद्यतन करने के लिए सभी प्रयास करेंगे।

2.4 सहायता की आवश्यकता वाले यात्री

हम दिव्यांग यात्रियों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हैं। हम निम्नलिखित उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं:

2.4.1 यात्रियों को सहायता

जैसे ही आप अपनी आवश्यकता हमारे प्रशिक्षित कर्मचारियों के संज्ञान में लाएंगे, वे आपकी सहायता के लिए तत्पर रहेंगे।

2.4.2 शौचालय

हम दिव्यांग-अनुकूल और उपयोग में आसान शौचालय उपलब्ध कराएंगे।

2.4.3 रैम्प

जहां भी व्यवहार्य होगा, व्हीलचेयर यात्रियों के लिए रैम्प उपलब्ध कराए जाएंगे।

2.4.4 प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं

किसी भी अप्रत्याशित चिकित्सीय आपातस्थिति से निपटने के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी और योग्य पेशेवरों द्वारा प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की जाएगी।

2.5 टिकट खरीदना

हमारे विमानपतन पर टिकट खरीदना अत्यंत आसान और सुविधाजनक है। सभी प्रमुख एयरलाइनों के पर्याप्त संख्या में टिकटिंग काउंटर विमानपतन पर उपलब्ध कराए जाएंगे। ये हवाई मार्ग से आने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए खुले होंगे और अन्य गंतव्य की यात्रा जारी रखने वाले यात्री भी टर्मिनल भवन से बाहर जाए बिना अन्य टिकट खरीद सकेंगे।

2.6 खोई हुई संपत्ति

विमानपतन पर कोई वस्तु खो गई? संभव है कि वह आपको टर्मिनल भवन में स्थित खोया-पाया कार्यालय से वापस मिल जाए।

सभी खोई और पाई गई वस्तुएं प्रभारी, खोया-पाया कार्यालय को भेजी जाएंगी। अपनी खोई हुई वस्तुओं की बरामदगी के लिए आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनसे ई-मेल पते अर्थात् |*| पर भी संपर्क किया जा सकता है।

2.7 आपके विचारों को सुनना

ग्राहक सदैव सही है। ग्राहक संतुष्टि हमारा ध्येय है। निरंतर सुधार हमारा लक्ष्य है।

हमारी सेवा के विभिन्न पहलुओं पर उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण का आवधिक विश्लेषण किया जाएगा। आपके सुझाव/शिकायतें दर्ज करने के लिए विभिन्न स्थानों पर सुझाव-पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आप पत्राचार, हमारी फोन लाइनों अथवा हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं।

2.8 हमारी वचनबद्ध प्रत्युत्तर समय-सीमा

जब आप हमें लिखेंगे, तो आपको सात कार्य-दिवसों के भीतर हमारी ओर से उत्तर मिल जाना चाहिए।

- (क) यदि पूर्ण उत्तर देने में अधिक समय अपेक्षित हो, तो हम 7 (सात) कार्य-दिवसों के भीतर आपको पावती भेजेंगे और 25 (पच्चीस) कार्य-दिवसों के भीतर उत्तर देंगे।

(ख) यदि 25 (पच्चीस) कार्य-दिवसों के भीतर पूर्ण उत्तर नहीं दिया जा सकता, तो हम आपसे संपर्क कर आपको अद्यतन स्थिति से अवगत कराएंगे।

(ग) विमानपत्तन पर विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने में अनेक एजेंसियां शामिल हैं। ऊपर वचनबद्ध कुछ सेवाओं में इन एजेंसियों के साथ परस्पर संपर्क और समन्वय आवश्यक हो सकता है, जो सेवा उपलब्ध कराने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। ऐसी स्थिति में हम आपकी चिंताओं के समाधान के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेंगे।

यदि आप हमारे उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो हम आपको अपने प्रत्युत्तर से संतुष्ट करने के लिए सभी प्रयास करेंगे। कृपया हमें अवगत कराएं। इससे हमें कमजोर बिंदुओं की पहचान करने और अपने निष्पादन में निरंतर सुधार करने में सहायता मिलेगी।

**अनुसूची के
स्वतंत्र अभियंता का चयन**
(खंड 24.1 देखें)

1 स्वतंत्र अभियंता का चयन

1.1

प्राधिकरण के भीतर समान कार्यों के लिए अभियंता के चयन की प्रक्रिया रियायत करार के अंतर्गत स्वतंत्र अभियंता के चयन पर लागू होगी। तथापि, स्वतंत्र अभियंता के रूप में चयनित की जाने वाली संस्था एक अनुभवी फर्म होगी और रियायत करार के अंतर्गत परिकल्पित कार्यों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम होगी। यह भी प्रावधान है कि प्राधिकरण के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली कोई संस्था इसके पश्चात स्वतंत्र अभियंता के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी।

1.2

प्राधिकरण विमानपत्तन विकास तथा असाइनमेंट की आवश्यकताओं से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित पर्यवेक्षण में विशेषज्ञता रखने वाले कम-से-कम 6 (छह) अभियंताओं का एक पैनल नामित करेगा, जिनका रियायतग्राही के साथ हितों का कोई टकराव न हो। रियायतग्राही को ऐसे एक या अधिक नामों पर आपति करने का अधिकार होगा, परंतु किसी भी परिस्थिति में यह संख्या 3 (तीन) नामित व्यक्तियों से अधिक नहीं होगी। प्राधिकरण उन नामित व्यक्तियों में से, जिन पर रियायतग्राही ने आपति नहीं की है, किसी एक को स्वतंत्र अभियंता नियुक्त करेगा।

1.3

पैरा 1.1 के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त स्वतंत्र अभियंता की सेवा समाप्त होने की स्थिति में, प्राधिकरण इस अनुसूची -के के पैरा 4 के प्रावधानों के अनुसार तत्काल तकनीकी परामर्शदाताओं की किसी अन्य फर्म को नियुक्त करेगा अथवा किसी सरकारी स्वामित्व वाली संस्था को नियुक्त करेगा।

1.4

रियायतग्राही अपने विवेक से इस अनुसूची -के के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक प्रतिनिधि नामित कर सकता है।

1.5

स्वतंत्र अभियंता के लिए संदर्भ की शर्तें मूलतः अनुसूची L के अनुरूप होंगी।

2 शुल्क और व्यय

2.1

सीओडी से पूर्व की अवधि, विकास अवधि तथा रियायत अवधि के दौरान स्वतंत्र अभियंता द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों और सेवाओं की प्रकृति एवं मात्रा निर्धारित करते समय, प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि स्वतंत्र अभियंता को शुल्क और व्यय के मद में भुगतान प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के आधार पर निर्धारित किया जाए।

2.2

स्वतंत्र अभियंता का पारिश्रमिक, लागत और व्यय प्राधिकरण द्वारा भुगतान किया जाएगा तथा ऐसा समस्त पारिश्रमिक, लागत और व्यय प्राधिकरण से व्यय-विवरण प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति किया जाएगा।

2.3

स्वतंत्र अभियंता को भुगतान की गई किसी भी राशि को एरा द्वारा वैमानिकी प्रभागों के निर्धारण के लिए पास-थ्रू माना जाएगा।

3 प्रत्येक तीन वर्ष में चयन

इस अनुसूची -के के पैरा 1 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति की तारीख से अधिकतम 3 (तीन) वर्ष के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक 3 (तीन) वर्ष में, प्राधिकरण किसी अन्य फर्म को नियुक्त करेगा, जो इस अनुसूची -के में निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्वतंत्र अभियंता के रूप में कार्य करेगी।

4 स्वतंत्र अभियंता के रूप में सरकारी संस्था की नियुक्ति

इस शेड्यूल के में दी गई किसी भी बात के बावजूद, अथॉरिटी अपनी मर्जी से किसी सरकारी कंपनी को 'इंडिपेंडेंट इंजीनियर' के तौर पर नियुक्त कर सकती है। शर्त यह है कि वह कंपनी एक कॉर्पोरेट बॉडी हो और उसका मुख्य काम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए कंसल्टिंग, सलाह और सुपरविज़न की सेवाएँ देना हो। साथ ही, राज्य सरकार के मालिकाना हक या कंट्रोल वाली सरकारी कंपनी 'इंडिपेंडेंट इंजीनियर' के तौर पर नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगी।

अनुसूची एल स्वतंत्र अभियंता के लिए संदर्भ की शर्तें

(खंड 24.2 देखें)

1 कार्यक्षेत्र

1.1

स्वतंत्र अभियंता के लिए ये संदर्भ की शर्तें ("TOR") दिनांक [•] के रियायत करार के अनुसरण में विनिर्दिष्ट की जा रही हैं, जो [जिस राज्य में विमानपत्तन स्थित है, वहां प्राधिकरण का नाम प्रविष्ट करें] स्थित विमानपत्तन के लिए प्राधिकरण और [•] ("रियायतग्राही") के बीच संपादित किया गया है; इसकी एक प्रति इसके साथ संलग्न है और इस TOR का भाग बनाने हेतु अनुलग्नक A के रूप में चिह्नित है।

1.2

यह TOR विमानपत्तन के संचालन, प्रबंधन और विकास पर लागू होगा।

2 परिभाषाएं और निर्वचन

2.1

इस TOR में प्रयुक्त बड़े अक्षर से आरंभ होने वाले अथवा बड़े अक्षरों में लिखे गए तथा इसमें परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, वही अर्थ होगा जो करार में उन्हें क्रमशः दिया गया है।

2.2

इस TOR में अनुच्छेदों, खंडों और अनुसूचियों के संदर्भ, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, करार के अनुच्छेदों, खंडों और अनुसूचियों के संदर्भ माने जाएंगे; तथा पैराग्राफों के संदर्भ इस TOR के पैराग्राफों के संदर्भ माने जाएंगे।

2.3

करार के खंड 1.2, 1.3 और 1.4 में निर्धारित निर्वचन के नियम, आवश्यक परिवर्तनों सहित, इस TOR पर लागू होंगे।

3 स्वतंत्र अभियंता की भूमिका और कार्य

3.1

स्वतंत्र अभियंता की भूमिका और कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (क) पैराग्राफ 4 में निर्धारित अनुसार डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेजों की समीक्षा;
- (ख) पैराग्राफ 4 में निर्धारित अनुसार निर्माण कार्यों की समीक्षा, निरीक्षण और निगरानी;
- (ग) निर्माण पूर्ण होने पर परीक्षणों की समीक्षा और उनका साक्ष्यीकरण तथा पैराग्राफ 4 में निर्धारित अनुसार पूर्णता प्रमाणपत्र/अनंतिम प्रमाणपत्र जारी करने में प्राधिकरण की सहायता;
- (घ) पैराग्राफ 5 में निर्धारित अनुसार प्रचालन एवं अनुरक्षण (O&M) की समीक्षा, निरीक्षण और निगरानी;
- (ङ) पैराग्राफ 6 में निर्धारित अनुसार विनिवेश आवश्यकताओं की समीक्षा, निरीक्षण और निगरानी;
- (च) करार के अंतर्गत अपेक्षित होने पर किसी कार्य अथवा सेवा की लागत और/या उसकी युक्तिसंगतता निर्धारित करना;
- (छ) करार के अंतर्गत अपेक्षित होने पर किसी कर्तव्य अथवा दायित्व के निष्पादन की अवधि अथवा उसके किसी विस्तार का निर्धारण;
- (ज) पैराग्राफ 8 में निर्धारित अनुसार विवादों के समाधान में पक्षकारों की सहायता;
- (झ) करार के अनुसार अन्य सभी कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन; और
- (ञ) अनुसूचित पूर्णता तिथियों और चरणगत माइलस्टोन के निर्धारण में रियायतग्राही की सहायता।

3.2

स्वतंत्र अभियंता अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्पक्ष, तटस्थ और दक्ष तरीके से करेगा, जो व्यावसायिक सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुरूप होगा।

4 विकास अवधि

4.1

विकास अवधि के दौरान स्वतंत्र अभियंता रियायतग्राही द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले डिजाइन और ड्राइंग की सहायक आंकड़ों सहित विस्तृत समीक्षा करेगा, जिसमें सामग्री के स्रोत क्षेत्रों और खदान स्थलों की भू-तकनीकी तथा जल-विज्ञान संबंधी जांच, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण और यातायात सर्वेक्षण शामिल होंगे। स्वतंत्र अभियंता ऐसी समीक्षा पूरी करेगा और विकास योजना एवं ड्राइंग प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण तथा रियायतग्राही को अपनी टिप्पणियां भेजेगा। विशेष रूप से, ऐसी टिप्पणियों में विकास योजना और ऐसी ड्राइंग की परियोजना के कार्यक्षेत्र तथा विनिर्देशों एवं मानकों के अनुरूपता का उल्लेख होगा।

4.2

इस चरण में स्वतंत्र अभियंता का संक्षिप्त कार्यक्षेत्र निम्नलिखित को शामिल करता है, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है:

4.2.1 सभी डिजाइन, ड्राइंग, विनिर्देशों और खरीद दस्तावेजों की समीक्षा:

- (क) डिजाइन का आधार;
- (ख) डिजाइन, ड्राइंग, मात्राओं और लागत पर टिप्पणियां प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएंगी;
- (ग) सभी डिजाइन और विनिर्देशों की विकास मानकों और आवश्यकताओं के अनुसार समीक्षा की जाएगी;
- (घ) रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत खरीद दस्तावेजों की मात्रा-सूची में विभिन्न मदों की सूची और मात्राओं का सत्यापन करना तथा, यदि आवश्यक हो, वित्तीय प्रभाव सहित उनमें संशोधन का प्रस्ताव करना।

4.2.2 रियायतग्राही द्वारा कार्यों के अवाई और वाणिज्यिक संविदाओं की समीक्षा:

- (क) संविदा दस्तावेज की तकनीकी (डिजाइन, निर्माण, पूर्णता और कमीशनिंग) तथा वाणिज्यिक शर्तों के लिए समीक्षा की जाएगी;
- (ख) ठेकेदारों की क्षमता की समीक्षा और उस पर टिप्पणी;
- (ग) रियायतग्राही द्वारा अपनाई गई निविदा और संविदा अवाई प्रक्रिया की समीक्षा।

4.3

स्वतंत्र अभियंता प्राधिकरण द्वारा उसे भेजी गई किसी संशोधित ड्राइंग अथवा सहायक दस्तावेज की समीक्षा करेगा और ऐसी ड्राइंग अथवा दस्तावेज प्राधिकरण से प्राप्त होने के 7 (सात) दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा।

4.4

स्वतंत्र अभियंता अनुसूची I के अनुसार ड्राइंग की समीक्षा करेगा और ऐसी ड्राइंग प्राप्त होने के 7 (सात) दिनों के भीतर प्राधिकरण तथा रियायतग्राही को अपनी टिप्पणियां देगा।

4.5

स्वतंत्र अभियंता विस्तृत डिजाइन, निर्माण कार्यप्रणाली, गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं तथा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित खरीद, इंजीनियरी और निर्माण समय-सारणी की समीक्षा करेगा, जिसे रियायतग्राही द्वारा तैयार किया गया है, और इसकी प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां देगा।

4.6

अथॉरिटी के कहने पर, इंडिपेंडेंट इंजीनियर EPC कॉन्ट्रैक्ट या एयरपोर्ट के संबंधित चरण के निर्माण के लिए किसी अन्य कॉन्ट्रैक्ट की समीक्षा करेगा और उस पर अपनी राय देगा। वह अथॉरिटी से ऐसा अनुरोध मिलने के 7 (सात) दिनों के भीतर अपनी राय देगा।

4.7

स्वतंत्र अभियंता रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत मासिक प्रगति रिपोर्टों की निम्नलिखित के संबंध में समीक्षा करेगा और ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के 7 (सात) दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां प्राधिकरण को भेजेगा:

- (क) विकास योजना, ड्राइंग, विनिर्देशों और मानकों का अनुपालन;

- (ख) यह सुनिश्चित करना कि रियायतग्राही द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट विकास योजना और करार की सभी आवश्यकताओं के अनुरूप है;
- (ग) कार्यों की मात्राओं तथा उन्हें पूरा करने की समय-सीमाओं की समीक्षा और आकलन;
- (घ) रिपोर्ट में उल्लिखित सभी विकास कार्यों की स्थल पर भौतिक समीक्षा और विनिर्देशों एवं मानकों की आवश्यकताओं के अनुसार सत्यापन;
- (ङ) कार्यों की गुणवत्ता पर समीक्षा और टिप्पणियां तथा ऐसे किसी कार्य अथवा कार्य के भाग की पहचान करना जिसे कार्य पूरा होने से पहले सुधारा जाना आवश्यक है; और
- (च) परियोजना नियंत्रण परिप्रेक्ष्य से समीक्षा करना और ऐसी संसाधन-पर्याप्तता का आकलन करना जो लागत और समय-सारणी को एकीकृत करती हो, संभावित प्रवृत्तियों (नकारात्मक और सकारात्मक दोनों) तथा ऐसे दावों का पूर्वानुमान करती हो जो अनुमोदित निर्माण लागत को प्रभावित कर सकते हैं।

4.8

स्वतंत्र अभियंता प्रत्येक माह एक बार निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगा, अधिमानतः रियायतग्राही से मासिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, किंतु किसी भी स्थिति में प्रत्येक माह की 20वीं (बीसवीं) तारीख से पहले, और ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट ("निरीक्षण रिपोर्ट") तैयार करेगा जिसमें निर्माण की स्थिति, प्रगति, गुणवत्ता और सुरक्षा का अवलोकन होगा, जिसमें अपनाई गई कार्य-पद्धति, प्रयुक्त सामग्री और उनके स्रोत तथा परियोजना के कार्यक्षेत्र और विनिर्देशों एवं मानकों के साथ निर्माण कार्यों की अनुरूपता शामिल होगी। निरीक्षण रिपोर्ट के पृथक भाग में स्वतंत्र अभियंता विमानपत्तन के निर्माण में उसके द्वारा देखी गई त्रुटियों, दोषों अथवा कमियों का युक्तिसंगत विस्तार से वर्णन करेगा। स्वतंत्र अभियंता निरीक्षण के 7 (सात) दिनों के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति प्राधिकरण और रियायतग्राही को भेजेगा।

4.9

यदि किसी त्रुटि, दोष अथवा कमी के लिए ऐसे निरीक्षण की आवश्यकता हो तो स्वतंत्र अभियंता विमानपत्तन का एक माह में एक से अधिक बार निरीक्षण कर सकता है।

4.10

यह निर्धारित करने के लिए कि निर्माण कार्य विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप हैं, स्वतंत्र अभियंता रियायतग्राही से नमूना आधार पर परीक्षण कराने अथवा करवाने की अपेक्षा करेगा, जिन्हें स्वतंत्र अभियंता द्वारा गुणवत्ता आश्वासन के लिए उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार विनिर्दिष्ट किया जाएगा। इस पैराग्राफ 4.10 के प्रयोजन के लिए, प्राधिकरण द्वारा संरचनाओं, भवनों और उपकरणों के संबंध में विनिर्दिष्ट संबंधित मैनुअल ("गुणवत्ता नियंत्रण मैनुअल") में निर्धारित परीक्षण अथवा उनका कोई संशोधन/प्रतिस्थापन, गुणवत्ता आश्वासन हेतु उत्तम उद्योग पद्धति के अनुरूप परीक्षण माने जाएंगे। स्वतंत्र अभियंता रियायतग्राही को आवश्यक निर्देश जारी करेगा ताकि परीक्षण निष्पक्ष और दक्ष तरीके से किए जाएं, तथा उनके परिणामों की निगरानी और समीक्षा करेगा।

4.11

पैराग्राफ 4.10 के अंतर्गत स्वतंत्र अभियंता द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले परीक्षणों का नमूना आकार, गुणवत्ता नियंत्रण मैनुअल में प्रत्येक श्रेणी अथवा प्रकार के परीक्षण के लिए निर्धारित परीक्षणों की मात्रा अथवा संख्या के 10% (दस प्रतिशत) का होगा; तथापि स्वतंत्र अभियंता, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, कुछ श्रेणियों अथवा प्रकार के परीक्षणों के लिए उक्त नमूना आकार को अधिकतम 10% (दस प्रतिशत) तक बढ़ा सकता है।

4.12

पैराग्राफ 4.10 में उल्लिखित परीक्षणों का समय तथा उनके परिणामों की स्वीकृति/अस्वीकृति के मानदंड स्वतंत्र अभियंता द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण मैनुअल के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। परीक्षण यादृच्छिक नमूना आधार पर किए जाएंगे और ये उन परीक्षणों के अतिरिक्त तथा उनसे स्वतंत्र होंगे जो रियायतग्राही द्वारा अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए किए जा सकते हैं।

6.2 अनुबंध खत्म होने के बाद 90 दिनों की अवधि के दौरान, 'निष्पक्ष अभियंता' प्रत्येक 15 दिनों में एक बार हवाई अड्डे का निरीक्षण करेगा। इसका उद्देश्य धारा 37 के तहत रियायतग्राही (कंसेशनेयर) की उस ज़िम्मेदारी का पता लगाना है जो उसमें बताई गई कमियों या दोषों से जुड़ी है। अगर 'निष्पक्ष अभियंता' को ऐसी कोई कमी या दोष मिलता है, तो वह विस्तार से एक उचित रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे तुरंत प्राधिकरण और रियायतग्राही को भेजेगा।

7. लागत और समय का निर्धारण

7.1 स्वतंत्र इंजीनियर उन लागतों और उनकी औचित्यता का निर्धारण करेगा, जिन्हें समझौते के तहत उसके द्वारा निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

7.2 स्वतंत्र इंजीनियर उस कीमत या उसके लिए किसी भी विस्तार का निर्धारण करेगा, जिसे समझौते के तहत उसके द्वारा निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

8. विवाद सुलझाने में मदद

8.1 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कोई भी पक्ष ग्राहक के ज़रिए निष्पक्ष अभियंता को बुलाता है, तो अभियंता का यह दायित्व है कि वह मध्यस्थता करेगा और पक्षों को आपसी सहमति से समझौता करने में सहायता प्रदान करेगा।

यदि समझौते के किसी प्रावधान में बताए गए 'अच्छे उद्योग अभ्यास' के अर्थ, दायरे और स्वरूप को लेकर पक्षों के बीच कोई असहमति होती है, तो निष्पक्ष अभियंता अच्छे उद्योग अभ्यास और प्रामाणिक साहित्य के आधार पर तर्कपूर्ण लिखित बयान जारी करके उसका अर्थ, दायरा और स्वरूप स्पष्ट करेगा।

9. अन्य कर्तव्य और कार्य

निष्पक्ष अभियंता समझौते में बताए गए सभी अन्य कर्तव्यों और कार्यों का पालन करेगा।

10. विविध कार्य

10.1 निष्पक्ष अभियंता अपने निरीक्षण के कार्यक्रम की सूचना प्राधिकरण और अन्य रियायतग्राहियों को देगा। वे अपनी मर्जी से निरीक्षण के दौरान अपने प्रतिनिधियों को वहाँ मौजूद रहने के लिए भेज सकते हैं।

10.2 निष्पक्ष अभियंताको "एज़-बिल्ट ड्राइंग्स" (जैसा बनाया गया है, वैसी ड्राइंग्स) से संबंधित सभी ड्राइंग्स और दस्तावेजों की कम से कम 1 (एक) प्रति अपने पास सुरक्षित रखनी होगी।

10.3 अपना काम पूरा होने पर, निष्पक्ष अभियंता सभी ड्राइंग्स, दस्तावेजों, टेस्ट के नतीजों और अन्य संबंधित रिकॉर्ड्स को सही ढंग से वर्गीकृत और सूचीबद्ध बनाएगा और उन्हें प्राधिकरण या प्राधिकरण द्वारा बताए गए किसी अन्य व्यक्ति को सौंप देगा और उसकी लिखित रसीद प्राप्त करेगा। इन दस्तावेजों की 2 (दो) प्रतियां डिजिटल फॉर्मेट या किसी अन्य माध्यम में भी दी जानी चाहिए, जो प्राधिकरण को स्वीकार्य हों।

10.4 जहाँ निष्पक्ष अभियंता द्वारा सेवाएँ देने के लिए कोई समय-सीमा नहीं बताई गई है, वहाँ निष्पक्ष अभियंता अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुसार अपने काम को पूरा करने के लिए ज़रूरी कुशलता और तेज़ी के साथ काम करेगा।

अनुसूची ड
एस्करो समझौता
(धारा 29.1 देखें)

यह एस्करो समझौता ("समझौता") (_____ स्थान पर) दिनांक _____, 201__ को निम्नलिखित पक्षों के बीच किया गया है:

[कंपनी अधिनियम, 2013] के प्रावधानों के अंतर्गत _____ निगमित कंपनी, जिसकी कॉरपोरेट पहचान संख्या _____ और पंजीकृत कार्यालय _____ है, जिसे आगे "रियायतग्राही" कहा गया है; इसमें, जब तक संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी, अनुमत हस्तांतरिती और प्रतिस्थापित पक्ष शामिल होंगे; और

_____ [ऋणदाताओं के प्रतिनिधि का नाम और विवरण भरें], जिसका पंजीकृत कार्यालय [_____] है और जो वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से उनके विधिवत अधिकृत अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है, जिसे आगे "ऋणदाताओं का प्रतिनिधि" कहा गया है;

और

_____ [एस्करो बैंक का नाम और विवरण], जिसका _____ पंजीकृत कार्यालय तथा शाखा में _____ कार्यालय है, जिसे आगे "एस्करो बैंक" कहा गया है;

और

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित निगमित निकाय है और जिसका कॉरपोरेट कार्यालय राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली-110003, भारत में है, जिसे आगे "प्राधिकरण" कहा गया है।

प्रस्तावना

क. प्राधिकरण ने रियायतग्राही के साथ [_____] दिनांकित रियायत समझौता किया है, जो [राज्य का नाम] राज्य में [शहर का नाम] स्थित हवाई अड्डे के संबंध में है। उक्त रियायत समझौते की एक प्रति इस समझौते के परिशिष्ट क के रूप में संलग्न है।

ख. वरिष्ठ ऋणदाताओं ने वित्तपोषण समझौतों में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार परियोजना का वित्तपोषण करने पर सहमति दी है।

ग. रियायत समझौते के अनुसार रियायतग्राही को उसमें निर्धारित नियमों और शर्तों पर एस्क्रो खाता खोलना आवश्यक है।

अतः, उपर्युक्त तथ्यों तथा इस समझौते में निर्धारित पारस्परिक वचनों और समझौतों के प्रतिफलस्वरूप, जिनकी प्राप्ति और पर्याप्तता स्वीकार की जाती है, पक्षकार निम्नानुसार सहमत हैं:

1. परिभाषाएँ और व्याख्या

1.1 परिभाषाएँ

इस समझौते में निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ, जब तक संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, नीचे दिया गया होगा:

“समझौता” का अर्थ यह एस्क्रो समझौता और इसके प्रावधानों के अनुसार किए गए इसके संशोधन हैं।

“रियायत समझौता” का अर्थ प्रस्तावना क में उल्लिखित और परिशिष्ट क के रूप में संलग्न रियायत समझौता है, जिसमें उसकी सभी प्रस्तावनाएँ, अनुसूचियाँ और विधिवत किए गए संशोधन शामिल हैं।

“रियायतग्राही” का अर्थ प्रस्तावना में उल्लिखित व्यक्ति है।

“उपचार अवधि” का अर्थ इस समझौते के किसी प्रावधान के उल्लंघन या चूक को सुधारने के लिए निर्धारित अवधि है।

“एस्क्रो खाता” का अर्थ इस समझौते के अंतर्गत स्थापित एस्क्रो खाता है, जिसमें उप-खाते भी शामिल हैं।

“एस्करो बैंक” का अर्थ प्रस्तावना में उल्लिखित बैंक है।

“एस्करो चूक” का वही अर्थ होगा जो धारा 6.1.1 में दिया गया है।

“क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष” और “क्षतिपूर्ति देने वाला पक्ष” का वही अर्थ होगा जो धारा 9.2 में दिया गया है।

“ऋणदाताओं का प्रतिनिधि” का अर्थ प्रस्तावना में उल्लिखित व्यक्ति है।

“पक्षकार” का अर्थ इस समझौते के सभी पक्षकार सामूहिक रूप से है और “पक्ष” का अर्थ किसी एक पक्षकार से है।

“भुगतान तिथि” का अर्थ धारा 4.1 में निर्दिष्ट भुगतान की तिथि है।

“उप-खाते” का अर्थ एस्करो खाते के वे संबंधित उप-खाते हैं जिनमें धारा 4.1 में निर्दिष्ट धनराशि प्रत्येक माह जमा की जाएगी और देय होने पर भुगतान की जाएगी।

1.2 व्याख्या

“ऋणदाताओं के प्रतिनिधि” के संदर्भ का अर्थ वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से और उनके लिए कार्य करने वाला ऋणदाताओं का प्रतिनिधि होगा। बड़े अक्षरों से शुरू होने वाले और इस समझौते में परिभाषित शब्दों का अर्थ वही होगा जो यहां दिया गया है। ऐसे शब्द जो इस समझौते में प्रयुक्त हैं परंतु यहां परिभाषित नहीं हैं और रियायत समझौते में परिभाषित हैं, उनका अर्थ रियायत समझौते में दिया गया अर्थ होगा। धाराओं के संदर्भ, जब तक अन्यथा न कहा गया हो, इस समझौते की धाराओं के संदर्भ होंगे। रियायत समझौते की धाराओं 1.2, 1.3 और 1.4 में दिए गए व्याख्या के नियम इस समझौते पर भी लागू होंगे।

2. एस्करो खाता

2.1 एस्करो बैंक न्यासी के रूप में

रियायतग्राही एस्करो बैंक को प्राधिकरण, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि और रियायतग्राही के संबंध में न्यासी नियुक्त करता है तथा एस्करो बैंक को इस समझौते द्वारा विशेष रूप से प्रदत्त अधिकारों, शक्तियों और विवेकाधिकारों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है। एस्करो बैंक इस नियुक्ति को स्वीकार करता है।

रियायतग्राही घोषित करता है कि एस्क्रो खाते में उसका समस्त अधिकार, स्वामित्व और हित एस्क्रो बैंक में निहित रहेगा और प्राधिकरण, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि तथा रियायतग्राही के हित में न्यास के रूप में रखा जाएगा।

2.2 एस्क्रो बैंक की स्वीकृति

एस्क्रो बैंक इस रूप में कार्य करने तथा इस समझौते के अनुसार उसे सौंपे और उसके पास रखे जाने वाले सभी भुगतान और अन्य राशियां स्वीकार करने पर सहमत है। एस्क्रो बैंक समझौते की अवधि के दौरान एस्क्रो खाते को सुरक्षित रखेगा और इस समझौते के अनुसार पक्षकारों या उनके नामित व्यक्तियों, उत्तराधिकारियों और अनुमत हस्तांतरितियों के लाभ के लिए अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा।

2.3 एस्क्रो खाते की स्थापना और संचालन

2.3.1 इस समझौते की तिथि से 30 दिनों के भीतर और किसी भी स्थिति में वाणिज्यिक संचालन तिथि से पहले, रियायतग्राही एस्क्रो बैंक की [_____] शाखा में रुपये में एस्क्रो खाता खोलेगा। एस्क्रो बैंक समझौते, अपनी सामान्य प्रथाओं और लागू विनियमों के अनुसार खाते का रखरखाव करेगा तथा खाते की शेष राशि पर समय-समय पर समान ग्राहकों के लिए देय अधिकतम ब्याज दर देगा। एस्क्रो खाते में राशि रूप में दर्शाई जाएगी।

2.3.2 एस्क्रो बैंक, एग्रीमेंट की शर्तों, सामान्य तौर-तरीकों और लागू नियमों के अनुसार एस्क्रो अकाउंट को बनाए रखेगा और समय-समय पर उस अकाउंट में मौजूद बैलेंस पर, सामान्य ग्राहकों को दिए जाने वाले अधिकतम ब्याज दर का भुगतान करेगा।

2.3.3 एस्क्रो बैंक और रियायतग्राही, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि से परामर्श के बाद, खाते के विस्तृत अधिदेश, नियम, शर्तें और संचालन प्रक्रिया तय करेंगे। यदि उनमें और इस समझौते में कोई असंगति हो, तो यह समझौता प्रभावी होगा।

2.4 एस्क्रो बैंक फीस

एस्क्रो बैंक अपनी फीस और खर्च प्राप्त करेगा, जिसकी राशि और भुगतान-समय एस्क्रो बैंक और रियायतग्राही के बीच सहमति से तय होंगे।

2.5 पक्षों के अधिकार

रियायत समझौते में अन्यथा प्रदान किए गए मामलों को छोड़कर, प्राधिकरण, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि और रियायतग्राही के अधिकार इस समझौते में पूरी तरह से निर्धारित हैं और एस्क्रो खाते में जमा धन पर या उसके खिलाफ प्राधिकरण, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि और रियायतग्राही का कोई अन्य अधिकार नहीं होगा।

2.6 रियायतग्राही का प्रतिस्थापन

इसके पक्ष स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि प्रतिस्थापन समझौते के अनुसार नामांकित कंपनी के साथ रियायतग्राही के प्रतिस्थापन पर, इस समझौते के उद्देश्यों के लिए यह माना जाएगा कि नामांकित कंपनी इसकी एक पक्ष है और तदनुसार नामांकित कंपनी को रियायतग्राही के नामांकित कंपनी के साथ प्रतिस्थापन की तारीख से इस समझौते के तहत रियायतग्राही के अधिकारों और दायित्वों का उत्तराधिकारी माना जाएगा।

3. एस्क्रो खाते में जमा राशि

3.1 रियायतग्राही द्वारा जमा राशि

3.1.1 रियायतग्राही सहमत होता है और वचन देता है कि वह निम्नलिखित राजस्व और प्राप्तियों को एस्क्रो खाते में जमा करेगा या करवाएगा:

(क) बैंकों, वरिष्ठ ऋणदाताओं, अन्य ऋणदाताओं, शेयरधारकों, बीमा कंपनियों या किसी अन्य व्यक्ति या अन्यथा परियोजना के संबंध में प्राप्त सभी धन;

(ख) हवाई अड्डे, परियोजना, परियोजना सुविधाओं और/या परियोजना परिसंपत्तियों से या उनके संबंध में सभी शुल्क और अन्य सभी राजस्व, जिसमें किसी भी किराए, जमा, पूंजीगत प्राप्तियों, बीमा दावों आदि की आय शामिल है; और

(ग) किसी भी बकाया मासिक रियायत शुल्क की कटौती के बाद प्राधिकरण द्वारा किए गए सभी भुगतान; परंतु वरिष्ठ ऋणदाता, वित्तपोषण समझौतों में इस संबंध में निहित स्पष्ट प्रावधानों के अनुसार, ईपीसी ठेकेदार को प्रत्यक्ष संवितरण कर सकते हैं।

3.1.2 रियायतग्राही किसी भी समय एस्क्रो खाते में अपने अन्य फंड जमा कर सकता है, शर्त यह है कि इस समझौते के प्रावधान ऐसे जमा पर लागू होंगे।

3.2 प्राधिकरण द्वारा जमा राशि

प्राधिकरण सहमत होता है और वचन देता है कि जब भी देय और भुगतान योग्य होगा, वह समाप्ति भुगतानों को एस्क्रो खाते में जमा और/या क्रेडिट करेगा।

परंतु, धारा 4.1.1 के प्रावधानों के बावजूद, प्राधिकरण उपरोक्त राशियों में से रियायतग्राही द्वारा उसे देय किसी भी मासिक रियायत शुल्क को विनियोजित करने का हकदार होगा और शेष राशि को एस्क्रो खाते में जमा किया जाएगा।

3.3 वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा जमा राशि

ऋणदाताओं के प्रतिनिधि सहमत होते हैं, पुष्टि करते हैं और वचन देते हैं कि वरिष्ठ ऋणदाता परियोजना के संबंध में उनके द्वारा किए गए सभी संवितरणों को एस्क्रो खाते में जमा और/या क्रेडिट करेंगे, बशर्ते कि इस समझौते में इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, वरिष्ठ ऋणदाता वित्तपोषण समझौते में इस संबंध में निहित स्पष्ट प्रावधानों के तहत और उसके अनुसार ईपीसी ठेकेदार को प्रत्यक्ष भुगतान करने के हकदार होंगे।

3.4 जमा पर ब्याज

एस्क्रो बैंक इस बात पर सहमति व्यक्त करता है और वचन देता है कि एस्क्रो खाते के शेष पर अर्जित होने वाला समस्त ब्याज एस्क्रो खाते में जमा किया जाएगा, शर्त यह है कि एस्क्रो बैंक एस्क्रो खाते के संबंध में रियायतग्राही से देय अपनी फीस और खर्चों को इसमें से समायोजित करने और शेष राशि को एस्क्रो खाते में जमा करने का हकदार होगा।

4 एस्क्रो खाते से निकासी

4.1 निकासी

4.1.1 प्रत्येक माह की शुरुआत में, या ऐसे छोटे अंतरालों पर जो ऋणदाताओं के प्रतिनिधि और रियायतग्राही लिखित निर्देशों द्वारा निर्धारित करें, एस्क्रो बैंक एस्क्रो खाते से राशि निकालेगा और देय भुगतानों को करने के लिए प्रासंगिक उप-खातों में ऐसी राशि जमा करके उन्हें निम्नलिखित क्रम में विनियोजित करेगा, और यदि किसी महीने में ऐसे भुगतान देय नहीं हैं, तो ऐसी राशि को ऐसे उप-खातों में बनाए रखेगा और भुगतान की तारीख (तारीखों) पर उसमें से भुगतान करेगा:

(क) वैधानिक भुगतान, हवाई अड्डे के संबंध में रियायतग्राही द्वारा देय और भुगतान योग्य सभी कर;

(ख) प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य मासिक रियायत शुल्क;

(ग) रियायत समझौते के अनुसार प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य सभी भुगतान और/या रियायत समझौते के तहत रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को देय के रूप में प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित हर्जाना/क्षतिपूर्ति राशि; और

(घ) एक लेखा वर्ष में देय ऋण सेवा (debt service) का मासिक आनुपातिक प्रावधान;

(ङ) रियायतग्राही के निर्देशों के अनुसार शेष राशि, यदि कोई हो।

4.1.2 प्रत्येक लेखा वर्ष के प्रारंभ से कम से कम 60 (साठ) दिन पहले, रियायतग्राही, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि की पूर्व लिखित स्वीकृति के साथ, एस्क्रो बैंक को इस धारा 4.1 में निर्धारित प्रत्येक भुगतान दायित्वों के लिए आवश्यक संभावित राशियों का विवरण प्रदान करेगा। शर्त यह है कि वर्ष के दौरान प्राप्त नई जानकारी यदि ऐसा संशोधन आवश्यक बनाती है, तो ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के पूर्व लिखित अनुमोदन से ऐसी राशियों को बाद में संशोधित किया जा सकता है।

4.2 समाप्ति पर निकासी

रियायत समझौते की समाप्ति पर, इस समझौते में किसी भी बात के होते हुए भी, एस्क्रो खाते में जमा सभी राशियों को निम्नलिखित क्रम में विनियोजित और निपटाया जाएगा:

(क) पेट्रोल बकाया और वैधानिक भुगतान, हवाई अड्डे के संबंध में रियायतग्राही द्वारा देय और भुगतान योग्य सभी कर;

(ख) बकाया मासिक रियायत शुल्क;

(ग) अन्य सभी राशियां जो रियायत समझौते की समाप्ति की तिथि पर रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को भुगतान की जानी बकाया हैं;

(घ) इस समझौते और/या प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित हर्जाने के अनुसार प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य सभी भुगतान जो रियायतग्राही द्वारा देय हैं;

(ङ) बकाया ऋण सेवा जिसमें देय ऋण का शेष शामिल है;

(च) शेष राशि, यदि कोई हो, रियायतग्राही के निर्देशों के अनुसार:

परंतु इस धारा 4.2 के उप-खंड (ग) में निर्दिष्ट संवितरण प्राधिकरण द्वारा निहित प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद ही किया जाएगा।

4.3 अपर्याप्त धन का अनुप्रयोग

एस्क्रो खाते में उपलब्ध धनराशि को धारा 4.1 और 4.2 में निर्धारित प्राथमिकता के क्रमिक क्रम में लागू किया जाएगा। यदि उपलब्ध धनराशि सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो एस्क्रो बैंक ऐसी धनराशि को समाप्त होने तक प्राथमिकता के क्रमिक क्रम में लागू करेगा।

4.4 बीमा आय का अनुप्रयोग

इस समझौते में किसी भी बात के होते हुए भी, जीवन और क्षति को छोड़कर, सभी बीमा दावों से प्राप्त राशि को एस्क्रो खाते में जमा/क्रेडिट किया जाएगा और हवाई अड्डे की किसी भी आवश्यक मरम्मत, पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना, प्रतिस्थापन या सुधार के लिए उपयोग किया जाएगा, और शेष बची राशि, यदि कोई हो, तो उसे वित्तपोषण समझौतों में इस संबंध में निहित प्रावधानों के अनुसार लागू किया जाएगा।

4.5 निलंबन के दौरान निकासी

इस समझौते में निहित किसी भी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्राधिकरण रियायत समझौते के अनुच्छेद 34 के तहत निलंबन की अवधि के दौरान रियायतग्राही के सभी या किन्हीं अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। ऐसी अवधि के दौरान प्राधिकरण द्वारा एस्क्रो बैंक को दिए गए किसी भी निर्देश का अनुपालन इस प्रकार किया जाएगा मानो ऐसे निर्देश इस समझौते के तहत रियायतग्राही द्वारा दिए गए थे, और इसके तहत प्राधिकरण की सभी कार्रवाइयों को रियायतग्राही की ओर से और उसके लिए लिया गया माना जाएगा।

5 एस्क्रो बैंक के दायित्व

5.1 निधियों का पृथक्करण

इस समझौते के तहत एस्क्रो बैंक द्वारा प्राप्त धन और अन्य संपत्ति, जब तक कि इस समझौते के अनुसार उपयोग या लागू न की जाए, एस्क्रो बैंक द्वारा उन उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट में रखी जाएगी जिनके लिए वे प्राप्त की गई थीं, और एस्क्रो बैंक की अन्य निधियों और संपत्ति से अलग रखी जाएगी।

5.2 शेष राशि की अधिसूचना

प्रत्येक भुगतान तिथि से 7 (सात) कार्य दिवस पहले (और इस उद्देश्य के लिए एस्क्रो बैंक प्रासंगिक भुगतान तिथियों के संबंध में रियायतग्राही और/या ऋणदाताओं के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए कथन/पुष्टि पर भरोसा करने का हकदार होगा), एस्क्रो बैंक ऋणदाताओं के प्रतिनिधि को ठीक पूर्ववर्ती कार्य दिवस के कारोबार की समाप्ति पर एस्क्रो खाते और उप-खातों में शेष राशि के बारे में सूचित करेगा।

5.3 संचार और नोटिस

इसके तहत अपने कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन में, एस्क्रो बैंक:

(क) अपनी ओर से दुर्भावना या घोर लापरवाही के अभाव में, तथ्य के किसी भी ऐसे मामले पर रियायतग्राही द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र पर भरोसा कर सकता है जिसके बारे में उचित रूप से यह उम्मीद की जा सकती है कि वह रियायतग्राही के ज्ञान में होगा;

(ख) अपनी ओर से दुर्भावना या घोर लापरवाही के अभाव में, किसी भी संचार या दस्तावेज़ की प्रामाणिकता पर भरोसा कर सकता है जिसे वह प्रामाणिक मानता है;

(ग) प्राप्ति के 5 (पांच) कार्य दिवसों के भीतर, एस्क्रो बैंक के रूप में अपनी क्षमता में रियायतग्राही या इसके संबंध में किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त किसी भी नोटिस या दस्तावेज़ की एक प्रति ऋणदाताओं के प्रतिनिधि को वितरित करेगा; और

(घ) प्राप्ति के 5 (पांच) कार्य दिवसों के भीतर, इसके संबंध में ऋणदाताओं के प्रतिनिधि से प्राप्त किसी भी नोटिस या दस्तावेज़ की एक प्रति रियायतग्राही को वितरित करेगा।

5.4 कोई मुआवजा देय (सेट-ऑफ) नहीं होगा।

एस्क्रो बैंक, एस्क्रो खाते में जमा राशि के संबंध में सेट-ऑफ, बैंक के पूर्वाधिकार या अन्य अधिकार या उपाय का दावा या प्रयोग न करने के लिए सहमत है। एस्क्रो बैंक द्वारा यह स्वीकार किया जाता है और सहमति व्यक्त की जाती है कि एस्क्रो खाते में एस्क्रो बैंक द्वारा रखी गई धनराशि और संपत्तियों को एस्क्रो बैंक की परिसंपत्तियों के हिस्से के रूप में नहीं माना जाएगा और ट्रस्ट संपत्ति होने के नाते, एस्क्रो बैंक के दिवालियापन या परिसमापन की स्थिति में, ऐसे दिवालियापन या परिसमापन में एस्क्रो बैंक की संपत्तियों से पूरी तरह से बाहर रखा जाएगा।

5.5 नियामक स्वीकृतियां

एस्क्रो बैंक, एस्क्रो खाते को स्थापित करने और संचालित करने के लिए आवश्यक सभी नियामक स्वीकृतियों को प्राप्त करने और उसके बाद उन्हें बनाए रखने और उनका अनुपालन करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा। एस्क्रो बैंक प्रतिनिधित्व करता है और वारंटी देता है कि वह ऐसे किसी कारण से अवगत नहीं है जिससे ऐसी नियामक स्वीकृतियां आमतौर पर एस्क्रो बैंक को न दी जाएं।

6 एस्क्रो डिफॉल्ट

6.1 एस्क्रो डिफॉल्ट

6.1.1 निम्नलिखित घटनाएं रियायतग्राही द्वारा डिफॉल्ट की एक घटना ("एस्क्रो डिफॉल्ट") का गठन करेंगी, जब तक कि ऐसी डिफॉल्ट की घटना अपरिहार्य घटना या प्राधिकरण या ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के किसी कार्य या चूक के परिणाम स्वरूप न हुई हो:

(क) रियायतग्राही इसमें दिए गए प्रावधानों के अनुसार एस्क्रो खाते में कोई भी रसीदें/प्राप्तियां जमा करने में विफल रहकर इस समझौते का उल्लंघन करता है, और 5 (पांच) कार्य दिवसों में एस्क्रो खाते में जमा करके ऐसे उल्लंघन को सुधारने में विफल रहता है;

(ख) रियायतग्राही, एस्क्रो बैंक से इस समझौते की शर्तों के उल्लंघन में रियायतग्राही के किसी भी खाते में धनराशि स्थानांतरित करवाता है और 5 (पांच) कार्य दिवसों में एस्क्रो खाते में प्रासंगिक धनराशि जमा करके ऐसे उल्लंघन को सुधारने में विफल रहता है; या

(ग) रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों का कोई अन्य उल्लंघन करता है या करवाता है और 5 (पांच) कार्य दिवसों में इसे सुधारने में विफल रहता है।

6.1.2 एस्क्रो डिफॉल्ट होने पर, इसके परिणामों से रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा।

7 एस्क्रो समझौते की समाप्ति

7.1 एस्क्रो समझौते की अवधि

7.1.1 यह समझौता तब तक पूर्ण प्रभाव में रहेगा जब तक कि वरिष्ठ ऋणदाताओं से प्राप्त ऋण, गारंटी या वित्तीय सहायता के संबंध में रियायतग्राही से कोई राशि अग्रिम दी जानी बाकी है या बकाया है, या प्राधिकरण के प्रति उसका कोई भी दायित्व डिस्चार्ज होना बाकी है, जब तक कि सभी पक्षों की सहमति से या अन्यथा इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार इसे पहले समाप्त न कर दिया जाए।

7.1.2 ऊपर धारा 7.1.1 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऊपर धारा 7.1.1 के अनुसार एस्क्रो समझौते की समाप्ति के साथ ही, रियायतग्राही निम्नलिखित संशोधनों के अधीन, उसी प्रारूप में नया एस्क्रो समझौता निष्पादित करने के लिए सहमत होता है:

(क) ऋणदाताओं के प्रतिनिधि को एस्क्रो समझौते के एक पक्ष के रूप में प्राधिकरण या उसके किसी भी नामांकित व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) प्राधिकरण या उसका कोई भी नामांकित व्यक्ति, ऊपर (क) के अनुसार एस्क्रो समझौते का एक पक्ष होने के नाते, वे सभी कार्य करेगा और करवाएगा जो ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के नाम पर निहित हैं;

(ग) वरिष्ठ ऋणदाताओं और वित्तपोषण समझौतों और अन्य संबंधित शर्तों के सभी संदर्भों को प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार संशोधित किया जाएगा;

(घ) ऐसा कोई भी एस्क्रो समझौता केवल रियायत समझौते की समाप्ति के बाद ही समाप्त किया जाएगा, और कम से कम उस अवधि के लिए वैध रहेगा जिसके लिए धारा 37.2 के अनुसार एस्क्रो खाते में कोई भी राशि रखी जानी है; और

(ङ) ऐसे अन्य परिवर्तन और संशोधन, जो प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किए जा सकते हैं।

7.1.3 ऊपर धारा 7.1.1 के अनुसार एस्क्रो समझौते की समाप्ति के अधिकतम 24 (चौबीस) घंटों के भीतर ऊपर धारा 7.1.2 के अनुसार एस्क्रो समझौते का निष्पादन न करना, रियायत समझौते के तहत रियायतग्राही का डिफॉल्ट माना जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप प्राधिकरण को रियायत समझौते को समाप्त करने के अधिकार सहित सभी सुलभ उपचार उपलब्ध होंगे।

7.2 एस्क्रो बैंक का प्रतिस्थापन

रियायतग्राही, एस्क्रो बैंक, प्राधिकरण और ऋणदाताओं के प्रतिनिधि को कम से कम 45 (पैंतालीस) दिन पूर्व नोटिस देकर, इस समझौते को समाप्त कर सकता है और एक नया एस्क्रो बैंक नियुक्त कर सकता है, शर्त यह है कि नया एस्क्रो बैंक ऋणदाताओं के प्रतिनिधि को स्वीकार्य हो और उत्तराधिकारी एस्क्रो बैंक के साथ स्थापित नए एस्क्रो खाते में जमा राशि के हस्तांतरण के लिए ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के लिए संतोषजनक व्यवस्था की गई हो।

इस समझौते की समाप्ति केवल नए एस्क्रो बैंक के साथ एस्क्रो समझौता लागू होने पर ही प्रभावी होगी।

7.3 एस्क्रो खाता बंद करना

एस्क्रो बैंक, धारा 4.2 में निर्दिष्ट भुगतानों सहित रियायत समझौते और वित्तपोषण समझौतों के तहत सभी बकाया राशियों के रियायतग्राही द्वारा भुगतान करने पर या उसके बाद रियायतग्राही और ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के अनुरोध पर, और ऐसे भुगतानों की प्राप्ति की पुष्टि होने पर, एस्क्रो खाता और उप-खाते बंद कर देगा और उसमें जमा किसी भी राशि का भुगतान रियायतग्राही को कर देगा। इसके तहत एस्क्रो खाता बंद होने पर, एस्क्रो समझौता समाप्त माना जाएगा।

8 पूरक एस्क्रो समझौता

8.1 पूरक एस्क्रो समझौता

ऋणदाताओं के प्रतिनिधि और रियायतग्राही एस्क्रो बैंक के साथ एक पूरक एस्क्रो समझौता करने के हकदार होंगे, जो अन्य बातों के साथ-साथ, धारा 4.1.1 के अनुसार उप-खातों से निकासी की प्रक्रियाओं और दस्तावेजों का विवरण प्रदान करेगा और उन मामलों के लिए जो इस समझौते के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसे वरिष्ठ ऋणदाताओं और अधीनस्थ ऋण के ऋणदाताओं के अधिकार और दायित्व, अधिशेष निधियों का निवेश, इस समझौते के उल्लंघन की स्थिति में या एस्क्रो डिफॉल्ट होने पर रियायतग्राही द्वारा निकासी पर प्रतिबंध, एस्क्रो खाते के संचालन और उससे निकासी से संबंधित प्रक्रियाएं, रिपोर्टिंग आवश्यकताएं और उससे जुड़े कोई भी मामले, शर्त यह है कि ऐसे पूरक एस्क्रो समझौते में कोई ऐसा प्रावधान नहीं होगा जो इस समझौते के साथ असंगत हो, और इस समझौते के प्रावधानों और ऐसे पूरक एस्क्रो समझौते के बीच किसी भी टकराव या असंगति की स्थिति में, इस समझौते के प्रावधान मान्य होंगे।

9 क्षतिपूर्ति

9.1 सामान्य क्षतिपूर्ति

9.1.1 रियायतग्राही, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के माध्यम से कार्य करने वाले प्राधिकरण, एस्क्रो बैंक और वरिष्ठ ऋणदाताओं को क्षतिपूर्ति देगा, उनका बचाव करेगा और उन्हें किसी भी और सभी कार्यवाहियों, कार्रवाइयों और तीसरे पक्ष के दावों से होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और व्यय से सुरक्षित रखेगा, जो रियायतग्राही द्वारा इस समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व के उल्लंघन के कारण या लागू कानूनों और लागू परमिटों का अनुपालन करने में रियायतग्राही की विफलता के कारण उत्पन्न होता है।

9.1.2 प्राधिकरण, रियायतग्राही को किसी भी और सभी कार्यवाहियों, कार्रवाइयों और तीसरे पक्ष के दावों से होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और व्यय से क्षतिपूर्ति देगा, उसका बचाव करेगा और उसे सुरक्षित रखेगा, जो प्राधिकरण द्वारा इस समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने में विफलता के कारण उत्पन्न होता है जो रियायत समझौते या इस समझौते के तहत रियायतग्राही के दायित्वों के प्रदर्शन को भौतिक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, प्राधिकरण, उसके अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों द्वारा उनके वैध कार्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों से उत्पन्न किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और व्यय को छोड़कर।

9.1.3 एस्क्रो बैंक, रियायतग्राही को किसी भी और सभी कार्यवाहियों, कार्रवाइयों और तीसरे पक्ष के दावों से होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और व्यय से क्षतिपूर्ति देगा, उसका बचाव करेगा और उसे सुरक्षित रखेगा, जो एस्क्रो बैंक द्वारा इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफलता के कारण उत्पन्न होता है जो रियायत समझौते के तहत रियायतग्राही के दायित्वों के प्रदर्शन को भौतिक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, एस्क्रो बैंक, उसके अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों द्वारा उनके वैध कार्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों से उत्पन्न किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और व्यय को छोड़कर।

9.2 नोटिस और दावों का विरोध

यदि इसके किसी भी पक्ष को किसी तीसरे पक्ष से ऐसा दावा प्राप्त होता है जिसके संबंध में वह धारा 9.1 के तहत क्षतिपूर्ति का लाभ पाने का हकदार है या जिसके संबंध में वह क्षतिपूर्ति पाने का हकदार है ("क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष"), तो वह दावा प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर इसके तहत ऐसे दावे की क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार दूसरे पक्ष ("क्षतिपूर्ति देने वाला पक्ष") को सूचित करेगा, और क्षतिपूर्ति देने वाले पक्ष के पूर्व अनुमोदन के बिना दावे का निपटारा या भुगतान नहीं करेगा, जिस अनुमोदन को अनुचित रूप से रोका या विलंबित नहीं किया जाएगा। यदि क्षतिपूर्ति देने वाला पक्ष दावे का विरोध या विवाद करना चाहता है, तो वह क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष के नाम पर कार्रवाई संचालित कर सकता है और उसका विरोध करने में शामिल सभी लागतों को वहन करेगा। क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष किसी भी दावे का विरोध करने में पूरा सहयोग और सहायता प्रदान करेगा और ऐसे सभी लेखों और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा जिनकी क्षतिपूर्ति देने वाले पक्ष को उचित रूप से आवश्यकता हो सकती है।

10 विवाद निवारण

10.1 विवाद निवारण

10.1.1 इस समझौते से या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद, मतभेद या दावा, जिसे सौहार्दपूर्वक हल नहीं किया जाता है, विवाद के प्रत्येक पक्ष के एक-एक नामांकित व्यक्ति से मिलकर बने मध्यस्थ बोर्ड को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करके अंततः तय किया जाएगा, और जहां ऐसे नामांकित व्यक्तियों की संख्या एक सम संख्या है, वहां नामांकित व्यक्ति ऐसे बोर्ड के लिए एक अन्य व्यक्ति का चयन करेंगे। ऐसी मध्यस्थता समय-समय पर यथासंशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 नियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी और नियमों के प्रावधानों के अधीन होगी।

10.1.2 मध्यस्थ एक तर्कसंगत निर्णय देगा और ऐसा निर्णय शामिल सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का स्थान राज्य की राजधानी होगा और मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी।

11. विविध प्रावधान

11.1 शासी कानून और क्षेत्राधिकार

यह समझौता भारत के कानूनों के अनुसार समझा जाएगा और उनके द्वारा शासित होगा, और इस समझौते से उत्पन्न या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी मामलों पर राज्य की अदालतों का क्षेत्राधिकार होगा।

11.2 संप्रभु उन्मुक्ति का परित्याग

प्राधिकरण असंदिग्ध और अप्रतिसंहरणीय रूप से:

(क) स्वीकार करता है कि उसके द्वारा इस समझौते का निष्पादन, वितरण और प्रदर्शन व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किए गए व्यावसायिक कार्य हैं;

(ख) सहमत होता है कि यदि इस समझौते या इसके तहत परिकल्पित किसी लेन-देन के संबंध में किसी भी क्षेत्राधिकार में उसके या उसकी संपत्ति, परिसंपत्तियों या राजस्व के खिलाफ कोई कार्यवाही लाई जाती है, तो प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से उसकी परिसंपत्तियों के संबंध में ऐसी कार्यवाही से किसी भी उन्मुक्ति (चाहे संप्रभुता के कारण हो या अन्यथा) का दावा नहीं किया जाएगा;

(ग) उन्मुक्ति के किसी भी ऐसे अधिकार का परित्याग करता है जो वर्तमान में उसके या उसकी परिसंपत्तियों, संपत्ति या राजस्व के पास है, भविष्य में प्राप्त हो सकता है या जिसे किसी भी क्षेत्राधिकार के तहत उसे हस्तांतरित किया जा सकता है; और

(घ) ऐसी किसी भी कार्यवाही में उसके खिलाफ दिए गए किसी भी निर्णय या मध्यस्थता आदेश के प्रवर्तन के संबंध में, ऐसी कार्यवाही से संबंधित किसी भी राहत या प्रक्रिया जारी करने की सहमति देता है (जिसमें उसके खिलाफ या किसी भी परिसंपत्तियों, संपत्ति या राजस्व के संबंध में दिए गए किसी भी आदेश या निर्णय का निष्पादन शामिल है, चाहे उनका उपयोग कुछ भी हो)।

11.3 समझौतों की प्राथमिकता

रियायत समझौते और इस समझौते के बीच किसी भी टकराव की स्थिति में, रियायत समझौते में निहित प्रावधान इस समझौते पर प्रभावी होंगे।

11.4 शर्तों में परिवर्तन

इस समझौते में सभी जोड़, संशोधन, बदलाव और परिवर्तन केवल तभी प्रभावी और बाध्यकारी होंगे जब वे लिखित रूप में हों और पक्षों के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित हों।

11.5 परित्याग

11.5.1 इस समझौते के तहत किसी भी प्रावधान या दायित्वों के अनुपालन और प्रदर्शन में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के डिफॉल्ट का परित्याग:

(क) इसके या इसके तहत अन्य प्रावधानों या दायित्वों के किसी भी अन्य या बाद के डिफॉल्ट के परित्याग के रूप में संचालित या समझा नहीं जाएगा;

(ख) तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि यह लिखित रूप में न हो और पक्ष के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित न किया गया हो; और

(ग) किसी भी तरह से इस समझौते की वैधता या प्रवर्तनीयता को प्रभावित नहीं करेगा।

11.5.2 किसी भी अवसर पर किसी भी पक्ष द्वारा इस समझौते की शर्तों, नियमों और प्रावधानों या इसके तहत किसी भी दायित्व के प्रदर्शन पर जोर देने में विफलता, या एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी गई समय या अन्य छूट को ऐसे उल्लंघन के परित्याग या किसी भी भिन्नता की स्वीकृति या इसके तहत किसी ऐसे अधिकार के त्याग के रूप में नहीं माना जाएगा।

11.6 कोई भी तृतीय-पक्ष लाभार्थी नहीं होगा।

यह समझौता पूरी तरह से दोनों पक्षों के लाभ के लिए है और इसके तहत किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

11.7 उत्तरजीविता

इस समझौते की समाप्ति:

(क) पक्षों को इसके तहत किसी भी ऐसे दायित्व से मुक्त नहीं करेगी जो स्पष्ट रूप से या निहितार्थ से इसकी समाप्ति के बाद भी जीवित रहते हैं; और

(ख) किसी भी प्रावधान में अन्यथा प्रदान किए गए मामलों को छोड़कर, किसी भी पक्ष की देयता को सीमित करने वाले स्पष्ट प्रावधानों के अलावा, ऐसी समाप्ति के प्रभावी होने से पहले या ऐसी समाप्ति से उत्पन्न होने वाले कृत्यों या कमियों के कारण दूसरे पक्ष को हुए नुकसान या क्षति के दायित्वों से किसी भी पक्ष को मुक्त नहीं करेगी।

इस समझौते के रद्द होने, समाप्ति या समाप्त होने के बाद भी जीवित रहने वाले सभी दायित्व केवल ऐसी समाप्ति या समाप्ति की तिथि के बाद 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए जीवित रहेंगे।

11.8 पृथक्करणीयता

यदि किसी भी कारण से इस समझौते का कोई प्रावधान अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय है या बन जाता है, तो शेष प्रावधानों की वैधता, वैधानिकता या प्रवर्तनीयता किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी, और पक्ष ऐसे अमान्य, अप्रवर्तनीय या अवैध प्रावधानों के स्थान पर एक या अधिक ऐसे प्रावधानों पर सहमत होने के उद्देश्य से सद्भाव से बातचीत करेंगे, जो व्यावहारिक रूप से उस अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय प्रावधान के निकटतम हों। ऐसे किसी भी प्रावधान पर सहमत होने में विफलता इस समझौते की धारा 10.1 या अन्यथा के तहत विवाद समाधान के अधीन नहीं होगी।

11.9 उत्तराधिकारी और समनुदेशिती

यह समझौता पक्षों और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों और स्वीकृत समनुदेशितियों पर बाध्यकारी होगा और उनके लाभ के लिए लागू होगा।

11.10 सूचनाएं

इस समझौते के तहत दी जाने वाली या की जाने वाली सभी सूचनाएं या अन्य संचार लिखित रूप में होंगे और या तो व्यक्तिगत रूप से दिए जाएंगे या कूरियर या पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाएंगे, जिसकी एक अतिरिक्त प्रति फैक्स या ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। प्रत्येक पक्ष की सेवा का पता, फैक्स नंबर और ईमेल पता इसके हस्ताक्षर पृष्ठों पर उसके नाम के तहत निर्धारित है। कोई भी सूचना उसकी वास्तविक प्राप्ति पर प्रभावी होगी, सिवाय इसके कि जब यह किसी कार्य दिवस में शाम 5.30 बजे के बाद प्राप्त होती है, या ऐसे दिन प्राप्त होती है जो कार्य दिवस नहीं है, तो सूचना को वास्तविक प्राप्ति की तारीख के बाद वाले पहले कार्य दिवस पर प्राप्त माना जाएगा। पूर्वगामी के प्रतिकूल प्रभाव के बिना, फैक्स या ईमेल द्वारा सूचना देने वाला पक्ष तुरंत उसकी एक प्रति व्यक्तिगत रूप से, कूरियर या पंजीकृत डाक द्वारा प्रत्येक पक्ष के पते पर प्रदान करेगा। यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है और स्वीकार किया जाता है कि कोई भी पक्ष सूचना देकर उस पते को बदल सकता है जिस पर उसे ऐसी सूचनाएं और संचार भेजे जाने हैं। ऐसा परिवर्तन तब प्रभावी होगा जब सभी पक्षों को इसकी सूचना मिल जाएगी।

11.11 भाषा

इस समझौते के तहत या इसके संबंध में सभी सूचनाएं, प्रमाण पत्र, पत्राचार और कार्यवाहियां अंग्रेजी में होंगी।

11.12 अधिकृत प्रतिनिधि

प्रत्येक पक्ष लिखित सूचना द्वारा अपने संबंधित अधिकृत प्रतिनिधियों को नामित करेगा जिनके माध्यम से ही सभी संचार किए जाएंगे। इसके तहत एक पक्ष को समान सूचना देकर ऐसे अधिकृत प्रतिनिधि को हटाने और/या प्रतिस्थापित करने या नई नियुक्ति करने का अधिकार होगा।

11.13 मूल दस्तावेज़

यह समझौता चार प्रतियों में निष्पादित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक को निष्पादित और वितरित किए जाने पर इस समझौते की एक मूल प्रति माना जाएगा।

इसके साक्ष्य के रूप में पक्षों ने ऊपर लिखी गई तिथि को इस समझौते को निष्पादित और वितरित किया है।

रियायतग्राही की सामान्य सील को रियायतग्राही के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक [] [] 201_ को आयोजित बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में संलग्न किया गया है:

यहाँ [], निदेशक की उपस्थिति में संलग्न किया गया है, जिन्होंने इसके प्रमाण के रूप में इस पर हस्ताक्षर किए हैं और [], कंपनी सचिव / अधिकृत अधिकारी, जिन्होंने इसके प्रमाण के रूप में प्रति-हस्ताक्षर किए हैं:

(हस्ताक्षर)

(नाम)

(पदनाम)

(पता)

(फैक्स सं.)

(ईमेल पता)

वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से और उनके लिए ऋणदाताओं के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित, सीलबंद और वितरित:

(हस्ताक्षर)

(नाम)

(पदनाम)

(पता)

(फैक्स सं.)

(ईमेल पता)

प्राधिकरण द्वारा वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से और उनके लिए हस्ताक्षरित, सीलबंद और वितरित:

(हस्ताक्षर)

(नाम)

(पदनाम)

(पता)

(फैक्स सं.)

(ईमेल पता)

एस्क्रो बैंक द्वारा वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से और उनके लिए हस्ताक्षरित, सीलबंद और वितरित:

(हस्ताक्षर)

(नाम)

(पदनाम)

(पता)

(फैक्स सं.)

(ईमेल पता)

निम्नलिखित की उपस्थिति में:

1.

2.

अनुसूची ढ
चार्टर्ड अकाउंटेंट का पैनल

(धारा 31.2.1 देखें)

1. चार्टर्ड अकाउंटेंट का पैनल

समझौते की धारा 31.2.1 के प्रावधानों के अनुसरण में, प्राधिकरण भारत में अपने पंजीकृत कार्यालय रखने वाली छह (6) चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्मों के एक पैनल ("चार्टर्ड अकाउंटेंट का पैनल") को नामांकित करेगा। ऐसा पैनल तैयार करने के मानदंड और इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इस अनुसूची ढ के अनुसार होगी।

2. सूचीबद्धता (ऐम्पैनलमेंट) के लिए आमंत्रण

2.1 प्राधिकरण चार्टर्ड अकाउंटेंट की उन सभी प्रतिष्ठित फर्मों से प्रस्ताव आमंत्रित करेगा जो निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं, अर्थात:

(क) फर्म ने कंपनी अधिनियम, 1956 या 2013 (जैसा भी मामला हो) के तहत पंजीकृत कम से कम एक सौ कंपनियों के वार्षिक खातों का वैधानिक लेखापरीक्षण किया हो, जिसमें इसका कोई भी पुनर्चना या संशोधन शामिल है, जिनमें से कम से कम दस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होने चाहिए;

(ख) फर्म के रोल पर कम से कम 5 (पांच) अभ्यास करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए, जिनमें से प्रत्येक के पास पेशे में न्यूनतम 10 (दस) वर्ष का अनुभव हो;

(ग) फर्म या उसके किसी भी भागीदार को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक या प्राधिकरण द्वारा अयोग्य या ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया हो; और

(घ) फर्म का राज्य में या किसी पड़ोसी राज्य में एक कार्यालय होना चाहिए जिसमें ऐसे राज्य में उसके पे रोल पर कम से कम 2 (दो) अभ्यास करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट हों।

2.2 पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली इच्छुक फर्मों को अपने रोल पर मौजूद सभी अभ्यास करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट के बायो-डेटा सहित अपनी क्षमता का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। विशेष रूप से, प्रत्येक फर्म को उन सभी कंपनियों के नामों से संबंधित वर्षवार जानकारी प्रदान करनी होगी जिनका वार्षिक कारोबार ₹25,00,00,000 (पच्चीस करोड़ रुपये) से अधिक है और जिनके वार्षिक खातों का लेखापरीक्षण ऐसी फर्म द्वारा पिछले 5 (पांच) लेखा वर्षों में से किसी में भी किया गया था।

3. मूल्यांकन और चयन

3.1 प्रत्येक फर्म द्वारा प्रस्तुत जानकारी की सूक्ष्म जांच और मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा और ऊपर पैराग्राफ 2.2 में निर्दिष्ट कंपनियों के प्रत्येक वार्षिक लेखा परीक्षण के लिए 1 (एक) अंक दिया जाएगा। (उदाहरण के तौर पर, जिस फर्म ने 5 (पांच) वर्षों के लिए ऐसी किसी कंपनी के वार्षिक खातों का ऑडिट किया है, उसे 5 (पांच) अंक दिए जाएंगे)।

3.2 प्राधिकरण प्रत्येक फर्म द्वारा प्राप्त अंकों के साथ सभी पात्र फर्मों की एक सूची तैयार करेगा और उच्चतम अंक प्राप्त करने वाली 6 (छह) फर्मों की पहचान की जाएगी और उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट के मसौदा पैनल में शामिल किया जाएगा।

4. रियायतग्राही के साथ परामर्श

प्राधिकरण उपरोक्त फर्मों के पैनल को जांच और टिप्पणियों (यदि कोई हो) के लिए रियायतग्राही को भेजेगा। रियायतग्राही प्राधिकरण के प्रासंगिक रिकॉर्ड की जांच करने का हकदार होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फर्मों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है या नहीं, और वह उक्त पैनल प्राप्त करने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण को अपनी टिप्पणियां (यदि कोई हों) भेजेगा।

5. चार्टर्ड अकाउंटेंट का पैनल

5.1 प्राधिकरण रियायतग्राही की टिप्पणियों (यदि कोई हो) सहित सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद, 6 (छह) फर्मों के एक पैनल को अंतिम रूप देगा और उसका गठन करेगा।

5.2 चार्टर्ड अकाउंटेंट का पैनल तैयार करने की तारीख से प्रत्येक 5 (पांच) वर्ष पूरे होने के बाद, या ऐसी पूर्व अवधि के बाद जैसा कि प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच सहमति हो, इस अनुसूची 6 के प्रावधानों के अनुसार एक नया पैनल तैयार किया जाएगा।

अनुसूची १

अपव्यय (वेस्टिंग) प्रमाणपत्र

(धारा 36.4 देखें)

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जिसका प्रतिनिधित्व इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ")प्राधिकरण (" करते हैं, [राज्य का नाम दर्ज करें [राज्य में]शहर का नाम दर्ज करें जहाँ हवाई अड्डा स्थित है [स्थित हवाई अड्डे के लिए प्राधिकरण और]रियायतग्राही का नाम") [रियायतग्राही ("के बीच निष्पादित]दिनांक दर्ज करें [के रियायत समझौते ")समझौता ("संदर्भित करता है।

प्राधिकरण इसके द्वारा इस आधार पर समझौते के अनुच्छेद 36 में निर्धारित विनिवेश आवश्यकताओं के रियायतग्राही द्वारा अनुपालन और पूर्ति को स्वीकार करता है कि इस अपव्यय प्रमाणपत्र के जारी होने पर, प्राधिकरण को अधिग्रहित माना जाएगा, और हवाई अड्डे में या उसके संबंध में रियायतग्राही के सभी अधिकार, स्वामित्व और हित प्राधिकरण में किसी भी प्रकार के अवरोधों, प्रभारों और धारणाधिकारों से मुक्त रूप से निहित माने जाएंगे।

उपरोक्त में इसके विपरीत निहित किसी भी बात के होते हुए भी, यह इस वेस्टिंग प्रमाणपत्र की एक शर्त होगी कि इसमें निहित किसी भी बात का अर्थ विनिवेश आवश्यकताओं में से किसी भी त्रुटि या कमी को सुधारने और दूर करने के रियायतग्राही के दायित्व को समाप्त करने और/या रियायतग्राही को किसी भी तरह से इससे मुक्त करने के रूप में नहीं लगाया जाएगा या समझा नहीं जाएगा।

दिनांक को हस्ताक्षरित

सहमति व्यक्त की गई, स्वीकार की गई और
हस्ताक्षरित

हस्ताक्षरित, सीलबंद और वितरित

प्राधिकरण की ओर से और उनके लिए:

रियायतग्राही की ओर से और उनके लिए:

(हस्ताक्षर(
(नाम(
(पदनाम(
(पता(

1.

(हस्ताक्षर(
(नाम(
(पदनाम(
(पता(

2.

की उपस्थिति में:

अनुसूची त
प्रतिस्थापन समझौता

(देखें धारा 38.3.1)

यह प्रतिस्थापन समझौता ")समझौता] ("] के]] वें दिन]] में निष्पादित किया गया:

निम्नलिखित के द्वारा और उनके बीच:

1. **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित एक निगमित निकाय, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली 110003, भारत में है)जिन्हें इसके बाद "प्राधिकरण "कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि यह संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे(;

और

[], कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या]] है और जिसका पंजीकृत कार्यालय]] पर स्थित है)जिन्हें इसके बाद "रियायतग्राही "कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि यह संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी, स्वीकृत समनुदेशिती और प्रतिस्थानी शामिल होंगे(;

और

[ऋणदाताओं के प्रतिनिधि का नाम और विवरण दर्ज करें], जिसका पंजीकृत कार्यालय]] पर स्थित है, जो इस समझौते से उत्पन्न या इसके संबंध में मामलों के संबंध में अपने विधिवत अधिकृत एजेंट के रूप में वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से कार्य कर रहा है)जिन्हें इसके बाद "ऋणदाताओं का प्रतिनिधि "कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि यह संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे।

जबकि:

क. प्राधिकरण ने [राज्य का नाम दर्ज करें [राज्य के]शहर का नाम दर्ज करें जहां हवाई अड्डा स्थित है [में हवाई अड्डे के लिए रियायत समझौते में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार रियायतग्राही के साथ]दिनांक दर्ज करें [को एक रियायत समझौता ")रियायत समझौता ("किया है, जिसकी एक प्रति इसके साथ संलग्न है और इसे इस समझौते का हिस्सा बनाने के लिए 'अनुबंध क' के रूप में चिह्नित किया गया है।

ख.. वरिष्ठ ऋणदाता, वित्तपोषण समझौतों में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार परियोजना को वित्तपोषित करने के लिए सहमत हुए हैं।

ग. वरिष्ठ ऋणदाताओं ने प्राधिकरण से इस समझौते और रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार, एक नामांकित कंपनी को रियायत के समनुदेशन, हस्तांतरण और प्रतिस्थापन के माध्यम से अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए इस प्रतिस्थापन समझौते में प्रवेश करने का अनुरोध किया है।

घ. इसके संचालन, प्रबंधन और विकास सहित परियोजना के कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए, प्राधिकरण इस समझौते और रियायत समझौते में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार, एक नामांकित कंपनी को रियायत हस्तांतरित और समनुदेशित करने के लिए सहमत और वचनबद्ध हुआ है।

अब, इसलिए, पूर्वगामी और इस समझौते में निर्धारित संबंधित वचनों और समझौतों के प्रतिफल के रूप में, जिसकी प्राप्ति और पर्याप्तता को एतद्वारा स्वीकार किया जाता है, और कानूनी रूप से बाध्य होने के इरादे से, पक्ष निम्नलिखित पर सहमत होते हैं:

1. परिभाषाएं और व्याख्या

1.1 परिभाषाएं

इस प्रतिस्थापन समझौते में, निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हों, क्रमशः निम्नानुसार होंगे:

"समझौता" से तात्पर्य इस प्रतिस्थापन समझौते और इसमें निहित प्रावधानों के अनुसार इसमें किए गए किसी भी संशोधन से है।

- **"रियायत समझौता"** का वही अर्थ है जो प्रस्तावना क में इसे दिया गया है।
- **"वित्तीय चूक"** से तात्पर्य वित्तपोषण समझौतों के नियमों और शर्तों के महत्वपूर्ण उल्लंघन या रियायतग्राही द्वारा न्यूनतम 3 (तीन) महीनों की अवधि के लिए ऋण सेवा में निरंतर चूक से है।
- **"क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष"** का वही अर्थ है जो इसके तहत धारा 7.2 में इसे दिया गया है।
- **"क्षतिपूर्ति देने वाला पक्ष"** का वही अर्थ है जो इसके तहत धारा 7.2 में इसे दिया गया है।
- **"ऋणदाताओं का प्रतिनिधि"** से तात्पर्य पूर्वगामी प्रस्तावना में ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के रूप में संदर्भित व्यक्ति से है।
- **"नामांकित कंपनी"** से तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों)इसके किसी भी पुनर्रचना या संशोधन सहित (के तहत निगमित एक कंपनी से है, जिसे वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से ऋणदाताओं के प्रतिनिधि द्वारा चुना जाता है, और इस समझौते में दिए गए प्रावधानों के अनुसार रियायत के समनुदेशन/हस्तांतरण के लिए प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तावित किया जाता है।
- **"वित्तीय चूक की सूचना"** का वही अर्थ है जो धारा 3.2.1 में इसे दिया गया है; और
- **"पक्ष"** से तात्पर्य सामूहिक रूप से इस समझौते के पक्षों से है और "पक्ष" शब्द का अर्थ व्यक्तिगत रूप से इस समझौते के किसी भी पक्ष से है।

1.2 व्याख्या

1.2.1 ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के संदर्भ का अर्थ, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से और उनके लिए कार्य करने वाले ऋणदाताओं के प्रतिनिधि से होगा।

1.2.2 धाराओं के संदर्भ, जब तक अन्यथा न कहा गया हो, इस समझौते की धाराओं के संदर्भ हैं।

1.2.3 बड़े अक्षरों से शुरू होने वाले शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें इस समझौते में परिभाषित किया गया है, उनका अर्थ यहाँ दिए अनुसार होगा, और जो शब्द और अभिव्यक्तियां इस समझौते में उपयोग की गई हैं और यहाँ परिभाषित नहीं हैं लेकिन रियायत समझौते में परिभाषित हैं, उनका अर्थ वही होगा जो रियायत समझौते में दिया गया है।

1.2.4 रियायत समझौते की धारा 1.2, 1.3 और 1.4 में बताए गए व्याख्या के नियम, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित, इस समझौते पर लागू होंगे।

2. समनुदेशन

2.1 समनुदेशन

रियायतग्राही इसके द्वारा इस समझौते और रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार और उनके अनुसरण में, वित्तपोषण समझौतों के तहत वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा वित्तपोषण के संबंध में सुरक्षा के रूप में, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के पक्ष में और उनके अधिकार में रियायत में अपने अधिकारों, हकों और हितों को समनुदेशित करने के लिए सहमत होता है।

3. रियायतग्राही का प्रतिस्थापन

3.1 प्रतिस्थापन का अधिकार

3.1.1 धारा 2.1 के तहत समनुदेशित अधिकारों, हकों और हित के अनुसरण में, ऋणदाताओं का प्रतिनिधि इस समझौते और रियायत समझौते के प्रावधानों के तहत और उसके अनुसार प्राधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित नामांकित कंपनी द्वारा रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने का हकदार होगा।

3.1.2 प्राधिकरण इसके द्वारा इस समझौते के अनुसार ऋणदाताओं के प्रतिनिधि द्वारा चुनी गई नामांकित कंपनी के पक्ष में रियायत समझौते पर पृष्ठांकन करके रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने पर सहमत होता है। वरिष्ठ ऋणदाता या ऋणदाताओं के प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से रियायतग्राही के रूप में हवाई अड्डे का संचालन और रखरखाव करने के हकदार नहीं होंगे।

3.1.3 इस समझौते या रियायत समझौते में कहीं भी इसके विपरीत निहित किसी भी बात के होते हुए भी, पक्ष इसके द्वारा सहमत होते हैं कि यदि वरिष्ठ ऋणदाता, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के माध्यम से कार्य करते हुए, इस समझौते की शर्तों के अनुसार किसी नामांकित कंपनी के साथ रियायतग्राही की पहचान करने या उसे प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो प्राधिकरण को रियायतग्राही को इस तरह से प्रतिस्थापित करने का अधिकार होगा कि प्राधिकरण इस समझौते के उद्देश्यों के लिए एक नामांकित कंपनी हो, और नामांकित कंपनी के किसी भी संदर्भ का अर्थ प्राधिकरण होगा और प्रतिस्थापन समझौते के अन्य सभी नियमों और शर्तों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

3.2 वित्तीय चूक होने पर प्रतिस्थापन

3.2.1 ऊपर धारा 2.1 के प्रावधानों के अधीन, वित्तीय चूक होने पर, ऋणदाताओं का प्रतिनिधि रियायतग्राही को उसके विवरण के साथ एक नोटिस ")वित्तीय चूक की सूचना ("जारी कर सकता है, और उसकी एक प्रति प्राधिकरण को उसकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए भेज सकता है। इस धारा 3.2 के तहत वित्तीय चूक की सूचना ऐसी वित्तीय चूक का निर्णायक प्रमाण होगी और यह इस समझौते के उद्देश्यों के लिए रियायतग्राही पर अंतिम और बाध्यकारी होगी।

3.2.2 इसके तहत वित्तीय चूक की सूचना जारी होने पर, ऋणदाताओं का प्रतिनिधि, इस समझौते या वित्तपोषण समझौतों के तहत अपने किसी भी अधिकार या उपचार के प्रतिकूल प्रभाव के बिना, इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार एक नामांकित कंपनी द्वारा रियायतग्राही को प्रतिस्थापित कर सकता है।

3.2.3 ऋणदाताओं के प्रतिनिधि द्वारा वित्तीय चूक की सूचना जारी करने के बाद किसी भी समय, वह नोटिस द्वारा प्राधिकरण से रियायतग्राही के सभी अधिकारों को निलंबित करने और रियायत समझौते के अनुच्छेद 34 के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे के संचालन और रखरखाव का बीड़ा उठाने की आवश्यकता कर सकता है, और ऐसा नोटिस प्राप्त होने पर, प्राधिकरण रियायत समझौते के प्रावधानों के तहत और उसके अनुसार निलंबन करेगा। किसी नामांकित कंपनी द्वारा प्रतिस्थापन किए जाने पर निलंबन रद्द कर दिया जाएगा, और यदि ऐसा प्रतिस्थापन ऐसे निलंबन की तारीख से 180 (एक सौ अस्सी (दिनों के भीतर पूरा नहीं होता है, तो प्राधिकरण रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार समाप्ति नोटिस जारी करके रियायत समझौते को तुरंत समाप्त कर सकता है, शर्त यह है कि ऋणदाताओं के प्रतिनिधि और रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर, प्राधिकरण 180 (एक सौ अस्सी (दिनों की उक्त अवधि को 90 (नब्बे (दिनों से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ा सकता है। प्राधिकरण इसके तहत निलंबन की तारीख से 270 (दो सौ सत्तर (दिनों के बाद किसी भी समय ऋणदाताओं के प्रतिनिधि से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर तुरंत रियायत समझौते को समाप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमत और वचनबद्ध है।

3.3 रियायतग्राही की चूक होने पर प्रतिस्थापन

3.3.1 ऊपर धारा 2.1 के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही की चूक होने पर, प्राधिकरण एक नोटिस द्वारा ऋणदाताओं के प्रतिनिधि को समाप्ति नोटिस जारी करने के अपने इरादे से सूचित करेगा और नामांकित कंपनी द्वारा रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने के इरादे को बताते हुए अभ्यावेदन करने के लिए ऋणदाताओं के प्रतिनिधि को 15 (पंद्रह (दिनों का समय देगा।

3.3.2 यदि ऋणदाताओं का प्रतिनिधि धारा 3.3.1 में निर्दिष्ट 15 (पंद्रह (दिनों की अवधि के भीतर प्राधिकरण को यह बताते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करता है कि उसका इरादा नामांकित कंपनी द्वारा रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने का है, तो ऋणदाताओं का प्रतिनिधि ऐसे अभ्यावेदन की तारीख से 180 (एक सौ अस्सी (दिनों की अवधि के भीतर इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार एक नामांकित कंपनी द्वारा रियायतग्राही के प्रतिस्थापन को करने और पूरा करने का हकदार होगा, और प्राधिकरण या तो समाप्ति को रोके रखेगा या 180 (एक सौ अस्सी (दिनों की उक्त अवधि के लिए निलंबन करेगा, शर्त यह है कि ऋणदाताओं के प्रतिनिधि और रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर, प्राधिकरण 180 (एक सौ अस्सी (दिनों की उक्त अवधि को 90 (नब्बे (दिनों से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ाएगा, और आगे शर्त यह है कि ऋणदाताओं का प्रतिनिधि, किसी भी समय, इसके तहत

अपना अभ्यावेदन वापस ले सकता है, और ऐसे वापस लेने पर रियायतग्राही इसके प्रावधानों के अनुसार इस समझौते को समाप्त कर सकता है।

3.4 प्रतिस्थापन की प्रक्रिया

3.4.1 प्राधिकरण और रियायतग्राही इसके द्वारा सहमत होते हैं कि वित्तीय चूक की सूचना की तारीख पर या उसके बाद या धारा 3.3.2 के तहत प्राधिकरण को अभ्यावेदन की तारीख पर, जैसा भी मामला हो, ऋणदाताओं का प्रतिनिधि, वरिष्ठ ऋणदाताओं के किसी भी अन्य अधिकारों या उपचारों के प्रतिकूल प्रभाव के बिना, रियायत समझौते के तहत प्राधिकरण के प्रति और वित्तपोषण समझौतों के तहत वरिष्ठ ऋणदाताओं के प्रति रियायतग्राही की देनदारियों और दायित्वों को नामांकित कंपनी द्वारा स्वीकार किए जाने पर, निजी वार्ताओं या सार्वजनिक नीलामी या निविदाओं द्वारा नामांकित कंपनी को रियायत सहित हवाई अड्डे के अधिग्रहण और हस्तांतरण के लिए प्रस्ताव आमंत्रित, बातचीत और प्राप्त कर सकता है।

3.4.2 रियायतग्राही के स्थान पर प्रतिस्थापन के लिए पात्र होने के लिए, नामांकित कंपनी को उन पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक होगा जो प्राधिकरण द्वारा रियायत के आवंटन के लिए बोलीदाताओं को शॉर्टलिस्ट करने के लिए निर्धारित किए गए थे, शर्त यह है कि ऋणदाताओं का प्रतिनिधि प्राधिकरण के समक्ष यह अभ्यावेदन कर सकता है कि परियोजना के हित में ऐसे सभी या किसी भी मानदंड को माफ किया जा सकता है, और यदि प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि ऐसी छूट का परियोजना पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वह ऐसे सभी या किसी भी पात्रता मानदंड को माफ कर सकता है।

3.4.3 किसी नामांकित कंपनी के चयन पर, ऋणदाताओं का प्रतिनिधि प्राधिकरण से निम्नलिखित अनुरोध करेगा:

(क) रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास के अधिकार को नामांकित कंपनी को हस्तांतरित करने के लिए सहमत होना;

(ख) शेष विकास अवधि या रियायत अवधि के लिए समान नियमों और शर्तों पर नामांकित कंपनी को प्रासंगिक रियायत को पृष्ठांकित और हस्तांतरित करना; और

(ग) ऋणदाताओं के प्रतिनिधि और नामांकित कंपनी के साथ उन्हीं शर्तों पर एक प्रतिस्थापन समझौते में प्रवेश करना जो इस समझौते में निहित हैं।

3.4.4 यदि प्राधिकरण को इस समझौते के अनुसार नामांकित कंपनी के पक्ष में रियायत के हस्तांतरण पर कोई आपत्ति है, तो वह ऋणदाताओं के प्रतिनिधि द्वारा किए गए प्रस्ताव की तारीख से 15 (पंद्रह (दिनों के भीतर ऋणदाताओं के प्रतिनिधि को सुनने के बाद एक तर्कसंगत आदेश जारी करेगा। यदि प्राधिकरण द्वारा ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती है, तो नामांकित कंपनी को स्वीकार कर लिया गया माना जाएगा। प्राधिकरण नामांकित कंपनी की अपनी स्वीकृति/मान्य स्वीकृति के 15 (पंद्रह (दिनों के भीतर रियायत को हस्तांतरित और पृष्ठांकित करेगा, शर्त यह है कि प्राधिकरण द्वारा ऐसी आपत्ति की स्थिति में, ऋणदाताओं का प्रतिनिधि दूसरी नामांकित कंपनी का प्रस्ताव रख सकता है, जिसके बाद प्रक्रिया आगे निर्धारित की जाएगी। इस क्लॉज़ में, कंसेशनेयर की जगह नॉमिनेटेड कंपनी को लाने के लिए क्लॉज़ 3.4 का पालन किया जाएगा।

- 3.4.5 इस एग्रीमेंट और कंसेशन एग्रीमेंट में किसी भी विपरीत बात के बावजूद, कंसेशन को किसी नॉमिनेटेड कंपनी को ट्रांसफर करने का काम, कंसेशनरी की इक्विटी का कम से कम 74% (चौहत्तर प्रतिशत) हिस्सा नॉमिनेटेड कंपनी को ट्रांसफर करके किया जा सकता है। ऐसे ट्रांसफर के बाद, इस एग्रीमेंट और कंसेशन एग्रीमेंट के प्रावधानों के तहत और उनके अनुसार, नॉमिनेटेड कंपनी को ही कंसेशनरी माना जाएगा।

3.5 चयन बाध्यकारी होगा

नॉमिनेटेड कंपनी को चुनने में लेंडर के प्रतिनिधि और अथॉरिटी का फैसला कंसेशनेयर के लिए फ़ाइनल और बाध्यकारी होगा। कंसेशनेयर बिना किसी शर्त के सहमत है और इस एग्रीमेंट के तहत लेंडर के प्रतिनिधि (सीनियर लेंडर्स की ओर से) या अथॉरिटी द्वारा की गई कार्रवाई—जिसमें नॉमिनेटेड कंपनी के पक्ष में कंसेशन का ट्रांसफर/असाइनमेंट शामिल है—को चुनौती देने का कोई भी अधिकार छोड़ता है। कंसेशनेयर सहमत है और पुष्टि करता है कि उसे कंसेशनेयर के शेयरों के अलावा प्रोजेक्ट की एसेट्स के पुनर्मूल्यांकन की मांग करने का कोई अधिकार नहीं होगा। पार्टियां यह स्वीकार करती हैं कि लेंडर के प्रतिनिधि के अधिकार अपरिवर्तनीय हैं और उन्हें किसी भी कोर्ट या अथॉरिटी के सामने किसी भी कार्यवाही में चुनौती नहीं दी जाएगी; और कंसेशनेयर के पास लेंडर के प्रतिनिधि के अधिकार को रोकने, बाधा डालने या प्रतिबंधित करने का कोई अधिकार या उपाय नहीं होगा, जो लेंडर के प्रतिनिधि के अनुरोध के अनुसार कंसेशन के प्रतिस्थापन और एंडोर्समेंट द्वारा ट्रांसफर को प्रभावी या कार्यान्वित करने से संबंधित हो।

4 प्रोजेक्ट एग्रीमेंट

4.1 प्रोजेक्ट समझौतों में नामित कंपनी का प्रतिस्थापन

रियायत-धारक यह पक्का करेगा और सुनिश्चित करेगा कि हर प्रोजेक्ट एग्रीमेंट में ऐसा प्रावधान हो, जिसके तहत नॉमिनेटेड कंपनी रियायत-धारक की जगह ले सके और रियायत एग्रीमेंट के तहत रियायत-धारक की देनदारियों और दायित्वों को अपने ऊपर ले सके।

5 रियायत समझौते की समाप्ति

5.1 वित्तीय चूक होने पर समाप्ति

फाइनेंशियल डिफॉल्ट का नोटिस जारी होने के बाद किसी भी समय, लेंडर का प्रतिनिधि लिखित नोटिस के ज़रिए अथॉरिटी से कंसेशन एग्रीमेंट को तुरंत खत्म करने के लिए कह सकता है। ऐसा नोटिस मिलने पर, अथॉरिटी कंसेशन एग्रीमेंट के आर्टिकल 34 के प्रावधानों के अनुसार एग्रीमेंट खत्म करने की कार्रवाई करेगी।

5.2 जब कोई नामित कंपनी नहीं चुनी जाती है, तो समाप्ति

अगर 180 दिनों (या बढ़ाई गई अवधि) के भीतर, जैसा कि क्लॉज़ 3.3.2 में बताया गया है, लेंडर के प्रतिनिधि द्वारा अथॉरिटी को स्वीकार्य किसी नॉमिनेटेड कंपनी को नहीं चुना और रिकमेंड नहीं किया जाता है, तो अथॉरिटी कंसेशन एग्रीमेंट को उसके प्रावधानों के अनुसार तुरंत खत्म कर सकती है।

5.3 धन की वसूली

अथॉरिटी और कंसेशनरी इस बात को मानते हैं और सहमत हैं कि, अपने किसी भी अन्य अधिकार या उपाय पर असर डाले बिना, लेंडर का प्रतिनिधि कंसेशन एग्रीमेंट खत्म होने पर सीनियर लेंडर्स का बकाया

पैसा कंसेशनरी से सीधे प्राप्त करने का हकदार है; इसके लिए कंसेशनरी से किसी और संदर्भ या सहमति की ज़रूरत नहीं होगी।

6 समझौते की अवधि

6.1 समझौते की अवधि

यह समझौता इस तारीख से लागू होगा और नीचे दी गई घटनाओं में से जो भी घटना सबसे पहले होगी, उस पर समाप्त हो जाएगा:

(a) समझौते को खत्म करना; या

(ख) फाइनेंसिंग समझौतों के तहत, सीनियर लेंडर्स को कोई रकम एडवांस में नहीं दी जानी है और कोई रकम बकाया नहीं है।

7 हानि से सुरक्षा

7.1 सामान्य क्षतिपूर्ति

7.1.1 अगर कंसेशनरियर एग्रीमेंट के तहत अपनी किसी भी ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं करता है, या लागू कानूनों और परमिटों का पालन करने में नाकाम रहता है, और इसके कारण किसी भी तरह का नुकसान, क्षति, लागत या खर्च होता है, तो कंसेशनरियर अथॉरिटी और लेंडर के प्रतिनिधि को किसी भी कार्यवाही, कार्रवाई और तीसरे पक्ष के दावे से होने वाले नुकसान से बचाएगा, उनका बचाव करेगा और उन्हें नुकसान-मुक्त रखेगा।

7.1.2 अगर अथॉरिटी इस एग्रीमेंट के तहत अपनी किसी भी ज़िम्मेदारी को पूरा करने में नाकाम रहती है और इससे कंसेशन एग्रीमेंट या इस एग्रीमेंट के तहत कंसेशनर की ज़िम्मेदारियों को निभाने पर बुरा असर पड़ता है, तो अथॉरिटी कंसेशनर को किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और खर्च के लिए होने वाली सभी कार्यवाही, कार्रवाई और तीसरे पक्ष के दावों से बचाएगी और हर्जाना देगी। हालाँकि, इसमें वे नुकसान, क्षति, लागत और खर्च शामिल नहीं होंगे जो अथॉरिटी, उसके अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों द्वारा अपने कानूनी कामों को करते समय हुए हों।

7.1.3 अगर लेंडर के प्रतिनिधि इस एग्रीमेंट के तहत अपनी किसी भी ज़िम्मेदारी को पूरा करने में नाकाम रहते हैं, और इससे कंसेशन एग्रीमेंट के तहत कंसेशनरियर की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने पर बुरा असर पड़ता है, तो लेंडर का प्रतिनिधि कंसेशनरियर को किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और खर्च के लिए होने वाली सभी कानूनी कार्यवाही, एक्शन और तीसरे पक्ष के दावों से सुरक्षित रखेगा और उनका बचाव करेगा। हालाँकि, इसमें वे नुकसान, क्षति, लागत और खर्च शामिल नहीं होंगे जो लेंडर के प्रतिनिधि, उसके अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों द्वारा अपने कानूनी कामों को करते समय हुए हों।

7.2 दावों की सूचना और उन पर आपत्ति

अगर इस समझौते में शामिल किसी पार्टी को किसी तीसरे पक्ष से ऐसा कोई दावा मिलता है जिसके लिए वह क्लॉज़ 7.1 के तहत हर्जाने या खर्च की भरपाई पाने की हकदार है ("हर्जाना पाने वाली पार्टी"), तो उसे दावा मिलने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर उस दूसरी पार्टी को सूचित करना होगा जो ऐसे दावों के लिए हर्जाना देने के लिए ज़िम्मेदार है ("हर्जाना देने वाली पार्टी")। हर्जाना पाने वाली पार्टी, हर्जाना देने वाली पार्टी की पूर्व मंजूरी के बिना दावे का निपटारा या भुगतान नहीं करेगी; ऐसी मंजूरी को बिना उचित कारण के रोका या उसमें देरी नहीं की जाएगी। हर्जाना देने वाली पार्टी ही ऐसे दावे का मुकाबला

करने में होने वाले सभी खर्च उठाएगी। हर्जाना पाने वाली पार्टी किसी भी दावे का मुकाबला करने में पूरा सहयोग और सहायता देगी और ऐसे सभी कागजात और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगी जिनकी हर्जाना देने वाली पार्टी उचित रूप से मांग कर सकती है।

8 विवाद समाधान

8.1 विवाद समाधान

- 8.1.1** इस समझौते से या इसके संबंध में पैदा होने वाला कोई भी विवाद, मतभेद या दावा, जिसे आपसी सहमति से हल नहीं किया जा सका हो, उसे मध्यस्थों के एक बोर्ड के ज़रिए सुलझाया जाएगा। इस बोर्ड में अर्थारिटी, कंसेशनेयर और लेंडर, तीनों का एक-एक प्रतिनिधि शामिल होगा।

प्रतिनिधि। ऐसा आर्बिट्रेशन नियमों के अनुसार होगा, और आर्बिट्रेशन और सुलह एक्ट, 1996 के नियमों के अधीन होगा और समय-समय पर बदला जाएगा।

- 8.1.2** मध्यस्थ कारण बताते हुए अपना निर्णय (अवार्ड) देंगे और यह निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का स्थान राज्य की राजधानी होगी और मध्यस्थता की भाषा अंग्रेज़ी होगी।

9 विविध प्रावधान

9.1 शासी कानून और अधिकार क्षेत्र

इस समझौते का अर्थ और व्याख्या भारत के कानूनों के अनुसार की जाएगी और यह उन्हीं कानूनों के तहत संचालित होगा; साथ ही, इस समझौते से जुड़े या इससे उत्पन्न होने वाले सभी मामलों पर राज्य की अदालतों का अधिकार क्षेत्र होगा।

9.2 संप्रभु उन्मुक्ति का त्याग

प्राधिकरण, बिना किसी शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से:

- a) इस बात से सहमत है कि इस समझौते का निष्पादन, सुपुर्दगी और पालन व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किए गए व्यावसायिक कार्य हैं।
- b) यह सहमति है कि यदि इस समझौते या इसमें परिकल्पित किसी भी लेनदेन के संबंध में किसी - भी क्षेत्राधिकार में प्राधिकरण या उसकी परिसंपत्तियों, संपत्ति या राजस्व के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है, तो प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से अपनी परिसंपत्तियों के संबंध में ऐसी कार्यवाही से किसी भी प्रकार की छूट का दावा नहीं किया जाएगा। (चाहे संप्रभुता के कारण हो या अन्यथा)
- c) प्रतिरक्षा के किसी भी अधिकार को छोड़ देता है जो उसे या उसकी परिसंपत्तियों, संपदा या राजस्व को वर्तमान में प्राप्त है या भविष्य में प्राप्त हो सकता है या जो किसी भी क्षेत्राधिकार में उसे दिया जा सकता है और
- d) आम तौर पर, ऐसी किसी भी कार्यवाही में अपने खिलाफ किसी फैसले या अवार्ड को लागू करने के संबंध में, वह किसी भी अधिकार क्षेत्र में राहत देने या कोई प्रक्रिया शुरू करने के लिए सहमति देता है जिसमें उससे संबंधित या उसकी किसी भी संपत्ति), जायदाद या राजस्व के संबंध में चाहे उनका - किसी भी आदेश या फैसले को बनाना-इस्तेमाल कुछ भी हो या इस्तेमाल का इरादा कुछ भी हो, लागू करना या उस पर अमल करना शामिल है।

9.3 समझौतों की प्राथमिकता

अगर कंसेशन एग्रीमेंट और इस एग्रीमेंट के बीच कोई टकराव होता है, तो कंसेशन एग्रीमेंट में दी गई शर्तें ही इस एग्रीमेंट पर लागू होंगी।

9.4 शर्तों में बदलाव

इस समझौते में किए गए सभी तरह के बदलाव, संशोधन और फेरबदल तभी प्रभावी और बाध्यकारी होंगे, जब वे लिखित रूप में हों और पार्टियों के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित हों।

9.5 छूट

9.5.1 इस समझौते के किसी प्रावधान या दायित्वों के पालन और निष्पादन में किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की चूक को माफ करना।

- a) इसे इस समझौते के तहत किसी अन्य या बाद की चूक, या अन्य प्रावधानों या दायित्वों के मामले में अधिकार छोड़ने के तौर पर नहीं माना जाएगा और न ही इसका ऐसा अर्थ निकाला (वेवर) जाएगा।
- b) यह तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि यह लिखित रूप में न हो और पार्टी के विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा निष्पादित न किया गया हो; और
- c) इससे इस समझौते की वैधता या इसे लागू करने की क्षमता पर किसी भी तरह से कोई असर नहीं पड़ेगा।

9.5.2 अगर कोई पार्टी किसी भी मौके पर इस एग्रीमेंट की शर्तों, नियमों और प्रावधानों या इसके तहत किसी भी ज़िम्मेदारी को पूरा करने पर ज़ोर नहीं देती है, या अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को समय या कोई और रियायत देती है, तो इसे उस उल्लंघन को माफ़ करना, किसी बदलाव को स्वीकार करना या इसके तहत किसी अधिकार को छोड़ना नहीं माना जाएगा।

9.6 कोई तीसरा पक्ष लाभार्थी नहीं

यह समझौता केवल इसमें शामिल पक्षों के फ़ायदे के लिए है और इसके तहत किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को कोई अधिकार नहीं होगा।

9.7 उत्तरजीविता

9.7.1 इस समझौते की समाप्ति:

- (a) पार्टियों को इसके तहत किसी भी ज़िम्मेदारी से राहत नहीं देगा जो साफ़ तौर पर या मतलब से इसके खत्म होने के बाद भी बनी रहे; और

(ख) इस समझौते के किसी भी प्रावधान में स्पष्ट रूप से किसी भी पक्ष की ज़िम्मेदारी को सीमित करने के अलावा, कोई भी बात किसी भी पक्ष को उन दायित्वों या ज़िम्मेदारियों से मुक्त नहीं करेगी जो दूसरे पक्ष को हुए नुकसान या क्षति के लिए हों और जो उस पक्ष के कार्यों या चूक (काम न करने) के कारण हुए हों—चाहे वे उस समाप्ति के प्रभावी होने से पहले हुए हों या उस समाप्ति के कारण हुए हों।

9.7.2 इस एग्रीमेंट के रद्द होने, खत्म होने या समाप्त होने के बाद भी लागू रहने वाली सभी ज़िम्मेदारियाँ, ऐसे समापन या समाप्ति की तारीख के बाद केवल 3 (तीन) साल की अवधि तक ही लागू रहेंगी।

9.8 गंभीरता

अगर किसी भी वजह से इस एग्रीमेंट का कोई प्रावधान अमान्य, गैर-कानूनी या लागू न करने योग्य हो जाता है, या किसी सक्षम अधिकार क्षेत्र वाली अदालत या किसी अन्य संस्था द्वारा उसे अमान्य, गैर-कानूनी या लागू न करने योग्य घोषित कर दिया जाता है, तो बाकी प्रावधानों की वैधता, कानूनी मान्यता या लागू करने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पार्टियां ईमानदारी से बातचीत करेंगी ताकि ऐसे अमान्य या लागू न करने योग्य प्रावधान की जगह एक या ज्यादा प्रावधानों पर सहमति बन सके। अगर ऐसे किसी प्रावधान पर सहमति नहीं बन पाती है, तो यह मामला इस एग्रीमेंट के क्लॉज़ 8 के तहत या किसी अन्य तरीके से विवाद समाधान (dispute resolution) का विषय नहीं होगा।

9.9 उत्तराधिकारी और समनुदेशिता

यह समझौता दोनों पक्षों और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों तथा अधिकृत असाइनी (अधिकार प्राप्त करने वालों) पर बाध्यकारी होगा और उन्हें इसका लाभ मिलेगा।

9.10 नोटिस

इस एग्रीमेंट के तहत दिए जाने वाले सभी नोटिस या अन्य कम्युनिकेशन लिखित रूप में होने चाहिए। इन्हें या तो व्यक्तिगत रूप से पहुंचाया जाना चाहिए या कूरियर या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाना चाहिए, साथ ही इनकी एक अतिरिक्त कॉपी फैक्स या ई-मेल से भी भेजी जानी चाहिए। हर पार्टी का पता, उसका फैक्स नंबर और ई-मेल पता इस एग्रीमेंट के साइनिंग पेज पर उसके नाम के नीचे दिया गया है। कोई नोटिस असल में मिलने पर ही प्रभावी माना जाएगा, सिवाय उस स्थिति के जब वह किसी दिन शाम 5.30 बजे के बाद या सार्वजनिक अवकाश वाले दिन मिलता है; ऐसी स्थिति में, नोटिस को असल में मिलने की तारीख के बाद आने वाले पहले कामकाजी दिन पर मिला हुआ माना जाएगा। ऊपर बताई गई बातों पर असर डाले बिना, जो पार्टी फैक्स या ई-मेल से नोटिस या कम्युनिकेशन भेज रही है, उसे तुरंत उसकी एक कॉपी व्यक्तिगत रूप से पहुंचानी होगी या कूरियर या रजिस्टर्ड पोस्ट से उस पते पर भेजनी होगी जहां नोटिस या कम्युनिकेशन भेजा गया है। यह सहमति और स्वीकार्यता है कि कोई भी पार्टी नोटिस के ज़रिए अपना वह पता बदल सकती है जिस पर उसे नोटिस और कम्युनिकेशन भेजे जाने हैं। ऐसा बदलाव तब प्रभावी होगा जब सभी पार्टियों को इसकी सूचना मिल जाएगी।

9.11 भाषा

इस समझौते के तहत या इससे संबंधित सभी नोटिस, प्रमाण-पत्र, पत्र-व्यवहार और कार्यवाही अंग्रेज़ी में होंगे।

9.12 अधिकृत प्रतिनिधि

हर पक्ष लिखित सूचना के ज़रिए अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करेगा, जिनके माध्यम से ही सारी बातचीत की जाएगी। कोई भी पक्ष ऐसी ही सूचना देकर अपने अधिकृत प्रतिनिधि को हटा सकता है, बदल सकता है या नया प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है।

9.13 मूल दस्तावेज़

यह समझौता तीन प्रतियों में निष्पादित किया जा सकता है, और निष्पादित तथा वितरित होने पर इनमें से प्रत्येक प्रति इस समझौते की मूल प्रति मानी जाएगी।

इसके प्रमाणस्वरूप, पक्षों ने इस समझौते को सबसे ऊपर लिखी तारीख से निष्पादित और वितरित किया है।

रियायत पाने वाली कंपनी (concessionaire) के डायरेक्टर्स की _____ (तारीख/महीना/साल) को हुई मीटिंग में पास हुए प्रस्ताव के अनुसार, कंपनी की कॉमन सील (common seal) यहाँ लगाई गई है। यह सील _____ डायरेक्टर की मौजूदगी में लगाई गई है, जिन्होंने इसकी पुष्टि के लिए हस्ताक्षर किए हैं, और साथ ही _____ (कंपनी सेक्रेटरी/अधिकृत अधिकारी) ने भी इसकी पुष्टि के लिए इस पर प्रति-हस्ताक्षर (countersignature) किए हैं:

(हस्ताक्षर)

(नाम)

(पद)

(पता)

(फ़ैक्स नंबर)

(ईमेल पता)

हस्ताक्षर, सील और सुपुर्दगी

अथॉरिटी के बोर्ड की ओर से और उनके लिए हस्ताक्षर, मुहर और सुपुर्दगी इनके द्वारा की गई:

(हस्ताक्षर)

(नाम)

(पद)

(पता)

(फ़ैक्स नंबर)

(ईमेल पता)

के लिए और की ओर से

ऋणदाता के प्रतिनिधि द्वारा वरिष्ठ ऋणदाता

(हस्ताक्षर)

(नाम)

(पद)

(पता)

(फ़ैक्स नंबर)

(ईमेल पता)

की उपस्थिति में:

1.

2.

अनुसूची क्यू
सीएनएस / एटीएम समझौता
(क्लॉज़ 20.2.1 देखें)

विषयसूची

अनुच्छेद 1.	परिभाषाएँ और व्याख्या	2
अनुच्छेद 2.	वैधता और अवधि	4
अनुच्छेद 3.	प्रतिनिधित्व और वारंटी	5
अनुच्छेद 4.	प्राधिकरण की जिम्मेदारियां	5
अनुच्छेद 5.	रियायतप्राप्तकर्ता की जिम्मेदारियां-	7
अनुच्छेद 6.	सुविधाओं और उपकरणों का विकास और विस्तार	8
अनुच्छेद 7.	संयुक्त समन्वय समिति	11
अनुच्छेद 8.	राजस्व और शुल्क	11
अनुच्छेद 9.	हानि से सुरक्षा	12
अनुच्छेद 10.	देयता	12
अनुच्छेद 11.	अप्रत्याशित घटना	12
अनुच्छेद 12.	समापन	14
अनुच्छेद 13.	कार्यभार	15
अनुच्छेद 14.	विवाद समाधान	16
अनुच्छेद 15.	बीमा	17
अनुच्छेद 16.	नोटिस	17
अनुच्छेद 17.	माना गया वितरण	18
अनुच्छेद 18.	मिश्रित	18
अनुच्छेद 19.	शासी कानून	20
अनुच्छेद 20.	एएआई द्वारा किए गए करार	20
अनुसूची 1.	एएआई के उपकरण और कंसेशनियर के उपकरण	22
अनुसूची 2.	सीएनएस एटीएम / सेवाएं	23
अनुसूची 3.	कार्यालय और सुविधाएँ	24
अनुसूची 4.	अलग किए गए इलाके	25
अनुसूची 5.	मौजूदा उपकरणों की सूची	26
अनुसूची 6.	एयरपोर्ट पर सीएनएस-एटीएम उपकरणों का भविष्य का रोडमैप	27

मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीएनएस/एटीएम सेवाएँ देने के लिए यह समझौता (यह समझौता) _____ में _____, 2019 के _____ दिन किया गया है।

द्वारा और के बीच:

1. एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (जिसे आगे 'अथॉरिटी' या 'एएआई' कहा जाएगा, और इस शब्द में संदर्भ या अर्थ के विपरीत न होने पर इसके एडमिनिस्ट्रेटर, उत्तराधिकारी और असाइनी भी शामिल होंगे), जिसकी स्थापना एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, 1994 ('एक्ट') के तहत हुई है, जिसका प्रतिनिधित्व इसके चेयरमैन करते हैं और जिसका मुख्य कार्यालय राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003, भारत में है - एक पक्ष के रूप में; और
2. _____, जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत बनी एक कंपनी है और जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस _____ पर है (जिसे आगे "रियायत-प्राप्तकर्ता" या "concessionaire" कहा जाएगा; इस शब्द में, जब तक संदर्भ या अर्थ के विपरीत न हो, इसके उत्तराधिकारी, अधिकृत असाइनी और प्रतिस्थापी भी शामिल होंगे), दूसरी पार्टी के तौर पर।

"एएआई" और "रियायत-प्राप्तकर्ता" (concessionaire) शब्दों का अर्थ और उनमें शामिल होंगे—जहाँ भी संदर्भ के अनुसार ज़रूरी हो—उनके संबंधित उत्तराधिकारी और अधिकृत असाइनी (जिन्हें अधिकार सौंपे गए हों); और उन्हें सामूहिक रूप से "पक्ष" (parties) और अलग-अलग "पक्ष" (party) कहा जाएगा।

जबकि:

- A. रियायत पाने वाली कंपनी ने कर्नाटक राज्य में मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए अथॉरिटी के साथ एक रियायत समझौता किया है। (जैसा कि नीचे बताया गया है)
- B. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, 1994 के तहत, एएआई भारतीय एयरस्पेस और भारत के सभी सिविल एयरपोर्ट्स पर एयर ट्रांजिट सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए ज़िम्मेदार है।
- C. ऊपर बताए गए एक्ट के अनुसार, एएआई इस एग्रीमेंट में दी गई शर्तों और नियमों के आधार पर एयरपोर्ट पर सर्विस देगा। (जैसा कि नीचे बताया गया है)

अब, इसलिए, ऊपर बताई गई बातों और इस समझौते में दिए गए संबंधित वादों और समझौतों को ध्यान में रखते हुए (जिनकी प्राप्ति और पर्याप्तता को इसके द्वारा स्वीकार किया जाता है) और कानूनी रूप से बाध्य होने के इरादे से, पक्ष निम्नलिखित बातों पर सहमत हैं:

1. परिभाषाएँ और व्याख्या

1.1 परिभाषाएं

इस समझौते में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

"एएआई डेवलपमेंट इक्विपमेंट" का मतलब वही है जो क्लॉज़ 6.4 में बताया गया है:

"एएआई इक्विपमेंट" का मतलब है वे सभी उपकरण और सुविधाएँ (कन्सेशनियर के उपकरणों को छोड़कर), जिनकी ज़रूरत एएआई को इस समझौते और संबंधित इकाओं दस्तावेज़ों व एनेक्स के अनुसार एएआई सेवाएँ देने के लिए होती है; और संदर्भ के अनुसार, इसमें एएआई डेवलपमेंट इक्विपमेंट भी शामिल हो सकता है।

"एएआई सेवाएं" का मतलब है इस समझौते के तहत अथॉरिटी द्वारा दी जाने वाली सेवाएं, जिनका विवरण क्लॉज़ 5.1 में दिया गया है:

"AERA" का मतलब है 'एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया', जिसे AERA एक्ट के तहत बनाया गया है, और इसमें लागू कानूनों के अनुसार कोई भी उत्तराधिकारी संस्था भी शामिल होगी:

"प्रभावित पक्ष" का वही मतलब होगा जो क्लॉज़ 11.3 में बताया गया है:

"एफिलिएट" (affiliate) का वही मतलब होगा जो कंसेशन एग्रीमेंट में बताया गया है।

"एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम" का मतलब है एयरपोर्ट पर लाइटिंग सिस्टम, जिसमें रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और अप्रोच के लिए ज़रूरी लाइटिंग शामिल है, जो संबंधित इकाओं डॉक्यूमेंट्स और एनेक्स के अनुसार प्रस्तावित एयरक्राफ्ट ऑपरेशन्स के लिए ज़रूरी है:

"एयरपोर्ट" का वही मतलब होगा जो कंसेशन एग्रीमेंट में बताया गया है।

"सीओडी " का वही मतलब होगा जो कंसेशन एग्रीमेंट में बताया गया है।

"शिकागो कन्वेंशन" का वही मतलब होगा जो कंसेशन एग्रीमेंट में बताया गया है।

"सीएनएस/एटीएम चार्ज" का वही मतलब होगा जो क्लॉज़ 8.1 में बताया गया है:

"सीएनएस/एटीएम उपकरण" का मतलब है सीएनएस/एटीएम सेवाएं देने के लिए एएआई को ज़रूरी सभी उपकरण और सुविधाएं; इसमें कंसेशनरी (रियायत पाने वाले) के उपकरण और एएआई के उपकरण शामिल हैं:

"सीएनएस/एटीएम सेवाएं" का मतलब है एयरपोर्ट पर एएआई द्वारा दी जाने वाली कम्युनिकेशन, नेविगेशन और सर्विलांस, और एयर ट्राफिक मैनेजमेंट सेवाएं, जैसा कि इस एग्रीमेंट और शेड्यूल 2 में विस्तार से बताया गया है:

"कंसेशन एग्रीमेंट" का मतलब है अथॉरिटी और कंसेशनरी के बीच _____ तारीख को हुआ कंसेशन एग्रीमेंट:

"कंसेशनरी उपकरण" का मतलब है शेड्यूल 1 के भाग 1 में बताए गए कंसेशनरी के उपकरण और सुविधाएं; और संदर्भ के अनुसार, इसमें कंसेशनरी डेवलपमेंट उपकरण भी शामिल होंगे:

"कंसेशनरी डेवलपमेंट उपकरण" का मतलब वही है जो क्लॉज़ 6.3.1 में बताया गया है:

"डीजीसीए " का मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन या उसकी जगह लेने वाली कोई संस्था होगा:

"विवाद" (dispute) का वही मतलब होगा जो क्लॉज़ 14.1 में बताया गया है:

"विस्तार" (expansion) का मतलब कंसेशन एग्रीमेंट के तहत समय-समय पर कंसेशनरी द्वारा एयरपोर्ट की क्षमता को बढ़ाना है:

"फ़ाइनल सीएनएस/एटीएम डेवलपमेंट प्लान" का वही मतलब होगा जो क्लॉज़ 6.2.1 में बताया गया है:

"फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन रीजन" का मतलब एक तय आकार वाला एयरस्पेस है जिसके अंदर फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन सर्विस और अलर्टिंग सर्विस दी जाती हैं:

"फोर्स मेज्योर" (force majeure) का वही मतलब होगा जो क्लॉज़ 11.2 में बताया गया है:

"GOI" का मतलब है भारत सरकार और उसकी कोई भी अधिकृत एजेंसी, अथॉरिटी (किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी सहित), डेवलपमेंट बॉडी, इंस्पेक्टर, मंत्रालय या वैधानिक संस्था (चाहे वह स्वायत्त हो या नहीं), जो नागर विमानन मंत्रालय के सीधे नियंत्रण और निर्देशन में हो:

"घटना की रिपोर्टिंग की प्रक्रिया" का मतलब है एएआई और कंसेशनियर के बीच समय-समय पर तय की जाने वाली प्रक्रिया, जिसके तहत घटनाओं और आपातकालीन स्थितियों की रिपोर्ट की जाएगी; यह प्रक्रिया संबंधित इकाओं दस्तावेजों और एनेक्स (annexes) के अनुसार होगी और उस संबंधित फ्लाइट इन्फॉर्मेशन रीजन (FIR) में समग्र एयरस्पेस मैनेजमेंट और रक्षा संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप होगी, जहाँ हवाई अड्डा स्थित है:

"इंडमनिफाइड पार्टी" (indemnified party) का वही अर्थ होगा जो क्लॉज़ 9.2 में बताया गया है:

"indemnifying party" (हर्जाना भरने वाली पार्टी) का वही मतलब होगा जो क्लॉज़ 9.2 में बताया गया है:

"जेसीसी " का वही मतलब होगा जो क्लॉज़ 7.1 में बताया गया है:

"operating reporting procedure" (ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रक्रिया) का मतलब है वह प्रक्रिया जिस पर एएआई और कंसेशनरी (रियायत पाने वाले) के बीच समय-समय पर सहमति बनेगी। यह प्रक्रिया एएआई की सेवाओं और कंसेशनरी की ज़िम्मेदारियों के रोजमर्रा के कामकाज से जुड़ी जानकारी के आदान-प्रदान के लिए होगी। यह प्रक्रिया संबंधित इकाओं दस्तावेजों और एनेक्स (अनुबंधों) के अनुसार होगी और उस संबंधित फ्लाइट इन्फॉर्मेशन रीजन (उड़ान सूचना क्षेत्र) में समग्र एयरस्पेस मैनेजमेंट और रक्षा संबंधी ज़रूरतों के अनुरूप होगी, जहाँ हवाई अड्डा स्थित है:

"preliminary सीएनएस/एटीएम development plan" (शुरुआती सीएनएस/एटीएम विकास योजना) का वही मतलब होगा जो क्लॉज़ 6.1.2 में बताया गया है:

"project" (प्रोजेक्ट) का वही मतलब होगा जो कंसेशन एग्रीमेंट (रियायत समझौते) में बताया गया है:

"route navigation facilities charges" (रूट नेविगेशन सुविधा शुल्क) का मतलब है लागू कानूनों के अनुसार रूट नेविगेशन सुविधाएँ देने के लिए एएआई द्वारा एयरलाइंस और/या एयरक्राफ्ट ऑपरेटरों से लिया जाने वाला शुल्क; और

"terminal navigational landing charges" (टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग शुल्क) का मतलब है लागू कानूनों के अनुसार हवाई अड्डे पर टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग सेवाएँ देने के लिए एएआई द्वारा एयरलाइंस या एयरक्राफ्ट ऑपरेटरों से लिया जाने वाला या लिया जाने वाला शुल्क।

1.2 व्याख्या

- 1.2.1 इस एग्रीमेंट में कैपिटल लेटर से शुरू होने वाले और परिभाषित शब्दों और वाक्यांशों का वही मतलब होगा जो यहाँ बताया गया है; और इस एग्रीमेंट में इस्तेमाल किए गए शब्द और वाक्यांश जो यहाँ परिभाषित नहीं हैं लेकिन कंसेशन एग्रीमेंट में परिभाषित हैं, उनका मतलब कंसेशन एग्रीमेंट में बताए गए मतलब के अनुसार ही होगा, जब तक कि संदर्भ से कोई विरोधाभास न हो।

- 1.2.2 इस समझौते की व्याख्या अंग्रेज़ी भाषा के आधार पर की जाएगी। दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष को जो भी सूचनाएँ देनी हों, और इस समझौते से जुड़ी या इसके निष्पादन, कार्यान्वयन और समाप्ति (जिसमें विवाद समाधान की प्रक्रियाएँ भी शामिल हैं, पर ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) से संबंधित अन्य सभी बातचीत और दस्तावेज़ अंग्रेज़ी भाषा में ही होने चाहिए।
- 1.2.3 जब तक अन्यथा न कहा गया हो, अनुच्छेद, क्लॉज़ और अनुसूची के संदर्भ इस समझौते के अनुच्छेद, क्लॉज़ और अनुसूची के संदर्भ हैं।
- 1.2.4 रियायती समझौते (concession agreement) की धाराओं 1.2, 1.3 और 1.4 में बताए गए व्याख्या के नियम, ज़रूरी बदलावों के साथ, इस समझौते पर भी लागू होंगे।

2. वैधता और अवधि

- 2.1 इस समझौते की शर्तें (आर्टिकल 1, 2, 12 से 14 और 16 से 20 में दी गई शर्तों को छोड़कर, जो समझौते की तारीख से ही दोनों पक्षों पर लागू होंगी) और इस समझौते के तहत दोनों पक्षों के अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ सीओडी (कमर्शियल ऑपरेशन डेट) से पूरी तरह लागू हो जाएँगी।
- 2.2 अगर कंसेशन एग्रीमेंट (रियायत समझौता) उससे जुड़ी पूर्व-शर्तों को पूरा न करने के कारण खत्म कर दिया जाता है, तो यह एग्रीमेंट भी तुरंत खत्म हो जाएगा और किसी भी पक्ष पर कोई देनदारी नहीं होगी।
- 2.3 इस आर्टिकल 2 की शर्तों के अधीन, यह एग्रीमेंट—जब तक कि आर्टिकल 12 के अनुसार इसे खत्म न किया जाए—कंसेशन एग्रीमेंट की समाप्ति या उससे पहले खत्म होने तक पूरी तरह लागू और प्रभावी रहेगा।

3 प्रतिनिधित्व और वारंटी

रियायती समझौते (concession agreement) के अनुच्छेद 7 में बताए गए बयान और वारंटी, ज़रूरी बदलावों के साथ, इस समझौते पर भी लागू होंगे।

4 प्राधिकरण की ज़िम्मेदारियाँ

4.1 एएआई सेवाएं

- 4.1.1 इस समझौते की अवधि के दौरान, एएआई हर समय (जिसमें ज़रूरत पड़ने पर हर दिन 24 घंटे मल्टी-शिफ्ट ऑपरेशन चलाना भी शामिल है), संबंधित इकाओं दस्तावेज़ों और एनेक्स (annexes) तथा डीजीसीए की नागर विमानन आवश्यकताओं के अनुसार, अपने ही खर्च पर निम्नलिखित कार्य करेगा:
 - a) अनुसूची 2 में विशेष रूप से बताई गई सीएनएस/एटीएम सेवाएँ प्रदान करें;
 - b) एएआई के उपकरणों का रखरखाव करें, जिसमें समयसमय पर उनकी फ़्लाइट कैलिब्रेशन और अन्य टेस्ट करना शामिल है;
 - c) समय समय पर ज़रूरत के अनुसार-एएआई के इक्विपमेंट को अपग्रेड और) :या बढ़ाना/a) ताकि एएआई एयरपोर्ट पर संबंधित एएआई सेवाएँ दे सके : (ख) संबंधित इकाओं डॉक्यूमेंट्स और एनेक्सेस तथा डीजीसीए की सिविल एविएशन ज़रूरतों का पालन करने के लिएऔ :र (ख) विस्तार के परिणामस्वरूप; और

d) एएआई की सेवाएँ देने के लिए ज़रूरी मैनपावर तैनात करें।

4.1.2 विस्तार के कारण कंसेशनेयर के अनुरोध पर एएआई अपने उपकरणों को कंसेशनेयर की लागत और खर्च पर दूसरी जगह शिफ्ट करेगा, बशर्ते कि इस तरह शिफ्ट करने से इस समझौते के तहत एएआई की ज़िम्मेदारियों पर कोई बुरा असर न पड़े:

बशर्ते कि एएआई अपने विवेक से अपने उपकरणों को दूसरी जगह लगा सके, लेकिन शर्त यह है कि ऐसी जगह बदलने से कंसेशन एग्रीमेंट के तहत कंसेशनेयर की ज़िम्मेदारियों और/या एयरपोर्ट के सुचारू संचालन पर कोई असर न पड़े।

4.1.3 एएआई समय-समय पर हवाई यातायात के सुरक्षित, तेज़ और व्यवस्थित प्रवाह के लिए ज़रूरी प्रक्रियाओं की समीक्षा और उनमें संशोधन करेगा।

4.1.4 एएआई कंसेशनेयर को एयर ट्रेफ़िक मूवमेंट के दैनिक, साप्ताहिक और मासिक आँकड़े ऐसे फ़ॉर्मेट, फ़्रीक्वेंसी और डिलीवरी के तरीके से उपलब्ध कराएगा, जिस पर पार्टियाँ समय-समय पर सहमत हों।

4.1.5 एएआई ऐसी जानकारी का रिकॉर्ड रखेगा और कंसेशनेयर (concessionaire) तथा एयरमैन (airmen) को नोटिस जारी करेगा, जैसा कि ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रक्रिया और घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया (जिसमें एएआई सेवाओं का ठप होना भी शामिल है) के तहत ज़रूरी है।

4.1.6 एएआई अपनी लागत और खर्च पर, भारतीय मौसम विभाग (IMD), भारत सरकार से एविएशन मौसम संबंधी सुविधाएँ और सेवाएँ हासिल करेगा। ये सेवाएँ शिकागो कन्वेंशन, संबंधित इकाओं दस्तावेज़ों और एनेक्स, डीजीसीए की नागर विमानन आवश्यकताओं और एएआई तथा भारतीय मौसम विभाग (IMD), भारत सरकार के बीच हुए किसी भी समझौते के तहत समय-समय पर तय या अनुशंसित तरीकों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएंगी। कंसेशनेयर (रियायत-प्राप्तकर्ता) अपनी लागत और खर्च पर—जिसमें एएआई या भारतीय मौसम विभाग (IMD), भारत सरकार का कोई खर्च नहीं होगा—साइट पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और जगह उपलब्ध कराएगा जिसकी ज़रूरत भारतीय मौसम विभाग (IMD), भारत सरकार को उपकरण/इंस्ट्रूमेंट लगाने और ऑफिस बनाने के लिए हो।

4.1.7 एएआई ऐसी सभी प्रक्रियाएँ, मैनुअल और चार्ट तैयार और प्रकाशित करेगा जो एयरपोर्ट पर और एयरपोर्ट के आस-पास के एयरस्पेस में एयरक्राफ्ट के सुरक्षित, तेज़ और व्यवस्थित संचालन के लिए ज़रूरी हैं। यह काम संबंधित इकाओं दस्तावेज़ों और एनेक्स (annexes) तथा डीजीसीए की सिविल एविएशन ज़रूरतों के अनुसार किया जाएगा।

4.2 रास्ते में हवाई नेविगेशन और हवाई यातायात प्रवाह प्रबंधन सेवाएँ

4.2.1 अगर एएआई को ज़रूरत हो, तो वह अपने खर्च पर एयरपोर्ट या साइट पर ऐसे रडार, उपकरण, इमारतें, काम या सुविधाएँ बनाए रख सकता है (या ज़रूरत पड़ने पर उन्हें दूसरी जगह ले जा सकता है) जो रास्ते में एयर नेविगेशन सेवाएँ देने के लिए ज़रूरी हों।

4.2.2 एएआई अपने खर्च पर, एयरपोर्ट पर रास्ते में एयर नेविगेशन सेवाएँ देने के लिए ज़रूरी अतिरिक्त उपकरण या सुविधाएँ लगा सकता है।

- 4.2.3 एएआई अपने खर्च पर, एयरपोर्ट और पूरे भारत में एयर ट्रैफिक फ़्लो मैनेजमेंट सेवाएँ देने के लिए ज़रूरी अतिरिक्त उपकरण या सुविधाएँ लगा सकती है। इसके लिए कंसेशनियर की पहले से मंजूरी लेनी होगी, और यह मंजूरी बिना किसी वाजिब वजह के नहीं रोकी जाएगी।
- 4.2.4 क्लॉज़ 4.1.1 और/या 4.1.2 (जैसा भी मामला हो) के तहत रिलोकेशन और/या इंस्टॉलेशन का काम करते समय, एएआई यह सुनिश्चित करेगा कि एयरपोर्ट के सामान्य कामकाज में कोई रुकावट न आए। इन उपायों को करने के बाद, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे रिलोकेशन और/या इंस्टॉलेशन के कारण एयरपोर्ट के सामान्य कामकाज में होने वाली किसी भी रुकावट के लिए एएआई को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
- 4.2.5 एएआई यह सुनिश्चित करेगा कि समय-समय पर उसके द्वारा लगाए गए सभी उपकरणों, राडार, इमारतों, कार्यों या सुविधाओं का संचालन और रखरखाव उद्योग के सर्वोत्तम तरीकों के अनुसार किया जाए।

4.3 सेवा के मानक

- 4.3.1 एएआई हमेशा संबंधित इकाओं दस्तावेज़ों और एनेक्स (annexes) तथा डीजीसीए के नागर विमानन नियमों के अनुसार एएआई सेवाएँ प्रदान करेगा, और एएआई सेवाओं या एएआई उपकरणों को उपलब्ध कराने के संबंध में कंसेशनियर (concessionaire) से कोई खर्च नहीं करवाएगा।
- 4.3.2 एएआई यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मचारी, कंसेशनियर के खर्च पर, कंसेशनियर द्वारा शुरू किए गए किसी भी क्वालिटी सुधार के उपाय में भाग लें। साथ ही, एएआई कंसेशनियर को प्रति घंटे ज़्यादा से ज़्यादा एयरक्राफ़्ट मूवमेंट (जेट एयरक्राफ़्ट मूवमेंट) हासिल करने और बनाए रखने में मदद करेगा, जो इसी तरह के रनवे कॉन्फ़िगरेशन और मौसम की स्थितियों में उचित रूप से हासिल किए जा सकते हैं।

4.4 अहस्तक्षेप

एएआई न तो खुद और न ही अपने कर्मचारियों या एजेंटों के ज़रिए, कंसेशन एग्रीमेंट के तहत कंसेशनियर की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के काम में कोई दखल देगा, उसमें रुकावट डालेगा या कोई बाधा पैदा करेगा, सिवाय उस स्थिति के जब एएआई की सेवाएँ देने के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो।

5. रियायत-प्राप्तकर्ता की ज़िम्मेदारियाँ

5.1 रियायत-प्राप्तकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि:

- क. रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और अप्रोच का निर्माण और रखरखाव संबंधित इकाओं दस्तावेज़ों और एनेक्स (annexes) तथा डीजीसीए की नागर विमानन आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है और ये विमान संचालन के लिए उपलब्ध हैं।
- ख. रनवे के लिए स्ट्रिप्स, शोल्डर्स, स्टॉप वे और रनवे एंड सेफ्टी एरिया, तथा टैक्सीवे के लिए स्ट्रिप्स और शोल्डर्स का निर्माण और रखरखाव संबंधित इकाओं दस्तावेज़ों, एनेक्सेस और डीजीसीए की नागर विमानन आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है।

- ग. हवाई अड्डे और पहुंच एवं टेक-ऑफ क्षेत्र की बाधा सीमा सतहों को बाधाओं से मुक्त रखा जाता है, और यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी बाधा संबंधित आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों तथा डीजीसीए नागर विमानन आवश्यकताओं में अनुमत सीमाओं के अनुसार हो, और एएआई की पूर्व स्वीकृति के अधीन हो।
- घ. एएआई ने सीएनएस/एटीएम इक्विपमेंट के लिए जो संवेदनशील और अहम इलाके तय किए हैं, उन्हें किसी भी ऐसी रुकावट से मुक्त रखा जाता है जो इस इक्विपमेंट के काम में बाधा डाल सकती है या एयरक्राफ्ट ऑपरेशन की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है।
- ङ. बचाव और आग बुझाने वाली सेवाओं की सही कैटेगरी, संबंधित इकाओं दस्तावेजों और एनेक्स (annexes) तथा डीजीसीए की नागर विमानन आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्ध कराई जाती है और उनका रखरखाव किया जाता है।
- च. एयरपोर्ट के ऑपरेशनल एरिया और उसके आस-पास पक्षियों या जानवरों से होने वाली परेशानी को रोकने के लिए उचित इंतज़ाम किए गए हैं।
- छ. एयरपोर्ट पर निम्नलिखित स्थितियों से निपटने के लिए उपयुक्त आकस्मिक व्यवस्थाएँ मौजूद हैं:
- रनवे से खराब हुए विमान को हटाना।
 - हवाई जहाज़ या हवाई अड्डे पर बम की धमकी
 - एयरपोर्ट के आस-पास और उसके इलाके में विमान दुर्घटनाएँ।
 - गैर-अनुसूचित विमान को हवाई अड्डे पर उतरने के लिए मजबूर किया गया।
 - एयरपोर्ट पर आग।
 - प्राकृतिक आपदाएँ और विपत्तियाँ।
 - एयरपोर्ट और आस-पास के इलाकों में औद्योगिक अशांति।
 - एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन का अपहरण और/या उसमें गैर-कानूनी दखल।
 - एयरपोर्ट पर टर्मिनल बिल्डिंग और/या किसी भी ऑपरेशनल एरिया पर उग्रवादियों के हमले।
- ज. एयर ट्रेफिक सर्विस कॉम्प्लेक्स को एयरपोर्ट मैनेजर और एयरपोर्ट पर मौजूद सभी इमरजेंसी सेवाओं - जैसे फ़ायर सर्विस, मेडिकल सर्विस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फ़ोर्स और पुलिस - से जोड़ने के लिए इमरजेंसी अलार्म बेल लगाई गई हैं।
- झ. एएआई और उसके कर्मचारियों, वाहनों और एजेंटों को एयरपोर्ट और उसके सभी ऑपरेशनल इलाकों में उतनी ही पहुँच दी जाती है, जितनी एएआई की सेवाएँ देने के लिए उचित रूप से ज़रूरी हो।
- ञ. एएआई और उसके कर्मचारियों और एजेंटों को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, जिसकी एएआई की सेवाएं प्रदान करने के लिए उचित रूप से आवश्यकता हो सकती है।
- ट. इसके कर्मचारी और एजेंट, ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रक्रिया या घटना की रिपोर्टिंग प्रक्रिया (जैसा भी मामला हो) के अनुसार, और जैसे ही उन्हें इसकी जानकारी मिलती है, रिपोर्ट करेंगे: (i) एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम में कोई भी खराबी या कमी; (ii) एएआई के लिए कंसेशनियर के किसी भी उपकरण का उपलब्ध न होना; और (iii) रनवे, एप्रन, अप्रोच, टैक्सीवे या आवाजाही वाले अन्य क्षेत्रों में कोई भी रुकावट।

- ठ. ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुसार, किसी भी रियायतग्राही उपकरण को बंद करने या हटाने के किसी भी प्रस्ताव के बारे में 'एएआई' को सूचित किया जाता है।
- ड. हवाई जहाज़ के आने के अनुमानित समय की जानकारी मिलने पर उनके लिए पार्किंग बे और एयरो ब्रिज तय किए जाते हैं, और एएआई को भी इसकी सूचना दी जाती है ताकि वह उसी के अनुसार हवाई जहाज़ को गाइड कर सके।

5.2 रियायत-प्राप्तकर्ता अपने खर्च और लागत पर:

- क. एएआई की सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए, एएआई के कर्मचारियों और एजेंटों को हर समय शेड्यूल 3 में बताई गई ऑफिस की जगह/सुविधाएं उपलब्ध कराएं।
- ख. संबंधित इकाओं दस्तावेज़ों, एनेक्स (annexes) और डीजीसीए की नागर विमानन आवश्यकताओं के अनुसार एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम और मुख्य व स्टैंडबाय बिजली आपूर्ति प्रणालियों का रखरखाव करें।
- ग. एएआई के निर्देश पर, रनवे, एप्रन, अप्रोच, टैक्सीवे या आवाजाही वाले अन्य क्षेत्रों से किसी भी तरह की रुकावट को हटा दें।
- घ. एएआई के उपकरणों को वहां स्थानांतरित करें जहां ऐसा स्थानांतरण विस्तार के कारणों से किया जा रहा हो।
- ड. एएआई सेवाओं के लिए, एएआई के उपकरणों और ऑफिस की जगह/सुविधाओं (जैसा कि शेड्यूल 3 में बताया गया है) को यूटिलिटी सप्लाई (जिसमें दो सप्लाई सोर्स वाली बिजली की सप्लाई भी शामिल है) उपलब्ध कराएं।

- 5.3 अगर कंसेशनेयर (रियायत-प्राप्तकर्ता) को एएआई से ऐसे अपग्रेडेशन की ज़रूरत हो जो संबंधित इकाओं दस्तावेज़ों, एनेक्स (annexes) और डीजीसीए की सिविल एविएशन ज़रूरतों में बताई गई शर्तों से ज्यादा हों, तो जेसीसी द्वारा ऐसे अपग्रेडेशन को ज़रूरी माने जाने पर, एएआई अपने खर्च पर ऐसा अपग्रेडेशन करेगा।

6. सुविधाओं और उपकरणों का विकास और विस्तार

6.1 सुविधाओं और उपकरणों के विकास और विस्तार की योजना बनाना

- 6.1.1 एएआई और कंसेशनेयर, एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल और घरेलू ट्रैफ़िक के कारण सीएनएस/एटीएम सेवाओं की भविष्य की ज़रूरतों का समय-समय पर मूल्यांकन करेंगे।
- 6.1.2 जिस तारीख को किसी पार्टी को लगता है कि सीएनएस/एटीएम उपकरण भविष्य की ज़रूरतों के लिए अपर्याप्त हो जाएंगे, उससे कम से कम 24 (चौबीस) महीने पहले, वह पार्टी सीएनएस/एटीएम उपकरणों के ज़रूरी विकास, अपग्रेडेशन और/या विस्तार के लिए एक योजना ("प्रारंभिक सीएनएस/एटीएम विकास योजना") जमा कर सकती है। प्रारंभिक सीएनएस/एटीएम विकास योजना में, अन्य बातों के अलावा, ये चीज़ें शामिल होंगी:
 - i. अनुमानित ट्रैफ़िक प्रवाह पर विश्लेषण, साथ ही सभी सहायक डेटा:
 - ii. एएआई सेवाओं और रियायतग्राही सेवाओं में सुधार की आवश्यकता:

- iii. अतिरिक्त सीएनएस/एटीएम उपकरणों की ज़रूरत या एएआई के उपकरणों को अपग्रेड करने की आवश्यकता (संबंधित इकाओं दस्तावेज़ों, एनेक्स और डीजीसीए की नागर विमानन आवश्यकताओं में बताई गई ज़रूरतों के अलावा):
- iv. सीएनएस/एटीएम उपकरणों को दूसरी जगह लगाने की ज़रूरत:
- v. रियायतग्राही (concessionaire) को एएआई और भारत सरकार के भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को निम्नलिखित के रूप में बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना होगा:
 - (a) परिचालन क्षेत्र में उपकरण/यंत्रों की स्थापना के लिए स्थान: और
 - (b) ऑफिस बनाने के लिए जगह।
- vi. एएआई के कर्मचारियों और एजेंटों के लिए अतिरिक्त ऑफिस स्पेस/सुविधाओं की आवश्यकता है।

6.2 सुविधाओं या उपकरणों के विकास, विस्तार और उनमें बदलाव को संभालने की प्रक्रिया

- 6.2.1 किसी पार्टी द्वारा शुरुआती सीएनएस/एटीएम डेवलपमेंट प्लान जमा करने के 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर, पार्टियां शुरुआती सीएनएस/एटीएम डेवलपमेंट प्लान पर चर्चा करने के लिए मिलेंगी और सीएनएस/एटीएम इक्विपमेंट के डेवलपमेंट, अपग्रेडेशन और/या विस्तार के लिए एक प्लान और उसके शेड्यूल ("फाइनल सीएनएस/एटीएम डेवलपमेंट प्लान") को अंतिम रूप देने की नेक नीयत से कोशिश करेंगी। फाइनल सीएनएस/एटीएम डेवलपमेंट प्लान को अंतिम रूप देने के संबंध में किसी भी विवाद या मतभेद की स्थिति में, मामले को क्लॉज़ 7.3 के अनुसार जेसीसी को भेजा जाएगा।
- 6.2.2 इस समझौते के तहत अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियों के अनुसार, पार्टियां अंतिम सीएनएस/एटीएम विकास योजना के लिए ज़रूरी अतिरिक्त सुविधाएं, उपकरण, मैनपावर और यूटिलिटी सप्लाई (जिसमें दोहरी सप्लाई सोर्स वाली बिजली की सप्लाई भी शामिल है) अपने खर्च पर उपलब्ध कराएंगी।

6.3 रियायतग्राही के विकास संबंधी दायित्व

- 6.3.1 रियायत-धारक (concessionaire) को अंतिम सीएनएस/एटीएम विकास योजना की ज़रूरतों के अनुसार, अपने ही खर्च पर, रियायत-धारक के दायरे में आने वाले अतिरिक्त उपकरणों और सुविधाओं (जिसमें ऑफिस की सुविधाएँ भी शामिल हैं) का डिज़ाइन तैयार करना होगा, उन्हें बनाना, लगाना, टेस्ट करना, चालू करना और उनका संचालन करना होगा ("रियायत-धारक विकास उपकरण")।

6.3.2 यह स्पष्ट किया जाता है कि:

- (i) एएआई किसी भी कंसेशनेयर डेवलपमेंट इक्विपमेंट की टेस्टिंग और/या कमीशनिंग के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा; यह पूरी तरह से कंसेशनेयर की ज़िम्मेदारी होगी।
- (ii) एएआई कंसेशनेयर के साथ मिलकर कैलिब्रेशन उड़ानों का समन्वय करेगा, ताकि कंसेशनेयर अपने डेवलपमेंट इक्विपमेंट को कैलिब्रेट कर सके।
- (iii) रियायत-प्राप्तकर्ता के विकास उपकरणों का स्वामित्व रियायत-प्राप्तकर्ता के पास ही रहेगा।

6.3.3 रियायत-प्राप्तकर्ता को:

- (i) एएआई के डेवलपमेंट इक्विपमेंट और कंसेशनेयर के डेवलपमेंट इक्विपमेंट के बीच के इंटरफेस की पहचान एएआई के लिए करें;
- (ii) एएआई और उसके कर्मचारियों, एजेंटों और वाहनों को एयरपोर्ट में आने-जाने की सुविधा दें और एएआई की सेवाएँ देने के लिए ज़रूरी जानकारी उपलब्ध कराएँ;
- (iii) एएआई को उस तारीख की सूचना देना जिस दिन कंसेशनेयर के डेवलपमेंट इक्विपमेंट के चालू फ़ाइनल सीएनएस/एटीएम डेवलपमेंट प्लान की ज़रूरतों के अनुसार, अपने ही खर्च पर, एएआई के दायरे में आने वाले अतिरिक्त इक्विपमेंट और सुविधाओं ("एएआई डेवलपमेंट इक्विपमेंट") को डिज़ाइन करना, बनाना, इंस्टॉल करना, टेस्ट करना, कमीशन करना और ऑपरेट करना। होने की उम्मीद है; यह सूचना उस तारीख से कम से कम 60 (साठ) दिन पहले दी जानी चाहिए।
- (iv) अच्छे इंडस्ट्री प्रैक्टिस के अनुसार अपने कामों की सुरक्षा और देखभाल के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार होना।

6.4 एएआई विकास संबंधी दायित्व

एएआई करेगा:

- (i) फ़ाइनल सीएनएस/एटीएम डेवलपमेंट प्लान की ज़रूरतों के अनुसार, अपने ही खर्च पर, एएआई के दायरे में आने वाले अतिरिक्त इक्विपमेंट और सुविधाओं ("एएआई डेवलपमेंट इक्विपमेंट") को डिज़ाइन करना, बनाना, इंस्टॉल करना, टेस्ट करना, चालू करना और ऑपरेट करना;
- (ii) यह पक्का करें कि एएआई के डेवलपमेंट इक्विपमेंट को उस तारीख से कम से कम 30 (तीस) दिन पहले चालू कर दिया जाए, जिस तारीख को कंसेशनेयर के डेवलपमेंट इक्विपमेंट के चालू होने की उम्मीद है;
- (iii) एएआई के डेवलपमेंट इक्विपमेंट और कंसेशनेयर के डेवलपमेंट इक्विपमेंट के बीच तालमेल और कम्पैटिबिलिटी सुनिश्चित करें, और इस संबंध में उचित इंटरफेसिंग भी पक्का करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि इसका खर्च कंसेशनेयर उठाएगा।
- (iv) रियायत-प्राप्तकर्ता (concessionaire) के खर्च पर, रियायत-प्राप्तकर्ता के विकास उपकरणों के किसी भी कैलिब्रेशन और बेंचमार्क परीक्षण में भाग लेना;
- (v) यह सुनिश्चित करें कि एएआई का डेवलपमेंट इक्विपमेंट, संबंधित इकाओं डॉक्यूमेंट्स और एनेक्सेस तथा डीजीसीए की सिविल एविएशन ज़रूरतों के अनुसार एएआई की सेवाएँ दे सके;
- (vi) एएआई द्वारा संचालित किसी भी संबंधित एयर नेविगेशन और मौसम संबंधी उपकरणों और प्रणालियों के साथ एएआई के विकास उपकरणों को एकीकृत करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं;

- (vii) एएआई के डेवलपमेंट इक्विपमेंट को चालू करने के लिए ज़रूरी कैलिब्रेशन फ़्लाइट्स करना और, जहाँ तक हो सके, कंसेशनेयर के साथ तालमेल बिठाना ताकि वह भी उसी समय अपने डेवलपमेंट इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन कर सके। किसी भी तरह के शक से बचने के लिए, कंसेशनेयर के डेवलपमेंट इक्विपमेंट को कैलिब्रेट करने में कंसेशनेयर का जो भी खर्च होगा, उसके लिए एएआई ज़िम्मेदार नहीं होगा। कंसेशनेयर के डेवलपमेंट इक्विपमेंट को कैलिब्रेट करने में एएआई का जो भी खर्च होगा, वह कंसेशनेयर से वसूला जाएगा।
- (viii) अच्छे इंडस्ट्री प्रैक्टिस के अनुसार अपने कामों की सुरक्षा और देखभाल के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार होना।

7. संयुक्त समन्वय समिति

- 7.1 दोनों पक्ष यह मानते हैं कि इस समझौते के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, उन्हें एक-दूसरे के साथ तालमेल बिठाना होगा। इसके लिए, वे सीओडी (कमर्शियल ऑपरेशन डेट) के 1 (एक) महीने के भीतर एक संयुक्त समन्वय समिति ("जेसीसी ") बनाने का संकल्प लेते हैं और इस पर सहमत होते हैं। जेसीसी ये काम करेगी:
 - (i) इसमें 4 (चार) सदस्य होंगे, और हर पक्ष 2 (दो) सदस्यों को नॉमिनेट और नियुक्त करेगा। इसमें यह स्पष्ट किया गया कि जेसीसी के सदस्य अपनी ओर से बैठकों में शामिल होने के लिए प्रॉक्सी (प्रतिनिधि) को नामांकित या प्रस्तावित कर सकते हैं।
 - (ii) इसकी अध्यक्षता कंसेशनेयर (रियायत-प्राप्तकर्ता) के नामित व्यक्ति द्वारा की जाएगी।
 - (iii) हर महीने कम से कम एक बार एयरपोर्ट पर मिलें।
- 7.2 यह माना जाएगा कि पार्टियों ने जेसीसी के सदस्यों को जेसीसी द्वारा विचार किए गए सभी मामलों में अपनी-अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने और उसे बाध्य करने का पूरा अधिकार सौंप दिया है।
- 7.3 जेसीसी , सीएनएस/एटीएम सेवाओं के संबंध में पार्टियों की गतिविधियों के बीच तालमेल बिठाने के लिए ज़िम्मेदार होगा, जिसमें इस संबंध में पैदा होने वाले किसी भी विवाद और मतभेद को सुलझाना भी शामिल है।
 - (i) अगर जेसीसी किसी मामले पर ऐसा फैसला नहीं ले पाती जो दोनों पक्षों को मंज़ूर हो, तो कोई भी पक्ष उस मामले को कंसेशनियर के चीफ़ एग्ज़िक्यूटिव ऑफ़िसर और एएआई के चेयरमैन के बीच संयुक्त विचार-विमर्श के लिए भेजने का हक़दार होगा।
 - (ii) अगर ऊपर दिए गए सब-क्लॉज़ (i) के तहत मामले का ज़िक्र होने के 15 (पंद्रह) कामकाजी दिनों के अंदर मामला सुलझ नहीं पाता है, तो कोई भी पक्ष मामले को सुलझाने के लिए आर्टिकल 14 के तहत भेज सकता है।

8. राजस्व और शुल्क

- 8.1 एएआई , अपनी सेवाएँ देने के बदले, रूट नेविगेशन सुविधा शुल्क और टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग शुल्क ("सीएनएस/एटीएम शुल्क") सीधे एयरलाइंस से वसूलने की हक़दार होगी और इन शुल्कों के लिए कंसेशनियर की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

- 8.2 सीएनएस/एटीएम चार्ज वसूल न कर पाने की वजह से एएआई को अपनी सेवाएँ देने की ज़िम्मेदारी से किसी भी तरह से छूट नहीं मिलेगी।
- 8.3 अगर कोई व्यक्ति एएआई को सीएनएस/एटीएम चार्ज का पेमेंट करने में चूक करता है, तो एएआई के पास यह अधिकार होगा कि वह ऐसे व्यक्ति को एएआई की सर्विस न दे और बकाया रकम वसूलने के लिए जो भी कदम सही समझे, वह उठाए; और इसे एएआई की तरफ से सर्विस देने में चूक नहीं माना जाएगा।
- 8.4 इस एग्रीमेंट की शर्तों के तहत, एयरपोर्ट पर या कहीं और सीएनएस/एटीएम सर्विस और दूसरी सर्विस देने के लिए एएआई को जो भी ऑपरेटिंग या कैपिटल लागत और खर्च उठाने पड़ते हैं, उन्हें उन चार्जेज को तय करने में शामिल किया जाएगा जो एएआई ऐसी सर्विस के लिए लगा सकता है। एएआई द्वारा सीधे उठाए गए किसी भी खर्च या लागत की भरपाई कंसेशनियर नहीं करेगा, और न ही उन्हें उन एरोनॉटिकल चार्जेज को तय करने में शामिल किया जाएगा जिन्हें कंसेशनियर लगा सकता है, वसूल सकता है और अपने पास रख सकता है।
- 8.5 इस समझौते की शर्तों के तहत कंसेशन लेने वाले (concessionaire) द्वारा सीधे तौर पर किए गए सभी खर्च (चाहे वे ऑपरेटिंग हों या कैपिटल नेचर के) AERA द्वारा एरोनॉटिकल चार्ज तय करने के लिए मान्य होंगे। इन चार्जेज को कंसेशन समझौते की शर्तों के अनुसार कंसेशन लेने वाले द्वारा लगाया, वसूला और इस्तेमाल किया जा सकता है। कंसेशन लेने वाले द्वारा सीधे उठाए गए किसी भी खर्च की भरपाई एएआई द्वारा नहीं की जाएगी, और न ही वे ऐसे चार्जेज तय करने के लिए मान्य होंगे जिन्हें एएआई लगा, वसूल और इस्तेमाल कर सकता है।

9. क्षतिपूर्ति

9.1 सामान्य क्षतिपूर्ति

हर पार्टी दूसरी पार्टी और उसके कॉन्ट्रैक्टर, प्रिंसिपल और एजेंट को किसी भी ऐसे नुकसान, लागत, खर्च, लायबिलिटी या डैमेज के लिए हर्जाना देगी, बचाव करेगी और सुरक्षित रखेगी जो नुकसान उठाने वाली पार्टी और उसके कॉन्ट्रैक्टर, प्रिंसिपल और एजेंट पर किसी भी पार्टी की ज़िम्मेदारियों (चाहे किसी काम से या काम न करने से) को पूरा करने के दौरान (सीधे या परोक्ष रूप से, पूरी तरह या आंशिक रूप से) हुई विफलता या देरी, या तीसरे पक्ष के दावों के कारण लगाया गया हो या उठाना पड़ा हो (इसमें 'फोर्स मेज्योर' यानी अप्रत्याशित घटना की स्थिति शामिल नहीं है)। इसमें लोगों की चोट या मौत, या संपत्ति के नुकसान या डैमेज के दावे भी शामिल हैं।

9.2 दावों की सूचना और उन पर आपत्ति

अगर किसी पार्टी को किसी तीसरे पक्ष से ऐसा कोई दावा (claim) मिलता है जिसके लिए वह क्लॉज़ 9.1 के तहत हर्जाने की भरपाई (indemnity) या खर्च की वापसी (reimbursement) पाने की हकदार है ("हर्जाना पाने वाली पार्टी"), तो उसे दावा मिलने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर उस दूसरी पार्टी को सूचित करना होगा जो इस समझौते के तहत ऐसे दावे के लिए हर्जाने की भरपाई करने के लिए ज़िम्मेदार है ("हर्जाना भरने वाली पार्टी")। साथ ही, वह हर्जाना भरने वाली पार्टी की पूर्व मंजूरी के बिना दावे का निपटारा या भुगतान नहीं करेगी; ऐसी मंजूरी को बिना किसी उचित कारण के रोका या उसमें देरी नहीं की जाएगी। अगर हर्जाना भरने वाली पार्टी दावे का विरोध या विवाद करना चाहती है, तो वह हर्जाना

पाने वाली पार्टी के नाम पर कार्यवाही कर सकती है और इसके विरोध में होने वाले सभी खर्च उठाएगी। हर्जाना पाने वाली पार्टी किसी भी दावे का विरोध करने में पूरा सहयोग और सहायता देगी और ऐसे सभी लिखित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगी जिनकी हर्जाना भरने वाली पार्टी को उचित रूप से आवश्यकता हो सकती है।

10. देयता

दोनों पक्षों का इरादा है कि इस समझौते में बताए गए अधिकार, दायित्व और ज़िम्मेदारियाँ, इस समझौते से जुड़े या इससे पैदा होने वाले अधिकारों, दायित्वों और ज़िम्मेदारियों का पूरा विवरण हों। इसलिए, इस समझौते और इसके तहत किए गए किसी भी दस्तावेज़ में साफ़ तौर पर बताए गए उपाय ही, एक-दूसरे के प्रति दायित्वों (जिनमें इससे जुड़े कोई भी बयान, वारंटी या वचन शामिल हैं) के लिए दोनों पक्षों के एकमात्र और विशेष उपाय होंगे, भले ही कानून या इक्विटी के तहत कोई अन्य उपाय उपलब्ध हो। एएआई सेवाओं के प्रावधान के संबंध में अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी, संबंधित इकाओं दस्तावेजों और एनेक्स (annexes) में बताई गई गुणवत्ता में कमी और/या सेवा बंद रहने की अवधि के अनुसार टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग शुल्क तक ही सीमित होगी।

11. अप्रत्याशित घटना

11.1 अप्रत्याशित घटना

अगर किसी पार्टी ("प्रभावित पार्टी") के लिए इस समझौते के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना 'फोर्स मेज्योर' (अपरिहार्य घटना) की वजह से पूरी तरह या आंशिक रूप से रुक जाता है, उसमें बाधा आती है या देरी होती है, तो आर्टिकल 11 लागू होगा।

11.2 अप्रत्याशित घटना की परिभाषा

11.2.1 इस एग्रीमेंट में, "फोर्स मेज्योर" (force majeure) का मतलब है कोई ऐसी घटना, हालात या कई घटनाओं/हालातों का मेल-जिसमें इस क्लॉज़ 11.2 में बताई गई बातें भी शामिल हैं—जो प्रभावित पार्टी के उचित नियंत्रण से बाहर हों और जिन्हें प्रभावित पार्टी इंडस्ट्री के अच्छे तरीकों या किसी भी सुविधा के निर्माण में उचित कौशल और सावधानी बरतकर रोक न सकती हो; और जिसकी वजह से, या जिसके नतीजों की वजह से, कोई पार्टी इस एग्रीमेंट के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरी तरह या आंशिक रूप से पूरा करने से रुक जाए, उसमें बाधा आए या देरी हो।

11.2.2 "फोर्स मेज्योर" (force majeure) में नीचे दी गई घटनाएँ और परिस्थितियाँ शामिल हैं, बशर्ते वे या उनके परिणाम ऊपर बताई गई शर्तों को पूरा करते हों:

(a) निम्नलिखित प्रकार के कार्य, घटनाएँ या परिस्थितियाँ:

- (i) हड़ताल, तालाबंदी या कोई अन्य औद्योगिक कार्रवाई या मज़दूरों से जुड़े विवाद, जिनमें कोई पार्टी या उसके कॉन्ट्रैक्टर, या उनके सब-कॉन्ट्रैक्टर, कर्मचारी या एजेंट शामिल हों, और जो भारत में काम पूरा करने या भारत में सामान या सेवाएँ सप्लाई करने के काम में लगे हों;
- (ii) बिजली गिरना, भूकंप, तेज़ तूफ़ान, चक्रवात, हरिकेन, बवंडर, तूफ़ान, बाढ़, पानी से बहाव, ज़मीन खिसकना, मिट्टी का कटाव, ज़मीन का धंसना, सूखा या पानी की कमी,

और मौसम या पर्यावरण की अन्य असामान्य या बहुत खराब स्थितियां या प्राकृतिक घटनाएं; उल्कापिंड या हवाई जहाज़ या अन्य हवाई साधनों से गिरने वाली चीज़ें; सुपरसोनिक गति से चलने वाले हवाई जहाज़ या अन्य हवाई साधनों से पैदा होने वाली प्रेशर वेव (दबाव की लहरें); आग या विस्फोट, केमिकल या रेडियोएक्टिव प्रदूषण या आयनकारी रेडिएशन (उन स्थितियों को छोड़कर जहां विस्फोट, प्रदूषण या रेडिएशन का स्रोत या कारण प्रभावित पक्ष या प्रभावित पक्ष द्वारा काम पर रखे गए या जुड़े लोगों द्वारा साइट पर या उसके पास लाया गया हो या लाया गया था, जब तक कि यह एयरपोर्ट के किसी हिस्से के निर्माण या संचालन के लिए ज़रूरी न हो या था);

- (iii) एयरपोर्ट पर कोई दुर्घटना;
 - (iv) सीओडी (कैश ऑन डिलीवरी) से पहले, किसी भी तरह से ट्रांसपोर्ट के दौरान एयरपोर्ट में इस्तेमाल के लिए लाए जा रहे कार्गो का कोई भी अचानक नुकसान या टूट-फूट;
 - (v) एयरपोर्ट को गंभीर दुर्घटना से होने वाला नुकसान;
 - (vi) महामारी;
 - (vii) युद्ध की कार्रवाई (चाहे घोषित हो या अघोषित), आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी दुश्मन की कार्रवाई, नाकेबंदी, व्यापार प्रतिबंध, क्रांति, दंगा, बम या नागरिक अशांति;
 - (viii) तोड़-फोड़, आतंकवाद या ऐसी गतिविधियों की धमकी;
 - (ix) दैवीय घटना; या
 - (x) ऊपर बताई गई बातों से मिलती-जुलती प्रकृति का कोई भी काम, घटना या परिस्थिति।
- (ख) बशर्ते कि निम्नलिखित में से कोई भी मामला या उसके परिणाम 'फोर्स मेज्योर' (अपरिहार्य घटना) नहीं माने जाएंगे और न ही उनके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी:
- (i) कोई भी पेमेंट करने में नाकामी या असमर्थता; या
 - (ii) बाज़ार की स्थितियों का असर, सिवाय तब जब वे स्थितियाँ खुद किसी 'फोर्स मेज्योर' (अपरिहार्य घटना) की वजह से या उसका नतीजा हों।
- (ग) और साथ ही यह भी प्रावधान है कि ऊपर क्लॉज़ 11.2.2(a) में बताई गई कोई घटना या परिस्थिति, जो मुख्य रूप से किसी तीसरे पक्ष (जैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर, एयरपोर्ट ऑपरेटर, किसी पक्ष की सहयोगी कंपनी या किसी पक्ष या उसकी सहयोगी कंपनी के सब-कॉन्ट्रैक्टर) को प्रभावित करती है और जो किसी पक्ष को अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने से रोकती है, उसमें बाधा डालती है या देरी करती है, तो उस पक्ष के लिए इसे 'फोर्स मेज्योर' (अपरिहार्य घटना) माना जाएगा। ऐसा तब और उस हद तक माना जाएगा जब वह घटना या परिस्थिति ऐसी हो कि अगर वह उस पक्ष के साथ घटती जो इस क्लॉज़ का सहारा लेना चाहता है, तो वह इस क्लॉज़ 11 के तहत 'फोर्स मेज्योर' की परिभाषा में आती।

11.3 अप्रत्याशित घटना (फोर्स मेज्योर) के परिणाम

11.3.1 प्रदर्शन दायित्व

प्रभावित पक्ष इस समझौते के तहत या इसके अनुसार किसी भी दायित्व को पूरा करने में विफलता या देरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। उसे अपने दायित्वों को पूरा करने की ज़रूरत तब तक नहीं होगी जब तक ऐसी विफलता या देरी सीधे तौर पर 'फोर्स मेज्योर' (अप्रत्याशित घटना) के कारण हुई हो; और विशेष रूप से (लेकिन बिना किसी सीमा के), ऐसे दायित्वों को पूरा करने के लिए दी गई समय-सीमा को उसी के अनुसार बढ़ा दिया जाएगा।

11.3.2 अधिसूचना

अगर प्रभावित पक्ष यह दावा करता है कि किसी 'फोर्स मेज्योर' (अपरिहार्य घटना) की वजह से वह इस समझौते के तहत अपनी कोई भी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर पाया है, तो उसे दूसरे पक्ष को लिखित रूप में जल्द से जल्द सूचित करना होगा और दावे का आधार व उसके परिणाम बताने होंगे।

11.3.3 शमन

प्रभावित पक्ष 'फोर्स मेज्योर' (अप्रत्याशित घटना) के असर को कम करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा।

12. समापन

12.1 रियायतग्राही द्वारा चूक की घटनाएं

एएआई कंसेशनियर को कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का नोटिस जारी करने की हकदार होगी, यदि:

- (i) अगर रियायत पाने वाला (concessionaire) इस समझौते के तहत एएआई को देय कोई भी राशि समय पर नहीं चुकाता है, और एएआई से चूक के बारे में और उसे ठीक करने के लिए नोटिस मिलने के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर उस चूक को ठीक नहीं किया जाता है;
- (ii) रियायत पाने वाले (concessionaire) के लिक्विडेशन, दिवालियापन या उसे खत्म करने के लिए कोई आदेश दिया जाता है या प्रस्ताव पास किया जाता है, और अगर ऐसा हो सकता है, तो उसे 90 (नब्बे) दिनों के भीतर रद्द या वापस नहीं लिया जाता है;
- (iii) अगर कंसेशनियर इस एग्रीमेंट के तहत किसी भी ज़िम्मेदारी (पैसे के भुगतान की ज़िम्मेदारी को छोड़कर) को पूरा करने या उसका पालन करने में नाकाम रहता है, और इससे एएआई के अधिकारों और ज़िम्मेदारियों पर कोई गंभीर और बुरा असर पड़ता है; और अगर इस कमी को ठीक किया जा सकता है, तो एएआई से नोटिस मिलने के बाद भी 30 (तीस) दिनों तक यह कमी बनी रहती है (नोटिस में कमी के बारे में बताया गया हो और उसे ठीक करने के लिए कहा गया हो)।

बशर्ते, एएआई को समाप्ति का ऐसा नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं होगा, यदि रियायतग्राही (concessionaire) द्वारा समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने से GoI, कर्नाटक सरकार या एएआई ने रोका हो।

12.2 डिफॉल्ट की घटनाएं

अगर लागू कानून कंसेशन लेने वाले को सीएनएस/एटीएम सेवाएं देने की इजाज़त देते हैं, तो कंसेशन एग्रीमेंट में ज़रूरी बदलाव किए जाने की शर्त पर, कंसेशन लेने वाला एएआई को कंसेशन खत्म करने का नोटिस जारी कर सकता है।

12.3 समाप्ति सूचना का प्रभाव

अगर इस आर्टिकल 12 के तहत कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का नोटिस देती है, तो नोटिस मिलने की तारीख से 90 (नब्बे) दिन पूरे होने के बाद किसी भी समय, वह पार्टी तुरंत प्रभाव से इस एग्रीमेंट को खत्म कर सकती है, बशर्ते कि जिन हालात की वजह से नोटिस दिया गया था, उन्हें पूरी तरह ठीक न कर दिया गया हो या वे हालात अब लागू न रह गए हों।

12.4 समाप्ति के परिणाम

12.4.1 अगर कंसेशनेयर (रियायत पाने वाली कंपनी) क्लॉज़ 12.2 के तहत इस एग्रीमेंट को खत्म करती है, और यह पक्का करने के लिए कि एएआई की सेवाओं के न मिलने की वजह से एयरपोर्ट का कामकाज प्रभावित या बंद न हो, तो एएआई तुरंत ही GoI (भारत सरकार) को वे सभी उपकरण, मैनुअल, चार्ट और दूसरे मेमोरेण्डम सौंप देगी जो उसने अपनी सेवाएं देते समय तैयार किए थे। ये चीज़ें 'जैसी हैं, जहाँ हैं' (as-is-where-is) की हालत में और आपसी सहमति वाली शर्तों पर सौंपी जाएंगी, ताकि GoI तुरंत 'एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया एक्ट, 1994' की धारा 38 के अनुसार कार्रवाई कर सके। एएआई इस मकसद को पूरा करने के लिए GoI को हर ज़रूरी सहयोग देगी।

12.4.2 कंसेशनेयर, अपनी मर्ज़ी से, सही कदम उठाने के लिए GOI से सलाह ले सकता है और किसी तीसरे पक्ष के ज़रिए, एएआई की सेवाओं के बराबर सेवाएं दे सकता है। एएआई ऊपर बताए गए मकसद को पूरा करने के लिए कंसेशनेयर को सभी ज़रूरी सहयोग देगा।

12.4.3 इस क्लॉज़ 12.4 के प्रावधान, इस समझौते के तहत किसी भी पक्ष को उपलब्ध अधिकारों या उपायों पर कोई असर नहीं डालेंगे।

13. कार्यभार

13.1 एएआई द्वारा असाइनमेंट

इस एग्रीमेंट में कुछ भी अलग लिखा होने के बावजूद, एएआई कंसेशनेयर की पहले से लिखित मंजूरी के बिना इस एग्रीमेंट के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार या ज़िम्मेदारी को किसी और को नहीं सौंपेगा या ट्रांसफर नहीं करेगा; बशर्ते कि एएआई के अधिकारों या ज़िम्मेदारियों का ऐसा असाइनमेंट या ट्रांसफर किसी कानून के लागू होने के कारण हो। ऐसा असाइनी या ट्रांसफरी इस एग्रीमेंट की शर्तों और नियमों से बंधा होगा।

13.2 रियायत-प्राप्तकर्ता द्वारा हस्तांतरण

इस समझौते में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, लेकिन क्लॉज़ 18.6 के अधीन रहते हुए, रियायतग्राही (concessionaire) एएआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस समझौते के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार या दायित्व को सौंप या हस्तांतरित नहीं करेगा:

हालांकि, रियायत-प्राप्तकर्ता ऐसी पूर्व लिखित सहमति के बिना, लेकिन एएआई को पूर्व लिखित सूचना देकर:

- (i) इस समझौते के तहत अपने सभी या लगभग सभी अधिकारों और दायित्वों को कंसेशनियर की किसी सहयोगी कंपनी को हस्तांतरित करना;

- (ii) इस समझौते के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार और दायित्व को कंसेशनेयर (रियायत-प्राप्तकर्ता) में मालिकाना हक खरीदने वाले को हस्तांतरित करना;
- (iii) लोन देने वालों को ट्रांसफर करना, इस एग्रीमेंट के तहत कंसेशनेयर के अधिकार, किसी भी एग्रीमेंट के तहत चुकाई जाने वाली रकम के लिए कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पर, जिसके तहत कंसेशनेयर ने पैसे उधार लिए हैं; या
- (iv) रियायती समझौते की शर्तों के अनुसार, इसके तहत अपने सभी या लगभग सभी अधिकारों और दायित्वों को भारत सरकार (GoI) को हस्तांतरित करना।

14. विवाद समाधान

14.1 बातचीत और सुलह-सफाई

पार्टियां इस समझौते से जुड़े या इससे पैदा होने वाले किसी भी विवाद, मतभेद, दावे, सवाल या झगड़े ("विवाद") को बातचीत के ज़रिए आपसी सहमति से सुलझाने के लिए अपनी-अपनी उचित कोशिशें करेंगी।

14.2 मध्यस्थ को मामला सौंपना

'एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, 2008' के प्रावधानों के तहत, जो अथॉरिटी को उसमें दिए गए नियमों के अनुसार विवादों का निपटारा करने की शक्ति और अधिकार देते हैं, अगर कोई विवाद होता है और पार्टियां क्लॉज़ 14.1 के अनुसार उसे 60 (साठ) दिनों (या पार्टियों द्वारा सहमत किसी लंबी अवधि) के भीतर हल नहीं कर पाती हैं—यह अवधि एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को विवाद के बारे में लिखित सूचना देने से शुरू होगी—तो उस विवाद का अंतिम निपटारा आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) के ज़रिए किया जाएगा। यह निपटारा (इंडियन) आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, 1996 और/या उसमें किए गए किसी भी कानूनी बदलाव और UNCITRAL नियमों के अनुसार, एक्ट के तहत नियुक्त एक अकेले आर्बिट्रेटर (मध्यस्थ) द्वारा किया जाएगा।

14.3 मिश्रित

आर्बिट्रेशन की जगह नई दिल्ली होगी। हर पार्टी नियमों के हिसाब से आर्बिट्रेशन का खर्च देगी और खर्चों की आखिरी ज़िम्मेदारी उसी की होगी।

धारा 10: देयता

पक्षकार यह इरादा रखते हैं कि इस समझौते में निहित अधिकार, दायित्व और देयताएं इस समझौते से उत्पन्न होने वाले या इससे जुड़े पक्षकारों के अधिकारों, दायित्वों और देयताओं का एक विस्तृत विवरण होंगी। तदनुसार, इस समझौते में और इसके अनुसरण में दर्ज किसी भी दस्तावेज़ में स्पष्ट रूप से बताए गए उपाय इस समझौते से या इसके संबंध में एक-दूसरे के प्रति देयताओं के लिए पक्षकारों के एकमात्र और अनन्य उपाय होंगे, जिसमें इसके संबंध में दी गई कोई भी प्रतिनिधि प्रस्तुति, वारंटी या वचनबद्धता शामिल है, जो कानून या इक्विटी में अन्यथा उपलब्ध किसी भी उपाय के बावजूद है। एएआई सेवाओं के प्रावधान के संबंध में प्राधिकरण की देयता टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग शुल्कों तक सीमित होगी जो समय के व्यवधान की अवधि और/या प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता से गिरावट के अनुरूप होगी।

धारा 11: फोर्स माज्योर (Force Majeure)

11.1 फोर्स माज्योर: यदि इस समझौते के तहत किसी भी पक्षकार ("प्रभावित पक्षकार") के अपने दायित्वों के निष्पादन को फोर्स माज्योर के कारण पूर्णतः या अंशतः रोका जाता है, बाधित किया जाता है या विलंबित किया जाता है, तो अनुच्छेद 11 लागू होगा।

11.2 फोर्स माज्योर की परिभाषा:

11.2.1 इस समझौते में, "फोर्स माज्योर" का अर्थ किसी भी ऐसे कृत्य, घटना या परिस्थिति या कृत्यों, घटनाओं और परिस्थितियों के संयोजन से है, जिसमें इस खंड 11.2 में संदर्भित वे भी शामिल हैं, जो प्रभावित पक्षकार के उचित नियंत्रण से परे हैं और जिन्हें प्रभावित पक्षकार किसी भी सुविधा के निर्माण के संबंध में अच्छे उद्योग अभ्यास द्वारा या उचित कौशल और सावधानी के प्रयोग से रोक नहीं सका था, और जो इस समझौते के तहत किसी पक्षकार के दायित्वों के निष्पादन को पूर्णतः या अंशतः रोकते, बाधित करते या विलंबित करते हैं (या जिनके परिणाम ऐसा करते हैं)।

11.2.2 "फोर्स माज्योर" में निम्नलिखित घटनाएं और परिस्थितियाँ उस सीमा तक शामिल हैं जहाँ वे या उनके परिणाम उपर्युक्त आवश्यकताओं को पूरा करते हैं:

(ए) निम्नलिखित प्रकार के कृत्य, घटनाएँ या परिस्थितियाँ:

(ii) भारत के भीतर कार्य के निष्पादन या भारत के भीतर वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति में नियोजित किसी भी पक्षकार या उसके ठेकेदारों, या उनके संबंधित उप-ठेकेदारों, सेवकों या एजेंटों से जुड़े हड़ताल, तालाबंदी या अन्य औद्योगिक कार्रवाई या श्रम विवाद;

बिजली गिरना, भूकंप, आंधी, चक्रवात, हरिकेन, बवंडर, तूफान, बाढ़, कटाव, भूस्खलन, मृदा अपरदन, धसाव, सूखा या पानी की कमी, और अन्य असामान्य या अत्यधिक प्रतिकूल मौसम या पर्यावरणीय परिस्थितियाँ या प्राकृतिक तत्व, उल्कापिंड या विमानों या अन्य एरियल उपकरणों से गिरने वाली वस्तुएं;

सुपरसोनिक गति से यात्रा करने वाले विमानों या अन्य एरियल उपकरणों के कारण होने वाली प्रेशर तरंगों की घटना, आग या विस्फोट, रासायनिक या रेडियोधर्मी संदूषण या आयनकारी विकिरण (उन परिस्थितियों को

छोड़कर जहाँ विस्फोट या संदूषण या विकिरण का स्रोत या कारण प्रभावित पक्षकार द्वारा या प्रभावित पक्षकार द्वारा नियोजित या संलग्न लोगों द्वारा साइट पर लाया गया है, जब तक कि यह हवाई अड्डे के किसी भी हिस्से के निर्माण या संचालन के लिए आवश्यक न हो या था);

(iii) हवाई अड्डे पर कोई भी दुर्घटनाएँ;

(iv) सीओडी से पहले होने वाले, किसी भी साधन से पारगमन के दौरान कार्गो की कोई भी आकस्मिक हानि या क्षति जो हवाई अड्डे में शामिल किए जाने के लिए अभिप्रेत है;

(v) हवाई अड्डे की हानि या गंभीर आकस्मिक क्षति;

(vi) महामारी ;

(vii) युद्ध का कृत्य (चाहे घोषित हो या अघोषित), आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी शत्रु का कृत्य, नाकाबंदी, (प्रतिबंध), क्रांति, दंगा, बम या नागरिक अशांति;

(viii) तोड़फोड़, आतंकवाद या ऐसे कृत्यों की धमकी;

(ix) दैवी कृत्य या

(x) पूर्वगामी प्रकृति के समान कोई भी कृत्य, घटना या परिस्थिति।

बशर्ते कि निम्नलिखित में से कोई भी मामला या उसके परिणाम फोर्स माज्योर का गठन करने या उसका कारण बनने में सक्षम नहीं होंगे:

(i) कोई भुगतान करने में विफलता या असमर्थता या

(ii) बाजार की स्थितियों के प्रभाव जब तक कि ऐसी बाजार स्थितियाँ स्वयं फोर्स माज्योर घटना के कारण या परिणाम न हों।

(सी) और यह भी बशर्ते कि ऊपर खंड 11.2.2(ए) में संदर्भित कोई कृत्य, घटना या परिस्थिति जो मुख्य रूप से किसी तीसरे पक्ष या पक्षों को प्रभावित करती है (बिना किसी सीमा के, निर्माण ठेकेदार या हवाई अड्डे के संचालक, किसी पक्षकार के सहयोगी या किसी पक्षकार या उसके सहयोगी के उप-ठेकेदारों सहित) और जो किसी पक्षकार को उसके दायित्वों के निष्पादन में रोकती है, बाधित करती है या विलंबित करती है, तो ऐसे पक्षकार के संबंध में यहां फोर्स माज्योर का गठन करेगी यदि और उस सीमा तक कि यह उस प्रकार या चरित्र की है कि, यदि यह इस खंड पर भरोसा करने के इच्छुक पक्षकार के साथ घटी होती, तो इस खंड 11 के तहत फोर्स माज्योर की परिभाषा के अंतर्गत आती।

11.3 फोर्स माज्योर के परिणाम

11.3.1 निष्पादन दायित्व: प्रभावित पक्षकार इस समझौते के तहत या इसके अनुसरण में किसी दायित्व का पालन करने में किसी विफलता, या पालन करने में देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और उसे ऐसे दायित्वों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी जिस सीमा तक ऐसी विफलता या देरी सीधे किसी फोर्स माज्योर घटना के कारण हुई है, और विशेष रूप से, लेकिन बिना किसी सीमा के, ऐसे किसी भी दायित्व के निष्पादन के लिए अनुमति दी गई समय-सीमा तदनुसार बढ़ाई जाएगी।

11.3.2 अधिसूचना: यदि प्रभावित पक्षकार का दावा है कि उसे फोर्स माज्योर की किसी घटना के कारण इस समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने से रोका गया है, तो वह उचित रूप से व्यावहारिक रूप से शीघ्र लिखित रूप में दूसरे पक्ष को सूचित करेगा, जिसमें दावे का आधार और परिणाम बताए जाएंगे।

11.3.3 शमन प्रभावित पक्षकार फोर्स माज्योर की घटना के प्रभाव को कम करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा.

धारा 12: समाप्ति

12.1 रियायतग्राही की चूक की घटनाएं: एएआई रियायतग्राही को समाप्ति का नोटिस जारी करने का हकदार होगा, यदि:

(i) रियायतग्राही इस समझौते के तहत एएआई को देय किसी भी राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, जब वह देय हो और ऐसी चूक को निर्दिष्ट करने और उसे सुधारने की आवश्यकता वाले एएआई के नोटिस की प्राप्ति के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर सुधार नहीं किया जाता है;

(ii) रियायतग्राही के परिसमापन, दिवालियापन या विघटन के लिए कोई आदेश दिया जाता है या प्रस्ताव पारित किया जाता है जिसे, यदि ऐसा करने में सक्षम है, तो डिस्चार्ज नहीं किया जाता है या, जैसा भी मामला हो, उसके 90 (नब्बे) दिनों के भीतर रद्द नहीं किया जाता है;

(iii) रियायतग्राही इस समझौते के किसी भी दायित्व (धन भुगतान के दायित्व के अलावा) को उस सीमा तक निभाने या उसका पालन करने में विफल रहता है जिसका एएआई के अधिकारों और दायित्वों पर सामग्री और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यदि सुधारने में सक्षम है, तो एएआई के नोटिस की प्राप्ति के 30 (तीस) दिनों की अवधि के लिए ऐसी विफलता जारी रहती है, जिसमें चूक को निर्दिष्ट किया गया है और इसे सुधारने की आवश्यकता है।

बशर्ते कि, एएआई ऐसा समाप्ति नोटिस जारी करने का हकदार नहीं होगा यदि रियायतग्राही द्वारा समय पर सुधार कार्रवाई को भारत सरकार, कर्नाटक सरकार या एएआई द्वारा रोका गया हो।

12.2 एएआई की चूक की घटनाएं: रियायतग्राही, रियायत समझौते में उपयुक्त संशोधन किए जाने के अधीन, इस घटना में एएआई को समाप्ति का नोटिस जारी करने का हकदार होगा कि लागू कानून रियायतग्राही को सीएनएस/एटीएम सेवाएं करने की अनुमति देता है।

12.3 समाप्ति नोटिस का प्रभाव: यदि इस अनुच्छेद 12 के अनुसरण में किसी पक्षकार द्वारा समाप्ति का नोटिस दिया जाता है, तो ऐसे समाप्ति नोटिस की सेवा की तारीख के 90 (नब्बे) दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद किसी भी समय, जब तक कि समाप्ति नोटिस जारी करने वाली परिस्थितियाँ पूरी तरह से सुधार नहीं ली गई हों या लागू होना बंद न हो गया हो, समाप्ति नोटिस जारी करने वाला पक्षकार इस समझौते को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर सकता है।

12.4 समाप्ति के परिणाम:

12.4.1 यदि यह समझौता रियायतग्राही द्वारा खंड 12.2 के अनुसरण में समाप्त किया जाता है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि एएआई सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण हवाई अड्डे के संचालन प्रभावित या निलंबित न हों, एएआई तुरंत भारत सरकार को एएआई सेवाओं के प्रदर्शन में एएआई द्वारा तैयार किए गए सभी

एएआई उपकरण, मैनुअल, चार्ट और अन्य जापनों को आपसी सहमति की शर्तों पर "जैसी है जहाँ है" की स्थिति में सौंप देगा ताकि भारत सरकार भारतीय विमानपतन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 38 के अनुसार तुरंत कार्रवाई करने में सक्षम हो सके। एएआई उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

12.4.2 रियायतग्राही, अपने विवेक पर, उपयुक्त कदम उठाने और तीसरे पक्ष के माध्यम से एएआई सेवाओं के समतुल्य सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार से परामर्श कर सकता है। एएआई उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए रियायतग्राही को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

12.4.3 इस खंड 12.4 के प्रावधान इस समझौते के तहत किसी भी पक्षकार के अधिकारों या उपलब्ध उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे।

धारा 13: समनुदेशन/हस्तांतरण

13.1 एएआई द्वारा समनुदेशन: इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, एएआई रियायतग्राही की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस समझौते के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार या दायित्व को समनुदेशित या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेगा, बशर्ते कि एएआई के अधिकारों या दायित्वों का ऐसा समनुदेशन या हस्तांतरण किसी कानून के अधिनियमन के अनुसरण में हो। ऐसा समनुदेशित या ट्रांसफरी इस समझौते के नियमों और शर्तों से बाध्य होगा।

13.2 रियायतग्राही द्वारा समनुदेशन: इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, लेकिन खंड 18.6 के अधीन, रियायतग्राही एएआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस समझौते के तहत अपने अधिकारों या दायित्वों के सभी या किसी भी हिस्से को समनुदेशित या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेगा: बशर्ते, हालांकि, कि रियायतग्राही, ऐसी पूर्व लिखित सहमति के बिना, लेकिन एएआई को पूर्व लिखित नोटिस पर: (i) यहाँ दिए गए अपने सभी या लगभग सभी अधिकारों और दायित्वों को रियायतग्राही के किसी सहयोगी को हस्तांतरित कर सकता है;

(ii) यहाँ दिए गए अपने अधिकारों और दायित्वों के सभी या किसी भी हिस्से को रियायतग्राही में स्वामित्व हितों के खरीदार को हस्तांतरित कर सकता है;

(iii) किसी समझौते के तहत देय राशियों के लिए संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में इस समझौते के तहत रियायतग्राही के अधिकारों को ऋणदाताओं को हस्तांतरित कर सकता है जिसके तहत रियायतग्राही ने धन उधार लिया है; या (iv) रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार भारत सरकार को यहाँ दिए गए अपने सभी या लगभग सभी अधिकारों और दायित्वों को हस्तांतरित कर सकता है।

धारा 14: विवाद समाधान

14.1 वार्ता और सुलह : पक्षकार बातचीत के माध्यम से उनके बीच इस समझौते से उत्पन्न होने वाले, इससे जुड़े या इसके संबंध में किसी भी विवाद, अंतर, दावे, प्रश्न या विवाद ("विवाद") को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए अपने-अपने उचित प्रयास करेंगे।

14.2 मध्यस्थ को संदर्भ: भारत के विमानपतन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अधीन, जिसमें उसमें दिए गए प्रावधानों के अनुसार विवादों का न्यायनिर्णय करने के विमानपतन आर्थिक नियामक प्राधिकरण की शक्ति और अधिकार से संबंधित है, कोई भी विवाद जिसे पक्षकार एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को विवाद के अस्तित्व की लिखित अधिसूचना के 60 (साठ) दिनों के भीतर (या ऐसी लंबी अवधि के भीतर जिसे पक्षकार सहमत हो सकते हैं) खंड 14.1 के अनुसरण में हल करने में असमर्थ हैं, (भारतीय) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और/या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के अनुसार और अनसिटरल नियमों के अनुसार अधिनियम के अनुसार नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित किया जाएगा।

14.3 विविध: मध्यस्थता का स्थल नई दिल्ली होगा। प्रत्येक पक्ष नियमों के अनुसार मध्यस्थता के खर्च का भुगतान करेगा और लागत के लिए अंतिम देयता मध्यस्थ पुरस्कार की शर्तों के अनुसार होगी। कोई भी मध्यस्थ किसी भी पक्ष का वर्तमान या पूर्व कर्मचारी या एजेंट, या परामर्शदाता या वकील नहीं होगा या किसी भी तरह से पक्षकारों से संबंधित या निकटता से जुड़ा नहीं होगा। मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी।

14.4 निर्णय/अदला-बदली/पंचाट : इस अनुच्छेद 14 के अनुसार नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ न्यायाधिकरण का कोई भी निर्णय या पंचाट पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। पक्षकार किसी सक्षम क्षेत्राधिकार की किसी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा ऐसे पंचाट की अपील या किसी भी समीक्षा के किसी भी अधिकार को माफ करते हैं जहाँ तक ऐसा छूट विधिवत रूप से दी जा सकती है। पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि दिया गया कोई भी मध्यस्थता पंचाट प्रासंगिक पक्ष की संपत्ति के खिलाफ पक्षकारों द्वारा लागू किया जा सकता है, चाहे वे संपत्ति कहीं भी स्थित हों या पाई जा सकती हों, और किसी भी मध्यस्थता पंचाट पर निर्णय (जहाँ भी आवश्यक हो) उसके किसी भी सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत द्वारा दर्ज किया जा सकता है। पक्षकार किसी भी मध्यस्थता पंचाट के प्रवर्तन के प्रयोजनों के लिए ऐसी किसी भी अदालत के क्षेत्राधिकार के प्रति स्पष्ट रूप से प्रस्तुत होते हैं।

धारा 15: बीमा

15.1 बीमा का रखरखाव: एएआई अपनी संपत्ति को नुकसान या क्षति, तीसरे पक्ष की देयता, श्रमिक क्षतिपूर्ति नीति और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार आवश्यक या विवेकपूर्ण समझे जाने वाले किसी अन्य बीमा को कवर करने के लिए आवश्यक बीमा को हर समय अपनी खुद की लागत और व्यय पर प्रभावी करेगा और बनाए रखेगा।

15.2 पॉलिसियाँ: खंड 15.1 के तहत प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक बीमा के संबंध में कोई भी बीमा पॉलिसी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के 30 (तीस) दिनों के भीतर, एएआई रियायतग्राही को सूचित करेगा कि ऐसा बीमा प्राप्त कर लिया गया है और रियायतग्राही को ऐसे पॉलिसी प्रमाण पत्र की प्रतियाँ, बीमा पॉलिसियों की प्रतियाँ और इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि ऐसे बीमा के संबंध में बीमा प्रीमियम का भुगतान किया गया है। एएआई द्वारा रियायतग्राही को ऐसे रद्दीकरण, संशोधन या गैर-नवीनीकरण के नोटिस से कम से कम 45 (पैंतालीस) दिनों की समाप्ति तक किसी भी बीमा को रद्द, संशोधित या समाप्त या व्यपगत नहीं होने दिया जाएगा।

15.3 बीमा करने में विफलता के लिए उपाय: यदि एएआई इसके अनुसरण में जिम्मेदार सभी बीमाओं को प्रभावी करने और बल में रखने में विफल रहता है, तो रियायतग्राही के पास ऐसे किसी भी बीमा को बल में रखने, और ऐसे प्रीमियम का भुगतान करने और एएआई से उसकी लागत वसूल करने का विकल्प होगा।

15.4 बीमा आय का आवेदन: इस समझौते के तहत एएआई को भुगतान किए गए सभी बीमा दावों को क्षतिग्रस्त संपत्ति के पुनर्निर्माण के लिए लागू किया जाएगा, सिवाय भौतिक क्षति से असंबंधित बीमा आय के।

धारा 16: नोटिस

16.1 लिखित में संचार: ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रक्रिया और घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया के संबंध में छोड़कर, इस समझौते के तहत दिए जाने वाले या किए जाने वाले सभी नोटिस या अन्य संचार लिखित में होंगे और या तो व्यक्तिगत रूप से वितरित किए जाएंगे या कूरियर या पंजीकृत डाक द्वारा फैक्स या ई-मेल द्वारा भेजे जाने वाली अतिरिक्त प्रति के साथ भेजे जाएंगे।

16.2 पते: इस समझौते के तहत या इसके संबंध में किए जाने वाले या वितरित किए जाने वाले किसी भी संचार या दस्तावेज़ के लिए प्रत्येक पक्ष की सेवा का पता, उसकी फैक्स संख्या और ई-मेल पता (और विभाग या अधिकारी, यदि कोई हो, जिसके ध्यान में संचार किया जाना है) नीचे निर्धारित किया गया है: [रियायतग्राही का नाम]: फैक्स नंबर:, ई-मेल पता:, ध्यानार्थ:

एएआई: राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003, भारत, फैक्स: 011 24641088, ई-मेल पता:, ध्यानार्थ: अध्यक्ष

या कोई भी प्रतिस्थापन पता, फैक्स नंबर या विभाग या अधिकारी जैसा कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को कम से कम 5 (पाँच) व्यावसायिक दिनों के नोटिस द्वारा सूचित कर सकता है।

धारा 17: डीमड डिलीवरी (डीमड सुपुर्दगी)

इस समझौते में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, इस समझौते के तहत या इसके अनुसरण में कोई भी संचार प्राप्तकर्ता द्वारा (यदि फैक्स द्वारा भेजा गया है) उस स्थान पर अगले कार्य दिवस पर प्राप्त हुआ माना जाएगा जहाँ इसे भेजा जाता है या (किसी अन्य मामले में) जब खंड 16.2 के तहत आवश्यक पते पर छोड़ा जाता है या पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाने के बाद ऐसे 10 (दस) कार्य दिनों के भीतर डाक पूर्व-भुगतान और उस पते पर संबोधित किया जाता है। इन उद्देश्यों के लिए, कार्य दिवस शनिवार, रविवार और राजपत्रित अवकाशों के अलावा अन्य दिन हैं। पूर्वगामी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, फैक्स या ई-मेल द्वारा नोटिस या संचार देने या करने वाला पक्ष, उसकी एक प्रति तुरंत व्यक्तिगत रूप से वितरित करेगा, या ऐसे नोटिस या संचार के प्राप्तकर्ता को कूरियर या पंजीकृत डाक द्वारा भेजेगा।

धारा 18: विविध

18.1 पृथक्कृतनीयता : यदि किसी भी कारण से, इस समझौते का कोई प्रावधान अमान्य, अवैध या अपरिवर्तनीय हो जाता है या किसी सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत या किसी अन्य उपकरण द्वारा अमान्य, अवैध या अपरिवर्तनीय घोषित किया जाता है, तो शेष प्रावधानों की वैधता, वैधता या प्रवर्तनीयता किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी,

और पक्षकार ऐसे अमान्य, अपरिवर्तनीय या अवैध प्रावधानों के विकल्प के रूप में एक या अधिक प्रावधानों पर सहमत होने की दृष्टि से सद्भावना से बातचीत करेंगे, जो ऐसे अमान्य, अवैध या अपरिवर्तनीय प्रावधान के लगभग व्यावहारिक हैं। ऐसे किसी भी प्रावधान पर सहमत होने में विफलता अनुच्छेद 14 या अन्यथा के तहत विवाद समाधान के अधीन नहीं होगी।

18.2 संपूर्ण समझौता: यह समझौता, इसके किसी भी शेड्यूल या एक्जिबिट सहित, इस समझौते के विषय वस्तु के संबंध में एएआई और रियायतग्राही के बीच संपूर्ण समझौता है और ऐसे विषय वस्तु के संबंध में अन्य सभी समझौतों, चाहे लिखित या मौखिक, का स्थान लेता है।

18.3 शर्तों का परिवर्तन: इस समझौते में सभी जोड़, संशोधन, संशोधन और विविधताएं तभी प्रभावी और बाध्यकारी होंगी जब लिखित में हों और पक्षों के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित हों।

18.4 छूट : किसी भी पक्ष द्वारा इस समझौते के किसी भी प्रावधान या दायित्वों के पालन और निष्पादन में दूसरे पक्ष द्वारा की गई चूक की छूट:

((i) इस समझौते के किसी अन्य या बाद के डिफॉल्ट या अन्य प्रावधानों या दायित्वों की छूट के रूप में संचालित या समझी नहीं जाएगी;

(ii) तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक यह लिखित में न हो और पक्ष के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित न हो; और

(iii) किसी भी तरह से इस समझौते की वैधता या प्रवर्तनीयता को प्रभावित नहीं करेगी।

18.4.2 न तो किसी अवसर पर इस समझौते के नियमों, शर्तों और प्रावधानों या उसके किसी भी दायित्व के निष्पादन पर जोर देने में किसी पक्ष की विफलता, और न ही किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी गई समय या अन्य छूट को ऐसे उल्लंघन की छूट या किसी भी भिन्नता की स्वीकृति या यहाँ दिए गए किसी भी अधिकार का त्याग माना जाएगा या समझा जाएगा।

18.5 अतिरिक्त दस्तावेज़ और कार्रवाई: प्रत्येक पक्ष इस समझौते द्वारा परिलक्षित लेनदेन को पूरा करने और इस समझौते के आशय को प्रभावी करने के लिए उचित रूप से आवश्यक अतिरिक्त दस्तावेज़ों को निष्पादित करने और वितरित करने, और ऐसी अतिरिक्त कार्रवाई करने और ऐसा सहयोग प्रदान करने के लिए सहमत है।

18.6 देर से भुगतान के लिए ब्याज: इस समझौते के अनुसरण में किसी पक्ष को उचित रूप से देय कोई भी राशि और भुगतान देय होने की तारीख के बाद अवैतनिक रहने पर ब्याज (निर्णय से पहले और बाद दोनों) वहन करेगा, ऐसा ब्याज भारतीय रिज़र्व बैंक प्राइम लेंडिंग फ़ी से ऊपर 2 (दो) प्रतिशत अंकों की दर से पूर्ण भुगतान होने तक देय होने की तारीख से दिन-प्रतिदिन प्रोद्भूत होगा।

18.7 कोई साझेदारी नहीं: न तो यह समझौता, और न ही कोई अन्य समझौता या व्यवस्था जिसका यह हिस्सा

बनता है, और न ही ऐसे किसी समझौते या व्यवस्था के तहत अपने संबंधित दायित्वों का पक्षकारों द्वारा निष्पादन, पक्षकारों के बीच साझेदारी का गठन करेगा। किसी भी पक्ष के पास किसी अन्य पक्ष को अपने एजेंट या अन्यथा के रूप में बाध्य करने का कोई अधिकार नहीं होगा (जब तक कि इस समझौते या अन्यथा के माध्यम से लिखित रूप में स्पष्ट रूप से कनफर न किया गया हो और रद्द न किया गया हो)। 18.8 कोई तृतीय पक्ष लाभार्थी नहीं: यह समझौता यहाँ के पक्षकारों के एकमात्र और अनन्य लाभ के लिए है और, यहाँ ऋणदाताओं को स्पष्ट रूप से दिए गए अधिकारों को छोड़कर, किसी तीसरे पक्ष के पक्ष में संविदात्मक संबंध या कार्रवाई का कारण नहीं बनाएगा।

18.9 उत्तरजीविता :

18.9.1 इस समझौते की समाप्ति:

(i) पक्षकारों को यहाँ के किसी भी ऐसे दायित्व से मुक्त नहीं करेगी जो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से इसकी समाप्ति से बचते हैं; और

(ii) इस समझौते के किसी भी प्रावधान में अन्यथा प्रदान किए जाने को छोड़कर जो दोनों पक्षों की देयता को स्पष्ट रूप से सीमित करता है, दोनों पक्षों को ऐसी समाप्ति की प्रभावशीलता से पहले ऐसे पक्ष के कृत्यों या चूकों से उत्पन्न होने वाले या ऐसी समाप्ति से उत्पन्न होने वाले दूसरे पक्ष को नुकसान या क्षति के लिए किसी भी दायित्व या देयता से मुक्त नहीं करेगा।

18.9.2 इस समझौते को रद्द करने, समाप्त होने या समाप्त होने के बाद जीवित रहने वाले सभी दायित्व इस समझौते की ऐसी समाप्ति या समाप्ति की तारीख के बाद केवल 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेंगे।

18.10 उत्तराधिकारी और समनुदेशिती: यह समझौता पक्षकारों और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों और अनुमत समनुदेशितियों पर बाध्यकारी होगा और उनके लाभ के लिए होगा।

18.11 समकक्ष : यह समझौता एक या अधिक समकक्षों में निष्पादित किया जा सकता है जिनमें से प्रत्येक को मूल माना जाएगा और जिनमें से सभी को एक ही समझौता माना जाएगा।

18.12 समय सारगर्भित है : उल्लिखित तिथियों, अवधियों या दिन के समय के संबंध में और इस समझौते के अनुसार उनके स्थान पर प्रतिस्थापित की जा सकने वाली किसी भी तिथि, अवधि या दिन के समय के संबंध में इस समझौते में समय सारगर्भित होगा।

18.13 समय की गणना: इस समझौते में संदर्भित समय भारतीय मानक समय में समय हैं। इस समझौते के तहत निर्धारित या अनुमति दी गई किसी भी समय अवधि की गणना करने में, अधिनियम, घटना या डिफॉल्ट का दिन जिससे नामित समय अवधि चलना शुरू होती है, शामिल किया जाएगा। यदि गणना की गई अवधि का अंतिम दिन व्यावसायिक दिन नहीं है, तो अवधि अगले व्यावसायिक दिन के अंत तक चलेगी।

धारा 19: शासकीय कानून

इस समझौते का निर्माण और व्याख्या भारत के कानूनों के अनुसार की जाएगी और उनके द्वारा शासित होगी, और नई दिल्ली की अदालतों का इस समझौते से उत्पन्न होने वाले या इससे संबंधित सभी मामलों पर क्षेत्राधिकार होगा।

धारा 20: एएआई द्वारा वचनबद्धता

एएआई बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से:

- (i) सहमत है कि, यदि इस समझौते या इस समझौते द्वारा परिलक्षित किसी भी लेनदेन के संबंध में किसी भी क्षेत्राधिकार में इसके या इसकी संपत्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही लाई जाती है, तो स्वयं की ओर से या इसकी संपत्ति के संबंध में ऐसी कार्यवाही से कोई उन्मुक्ति का दावा नहीं किया जाएगा;
- (ii) किसी भी संपत्ति के उपयोग या इच्छित उपयोग के बावजूद किसी भी संपत्ति के खिलाफ या उसके संबंध में ऐसे किसी भी निर्णय या पंचाट से उत्पन्न होने वाले किसी भी आदेश के निर्माण, प्रवर्तन या निष्पादन सहित ऐसी कार्यवाही के संबंध में किसी भी राहत देने या किसी प्रक्रिया को जारी करने के लिए किसी भी क्षेत्राधिकार में ऐसे किसी भी निर्णय या पंचाट के प्रवर्तन के संबंध में आम तौर पर सहमति देता है।

साक्ष्यांकन और हस्ताक्षर खंड

जिसकी पुष्टि में पक्षकारों ने ऊपर पहली बार लिखित तारीख को इस समझौते को निष्पादित और वितरित किया है।

एएआई की ओर से हस्ताक्षरित:

रियायतग्राही की ओर से हस्ताक्षरित:

साक्षीगण:

(1)

(2)

अनुसूची 1: एएआई उपकरण और रियायतग्राही उपकरण

भाग 1: रियायतग्राही उपकरण

1. रनवे, 2. रनवे प्रकाश व्यवस्था और मार्किंग, 3. टैक्सीवे, 4. टैक्सीवे प्रकाश व्यवस्था और मार्किंग, 5. साइनेज, 6. एप्रन, एप्रन प्रकाश व्यवस्था और मार्किंग, 7. सुविधा, 8. एएआई उपकरणों से संबंधित सिविल कार्य (केवल नींव), 9. पापी और अप्रोच लाइटिंग, 10. एयरोड्रोम बीकन (टावर पर), 11. लैंडिंग दिन और रात की मार्किंग, 12. हवा की दिशा संकेतक (प्रकाशित), 13. आइसोलेशन बे, 14. द्वितीयक बिजली की आपूर्ति, 15. एटीसी और एयरपोर्ट फायर ब्रिगेड के बीच हॉट लाइनें, 16. क्रैश बेल, केबलिंग और सायरन, 17. एयरफील्ड लाइटिंग के लिए कंट्रोल पैनल और मॉनिटरिंग सिस्टम, 18. विजुअल एड्स अपग्रेड (भविष्य में), 19. साइट एयरपोर्ट नेविगेशन एड्स/रडार तक पहुंच सड़कों के अलावा परिचालन क्षेत्र तक पहुंच सड़कें, 20. नेविगेशन एड्स/रडार प्रतिष्ठानों के लिए भवन, 21. प्रासंगिक इकाओं दस्तावेजों और अनुबंधों के अनुसार सिग्नल क्षेत्र, 22. अंतिम सीएनएस-एटीएम विकास योजना के अनुसार आवश्यकतानुसार निर्मित नया वायु यातायात सेवाएं कॉम्प्लेक्स (जिसमें कंट्रोल टावर, तकनीकी ब्लॉक, साइट पर और/या ऑफ साइट नेविगेशन एड्स/रडार के लिए भवन शामिल होंगे)।

भाग 2: एएआई उपकरण

एएआई प्रस्तावित विमान संचालन के लिए प्रासंगिक इकाओं दस्तावेजों और अनुबंधों के अनुसार सीएनएस-एटीएम सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक उपकरण खरीद और उपलब्ध कराएगा। ऐसे उपकरणों में शामिल होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

1. सहायक उपकरणों के साथ वी एच एफ संचार सेट, 2. डी वी ओ आर / डी एम ई या एन डी बी, 3. वॉयस रिकॉर्डर, 4. आई एल एस उपकरण और इसके सहायक उपकरण, 5. रडार और इसके सहायक उपकरण, 6. ए डी एस - बी और इसके सहायक उपकरण, 7. ए एस एम जी सी एस और इसके सहायक उपकरण।

अनुसूची 2: सीएनएस/एटीएम सेवाएं

एएआई ऐसे हवाई क्षेत्र की पार्श्व और ऊर्ध्वाधर सीमाओं के भीतर एयरस्पेस कॉन्फिगरेशन के अनुसार हवाई अड्डे पर निम्नलिखित सेवाएं प्रदान और समन्वयित करेगा:

1. एयरोड्रोम नियंत्रण सेवा जिसमें एप्रन नियंत्रण सेवा को छोड़कर सतह आंदोलन नियंत्रण या ग्राउंड कंट्रोल शामिल है;

2. अप्रोच कंट्रोल/अप्रोच रडार कंट्रोल सर्विस (यदि योजना बनाई गई हो);

3. एरिया कंट्रोल/एरिया रडार कंट्रोल सर्विस (यदि योजना बनाई गई हो);

4. संबंधित सेवाएं जैसे एयरोनॉटिकल मोबाइल सर्विस, एयरोनॉटिकल फिक्स्ड सर्विसेज, एयरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्विस, फ्लाइट इंफॉर्मेशन सर्विस, एडवाइजरी सर्विस, अलर्टिंग सर्विस और सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सर्विसेज उचित रूप से;

प्रासंगिक इकाओं दस्तावेजों और अनुबंधों के अनुसार और प्रस्तावित विमान संचालन के लिए आवश्यक।

अनुसूची 3: कार्यालय और सुविधाएं

रियायतग्राही एएआई सेवाओं के प्रावधान के लिए एएआई और उसके कर्मियों और एजेंटों को निम्नलिखित कार्यालय स्थान और सुविधाएं उपलब्ध कराएगा (वातानुकूलन (आवश्यकतानुसार कंट्रोल टावर में अलग वातानुकूलन सहित), बिजली और पानी की निरंतर आपूर्ति और हाउस-कीपिंग के प्रावधान के साथ):

1. कंट्रोल टावर: रियायतग्राही 2258 वर्ग मीटर (यथा लागू) का क्षेत्रफल, आवश्यकतानुसार विभिन्न एटीएस इकाइयों को रखने के लिए तकनीकी ब्लॉक, नेव-एड्स और रडार बिल्डिंग उपलब्ध कराएगा।
 2. कार्यालय: उपरोक्त कंट्रोल टावर क्षेत्र में शामिल हैं।
 3. कार पार्किंग: रियायतग्राही अपने कर्मियों और एजेंटों के उपयोग के लिए एएआई को हवाई अड्डे पर 10 कार पार्किंग स्थान उपलब्ध कराएगा।
- यह स्पष्ट किया जाता है कि वातानुकूलन, बिजली और पानी की निरंतर आपूर्ति और हाउस-कीपिंग का प्रावधान रियायतग्राही की अपनी लागत और व्यय पर प्रदान किया जाएगा।

अनुसूची 4: नक्काशीदार/अलग किए गए क्षेत्र

क्र.सं. | संपत्ति | वर्ग मीटर में भूमि का क्षेत्रफल (लगभग)

1. | एटीसी टॉवर | 2258 वर्ग मीटर (0.56 एकड़)
| सीएनएस/एटीएम/स्टाफ क्वार्टर के लिए कोई भविष्य की भूमि आवश्यकता
2. | रिमोट लोकेशन पर ए एस आर / एम एस एस आर बिल्डिंग के लिए भूमि | 5625 वर्ग मीटर (1.39 एकड़)
| आवासीय कॉलोनी का घनत्व | 46834.2 वर्ग मीटर (11.57 एकड़)
| कुल | 52459.2 वर्ग मीटर (12.96 एकड़)
3. | कुल 54,717.2 वर्ग मीटर (13.52 एकड़)

अनुसूची 5: मौजूदा उपकरणों की सूची

1. लोकेलाइज़र
2. डी वी ओ आर
3. ग्लाइड पथ
4. ए एस आर
5. एम एस एस आर

अनुसूची 6: हवाई अड्डे पर सीएनएस-एटीएम उपकरणों का भविष्य का रोड मैप

1. प्रस्तावित SMR
2. सीएनएस/एटीएम/स्टाफ क्वार्टर के लिए कोई भविष्य की भूमि आवश्यकता:
 - a. रिमोट लोकेशन पर ए एस आर / एम एस एस आर बिल्डिंग के लिए भूमि: 5625 वर्ग मीटर
 - b. आवासीय कॉलोनी का घनत्व: 46834.2 वर्ग मीटर

अनुसूची R: समझौता जापन

(देखें खंड 4.1.2(घ) (ii) और खंड 4.1.3(i))

[उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाना है]

यह समझौता जापन ("एमओयू") [] के दिन [] को इसके द्वारा और के बीच बनाया गया है:

1. भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के सचिव के माध्यम से कार्य करते हुए या भारत सरकार द्वारा इस संबंध में नामित कोई व्यक्ति (जिसे इसके बाद "GOI" कहा गया है जिसमें उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल माने जाएंगे); और
2. [], कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत नि, कॉर्पोरेट पहचान संख्या और इसका पंजीकृत कार्यालय पर (जिसे इसके बाद "रियायतग्राही" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, संदर्भ या उसके अर्थ के प्रति प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी, अनुमत समनुदेशिती और विकल्प शामिल होंगे)।

जैसा कि संदर्भ की आवश्यकता हो सकती है, भारत सरकार और रियायतग्राही को इसके बाद सामूहिक रूप से "पक्षकार" और व्यक्तिगत रूप से "पक्षकार" कहा गया है।

प्रस्तावना :

ए . भारतीय विमानपतन प्राधिकरण ("प्राधिकरण") ने रियायत समझौते में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार, [राज्य का नाम डालें] राज्य में [शहर का नाम डालें जहाँ हवाई अड्डा स्थित है] में हवाई अड्डे के लिए रियायतग्राही ("रियायत समझौता") के साथ दिनांक [] का रियायत समझौता किया है।

बी . भारत सरकार स्वीकार करता है कि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए लागू कानूनों के अनुसार और जैसा कि नीचे निर्धारित किया गया है, रियायतग्राही को भारत सरकार द्वारा निरंतर समर्थन और कुछ अधिकारों का अनुदान आवश्यक है, और परियोजना के लिए संसाधनों के मोबिलाइजेशन के लिए एक आवश्यक पूर्व-आवश्यकता है।

सी. परियोजना के सुचारू कामकाज और व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार यहां बताए अनुसार रियायतग्राही को कुछ सहायता प्रदान करने के लिए सहमत है।

अतः एतद्वारा निम्नानुसार सहमति व्यक्त की जाती है:

1. परिभाषाएं और व्याख्या

1.1 परिभाषाएं: इस एमओयू में, जब तक संदर्भ की अन्यथा आवश्यकता न हो, और जब तक नीचे अन्यथा परिभाषित न हो या अन्यथा इस एमओयू में विशेष रूप से कहीं और न हो, यहाँ प्रयुक्त अन्य पूंजीकृत शब्द (और यहाँ परिभाषित नहीं किए गए हैं) लेकिन रियायत समझौते के तहत परिभाषित किए गए हैं, उनका वही अर्थ होगा जो रियायत समझौते के तहत उस शब्द को दिया गया है:

"पशु संगरोध सेवाएं" का अर्थ अनुलग्नक 1 में निर्धारित संगरोध सेवाएं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) होगा;

"पशु संगरोध सेवा प्रतिनिधि" का अर्थ पशु संगरोध सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से है, जिसे समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति पर भारत सरकार द्वारा नामित किया गया है;

"लागू परमिट का अर्थ भारत सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग/एजेंसी से प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी क्लियरेंस, लाइसेंस, परमिट, प्राधिकरण, अनापति प्रमाण पत्र, सहमति, अनुमोदन और छूट से है और/या इस एमओयू की अवधि के दौरान परियोजना के संबंध में लागू कानूनों के तहत बनाए रखा गया है;

"मध्यस्थ न्यायाधिकरण" का अर्थ नीचे खंड 6.3.3 में उस शब्द को दिए गए अर्थ से है;

"प्राधिकरण" का अर्थ प्रस्तावना ए में उस शब्द को दिए गए अर्थ से है;

"प्राधिकरण प्रतिनिधि" का अर्थ प्राधिकरण के अधिकृत प्रतिनिधि से है;

"रियायत समझौता" का अर्थ ऊपर प्रस्तावना ए में इसे दिए गए अर्थ से है;

"रियायतग्राही" का अर्थ पक्षकारों की श्रेणी में उस शब्द को दिए गए अर्थ से है या प्राधिकरण द्वारा परियोजना के लिए रियायतग्राही के रूप में स्वीकृत कोई अन्य पक्ष;

"रियायतग्राही प्रतिनिधि" का अर्थ संयुक्त समन्वय समिति पर समय-समय पर रियायतग्राही द्वारा नामित कम से कम निदेशक के रैंक वाले प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) से है;

"सीमा शुल्क नियंत्रण" का अर्थ संलग्न अनुलग्नक - 3 में निर्धारित सीमा शुल्क संबंधी सेवाओं से है;

"सीमा शुल्क नियंत्रण प्रतिनिधि" का अर्थ सीमा शुल्क नियंत्रण सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से है, जिसे समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति पर भारत सरकार द्वारा नामित किया

गया है;

"डीजीसीए" का अर्थ नागर विमानन महानिदेशालय या उसके किसी विकल्प से है;

"प्रभावी तिथि " का अर्थ यहाँ अंतिम पक्ष द्वारा इस एम ओ यू पर हस्ताक्षर करने की तारीख से है और ऐसी तारीख रियायत समझौते में प्रदान किए गए सी ओ डी से बाद की नहीं होगी;

" भारत सरकार " का अर्थ पक्षकारों की सरणी में उस शब्द को दिए गए अर्थ से है;

" भारत सरकार समर्थन" का अर्थ इस एमओयू के खंड 2 में उस शब्द को दिए गए अर्थ से है;

"स्वास्थ्य सेवाएं" का अर्थ अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से है जैसा कि संलग्न अनुलग्नक - 4 में निर्धारित है;

"स्वास्थ्य सेवा प्रतिनिधि" का अर्थ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से है, जिसे समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति पर भारत सरकार द्वारा नामित किया गया है;

"आप्रवासन सेवाएं" का अर्थ आप्रवासन सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से है, संलग्न अनुलग्नक - 5 में निर्धारित लागू कानून के अनुसार;

"आप्रवासन सेवा प्रतिनिधि" का अर्थ आप्रवासन सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से है, जिसे समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति पर भारत सरकार द्वारा नामित किया गया है;

"संयुक्त समन्वय समिति" का अर्थ नीचे खंड 3.1.1 में उस शब्द को दिए गए अर्थ से है;

"मौसम संबंधी सेवाएं " का अर्थ मौसम संबंधी सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से है, जैसा कि संलग्न अनुलग्नक - 6 में निर्धारित है;

"मौसम सेवा प्रतिनिधि" का अर्थ मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से है, जिसे समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति पर भारत सरकार द्वारा नामित किया गया है;

"नगर विमानन मंत्रालय" का अर्थ नीचे खंड 2.6 में उस शब्द को दिए गए अर्थ से है;

"एमओयू" या "यह एमओयू" का अर्थ इस समझौता ज्ञापन से है;

"पादप संगरोध सेवाएं " का अर्थ संगरोध सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से है, जैसा कि संलग्न अनुलग्नक 7 में निर्धारित है;

"पादप संगरोध सेवा प्रतिनिधि" का अर्थ पादप संगरोध सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से है, जिसे समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति पर भारत सरकार द्वारा नामित किया गया है;

"परियोजना" का अर्थ रियायत समझौते में उस शब्द को दिए गए अर्थ से है;

"आरक्षित सेवाएं" का अर्थ खंड 2.3 में उस शब्द को दिए गए अर्थ से है;

"सुरक्षा सेवाएं " का अर्थ सुरक्षा सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से है, जैसा कि संलग्न अनुलग्नक 8 में निर्धारित है;

"सुरक्षा सेवा प्रतिनिधि" का अर्थ सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से है, जिसे समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति पर भारत सरकार द्वारा नामित किया गया है;

"शेयर्ड-टिल अनुमोदन" का अर्थ नीचे खंड 2.2.1 में उस शब्द को दिए गए अर्थ से है; और

"अवधि " का अर्थ खंड 4 में उस शब्द को दिए गए अर्थ से है।

1.2 व्याख्या के नियम:

1.2.1 बड़े अक्षरों से शुरू होने वाले और इस एमओयू में परिभाषित शब्द और अभिव्यक्तियाँ यहाँ उन्हें दिए गए अर्थ को धारण करती हैं, और इस एमओयू में प्रयुक्त और यहाँ परिभाषित नहीं किए गए शब्द और अभिव्यक्तियाँ

लेकिन रियायत समझौते में परिभाषित किए गए हैं, जब तक कि संदर्भ के विपरीत न हो, रियायत समझौते में उन्हें दिए गए अर्थ को धारण करेंगे।

1.2.2 खंडों के संदर्भ, जब तक अन्यथा न कहा जाए, इस एमओयू के खंडों के संदर्भ हैं।

1.2.3 रियायत समझौते के खंड 1.2, 1.3 और 1.4 में बताए गए व्याख्या के नियम, म्यूटेटिस-म्यूटेडिस-आवश्यक परिवर्तनों के साथ), इस एमओयू पर लागू होंगे।

2. जीओआई समर्थन

प्रभावी तिथि से प्रभावी, भारत सरकार एतद्वारा परियोजना के संबंध में निम्नलिखित समर्थन प्रदान करने का उपक्रम करता है :

2.1 लागू परमिट

2.1.1 भारत सरकार, रियायतग्राही से लिखित अनुरोध पर और रियायतग्राही द्वारा लागू कानूनों का अनुपालन करने के अधीन, रियायतग्राही को प्रासंगिक वैधानिक अवधि (यदि कोई हो) के भीतर परियोजना के लिए या उसके संबंध में आवश्यक ऐसे लागू परमिट प्रदान करने का प्रयास करेगा। पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि जहाँ कोई वैधानिक अवधि निर्धारित नहीं है, भारत सरकार रियायतग्राही से ऐसे लिखित अनुरोध की प्राप्त तिथि से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर परियोजना के संबंध में आवश्यक ऐसे लागू परमिट प्रदान करने के लिए सभी उचित प्रयास करेगा, बशर्ते कि रियायतग्राही लागू परमिट प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्दिष्ट सभी मानदंडों को पूरा करता हो।

2.1.2 रियायतग्राही एतद्वारा उपक्रम करता है कि लागू परमिटों के अनुदान में तेजी लाने के लिए, यह एक मेहनती और समय पर तरीके से:

- (क) संबंधित अधिकारियों के साथ लागू कानून के पूर्ण अनुपालन में आवेदन तैयार करेगा और दायर करेगा;
- (ख) संबंधित अधिकारियों के साथ उपर्युक्त आवेदनों का अनुपालन करेगा; और
- (ग) आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए सभी अनुरोधों का समय पर जवाब देगा।

2.2 शुल्क के निर्धारण और संशोधन के सिद्धांत

2.2.1 भारत सरकार ने, 15 जून, 2016 की राष्ट्रीय नागर विमानन नीति के माध्यम से भारत के सभी हवाई अड्डों के लिए वैमानिकी शुल्क के निर्धारण और विनियमन के लिए 30% (तीस प्रतिशत) शेयर्ड-टिल फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है ("शेयर्ड-टिल अनुमोदन"), और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसरण में शुल्क / वैमानिकी शुल्क के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए एईआरए द्वारा तदनुसार विचार किया जाएगा।

2.2.2 वैमानिकी शुल्क को शेयर्ड-टिल अनुमोदन, रियायत समझौते की शर्तों और लागू कानूनों के अनुसार विनियमित और निर्धारित/पुनः निर्धारित किया जाएगा।

2.2.3 हवाई अड्डे के भीतर सीमा शुल्क, आप्रवासन, पादप संगरोध सेवाएं, पशु संगरोध सेवाएं, मौसम संबंधी सेवा, स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा सेवाएं जैसी संप्रभु सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी भी सरकारी उपकरण को रियायतग्राही द्वारा किया गया कोई भी भुगतान वैमानिकी शुल्क के निर्धारण के प्रयोजन के लिए पास थ्रू के रूप में माना जाएगा।

2.2.5 कहीं और निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, रियायतग्राही एईआरए द्वारा अनुमोदित टैरिफ की दरों पर, रियायत समझौते के खंड 15.1.1 के अनुसार सीओडी से प्रभावी हवाई अड्डे के उपयोगकर्ताओं से वैमानिकी शुल्क लेने, एकत्र करने और विनियोजित करने का हकदार होगा।

2.3 आरक्षित सेवाएं

2.3.1 भारत सरकार संपूर्ण अवधि के दौरान, हवाई अड्डे पर निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेगा, या प्रदान करवाना सुनिश्चित करेगा ("आरक्षित सेवाएं"): (क) सीमा शुल्क नियंत्रण; (ख) आप्रवासन सेवाएं; (ग) पादप संगरोध सेवाएं; (घ) पशु संगरोध सेवाएं; (ड.) स्वास्थ्य सेवाएं; (च) मौसम संबंधी सेवाएं; और (छ) सुरक्षा सेवाएं।

2.3.2 रियायतग्राही हर समय नामित भारत सरकार एजेंसियों को (क) हवाई अड्डे पर ऐसी पहुंच और सुविधाएं, और (ख) अंतरिक्ष आवश्यकताओं, जैसा कि उनमें से किसी या सभी द्वारा हवाई अड्डे पर आरक्षित सेवाएं करने के लिए आवश्यक हो सकता है, प्रदान करना सुनिश्चित करेगा।

2.3.3 रियायतग्राही उस नामित भारत सरकार एजेंसी की सहमति के बिना हवाई अड्डे पर किसी भी नामित भारत सरकार एजेंसी को प्रदान किए गए स्थान और सुविधाओं को कम करने का हकदार नहीं होगा।

2.3.4 हवाई अड्डे पर किसी भी विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास की स्थिति में जिसमें आरक्षित सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए किसी नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी स्थान या सुविधाओं का आंदोलन या पुनर्विन्यास शामिल है, रियायतग्राही विधिवत रूप से नामित भारत सरकार एजेंसी को सूचित करेगा और रियायतग्राही और वह नामित भारत सरकार एजेंसी चर्चा करेंगे और उस नामित भारत सरकार एजेंसी की अंतरिक्ष आवश्यकताओं में किसी भी बदलाव पर सहमत होंगे जो हवाई अड्डे पर ऐसे विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास के परिणामस्वरूप आवश्यक हो सकता है।

2.3.5 भारत सरकार एतद्वारा रियायतग्राही और आरक्षित सेवाएं प्रदान करने वाली प्रत्येक नामित भारत सरकार एजेंसी के बीच समझौता जापान के निष्पादन को प्राप्त करने का उपक्रम करता है, जिसमें उन नियमों और शर्तों को निर्धारित किया जाता है जिन पर संबंधित नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा आरक्षित सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

2.4 भारत सरकार एजेंसियों के साथ समझौता जापान

GOI एतद्वारा रियायतग्राही और यहाँ आरक्षित सेवाएं प्रदान करने वाली प्रत्येक भारत सरकार एजेंसी/विभाग के बीच समझौता जापान के निष्पादन को प्राप्त करने का उपक्रम करता है, जिसमें उन नियमों और शर्तों को निर्धारित किया जाता है जिन पर संबंधित भारत सरकार एजेंसियों/विभागों द्वारा आरक्षित सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

2.5 द्विपक्षीय वायु सेवाएं समझौता

भारत सरकार के संप्रभु अधिकारों को प्रभावित किए बिना या किसी भी तरह से प्रतिबंधित किए बिना, भारत सरकार हवाई अड्डे पर अनुसूचित एयरलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए उड़ान अधिकारों और सीट एंटाइटेलमेंट के लिए अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों के अनुरोधों को स्वीकार करेगा और समीक्षा करेगा। भारत सरकार /नामित भारत सरकार प्राधिकरण हवाई अड्डे पर सेवाएं प्रदान करने के लिए एयरलाइनों के अनुरोधों के आधार पर ऐसे देशों के साथ सभी मौजूदा वायु सेवा समझौतों में प्रवेश करने, संशोधित करने या नवीनीकृत करने का प्रयास करेगा। भारत सरकार हवाई अड्डे के संबंध में द्विपक्षीय वायु सेवा समझौतों में कोई बहिष्करण नहीं करेगा। अंतरराष्ट्रीय वाहकों को हवाई अड्डे पर संचालन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, हवाई अड्डे पर उनकी अतिरिक्त आवृत्ति को द्विपक्षीय वायु सेवा समझौतों में नहीं गिना जाएगा। भारत सरकार हवाई अड्डे को प्रभावित करने वाले किसी भी मौजूदा वायु सेवा समझौते को रद्द या समाप्त नहीं करने का प्रयास करेगा। भारत सरकार किसी

अन्य राज्य या उसके नामित वाहक (वाहकों) की विफलता के कारण ऐसे वायु सेवा समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन करने में विफल रहने, या दूसरे पक्ष के उल्लंघन या डिफॉल्ट के परिणामस्वरूप किसी भी वायु सेवा समझौते को रद्द करने या समाप्त करने का हकदार होगा।

2.6 सीमा शुल्क, आप्रवासन और संगरोध

भारत सरकार अपनी खुद की लागत पर, हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क, आप्रवासन और संगरोध प्रक्रियाओं को स्थापित या बनाए रखेगा (यथा लागू), इस तरह से कि रियायतग्राही के प्रमुख प्रदर्शन संकेतक ऐसी किसी भी या सभी सेवाओं के संबंध में भारत सरकार के लिए प्रत्यक्ष कारण से प्रभावित न हों। पक्षकारों का इरादा सीमा शुल्क और आप्रवासन प्रक्रियाओं और संगरोध सेवाओं के संबंध में उचित सेवा स्तर के मानकों पर सहमत होने के लिए उचित प्रयासों का उपयोग करना है जिन्हें इस एमओयू के अनुसार भारत सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना है और नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार तदनुसार सहायता करने के लिए अपने प्रयासों का उपयोग करेगा जब भी रियायतग्राही द्वारा इस संबंध में ऐसा अनुरोध किया जाए।

2.7 सुरक्षा

2.7.1 भारत सरकार पुष्टि करता है कि जब तक इस एमओयू के तहत अन्यथा सहमत न हो, यह नामित भारत सरकार एजेंसी के माध्यम से, लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे पर सभी विमानन सुरक्षा प्रदान करेगा। बशर्ते कि, भारत सरकार और रियायतग्राही, पारस्परिक चर्चा के बाद और यदि लागू कानूनों के अनुसार अनुमति दी जाती है और यदि इसे उचित माना जाता है, तो हवाई अड्डे पर संयुक्त रूप से विमानन सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। पक्षकार पहचानते हैं कि प्रस्थान करने वाले प्रति यात्री सुरक्षा के लिए लगाया जाने वाला शुल्क समान आकार और संवेदनशीलता वर्गीकरण वाले भारत के सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ऐसे शुल्क के अनुरूप हो और ऐसा शुल्क सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए समान रूप से संशोधित किया जा सकता है।

2.7.2 इस एमओयू के अन्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही बीसीएस और हवाई अड्डे की सुरक्षा के संबंध में किसी अन्य नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा स्थापित ऐसे नियमों और विनियमों का अनुपालन करेगा। बशर्ते कि रियायतग्राही ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं होगा यदि ऐसे नियम और विनियम आम तौर पर और लगातार समान या समान संवेदनशीलता वर्गीकरण वाले हवाई अड्डों पर लागू नहीं किए जाते हैं।

2.7.3 रियायतग्राही हवाई अड्डे पर सुरक्षा के प्रावधान के लिए समय-समय पर बीसीएस और किसी अन्य नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा आवश्यक सभी ऐसे सुरक्षा उपकरणों को प्रदान करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा, बशर्ते कि भारत में समान आकार और संवेदनशीलता वर्गीकरण वाले सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर समान दायित्व लगाए गए हों।

2.7.4 हवाई अड्डे की इमारत, यात्रियों, हवाई अड्डे पर काम करने वाले व्यक्तियों और हवाई अड्डे पर अन्य आगंतुकों और विमान, माल और हवाई अड्डे पर अन्य संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं, बी सी एस और किसी अन्य नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा निर्धारित के रूप में होंगी। रियायतग्राही समय-समय पर बीसीएस और किसी अन्य नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा जारी सभी ऐसी प्रक्रियाओं और निर्देशों

का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा, बशर्ते कि ऐसी प्रक्रियाएं और निर्देश लगातार समान या समान संवेदनशीलता वर्गीकरण वाले हवाई अड्डों पर लागू किए जाते हों।

2.7.5 रियायतग्राही हर समय नामित सुरक्षा एजेंसियों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग करेगा।

2.8 मौसम संबंधी सेवा

2.8.1 बी सी ए एस पुष्टि करता है कि यह भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के माध्यम से या किसी अन्य नामित भारत सरकार एजेंसी के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय वायु नेविगेशन के लिए मौसम संबंधी सेवा पर शिकागो कन्वेंशन के अनुसार समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित प्रथाओं के अनुसार हवाई अड्डे पर मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करेगा।

2.8.2 भारतीय मौसम विज्ञान विभाग या किसी अन्य नामित भारत सरकार एजेंसी के माध्यम से प्रदान किए गए कार्य और इस खंड 2.8 के तहत रियायतग्राही द्वारा प्रदान की गई पहुंच और स्थान अच्छे उद्योग प्रथाओं के अनुसार प्रदान किए जाएंगे।

2.9 गैर-भेदभाव

समय-समय पर लागू होने वाले लागू कानूनों और अंतरराष्ट्रीय संधि दायित्वों के अधीन, भारत सरकार हवाई अड्डे का उपयोग करने की अनुमति प्राप्त वायु यातायात के वर्गों या विवरणों के संबंध में गैर-भेदभाव की नीति का पालन करेगा और उचित नियमों के अधीन, हवाई अड्डे पर विमान की आवाजाही पर कोई अनुचित सीमाएं लगाने या अन्यथा हवाई अड्डे पर क्षमता को प्रतिबंधित नहीं करने का प्रयास करेगा।

3. संयुक्त समन्वय समिति

3.1 संयुक्त समन्वय समिति का गठन:

3.1.1 आरक्षित सेवाओं के सुचारू और कुशल प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए, पक्षकार एतद्वारा निम्नलिखित से मिलकर एक संयुक्त समन्वय समिति ("संयुक्त समन्वय समिति") स्थापित करने का उपक्रम करते हैं और सहमत होते हैं:

- (a) प्राधिकरण प्रतिनिधि;
- (ख) नागर विमानन मंत्रालय प्रतिनिधि;
- (ग) सीमा शुल्क नियंत्रण प्रतिनिधि;
- (घ) आप्रवासन सेवा प्रतिनिधि;
- (e) मौसम सेवा प्रतिनिधि;
- (f) सुरक्षा सेवा प्रतिनिधि;
- (g) पादप संगरोध सेवा प्रतिनिधि;
- (h) पशु संगरोध सेवा प्रतिनिधि;
- (i) स्वास्थ्य सेवा प्रतिनिधि; और
- (j) रियायतग्राही का प्रतिनिधि।

3.1.2 नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार, इस समिति का गठन करेगा और आरक्षित सेवाओं के प्रावधान से संबंधित मुद्दों को हल करने के अधिदेश के साथ बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

3.2 बैठकें और समर्थन

3.2.1 संयुक्त समन्वय समिति की अध्यक्षता सचिव, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा की जाएगी, और जब तक पक्षकार बाद की तारीख में बैठक आयोजित करने के लिए सहमत न हों, प्रभावी तिथि के 30 (तीस) दिनों के भीतर पहली बार शुरू होकर, हवाई अड्डे पर कम से कम तिमाही में एक बार बैठक होगी।

3.2.2 भारत सरकार एतद्वारा हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास के संबंध में भारत सरकार के नियंत्रण और दिशा के तहत प्रासंगिक एजेंसियों, प्राधिकरणों, विभागों, निरीक्षणालयों, मंत्रालयों के साथ संपर्क करने में रियायतग्राही को सहायता प्रदान करने का उपक्रम करता है।

4. अवधि और समाप्ति

4.1 अवधि:

4.1.1 यह एमओयू प्रभावी तिथि से प्रभावी होगा।

4.1.2 यह एमओयू रियायत समझौते के निर्धारण और/या प्रारंभिक समाप्ति के साथ, किसी भी कारण से, स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगा ("अवधि").

4.2 समाप्ति:

4.2.1 यह एमओयू तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगा और प्रभावी नहीं होगा, यदि रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार रियायतग्राही द्वारा सी ओ डी प्राप्त नहीं किया जाता है।

4.2.2 इस एमओयू के अनुसरण में रियायतग्राही को दिए गए अधिकार और लाभ, रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार, किसी भी उत्तराधिकारी और रियायतग्राही के अनुमत समनुदेशिती या किसी अन्य व्यक्ति (प्राधिकरण या प्राधिकरण के किसी भी उत्तराधिकारी सहित) को हस्तांतरित हो जाएंगे, और उनके लाभ के लिए होंगे, जो किसी भी समय हवाई अड्डे का संचालन कर सकते हैं।

5. प्रतिनिधित्व और वारंटी

5.1 रियायतग्राही द्वारा: रियायतग्राही एतद्वारा भारत सरकार को प्रतिनिधित्व करता है और वारंटी देता है कि रियायत समझौते के तहत इसके द्वारा किए गए प्रत्येक प्रतिनिधित्व और वारंटी इस एमओयू के प्रयोजनों के लिए म्यूटेटिस-म्यूटेंडिस सत्य और सही होंगे, उसमें निहित रूप और तरीके से, जिसमें इसकी शक्ति और प्राधिकरण और इस एमओयू के निष्पादन और वितरण के लिए आवश्यक कॉर्पोरेट कार्रवाइयां शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

5.2 भारत सरकार द्वारा: भारत सरकार एतद्वारा रियायतग्राही को प्रतिनिधित्व करता है और वारंटी देता है कि उसके पास इस एमओयू को निष्पादित करने के लिए अधिकार, शक्ति और प्राधिकरण है और उसने इस एमओयू को निष्पादित करने, और सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर इस एमओयू के तहत अपने अधिकारों का अभ्यास करने और अपने कार्यों को करने के लिए आवश्यक सभी कार्रवाइयां की हैं।

6. शासक कानून और विवाद समाधान

6.1 शासक कानून: यह एमओयू (इस खंड 6 सहित) और इसकी व्याख्या के सभी प्रश्नों को भारतीय गणराज्य के कानूनों के अनुसार समझा जाएगा।

6.2 क्षेत्राधिकार: नीचे दिए गए खंड 6.3 के प्रावधानों के अधीन, नई दिल्ली की अदालतों का इस एमओयू से उत्पन्न होने वाले या इससे संबंधित मामलों पर अनन्य क्षेत्राधिकार होगा।

6.3 विवाद समाधान:

6.3.1 पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि वे सद्भावना परामर्श के माध्यम से, इस एमओयू के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने का प्रयास करेंगे, और ऐसा परामर्श तब शीघ्र ही शुरू होगा जब किसी पक्ष ने दूसरे पक्ष को ऐसे परामर्श के लिए लिखित अनुरोधित किया हो। बशर्ते कि यदि ऐसे सद्भावना परामर्श से ऐसे परामर्श शुरू होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर विवाद का समाधान नहीं हुआ है, तो खंड 6.3.2 के प्रावधान लागू होंगे।

6.3.2 ऐरा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, कोई भी विवाद, जिसे पक्षकार सौहार्दपूर्ण समाधान के माध्यम से नहीं सुलझा सका (जैसा कि ऊपर खंड 6.3.1 के तहत प्रदान किया गया है), समय-समय पर संशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार मध्यस्थता द्वारा अंतिम रूप से सुलझाया जाएगा।

6.3.3 विवादों को 3 (तीन) मध्यस्थों से मिलकर बने न्यायाधिकरण के पास भेजा जाएगा। मध्यस्थता का प्रत्येक पक्ष 1 (एक) मध्यस्थ नियुक्त करेगा, और इस प्रकार नियुक्त 2 (दो) मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ का चयन करेंगे, जो न्यायाधिकरण के पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा (जो संयुक्त रूप से "मध्यस्थ न्यायाधिकरण" बनाते हैं)। मध्यस्थता की कार्यवाही नियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी।

6.3.4 ऐसी मध्यस्थता, जब तक पक्षकारों को अन्यथा सहमत न हो, नई दिल्ली, भारत में आयोजित की जाएगी। ऐसी मध्यस्थता की सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी।

6.3.5 मध्यस्थ न्यायाधिकरण का निर्णय पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

7. विविध

7.1 नोटिस:

7.1.1 इस एमओयू की शर्तों के तहत आवश्यक या अनुमति प्राप्त या लागू कानूनों द्वारा आवश्यक कोई भी नोटिस (जब तक अन्यथा सहमत न हो) लिखित में होगा और व्यक्तिगत रूप से वितरित किया जाएगा, पंजीकृत मेल या एयर मेल द्वारा उपयुक्त के रूप में भेजा जाएगा, ठीक से पोस्ट किया गया और पूरी तरह से पूर्व-भुगतान किए गए लिफाफे में ठीक से संबोधित किया गया या संबंधित पक्षों को फैक्स द्वारा भेजा जाएगा: जीओआई : सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार / या भारत सरकार द्वारा इस संबंध में नामित व्यक्ति, ई-मेल: , फैक्स नंबर:

प्राधिकरण: पता:, ध्यानार्थ:, ई-मेल:, फैक्स नंबर:

रियायतग्राही: पता:, ध्यानार्थ:, ई-मेल:, फैक्स नंबर: -

या ऐसे अन्य पते या फैक्स नंबर पर जैसा कि समय-समय पर इसके तहत नोटिस द्वारा नामित किया जा सकता है।

7.1.2 ऐसा कोई भी नोटिस अंग्रेजी भाषा में होगा और वास्तविक रूप से वितरित किए जाने पर, यदि हाथ से

वितरित किया जाता है, या फैक्स द्वारा भेजे जाने के अगले कार्य दिवस पर या किसी अन्य घटना में इसमें प्रदान किए गए तरीके से मेल किए जाने के 3 (तीन) दिनों के भीतर दिया गया माना जाएगा।

7.2 पृथक्तानीयता: इस एमओयू में निहित नियमों, शर्तों या प्रावधानों में से कोई भी, या कोई भी हिस्सा, किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी सीमा तक अमान्य, गैरकानूनी या अपरिवर्तनीय निर्धारित होने की स्थिति में, ऐसे नियम, शर्तें या प्रावधान उस सीमा तक शेष नियमों, शर्तों और प्रावधानों से अलग कर दिए जाएंगे, जो लागू कानून द्वारा अनुमति दी गई पूर्ण सीमा तक वैध और प्रवर्तनीय बने रहेंगे।

7.3 संपूर्ण समझौता: यह एमओयू, इसके साथ सभी एनेक्सी के साथ, इस एमओयू के विषय वस्तु के संबंध में पक्षकारों के बीच संपूर्ण समझौते और समझ का प्रतिनिधित्व करता है और किसी भी पूर्व समझौते या समझ, लिखित या मौखिक, को प्रतिस्थापित करता है जो पक्षकारों के पास हो सकता है।

7.4 संशोधन: इस एमओयू का कोई भी जोड़, संशोधन या परिवर्तन तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि यह लिखित में न हो और पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित न हो।

7.5 समनुदेशन: इसकी प्रभावी तिथि के बाद लागू कानून में किसी भी बदलाव के बावजूद, जो अन्यथा इस एमओयू के समनुदेशन की अनुमति दे सकता है, कोई भी पक्ष इस एमओयू या इसके तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिकार या दायित्व या यहाँ किसी भी लाभ या हित को समनुदेशित नहीं कर सकता है। बशर्ते हालांकि पूर्वगामी के बावजूद, भारत सरकार एतद्वारा प्रतिस्थापन समझौते की शर्तों के अनुसार चयनित प्रतिस्थापन इकाई के पक्ष में या परियोजना के संबंध में रियायतग्राही के रूप में प्राधिकरण द्वारा स्वीकार की गई किसी अन्य इकाई के पक्ष में इस एमओयू को स्थानांतरित और नोवेट करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमत है।

7.6 कोई छूट नहीं: भारत सरकार या प्राधिकरण की ओर से इस एमओयू के तहत किसी भी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपाय का उपयोग करने में कोई विफलता नहीं, और इसका उपयोग करने में उनकी ओर से कोई देरी नहीं, इसकी छूट के रूप में संचालित होगी, और न ही किसी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपाय का कोई एकल या आंशिक उपयोग किसी अन्य या आगे के उपयोग या किसी अन्य अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपाय के उपयोग को रोकेगा। जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, इस एमओयू में प्रदान किए गए अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार और उपाय संचयी हैं और किसी अन्य अधिकारों, पॉवर, विशेषाधिकारों या उपायों (कानून द्वारा प्रदान किए गए या अन्यथा) के लिए अनन्य नहीं हैं।

ई मेल- :[.]

फैक्स न[.] :

प्राधिकरण :

पता [.]

ध्यानार्थ [.]

ई[.] मेल-

फैक्स न[.] :

रियायतग्राही :

पता [.]

ध्यानार्थ [.]

ई[.] मेल-

फैक्स न[.] :

अथवा ऐसे किसी अन्य पते अथवा फ़ैक्स नंबर पर, जिसे समय-समय पर इस समझौते के तहत नोटिस द्वारा निर्धारित किया जाए।

7.1.2 ऐसा कोई भी नोटिस अंग्रेजी भाषा में होगा और यदि हाथ से दिया गया है तो वास्तविक वितरण का समय या फ़ैक्स द्वारा भेजे जाने पर अगले कार्य दिवस पर अथवा किसी अन्य स्थिति में इस समझौते में वर्णित तरीके से डाक द्वारा भेजे जाने के 3 (तीन) दिनों के भीतर उसे दिए जाने का समय समय माना जाएगा ।

7.2 पृथक्करणीयता

यदि इस सहमति पत्र (एमओयू) में समाविष्ट किसी भी अथवा किन्हीं शर्तों, नियमों अथवा प्रावधानों के किसी हिस्से को किसी सक्षम प्राधिकरण द्वारा किसी भी सीमा तक अमान्य, गैर-कानूनी अथवा अप्रवर्तनीय घोषित किया जाता है, तो ऐसी शर्तें अथवा प्रावधान उस सीमा तक शेष शर्तों और प्रावधानों से अलग कर दिए जाएंगे, जो लागू कानून द्वारा अनुमत पूर्ण सीमा तक मान्य और प्रवर्तनीय बने रहेंगे।

7.3 संपूर्ण समझौता

यह सहमति पत्र (एमओयू) इसके सभी संलग्नकों के साथ, इस विषय के संबंध में पक्षों के बीच संपूर्ण समझौते और समझ का प्रतिनिधित्व करता है, और पक्षों के बीच पूर्व में हुए किसी भी लिखित या मौखिक समझौते या समझ को प्रतिस्थापित करता है।

7.4 संशोधन

इस एमओयू का कोई भी परिवर्धन, संशोधन या रूपांतरण तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह लिखित रूप में न हो और पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित न हो।

7.5 समनुदेशन

इसकी प्रभावी तिथि के बाद लागू कानून में किसी भी बदलाव के बावजूद, जो अन्यथा इस एमओयू के हस्तांतरण की अनुमति देता हो, कोई भी पक्ष इस एमओयू या इसके तहत उत्पन्न होने वाले किसी अधिकार/दायित्व या लाभ को हस्तांतरित नहीं कर सकता है। हालांकि, उपर्युक्त के बावजूद, भारत सरकार प्रतिस्थापन समझौते की शर्तों के अनुसार चुने गए किसी स्थानापन्न निकाय या परियोजना के संबंध में प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के रूप में स्वीकार किए गए किसी अन्य निकाय के पक्ष में इस एमओयू को स्थानांतरित करने और नवीनीकृत करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमत है।

7.6 अधिकारों का अनावाहन / कोई छूट नहीं

भारत सरकार या प्राधिकरण द्वारा इस एमओयू के तहत किसी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपाय का प्रयोग न करने या प्रयोग में देरी करने को उसके अधिकार के परित्याग के रूप में नहीं माना जाएगा। जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, इस एमओयू में प्रदान किए गए अधिकार, शक्तियां, विशेषाधिकार और उपचार संचयी हैं और कानून या अन्यथा प्रदान किए गए अन्य अधिकारों के अनन्य नहीं हैं।

अनुलग्नक 1
पशु संगरोध सेवाएं

क. आगमन से पूर्व:

1. पशु के आयात के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, सभी बाड़ों और चारा भंडारों को अच्छी तरह से साफ किया जाता है, उपयुक्त कीटाणुनाशकों से रोगाणुरहित किया जाता है और धूम्रकृत किया जाता है।
2. विभिन्न प्रजातियों के पशुओं के लिए मानकों और आवश्यकताओं के अनुसार सभी पशुओं को उपयुक्त पशु वाहक में ले जाया जाता है।
3. पशुओं के आगमन की निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व पशु वाहक को ठीक से रोगाणुरहित किया जाता है।
4. आवश्यक नमूने एकत्र करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की जाती हैं।

ख. प्रवेश बिंदु पर आगमन पर:

1. आगमन के दिन और आयातकर्ता के साथ तय समय पर, क्षेत्रीय संगरोध अधिकारी और अन्य कर्मचारी हवाईअड्डे पर पहुँचते हैं।
2. पशु या उत्पादों की शारीरिक रूप से गहन जांच की जाती है।
3. निर्दिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए पशुओं या उत्पादों के साथ आने वाले पशु चिकित्सा प्रमाण-पत्र की गहनता से जांच की जाती है।
4. यह सुनिश्चित करने के बाद कि पशु नैदानिक रूप से स्वस्थ हैं और खेप के साथ आने वाले स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र सही हैं, सीमा-शुल्क निकासी के लिए आयात करने वाली एजेंसी को अनंतिम संगरोध निकासी प्रमाण-पत्र (आयात) या पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (आयात) जारी किया जाता है।
5. आयातित जीवित पशुओं को क्षेत्रीय संगरोध अधिकारी की देखरेख में संगरोध स्टेशन लाया जाता है।
6. पशुओं की स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी के लिए उन्हें 30 (तीस) दिनों के लिए या भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य प्रोटोकॉल में निर्दिष्ट अनुसार संगरोध में रखा जाता है।
7. पशुधन उत्पादों के मामले में, सैनिटरी आयात परमिट में निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रासंगिक प्रयोगशालाओं में प्रतिनिधि नमूने निकाले और परीक्षण किए जाएंगे।

अनुलग्नक 2
[उपयोग नहीं किया गया]

अनुलग्नक 3
सीमा-शुल्क नियंत्रण

- (क) वॉकथ्रू चैनल पर सीमा-शुल्क नियंत्रण
- (ख) ग्रीन/रेड चैनल में सामान-जांच काउंटरों पर सीमा-शुल्क नियंत्रण
- (ग) बैगेज सहायक/उपायुक्त की सेवाओं का प्रावधान
- (घ) बैगेज मॉल के भीतर कमिशनर
- (ङ.) रोके गए सामान के लिए सीमा-शुल्क नियंत्रण
- (च) गलत जगह पहुंचे सामान के लिए सीमा-शुल्क नियंत्रण
- (छ) कीमती वस्तुओं के लिए सीमा-शुल्क नियंत्रण
- (ज) पुनः शिपमेंट माल के लिए सीमा-शुल्क नियंत्रण
- (झ) जब्त सामान के लिए सीमा-शुल्क नियंत्रण
- (ण) निकास द्वार के पास गेट अधिकारी की तैनाती
- (ट) निर्यात प्रमाण-पत्र जारी करना
- (ठ) सीमा-शुल्क कार्यों के संबंध में संबंधित अधिकारियों की सेवाएं
- (ड) एयर इंटेलिजेंस यूनिट

अनुलग्नक 4

स्वास्थ्य सेवाएं

(क) पक्ष एतद्वारा रिकॉर्ड करते हैं कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का यह अभिप्राय है कि वह हवाईअड्डे के टर्मिनल पर निम्नलिखित सेवाएं ("स्वास्थ्य सेवाएं") प्रदान करने का प्रयास करे:

- (i) यात्रियों, आगंतुकों, एयरलाइन कर्मचारियों, भारत सरकार, प्राधिकरण, रियायतग्राही और अन्य संबंधित सरकारी विभागों के कर्मियों के लाभ के लिए दिन में हर समय हवाईअड्डे के टर्मिनल और कार्गो कॉम्प्लेक्स में चिकित्सा सुविधाएं।
- (ii) चिकित्सा अधिकारी और अन्य स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के कार्मिक समय-समय पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा तय किए अनुसार हवाईअड्डे के टर्मिनल पर तैनात रहेंगे।
- (iii) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय समय-समय पर कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करेगा और हवाईअड्डे पर/आसपास चिकित्सा सुविधाओं का समय तय करेगा ।
- (iv) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित हवाईअड्डे पर ऐसे अन्य कार्यों का भी उत्तरदायित्व लेगा ।

(ख) यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ऊपर उपखंड (क) (i) में उल्लिखित सभी या किसी भी स्वास्थ्य सेवा और/या सुविधाओं को प्रदान नहीं करता है, तो रियायतग्राही के प्रति उसकी किसी भी प्रकार की कोई देनदारी नहीं होगी। ऐसी किसी भी ज़िम्मेदारी से इसके द्वारा स्पष्ट रूप से इनकार किया जाता है। रियायतग्राही इसके द्वारा स्पष्ट तौर पर यह मानता है कि ऊपर क्लॉज़ (क) (i) में दर्शाई गई किसी भी स्वास्थ्य सेवा या सुविधा के न मिलने या आंशिक रूप से मिलने पर, वह स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय या किसी अन्य सरकारी संस्था के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा।

अनुलग्नक 5

अप्रवासन सेवाएं

हवाईअड्डे पर आव्रजन सुविधा और सेवा प्रदान करना तथा लागू कानूनों के तहत विदेशियों के पंजीकरण से संबंधित कार्य।

अनुलग्नक 6

मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं

इसमें आईसीएओ अनुलग्नक 3 और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के तकनीकी प्रावधानों के साथ-साथ विमान प्रचालन की सुरक्षा के लिए निर्दिष्ट भारत सरकार की एजेंसी के मानकों और अनुशंसित प्रथाओं के अनुसार विमानन मौसम सेवाएं प्रदान करना शामिल है।

पादप संरक्षण एवं संगरोध सेवाएं

ये कार्य विनाशकारी कीट और कीट अधिनियम, 1914 और पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 तथा इसके संशोधनों के तहत देश में विदेशी कीटों और बीमारियों के प्रवेश के जोखिम को कम करने के लिए किए जाते हैं, जो भारतीय कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। इन पद्धतियों को 'अंतरराष्ट्रीय पादम संरक्षण सम्झौता' के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जाता है तथा डब्ल्यूटीओ के 'सैनिटरी और फाइटो-सैनिटरी एग्रीमेंट' के तहत मान्यता दी जाती है। ऐसे कार्यों में निम्न शामिल हैं:

(क) विदेशी कीटों और बीमारियों के प्रवेश को रोकने के लिए आयातित कृषि वस्तुओं का निरीक्षण, परीक्षण, उपचार और निवारण ।

(ख) निर्यात के लिए कृषि वस्तुओं की दृश्य परीक्षा और उपचार।

(ग) निर्यात के लिए कृषि वस्तुओं के लिए फाइटो-सैनिटरी प्रमाण-पत्र जारी करना।

(घ) आयातित लकड़ी पैकेजिंग सामग्री का निरीक्षण और उपचार।

(ण) प्रवेश के उपरांत संगरोध निरीक्षण।

(च) कृषि वस्तुओं का धूम्रिकरण/ रोगाणुनाशन / कीटाणुशोधन।

अनुलग्नक 8

सुरक्षा सेवाएं

- (क) एवीएसईसी उपायों को लागू करने के लिए उत्तरदाई हवाईअड्डा ऑपरेटरों, एयरलाइन ऑपरेटरों और उनकी सुरक्षा एजेंसियों के लिए आईसीएओ के शिकागो कन्वेंशन के अनुलग्नक 17 के अनुसार नामित भारत सरकार की एजेंसी के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करना।
- (ख) यह सुनिश्चित करना कि निर्धारित भारत सरकार की एजेंसी और सुरक्षा नियंत्रण लागू करने वाले उसके कार्मिक उचित रूप से प्रशिक्षित हों और उनके पास अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी क्षमताएं हों।
- (ग) नागर विमानन सुरक्षा मामलों का नियोजन और समन्वय।
- (घ) सुरक्षा कार्मिकों की पेशेवर दक्षता और सतर्कता की जांच करने के लिए भारत सरकार की अधिकृत एजेंसी के ज़रिए अचानक डमी जांच करना और आपातकालीन योजनाओं की प्रभावशीलता तथा विभिन्न एजेंसियों की ऑपरेशनल तैयारियों की जांच के लिए मॉक एक्सरसाइज़ करना।

इसके प्रमाण स्वरूप पक्षों ने अपने विधिवत अधिकृत अधिकारियों और प्रतिनिधियों के माध्यम से इस एमओयू को उस दिन और वर्ष को निष्पादित कराया है जो सबसे ऊपर लिखा गया है।

द्वारा हस्ताक्षरित।

भारत सरकार की ओर से द्वारा हस्ताक्षरित ०	द्वारा सक्षांकित
रियायतग्राही की ओर से द्वारा हस्ताक्षरित ०	द्वारा सक्षांकित

अनुसूची एस
चयनित कर्मचारी

समूह	संवर्ग (के सहायक महाप्रबंधक एवं नीचे के स्तर)	मंगलोर
क		25
ई 3	प्रबंधक	15
ई 4	प्रबंधक	5
ई 5	सहायक महाप्रबंधक	5
ख-कार्यपालक .		15
ई 1	कनिष्ठ कार्यपालक	8
ई 2	सहायक प्रबंधक	7
ख-गैर- कार्यपालक .		15
एन9	वरिष्ठ अधीक्षक	10
एन 8	वरिष्ठ अधीक्षक) एसजी(	5
ग		52
एन4	कनिष्ठ सहायक	9
एन5	सहायक	24
एन6	वरिष्ठ सहायक	1
एन7	पर्यवेक्षक	15
एन 8	अधीक्षक	1
एस6	सहायक-एसजी6-एनई-	
एस 8	पर्यवेक्षक एसजी	2
घ		9
डी 6		
एन 2		1
एन 3		4
एस 4		4
एस 5		
कुल		116

अनुसूची टी

मौजूदा अनुबंध

मंगलोर हवाईअड्डा - मौजूदा राजस्व अनुबंधों की सूची

क्र.सं.	सुविधा का नामलाइसेंस /	पार्टी का नाम और पता	आबंटितअवार्ड किया गया / गया स्पेस	अनुबंध की अवधि		
				वर्ष	से	तक
1	2	3	4	5		
	एयरलाइंस और एजेंसियां					
.1	एयर इंडिया लिमिटेड इंजीनियरिंग कार्यालय, ऑपरेशनल एरिया आरक्षण कार्यालयएरिया विज़िटर - अप-बैककार्यालय - गलत /डिपार्चर हॉल कार्गो तरीके से हैंडल किया गया ऑपरेशनल - सामान बीआरएस/जीएसडी ऑफिस और स्टोर रूम - इन काउंटर-ऑपरेशनल चेक डिपार्चर हॉल -	स्टेशन प्रबंधक, एयर इंडिया लिमिटेड, मंगलुरु हवाईअड्डा , मंगलुरु	इंजीनियरिंग कार्यालय- 113.00वर्ग मीटर* आरक्षण कार्यालय 9.40 - वर्ग मीटर) ए*(सी/ बैक अप कार्यालय 54.00 - वर्ग मीटर कार्गो व गलत तरीके से हैंडल किया गया सामान कक्ष 113 -वर्ग मीटर बीआरएस जीएसडी/कार्यालय व स्टोर रूम 30 -वर्ग मीटर भूमि 1620 -वर्ग मीटर (लागू स्पेस रेंट)	03वर्ष	02.08.2010	01.08.2013

.2	एयर इंडिया सैट्स बैटरी चार्जिंग पॉइंट / पार्किंग रैंप उपकरण	सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एयर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज़ (पी) लिमिटेड प्लॉट नंबर C, O5L, बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देवनहल्ली, बैंगलोर - 300 560	बिना एसी वाली बनी हुई जगह 120 :वर्ग मीटर* लागू होने वाला जगह)का किराया(रैंप एरिया 778 -वर्ग मीटर लागू होने वाला जगह का) (किराया	03वर्ष	01.10.2017	30.09.2020
				03वर्ष		30.11.2018
				05 वर्ष		11.12.2022
				05वर्ष		31.07.2023
			बिना एसी वाली जगह - 4.46वर्ग मीटर* पक्की ज़मीन 222.00 - वर्ग मीटर (रैंप एरिया) स्पाइस जेट द्वारा छोड़ी गई जीएसई पार्किंग के लिए अतिरिक्त जगह पक्की ज़मीन/ (12*470*155) अतिरिक्त ऑफिस स्पेस रूम (कैंटीन के पास) बिना)एसी वाली जगह (20.30वर्ग मीटर एयरसाइड कॉरिडोर में मौजूद स्टाफ़ रेस्ट रूम के लिए जगह बिना)एसी वाली जगह(	05 वर्ष		30.09.2023

.3	एयरलाइंस ऑपरेटर	मैसर्स इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड (इंडिगो) कंट्रोल विंग, ग्राउंड फ्लोर, थापर हाउस, 124, जनपथ, नई दिल्ली 110 - 001	डिपार्चर लाउंज (1)AC - *वर्ग मीटर 09.00 ऑफिस स्पेस AC - वर्ग मीटर 18.20 कार्गो ऑफिस नॉन-AC - बिलिंग) *वर्ग मीटर 21.00 के लिए सेक्शन को सौंपा (गया रैंप इक्विपमेंट पक्की) 350.00 - (ज़मीनवर्ग मीटर वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए टॉवर (पक्की ज़मीन) 1.5 -वर्ग मीटर AC स्पेस 925₹ -प्रति मीटर(17-2016) पक्की ज़मीन 470₹ - प्रति मीटर ऑफिस स्पेस (2)AC - 16.50 वर्ग मीटर) ऑफिस स्पेस)CAD- *(21 ऑफिस स्पेस AC - वर्ग मीटर 16.50) ऑफिस स्पेस)CAD- *(22 AC स्पेस 1020₹ -प्रति मीटर(19-2018) ऑफिस स्पेस (3)AC - वर्ग मीटर 16.50 (इन काउंटर के पास-चेक) AC स्पेस 1020₹ -प्रति मीटर(18-2017) रैंप इक्विपमेंट (4) पार्किंग - (एयरसाइड) - पक्की ज़मीन वर्ग मीटर 100.00 पक्की ज़मीन 470₹ - प्रति वर्ष प्रति वर्ग मीटर	05वर्ष	24.03.2017	23.03.2022
				05वर्ष	01.05.2017	30.04.2022
					01.11.2017	31.10.2022
				05 वर्ष	25.04.2017	24.04.2023
				03वर्ष	25.04.2017	24.04.2023
				03 वर्ष	01.10.2018	30.09.2021
				03 वर्ष		

			(5)GSE पार्किंग पक्की - (एयरसाइड) 200.00 - ज़मीनवर्ग मीटर			
--	--	--	--	--	--	--

.4	एयरलाइंस ऑपरेटर	जैट एयरवेज़, जैट एयरवेज़ प्राइवेट (इंडिया) लिमिटेड मेकर चैंबर्स III नरिमन प्वाइंट , मुंबई .021 400 -	आरईएसएन काउंटर 9.40 - वर्ग मीटर*	03वर्ष	02.08.2016	01.08.2019
			बैंक 36.00 - अप कार्यालय- वर्ग मीटर* इंजीनियरिंग कार्यालय - 39.97वर्ग मीटर* रैंप एरिया 50.00 -वर्ग मीटर (पक्की ज़मीन) (लागू स्पेस किराया)	03वर्ष	21.09.2015	20.09.2018
			सिक्वोरिटी कार्यालय 18.00 - वर्ग मीटर* (एसी स्पेस) साल 470 के लिए 17-2016 रुपये प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ष एरिया वर्ग मीटर 10.00 बिलिंग) *(एसी स्पेस- नॉन) (के लिए कार्गो को सौंपा गया	05वर्ष	01.05.2017	30.04.2022
.5	एयरलाइंस ऑपरेटर	मैसर्स स्पाइस जेट लिमिटेड, 319, उद्योग विहार, फेज़ IV, गुरुग्राम - 122016, हरियाणा	टिकटिंग काउंटर सिटी) 9.00 - (साइडवर्ग मीटर *(एसी)	05 वर्ष	01.09.2017	31.08.2022
			बैंक 36.00 - अप कार्यालय- वर्ग मीटर)AC)* बेसमेंट में इंजीनियरिंग कार्यालय 12.00 -वर्ग मीटर *(एसी-नॉन)	03 वर्ष	25.11.2016	24.11.2019
			लागू दर पर बैंक 17.61 : अप कार्यालय- वर्ग मीटर * रैंप इक्विपमेंट पक्की) 100 - (ज़मीनवर्ग मीटर बेसमेंट में इंजीनियरिंग कार्यालय 28.50 -वर्ग मीटर	03 वर्ष	24.09.2016	23.09.2019

			लागू दर पर *(एसी-नॉन) केवल वास्तविक जगह का किराया वर्ष 680 के लिए 17-2016 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति महीना			
--	--	--	--	--	--	--

.6	मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एयरक्राफ्ट सर्टिफाइंग का कार्य करने के लिए एयरसाइड पर कार्यालय स्पेस और इंजीनियरिंग स्टोर स्पेस का आवंटन।	मैसर्स एवीआईओ स्मार्ट एविएशन एलएलपी, ए602- ओबेरॉय वुड्स, मोहन गोखले रोड, गुरुग्राम ईस्ट 063 400 -, महाराष्ट्र	पहले वर्ष + -/14,280₹ जीएसटी प्रति माह स्पेस) -नॉन - वर्ग मीटर 21.0 *(एसी अतिरिक्त जगह पहले - + 2,720₹ वर्षजीएसटी प्रति माह) जगह 4.0 वर्ग मीटर, नॉन(एसी-	03वर्ष	04.09.2017	03.09.2020
				03वर्ष	06.10.2017	05.10.2020
.7	पार्किंग रैंप उपकरण और रखरखाव - कार्यशाला	भद्रा इंटरनेशनल प्राइवेट (इंडिया) 42 लिमिटेड, रानी झाँसी मार्ग एम) झंडेवालान (एम रोड , अपोजिट माता का मंदिर नई दिल्ली - 110055	300 - क्षेत्रफल)वर्ग मीटर (एनआईटीबी में ज़मीन) -/385₹प्रति वर्ष की दर से और स्पेस बेसमेंट में 60.00 -वर्ग मीटर* स्पेस के लिए ₹ -/680प्रति माह, स्पेस के लिए प्रति वर्ष	02वर्ष	01.04.2017	31.03.2019
.8	कैनरा बैंक अंतरराष्ट्रीय आगमन हॉल में कस्टम्स एरिया पर कस्टम्स कलेक्शन काउंटर	प्रबंधक , कैनरा बैंक पनांबुर शाखा, मंगलोर	स्पेस का किराया लागू सिर्फ असल स्पेस का किराया क्षेत्रफल 6.00 :वर्ग मीटर *(एसी)	03वर्ष	16.11.2016	15.11.2019

.9	कस्टम विभाग	सीमा शुल्क आयुक्त सीमा शुल्क कार्यालय पनांबुर	कार्यालय (प्रस्थान)- 18.00 वर्ग मीटर (एसी) कार्यालय - (आगमन साइड) (एसी) वर्ग मीटर 63.00 बेसमेंट में रेस्टरूम - (एसी-नॉन) वर्ग मीटर 38.01 गलत तरीके से हैंडल किया गया सामान - अस्थायी - 16.63 - (आगमन हॉल) वर्ग मीटर एसआर @ सामान्य दर का %50	03वर्ष	02.08.2010	01.08.2013
.10	ऑन व्हील्स एविएशन फ्यूलिंग	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड. शूरजी वल्लभदास मार्ग, मुंबई 01-	क्षेत्रफल 267 -वर्ग मीटर (एनआईटीबी में भूमि) पहले वर्ष) सामान्य दरों पर रुप्रति वर्ग मीटर प्रति 385 (वर्ष	03वर्ष	01.01.2016	31.12.2018

.11	इमिग्रेशन ब्यूरो	पुलिस कमिश्नर इमिग्रेशन ब्यूरो डीज़िला .के., मंगलुरु	अधिकारी -(विभाग) (एसी) वर्ग मीटर 70.00 अफिस -(आगमन की तरफ) (एसी) वर्ग मीटर 72.00 बेसमेंट में कार्यालय - (एसी- नॉन) वर्ग मीटर 40.52 एसआर @ सामान्य दर का %50	03वर्ष	02.08.2010	01.08.2013
.12	बेसमेंट में इंटेलिजेंस ऑफिस	संयुक्त निदेशक, सहायक खुफिया ब्यूरो, भारत सरकार, नंबर 26, इन्फैंट्री रोड, बैंगलोर 01 -	एनआईटीबी में वर्ग 10.19 *(नॉन एसी) मीटर सामान्य दरों पर स्पेस का किराया	03वर्ष	01.03.2017	28.02.2020
.13	एयरक्राफ्ट फ्यूल स्टेशन (एएफएस) ओटीबी में भूमि .1रीफ्यूलिंग सुविधा -	इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन मंगलोर	थूपुट चार्ज :भूमि) 278.67+587.27+390.22 वर्ग मीटर(कुल भूमि वर्ग 1256.16 मीटर नॉर्मल रेट पर	03वर्ष	01.01.2017 01.01.2017	31.12.2019 31.12.2021

	ऑपरेशनल एरिया .2ऑफिस - ऑपरेशनल एरिया .3अप्रोच रोड - ऑपरेशनल एरिया के बाहर (एस/ओ) एनआईटीबी के एयरसाइड पर एनआईटीबी के फ्यूल बाउंडरी की पार्किंग		267 - एरिया)वर्ग मीटर (एनआईटीबी में भूमि) फलाईओवर के नीचे की जगह *वर्ग मीटर 68.38 के लिए सामान्य 18-2017 पर दरों -/680रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति माह	05वर्ष		
.14	कोस्ट गार्ड एयर एन्क्लेव	इंडियन कोस्ट गार्ड पनांबुर	एसी स्पेस 1727.34 -वर्ग मीटर* पक्की ज़मीन 826.52 -वर्ग मीटर* पक्की ज़मीन के स्पेस और) (लिए मौजूदा दरों का आधार	02वर्ष	01.04.2017	31.03.2020

.15	मंगलुरु हवाई अड्डे के आगमन हॉल में मैसर्स जंगल लॉज्स एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड (जेएलआर)) (कर्नाटक सरकार का उपक्रमके (कियोस्क हेतु अनुमति	प्रबंध निदेशक, जंगल लॉज्स एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड कर्नाटक) (सरकार का उपक्रम #49, वेस्ट विंग ग्राउंड फ्लोर, खनिज भवन, रेस कोर्स रोड, बंगलौर- 01	आगमन लाउंज में 2.58 वर्ग मीटर स्थान ।	03 वर्ष	10.09.2016	09.09.2019
.16	मौसम विज्ञान कार्यालय स्थान	क्षेत्रीय निदेशक, मौसम विज्ञान विभाग, चेन्नई	कार्यालय हेतु स्थान :115 वर्ग मीटर /वातानुकूलित)AC)	03 वर्ष	08.09.2012	07.09.2015
.17	स्टेशन से मुरा जंक्शन तक हवाई अड्डा मार्ग	मैसर्स मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स	रु .335.00/वर्ग मीटर प्रति वर्ष)10/11/14 से 31/03/15) रु .360.00/वर्ग मीटर प्रति वर्ष)01/04/15 से 31/03/16)	05 वर्ष	10.11.2014	09.11.2019

	के बाएँ ओर कच्चे पानी की पाइपलाइन बिछाना	लिमिटेड, कुथेतूर पोस्ट, वाया काटीपल्ला, मंगलौर- 49	रु .385.00/वर्ग मीटर प्रति वर्ष (01/04/16 से 31/03/17) रु .415.00/वर्ग मीटर प्रति वर्ष (01/04/17 से 31/03/18) रु .445.00/वर्ग मीटर प्रति वर्ष (01/04/18 से 09/11/19) (क्षेत्रफल :2654 वर्ग मीटर भूमि, सामान्य स्थान किराया(			
.18	हायलोडर की - पार्किंग	दि ओशन पर्ल होटल, कोडियालबैल, मंगलौर	रु .38,880/- + जीएसटीवर्ष 2018-19 के लिए पक्की भूमि लाइसेंस शुल्क)Paved land license fee) @ रु .360/- प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष :भूमि क्षेत्रफल)108 वर्ग मीटर(	03 वर्ष	29.08.2015	20.08.2021
.19	विजिटर क्षेत्र (आगमन साइड) में डाक विस्तार काउंटर	वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर, मंगलौर मंडल, मंगलौर-02	लागू दर के 50% पर स्थान किराया :क्षेत्रफल)9.00 वर्ग मीटर(	03 वर्ष	20.09.2016	19.09.2019

.20	सीयूडीटीसी में ट्रांजिट मेल ऑफिस	अधीक्षक आरएमएस, डाक विभाग, क्यू डिविजन, बंगलौर- 560026	स्थान किराया लागू :क्षेत्रफल) 19.06 वर्ग मीटर(	05 वर्ष	17.01.2018	16.01.2023
.21	'ऑन व्हील्स' विमानन ईंधन रिफ्यूलिंग मोबाइल स्टेशन एयरसाइड - कार्यालय स्थान एवं बेसमेंट परिचालन))	शैल एमआरपीएल 102, प्रेस्टिज सिग्मा, विट्ठल माल्या रोड, बंगलौर- 1	भूमि क्षेत्रफल :267.00 वर्ग मीटर कार्यालय स्थान :27.32 वर्ग मीटर *(वातानुकूलित-गैर) (सामान्य दरों पर)	03 वर्ष 05 वर्ष	02.08.2018 02.08.2018	01.08.2023 01.08.2021
.22	आगमन लाउंज में पर्यटन सूचना काउंटर	सहायक निदेशक, केएसटीडीसी, लालबाग, मंगलौर- 575003	केवल वास्तविक स्थान किराया वर्ष :16-17 के लिए रु .925/- प्रति वर्ग मीटर प्रति माह :क्षेत्रफल)2.70 वर्ग मीटर(	02 वर्ष	11.02.2017	10.02.2019

.23	पर्यटक सूचना केंद्र	संयुक्त निदेशक पर्यटन का कार्यालय, पर्यटन विभाग, केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम-695033	स्थान :3.50 वर्ग मीटर (सामान्य दरों पर)	03 वर्ष	11.10.2015	10.10.2018
.24	हैंगर स्थान एवं (ग्राउंड सर्विस इक्यूपमेंटक्षेत्र (	विंग कमांडर, कमान अधिकारी, 6 कर एयर स्क्वायरन एनसीसी, कंकनडी, मंगलौर-2	हैंगर स्थान :749.66 वर्ग मीटर GSE पार्किंग क्षेत्र :575 वर्ग मीटर	03 वर्ष	12.09.2018	11.09.2021
	रियायतग्राही / वाणिज्यिक अनुबंध					
1	विज्ञापन अनुबंध	मैसर्स मीना एडवर्टाइजर, नं . 142, एल्डम्स रोड, तेनामपेट, चेन्नई-18	22,041 वर्ग फीट	05 वर्ष	01.10.2014	30.09.2019
2	विज्ञापन अनुबंध	मैसर्स मीना एडवर्टाइजर, नं . 142, एल्डम्स रोड, तेनामपेट, चेन्नई-18	स्थान :1.86 वर्ग मीटर	वर्ष 05	25.09.2017	24.09.2022

3	टर्मिनल भवन (TB) के बाहर एटीएम काउंटर	मैसर्स कर्नाटक बैंक लिमिटेड, पी .नं .बी. 746, कोडियालबैल, मंगलौर	क्षेत्रफल :6.00 वर्ग मीटर	वर्ष 05	21.12.2017	20.12.2022
4	टर्मिनल भवन (TB) के बाहर एटीएम काउंटर	मैसर्स कॉरपोरेशन बैंक, कावूर टॉवर्स, कावूर, मंगलुरु-575 015	स्थान :13.12 वर्ग मीटर	वर्ष 05	25.12.2017	24.12.2022
5	टर्मिनल भवन (TB) के भीतर एटीएम काउंटर	क्षेत्रीय प्रबंधक, मैसर्स विजया बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, एलएचएच रोड, मंगलौर	क्षेत्रफल :6.00 वर्ग मीटर	वर्ष 05	17.02.2018	16.02.2023

6	टर्मिनल भवन के बाहर एटीएम काउंटर	क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय-1, एस्सेल टॉवर्स, मंगलुरु-575 003	स्थान :13.12 वर्ग मीटर	वर्ष 05	17.02.2018	16.02.2023
7	आगंतुक दीर्घा में ब्रांडेड फास्ट फूड आउटलेट	ओशन पर्व होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017	क्षेत्रफल :21.35 वर्ग मीटर	10वर्ष	02.08.2010	01.08.2020
9	घरेलू सुरक्षा प्रस्थान क्षेत्र - प्रथम तलमें (बैग्स एवं सामान की दुकान	मैसर्स सफारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 059	स्थान :2.00 वर्ग मीटर	वर्ष 05	23.10.2014	22.10.2019

8	चेकइन क्षेत्र में - ब्रांडेड फास्ट फूड आउटलेट	मैसर्स पी .के. हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, अंधेरी, मुंबई	क्षेत्रफल :25.00 वर्ग मीटर	10वर्ष	20.08.2010	19.08.2020
9	घरेलू सुरक्षा प्रस्थान क्षेत्र - प्रथम तलमें (बैग्स एवं सामान की दुकान	मैसर्स सफारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 059	स्थान :9.00 वर्ग मीटर	5वर्ष	21.12.2014	20.12.2019
10	क्यूटी कॉमन यूजर टर्मिनल इक्विपमेंट एवं (बीआरएस बैगेज रीकॉन्सिलेशन सिस्टम	मैसर्स सिटा आईएनसी (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड	स्थान :16.0 वर्ग मीटर	2वर्ष	23.02.2013	22.02.2020
11	डिपार्टमेंटल स्टोर	मैसर्स शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड, मलाड वेस्ट, मुंबई-400 064	स्थान :126.00 वर्ग मीटर	5वर्ष	19.04.2015	18.04.2020

12	अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान एवं अंतर्राष्ट्रीय आगमन लाउंज में ड्यूटी फ्री शॉप सीमा शुल्क) (मुक्त दुकान	मैसर्स फ्लेमिंगो इंटरनेशनल लिमिटेड, नवी मुंबई -400 705	शुद्ध बिक्री का उद्धृत % 243% (या (USD 3,44,200 का MAG (न्यूनतम गारंटीकृत राशि, जो भी अधिक हो।	07वर्ष	19.04.2016	18.04.2023
			प्रस्थान क्षेत्र :20.00 वर्ग मीटर और आगमन क्षेत्र :33.50 वर्ग मीटर। बेसमेंट गोदाम एवं कार्यालय: बेसमेंट गैरवातानुकूलित - :स्थान69.25 वर्ग मीटर। प्रस्थान हॉल में स्थान: प्रस्थान हॉल वातानुकूलित स्थान : 23.00 वर्ग मीटर। गैर .रु :वातानुकूलित स्थान- 620/- प्रति वर्ग मीटर प्रति माह)2016-17)। वातानुकूलित स्थान .रु :925/- प्रति वर्ग मीटर प्रति माह।	07वर्ष	24.06.2016	18.04.2023

13	निःशुल्क समाचार पत्र प्रदर्शन स्टैंड (आगमन हॉल)	मेसर्स मणिपाल मीडिया नेटवर्क लिमिटेड, पंजीकृत	रु. 11,700/- प्रति माह (वर्ष 2017-18 के लिए)	06 माह	01.10.2018	31.03.2019
	निःशुल्क समाचार पत्र प्रदर्शन स्टैंड (घरेलू सुरक्षा होल्ड क्षेत्र)	कार्यालय: उदयावाणी भवन, मणिपाल-04	रु. 11,700/- प्रति माह (वर्ष 2017-18 के लिए)	06 माह	01.10.2018	31.03.2019
14	मंगलौर हवाईअड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन में उद्यान एवं गोलचक्करों का सौंदर्यीकरण / लैंडस्केपिंग / विकास एवं रखरखाव ।	मेसर्स मणिपाल मीडिया नेटवर्क लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: उदयावाणी भवन, मणिपाल-04	रु. 1/- प्रति वर्ष की नाममात्र लाइसेंस फीस	03 वर्ष	15.03.2016	14.03.2019

15	हस्तशिल्प दुकान	मेसर्स ऑकार ट्रेड लिंकस, कलारिक्कल, अय्यक्कड़, त्रिक्कारियूर, कोठमंगलम, एर्नाकुलम, केरल-686692	प्रस्पेस हॉल में 9.00 वर्ग मीटर (स्पेस रेंट लागू नहीं)	05 वर्ष	28.08.2016	27.08.2021
----	-----------------	--	--	---------	------------	------------

16	होटल आरक्षण काउंटर- बी	प्रबंध निदेशक, मेसर्स ओरिएंटल होटल्स लिमिटेड, यूनिट-द गेटवे होटल, ओल्ड पोर्ट रोड, मंगलौर-575 001	स्पेस: 2.00 वर्ग मीटर	03 वर्ष	14.09.2016	13.09.2019
17	आगमन और प्रस्पेस पर मुद्रा विनिमय काउंटर	मेसर्स सेंट्रम डायरेक्ट लिमिटेड, सेंट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई-98	विशेष स्पेस रेंट : 2017-18 के लिए रु. 25,278/- प्रति वर्ग मीटर प्रति माह, कुल स्पेस : 3.11 (प्रस्पेस) + 3.78 (आगमन) = 6.89 वर्ग मीटर	03 वर्ष	29.03.2018	28.03.2021
18	मीट एंड ग्रीट (स्वागत सेवा) सेवाएं	मेसर्स ओमेगा एंटरप्राइजेज, कमरा नंबर 106, नंबर 5, गणेश वाड़ी, आकृति टॉवर के सामने, भीम नगर एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 093	विज़िटर कॉनकोर्स में 9.00 वर्ग मीटर	03 वर्ष	22.07.2016	21.07.2019
19	आगमन लाउंज में प्रीपेड टैक्स सेवा	अध्यक्ष, एयरपोर्ट ट्रिस्ट एंड टैक्सी ड्राइवर्स एसोसिएशन, बाजपे	लाइसेंस शुल्क रु. 4,33,600/- प्रति माह अथवा रु. 40/- प्रति ट्रिप जो भी अधिक हो क्षेत्रफल: 11.00 वर्ग मीटर	एक वर्ष	01.02.2018	31.01.2019
20	ब्रांडेड छाता खुदरा दुकान	मेसर्स जॉन्स अम्ब्रेला मार्ट, पी.बॉक्स नंबर 4407, आयरन ब्रिज (पी.ओ.) मुल्लाक्कल, अल्लेप्पी, केरल-688011	स्पेस: 9.00 वर्ग मीटर	05 वर्ष	13.03.2015	12.03.2020

21	एसएचए तथा स्टाफ कैटीन में फूड कोर्ट के साथ रेस्तरां	मेसर्स ट्रैवल फूड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 1, राशिद मेशन, वर्ली पॉइंट, मुंबई-400 018	स्पेस : 326 वर्ग मीटर स्पेस : 80 वर्ग मीटर घरेलू एसएचए एसी स्पेस : 6.00 वर्ग मीटर एनआईटीबी के बाहर	07 वर्ष	23.06.2015	22.06.2022
	स्टाफ कैटीन के लिए अतिरिक्त स्पेस		गैर-एसी स्पेस : 20.00 वर्ग मीटर गैर-एसी स्पेस : रु. 620/- प्रति वर्ग मीटर प्रति माह 2016-17	07 वर्ष	09.10.2015	22.06.2022
	एसी एवं गैर-एसी स्पेस		एसी स्पेस: रु. 925/- प्रति वर्ग मीटर प्रति माह 2016-17 टीएफएस कुल स्पेस: 432 वर्ग मीटर	06 वर्ष	01.07.2016	22.06.2022
22	घरेलू एसएचए में खुदरा इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान	मेसर्स ददीप एसोसिएट्स, 201, एल्डम्स रोड, तेनामपेट, चेन्नई-600018	स्पेस: 10.00 वर्ग मीटर	05 वर्ष	12.06.2017	11.06.2022
23	अंतरराष्ट्रीय एसएचए में स्नैक बार	मेसर्स सन राइज फास्ट फूड सर्विस एंड ट्रेडर्स, 5/276 संतोष भवन, कोल्लोड, अंतियूरकोणम, त्रिवेंद्रम	क्षेत्रफल: 5.00 वर्ग मीटर	05 वर्ष	01.08.2014	31.07.2019
24	घरेलू एसएचए में स्नैक बार	श्री पी.ए. मुस्तफा, पलासरी हाउस (पी.ओ.) कुम्भिनीपरंबा, मलाप्पुरम (जिला), केरल-673 638	क्षेत्रफल: 6.00 वर्ग मीटर	05 वर्ष	15.09.2014	14.09.2019

25	विज्ञापन विकल्पों के साथ सुरक्षा ट्रे की आपूर्ति (संख्या 200)	मेसर्स मीडिया हाउस, नीरादवास कॉम्प्लेक्स, नंतूर, कादरी, मंगलूरु-575002	रु. 39,000/- प्रति माह	01 वर्ष	01.04.2018	31.03.2019
26	ट्रॉली पुनर्प्राप्ति सह विज्ञापन अनुबंध	मेसर्स प्रोएक्टिव इन एंड आउट एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड, बी-विंग, समकीत अपार्टमेंट, संत जनाबाई मार्ग, हनुमान रोड, विले पार्ले (पूर्व) मुंबई-400057	(रु. 360/- प्रति ट्रॉली प्रति माह)	03 वर्ष	01.06.2018	30.06.2021
27	यात्रा आवश्यकताएं सह उपहार दुकान	मेसर्स एवीए मर्चेन्डाइजिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 1, सलवान मार्केट, ओल्ड राजेंद्र नगर, नई दिल्ली-110060	स्पेस: 9.00 वर्ग मीटर	05 वर्ष	14.03.2015	13.03.2020

कार्य सौंपा जा चुका है और कार्य शुरू करने के लिए नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो की मंजूरी प्रतीक्षारत :

क्र.सं.	सुविधा / लाइसेंस का नाम	पक्ष का नाम और पता	दिया गया / आवंटित किया गया स्पेस	अनुबंध की अवधि		
1	एयरपोर्ट स्मोकिंग लाउंज और सेल्स कियोस्क	मेसर्स ब्रांड मिडस हॉस्पिटैलिटी एंड एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पहली मंजिल, नंबर 2बी, रामनाथन स्ट्रीट, टी. नगर, चेन्नई-600017, तमिलनाडु	स्पेस: 20 वर्ग मीटर	05 वर्ष	14.08.2018	13.08.2023

2	गारमेंट दुकान	मेसर्स वेन्निला क्लॉथिंग कंपनी, (रामराज कॉटन) 0/3ए -सैगुंथापुरम, पहली गली, मंगलम रोड, तिरुपुर-641604	स्पेस: 9 वर्ग मीटर	05 वर्ष	09.09.2018	08.09.2023
---	---------------	---	--------------------	---------	------------	------------

ठेका दिया जा चुका है और काम शुरू होना बाकी है :

1	ज्यूेलरी शॉप	मेसर्स शमीम आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स 4/7, अपर ऑर्चर्ड, नियर एमईएस कॉलेज, आल्टो डाबोलिम, गोवा- 403801	स्पेस: 9 वर्ग मीटर	05 वर्ष	जेस्टेशन अवधि अधिकतम 09.12.2018 तक	08.12.2023
2	एप्लिकेशन आधारित कैब एग्रीगेटर सेवा	मेसर्स एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (ओला), रीजेंट इंसिग्निया, #414, तीसरी मंजिल, चौथा ब्लॉक, 17वीं मेन, 100 फीट रोड, कोरमंगला, बेंगलोर- 560034	टर्मिनल भवन के भीतर 2 वर्ग मीटर काउंटर स्पेस एवं वाहन पार्किंग क्षेत्र के पास पिक-अप पॉइंट पर सेवा एवं सुविधा हेतु 75 वर्ग मीटर स्पेस	03 वर्ष	19.11.2018	18.11.2021

मंगलूर हवाईअड्डे में स्वीकृत भूमि पट्टे की सूची



List of Land lease awarded in Mangalore airport

S.No	Party name/Address	Name of facility/ Leased Space Allotted	Land Allotted	Period of the contract in years/months			Regular Contract/ Notice or extension, as indicate
				Period	From	To	
1	The Station Manager, Air India Ltd, Mangalore Airport Mangalore	Air India Ltd.	Unpaved Land - 1520 Sq.m.	3 years	02.08.2010	01.08.2013	Wastage free space provisional
2	The Senior Vice President Air India Ltd Airport Services/344, Plot No.C-05L, B'Ware Indent, Airport, Devarahalli, Mangalore - 560 300.	Battery Charging Point / Parking Ramp equipments GSE parking area opposite Bay no.11	Paved land-778 sq.m	3 years	1.10.2013	30.9.2016	Renewal of allotment
		Ramp area	Paved land-222 sq.m	5 years	10.12.2017	11.12.2022	Fresh award
		GSE parking area	Paved land-155 sq.m	5 years	01.08.2018	31.07.2023	Fresh award
		GSE parking area	Paved land-345 sq.m	5 years	1.10.2018	30.9.2023	Fresh award
		Parking ramp equipments	Paved land-350 sq.m	5 years	24.9.2017	23.9.2022	Fresh award
		Tower for wireless connectivity	Paved land-1.5 sq.m	5 years	24.9.2017	23.9.2022	Fresh award
3	M/s. Inner Circle Aviation Ltd.(Pvt) Ltd., Central wing, Central Road, Thacker House, 124 Mangal, New Delhi -110 003	Parking ramp equipments Tower for wireless connectivity	Paved land-100 sq.m Paved land-200 sq.m	3 years	02.4.2017	01.4.2020	Fresh award
4	1st Airways, 1st Airway(India) Pvt Ltd., Halter Chambers 33 Naraina Road, New Delhi-600 022	Parking ramp equipments Parking ramp equipments Storage GSE/GSV equipments	Paved land-100 sq.m Paved land-200 sq.m Paved land -50 sq.m	3 years	1.10.2016	30.9.2019	Fresh award
5	M/s. Space Jet Ltd., 218, M.V.V. Vihar, Phase IV, Gurgaon-122016, Haryana.	Parking ramp equipments	Paved land -100 sq.m	3 years	05.11.2016	04.11.2019	Renewal
6	Sharda Int India Pvt. Limited A-2, Bani (Phase II) Mangal Road Hambalest, Opp. Mata ka Mandir New Delhi-110 005	Parking Ramp Equip. & Maintenance Workshop	Unpaved land -300 sq.m	2 years	1.4.2017	31.3.2019	Renewal
7	Indiastan Petroleum Corpn.Ltd., Shree Vaidhides Mang., Hambalest	On Wheels' aviation fueling	Unpaved land -267 sq.m	3 years	1.1.2016	31.12.2018	Renewal
8	Indian Oil Corporation Mangalore	Aircraft Fuel Station(AFS) Land at OTB Refueling facility, Dept. Area Parking Fuel Blowers at grade of RTB	Unpaved land -1256.16 Sq.m Unpaved land-2075sq.m	3 years	1.1.2017	31.12.2019	Renewal
9	Indian Coast Guard Panambur	Coast Guard Air Enclave	Paved Land - 626.52 Sq.m Unpaved land - 4.2 acre(16997 sq.m)	3 years 20 years	1.4.2017	31.3.2020	Renewal Not to take over lease land issued by DGAF
10	Regional Director, Meteorological Dept. Chennai.	New Met observatory - Opt. Quarters - Colony (New location u.d.f 01.05.2015)	Unpaved land-150 sq.m Unpaved land-744.92 sq.m	3 years	6.9.2012	7.9.2015	
11	M/S Mangalore Refinery & Petroleum Co. Ltd., Kuthanur Post, Via Kalyan, Mangalore-58	Laying of raw water pipeline at left side of Airport Road from Station to Main junction	Unpaved land -2654 Sqm	5 years	10.11.2014	09.11.2019	Renewal
12	The Ocean Pearl Hotel, Kuthanur, Mangalore	Parking of H-Loader	Paved land -100 Sqm	3 years	25.8.2012	24.8.2015	Renewal
13	Shed HAP, 102, Predding Sigma, Vittalmatya Road, Mangalore-58	On Wheels' Aviation Fueling Mobile Refueling station Land at Airside	Unpaved land- 267.00 Sq.m	3 years	07.08.2016	06.08.2019	Renewal
14	The Wing Commander Shree Prasad Singh 1st Air Wing Kuthanur Mangalore-2	GSE parking area	Paved land-975 sq.m	3 years	11.9.2018	10.09.2021	Fresh award



मंगलूरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अनुबंधों का विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम/पता	कार्य की अनुमानित लागत	स्वीकृत मूल्य (रु.)	प्रारंभ तिथि	अनुबंध की अवधि
1	एमईएसएस (क्यूसीबीएस)	मेसर्स सर्विस मास्टर क्लीन लिमिटेड, ए28 एवं 29, ओखला फेज-1, नई दिल्ली-110020	रु. 5,20,95,064.32/-	रु. 5,20,95,064.32/-	02-05-2018	03 वर्ष
2	ईएसएस	दुर्गा फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (डीएफएमएस)	रु.64,28,372/-	रु.64,28,372/-	15.12.2016	03 वर्ष
3	डीजीआर सुरक्षा गार्ड एवं सुपरवाइजर	सुनील वेणुगोपाल	रु.99,07,248/-	रु.99,07,248/-	01.02.2017	02 वर्ष
4	एओसीसी के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर	केएन एंटरप्राइजेज	रु.8,10,000/-	रु.8,10,000/-	01.07.2018	01 वर्ष
5	कीट नियंत्रण	पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट प्रा.लि.	रु.2,22,973.56/-	रु.2,22,973.56/-	10.07.2018	01 वर्ष
6	कचरा निपटान	केएन एंटरप्राइजेज	रु.6,30,000/-	रु.6,30,000/-	04.07.2018	01 वर्ष
7	एएचयू के माध्यम से सुगंध	ला सेंक्टर फ्रैगेंस टेक्नोलॉजीज प्रा.लि., प्लॉट नंबर: 141-एच, बैकमपाडी औद्योगिक क्षेत्र	रु. 2,70,000/-	रु. 2,70,000/-	18.10.2018	½ वर्ष

मंगलौर हवाईअड्डे पर चल रहे सभी विद्युत कार्य

क्र.सं.	कार्य का नाम	एजेंसी	जीएसटी रहित स्वीकृत लागत	पीडीसी
1	एआरएमओ 2017-18. एसएच : मंगलूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के एनएटीएस में 120केवीए यूपीएस सिस्टम का वार्षिक रखरखाव अनुबंध ।	मेसर्स पावर वन माइक्रो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलोर	327918.00	30.07.2020
2	एआरएमओ 18-19 एसएच : मंगलूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के एनएटीएस भवन में 750 केवीए डीजी सेट का एएमसी ।	मेसर्स सुपर नोवा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद	911667.00	31.10.2021
3	एआरएमओ 2018-20 एसएच: मंगलूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के एनआईटीबी के एचवीएसी सिस्टम का सीएमसी , संचालन एवं रखरखाव।	मेसर्स एरॉन कॉर्पोरेशन, गुजरात	11457204.00	30.11.2020
4	एआरएमओ 18-19 एसएच : एनएटीएस भवन के एचवीएसी सिस्टम का संचालन एवं रखरखाव तथा एनएटीएस भवन के एचवीएसी सिस्टम, यूनिटरी एयर कंडीशनर, वाटर कूलर, डिस्पेंसर और वाटर प्यूरीफायर का व्यापक रखरखाव अनुबंध (सीएमसी)।	मेसर्स एयरटेक इंजीनियर्स, औरंगाबाद	4866500.00	31.08.2020
5	एआरएमओ 18-19 एसएच : मंगलूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर 30केवीए यूपीएस सिस्टम का व्यापक एएमसी ।	मेसर्स कंसल नूवाट पावर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलोर	264810.00	24.08.2021
6	एआरएमओ 2018-20. एसएच : एनआईटीबी , मंगलूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे में ई एंड एम प्रतिष्ठानों का एएमसी ।	मेसर्स श्री वासुकी पावर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलोर-560030	10920112.00	30.06.2020
7	एआरएमओ 2016-17 एसएच : एसटीपी का संचालन एवं रखरखाव।	मेसर्स एक्वाफ्लो	1856248.00	10.01.2019

8	एआरएमओ 2018-19 एसएच: सबस्टेशन एवं एनआईटीबी में स्थापित परपेचुअल मेक यूपीएस का सर्वसमावेशी व्यापक रखरखाव अनुबंध।	मेसर्स परपेचुअल पावर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलोर-94	254880.00	01.04.2020
9	एआरएमओ 2017-18. एसएच: ओटीबी टर्मिनल भवन, पावर हाउस एवं नेविगेशनल एड्स में स्थापित पारंपरिक प्रकार के अग्नि पहचान एवं अग्नि अलार्म प्रणाली का वार्षिक रखरखाव अनुबंध।	मेसर्स टेक्नोसिस सेफ्टी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, बेंगलोर	217119.00	31.05.2020
10	एआरएमओ 2018-20 एसएच: एनआईटीबी में स्थापित फायर हाइड्रेंट/ स्प्रिंकलर सिस्टम के रखरखाव के लिए वार्षिक दर अनुबंध।	मेसर्स ओएनवाईएक्स फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्रीज	860200.00	31.05.2020
11	विभिन्न हवाई अड्डों पर पीबीबी और वीडिजीएस/एवीडीजीएस का एआईसीएमसी	मेसर्स श्री डी इंटिग्रेटेड	5235711.00	14.04.2020
	विभिन्न हवाई अड्डों पर पीबीबी और वीडिजीएस/एवीडीजीएस का संचालन	सॉल्यूशंस लिमिटेड		04.11.2020
12	एआरएमओ 2018-21 एसएच: एनआईटीबी , मंगलूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे में एस्केलेटर का सर्वसमावेशी व्यापक रखरखाव अनुबंध।	मेसर्स जॉनसन लिफ्ट्स (पी) लिमिटेड, चेन्नई	3160267.00	30.06.2020
13	2017-18. एसएच:- एनआईटीबी, मंगलूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे में मेसर्स टेरिस ग्लोबल मेक डिपार्चर बैगेज कन्वेयर सिस्टम का संचालन एवं सर्वसमावेशी व्यापक रखरखाव।	मेसर्स स्वाति एयरपोर्ट सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद	6211680.00	19.11.2019 30.11.2019
14	एआरएमओ 17-18 एसएच: एनएटीएस भवन में एलिवेटर्स का वार्षिक व्यापक रखरखाव अनुबंध।	मेसर्स कोन एलीवेटर्स, मंगलौर	1416188.00	31.10.2019

15	एआरएमओ 2017-22 एसएच: नए एटीएस कॉम्प्लेक्स/ एनआईटीबी के रखरखाव के लिए एरियल वर्क प्लेटफॉर्म का एएमसी	मेसर्स एमटैंडूट लिमिटेड, चेन्नई-600013	100000.00	19.06.2022
16	मंगलूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एसआर/ एमएसएसआर भवन का निर्माण: प्रिसिजन एयर कंडीशनिंग सिस्टम का एसआईटीसी - प्रिसिजन एयर कंडीशनिंग सिस्टम का एआईएसीएमसी	मेसर्स कूल स्टार, बेंगलूर	597054.00	18.01.2023
17	मंगलूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एसआर/ एमएसएसआर भवन का निर्माण एसएच : लिफ्ट का वार्षिक व्यापक रखरखाव अनुबंध	मेसर्स ओमेगा एलीवेटर्स, अहमदाबाद-380023	287400.00	17.03.2023
18	मंगलूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर मौजूदा एकीकृत टर्मिनल भवन का संशोधन/ विस्तार एसएच: वाहन किराए पर लेना	मेसर्स समरान टूरिस्ट, मंगलूर	1105368.00	05.08.2020
19	मंगलूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एआरएमओ 2017-18. एसएच: एनएटीएस में 120केवीए यूपीएस सिस्टम का एएमसी	मेसर्स पावर वन माइक्रो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलूर	327918.00	30.07.2020
20	मंगलूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एनएटीएस भवन पर एआरएमओ 18-19 एसएच : 750 केवीए डीजी सेट का एएमसी	मेसर्स सुपर नोवा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद	911667.00	31.10.2021
21	एआरएमओ 2018-20 एसएच : मंगलूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एनआईटीबी की एचवीएसी प्रणाली का सीएमसी, संचालन और रखरखाव	मेसर्स एरॉन कॉर्पोरेशन, गुजरात	11457204.00	30.11.2020
22	एआरएमओ 18-19 एसएच : एनएटीएस भवन की एचवीएसी प्रणाली का संचालन व रखरखाव और एनएटीएस भवन की एचवीएसी प्रणाली, यूनितरी एयर कंडीशनर, वाटर कूलर, डिस्पेंसर और वाटर प्यूरीफायर का व्यापक रखरखाव अनुबंध	मेसर्स एयरटेक इंजीनियर्स, औरंगाबाद	4866500.00	31.08.2020
23	एआरएमओ 18-19 एसएच : मंगलूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर 30केवीए यूपीएस प्रणाली का व्यापक एएमसी	मेसर्स कंसल नूवाट पावर सोल्यूशन्स प्रा. लि. बेंगलूर	264810.00	24.08.2021

24	एआरएमओ 2018-20। एसएच : मंगलूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के एनआईटीबी में ई एंड एम प्रतिष्ठानों का एएमसी ।	मेसर्स श्री वासुकी पावर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलोर-560 030	10920112.00	30.06.2020
25	एआरएमओ 2018-19 एसएच : मंगलूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के सबस्टेशन और एनआईटीबी में स्थापित पर्पेचुअल मेक यूपीएस का सर्वसमावेशी व्यापक रखरखाव अनुबंध।	मेसर्स पर्पेचुअल पावर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलोर-94	254880.00	01.04.2020
26	एआरएमओ 2017-18 एसएच : मंगलूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर ओटीबी टर्मिनल भवन, पावर हाउस और नेविगेशनल एड्स सहित स्थापित पारंपरिक प्रकार के अग्नि पहचान और अग्नि अलार्म प्रणाली का वार्षिक रखरखाव अनुबंध।	मेसर्स टेक्नोसिस सेफ्टी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, बेंगलुरु	217119.00	31.05.2020
27	एआरएमओ 2018-20 एसएच : मंगलूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के एनआईटीबी में स्थापित फायर हाइड्रेंट /स्प्रिंकलर प्रणाली के रखरखाव हेतु वार्षिक दर अनुबंध	मेसर्स ओएनवाईएक्स फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्रीज	860200.00	31.05.2020
28	विभिन्न हवाई अड्डों पर पीबीबी और वीडिजीएस/एवीडीजीएस का एआईसीएमसी	मेसर्स श्री डी इंडीग्रेटेड सॉल्यूशंस लिमिटेड	5235711.00	14.04.2020
29	विभिन्न हवाई अड्डों पर पीबीबी और वीडिजीएस/एवीडीजीएस का संचालन			04.11.2020
30	एआरएमओ 2018-21 एसएच : मंगलूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के एनआईटीबी में एस्केलेटर्स का सर्वसमावेशी व्यापक रखरखाव अनुबंध।	मेसर्स जॉनसन लिफ्ट्स (पी) लिमिटेड, चेन्नई	3160267.00	30.11.2019
31	2017-18, एसएच : मंगलूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के एनआईटीबी में मेसर्स टेरिस ग्लोबल मेक प्रस्थान सामान कन्वेयर प्रणाली का संचालन और सर्वसमावेशी व्यापक रखरखाव।	मेसर्स स्वाति एयरपोर्ट सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद	6211680.00	19.11.2019 30.10.2019
32	एआरएमओ 17-18 एसएच : मंगलूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के एनएटीएस भवन में एलिवेटर्स का वार्षिक व्यापक रखरखाव अनुबंध।	मेसर्स कोन एलीवेटर्स, मंगलूर	1416188.00	31.10.2019

33	एआरएमओ 2017-22 एसएच : नए एटीएस परिसर/ एनआईटीबी के रखरखाव के लिए एरियल वर्क प्लेटफॉर्म का एएमसी	मेसर्स एमटैंडुट लिमिटेड, चेन्नई-600 013	100000.00	19.06.2022
34	मंगलूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एसआर/एमएसएसआर भवन का निर्माण: प्रिसिजन एयर कंडीशनिंग सिस्टम एसआईटीसी की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग - प्रिसिजन एयर कंडीशनिंग सिस्टम का एआईएसीएमसी	मेसर्स कूल स्टार, बेंगलोर	597054.00	18.01.2023
35	मंगलूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एसआर/एमएसएसआर भवन का निर्माण। एसएच : लिफ्ट का वार्षिक व्यापक रखरखाव अनुबंध	मेसर्स ओमेगा एलीवेटर्स, अहमदाबाद-380 023	287400.00	17.03.2023
36	एआरएमओ 17-18, एसएच : मंगलूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एनएटीएस भवन, नेविगेशनल एड्स, जीएलएफ, जीएलएफ और पेरीमीटर लाइटिंग से संबंधित विद्युत और यांत्रिक प्रतिष्ठानों का संचालन एवं रखरखाव अनुबंध।	मेसर्स स्टर्लिंग एंड विल्सन प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलोर	3951822.00	14.01.19
37	एआरएमओ 17-18, एसएच : मंगलूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर ओटीबी भवन, एमएसएसआर और डीवीओआर से संबंधित विद्युत और यांत्रिक प्रतिष्ठानों का संचालन एवं रखरखाव अनुबंध ।	मेसर्स श्री स्कंद कंसल्टेंसी, मंगलूर	3994600.00	31.12.18
38	एआरएमओ 2018-19, एसएच : एनआईटीबी मंगलूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर स्थापित 750 केवीए डीजी सेट्स से जुड़े क्यूमिंस मेक इंजन्स के लिए आवधिक सर्विसिंग अनुबंध ।	मेसर्स द प्राइममूवर्स, मंगलूर	82800.00	07.04.19
39	एआरएमओ 2018-19, मंगलूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर 45 केवीए डीजी सेट्स से जुड़े वोल्वो आयशर मेक इंजनों के लिए 'बी चेक किट' की आपूर्ति सहित आवधिक द्वि-मासिक सर्विसिंग अनुबंध ।	मेसर्स सैनफोर्ड जनरेटर्स, बेंगलोर-560 022	33257.00	30.06.19
40	एआरएमओ 17-18, एसएच : मंगलूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एलसीएमएस और सीसीआर के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध	मेसर्स नासू सिस्टम्स, मुंबई	419,400.00	04.12.2018

41	एआरएमओ 18-19 एसएच : एसएच : मंगलूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एनएसएस मेक स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति	मेसर्स नासू सिस्टम्स, मुंबई	512,913.00	05.12.2018
----	---	--------------------------------	------------	------------

42	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विभिन्न हवाई अड्डों के लिए ग्राउंड लाइटिंग सुविधाओं की आपूर्ति हेतु दर अनुबंध एसएच : एएफएल केबलों की आपूर्ति।	मेसर्स अंकुर टेक्नोक्रेट्स, एफ- 42, प्रीत विहार, प्रीत विहार, विकास मार्ग दिल्ली-110092	8,64,063.00	16.11.18
43	मंगलूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर जीएलएफ केबलों का प्रतिस्थापन और जीएलएफ सर्किट के अर्थिंग में सुधार एसएच : केबल बिछाना, अर्थिंग और संबद्ध कार्य।	मेसर्स श्री स्कंद कंसल्टेंसी, मंगलूर	4,25,230.00	19.04.19

मंगलूर हवाईअड्डे पर चालू सिविल आर एंड एम मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों की सूची

क्रम सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत मूल्य (रु. लाख में)	प्रारंभ की तिथि	निर्धारित डीओसी	स्थिति
1	एनआईटीबी एवं कार पार्क क्षेत्र के सुधारीकरण एवं रखरखाव हेतु वार्षिक सिविल रखरखाव अनुबंध 2018-19	60.00	26.04.18	25.04.19	कार्य प्रगति पर है
2	परिचालन क्षेत्र, परिचालन भवन एवं एनएटीएस भवन के सुधारीकरण एवं रखरखाव हेतु वार्षिक सिविल रखरखाव अनुबंध 2018-19	60.00	24.05.18	23.05.19	-यथोपरी-
3	आवासीय कॉलोनी, अन्य एन्सिल्यरी बिल्डिंग एवं पुराने टर्मिनल भवन के सुधारीकरण एवं रखरखाव हेतु वार्षिक सिविल रखरखाव अनुबंध 2018-19	60.00	19.05.18	18.05.19	-यथोपरी-
4	विशेष मरम्मत सिविल कार्य	112.95	04.06.18	03.06.19	-यथोपरी-

चालू सिविल मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों की सूची (जारी)

क्रम सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत मूल्य (रु लाख में)	प्रारंभ की तिथि	निर्धारित डीओसी	स्थिति
5	मंगलूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के एनआईटीबी में स्थापित कोहलर सेनेटरी फिटिंग्स के रखरखाव हेतु वार्षिक रखरखाव अनुबंध	3.7	25.07.18	24.07.19	-यथोपरी-

क्रम सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत मूल्य (रु लाख में)	प्रारंभ की तिथि	निर्धारित डीओसी	स्थिति
6	डीओआरएमए स्वचालित द्वार संचालक प्रणाली हेतु गैर-व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध	3.6	01.08.18	31.07.19	- यथोपरी-
7	मंगलूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के एनआईटीबी में स्थापित कोहलर सेनेटरी फिटिंग्स की मरम्मत एवं रखरखाव हेतु स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति	3.18	10.08.18	09.08.19	- यथोपरी-
8	परिचालन क्षेत्र में वनस्पति/ झाड़ियों की सफाई	7.51	09.12.18	08.12.19	- यथोपरी-
9	जल संकट के कारण पेयजल की आपूर्ति - चरण-II	6.8	10.12.18	09.12.19	- यथोपरी-

पहले से स्वीकृत पूंजीगत व्यय की सूची:

क्रम सं.	प्रस्तावित कार्य / योजना का नाम	ठेकेदार का नाम /पता	अनुमानित लागत (रु. करोड़ में)	स्वीकृत मूल्य (रु. करोड़ में)	प्रारंभ की तिथि	निर्धारित पूर्णता तिथि	30 जून 2019 तक संभावित भौतिक प्रगति	30 जून 2019 तक संभावित वित्तीय प्रगति
	सिविल							
1	मंगलूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एनआईटीबी की ओर के शीशों के लिए सन कंट्रोल फिल्म लगाना एसएच : सन कंट्रोल फिल्म एवं ग्राफिक्स लगाना	मेसर्स बालाजी एसोसिएट्स, बेंगलुरु	0.64	0.51	14-12-2017	30-11-2018	100%	0.60
2	मंगलूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सीआईएसएफ की देखरेख में सीआईएसएफ पारिवारिक आवास का निर्माण	मेसर्स ए.एल. पिंटो एंड ब्रदर्स, एयरपोर्ट रोड , मंगलूर	2.40	2.03	26-12-2017	25-12-2018	100%	2.25

3	मंगलूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के दक्षिण भाग में लिंक पैरेलल टैक्सी ट्रैक (चरण-II) का निर्माण एवं बेसिक स्ट्रिप का समतलीकरण	मेसर्स पीबीआई कंस्ट्रक्शन कंपनी, बंदर रोड, भटकल, यूके , कर्नाटक	114.47	97.71	19-02-2017	18-08-2019	60%	60.00
4	मंगलूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर मौजूदा एकीकृत टर्मिनल भवन का संशोधन / विस्तार	मेसर्स हर्ष कंस्ट्रक्शंस, नासिक, महाराष्ट्र	132.24	95.80	19-04-2018	18-04-2020	33%	30.00
5	एनआईटीबी में फेसलिफ्ट कार्य एवं घरेलू एसएचए का आंशिक विस्तार	मेसर्स हर्ष कंस्ट्रक्शंस, नासिक, महाराष्ट्र	4.86	4.35	03-08-2018	02-08-2019	70%	3.00
6	एप्रन का पूर्व दिशा की ओर विस्तार	मेसर्स शीला कंस्ट्रक्शंस, बलमट्टा	6.76	5.37	20-09-2018	19-09-2019	74%	4.00
7	मंगलूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एकीकृत टर्मिनल भवन के विस्तार/ संशोधन के पर्यवेक्षण हेतु पश्च-पुरस्कार परियोजना प्रबंधन परामर्श	मेसर्स किटको लिमिटेड 4407 फेमिथ्स, पी.बी. नंबर 4407, पुथिया रोड, कोच्चि	2.15	2.42	15-10-2018	14-06-2020	44%	1.06
8	आईएलएस सिस्टम का प्रतिस्थापन -सिविल एवं आंतरिक विद्युत कार्य	मेसर्स शीला कंस्ट्रक्शंस, बलमट्टा रोड मंगलूर	0.43	0.32	30-11-2018	30-01-2019	100%	0.32
9	पेरीमीटर रोड का वाइडनिंग एवं स्ट्रेथनिंग कार्य	मेसर्स शान एंटरप्राइजेज, मंगलूर	7.1	4.59	30-11-2018	30-11-2019	58%	2.75

10	मलावूर गांव में मंगलूरु हवाईअड्डे के फुटपाथ पर बरसाती पानी की नालियों का निर्माण	पंचायत राज इंजीनियरिंग विभाग, मंगलूरु	6.75	6.75	15-01-2019	30-07-2019	90%	6.08
11	आर्ट-वर्क का प्रावधान	मेसर्स एस क्यूट-मंगलूरु मेसर्स एस.के. पहाड़ी -न्यू	1.17	1.17	15-07-2018	31-01-19	100%	1.17
क्रम सं.	प्रस्तावित कार्य / योजना का नाम	ठेकेदार का नाम एवं पता	अनुमानित लागत (₹ करोड़)	स्वीकृत मूल्य (₹ करोड़)	प्रारंभ की तिथि	निर्धारित पूर्णता तिथि	30 जून 2019 तक संभावित भौतिक प्रगति	30 जून 2019 तक संभावित वित्तीय प्रगति
	विद्युत							
1	मंगलूरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एप्रन का पूर्व दिशा की ओर विस्तार एसएच : एप्रन फ्लड लाइटों और संबद्ध विद्युत कार्यों का एसआईटीसी	मेसर्स बी.जी.14, बी.जी. टॉवर, दिल्ली गेट के सामने, अहमदाबाद-380004	0.3	0.27	20-10-2018	18-04-2019	100%	0.27
2	पेरीमीटर लाइटिंग की एचपीएसवी फिटिंग्स को एलईडी फिटिंग्स से बदलना फिटिंग्स के पुनर्विन्यास सहित - चरण-I	मेसर्स सारस्वत इंजीनियर सर्विसेज 6, वनराई कॉम्प्लेक्स, डबल्यूई हाईवे	0.41	0.34	15-11-2018	14-03-2019	100%	0.34
3	एएआई आवासीय कॉलोनी में छत के पंखों का प्रतिस्थापन	मेसर्स गुरु इलेक्ट्रिकल्स, दुकान नंबर - 2, चर्च बिल्डिंग,	0.05	0.04	15-11-2018	15-02-2019	100%	0.04

क्रम सं.	प्रस्तावित कार्य / योजना का नाम	ठेकेदार का नाम एवं पता	अनुमानित लागत (₹ करोड़)	स्वीकृत मूल्य (₹ करोड़)	प्रारंभ की तिथि	निर्धारित पूर्णता तिथि	30 जून 2019 तक संभावित भौतिक प्रगति	30 जून 2019 तक संभावित वित्तीय प्रगति
	विद्युत							
		मंगलुरु 574142						
4	अतिरिक्त रिमोट कंट्रोल डेस्क का प्रावधान	मेसर्स नासू सिस्टम्स, 503 ए अमर सोसाइटी	0.04	0.04	26-04-2018	30-11-2018	100%	0.04
5	मंगलूरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रस्थान सामान हैंडलिंग प्रणाली हेतु 3 अतिरिक्त चेक-इन काउंटरों का प्रावधान एसएच : कन्वेयर सिस्टम की आपूर्ति	मेसर्स टेरिस ग्लोबल लिमिटेड, सिंगापुर		0.95	04-08-2018	03-02-2019	100%	0.95
6	मंगलूरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रस्थान सामान हैंडलिंग प्रणाली हेतु 3 अतिरिक्त चेक-इन काउंटरों का प्रावधान	मेसर्स डेलाइट सिस्टम्स इंजीनियरिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, 34, भूतल , गुरु गोबिंद सिंह		0.24	04-08-2018	03-02-2019	100%	0.24
7	भारत के गोवा, कालिकट, कोयंबटूर, मंगलूरु, त्रिची, वडोदरा, अमृतसर, अहमदाबाद और त्रिवेंद्रम हवाई अड्डों के लिए एप्रन ड्राइव ग्लास वॉल पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज और एडवांस्ड विजुअल डॉकिंग	मेसर्स एडीईएलटीई एयरपोर्ट टेक्नोलॉजीज, एसएलवी न.-1 स्पेन		1.60	01-07-2016	31-01-2019	100%	1.60

क्रम सं.	प्रस्तावित कार्य / योजना का नाम	ठेकेदार का नाम एवं पता	अनुमानित लागत (₹ करोड़)	स्वीकृत मूल्य (₹ करोड़)	प्रारंभ की तिथि	निर्धारित पूर्णता तिथि	30 जून 2019 तक संभावित भौतिक प्रगति	30 जून 2019 तक संभावित वित्तीय प्रगति
	विद्युत							
	गाइडेंस सिस्टम का प्रावधान							
8	मंगलूरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एनडीबी और एलएलजेड में डक्टेबल एसी का प्रतिस्थापन एवं विभिन्न स्थानों पर आरओ फिल्टर और वाटर कूलरों का प्रतिस्थापन	मेसर्स वेलोसिटी एयरकॉन, नई दिल्ली	0.13	0.12	22-12-2017	31-10-2018	100%	0.12
9	पारंपरिक लाइट फिटिंग्स का एलईडी फिटिंग्स में प्रतिस्थापन	मेसर्स एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)		0.21	30-07-2018	30-11-2018	100%	0.21
10	मंगलूरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर नेविगेशनल एड्स हेतु अतिरिक्त केबल का प्रावधान एसएच : ग्लाइड पाथ 06/24 उत्तर के लिए स्टैंडबाय केबलों का प्रावधान	मेसर्स एन.एल. नीमा, 8/3 नॉर्थ इंदौर-452002	0.4	0.36	06-09-2018	05-01-2019	100%	0.36

अनुसूची-यू
प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित कार्यों की सूची

क्रम सं.	प्रस्तावित कार्य / योजना का नाम	कार्य का अनुमानित बजट (रु. करोड़ में)
विद्युत	मंगलूरु हवाईअड्डा	
1	एएआई कॉलोनी में एचटी ओवरहेड लाइन को भूमिगत केबलिंग में बदलना ।	0.08
2	लैंडिंग "टी" एवं विंडसॉक का स्थानांतरण ।	0.01
3	अतिरिक्त सीसीआर का प्रावधान ।	0.1
4	सीढ़ियों का प्रावधान ।	0.02
5	ओटीबी के पंप हाउस में पंपों का प्रतिस्थापन और पुनः वायरिंग ।	0.07
6	ओटीबी से एनएटीएस भवन के लिए स्टैंडबाय केबल का प्रावधान ।	0.46
7	विभिन्न स्थानों पर एसी, वाटर कूलर और वाटर डिस्पेंसर का प्रतिस्थापन ।	0.1
8	06 शुरुआत पर मौजूदा थ्रेसहोल्ड-कम- एंड लाइट इनसेट फिटिंग का संशोधन ।	0.3
9	ओब्सिलेट किलोस्कर मेक 33केवी वीसीबी पैनल को नए वीसीबी पैनल से बदलना ।	0.5
10	एनआईटीबी में एचवीएसी संयंत्र के लिए थर्मल स्टोरेज सिस्टम का प्रावधान।	1
12	आपातकालीन परिचालन और डीजीसीए आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कार्य।	0.05
13	मौजूदा सीआईएसएफ हट और नए वॉच टावरों के लिए सोलर लाइटों का प्रावधान ।	0.1
14	कैट-1 अप्रोच लाइटिंग सिस्टम का प्रावधान ।	2
15	सेंट्रल लाइन लाइट ।	3
16	सोलर रूफ टॉप ।	2
सिविल		
15	मंगलूरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर विभिन्न श्रेणियों के स्टाफ क्वार्टरों को केयर ऑफ सी एवं डी प्रकार के क्वार्टरों (18 की संख्या) के रूप में नामपरिवर्तन करना	

क्रम सं.	प्रस्तावित कार्य / योजना का नाम	कार्य का अनुमानित बजट (रु. करोड़ में)
16	आरईएसए के लिए रनवे का 120 मीटर विस्तार ।	
17	एनआईटीबी प्रस्थान पक्ष का विस्तार।	
18	परिचालन क्षेत्र में पूरी सतह का समतलीकरण ।	
19	मौजूदा एमटी वर्कशॉप का विस्तार।	
20	वर्षा जल संचयन का कार्य।	
20	एनआईटीबी के लिए नई एल्युमीनियम छत गटर्स का प्रावधान।	2.52

नियोजन का चरण में शामिल कार्यों की सूची तथा ऐसे कार्य जिन्हें परिचालन कारणों से स्थगित नहीं किया जा सकता, किन्तु ए/ए एवं ई/एस जारी नहीं की गई है :

क्रम सं.	प्रस्तावित कार्य / योजना का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रु. करोड़)	ए/ए एवं ई/एस प्राप्त करने की स्थिति	क्या कार्य परिचालन आवश्यकता हेतु अनिवार्य है	यदि हां, तो परिचालन आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रारंभ करने की तिथि
विद्युत					
1	एएआई कॉलोनी में एचटी ओवरहेड लाइन को भूमिगत केबलिंग में बदलना।	0.08	-	-	नियोजन का चरण
2	लैंडिंग "टी" एवं विंडसॉक का रिलोकेशन	0.10	-	-	नियोजन का चरण
3	अतिरिक्त सीसीआर का प्रावधान	0.10	-	-	नियोजन का चरण
4	सीढ़ियों का प्रावधान	0.02	-	-	नियोजन का चरण
5	ओटीबी के पंप हाउस में पंपों का प्रतिस्थापन और पुनः वायरिंग	0.07	-	-	नियोजन का चरण
6	ओटीबी से एनएटीएस भवन के लिए स्टैंडबाय केबल का प्रावधान।	0.46	-	-	नियोजन का चरण
7	विभिन्न स्थानों पर एसी, वाटर कूलर और वाटर डिस्पेंसर का प्रतिस्थापन	0.10	-	-	नियोजन का चरण
8	06 शुरुआत पर मौजूदा थ्रेसहोल्ड-कम-एंड लाइट इनसेट फिटिंग का संशोधन	0.30	-	-	नियोजन का चरण
9	ओब्सिलेट किर्लोस्कर मेक 33 केवी वीसीबी पैनल को नए वीसीबी पैनल से बदलना	0.50	-	-	नियोजन का चरण
10	एनआईटीबी में एचवीएसी संयंत्र के लिए थर्मल स्टोरेज सिस्टम का प्रावधान	1	-	-	नियोजन का चरण

क्रम सं.	प्रस्तावित कार्य / योजना का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रु. करोड़)	ए/ए एवं ई/एस प्राप्त करने की स्थिति	क्या कार्य परिचालन आवश्यकता हेतु अनिवार्य है	यदि हां, तो परिचालन आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रारंभ करने की तिथि
12	आपातकालीन परिचालन और डीजीसीए आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कार्य	0.05	-	-	नियोजन का चरण
13	मौजूदा सीआईएसएफ हट और नए वॉच टावरों के लिए सोलर लाइटों का प्रावधान	0.1	-	-	नियोजन का चरण
14	कैट-1 अप्रोच लाइटिंग सिस्टम का प्रावधान	2	-	-	नियोजन का चरण
15	सेंट्रल लाइन लाइट	3	-	-	नियोजन का चरण
16	सोलर रूफ टॉप	2	-	-	नियोजन का चरण
सिविल					
15	मंगलूरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर विभिन्न श्रेणियों के स्टाफ क्वार्टरों को केयर ऑफ सी एवं डी प्रकार के क्वार्टरों (18 की संख्या) के रूप में नामपरिवर्तन करना				नियोजन का चरण
16	आरईएसए के लिए रनवे का 120 मीटर विस्तार ।				नियोजन का चरण
17	एनआईटीबी प्रस्थान पक्ष का विस्तार।				नियोजन का चरण
18	परिचालन क्षेत्र में पूरी सतह का समतलीकरण ।				नियोजन का चरण
19	मौजूदा एमटी वर्कशॉप का विस्तार।				नियोजन का चरण
20	वर्षा जल संचयन का कार्य।				नियोजन का चरण
20	एनआईटीबी के लिए नई एल्युमीनियम छत गटर्स का प्रावधान।	2.52			नियोजन का चरण

नोवेशन डीड का नमूना

यह नोवेशन डीड आज दिनांक [-----] माह [-----] वर्ष [-----] को (जिसे आगे " नोवेशन डीड " कहा जाएगा) निम्नलिखित पक्षों के बीच निष्पादित किया गया है:

1. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित एक निगमित निकाय है और जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003, भारत में स्थित है (जिसे आगे "प्राधिकरण" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल होंगे) ;
2. [-----], जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी है, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या [-----] है और इसका पंजीकृत कार्यालय [-----] पर स्थित है (जिसे आगे "कंसेसियनर " कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी, अनुमत समनुदेशिनी और स्थानापन्न शामिल होंगे); तथा
3. [-----], [एजेंसी/इकाई का नाम लिखें], जो [विधि] के तहत [निगमित/पंजीकृत] है और जिसका पंजीकृत कार्यालय [-----] पर स्थित है (जिसे आगे "प्रतिपक्ष " कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी शामिल होंगे)।

"प्राधिकरण ", "कंसेसियनर " और " प्रतिपक्ष" को व्यक्तिगत रूप से "पक्ष " और सामूहिक रूप से "पक्षों " के रूप में संदर्भित किया जाता है।

जबकि:

क. प्राधिकरण और प्रतिपक्ष ने दिनांक [-----] को एक करार निष्पादित किया था, जिसकी एक प्रति इस नोवेशन डीड के परिशिष्ट क के रूप में संलग्न है (जिसे आगे "नोवेटिड करार" कहा जाएगा);

ख. प्राधिकरण ने [राज्य का नाम लिखें] राज्य के [शहर का नाम लिखें] में स्थित [हवाईअड्डे का नाम लिखें] के परिचालन, विकास और प्रबंधन के लिए कंसेसियनर के साथ दिनांक [-----] को एक कंसेशन करार ("कंसेशन करार") किया है;

ग. कंसेशन करार, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रतिस्थापित करार सहित कंसेसियनर के पक्ष में प्राधिकरण के कुछ अनुबंधों के प्रतिस्थापन का प्रावधान करता है;

घ . प्राधिकरण, प्रतिस्थापित करार के तहत अपने सभी अधिकारों और दायित्वों का कंसेसियनर के पक्ष में प्रतिस्थापन करके इसे प्रतिस्थापित करना चाहता है ; और

ड. प्रतिपक्ष इस नोवेशन डीड में उल्लिखित नियमों और शर्तों पर ऐसे प्रतिस्थापन के लिए सहमत है।

अब, इसलिए, इस नोवेशन डीड में व्यक्त पारस्परिक वचनों के एवज में, पक्षज्ञ निम्नानुसार सहमत होती हैं:

1. सीओडी (जैसा कि कंसेशन करार में परिभाषित है) की तिथि से प्रतिस्थापित करार इस प्रकार प्रतिस्थापित माना जाएगा कि :

(क) प्राधिकरण को कंसेसियनार द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ख) प्रतिपक्ष अब से प्रतिस्थापित करार के तहत प्राधिकरण के स्थान पर कंसेसियनार के लाभ के लिए अपने अधिकारों को लागू करेगा और अपने दायित्वों का पालन करेगा; तथा

(ग) कंसेसियनार अब से प्रतिस्थापित करार के तहत प्राधिकरण के सभी अधिकार और दायित्व प्राप्त करेगा।

(यह विलेख केवल संदर्भ उद्देश्यों के लिए है और आवश्यकतानुसार मामले-दर-मामले आधार पर संशोधित किया जा सकता है।)

2. कंसेसियनार और प्रतिपक्ष के बीच, प्रतिस्थापित करार खंड 1 में निर्धारित प्रतिस्थापन को छोड़कर, समान नियमों और शर्तों पर लागू रहेगा ।
3. प्रतिपक्ष ऐसे प्रतिस्थापन के लिए सहमति देता है और प्राधिकरण द्वारा कंसेसियनार को प्रतिस्थापन के विरुद्ध प्रतिस्थापित करार में किसी भी निषेध, प्रतिबंध या शर्तों का परित्याग करता है ।
4. प्राधिकरण और कंसेसियनार के बीच, लेकिन प्रतिपक्ष के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कंसेशन करार बाध्यकारी होगा और कंसेशन करार तथा नोवेशन डीड के बीच किसी भी विवाद या विरोधाभास की स्थिति में, कंसेशन करार मान्य होगा ।
5. इस नोवेशन डीड के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार 3 (तीन) मध्यस्थों के एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा मध्यस्थता हेतु संदर्भित किया जाएगा, जिनमें से 1 (एक) दावेदारों द्वारा सामूहिक रूप से और 1 (एक) प्रत्यर्थियों द्वारा सामूहिक रूप से नियुक्त किया जाएगा तथा तीसरा मध्यस्थ नियुक्त किए गए 2 (दो) मध्यस्थों द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ऐसी मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा और मध्यस्थता कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी होगी।
6. खंड 5 के अधीन, नई दिल्ली स्थित न्यायालयों के पास इस नोवेशन डीड से उत्पन्न या उससे संबंधित मामलों पर अनन्य क्षेत्राधिकार होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप, इसके पक्षों ने ऊपर लिखित तिथि, माह और वर्ष पर अपने-अपने हस्ताक्षर और मुहर लगा दी हैं :

प्राधिकरण की ओर से और उनके लिए: [*]

कंसेसियनार की ओर से और उनके लिए: [*]

प्रतिपक्ष की ओर से और उनके लिए: [*]

परिशिष्ट क

[संबंधित प्रतिस्थापित करार की प्रति यहाँ संलग्न की जाए]
